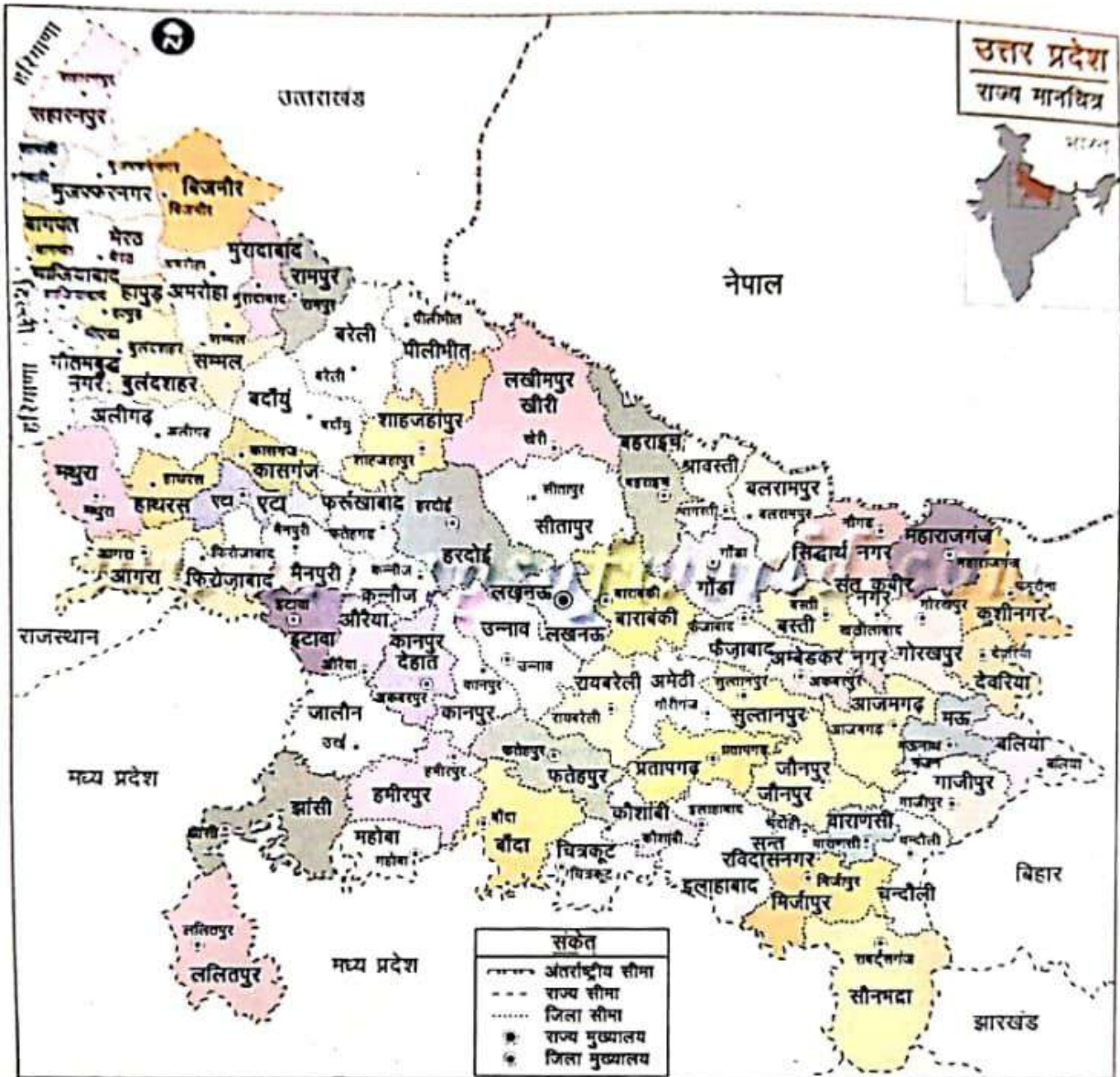


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2019-2020
भाग-4**

जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री प्रेम दत्त तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश तिवारी उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 23- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत कुलसारी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री प्रमोद कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1097249.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1097249.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री रमेश तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 24- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत नगवारा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री धीरेन्द्र से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1668393.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1668393.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती किशोरी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 25- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत नहरी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री शशि प्रकाश पाण्डेय से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 2290354.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 2290354.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है

जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राकेन्द्र कुमार तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि प्रकाश पाण्डेय उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 26- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत पड़मई विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री धीरेन्द्र से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1348158.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1348158.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती माया तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 27- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत पल्हरी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1900744.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1900744.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मुन्ना तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 28- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत पिपरहरी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 2726184.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 2726184.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए

सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रजनिया तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 29- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत रक्सी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री सुरेश से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1141930.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूप 1141930.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 30- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत सदा के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री राजबहादुर से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 6176693.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूप 6176693.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राम किशोर तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजबहादुर उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 31- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत संग्रामपुर विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुकेश तिवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1864815.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूप 1864815.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए

सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राम नरेश तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश तिवारी उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 32- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत सेमरिया कुशल विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री मुकेश तिवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1364170.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1364170.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री आशा रानी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश तिवारी उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 33- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत दिवली विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विंध्यवासिनी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 885515.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 885515.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री रणधीर तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विंध्यवासिनी उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 34- उत्तर प्रदेश प्रचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत रगौली भटपुरा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2019-20 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विंध्यवासिनी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूंकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 में व्यय पक्ष में रुपये 1112611.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई मूल धनराशि रूपए 1112611.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए

सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मुन्ना तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विंध्यवासिनी उत्तरदायी हैं। ब्याजसहित वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप - 4 जनपद - चित्रकूटधाम

2018-19:-

ग्राम पंचायत

प्रस्तर-1 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत सरधुआ की आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता सिंह को एक ही अवधि का मानदेय का दुबारा भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान के साथ-साथ सचिव श्री के0के0 द्विवेदी एवं राहुल सिंह भी दोषी है। विवरण निम्नवत है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अवधि जो कोषवही में दर्शित है।	टिप्पणी
03.04.2018	16887	17500.00	नवम्बर 17 से मार्च 18 तक	5 माह का
08.08.2018	30010	31500.00	नवम्बर 17 से जुलाई 18 तक	(9 माह) 5 X 3500X 17500 अधिक /दुबारा भुगतान किया गया है।
16.02.2019	30042	35000.00	अप्रैल 18 से जनवरी 19 तक	(10 माह) 4 X 3500X 14000 अधिक /दुबारा भुगतान किया गया है।
	योग-	84000.00	योग-	31500.00 अधिक भुगतान

उपरोक्त विवरण के अनुसार दर्शित अवधि (11/2017 से 01/2019) तक कुल 15 माह में रूपया- 3500/ प्रतिमाह की दर से रू0 52500.00 होता है, किन्तु मनमाने ढंग से रूपया- 84000.00 अर्थात रूपया- 31500.00 का अधिक/ दुबारा भुगतान कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री के0के0 द्विवेदी सचिव एवं श्रीमती अनीता सिंह ग्राम प्रधान से रूपया- 17500.00 एवं श्री राहुल सिंह सचिव एवं श्रीमती अनीता सिंह से रूपया - 14000.00 कीजानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत कलवलिया की आलोच्य वर्ष 2018 - 19 में पूर्व ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार जिनका स्थानांतरण दिनांक 01.04.2018 के पूर्व ग्राम पंचायत कलवलिया एवं विकास खण्ड पहाड़ी से होने, तथा कार्यमुक्तोपरांत खाता प्रथम (राज्यवित्त एवं चैदहवे वित्त) इलाहाबाद ग्रामीण बैंक शाखा पहाड़ी के खाता संख्या (50045101045) द्वारा निर्गतधुअवशेष चेक बुक से कतिपय चेकों को फाड़कर/निकालकर अपने पास रखकर शेष चेक(चेक बुक) स्थानापन्न सचिव कु0 प्रियंवदा पाण्डेय को हस्तगत कराकर तत्समय प्रधान श्री अखिलेश सिंह के साथ कूअरचित/जालसाजी कर धन का आहरण/अपहरण किया गया है, जबकि स्थानान्तर-णोपरांत पूर्व सचिव के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाने चाहिए। किन्तु विकास खण्ड स्तर से बैंक को सूचित न कर उत्तरदायित्व का निर्वहन न करके एवं बैंक स्तर से भी एक खाते से एक से अधिक सहखातेदारों द्वारा आहरण/ भुगतान का कोई औचित्य नहीं होता, बैंक अधिनियमों का घोर उल्लंघन कर अपरोक्ष रूप से उक्त जालसाजी में सहभागिता की गयी है। अतः अपहरित धनराशि की तातारीख अवधारित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अखिलेश सिंह एवं पूर्व सचिव श्री संतोष कुमार से करने के साथ-साथ बैंक अधिकारियों पर भी आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए विवरणनिम्नवत है:-

दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	टिप्पणी
16.11.2018	11247	49600.00	खाता प्रथम में उक्त आहरणों के व्ययों का अंकन कोषवही में नहीं किया गया है, तथा उक्त चेक किन-किन के पक्ष/नाम निर्गत रही का उल्लेखन तो बैंक स्टेटमेंट में रहा, न ही अन्य (चेक-बुक प्रतिपण आदि भी उपलब्ध रहे।
28.11.2018	11248	48800.00	
01.12.2018	11246	45670.00	
01.12.2018	11249	47500.00	
03.01.2019	11258	160000.00	
03.01.2019	11259	40000.00	
18.01.2019	11257	190000.00	
	योग-	581570.00	

प्रस्तर-3 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत बगरेही की आलोच्य वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा आहरण/दुरू0 एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए हैं। जिनका विवरण निम्नवत है।

1. आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट का क्रय कोषवही में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0/ चेक सं0 / दिनांक / धनराशि / अन्य

- 1 - 62933 / 27.08.18 / 96000.00 20 नग पालेश्वर नाथ मौर्य उर्जा केन्द्र।
- 2 - 62934 / 27.08.18 / 96000.00 20 नग पालेश्वर नाथ मौर्य उर्जा केन्द्र।
- 3 - 62935 / 27.08.18 / 96000.00 20 नग पालेश्वर नाथ मौर्य उर्जा केन्द्र।
- 4 - 62965 / 06.11.18 / 80590.00 13 नग सुधा इन्टरप्राइजेज।
- 5 - 62966 / 06.11.18 / 74390.00 12 नग सुधा इन्टरप्राइजेज।

85 नग

उपरोक्त क्रय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं -

उपरोक्त क्रय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं -

1 - स्ट्रीट लाइट क्रय करने हेतु तथा कहाँ- कहाँ लगाया जाना है, से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव अवलोकनार्थ नहीं कराया गया।

2 - क्रमांक 1,2,3 पर दर्शित क्रय रू0.4800.00 प्रति नग की दर से रहा जबकि क्रमांक 4,5 पर दर्शित क्रय अधिक दर पर दर्शाया गया है रू0 4800.00 प्रति नग की दर से 25 नग की कीमत रू0 120000.00 होती है। जबकि भुगतान रूपया 154980.00 का किया गया है। इस प्रकार रूपया 34980.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री श्लोक कुमार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयभान से किया जाना अपेक्षित है।

3 - स्ट्रीट लाइट क्रय की स्वीकृति अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से लिए जाने की पुष्टि में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जो अपेक्षित रहा।

4 - कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत बगरेही के चेक संख्या 62967 दिनांक 19.11.2018 द्वारा ग्राम प्रधान श्री श्लोक कुमार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयभान को स्टेशनरी क्रय का प्रमाणक अप्राप्त रहा। इसके अलावा चेक संख्या 62971 दिनांक 15.01.2019 द्वारा रूपया 9500.00 से स्टेशनरी क्रय का भुगतान बुजेंद्र कुमार को किया गया है, जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। स्टेशनरी क्रय का प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा और न ही स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि की गयी है दर्शित क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है। व्याज सहित व्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत बगरेही के चेक संख्या 92193 दिनांक 19.03.2019 द्वारा प्रा0वि0 बगरेही की छत रिपेयर में प्रयुक्त सामग्री का भुगतान रूपया - 103672.00 से किया गया कोषवही में दर्ज है। परन्तु भुगतान किसे किया कोषवही में अंकित नहीं है न ही बैंक स्टेटमेंट में नाम अंकित है, प्राप्त सामग्री का उपयोग भी नहीं किया गया है और न ही कार्य रजि0 में अवशेष सामग्री के रूप में दर्शाया गया है इस प्रकार रूपया- 103672.00 का आहरण किया गया होता है। जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री श्लोक कुमार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयभान से अपेक्षित है।

प्रस्तर- 6 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत सरहट की आलोच्य वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में आहरण/ दुरू0 एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए हैं। जिनका विवरण निम्नवत है।

1 - चेक संख्या 55472 दिनांक - 16.04.2018 द्वारा पटा में राकेश के घर के पास पुलिया निर्माण की मजदूरी का भुगतान रूपया 20475.00 श्री वीरेन्द्र सिंह को किया गया। कोषवही में दर्ज है। कोषवही में अंकित विवरण के अनुसार श्रमिक 85/175 एवम कारीगर 14/ 400 की दर से भुगतान किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1 - पुलिया निर्माण हेतु सामग्री का क्रय कोषवही में दर्ज नहीं है, और न ही गत वर्ष की अवशेष स्टॉक की पुष्टि निर्माण कार्य रजि0 से कराई गई।

2 - मजदूरी भुगतान समस्त मजदूरों व कारीगरों को न कर एक व्यक्ति को किया गया दर्शाया गया है। मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय फर्जी होता है। जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयभान व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -7 - वि०ख० मानिकपुर की ग्राम पंचायत सरहट के आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार प्राथमिक विधालय मानिकपुर रूरल में रखकर प्राथमिक विधालय सरहट में टाइल्स कार्य हेतु सामग्री क्रय का भुगतान कोषवही में दर्शाया गया है।

क्र० सं०/ चेक सं० / दिनांक / धनराशि / अन्य

- 1 - 63769 / 15.03.19 / 165200.00 मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता को प्रा०वि० मानिकपुर स्लर में टाइल्स कार्य हेतु सामग्री।
- 2 - 63770 / 15.03.19 / 22591.00 मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता को प्रा०वि० मानिकपुर स्लर में टाइल्स कार्य हेतु सामग्री।
- 3 - 63771 / 15.03.19 / 155288.00 मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता को प्रा०वि० मानिकपुर स्लर में टाइल्स कार्य हेतु सामग्री।
- 4 - 63772 / 16.03.19 / 15514.00 प्रा० वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।
- 5 - 63773 / 16.03.19 / 104076.00 प्रा० वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।
- 6 - 63774 / 16.03.19 / 21012.00 प्रा० वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।
- 7 - 63775 / 16.03.19 / 145376.00 प्रा० वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।
- 8 - 63777 / 18.03.19 / 15514.00 प्रा० वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।
- 9 - 63778 / 18.03.19 / 105728.00 पू०मा०वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।
- 10 - 63779 / 18.03.19 / 16194.00 पू०मा०वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।
- 11 - 63780 / 18.03.19 / 118944.00 पू०मा०वि० सरहट हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता।

योग- 885437.00

उपरोक्तानुसार प्रा० वि० विधालय मानिकपुर रूरल, प्रा० वि० सरहट एवम पू०मा०वि० सरहट में टाइल्स

कार्य हेतु मे० प्रकाश चन्द्र गुप्ता को रूपया -885437.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- प्राथमिक वि० मानिकपुर रूरल, प्रा०वि० सरहट एवम पू०मा०वि० सरहट में टाइल्स कार्य हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव अनुपलब्ध रहा।

2 - उपरोक्त कार्य का अनुमानित व्यय का विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3 - प्रत्येक विधालय में 2.5 लाख से अधिक का कार्य दर्शाया गया है, जिसका अनुमोदन/स्वीकृति सम्बन्धी पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है, जो आवश्यक था।

4 - उपरोक्तानुसार दर्शित क्रय सामग्री का उपयोग आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है। ऐसी दशा में सामग्री कय का औचित्य अस्पष्ट रहा।

5 - क्रय किए गये स्टाक को निर्माण कार्य रजि० में दर्ज नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार इसे स्टाक रजि० में दर्ज कर अवशेष स्टाक के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।

6 - उपरोक्त कार्यों (दर्शित) की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा।

अतः उपरोक्त कारणों से दर्शित क्रय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयभान व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका से अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वि०ख० मानिकपुर की ग्राम पंचायत सरहट के आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार पेयजल टेंकर कार्य संचालन हेतु भुगतान कोषवही में दर्ज है।

क्र० सं०/चेक सं० / दिनांक / धनराशि / अन्य

- 1 - 55481 / 14.06.2018 / 14000.00 राकेश कुमार निवासी सरहट को 22-5/18 से
10.06.18 तक ट्रैक्टर भाडा 20 ग 700
- 2 - 55488 / 25.06.2018 / 60888.00 राजेश कुमार को ट्रैक्टर भाडा, पानी से लेकर
डीजल आदि का भुगतान
- 3 - 63687 / 16.07.2018 / 34040.00 राजेश कुमार को 21.06.18 से 10.07.18 तक 20
दिन का ट्रैक्टर भाडा, डीजल, पानी मूल्य का
भुगतान / पानी / 120 चक्का एवं 100 भाडा
20 दिन 700 डीजल 120 ली० एवं 67.
- 4 - 63689 / 03.08.2018 / 10260.00 हेल्पर की मजदूरी - 57 ग 180

योग- 119188.00

उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति हेतु रू० 119188.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर आपत्तियाँ हैं।

1 - क्रमांक 1 पर दर्शित राशि 20 दिन के ट्रैक्टर भाडा से सम्बन्धित है जबकि क्रमांक 2 एवं 3 पर दर्शित राशि में ट्रैक्टर भाडा के अतिरिक्त पानी का मूल्य प्रति ट्रैक्टर रू० 100 डीजल का दाम प्रति चक्कर 1 लीटर मूल्य का भुगतान दर्शाया गया है। जल आपूर्ति हेतु राजेश कुमार को भुगतान के सम्बन्ध में दर सम्बन्धी प्रपत्र अनुपलब्ध रहा।

2 - क्रमांक 2 पर दर्शित आपूर्ति 11.06.2020 अर्थात 10 दिन रहा जिसका ट्रैक्टर भाडा पानी मूल्य डीजल का मूल्य, क्रमांक 03 पर दर्शित दर से रू० 17020.00 होता है, जबकि भुगतान रू०- 6088.00 का दर्शाया गया है। इस प्रकार रू० - 43868.00 का अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया

है। जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी क्रमशः श्रीमती प्रियंका व श्री उदयभान से अपेक्षित है।

3 - क्रमांक 4 पर दर्शित व्यय हेल्पर की मजदूरी से सम्बन्धित है, भुगतान 57 दिन एवं 180 से किया गया है। जबकि क्रमांक 1 लगायत 3 तक कुल 25.05.2018 से 10.07.2018 तक 47 दिन होते हैं। इस प्रकार 10 दिन का एवं 180 कुल ₹ 1180 का अधिक भुगतान दर्शाकर धन का आहरण किया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयभान से अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 विकास खण्ड मानिकपुर ग्राम पंचायत सरहट के चेक संख्या 63760 दिनांक 20.12.2019 से 18 नग स्ट्रीट लाइट तथा चेक संख्या 63761 दिनांक 20.12.2019 से 18 नग स्ट्रीट लाइट का क्रमशः रूपया- (99000-99000) कुल 198000.00 का भुगतान पालेश्वर नाथ मौर्य ऊर्जा केन्द्र को किया गया है, जिसकी सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव जिसमें स्ट्रीट लाइट की संख्या व लगाये जाने का स्थान ही उपलब्ध नहीं कराया गया।

2- स्ट्रीट लाइट क्रय की स्वीकृति / अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए था, परन्तु अनुमोदन सम्बन्धी पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

3- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त अनियमितताओं की विभागीय जाँच कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयभान से अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत ददरी माफी की आलोच्य वर्ष 2018- 2019 की लेखा परीक्षा में आहरण /दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनका विवरण निम्नवत है।

1- चेक संख्या 49616 दिनांक 05.04.2018 द्वारा रूपया 95460.00 का भुगतान में 0जी0एस0जी0 ट्रेडर्स को प्रा0 वि0 छित्तपुर में शौचालय निर्माण कार्य हेतु किया गया है, परन्तु सामग्री उपभोग की पुष्टि नहीं कराई गई। शौचालय निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमानित व्यय विवरण पत्र भी अप्राप्त रहा, शौचालय निर्माण पर होने वाले कुल व्यय तथा पूर्व में किए गये व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है जिसके लिए श्री विपिन कुमार कश्यप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती रजनी ग्राम प्रधान उत्तरदायी हैं। व्याज सहित व्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत ददरी में हैण्डपम्प हेतु समरसेबुल पम्प का क्रय किया गया। कोषवही में दर्ज है। विवरण निम्न प्रकार रहा।

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि	अन्य
1	49617	17.04.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
2	49618	17.04.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
3	49619	17.04.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
4	49620	17.04.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
5	49621	17.04.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
6	49622	17.04.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
7	49639	28.05.2018	40800	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
8	49640	28.05.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
9	77676	03.07.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी

क्र0 सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि	अन्य
10	77677	03.07.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
11	77678	03.07.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
12	77725	12.12.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
13	77726	12.12.2018	43050	संजय मशीनरी स्टोर कर्वी
		योग-	557400.00	

उपरोक्त दर्शित क्रय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1- समरसेबुल क्रय हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

2- समर सेबुल को हैण्डपम्प में लगाए जाने की पुष्टि नहीं कराई गई।

3- उक्त क्रय हेतु समक्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

4- सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

जिसके लिए श्री विपिन कुमार कश्यप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती रजनी ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत ददरी माफी में आलोच्य वर्ष ग्राम पंचायत हेतु कूडेदानी का क्रय निम्न प्रकार कोषवही में दर्शाया गया है।

क्र० सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	अन्य	
1	77701	29.04.2018	39000	3 नग	मे० सनलिंग पावर को
2	77702	29.04.2018	39000	3 नग	मे० सनलिंग पावर को
3	77703	29.04.2018	39000	3 नग	मे० सनलिंग पावर को
4	77704	29.04.2018	39000	3 नग	मे० सनलिंग पावर को
		योग-	156000.00		

उक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कूडेदानी क्रय सम्बन्धी ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे 12 नगों के क्रय किए जाने के औचित्य की पुष्टि न हो सकी।

2- उक्त कूडेदानी क्रय हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जो अपेक्षित था।

3- मे० सनलिंग पावर को एक ही तिथि में क्रय किए गये कूडेदानी को 4 चेंकों द्वारा (प्रत्येक रूपया 39000) भुगतान किया गया है, जबकि एक चेक से भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है, कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए क्रय को टुकड़ों में दर्शाया गया है। जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

4- क्रय की प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में किए जाने की पुष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर से नहीं कराई गई, जो अपेक्षित थी।

5- कूडेदानी का उपयोग कहाँ-कहाँ पर किया गया, उस स्थान का चिन्हांकन भी अस्पष्ट रहा।

जिसके लिए श्री विपिन कुमार कश्यप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती रजनी ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत भभेट की आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2018- 19 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या-50046829476 (इलाहाबाद बैंक रामनगर) में जमा कर तथा उक्त खाते से धनराशि आहरित / हस्तान्तरित कर कुल ₹ 4898762.00 वर्ष 2018 - 19 में व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 4539364.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर ₹ 1136 बैंक कटौती ₹ 139262 एडीओ (पंचायत) को हस्तान्तरित प्रशासनिक मद एवं ₹ 219000.00 ग्राम निधि - 06 में हस्तान्तरित धनराशि के रूप में व्यय हुआ। इस प्रकार 4539364.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया। जिसका मदवार विवरण निम्नवत है:-

1- इंटरलार्किंग नाली निर्माण:-

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रमांश
1	इंटरलार्किंग मझगांव यादव के पुरवा	356200	--
2	ई०ला० छेदी यादव के दरवाजे के पास अवशेष भाग	111674	28525
3	ई०ला० बराहा में	226831	--
4	ई०ला० प्रा०पा० बराहा पुरवा में बब्लू गौतम से अन्नतराम तक	90120	40750
5	ई०ला० यादव पुरवा पाण्डेय डेरा के पास	99000	--
6	ई०ला० छककीलाल के घर से राकेश के घर तक	65000	18725
7	ई०ला० भेडेलाल के घर से धर्मेन्द्र के घर तक	55000	18725
8	ई०ला० प्रा०पा० से जयनारायण पाण्डेय तक	60774	7500
9	अदुदा ई० डालने पर व्यय	52250	--
10	ई०ला० बाला पाण्डेय के घर से बिन्नी के घर तक	179200	18525
11	ई०ला० शिव औतार के घर से शिवलखन के घर तक	179000	18525
12	ई०ला० शंशाक के घर से शिवऔतार के घर तक	179100	33284
13	ई०ला० स्थान का उल्लेख नहीं	110000	--
14	ई०ला० बलराम पाण्डेय के घर से राजेश तक	215700	27300
15	नाली प्रभु के दरवाजे से छोटा तक	152850	50300

16	ई0ला0 व नाली शंकर जी मंदिर से राजेश त्रिपाठी तक	411400	51300

2 - विद्यालयों में कराये गये कार्य:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रमांश
1	पू0मा0वि0 में शौचालय / टाइल्स मरम्मत	22700	--
2	ई0ला0 प्रा0 वि0 में	--	35350
3	प्रा0 पा0 में टाइल्स कार्य	465000	--
4	पू0मा0वि0 में ई0ला0 कार्य	150000	--
5	प्रा0 वि0 ैण्डव् बस्ती शौचालय पर व्यय	52500	--

3 - हैण्डपम्प मरम्मत:-

199100

4- रिबोर:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रमांश
1	स्थान का उल्लेख नहीं	80250	
2	स्थान का उल्लेख नहीं	30250	
3	स्थान का उल्लेख नहीं	200000	
4	स्थान का उल्लेख नहीं	65217	
5	स्थान का उल्लेख नहीं	62250	

5- प्रकाश व्यवस्था पर व्यय

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रमांश
1	स्ट्रीट लाइट	83900	

6- पेयजल व्यवस्था पर व्यय:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रमांश
1	पेयजल योजना हेतु पाइप सामग्री	5510	
2	एकल पाइप लाइन व्यवस्था	27000	
3	टैंकर मरम्मत	5250	

7- प्रशासनिक एवं अन्य व्यय:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रमांश
1	सफाई कार्य पर व्यय	54710	
2	फोटोकापी एवं फोटोग्राफी	12694	
3	बैंनर, प्रियासाफ्ट एवं आवास फीडिंग, डोगल	18000	
4	विज्ञापन	3000	
5	वृक्षारोपण	5000	
6	चारागाह	15000	
7	प्रधान मानदेय	21000	
	योग-	4122430.00	416934.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रूपया 4539364.00 (4122430० 416934) की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे:-

- 1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल।
- 2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0।
- 3- परिसम्पत्ति रजिस्टर।
- 4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।
- 5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।
- 6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।
- 7- मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रू0 4539364.00 अपुष्ट रहा, जो अपहरण का प्रकरण है। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली श्री सुरेशचन्द्र (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्रीमती मुनिया (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत चोरहा की आलोच्य वर्ष 2018 . 2019 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2018-2019 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या 50046829748 (इलाहाबाद बैंक रामनगर) में जमा कर तथा उक्त खाते से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रू0 2194720.00 वर्ष 2018-19 में व्यय किया गया, जिसमें से रू0 2122534.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर रू0 1446.00 बैंक कटौती एवं रू0 70740.00। ण्कण्ण (पंचायत) को ट्रांसफर प्रशासनिक मद के रूप में व्यय हुआ। इस प्रकार रू02122534 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	सामग्री	श्रमांश
1- हैण्डपम्प मरम्मत:-			
		116100	39300
2- रिबोर:-			
1	पू0मा0वि चोरहा में	62850	--
2	किरही देवी मोड के पास	50250	--
3- पेयजल आपूर्ति:-			
1	जलापूर्ति हेतु ट्रैक्टर मरम्मत	5200	--
2	जलापूर्ति	3000	--
3	टैंकर सप्लाई भाडा	21000	--
4	टैंकर सप्लाई भाडा	21000	--
5	जलापूर्ति	3000	--
4- प्रकाश व्यवस्था पर व्यय:-			
1	सोलर लाइट	140102	--
2	स्ट्रीट लाइट	41950	--
5- कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों पर व्यय:-			
1	पू0मा0वि0 चोरहा ईटरलांकिंग	102000	12000
2	प्रा0वि0 विनौरी ईटरलांकिंग	171000	24000
3	प्रा0वि0 पकौरा ईटरलांकिंग	313794	21000
4	प्रा0वि0 चाकरहा ईटरलांकिंग	17150	17350
5	प्रा0वि0चोरहा मरम्मत कार्य	41000	--
6- ईटरलांकिंग एवं नाली निर्माण:-			
1	नाई के घर से शम्भू के घर तक ई0ला0	30250	--
2	ज्ञानी पाण्डेय के घर से नत्थू के घर तक नाली व ई0ला0	472568	11200
3	प्रेम के दरवाजे से ैब् वस्ती तक ई0ला0	21000	--

4	रामभवन के दरवाजे से शिव प्रताप के घर तक ई0ला0नाली	199000	25900
7- प्रशासनिक एवं अन्य व्यय:-			
1	प्रधान मानदेय	42000	--
2	कूड़ा सफाई	15000	--
3	बैनर, प्रियासाफ्ट फीडिंग, विज्ञापन, वाल पेंटिंग, फोटोग्राफी डोंगल	52170	--
4	फर्नीचर क्रय	5400	--
5	15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस व के ैण्डण्डण् तहत कार्यक्रम	25000	--
	योग-	1971784.00	150750.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रू0 2122534(1971784150750) की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

- 1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल।
- 2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0वी0।
- 3- परिसम्पत्ति रजिस्टर।
- 4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।
- 5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।
- 6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।
- 7- मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रू0 2122534.00 अपुष्टि रहा, जो अपहरण का प्रकरण है। जिसकी संयुक्त रूप से व्याजसहित वसूली श्री सुरेशचन्द्र (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्री मुन्नालाल (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है। प्रस्तर-15 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत चैरा की आलोच्य वर्ष 2018-19 में बार-बार मांग के बावजूद ग्राम पंचायत चैरा द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैश बुक व पसाबुक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2018-19 व बैंक पास बुक /स्टेटमेंट (ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 50045102204, इलाहाबाद बैंक पहाड़ी) के अनुसार कुल आय रू0 4863039.00 रहा। उक्त खाते से प्राप्त आय के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में कुल व्यय 5568332.00 रहा। जिसमें से 5567892.00 रू0 का आहरण/स्थांतरण ग्राम पंचायत में कराए गए विविध कार्यों पर दर्शित व्यय के रूप में रहा तथा बैंक कटौती रू0 440 वित्तीय वर्ष में रहा इस प्रकार ग्राम पंचायत चैरा में वर्ष 2018-2019 में विविध कार्यों पर कुल व्यय रू0 5567892.00 रहा जिसका मदवार विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	मदवार कार्य विवरण	सामग्री	श्रमांग	कुल योग
1- सी0सी0 रोड निर्माण एवं मिट्टी कार्य:-				
1	मुन्नीलाल मुस्लिम से सी0सी0 रोड तक	54032	11200	65232
2	मेनरोड से श्यामलाल के घर तक सी0सी0 ब्लाक	229178	14275	243453
3	मस्ता तालाब से रामदत्त के घर तक सी0सी0 ब्लाक	225479	15600	241079
4	लाल सिंह से गोरेलाल साहू के घर तक सी0सी0 ब्लाक	228591	16700	245291
5	चुन्नू यादव से रामपाल यादव के घर तक	124088	8250	132338
6	भोला से जगन्नाथ के दरवाजे तक सी0सी0 ब्लाक	181473	12925	194398
7	रामलाल से रामराज के घर तक सी0सी0 ब्लाक	178169	11775	189944
2- इण्टरलाकिंग खण्डजा एवं मिट्टी कार्य:-				
1	वृजमांहन से शिवप्रसाद के घर तक इ0ला0ख0	216508	31575	248083
2	मेनरोड से बदलू यादव तक इ0ला0ख0	159648	29625	189273
3	वृज किशोर से गया केवट के घर तक इ0ला0ख0 व मिट्टी	203267	29725	232992
4	छक्की के घर से मुन्नीलाल के घर तक इ0ला0ख0	136700	19050	155750

3- बडा बाबा स्ािान पर सुरक्षा दिवाल व मिट्टी कार्य:-				
		4200	10675	14875
4- श्याम कुमार के घर के पास पुलिया निर्माण व मिट्टी का:-				
		100597	25750	126347
5- अवधेश के घर तक नाली निर्माण:-				
		71026	14775	85801
6- कायाकल्प योजनान्तर्गत:- इण्टरलाकिंग योजनान्तर्गत				
1	प्रा0 वि0 चैरा भाग-2	25046	6225	131271
2	प्रा0 वि0 चैरा भाग-1	187105	9200	196305
3	प्रा0 वि0 डहरिया पुरावा में	144308	8100	152408
टाईल्स कार्य:-				
1	प्रा0 वि0 चैरा भाग-2	52306	58622	110928
2	प्रा0 वि0 चैरा भाग-1	190363	7350	197713
3	प्रा0 वि0 डहरिया पुरवा भाग-1	185683	10550	196233
4	प्रा0 वि0 डहरिया पुरवा भाग-2	171783	9375	181168
मिट्टी कार्य:-				
1	प्रा0 वि0 डहरिया पुरवा में मिट्टी कार्य	18480	-	18480
2	प्रा0 वि0 अहिरन पुरवा मिट्टी कार्य	20580	-	20580
शौचालय कार्य:-				
1	प्रा0 वि0 अहिरन पुरवा में	156136	22600	178736
2		144745	-	144745
7- हैण्डपम्प मरम्मत कार्य:-				
		196101	50100	246201
8- हैण्डपम्प रिबोर कार्य:-				
1	रामराज के डेरा में	71839	-	71839
2	रामलाल के घर के पास	72433	-	72433
3	उग्रसेन के घर के पास	71919	-	71919
4	रामगोविन्द के घर के पास	72851	-	72851
5	स्थान का उल्लेख नहीं	55287	-	55287
6	स्थान का उल्लेख नहीं	51450	-	51450
7	छेगू यादव के घर के पास	64190	-	64190
8	छेदीलाल के दरवाजे पर	68631	-	68631
9	मतगंजन के दरवाजे पर	69738	-	69738
9- पेयजल आपूर्ति टैंकर द्वारा:-				

	माह अप्रैल से मई तक 2019	79040	-	79040

10- प्रकाश व्यवस्था:-				
1	स्ट्रीट लाइट भुगतान	24000	-	24000
2	सोलर लाइट भुगतान	588400	-	588400
11- प्रशासनिक व अन्य कार्य:-				
1	फोटोकॉपी व स्टेशनरी	500	-	500
2	ट्राइसाइकिल रिक्सा	26000	-	26000
3	10 नग इस्टबिन	83990	-	83990
4	मानदेय (प्रधान मानदेय)	28000	-	28000
	योग-	5033860	434022	5467882

नोट:- कोष वही में दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत व स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट के मांग पत्र के क्रम में कोषवही में सीनों का अंकन होना चाहिए परन्तु कोषवही अधूरी व पूर्ण बनायी गयी है।

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पत्र में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रूपया 5567892.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

- 1- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव व कार्यवाही रजिस्टर।
- 2- ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मानचित्र/प्राक्कलन।
- 3- माप पुस्तिका उ0प्र0 पंचायती राज अधि0 1947 के नियम 63 के अनुसार व वित्तीय पुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 के अनुसार माप पुस्तिका निर्गमन रजिस्टर।
- 4- कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम 209 के अनुसार)।
- 5- सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212(5) के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र।
- 6- वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड - 6 के नियम 316 एवं 317 के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।
- 7- उ0प्र0 पं0 लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0 प्र0 पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम 2017 के नियम 2017 के अनुसार डेड स्कांक व स्टॉक रजिस्टर।
- 8- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 नियम 1947 के धारा-34 और नियम 136 के अनुसार अचल सम्पत्ति रजि0।
- 9- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 1947 के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मस्टर रोल।
- 10- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 1 एवं ग्रा0 पं0 सं0-1-864 / दस दिनांक 23.03.2008 के अनुसार कोटेशन एवं टेंडर प्रक्रिया
- 11- वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक एवं जीएसटी जमा होने की स्थिति में चालान। 12- हैण्डपम्प रिबोर हेतु पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33.03.17.46 /2015 दिनांक 19.06.2016 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर ग्राइडलाइन के अनुरूप यह नियम की प्रतीक्षा सूची व जय नियम मार्ग दर्शित 9 व 211 संख्या- 4430/33.01.99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के तहत गठित - 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पंचायती राज अनुभाग-3 के आदेश संख्या 17/2017/662/33.03.2017-46/2016 दिनांक 12.04.17 के क्रम में अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किए जाने से सम्बन्धित प्रमाणक।
- 13- चतुर्थ राज्य वित्त गाइडलाइन के अनुसार वर्क आईडी कोड।
- 14- उ0प्र0 पं0 राज ति0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 8 के अनुसार रूप पत्र 21 सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0।
- 15- आयकर स्तर 1961 के अनुसार 194-सी के अनुरूप आयकर कटौती व जीएसटी टी0डी0एस0 कटौती जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार, से सम्बन्धित पत्रावली।
- 16- मानदेय पत्रावली व मानदेय रजि0 (पं0सं0 अनुभाग-1 के मानदेय द्वारा)।
- 17- शासनादेश संख्या 2799/86-2015-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार उप खनिज पट्टा मरूती पर विध फार्म-सीव एमएम-11।
- 18- स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट के क्रम में नडा से क्रय प्रमाणक, स्ािनों का चिन्हांकन से सम्बन्धित पत्रावली, फोटोग्राफी, मांग-पत्र आदि।

उपरोक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने व व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध होने के कारण वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है, कि यदि दर्शाये गए, व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः दर्शित व्यय रू0 5567892 के सापेक्ष पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार समस्त दर्शायी गयी धनराशि अपहरण है। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय की व्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर -16 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत बेराउर बांगर की आलोच्य वर्ष 2018 .19 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक व पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2018 -2019 व बैंक

पासबुक /स्टेटमेंट (ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 50045071320. इलाहाबाद बैंक, पहाडी) के अनुसार आय कुल ₹0 2136400.00 रहा, प्राप्त आय के सापेक्ष कुल व्यय ₹0 1637036 रहा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों पर दर्शित व्यय का मदवार विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	कार्य विवरण	सामग्री व्यय	श्रमांग व्यय	योग
1- निर्माण कार्य (इण्टर लाकिंग खण्डजा):-				
1	प्रा०वि० मुख्य सड़क से उमेश के घर तक	147265	20375	168141
2	उमेश निषाद के घर से गणेश के घर तक	118857	14925	133782
पुलिया निर्माण:-				
1	श्री छंगू के डेरा में धूम पाइप पुलिया निर्माण	58041	14900	72941
2- कार्याकल्प योजनान्तर्गत:-				
1	प्रा०वि० बेराउर पुरवा में इण्टरलोकिंग खण्डजा	230024	14675	244699
2	प्रा०वि० मरम्मत भुगतान	144464	-	144464
3	प्रा०वि० बेराउर में छत मरम्मत, टाईल्स पर	81371	16875	98246
3- हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय:-				
		130130	29000	159130
4- प्रकाश व्यवस्था:-				
1	सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट पर व्यय	256170	-	256170
2	स्ट्रीट लाइट व मरम्मत पर व्यय	139200	-	139200
5- हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय:-				
		62378	-	62378
6- वृक्षारोपण पर व्यय:-				
		13435	-	13435
7- सफाई फिट पर भुगतान:-				
		84200	-	84200
8- प्रशासनिक एवं अन्य व्यय:-				
1	कुर्सी, मेंज व आलमारी आदि पर व्यय	46200	-	46200
2	दिवाल पेंटिंग पर व्यय	3000	-	3000
3	फोटोकापी व स्रैसनरी व्यय	8550	-	8550
4	टेण्डर व विज्ञापन पर व्यय	2500	-	2500
		कुल व्यय योग -		1637036-00

उपरोक्त व्यौरे व कैशबुक से स्पष्ट है, कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय सामग्री में हैण्डपम्प रिबोर, हैण्डपम्प मरम्मत व स्ट्रीट लाइट तथा सोलर लाइट का सीन का चिन्हांकन कैश बुक में दर्शित नहीं है नही उक्त लगाने के क्रम में विद्युत संयोजन पत्र व उसका उल्लेख कैश बुक में नहीं किया गया है, साथ ही मरम्मत के क्रम में मांग पत्र का भी कैशबुक में उल्लेख नहीं है।

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पत्र में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रूपया 1637036.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

1- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव व कार्यवाही रजिस्टर।

2- ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मानचित्र/प्राक्कलन।

3- माप पुस्तिका उ०प्र० पंचायती राज अधि० 1947 के नियम 63 के अनुसार व वित्तीय पुस्तिका खण्ड6 नियम 422 के अनुसार माप पुस्तिका निर्गमन रजिस्टर।

4- कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम 209 के अनुसार)।

5- सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212(5) के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र।

- 6- वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड - 6 के नियम 316 एवं 317 के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।
- 7- उ0प्र0 पं0 लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0 प्र0 पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम 2017 के अनुसार डेड स्टॉक व स्टॉक रजिस्टर।
- 8- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 नियम 1947 के धारा-34 और नियम 136 के अनुसार अचल सम्पत्ति रजि0।
- 9- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 1947 के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मस्टर रोल।
- 10- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 1 एवं ग्रा0 पं0 सं0-1-864 / दस दिनांक 23.03.2008 के अनुसार कोटेशन एवं टेंडर प्रक्रिया।
- 11- वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक एवं जीएसटी जमा होने की स्थिति में चालान।
- 12- हैण्डपम्प रिबोर हेतु पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33.03.17.46 /2015 दिनांक 19.06.2016 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर ग्राइडलाइन के अनुरूप यह नियम की प्रतीक्षा सूची व जय नियम मार्ग दर्शित 9 व 211 संख्या- 4430/33.01.99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के तहत गठित - 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पंचायती राज अनुभाग-3 के आदेश संख्या 17/2017/662/33.03.2017-46/2016 दिनांक 12.04.17 के क्रम में अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किए जाने से सम्बन्धित प्रमाणक।
- 13- चतुर्थ राज्य वित्त ग्राइडलाइन के अनुसार वर्क आईडी कोड।
- 14- उ0प्र0 पं0 राज नि0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के विन्दु 8 के अनुसार रूप पत्र 21 सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0।
- 15- आयकर स्तर 1961 के अनुसार 194-सी के अनुरूप आयकर कटौती व जीएसटी टी0डी0एस0 कटौती जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार, से सम्बन्धित पत्रावली।
- 16- मानदेय पत्रावली व मानदेय रजि0 (पं0सं0 अनुभाग-1 के मानदेय द्वारा)।
- 17- शासनादेश संख्या 2799/86-2015-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार उप खनिज पट्टा मरूती पर विध फार्म-सी व एमएम-11।
- 18- स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट के क्रम में नडा से क्रय प्रमाणक, स्ािानों का चिन्हांकन से सम्बन्धित पत्रावली, फोटोग्राफी, मांग-पत्र आदि।

उपरोक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने व व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध होने के कारण वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है, कि यदि दर्शाये गए, व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः दर्शित व्यय रू0 1637036 के सापेक्ष पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार समस्त दर्शायी गयी धनराशि अपहरण है। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय की व्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर - 17 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत नौनी बांगर की आलोच्य वर्ष 2018 . 2019 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक व पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2018 -2019 व बैंक पासबुक /स्टेटमेंट (ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 50045101551 इलाहाबाद बैंक, पहाडी) के अनुसार आय कुल रू0 2724862.00 रहा, प्राप्त आय के सापेक्ष कुल व्यय रू0 2785191 रहा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों पर दर्शित व्यय का मदवार विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	कार्य विवरण	सामग्री व्यय	श्रमांग व्यय	योग
1- निर्माण कार्य:- पुलिया निर्माण:-				
1	गुरगौला के आगे नहर पर पुलिया निर्माण	440092	133000	573092
मिट्टी कार्य:-				
1	ओमकार के घर से शिवगणेश के घर तक	69841	-	69841
2	पिडीया के घर से शिवगणेश के घर तक	39246	-	39246
सी0सी0 रोड:-				
1	राजेन्द्र के घर से मेनरोड गुरगौला पुलिया तक	95765	41800	137565
आंगनवाडी केन्द्र निर्माण:-				
1	केन्टन पुरवा में	276509	-	276509
2	मुरगौला में	115128	-	115128
कायाकल्प योजनान्तर्गत कार्य:-				

1	प्रा0वि0 नैनी बांगर में शौचालय व टाईल्स पर व्यय	324029	66500	390529
2	प्रा0वि0 नैनी बांगर में मरम्मत कार्य	111551	20000	131551
3	प्रा0वि0 नैनी बांगर में गेट से कार्यालय तक सामग्री व्यय	176688	-	176688
4	प्रा0वि0 नैनी बांगर में बाउन्डी निर्माण	136189	-	136189
5	प्रा0वि0 नैनी बांगर में इ0ला0ख0 कार्य	166924	-	166924
2- हैण्डपम्प रिबोर:-				
1	मान सिंह के दरवाजे पर	67801	-	67801
2	मोहन के दरवाजे पर	67801	-	67801
3	संजय के दरवाजे पर	62951	-	62951
4	श्याम के दरवाजे पर	67876	-	67876
3- हैण्डपम्प मरम्मत कार्य:-				
-	---	163250	20700	183950
4- पेयजल व्यवस्था:-				
1	टैंकर मरम्मत कार्य	21600	-	21600
2	पेजजल आपूर्ति	33000	-	33000
5- पौधा रोपण कार्य:-				
		16200	-	16200
6- प्रशासनिक व अन्य व्यय:-				
1	नाली सफाई कार्य	14500		14500
2	चरही निर्माण कार्य	24600		24600
3	फोटो कापी व स्टेशनरी व्यय	3850		3850
4	कम्प्यूटरीकरण (परिवार रजि0) व्यय	4800		4800
5	प्रियासाफ्ट फीडिंग व्यय	3000		3000
	कुल योग-	2503191	282000	2785191

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पत्र में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रूपया 2785191.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

- 1- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव व कार्यवाही रजिस्टर।
- 2- ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मानचित्र/प्राक्कलन।
- 3- माप पुस्तिका उ0प्र0 पंचायती राज अधि0 1947 के नियम 63 के अनुसार व वित्तीय पुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 के अनुसार माप पुस्तिका निर्गमन रजिस्टर।
- 4- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम 209 के अनुसार)।
- 5- सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212(5) के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र।
- 6- वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड - 6 के नियम 316 एवं 317 के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।
- 7- उ0प्र0 पं0 लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0 प्र0 पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम 2017 के अनुसार डेड स्टाक व स्टाक रजिस्टर।
- 8- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 नियम 1947 के धारा-34 और नियम 136 के अनुसार अचल सम्पत्ति रजि0।
- 9- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 1947 के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मस्टर रोल।
- 10- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 1 एवं ग्रा0 पं0 सं0-1-864 / दस दिनांक 23.03.2008 के अनुसार कोटेशन एवं टेंडर प्रक्रिया।
- 11- वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक एवं जीएसटी जमा होने की स्थिति में चालान।
- 12- हैण्डपम्प रिबोर हेतु पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33.03.17.46 /2015 दिनांक 19.06.2016 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर ग्राइडलाइन के अनुरूप यह नियम की प्रतीक्षा सूची व जय नियम मार्ग दर्शित 9 व 211 संख्या- 4430/33.01.99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के तहत गठित - 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पंचायती राज अनुभाग-3 के आदेश संख्या

17/2017/662/33.03.2017-46/2016 दिनांक 12.04.17 के क्रम में अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किए जाने से सम्बन्धित प्रमाणक।

13- चतुर्थ राज्य वित्त गाइडलाइन के अनुसार वर्क आईडी कोड।

14- उ0प्र0 पं0 राज नि0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 8 के अनुसार रूप पत्र 21 सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0।

15- आयकर स्तर 1961 के अनुसार 194-सी के अनुरूप आयकर कटौती व जीएसटी टी0डी0एस0 कटौती जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार, से सम्बन्धित पत्रावली।

16- मानदेय पत्रावली व मानदेय रजि0 (पं0सं0 अनुभाग-1 के मानदेय द्वारा)।

17- शासनादेस संख्या 2799/86-2015-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार उप खनिज पट्टा मरुती पर विध फार्म-सी व एमएम-11।

18- स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट के क्रम में नडा से क्रय प्रमाणक, स्थानों का चिन्हांकन से सम्बन्धित पत्रावली, फोटोग्राफी, मांग-पत्र आदि।

उपरोक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने व व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध होने के कारण वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है, कि यदि दर्शाये गए, व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः दर्शित व्यय रू0 2785191 के सापेक्ष पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार समस्त दर्शायी गयी धनराशि अपहरण है। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय की व्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री महेश प्रसाद मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मपाल सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर -18 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत भदेदू बांगर की आलोच्य वर्ष 2018 . 2019 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक व पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2018 -2019 व बैंक

पासबुक /स्टेटमेंट (ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 50045073666 इलाहाबाद बैंक, पहाडी) के अनुसार आय कुल रू0 5282131.00 रहा, प्राप्त आय के सापेक्ष कुल व्यय रू0 5251038 रहा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों पर दर्शित व्यय का मदवार विवरण निम्नवत है। (रूपया- 1140 बैंक चार्ज के रूप में कटौती हुई है।)

क्र0 सं0	कार्य विवरण	सामग्री व्यय	श्रमांग व्यय	योग
1- कार्याकल्प योजनान्तर्गत:-				
1	प्रा0वि0 भाग-1 में खिडकी, टाईल्स आदि पर व्यय	449099	37000	486099
2	प्रा0वि0 भाग-2 के सामने की नाली निर्माण	135997	23225	159222
3	प्रा0वि0 भाग-2 में छत निर्माण	141523	58988	200511
4	प्रा0वि0 भाग-2 में इन्टरलॉकिंग खण्डजा	214766	79950	233816
5	प्रा0वि0 भाग-2 में शौचालय निर्माण	79490	17600	97090
6	प्रा0वि0 भाग-2 में बाउण्ड्री,गेट,व इ0ला0ख0 कार्य	79266	8975	88241
2- इन्टरलॉकिंग खण्डजा कार्य:-				
1	चन्द्रशेखर के घर से मेनरोड तक	426951	54500	481451
2	नर्वद के घर से राजेन्द्र गौतम तक	350177	47950	398127
3	रामचन्द्र के घर से राममूरत के घर तक	315336	-	315336
4	देशराज के घर से चुन्ना के घर तक	440303	49400	489703
5	रज्जू के घर से विश्वकर्मा के घर तक	434413	39200	473613
3- नाली निर्माण:-				
1	नत्थू पाण्डेय के घर से कमलभान के घर तक	129615	26450	156065
2	चन्द्रशेखर के घर से सोनू द्विवेदी तक	153279	33950	187229
3	कुसू के मकान से सोनू द्विवेदी तक	131539	24125	155664
4- में रामबाबू गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड सप्लायर				
	चेक नं0 031363 से का जीएसटी भुगतान	10892	-	10892

5- हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय:-				
		159849	41900	201749
6- प्रकाश व्यवस्था पर व्यय:-				
		308300	-	308300
7- वृक्षारोपण पर व्यय:-				
		21300	-	21300
8- प्रधान मानदेय पर व्यय:-				
		28000	-	28000
9- प्रशासनिक व अन्य व्यय:-				
1	फोटो कापी व स्टेशनरी पर व्यय	5000	-	5000
2	विज्ञापन व टेण्डर पर व्यय	7000	-	7000
3	स्वच्छता पर व्यय	-	10000	10000
4	सफाई किट का भुगतान	76439	-	76439
5	आवासीय पेंटिंग पर व्यय	5000	-	5000
6	दरी, कुर्सी, मेज, आलमारी आदि पर व्यय	35000	-	35000
7	पशुशाला तार फेंरिंग पर व्यय	50000	-	50000
		कुल व्यय योग:-		

(नोट:- आलोच्य वर्ष के दौरान कोष वही में हैण्डपम्प मरम्मत का सीन, सोलर/स्ट्रीट लाइट के लिए निर्धारित स्थान आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। कोषवही सही ढंग से नहीं बनायी गयी है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।)

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पत्र में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रूपया 4685847.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

1- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव व कार्यवाही रजिस्टर।

2- ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मानचित्र/प्राक्कलन।

3- माप पुस्तिका उ0प्र0 पंचायती राज अधि0 1947 के नियम 63 के अनुसार व वित्तीय पुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 के अनुसार माप पुस्तिका निर्गमन रजिस्टर।

4- कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम 209 के अनुसार)।

5- सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212(5) के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र।

6- वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड - 6 के नियम 316 एवं 317 के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

7- उ0प्र0 पं0 लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0 प्र0 पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम 2017 के नियम 2017 के अनुसार डेड स्टॉक व स्टॉक रजिस्टर।

8- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 नियम 1947 के धारा-34 और नियम 136 के अनुसार अचल सम्पत्ति रजि0।

9- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 1947 के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मस्टर रोल।

10- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 1 एवं ग्रा0 पं0 सं0-1-864 / दस दिनांक 23.03.2008 के अनुसार कोटेशन एवं टेंडर प्रक्रिया।

11- वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक एवं जीएसटी जमा होने की स्थिति में चालान।

12- हैण्डपम्प रिबोर हेतु पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33.03.17.46 /2015 दिनांक 19.06.2016 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर ग्राइडलाइन के अनुरूप यह नियम की प्रतीक्षा सूची व जय नियम मार्ग दर्शित 9 व 211 संख्या- 4430/33.01.99/एस0पी0आर0/99 दिनांक

29.07.1999 के तहत गठित - 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पंचायती राज अनुभाग-3 के आदेश संख्या 17/2017/662/33.03.2017-46/2016 दिनांक 12.04.17 के क्रम में अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किए जाने से सम्बन्धित प्रमाणक।

13- चतुर्थ राज्य वित्त गाइडलाइन के अनुसार वर्कआर्ड की कोड।

14- उ0प्र0 पं0 राज नि0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 8 के अनुसार रूप पत्र 21 सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0।

15- आयकर स्तर 1961 के अनुसार 194-सी के अनुरूप आयकर कटौती व जीएसटी टी0डी0एस0 कटौती जी0एस0टी00 एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार, से सम्बन्धित पत्रावली।

16- मानदेय पत्रावली व मानदेय रजि0 (पं0सं0 अनुभाग-1 के मानदेय द्वारा)।

17- शासनादेस संख्या 2799/86-2015-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार उप खनिज पट्टा मरुती पर विध फार्म-सीव एमएम-11।

18- स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट के क्रम में नडा से क्रय प्रमाणक, स्थानों का चिन्हांकन से सम्बन्धित पत्रावली, फोटोग्राफी, मांग-पत्र आदि।

उपरोक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने व व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध होने के कारण वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है, कि यदि दर्शाये गए, व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त के क्रम में दर्शित व्यय रू0 4685847.00 प्रमाणकों के अभाव में अपुष्टित एवं संदिग्ध रहा जिससे अपहरण रहा। अतः संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश पटेल से व्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 - विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत भदेदू बांगर के आलोच्य वर्ष 2018 -19 में ग्राम पंचायत भदेदू में बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के अनुसार निम्न राशि आहरित की गयी है।

क्र0 सं0	दिनांक	चेक संख्या	व्यय राशि
1	03.04.2018	6403	63505
2	03.04.2018	6404	60195
3	03.04.2018	6402	61283
4	05.04.2018	6408	104109
5	06.04.2018	6407	111255
6	06.04.2018	6405	63194
7	06.04.2018	6406	70975
8	18.04.2018	6410	15825
9	18.04.2018	6409	14850
		कुल योग-	565191-00

उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष पुष्टि में कोई भी सहायक/व्यय प्रमाणक, कोषवही आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पूर्व के वर्ष का लेखा परीक्षित कैशबुक योग के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि कार्य पूर्व में कराए गए है। अथवा नहीं। दर्शित व्यय रू0- 565191.00 के सापेक्ष पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न हाने से वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार समस्त दर्शायी गयी धनराशि अपहरण है। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय की व्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश पटेल से अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत कनकोटा बांगर की आलोच्य वर्ष 2018 -19 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा हेतु केवल कैशबुक व पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2018 -2019 व बैंक पासबुक /स्टेटमेंट (ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 50045071104 इलाहाबाद बैंक, पहाडी) के अनुसार आय कुल रू0 2375089.00 रहा, प्राप्त आय के सापेक्ष कुल व्यय रू0 2415031 रहा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों पर दर्शित व्यय का 2191618 का मदवार विवरण निम्नवत है। (रूपया 440 बैंक चार्ज के रूप में कटौती हुई है।)

क्र0 सं0	कार्य विवरण	सामग्री व्यय	श्रमांग व्यय	योग
1-	निर्माण कार्य:- इण्टरलॉकिंग खण्डजा -&			
1	महेन्द्र के घर से शैलेन्द्र के घर तक	81207	30725	111932
2-	नाली निर्माण			

1	संजय के घर से पंचायत भवन तक	45050	-	45050
3- कार्याकल्प योजनान्तर्गत:-				
1	प्रा0 वि0 कानकोटा में इ.ला.ख0	99453	-	99453
2	प्रा0 वि0 शौचालय कार्य	210734	20500	231234
3	प्रा0 वि0 मरम्मत कार्य	98008	-	98008
4	प्रा0 वि0 कनकोटामें बाउन्ड्री निर्माण व फर्स मरम्मत कार्य	445543	17850	463393
5	पू0 मा0 वि0 में शौचालय निर्माण	76189	17850	94039
6	पू0 मा0 वि0 में इ0ला0ख0 कार्य	205490	-	205490
7	पू0 मा0 वि0 में मरम्मत व टाईल्स कार्य	250000	17850	267850
4- हैण्डपम्प मरम्मत कार्य:-				
		86915	34800	121715
5- हैण्डपम्प रिबोर कार्य:-				
1	नत्थू के घर के पास	74518	-	74518
2	राम कुमार के घर के पास	66101	-	66101
6- प्रकाश व्यवस्था:-				
1	सोलर लाइट क्रय	210150	-	210150
7- प्रशासनिक व अन्य व्यय:-				
1	कम्प्यूटर कार्य पर व्यय	1000	-	1000
2	सफाई किट क्रय पर व्यय	77185	-	77185
3	प्रधान मानदेय पर भुगतान	24500	-	24500
		कुल योग-		2191618.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पत्र में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रूपया 2191618.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव व कार्यवाही रजिस्टर।
- ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मानचित्र/प्राक्कलन।
- माप पुस्तिका उ0प्र0 पंचायती राज अधि0 1947 के नियम 63 के अनुसार व वित्तीय पुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 के अनुसार माप पुस्तिका निर्गमन रजिस्टर।
- कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम 209 के अनुसार)।
- सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212(5) के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र।
- वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड - 6 के नियम 316 एवं 317 के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।
- उ0प्र0 पं0 लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0 प्र0 पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम 2017 के नियम 2017 के अनुसार डेड स्टॉक व स्टॉक रजिस्टर।
- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 नियम 1947 के धारा-34 और नियम 136 के अनुसार अचल सम्पत्ति रजि0।
- उ0प्र0 पं0 रा0 अधि0 1947 के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार मस्टर रोल।
- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 1 एवं प्रा0 पं0 सं0-1-864 / दस दिनांक 23.03.2008 के अनुसार कोटेशन एवं टेंडर प्रक्रिया।
- वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक एवं जीएसटी जमा होने की स्थिति में चालान। 12- हैण्डपम्प रिबोर हेतु पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33.03.17.46/2015 दिनांक 19.06.2016 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर ग्राइडलाइन के अनुरूप यह नियम की प्रतीक्षा सूची व जय नियम मार्ग दर्शित 9 व 211 संख्या- 4430/33.01.99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के तहत गठित - 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पंचायती राज अनुभाग-3 के आदेश संख्या 17/2017/662/33.03.2017-46/2016 दिनांक 12.04.17 के क्रम में अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किए जाने से सम्बन्धित प्रमाणक।
- चतुर्थ राज्य वित्त ग्राइडलाइन के अनुसार वर्क आईडी कोड।
- उ0प्र0 पं0 राज नि0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 8 के अनुसार रूप पत्र 21सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0।
- आयकर स्तर 1961 के अनुसार 194-सी के अनुरूप आयकर कटौती जीएसटी टी0डी0एस0 कटौती जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार, से सम्बन्धित पत्रावली।
- मानदेय पत्रावली व मानदेय रजि0 (पं0सं0 अनुभाग-1 के मानदेय द्वारा)।

17- शासनादेस संख्या 2799/86-2015-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार उप खनिज पट्टा मरूती पर विध फार्म-सी व एमएम-11।

18- स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट के क्रम में नेडा से क्रय प्रमाणक, स्थानों का चिन्हांकन से सम्बन्धित पत्रावली, फोटोग्राफी, मांग-पत्र आदि।

उपरोक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहने व व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध होने के कारण वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में व्यवस्था दी गयी है, कि यदि दर्शाये गए, व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त के क्रम में दर्शित व्यय रु0 2191618.00 प्रमाणको के अभाव में अपुष्टि एवं संदिग्ध होने के कारण अपहरण रहा। संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री सीताराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश पटेल से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत कनकोटा बांगर के आलोच्य वर्ष 2018- 19 में ग्राम पंचायत कनकोटा बांगर में बैंक स्टेटमेंट /पासबुक के अनुसार निम्न राशि आहरित की गयी है। कार्यों का अवशेष वर्तमान कैश बुक में न कर पूर्व के वर्ष में वर्जित है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

क्र0 सं0	दिनांक	चेक संख्या	व्यय राशि
1	03-04-2018	24473	94103
2	03-04-2018	24474	129310
कुल योग-			223413.00

उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष पुष्टि में कोई भी सहायक/व्यय प्रमाणक, कोषवही आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पूर्व के वर्ष का लेखा परीक्षित कैशबुक योग के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि कार्य पूर्व में कराए गए हैं। अथवा नहीं। दर्शित व्यय रु0- 223413.00 के सापेक्ष पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार समस्त दर्शायी गयी धनराशि अपहरण है। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री सीताराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश पटेल से अपेक्षित है।

2019-20:-

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ:-

प्रस्तर सं0-22 विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत किहुनिया के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय 3507164.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉफ पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है।

किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 3507164.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विनय कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री जान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-23 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की ग्राम पंचायत सरैया की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2019-20 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या-59001201766 (इला0बैंक, मानिकपुर) में जमा कर तथा उक्त खाते से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु0 7937728.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया जिसमें से रु0 7936755.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर रु0 973.00 बैंक कटौती के रूप में व्यय हुआ। इस प्रकार 7936755.00 रु0 क व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	3102785.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	2576493.00

3	हैण्डपम्प मरम्मत	363208.00
4	रिबोर	1007428.00
5	पेयजल आपूर्ति व सबमर्सिबल स्थापना पर व्यय	572422.00
6	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	169455.00
7	प्रशासनिक व अन्य व्यय	144964.00
	कुल व्यय-	7936755.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 7936755.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

- 1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल। 2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0।
- 3- परिसम्पत्ति रजिस्टर। 4- स्टोर पंजिका एवं स्टाक रजिस्टर।
- 5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति। 6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।
- 7- मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु0 7936755.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी वसूली श्री भूपेन्द्र द्विवेदी (ग्राम पंचायत अधि0) एवं श्रीमती गीता देवी (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-24 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की ग्राम पंचायत कोटा कंडेला की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 19-20 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या- 59001202125 (इलाहाबाद बैंक, मानिकपुर) में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु0 3815152 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया जिसमें से रु0 3813787 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर रु0 1365 बैंक कटौती के रूप में व्यय हुआ। इस प्रकार 3813787 रु0 क व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	705726.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	1579334.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	148495.00
4	रिबोर	245322.00
5	पेयजल आपूर्ति व सबमर्सिबल स्थापना पर व्यय	516924.00
6	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	348000.00
7	प्रशासनिक, सफाई व्यवस्था व अन्य व्यय	269986.00
	कुल व्यय-	3813787.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 3813787.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

- 1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल। 2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0।
- 3- परिसम्पत्ति रजिस्टर। 4- स्टोर पंजिका एवं स्टाक रजिस्टर।
- 5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति। 6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।
- 7- मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु0 3813787.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी वसूली श्री जय प्रकाश सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री बुध्दराज (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-25 विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत चर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है, 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय रु. 1943868.00 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉफ पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका

साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 3646624.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रजनी व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-30 विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत छेरिहाखुर्द के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019- 20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय 1487649.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल /वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति , प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉफ पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1487649.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री चन्द्रकलिया व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-32 विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत अरूवारा के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय 1637425.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्ति या व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 1637425.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री महेंद्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

की जा सकी। पंचायती विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1841896.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री किशोरीलाल व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-39 विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत इटवाटूडैला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय रु. 5803951.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चलसम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 5803951.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रामलली व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-40 विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत अचुरनेरूवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय रु. 1103535.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चलसम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1103535.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कल्ली व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-41 विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत रामपुर कल्याणगढ के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय रु. 1759997.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर , प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व मस्टररोल, कार्यपूति निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क)

म प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि ₹0 1759997.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्ण व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तर सं0-42 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की ग्राम पंचायत बगरेही की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2019-2020 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या-59001201993 (इलाहाबाद बैंक, मानिकपुर) में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/हस्तान्तरित कर कुल ₹0 2183744.00 का वर्ष 2019-20 में व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया। जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	1017511.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	443488.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	180687.00
4	रिबोर	300780.00
5	पेयजल आपूर्ति व सबमर्सिबल स्थापना पर व्यय	131760.00
6	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	43120.00
7	प्रशासनिक व अन्य व्यय	66398.00
	कुल व्यय-	2183744.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित ₹0 2183744.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

- 1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल। 2- परिसम्पत्ति रजिस्टर।
- 3- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर। 4- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।
- 5- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव। 6- मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित ₹0 2183744.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी वसूली श्री भूपेन्द्र द्विवेदी(ग्राम पंचायत अधि0) एवं श्रीमती गीता देवी (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 43 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की ग्राम पंचायत कौबरा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2019-2020 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या-59001201971 (इलाहाबाद बैंक, मानिकपुर) में जमा कर तथा उक्त खाते से धनराशि आहरित/हस्तान्तरित कर कुल ₹0 5825924.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया, जिसमें से ₹0 5825299.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर ₹0 625.00 बैंक कटौती के रूप में व्यय हुआ। इस प्रकार 5825299.00 ₹0 क व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	3809817.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	1352825.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	392085.00
4	पेयजल आपूर्ति व सबमर्सिबल स्थापना पर व्यय	145070.00
5	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	14982.00
6	प्रशासनिक व अन्य व्यय	110520.00
	कुल व्यय-	5825299.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित ₹0 5825299.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

- 1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल। 2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0।
- 3- परिसम्पत्ति रजिस्टर। 4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।
- 5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति। 6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।
- 7- मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु0 5825299.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है। जिसकी अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी वसूली श्री भूपेन्द्र द्रविदेदी (ग्राम पंचायत अधि0) एवं श्रीमती गीता देवी (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है। प्रस्तर सं0-44 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की ग्राम पंचायत कर्कापडरिया की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में अधिभार से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये। है:-

1- ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में प्रधान को देय मानदेय से अधिक का भुगतान किया गया है। पंचायत राज अनुभाग-1 के आदेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500 से बढ़ाकर रु0 3500 मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत की कोषवही के अनुसार माह अगस्त 2019 में निम्नानुसार प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है-

(1) चेक संख्या- 081171/01.08.2019 (अक्टूबर 2017 से मार्च 2018) - 63000.00 रु0 (2) चेक संख्या- 081172/01.08.2019 (अप्रैल 2018 से जून 2019) - 52500.00 रु0

स्पष्ट है कि अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 के मानदेय (कुल-06 माह) 21000 के स्थान पर 63000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार 42000.00 का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। भुगतानित मानदेय की पुष्टि में मानदेय पंजिका भी लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रही। इस प्रकार अतिरिक्त भुगतानित धनराशि 42000.00 की अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0-45 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर की ग्राम पंचायत अगरहुंडा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में अधिभार से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये। है:-

1- ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में प्रधान को देय मानदेय से अधिक का भुगतान किया गया है। पंचायत राज अनुभाग-1 के आदेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2-अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500 से बढ़ाकर रु0 3500 मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत में मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान को 84000.00 (चेक 83446/09.08.2019) मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है, साथ ही मानदेय पंजिका के अभाव में पूर्व के वर्षों में दिए, गये मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में मानदेय दिये जाने में दुहराव की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस अपुष्टि धनराशि 84000.00 की अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती वन्दना और ग्राम प्रधान श्री उमा सिंह से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0-46 क्षेत्र पंचायत मऊ की ग्राम पंचायत सिकरौ की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सिकरौ की कोषवही और बैंक स्टेटमेंट के अलावा बार-बार माँग के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक के अनुसार वर्ष 2019-20 में मदवार व्यय निम्नवत् किया गया है:-

मद	धनराशि
1- हैंडपंप पर व्यय	= 546499.00
2- विद्यालयों पर व्यय	= 986905.00
3- अस्थाई गौशाला पर व्यय	= 50000.00
4- पेयजल पर व्यय	= 158639.00
5- प्रशासनिक व्यय	= 43285.00
6- प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	= 78094.00
7- पूर्व वर्ष के कार्य पर व्यय	= 23813.00
कुल व्यय योग-	= 1887235.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है, अतः दर्शित व्यय रुपये 1887235.00 की अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनुराग पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती सुलेखा से बराबर-बराबर वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-47 क्षेत्र पंचायत मऊ की ग्राम पंचायत मवईकला की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत मवईकला की कोषवही और बैंक स्टेटमेंट के अलावा बार-बार माँग के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक के अनुसार वर्ष 2019-20 में मदवार व्यय निम्नवत् किया गया है:-

मद	धनराशि
1- हैंडपंप पर व्यय	= 367572.00
2- विद्यालयों पर व्यय	= 1823602.00

3- निर्माण कार्य पर व्यय	= 969692.00
4- पेयजल पर व्यय	= 76400.00
5- प्रशासनिक व्यय	= 112359.00
6- प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	= 9385.00
7- पूर्व वर्ष के कार्य पर व्यय	= 1625351.00
8- हैडपंप रिबोर पर व्यय	= 78997.00
9- मानदेय	= 35000.00
कुल व्यय योग-	=5098358.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है, अतः दर्शित व्यय रुपये 5098358.00 की अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनुराग पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्री रामनरेश से बराबर-बराबर वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-48 क्षेत्र पंचायत मऊ की ग्राम पंचायत तिलौली मुस्तकिल की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत तिलौली की कोषबही और बैंक स्टेटमेंट के अलावा बार-बार माँग के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक के अनुसार वर्ष 2019- 20 में मदवार व्यय निम्नवत् किया गया है।

मद	धनराशि
1- हैडपंप पर व्यय	= 450837.00
2- विद्यालयों पर व्यय	= 2372200.00
3- अस्थाई गौशाला पर व्यय	= 435562.00
4- आदर्श बूथ निर्माण पर व्यय	= 31201.00
5- मानदेय पर व्यय	= 28000.00
6- यात्रा पर व्यय	= 15000.00
7- पेयजल पर व्यय	= 36712.00
8- प्रशासनिक व्यय (पूर्व वर्ष के टैक्स सहित)	= 116893.00
कुल व्यय योग-	= 3486405.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय गमन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है, अतः दर्शित व्यय रुपये 3486405.00 की अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नारायण सचान व ग्राम प्रधान श्री राधे श्याम से बराबर-बराबर वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-49 क्षेत्र पंचायत कर्वी की ग्राम पंचायत गोबरिया बुजुर्ग की वर्ष 2019-20 की कैश बुक में हैण्डपंप मरम्मत पर कुल ₹0 501763.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कोटेशन, निविदा पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्ययोजना, हैण्डपंप मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपंप खराब होने की सूची सूचना एवं उनके मरम्मत की मांग संबन्धी प्रपत्र, जलप्रबन्धन की संस्तुति आदि से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लेखा मैनुअल अध्याय 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः ₹0 501763.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री जगतनारायण व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से बराबर-बराबर अद्यतन ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-50 क्षेत्र पंचायत कर्वी की ग्राम पंचायत बगलई की वर्ष 2019-20 की कैशबुक में स्ट्रीट लाइटों के क्रय पर ₹0 1464000.00 दर्शित है, व एम0डी0एम0 शेड निर्माण पर ₹0 658948.00 दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कोटेशन, निविदा पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्थानों का चिन्हाकन उपभोग प्रमाण पत्र स्ट्रीट लाइट क्रय व एम0डी0एम0 शेड निर्माण की वित्तीय स्वीकृति/अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी चित्रकूट से प्राप्त किया जाना चाहिए आदि, अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः कुल ₹0 2122948.00 की अद्यतन ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री माता प्रसाद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-51 क्षेत्र पंचायत कर्वी की ग्राम पंचायत मऊ (ब) की वर्ष 2019-20 की कैश बुक में हैण्डपंप मरम्मत एवं हैण्डपंप रिबोर पर कुल ₹0 766976.00 व्यय दर्शित है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कोटेशन, निविदा पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्ययोजना, हैण्डपंप मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपंप के लाभार्थियों

के द्वारा हैण्डपंप खराब होने की सूची सूचना एवं उनके मरम्मत की मांग संबंधी प्रपत्र जलप्रबन्धन की संस्तुति आदि से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लेखा मैनुअल अध्याय 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः ₹0 766976.00 की अद्यतन ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री देवनाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से बराबर-बराबर अपेक्षित है।

व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनारायण पाण्डेय उत्तरदायी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी से बराबर-बराबर अद्यतन ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-61- क्षेत्र पंचायत कर्वी की ग्राम पंचायत भगवतपुर की वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान सचिव श्री रामनारायण पाण्डेय से अभिलेख मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। अस्तु प्रियासाफ्ट फिडिंग में दर्शित आय-व्यय के अनुसार रु0 5161721.00 व्यय किया गया। अभिलेख न मिलने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि अनियमित प्रतीत होती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री भरतसिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनारायण पाण्डेय उत्तरदायी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी से बराबर-बराबर अद्यतन ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-62 क्षेत्र पंचायत कर्वी की ग्राम पंचायत रसिन की वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान सचिव श्री रामनारायण पाण्डेय से अभिलेख मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। अस्तु प्रियासाफ्ट फिडिंग में दर्शित आय-व्यय के अनुसार रु0 7759139.00 व्यय किया गया। अभिलेख न मिलने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि अनियमित प्रतीत होती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनारायण पाण्डेय उत्तरदायी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी से बराबर-बराबर अद्यतन ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-63 क्षेत्र पंचायत कर्वी की ग्राम पंचायत खुटहा की वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान सचिव श्री मान सिंह से अभिलेख मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। अस्तु प्रियासाफ्ट फिडिंग में दर्शित आय-व्यय के अनुसार रु0 2456308.00 व्यय किया गया। अभिलेख न मिलने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि अनियमित प्रतीत होती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनोज व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मान सिंह उत्तरदायी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी से बराबर-बराबर अद्यतन ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-64 क्षेत्र पंचायत कर्वी की ग्राम पंचायत रानीपुर भट्ट की वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री सचेन्द्र सिंह से अभिलेख मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। अस्तु प्रियासाफ्ट फिडिंग में दर्शित आय-व्यय के अनुसार रु0 1213706.00 व्यय किया गया। अभिलेख न मिलने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि अनियमित प्रतीत होती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री गोविन्द व ग्रामपंचायत विकास अधिकारी श्री सचेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। जिसकी वसूली उत्तरदायी से बराबर-बराबर अद्यतन ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 65 विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत चोरहा के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासाफ्ट के अनुसार व्यय रु. 2011446.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2011446.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मुन्नालाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-66 विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत भभेट के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासाफ्ट के अनुसार व्यय रु. 3453567.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत

प्रस्तर सं0-70 विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत नान्दिन कुर्मियान के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गई इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक बार बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इसका विवरण अधोलिखित है। 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार व्यय रु. 5086443.00 रहा। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0 डी0 एम0 बी0 कैश बुक, पासबुक, बिल/वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र- प्राप्तिपत्र व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉफ पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है, कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 5086443.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजकिशोर व ग्राम पंचायत सचिव श्री विज्ञान प्रभाकर शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-71 क्षेत्र पंचायत रामनगर की ग्राम पंचायत सुहैल की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष 2019-20 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या-50046828122 इलाहाबाद बैंक, रामनगर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु0- 2777178.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु0- 2777178.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	1414102.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	497304.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	432011.00
4	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	70000.00
5	रिबोर पर व्यय	00.00
6	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	153270.00
7	सफाई व्यवस्था एवं प्रकाश पर व्यय	173920.00
8	कैश बुक में कार्य का उल्लेख नहीं	35600.00
9	बैंक कटौती	971.00
	कुल व्यय -	2777178.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 2776207.0 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल	5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति
2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0	6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव
3- परिसम्पत्ति रजिस्टर	7- मानदेय रजिस्टर
4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।	

उपरोक्त अभिलेख प्राप्त न रहने से भुगतानित रु0 2776207.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से अद्यतन ब्याज सहित वसूली श्री सनत कुमार (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्री अरविन्द कुमार (ग्राम प्रधान) से बराबर-बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-72 क्षेत्र पंचायत रामनगर की ग्राम पंचायत पिपरौद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष 2019-20 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता संख्या-50046826781 इलाहाबाद बैंक, रामनगर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु0- 2256270.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु0- 2256270.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि

1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	1389411.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	393178.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	225745.00
4	कार्य का कैश बुक में उल्लेख नहीं	33880.00
5	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	71566.00
6	सफाई व्यवस्था एवं प्रकाश पर व्यय	49000.00
7	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	93430.00
	कुल व्यय -	2256210.00

बैंक कटौती =60.00 प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 2776207.0 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल	5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति
2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0	6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव
3- परिसम्पत्ति रजिस्टर	7- मानदेय रजिस्टर
4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर	

उपरोक्त अभिलेख प्राप्त न रहने से भुगतानित रु0 2256210.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से बराबर-बराबर अद्यतन ब्याज सहित वसूली श्रीसनत कुमार (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्री ओम प्रकाश (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-73 क्षेत्र पंचायत रामनगर की ग्राम पंचायत कटैयाखादर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष-2019-20 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्रामनिधि खाता संख्या-50046827887 इलाहाबाद बैंक, रामनगर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु0- 2809399.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु0- 2809399.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	964348.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	593762.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	281901.00
4	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	19300.00
5	रिबोर पर व्यय	00.00
6	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	147740.00
7	सफाई व्यवस्था पर व्यय	71096.00
8	कैश बुक में कार्य का उल्लेख नहीं	730836.00
9	बैंक कटौती	416.00
	कुल व्यय -	2809399.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 2808983.0 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल	5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति
2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम0बी0	6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव
3- परिसम्पत्ति रजिस्टर	7- मानदेय रजिस्टर
4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर	

उपरोक्त अभिलेख प्राप्त न रहने से भुगतानित रु0 2808983.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से अद्यतन ब्याज सहित वसूली श्री सनत कुमार (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्रीमती गोमती (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 -74 क्षेत्र पंचायत रामनगर की ग्राम पंचायत हन्नाबिनैका की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा निधि खाता संख्या-50046812973 इलाहाबाद बैंक, रामनगर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/हस्तान्तरित कर कुल रु0 -3717798.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु0- 3717798.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	1634928.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	857460.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	499250.00
4	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	57000.00
5	रिबोर पर व्यय	294700.00
6	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	192320.00
7	सफाई व्यवस्था पर व्यय	181525.00
8	कैश बुक में कार्य का उल्लेख नहीं	00.00
9	बैंक कटौती	615.00
	कुल व्यय -	3717798.00

प्रस्तुत कैशबुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु० 3717183.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल	5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति
2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०	6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव
3- परिसम्पत्ति रजिस्टर	7- मानदेय रजिस्टर
4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर	

उपरोक्त अभिलेख प्राप्त न रहने से भुगतानित रु० 3717183.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से अद्यतन ब्याज सहित वसूली श्री सनत कुमार (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्रीमती गायत्री (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-75 क्षेत्र पंचायत रामनगर की ग्राम पंचायत ढढवार की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष- 2019-20 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्रामनिधि खाता संख्या-50046811243 इलाहाबाद बैंक, रामनगर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु०-2238072.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु०-2238072.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	221900.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	1439450.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	333587.00
4	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	00.00
5	रिबोर पर व्यय	122285.00
6	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	110850.00
7	सफाई व्यवस्था पर व्यय	10000.00
	कुल व्यय -	2238072.00

प्रस्तुत कैशबुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु० 2238072.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल	5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति
2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०	6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव
3- परिसम्पत्ति रजिस्टर	7- मानदेय रजिस्टर
4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर	

उपरोक्त अभिलेख प्राप्त न रहने से भुगतानित रु० 2238072.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से अद्यतन ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली श्रीसनत कुमार (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्री दयाशंकर (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० -76 क्षेत्र पंचायत रामनगर की ग्राम पंचायत अमवों की वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक की जाँच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष- 2019-20 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्रामनिधि खाता संख्या-50046828892 इलाहाबाद बैंक, रामनगर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु०-2567184.00 वर्ष 2019-20 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु०-2567184.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	10000.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	662655.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	154700.00
4	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	31400.00
5	रिबोर पर व्यय	110000.00
6	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	109860.00
7	सफाई व्यवस्था पर व्यय	151998.00
8	कैश बुक में कार्य का उल्लेख नहीं	42680.00
9	खाता संख्या 0050512958346 में हस्तांतरित धनराशि	1293146.00
10	बैंक कटौती	745.00
	कुल व्यय -	2567184.00

प्रस्तुत कैशबुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु० 1273293.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1- बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल	5- सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति
2- कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०	6- ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव
3- परिसम्पत्ति रजिस्टर	7- मानदेय रजिस्टर
4- स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर	

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु० 1273293.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है। जिसकी संयुक्त रूप से अद्यतन ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली श्रीमती कुडिया (ग्राम प्रधान) एवं श्री सनत कुमार (ग्राम विकास अधिकारी) से अपेक्षित है।

प्रारूप - 4 जनपद - हमीरपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपतियाँ

प्रस्तर सं०-01:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत मोराकांदर लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की राज्य वित्त एवं चौदहवें वित्त की कैश-बुक एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग करने पर सचिव कु० अनामिका पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। कु० अनामिका पाण्डेय द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। और न ही लेखा परीक्षा में कोई सहयोग किया गया है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रु० 28,33908=00 का व्यय वर्ष दौरान दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा दौरान रु० 28,33908=00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां, कैश, बुक, स्टॉक रजि०, निर्माण रजि० कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों कार्यवाही पुस्तिका कार्य योजना, स्टीमेट, एम०बी० बुक, मस्टररोल प्रधान मानदेय रजि०, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव श्री अमित कुमार तिवारी, सचिव कु० अनामिका पाण्डेय तथा प्रधान श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-02:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत कल्ला लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की राज्यवित्त एवं चौदहवां वित्त की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रु० 1142691=00 का व्यय दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान रु० 1142691=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां कैशबुक स्टॉक रजि० निर्माण रजि० कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव श्री अमित तिवारी एवं प्रधान श्री कमलेश कुमार उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-03:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत कलौलीजार के राज्यवित्त एवं चौदहवें वित्त की कैशबुक के अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक निकाली गयी धनराशि ₹0 3327209=00 के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल ₹0 3327209=00 व्यय दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान ₹0 3327209=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां व्यय प्रमाणक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव अनामिका पाण्डेय एवं प्रधान श्री चन्द्रपाल उत्तरदायी है। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-04:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत- मवईजार लेखा परीक्षा दौरान राज्यवित्त/चौदहवां वित्त की दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2020 कुल ₹0 3116082=00 का आहरण/ व्यय दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान ₹0 3116082=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-05:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत- छानी बुजुर्ग लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 में ₹0-10,000.00 श्री जयराम कुशवाहा सचिव द्वारा नगद बैंक से आहरित कर कैशबुक में कैमरा क्रय नगद क्रय करना दर्शाया गया है तथा कैशबुक में किस फर्म वा संस्था द्वारा लिया गया नहीं दर्शाया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके नगद धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली सचिव श्री जयराम कुशवाहा से आधी- ₹0-5000.00 एवं प्रधान श्रीमती बन्दना यादव से आधी ₹0-5000.00 की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0-06:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत- खडेहीजार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के राजवित्त एवं चौदहवां वित्त के खातों की मात्र कैशबुक प्रस्तुत की गयी। लेकिन वर्ष 2019-20 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां स्टॉक रजिस्टर निर्माण रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक के अनुसार ₹0-931869.00 का व्यय दर्शाया गया है। व्यय प्रमाणकों के अभाव में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव श्री अमित तिवारी एवं प्रधान श्री मती मानकवर उत्तरदायी है। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-07:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत-पचखुरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत पचखुरा बुजुर्ग के वर्ष 2019-20 के ई- ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आप-व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेख के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रिया साफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.2019 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.2019 को आनलाइन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद		-
					बैंक में	12,58,958	अज्ञात
					योग	12,58,958	
2	वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		52,37,040	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		64,95,998	अज्ञात
4	वर्ष 2019-20 में व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2019-20 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		52,27,122	अज्ञात

5	वर्षान्त 31.03.2020 में कैश-बुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.2020 के आनलाइन फीडिंग के अनुसार अवशेष धनराशि	नकद	-	
					बैंक में	12,68,876	अज्ञात
					योग	12,68,876	

ग्राम पंचायत पचखुरा बुजुर्ग के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट (ई-ग्राम स्वराज) पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है। बार-बार मांग करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार शासन के आदेशों निर्देशों के अनुपालन न करने से अभिलेख की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत पचखुरा बुजुर्ग के ई-ग्राम स्वराज आनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में अंकित व्यय ₹0 52,27,122=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0 कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल/बाउचर मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजि0 विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। जिसके लिये सचिव श्री महेश साहू एवं वर्तमान सचिव श्री रामसेवक तथा प्रधान श्रीमती कल्ली पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-8:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत इंगोहटा का लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के राज्यवित्त एवं चौदहवां वित्त की मात्र कैश बुक प्रस्तुत की गयी है। तथा अप्रैल 2018 की निम्न भुगतान को कैशबुक में अंकन (दर्ज) नहीं किया गया है, व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां स्टाक रजि0 एवं निर्माण रजि0 एवं व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक के अनुसार वर्ष 2015-16 में रुपये 4445256=00 एवं 2016-17 में ₹0 6842822=00 एवं 2017-18 में ₹0 6791475=0 का व्यय दर्शाया गया है तथा अप्रैल 2018 की चेक कैशबुक में अंकन नहीं ₹0 158730=0 जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म/व्यक्ति का नाम
05.04.2018	13809	13204	पंकज ट्रेडर्स
	13810	13296	पंकज ट्रेडर्स
	13811	65000	रामविलाश
	13812	65000	कृष्ण कुमार
10.04.2018	13813	13270	पंकज ट्रेडर्स
	13814	13267	पंकज ट्रेडर्स
	13815	65000	रामविलाश
	13816	65000	कृष्ण कुमार
	13817	13270	पंकज ट्रेडर्स
	13818	13169	पंकज ट्रेडर्स
	13819	26780	पंकज ट्रेडर्स
	13820	26474	पंकज ट्रेडर्स

योग-158730=00

कुल व्यय धनराशि ₹0 18238283=00 के व्यय प्रमाणकों के अभाव में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सके। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सचिव श्री नाथू राम जनवरी 2018 तक एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाल मई 2018 तक एवं प्रधान श्रीमती चन्दा देवी नवम्बर 2015 तक एवं वर्तमान प्रधान श्री शीतल प्रसाद पूर्ण से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-09:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत मुण्डेरा की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) वर्ष 2015-16 की राज्यवित्त की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल ₹0 617020=00 का व्यय दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान ₹0 617020=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए सचिव श्री भार्गव मिश्रा एवं प्रधान श्री सुरेश कुशवाहा उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-10:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत पचखुरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत पचखुरा बुजुर्ग के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) ई-ग्राम स्वराज आनलाइन पर अंकित (दर्शित) व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक, व्यय की गयी धनराशि

के सापेक्ष उपलब्ध नहीं है। बार-बार मांग करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार शासन के आदेशों, निर्देशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन में व्यय का विवरण निम्नप्रकार अपलोड है।

क्रमांक	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2015-16	1499214=00
2	2016-17	3226199=00
3	2017-18	2682591=00
4	2018-19	7291674=00
		योग- 14699678=00

अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री नाथूराम एवं श्री भार्गव मिश्रा एवं श्री अजय निरंजन एवं श्री महेश साहू एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती शान्ति देवी नवम्बर 2015 तक एवं वर्तमान प्रधान श्रीमती कल्ली पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-11:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत कल्ला की (आफलाइन) लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की राज्यवित्त एवं चौदहवां वित्त की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल ₹0 1589784=00 का व्यय दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान ₹0 1589784=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव श्री अमित तिवारी एवं प्रधान श्री कमलेश कुमार उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-12:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत छानी बुजुर्ग लेखा परीक्षा (आफलाइन) में वर्ष 2018-19 के राजवित्त एवं चौदहवां वित्त के खातों की मात्र कैशबुक प्रस्तुत की गयी है। वर्ष 2018-19 में बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक में व्यय ₹0-3970159.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां स्टॉक रजिस्टर निर्माण रजिस्टर व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करके उक्त प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव श्री जयराम कुशवाहा एवं प्रधान श्री मती बन्दना यादव उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-13:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत पारा ओझी लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) में वर्ष 2018-19 के राज्यवित्त एवं चौदहवां वित्त के खातों की मात्र कैशबुक प्रस्तुत की गयी है। परन्तु वर्ष 2018-19 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां स्टॉक रजिस्टर निर्माण रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ₹0-2636872.00 के व्यय प्रमाणकों के अभाव के बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। ₹0-2636872.00 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं प्रधान श्रीमती गुजरतिया उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-14:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत भौनिया लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) में 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की कैशबुक एवं व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त रहे। राज्यवित्त एवं तेरहवां वित्त की चेक सं0 005224 से 014462 चेक सं0 तक कुल व्यय बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल ₹0 314805=00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेकिन लेखा परीक्षा दौरान ₹0 314805=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन सचिव बलजीत कुमार एवं तत्कालीन प्रधान तातिया पाल उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-15:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत मौहर लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) में 01.04.2015 से 31.12.2015 तक के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। राज्यवित्त/तेरहवां वित्त के उक्त अवधि में बैंक स्टेटमेन्ट/कैशबुक के अनुसार कुल ₹0 922604.00 का व्यय दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ व्यय प्रमाणक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाल एवं प्रधान श्री दिनेश कुमार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-16:- ग्राम पंचायत मोराकांदर के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की (ऑफलाइन) लेखा परीक्षा ग्राम निधि मद की बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर सम्पन्न की गयी है। क्योंकि लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांग करने के बावजूद कोई भी अभिलेख, कैशबुक व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गयी है।

वर्ष	बैंक से आहरित धनराशि/व्यय धनराशि	अभिलेख/व्यय प्रमाणक
2015-16	406450=00	अप्राप्त रहे।
2016-17	2915195=00	अप्राप्त रहे।
2017-18	1539814=00	अप्राप्त रहे।
2018-19	3716867=00	अप्राप्त रहे।
योग- 8578326=00		

व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख, व्यय प्रमाणक पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे व्यय किये गये धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण, अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। जिसके तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन प्रधान पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

तत्कालीन सचिव श्री भार्गव मिश्रा एवं सचिव श्री जयराम कुशवाहा एवं सचिव श्री अमित तिवारी तथा तत्कालीन प्रधान श्री राज कुमारी यादव नवम्बर 2015 तक तथा प्रधान श्री प्रमोद कुमार से ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-17:- विकास खण्ड गोहाण्ड की ग्राम पंचायत- मंगरौठ राज्यवित्त/चौदहवें वित्त के खातों से दिनांक 29.06.2019 को चेक सं0-503073 से ₹0-19250.00 में संगीता ट्रेडर्स से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय की पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके ₹0-19250.00 पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए सचिव श्री बालेश्वर द्विवेदी एवं प्रधान श्रीमती सरोजनी देवी उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-18:- विकास खण्ड गोहाण्ड की ग्राम पंचायत- अकौना लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की राज्यवित्त एवं चौदहवां वित्त की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल ₹0 4661271=00 का व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा दौरान ₹0 4661271=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव श्री शिवकान्त गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती जुलेखा उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-19:- विकास खण्ड गोहाण्ड की ग्राम पंचायत- उमरिया राज्यवित्त/चौदहवें वित्त के खातों से दिनांक 29.06.2019 के चेक सं0-479586 से ₹0-11000.00 सचिव भरत कुमार द्वारा नगद आहरण कर लोकसभा निर्वाचन 2019 में टेन्ट एवं खाना-पीना में व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं विभागीय आदेश प्रस्तुत न करके ₹0-11000.00 पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए सचिव श्री भरत कुमार साहू एवं प्रधान श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-20:- विकास खण्ड गोहाण्ड की ग्राम पंचायत अकौना लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) जून 2018 से 31 मार्च 2019 तक की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार राज्यवित्त/एवं चौदहवां वित्त के खाते से कुल ₹0 4305419=00 का व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा दौरान ₹0 4305419=00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणकों के अभाव में बैंक से आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार वर्मा एवं प्रधान श्रीमती जुलेखा उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-21:- विकास खण्ड मुस्कुरा की ग्राम पंचायत- छानी दिनांक-14.08.2019 को ग्राम निधि प्रथम के खाते बैंक खाता सं0 50044707856 से चेक सं0 003515 के द्वारा मु0 4000 की निकासी की गयी है। जिसका लेखा कैशबुक में न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत सचिव श्री दिलीप कुमार प्रधान श्री काशीराम से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-22:- विकास खण्ड मुस्कुरा की ग्राम पंचायत-बसवारी दिनांक-18.12.2019 को संस्था के ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता सं0 50044705474 से चेक सं0 048628 के द्वारा मु0 12000.00 (बारह हजार ₹0) की निकासी की गयी थी। जिसका लेखा कैशबुक में पारित न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत सचिव श्री जगभान व प्रधान श्री रामशरण राजपूत से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-23:- विकास खण्ड मुस्कुरा की ग्राम पंचायत-पहाड़ी भिटारी दिनांक- 13.12.2019 को संस्था के ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता सं0 50044705236 से चेक सं0 053273 के द्वारा मु0 2000.00 (दो हजार ₹0 मात्र) की निकासी श्री प्रेम सिंह के नाम से की गयी है। जिसका लेखा कैशबुक में न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियमावली 256 के अन्तर्गत सचिव शिवमूरत व प्रधान श्री सन्तराम से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-24:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत- चन्दपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम निधि- 1 खाता संख्या 500445220517 इलाहाबाद शाखा कुरारा से चेक संख्या 017397 से दिनांक 14.08.2019 को रूपया 20000=00 एवं चेक संख्या 017398 से दिनांक 14.08.2019 को ही रु0 20000=00 इस प्रकार कुल रूपया 40000=00 की नगद निकासी तत्कालीन सचिव श्री नरेन्द्र तिवारी एवं प्रधान श्रीमती राजकली के संयुक्त हस्ताक्षर से की गयी है। सचिव द्वारा निकासी धनराशि के अनुसार व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराना, तथा निकासी धनराशि रूपया 40000=00 व उसके सापेक्ष विवरण सहित व्यय धनराशि की प्रविष्टि कैशबुक में न करके सीधे अपहरण किया गया है। जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नरेन्द्र तिवारी व प्रधान श्रीमती राजकली पूर्णतया उत्तरदायी है। जिनसे आधी-आधी धनराशि रु0 40000=00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-25:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत झलौखर वर्ष 2019-20 में कार्यरत रहे सचिव श्री अनूप कुमार शर्मा एवं प्रधान श्री सत्यनारायण के संयुक्त हस्ताक्षर से दि0 02.08.2019 से 01.09.2019 के मध्य निम्नलिखित चेकों के माध्यम से निकासी की गयी है-

क्र0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1.	073249	02.08.19	20000.00
2.	073250	08.08.19	44000.00
3.	073251	09.08.19	78600.00
4.	073252	09.08.19	78600.00
5.	073253	09.08.19	78600.00
6.	073254	09.08.19	78600.00
7.	073255	09.08.19	52400.00
8.	073257	13.08.19	69228.00
9.	073256	13.08.19	108090.00
10.	73260	14.08.19	15784.00
			बैंक कटौती 80.00
11.	075121	14.08.19	16148.00
12.	075122	14.08.19	10000.00
13.	173258	14.08.19	9753.00
14.	073259	14.08.19	28870.00
		01.09.19	बैंक कटौती 70.00
		योग	688823.00
		बैंक कटौती	(-) 150.00
सचिव /प्रधान द्वारा निकासी			688673.00

इस प्रकार बैंक कटौती की धनराशि 150.00 को छोड़ते हुये रु0 688673.00 की निकासी श्री अनूप कुमार शर्मा तत्कालीन सचिव एवं प्रधान श्री सत्यनारायण के संयुक्त हस्ताक्षर से निकासी किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान सचिव श्री अजय निरंजन को कोई भी अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये जो शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017(पुष्टि हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) है मैं निहित व्यवस्था के अनुसार सचिव द्वारा पालन न कर शासनादेश का उल्लंघन भी किया गया है। जिसके लिये सचिव/प्रधान पूर्ण रूप से जिम्मेदार है अतः उपरोक्त धनराशि 688673.00 से सम्बन्धित कैश बुक सहित सम्बन्धित व्यय प्रमाणको को उपलब्ध न कराये जाने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। सचिव/प्रधान से ब्याजसहित वसूली सहित विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-26:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत भैसपाली के वर्ष 2019-20 के प्रियासाफ्ट फीडिंग में आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है-

1.	दिनांक 01.04.2019 को प्रा0धन0	नगद	176840=00
		बैंक में	12835215=00
		योग	13012055=00
2.	वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि	रु0	1981343=00
3.	प्रारम्भिक अवशेष धनराशि एवं वर्ष में प्राप्त धन0 का योग	रु0	14993398=00
4.	वर्ष 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार की गयी व्यय धन0	रु0	2195064=00
5.	वर्षान्त 31.03.2020 में अवशेष धनराशि	नगद	189693=00
		बैंक में	12608641=00
		योग	12798334=00

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 (छायाप्रति संलग्न) में निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री शिवा द्वारा दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री नरेन्द्र तिवारी द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है। और नहीं ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत भैंसापाली के प्रियासाफ्ट ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में अंकित व्यय ₹0 2195064=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री नरेन्द्र तिवारी द्वारा चार्ज में न देना गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। जिसके लिये श्री नरेन्द्र तिवारी तत्कालीन सचिव पूर्ण रूप से दोषी है। अधिकांशतः प्रियासाफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 1 से 8 तक की सूचनार्य/अभिलेख आनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण, अनियमितता, दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

तत्कालीन सचिव नरेन्द्र तिवारी एवं प्रधान श्रीमती अनामिका द्वारा अनियमित कार्य हेतु ब्याजसहित वसूली सहित विभागीय वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 27:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत मदारपुर के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षण में जात हुआ कि । खाता सं0 44786635 राज्यबित्त/चौदहबित्त से चेक0न0 072033 से दिनांक 30.05.2019 को ₹0 4200=00की निकासी श्री निजामुद्दीन के नाम दर्शायी है किन्तु इस निकासी को कैसबुक के आय एवं व्यय पक्ष में न दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया है। पंचायती राज की धारा 256 के अनुसार उक्त धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी ब्याजसहित वसूली सचिव श्री ओमप्रकाश प्रजापति एवं प्रधान श्रीमती नफीसा से आधी-आधी क्रमशः 2100=00 2100=00 कुल ₹0 4200=00 ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 28:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत उपरी वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत उपरी में शासन से प्राप्त विभिन्न मदों की धनराशि को पूरे वर्ष में निर्माण/विकास कार्यों में व्यय नहीं किया है। वर्ष 2019-20 में मात्र विज्ञापन मद में ₹0 4000=00 का व्यय किया है। शासन से प्राप्त अनुदान को निर्माण कार्यों में व्यय न कर सचिव एवं प्रधान द्वारा गंभीर अनियमितता की है। इस प्रकार वर्ष में दर्शित व्यय ₹0 4000=00 विज्ञापन मद में गंभीर अनियमितता दर्शाता है। इस ओर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 29:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत गुसियारी वर्ष 2019-20 में सचिव एवं प्रधान द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु निम्न तिथियों में स्टॉक क्रय दर्शाया है कि किन्तु वर्षान्त तक इस स्टॉक का उपयोग नहीं किया है एवं न ही स्टॉक रजिस्टर बनाकर अवशेष दर्शाया है। सचिव द्वारा अवशेष स्टॉक न दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जो निम्न लिखित है। जिसका उत्तरदायित्व प्रधान श्रीमती शबानाबानो एवं सचिव श्री महेशसाहू का है। जिनसे आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक नं0	धनराशि	फर्म
6.08.2019	078169	20.950=00	में सुभाष बिल्डिंग मैटेरियल
6.08.2019	078170	25200=00	
14.11.2019	078153	13750=00	
		59900=00	

प्रस्तर सं0- 30:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत परा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा (ऑफ़लाईन) करते समय निम्नांकित कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।

क्रं0	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1.	सी0सी0 रोड निर्माण बाबू से हरीकिशन तक	115656.00
2.	सी0सी0 रोड निर्माण हरचरन से रामलाल तक	184340.00
	योग	299996.00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करके सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे एवं प्रधान श्री मानसिंह द्वारा रुपया 299996.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है। पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी हैं। जिनसे आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 31:- विकासखण्ड राठ की ग्राम पंचायत लिधौरा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) दौरान निम्नांकित निर्माण कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।

क्रं0	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1.	सी0सी0 निर्माण कार्य प्राथमिक विद्यालय में	137795.00
2.	सी0सी0 निर्माण कार्य पू0 मा0वि0 में	162415.00
	योग	300210.00

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करके पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत श्री रामबाबू गुप्ता सचिव एवं प्रधान श्रीमती गीता देवी द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये सचिव एवं प्रधान उत्तरदायी है। जिनसे आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 32:- विकासखण्ड राठ की ग्राम पंचायत मझगवाँ की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) दौरान निम्न कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।

क्रं0	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1.	मण्डी में बाउण्ट्री वाल निर्माण	146623.00
2.	प्राथमिक विद्यालय की छत मरम्मत करायी	27233.00
3.	क्रय-विक्रय में फर्श मरम्मत	283290.00
	योग	457146.00

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करके ₹0 457146.00 की पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे एवं प्रधान श्रीमती रेखा उत्तरदायी है। जिनसे आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 33:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत पारा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पत्रावली श्री मैकासुर बाबा से अल्लादीन के मकान तक की प्रस्तुत न करके रूपया 194891=00 पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिये सचिव कु0 कविता राजपूत एवं प्रधान श्री मानसिंह उत्तरदायी है। जिनसे आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 34:- विकासखण्ड राठ की ग्राम पंचायत लिधौरा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान निम्नांकित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है

क्रं0	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1.	हैण्डपम्प रिवोर करायी महेन्द्र सिंह के मकान के पास	44550.00
2.	बाल पेण्टिंग करायी	17759.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत करायी	32200.00
4.	मेन रोड से शिवराज के मकान तक सी0सी0 निर्माण	159297.00
	योग	253806.00

योग उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करके पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत रूपया 253806.00 की सचिव श्री रामबाबू गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती गीता देवी द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये सचिव एवं प्रधान उत्तरदायी है। जिनसे आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 35:- विकास खण्ड राठ की ग्राम पंचायत मझगवाँ की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान निम्न कार्यों सम्बन्धित से पत्रावलियां प्रस्तुत न करके रूपया 326256=00 की पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत सचिव श्री रामबाबू गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती रेखा द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है। जिनसे आधी-आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	गेट से नाला तक सी0सी0व निर्माण	131216=00
2	सी0सी0 रोड निर्माण श्री भागीरथ के मकान से सन्तकुमार के मकान तक	195040=00
	योग-	326256=00

प्रस्तर सं0-36:- विकास खण्ड सरीला की ग्राम पंचायत लोधीपुरा आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत लोधीपुरा में लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि ग्राम निधि खाता संख्या 59001081448 का प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ऑफलाईन कैशबुक में निम्नप्रकार चेकों की कुल धनराशि 147823=00 की प्रविष्टियां ऑफलाईन कैशबुक में अंकित न करके श्री राममनोहर सोनी एवं प्रधान श्रीमती गीता रानी द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है

दिनांक 23.04.2019 चेक संख्या 032498	रूपया	1700=00
दिनांक 07.05.2019 चेक संख्या 032499	रूपया	112554=00
दिनांक 13.08.2019 चेक संख्या 038962	रूपया	33569=00
योग-		147823=00

जिससे उक्त धनराशि का बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कैशबुक में अन्तर पाया गया है तथा उपरोक्त धनराशि का ऑफलाईन कैशबुक में कोई अनकैश चेकों का भी कोई विवरण नहीं दिया गया है, और विगत वर्ष की कैशबुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी है, जिससे निकासी धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री राममनोहर सोनी एवं प्रधान श्रीमती गीता रानी पूर्णरूप से जिम्मेदार है। इस ओर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप - 4

जनपद - महोबा

ग्राम पंचायत-बुडैरा विकास खण्ड पनवाडी वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-1 - ग्राम पंचायत बुडैरा वर्ष 2018-19 को दिनांक 02.02.2019 को चेक सं0-011530 से रूपया 190758.00 का भुगतान 30 नग एल0ई0डी0 लाइट क्रय हेतु मे0 नित्या ट्रेडर्स किया गया है जो दिनांक 13.02.2019 को बैंक खाता से निकासी हुई है। इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक जीएसटी सहित, मृतस्कन्ध पंजिका, प्रकाश स्थापना प्रमाण पत्र, फोटो एवं स्थानों की सूची लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। पंचा0 राज अनुभाग-तीन के शासनादेश संख्या- 51/2018/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.2018 के गाइड लाइन के प्रावधान में ग्राम पंचायतों में प्रकाश स्थापना करने का निर्देश है। परन्तु गाइड लाइन के अनुसार स्थानों की फोटोग्राफी करने का निर्देश का पालन करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना चाहिये। जो नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया 190758.00 के अपहरण की पूर्ण संभावना है। चूंकि दिनांक 02.02.2019 को उक्त कार्य का विज्ञापन वकील अहमद को दिया गया है और उसी तिथि को कोषबही में पार्टी को चेक भी जारी कर दी गयी। इससे वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती है। व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम तथा सचिव (ग्रा0 वि0 अधि0) श्री शिव ओम चौधरी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 - दिनांक 16.02.2019 को कचड़ा सफाई की सामग्री क्रय पर व्यय रूपया 34967.00 चेक संख्या 012241 से मे0 नित्या ट्रेडर्स को किया गया है। जिसका भुगतान 06.03.2019 को बैंक से निकासी हुई है। इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं उपयोग प्रमाण पत्र ले0 परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। (कोष बही में चेक सं0 2241 लिखी गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।) उ0प्र0 पंचा0 राज ग्राम पंचा0 में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खण्ड 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचा0 में व्यय किये गये धनराशि का व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है तो यह धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। इसके लिये प्रधान एवं ग्राम सचिव उत्तरदायी है। व्याज सहित वसूली प्रधान श्री राधेश्याम तथा सचिव श्री शिवओम चौधरी (ग्रा0 वि0 अधि0) से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 - उक्त सफाई कार्य की मजदूरी पर भुगतान दिनांक 16.02.2019 को रूपया 27825.00 चेक संख्या 012242 (दिनांक 06.03.2019) बैंक से निकासी प्रधान को भुगतान का व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल ले0 परीक्षा में अप्राप्त होने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे धनराशि रूपया 27825.00 के अपहरण की पूर्ण संभावना है। प्रधान श्री राधेश्याम तथा सचिव श्री शिव ओम चौधरी से व्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (कोष बही में चेक सं0 2242 लिखी गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।)

ग्राम पंचायत-श्योंडी विकास खण्ड पनवाडी वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-4- ग्राम पंचायत श्योंडी में दिनांक 27.12.2018 को 30 नग एल0ई0डी0 लाईट क्रय मे0 सक्सेना ट्रेडर्स से की गयी है जिसका भुगतान चेक संख्या-011655 रूपया 191581.00 से की गयी है। ले0 परीक्षा में ग्राम पंचायत में प्रकाश स्थापना का प्रमाण पत्र, सामग्री की फोटो, स्थानों की फोटो एवं व्यय प्रमाणक जीएसटी सहित तथा मृतस्कन्ध पंजिका ले0 परीक्षा में अप्राप्त रहने से धनराशि रूपया 191581.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम पंचायत में प्रकाश स्थापना का प्रावधान है परन्तु इसके गाइड लाइन के अनुसार प्रकाश स्थापना कृत स्थानों का फोटोग्राफी एवं 30 नग की फोटो वर्क लाइन में लगाना चाहिये, जो नहीं लगाया गया है। इस प्रकार धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। प्रधान श्रीमती सीमा एवं सचिव भारत भूषण अग्रवाल से व्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(प्रकाश स्थापना सम्बन्धित आदेश पंचा0 अनुभाग-तीन के शासनादेश संख्या-51/2018/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.2018) उ0प्र0 पंचा0 राज ग्राम पंचा0 में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खण्ड 8(क) के अनुसार यदि ग्राम पंचा0 में व्यय किये गये धनराशि का व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं है तो यह धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। इसके लिये प्रधान एवं ग्राम सचिव उत्तरदायी है। ले0 परीक्षा

में टेण्डर की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। इस प्रकार बिना टेण्डर की स्थिति में गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है। उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव पर कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रावतपुरा खुर्द विकास खण्ड पनवाड़ी वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-5- दिनांक 20.09.2018 को खाता संख्या 50315838783 से चेक संख्या 055020 के द्वारा मैसर्स सिद्धिविनायक इण्टरप्राइजेज को 5 नग सोलर लाइट के लिये रूपया 122500/00 का भुगतान किया गया है। इस कार्य की आईडी संख्या 13323155 है, जबकि सोलर लाइट के लिये विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु पत्रकार श्री देवेन्द्र कुमार अरजिया को रूपया 4100.00 का भुगतान दिनांक 30.10.2018 को किया गया है। कार्य आईडी संख्या 13523155 पर पूरे वर्ष के दौरान अन्य कोई और व्यय नहीं किया गया है कोश वही में दर्ज इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। कार्य पूर्ति या उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सोलर लाइट पर किया गया व्यय राज्य वित्त से या केंद्रीय वित्त पोषित रहा यह भी अज्ञात रहा। कोषबही और अन्य व्यय प्रमाणको के अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यह व्यय किस मद से लिया गया। प्रमुख सचिव पंचायती राज के द्वारा समय-समय पर प्रकाशित निर्देशों में सोलर लाइट की व्यवस्था हेतु निर्धारित एजेंसी नेडा से इतर मे0 सिद्धिविनायक इण्टरप्राइजेज को 5 नग सोलर लाइट के लिये भुगतान किया जाना एवं टेंडर पत्रावली अनुपलब्ध रहना तथा व्यय संबन्धित बाउचरों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायतो हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित नियम के अधीन व्यय की धनराशि 122500.00 रूपया अपहरण की श्रेणी में है जिसके लिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महेश कुमार सरोज एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा रानी उत्तरदायी रहे, जिनसे रूपया 122500.00 की वसूली व्याज सहित अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-रावतपुरा खुर्द विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-6-आलोच्य वर्ष 2019-20 की आनलाइन/ऑफ लाइन लेखा परीक्षा में ऑफ लाइन ग्राम पं० वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/ अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 3042157.00 का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 3042157.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कुमार सरोज एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा रानी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से व्यय ब्याज ₹0 3042157.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-कुडई विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-7- आलोच्य वर्ष 2019-20 की आनलाइन/ऑफ लाइन लेखा परीक्षा में ऑफ लाइन ग्राम पं० वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित कैशबुक , हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2285288.00 का व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2285288.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र बहादुर एवं ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार उत्तरदायी है। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज ₹0 2285288.00 की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-कुलपहाड़ विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-8-आलोच्य वर्ष 2019-20 की आनलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2230670/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली एमबी बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2230670/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कंचन सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज ₹0 2230670/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-कमालपुरा विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-9- आलोच्य वर्ष 2019-20 की आनलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/ अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/ पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 1980925/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणको यथा, टेंडर पत्रावली, एमबी बुक स्टेटमेन्ट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 1980925/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कंचन सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री नवाब सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज ₹0 1980925/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-मौहारी विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-10- आलोच्य वर्ष 2019-20 की आनलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं0वि0 अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं0 आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 2292785/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2292785/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कंचन सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री राम रतन पटेल उत्तरदायी है। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज ₹0 2292785/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-धर्वरा विकास खण्ड जैतपुर वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-11- आलोच्य वर्ष 2019-20 की आनलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं0वि0 अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं0 आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल ₹0 1647422/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 1647422/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रभान वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री रवि उत्तरदायी है। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज ₹0 1647422/- की वसूली अपेक्षित रही।

रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणों यथा टेंडर पत्रावली, एमवी बुक, बैंक स्टेटमेंट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2064728/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र बहादुर एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रेण उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज ₹0 2064728/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-बगरौन विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-16- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत बगरौन में वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त एवं 14वें के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

○ सी.सी.निर्माण -	492661.00
○ अस्थाई निर्माण-	150699.00
○ रास्ता मरम्मत/सफाई कार्य-	187947.00
○ चरही/गौशाला निर्माण-	711027.00
○ इंटरलॉकिंग कार्य-	1284737.00
○ हैंडपंप मरम्मत-	423443.00
○ प्रशा. व्यय-	30404.00
○ प्रधान मानदेय-	35000.00

योग- 3315918.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम.वी. वित्तीय स्वीकृति वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। तो कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती अंजना एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री छत्रपाल सिंह उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2019-20 में कैशबुक में अंकित व्यय ₹0 3315918.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है जिसकी तात्तरीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सूपा विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2019-20

प्रस्तर संख्या-17- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत सूपा में वर्ष 2019-20 में

निम्न विवरण अनुसार देयक सं०	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
79	3.7.19	7867.00	जय मा शीतला ट्रेडर्स
35	8.7.19	6980.00	जय मा चन्द्रिका ट्रेडर्स
37	8.7.19	3206.00	जय मा चन्द्रिका ट्रेडर्स
20	15.4.19	3980.00	पैसनी कन्स्ट्रक्शन
21	8.7.19	7830.00	पैसनी कन्स्ट्रक्शन

योग-29863.00

निम्न वाउचरो पर टी.डी.एस. कटौतिया की गयी जो ग्राम पंचायतों के खातों में जमा है जिसे आयकर विभाग में जमा नहीं किया गया है जिसके लिए श्री हरिशंकर मिश्रा एवं लाखन सिंह जिम्मेदार हैं। उक्त काटा गया टी.डी.एस. खाता एवं टी.डी.एस. जमा किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-बम्हौरीकला विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2014-15 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-18- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत बम्हौरी कला वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2014-15	1482596.00
2015-16	1588947.00
2016-17	600899.00

2017-18	2345597.00
2018-19	5240437.00
कुल योग-	11258476.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत बम्हौरी कला में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री बालकिशन (01-04-2014 से 31-12-2015 तक), श्रीमती रूपरानी (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री रामशंकर अनुरागी (01-04-2014 से 31-01-2019 तक), श्री अमित खरे (01-02-2019 से 31-03-2019) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2014-15 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय ₹ 11258476.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिसकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ब्रजपुर, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2005-06 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-19- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत ब्रजपुर वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2005-06	113094.00
2006-07	353011.00
2007-08	646075.00
2008-09	574687.00
2009-10	534220.00
2010-11	472172.00
2011-12	285893.00
2012-13	202572.00
2014-15	232187.00
2015-16	460939.00
2016-17	632448.00
2017-18	1429512.00
2018-19	2700845.00
कुल योग-	8637655.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत ब्रजपुर में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषारानी (01-04-2005 से 31-12-2010 तक), श्रीमती मनकुर (01-01-2011 से 31-12-2015 तक), श्री खुशीलाल (01-01-2016 से 30-11-2016 तक), श्री मंगल सिंह (01-12-2016 से 31-03-2017 तक), श्री डल्लू (01-04-2017 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री रामसजीवन (01-04-2005 से 30-08-2006 तक), श्री होरीलाल वर्मा (01-03-2008 से 30-09-2010 तक), श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-10-2010 से 31-05-2011 तक), श्री प्रदीप अनुरागी (01-07-2011 से 31-07-2012 तक), , श्री हरिशंकर मिश्रा (05-08-2014 से 26-12-2017 तक), श्री रामशंकर अनुरागी (01-01-2018 से 31-01-2019 तक), श्री सुहेल नसीम (01-02-2019 से 31-07-2012 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2005-06 से 2012-13 एवं 2014-15 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय ₹ 8637655.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बपरेथा विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2014-15 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-20-लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत बपरेथा वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2014-15	655233.00
2015-16	830890.00
2016-17	992034.00
2017-18	1586949.00
2018-19	2406786.00
कुल योग-	6471892.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत बपरेथा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री (01-04-2014 से 31-12-2015 तक), श्रीमती अखिलेश रानी (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री सुऐब नसीम उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2014-15 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 6471892.00 साध्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिसकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भटेवरा कला विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2008-09 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-21- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत भटेवरा कला वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2008-09	296211.00
2009-10	416428.00
2010-11	534167.00
2011-12	242070.00
2012-13	553177.00
2013-14	594367.00
2014-15	1247605.00
2015-16	734532.00
2016-17	1803312.00
2017-18	2213484.00
2018-19	3432411.00
कुल योग-	12067764.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत भटेवरा कला में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती जयरानी (01-04-2008 से 31-10-2010 तक), श्री हरगोविंद (01-11-2010 से 31-12-2015 तक), श्री दिनेश कुमार (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री लाखन सिंह (01-04-2008 से 30-05-2011 तक), श्री भिखारीलाल सिंह (01-04-2012 से 30-06-2014 तक), श्री लाखन कुशवाहा (01-07-2014 से 30-11-2016 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (01-11-2016 से 28-02-2018 तक), श्री अमित खरे (01-03-2018 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2008-09 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 12067764.00 साध्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बमरारा विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2011-12 से 2018-19

प्रस्तर संख्या 22- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत बमरारा वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2011-12	323523.00
2012-13	420948.00
2015-16	500775.00
2016-17	1766411.00
2017-18	254375.00
2018-19	3582249.00
कुल योग-	6848281.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत बमरारा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री चंदू अनुरागी (01-04-2011 से 31-12-2015 तक), श्री रमेश चंद्र (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री प्रदीप कुमार अनुरागी, श्री चेताराम वर्मा, श्री रूपेश निगम उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2011-12 से 2012-13 एवं 2015-16 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 6848281.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिसकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- इमिलिया डांग, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2010-11 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-23-लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत इमिलिया डांग वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2010-11	282228.00
2011-12	355173.00
2012-13	255061.00
2013-14	285064.00
2014-15	1583495.00
2015-16	603983.00
2016-17	1196079.00
2017-18	3050875.00
2018-19	3847328.00
कुल योग-	11459286.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत इमिलिया डांग में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री प्यारेलाल (01-04-2010 से 31-12-2015 तक), श्री रामकिशुन (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-04-2010 से 30-05-2011 तक), श्री प्रदीप कुमार अनुरागी (01-06-2011 से 31-07-2012 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (20-04-2015 से 31-12-2017 तक), श्री रामशंकर अनुरागी (01-01-2018 से 31-01-2019 तक) श्री सोहेल नसीम (01-02-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2010-11 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 11459286.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कनेरा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2009-10 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-24- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत कनेरा वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि

2009-10	376894.00
2010-11	342117.00
2011-12	91943.00
2012-13	331141.00
2013-14	463002.00
2014-15	363750.00
2015-16	473580.00
2016-17	887786.00
2017-18	912623.00
2018-19	2274687.00

कुल योग- 6517523.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत कनेरा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री मूलचंद्र (01-04-2009 से 31-05-2011 तक), श्रीमती गीता देवी (01-06-2011 से 31-12-2015 तक), श्रीमती समपति (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री लाखन सिंह (01-04-2009 से 31-05-2011 तक), श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-06-2011 से 31-05-2012 तक), श्री रूपेश निगम (01-06-2012 से 31-12-2017 तक), श्री चेताराम वर्मा (01-01-2018 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2009-10 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 6517523.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सालट, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2013-14 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-25- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत सालट वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2013-14	1299721.00
2014-15	1003123.00
2015-16	870886.00
2016-17	1111844.00
2017-18	2700110.00
2018-19	3648613.00

कुल योग- 10634297.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत सालट में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा (01-04-2013 से 31-12-2015 तक), श्री वृजगोपाल (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री अमित खरे (01-04-2013 से 28-02-2018 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (01-03-2018 से 31-08-2018 तक), श्री अमित खरे (01-09-2018 से 31-01-2019 तक), श्री नरेश यादव (01-02-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2013-14 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 10634297.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खरेला देहात, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-26- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत खरेला देहात वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2018-19	4493221.00

कुल योग-

4493221.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत-खरेला देहात में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री छत्रपाल सिंह उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 4493221.00 साध्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सूपा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2005-06 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-27- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत सूपा वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2005-06	869874.00
2006-07	886356.00
2007-08	773734.00
2009-10	410730.00
2010-11	1560864.00
2011-12	1302476.00
2012-13	1906896.00
2015-16	1938379.00

कुल योग-

9521713.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत सूपा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती आशारानी (01-04-2005 से 30-08-2005 तक), श्री जागेश्वर सिंह (01-09-2005 से 30-10-2010 तक), श्री कौशल (01-11-2010 से 31-12-2015 तक), एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री मईयादीन 01-04-2005 से 31-12-2007 तक, श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-12-2009 से 14-06-2011 तक), श्री दयाराम निर्मल (15-06-2011 से 18-09-2012 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (20-09-2012 से 13-05-2013 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2005-06 से 2007-8 एवं 2009-10 से 2012-13 एवं 2015-16 में कैशबुक में अंकित व्यय 9521713.00 साध्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बरदा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-28- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत बरदा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2016-17	224975.00
2017-18	1254167.00
2018-19	1461170.00
कुल योग-	2940317.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- बरदा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री बृजभान (01-04-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री नरेंद्रपाल सिंह राजपूत (01-04-2016 से 30-07-2017 तक), श्री छत्रपाल सिंह (01-08-2017 से 31-12-2018 तक), श्री सादाब खॉ (01-01-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2016-17 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 2940317.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रिबई, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-29- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत रिबई वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2018-19	7333413.00
कुल योग-	7333413.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत-रिबई में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री चेताराम वर्मा उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 7333413.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नरेडी, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2015-16 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-30- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत नरेडी वर्ष 2015-16 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2015-16	89366.00
2016-17	253092.00
2017-18	910760.00
2018-19	1152059.00
कुल योग-	2405277.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- नरेडी में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती अंजना (01-02-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री हरिशंकर मिश्रा (01-02-2016 से 31-08-2018 तक), श्री छत्रपाल सिंह (01-09-2018 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2015-16 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 2405277.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बल्लाय, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-31- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत बल्लाय वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2018-19	1311707.00
कुल योग-	1311707.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत-बल्लाय में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती रूकमणि देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री सत्येंद्र भूषण उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 1311707.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बम्हौरी बेलदारन, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-32- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत बम्हौरी बेलदारन वर्ष 2016-17 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2016-17	1315624.00
2017-18	1333214.00
2018-19	2301642.00
कुल योग-	4950480.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- बम्हौरी बेलदारन में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार (01-04-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री अमित खरे (01-04-2016 से 28-02-2018 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (01-03-2018 से 30-08-2018 तक), श्री अमित खरे (01-08-2018 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2016-17 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 4950480.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नौसारा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2005-06 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-33- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत नौसारा वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2005-06	321307.00
2006-07	349952.00
2007-08	375630.00
2008-09	2818635.00
2009-10	891065.00
2010-11	394069.00
2011-12	225723.00
2012-13	380539.00
2013-14	409250.00
2014-15	385608.00
2015-16	530110.00
2016-17	844288.00
2017-18	1311945.00
2018-19	2163803.00

कुल योग- 11401924.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत नौसारा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री बृजलाल वर्मा (01-04-2005 से 30-08-2005 तक), श्रीमती पुष्पा कुशवाहा (01-09-2005 से 31-12-2010 तक), श्री राकेश कुमार (01-01-2011 से 31-12-2015 तक), श्री कमलेश कुमार (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री रामस्वरूप पाल (01-04-2005 से 30-08-2005 तक), श्री कुवर बहादुर राजपूत (01-09-2005 से 30-04-2006 तक), श्री मईयादीन (01-05-2006 से 30-05-2007 तक), श्री होरीलाल वर्मा (01-06-2007 से 30-09-2009 तक), श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-10-2009 से 30-05-2012 तक), श्री चेताराम वर्मा (01-06-2012 से 30-03-2013 तक), श्री रूपेश निगम (01-04-2013 से 31-03-2017), श्री चेताराम वर्मा (01-04-2017 से 31-01-2019 तक), श्री हिमांशु अग्रवाल (01-02-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2005-06 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 11401924.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गौरहारी, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-34- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत गौरहारी वर्ष 2016-17 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2016-17	2599173.00
2017-18	6151499.00
2018-19	7645535.00
कुल योग-	16396207.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- गौरहारी में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री राजू राजपूत (01-04-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री लाखन लाल (01-04-2016 से 30-11-2016 तक), श्री लाखन सिंह (01-12-2016 से 31-12-2018 तक), श्री अनस मतीन (01-01-2019 से 31-03-2019 तक), उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2016-17 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 16396207.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अकठौहा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2013-14 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-35- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत अकठौहा वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2013-14	2003126.00
2014-15	1469589.00
2015-16	1252583.00
2016-17	2316059.00
2017-18	3458461.00
2018-19	4700915.00
कुल योग-	15200733.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत अकठौहा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती पाना देवी (01-04-2013 से 31-12-2015 तक), श्री अरविंद सिंह राजपूत (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री लाखन सिंह (01-04-2013 से 31-07-2013 तक), श्री अमित खरे (01-08-2013 से 31-01-2019 तक), श्री नरेश यादव (01-02-2019 से 31-03-2019 तक), उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2013-14 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 15200733.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कुसरमा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2015-16 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-36- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत कुसरमा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2015-16	94600.00
2016-17	2270921.00
2017-18	1892005.00
2018-19	1665470.00
कुल योग-	5922996.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- कुसरमा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री गुलाब सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री सत्येंद्र भूषण, श्री सुऐव नसीम उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2015-16 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 5922996.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सबुआ, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-37- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **सबुआ** वर्ष 2016-17 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2016-17	1505523.00
2017-18	627338.00
2018-19	1814309.00
कुल योग-	3947170.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- सबुआ में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री सुऐब नसीम उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2016-17 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 3947170.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-लुहारी विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2011-12 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-38- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **लुहारी** वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2011-12	260815.00
2012-13	533055.00
2013-14	556177.00
2014-15	849113.00
2015-16	552683.00
2016-17	420015.00
2017-18	2618550.00
2018-19	4561247.00
कुल योग-	10351655.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत लुहारी में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती सुदामा (01-04-2011 से 31-12-2015 तक), श्री लाखन लाल नायक (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री लाखन सिंह (01-04-2011 से 31-07-2013 तक), श्री अमित खरे (01-04-2016 से 31-12-2018 तक), श्री नरेश यादव (01-01-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2011-12 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 10351655.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिसकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सोहजना विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2011-12 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-39- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **सोहजना** वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2011-12	335959.00
2012-13	275998.00
2015-16	554731.00
2016-17	977969.00
2017-18	2567460.00
2018-19	3129736.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत सोहजना में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.वी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री नृपत सिंह (01-04-2011 से 31-12-2015 तक), श्रीमती मीना (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री प्रदीप अनुरागी (01-04-2011 से 30-09-2012 तक), श्री चेताराम वर्मा (31-08-2015 से 31-12-2018 तक), श्री हिमांशु अग्रवाल (01-01-2019 से 31-03-2019) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2011-12 से 2012-13 एवं 2015-16 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 7841853.00 साध्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिसकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जरौली विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-40- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **जरौली** वर्ष 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2018-19	1373713.00
कुल योग-	1373713.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत जरौली में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री रूद्रपान सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री सत्येंद्र भूषण उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 1373713.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बगरौन, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2008-09 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-41- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **बगरौन** वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2008-09	563678.00
2009-10	630432.00
2010-11	315383.00
2011-12	237651.00
2012-13	120275.00
2015-16	902580.00
2016-17	890744.00
2017-18	2171615.00
2018-19	5492577.00
कुल योग-	11324962.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत बगरौन में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री कृपाल सिंह यादव (01-04-2008 से 31-12-2010 तक), श्री हरीसिंह यादव (01-01-2011 से 30-11-2015 तक), श्रीमती अंजना (01-12-2015 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी / सचिव श्री मईयादीन (01-04-2008 से 30-06-2008 तक), श्री वसंत शिवहरे (01-07-2008 से 31-05-2010 तक), श्री प्रदीप अनुरागी (01-06-2010 से 30-06-2012 तक), श्री सत्येंद्र भूषण (01-08-2015 से 31-05-2018 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (01-06-2018 से 31-08-2018 तक), श्री छत्रपाल सिंह (01-09-2018 से 31-03-2019) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2008-09 से 2012-13 एवं 2015-16 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 11324962.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पाठा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2014-15 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-42- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **पाठा** वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2014-15	1902697.00

2015-16	1196751.00
2016-17	742438.00
2017-18	2220970.00
2018-19	2118273.00
कुल योग-	8181129.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत पाठा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री महेंद्र सिंह (01-04-2014 से 31-12-2015 तक), श्रीमती कपिला देवी (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री रामशंकर (01-04-2014 से 31-01-2019 तक), श्री अमित खरे (01-02-2019 से 31-03-2019) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2014-15 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 8181129.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिसकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कमलखेड़ा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2010-11 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-43- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत कमलखेड़ा वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2010-11	538287.00
2011-12	270095.00
2012-13	554546.00
2013-14	264468.00
2014-15	1480021.00
2015-16	985828.00
2016-17	1319451.00
2017-18	2195309.00
2018-19	2668318.00
कुल योग-	10276323.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत कमलखेड़ा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी (01-04-2010 से 31-12-2015 तक), श्री शिवरतन सिंह (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री रामशंकर अनुरागी (01-04-2010 से 31-01-2019 तक), श्री अमित खरे (01-02-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2010-11 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 10276323.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गोरखा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2011-12 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-44- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत गोरखा वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2011-12	298398.00
2012-13	347060.00
2013-14	852909.00
2014-15	931729.00

2015-16	611061.00
2016-17	1162129.00
2017-18	2663031.00
2018-19	3512840.00

कुल योग- 10379157.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत गोरखा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री बालकिशन (01-04-2011 से 31-12-2015 तक), श्री गुलाब सिंह (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव श्री मईयादीन (01-04-2011 से 31-05-2011 तक), श्री लाखन सिंह (01-06-2011 से 31-12-2011 तक), श्री अमित खरे (01-01-2012 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2011-12 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 10379157.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-फतेहपुर, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2010-11 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-45- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत फतेहपुर वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2010-11	1044146.00
2011-12	394384.00
2012-13	659520.00
2013-14	676940.00
2014-15	886737.00
2015-16	692856.00
2016-17	502387.00
2017-18	2340716.00
2018-19	1472787.00

कुल योग- 8670473.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत फतेहपुर में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री बरेलाल (01-04-2010 से 31-12-2015 तक), श्री रामकृपाल (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री मईयादीन (01-04-2010 से 31-05-2011 तक), श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-06-2011 से 31-05-2012 तक), श्री रूपेश निगम (01-06-2012 से 30-04-2018 तक), श्री हरीशंकर मिश्रा (01-05-2018 से 31-08-2018 तक), श्री चेताराम वर्मा (01-09-2018 से 31-01-2019 तक), श्री सोहल नसीम (01-02-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2010-11 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 8670473.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जतौरा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2015-16 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-46-लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत जतौरा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2015-16	80900.00
2016-17	448600.00

2017-18	736406.00
2018-19	1373713.00
कुल योग-	2639619.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- जतौरा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री रूपेश निगम (01-02-2016 से 31-12-2017), श्री चेताराम वर्मा (01-01-2018 से 31-01-2019 तक), श्री सादाब खान (01-02-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2015-16 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 2639619.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कुरौराडांग, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2015-16 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-47-लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **कुरौराडांग** वर्ष 2015-16 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2015-16	110600.00
2016-17	814602.00
2017-18	1126317.00
2018-19	2653243.00
कुल योग-	4704762.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- कुरौराडांग में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम (01-04-2015 से 31-12-2015 तक), श्री प्रभुदयाल (01-01-2016 से 31-03-2019) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री रूपेश निगम (01-02-2016 से 31-03-2018 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (01-04-2018 से 31-08-2018 तक), श्री चेताराम वर्मा (01-09-2018 से 31-01-2019 तक), श्री सुहेल नसीम (01-02-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2015-16 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 4704762.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अस्थौन, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2008-09 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-48-लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत **अस्थौन** वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2008-09	582902.00
2009-10	413539.00
2010-11	495694.00
2011-12	319266.00
2012-13	674961.00
2013-14	481917.00
2014-15	564170.00
2015-16	562860.00
2016-17	721580.00
2017-18	1640613.00
2018-19	3205885.00

कुल योग-

9663387.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत अस्थौन में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री शिवसहाय (01-04-2008 से 30-10-2010 तक), श्री छोटेलाल (01-11-2010 से 31-12-2015 तक), श्री ज्ञानसिंह (01-01-2016 से 31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री मईयादीन (01-04-2008 से 30-06-2011 तक), श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-07-2011 से 30-05-2012 तक), श्री रूपेश निगम (01-06-2012 से 31-03-2018 तक), श्री हरिशंकर मिश्रा (01-04-2018 से 30-08-2018 तक), श्री अमित खरे (01-09-2018 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2008-09 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 9663387.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अनघौरा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2016-17 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-49-लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत अनघौरा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2016-17	1004577.00
2017-18	3679494.00
2018-19	4783161.00
कुल योग-	9467232.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत- अनघौरा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री सुऐब नसीम उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2016-17 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 9467232.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नटर्वा, विकास खण्ड चरखारी वर्ष 2009-10 से 2018-19

प्रस्तर संख्या-50- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत चरखारी की ग्राम पंचायत नटर्वा 2009-10 से 2018-19 तक में राज्यवित्त एवं 14 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार किया गया।

वर्ष	व्यय धनराशि
2009-10	265028.00
2010-11	440834.00
2011-12	248228.00
2012-13	697104.00
2013-14	637704.00
2014-15	677670.00
2015-16	499965.00
2016-17	1096547.00
2017-18	604978.00
2018-19	1648083.00
कुल योग-	6816141.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत नटर्वा में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाऊचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानकर ग्राम प्रधान श्री दसाराम (01-04-2009 से 31-03-2011), श्री मातादीन प्रजापति (01-04-2011 से 31-12-2015), श्रीमती गायत्री देवी (01-01-2016 से

31-03-2019 तक) एवं ग्राम विकास अधिकारी/ सचिव श्री लाखन सिंह (01-04-2009 से 31-05-2011 तक), श्री भूपेंद्र सोनकिया (01-06-2011 से 30-06-2012 तक), श्री रूपेश निगम (01-07-2012 से 31-12-2017 तक), श्री चेताराम वर्मा (01-01-2018 से 31-01-2018 तक), श्री सादाब खान (01-01-2019 से 31-03-2019 तक) उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2009-10 से 2018-19 में कैशबुक में अंकित व्यय 6816141.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4
वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

जनपद-बहराइच

सम्भाग- देवीपाटन

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों में उद्घाटित अपहरण/अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण:-

ग्राम पंचायत का नाम - गिरधरपुर	विकास खण्ड - बलहा
प्रस्तर सं०	
1-	दिनांक 30.01.2020 एवं दिनांक 29.02.2020 को विभिन्न बाउचर/चेक नं० से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल ₹ 77439.00 का कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय माणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती उर्मिला ग्राम प्रधान एवं श्रीमती प्रीति शुक्ल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-9)
2-	दिनांक 01.01.2020 एवं दिनांक 06.03.2020 में खडन्जा मरम्मत/नाली निर्माण कार्य पर कुल ₹ 151530.00 का कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती उर्मिला ग्राम प्रधान एवं श्रीमती प्रीति शुक्ल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)
ग्राम पंचायत का नाम - नौसर गुमटिहा	
विकास खण्ड - बलहा	
3-	दिनांक 27.06.2019, 06.07.2019, 27.07.2019, 18.11.2019, 06.12.2019 को हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य पर कुल ₹ 237513.00 का कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुनीता देवी ग्राम प्रधान एवं श्रीमती प्रीति शुक्ल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)
ग्राम पंचायत का नाम - पतरहिया	
विकास खण्ड - बलहा	
4.	दिनांक 08.04.2019 व दिनांक 16.04.2019 को खडन्जा मरम्मत कार्य पर प्रियासाफ्ट कैशबुक में कुल ₹ 124206.00 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में कार्य योजना, सामग्री क्रय हेतु कोटेशन, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विजय कुमार ग्राम प्रधान एवं श्रीमती प्रीति शुक्ल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)
ग्राम पंचायत का नाम - तुलसीपुर	
विकास खण्ड - बलहा	
5.	दिनांक 05.07.2019 व दिनांक 22.11.2019 को हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर प्रियासाफ्ट/कैशबुक में कुल ₹ 72126.00 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में बिना किसी व्यय प्रमाणक तथा तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे०ई०एम०आई० या जे०ई०आर० ई०डी० से सम्बन्धित

अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम दयाल ग्राम प्रधान एवं श्रीमती प्रीति शुक्ल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

पंचायत का नाम - बहोरिकापुर

विकास खण्ड - महसी

6. दिनांक 05.10.2019 को हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर प्रियासाफ्ट कैशबुक में ₹0 45392.00 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0 आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 से सम्बन्धित अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रेमशंकर ग्राम प्रधान एवं श्री राधेश्याम चौधरी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

ग्राम पंचायत का नाम - बेलहौरा

विकास खण्ड - महसी

7. दिनांक 14.02.2019 से 30.12.2019 तक को हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर प्रियासाफ्ट कैशबुक में ₹0 108833.00 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 से सम्बन्धित अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर ग्राम प्रधान एवं श्री राधेश्याम चौधरी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

ग्राम पंचायत का नाम - छत्तरपुर

विकास खण्ड - महसी

8. दिनांक 10.04.2019 से दिनांक 20.03.2020 तक हैण्डपम्प मरम्मत/ पर प्रियासाफ्ट कैशबुक में ₹0 81722.00 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति के भुगतानादेश, सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रमाणक आदिलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सावित्री ग्राम प्रधान एवं श्री अमरेश गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

ग्राम पंचायत का नाम - मैकुपुरवा

विकास खण्ड - महसी

9. दिनांक 27.11.2019 को हैण्डपम्प मरम्मत पर चेक/बाउचर द्वारा ₹0 37000.00 का प्रियासाफ्ट कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति के भुगतानादेश, सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मेडीलाल ग्राम प्रधान एवं श्री राधेश्याम ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर - बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)
10. दिनांक 27.11.2019 को खडन्जा मरम्मत पर चेक/बाउचर द्वारा ₹0 82000.00 का प्रियासाफ्ट कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना, मस्टर रोल, सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मेडीलाल ग्राम प्रधान एवं श्री राधेश्याम ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर -बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-08)

ग्राम पंचायत का नाम - मकरन्दपुर

विकास खण्ड - महसी

11. दिनांक 15.03.2019 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 84518.00 का भुगतान चेक/बाउचर द्वारा किया गया। जबकि शासनादेश संख्या- 51/2017/1211/ 33-3-2017 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत के लिए ग्राम पंचायत, जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुए हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में सूचना एवं बनवाने हेतु प्रस्ताव एवं मरम्मत के बाद जल निगम से भुगतानादेश नहीं लिया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती रीना देवी ग्राम प्रधान एवं अमरेश गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-8)

ग्राम पंचायत का नाम - नकवा**विकास खण्ड - महसी**

12. दिनांक 03.03.2020 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 77819.00 का भुगतान चेक /बाउचर द्वारा किया गया। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली चन्द्रिका ग्राम प्रधान एवं हीरी लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-9)

ग्राम पंचायत का नाम - बहेलिया**विकास खण्ड - फखरपुर**

13. दिनांक 01.05.2019, 20.05.2019, 25.11.2019, 19.02.2020, 21.03.2019 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 60180.00 का भुगतान चेक /बाउचर द्वारा किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली जगदम्बा प्रसाद ग्राम प्रधान एवं राकेश वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-9)

ग्राम पंचायत का नाम - दहौरा**विकास खण्ड - फखरपुर**

14. दिनांक 05.04.2019, 18.04.2019, 09.05.2019, 25.06.2019, 02.07.2019, 03.07.2019, 18.11.2019, 06.12.2019 19.01.2020 05.03.2020 05.03.2020 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 170682.00 का भुगतान चेक/बाउचर द्वारा किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही व्यय धनराशि किसको भुगतान की गयी है इसकी सूचना अप्राप्त है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली मुन्ना ग्राम प्रधान एवं राकेश वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-9)

ग्राम पंचायत का नाम - हैबतपुर**विकास खण्ड - फखरपुर**

15. दिनांक 23.12.2019, 28.01.2020, में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 25510.00 का भुगतान चेक /बाउचर द्वारा किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही हैण्डपम्प कार्य मरम्मत का कार्य स्थल का उल्लेख किया गया है न ही हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना व उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आनन्द प्रकाश ग्राम प्रधान एवं राकेश वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-10)

ग्राम पंचायत का नाम - इन्दौर**विकास खण्ड - फखरपुर**

16. दिनांक 18.12.2019, 15.02.2020, 21.03.2020 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 43800.00 का भुगतान चेक /बाउचर द्वारा किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही हैण्डपम्प कार्य मरम्मत का कार्य स्थल का उल्लेख किया गया है न ही हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना व उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली जशोदा ग्राम प्रधान एवं राकेश वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-24)

ग्राम पंचायत का नाम - कोदही**विकास खण्ड - फखरपुर**

17. दिनांक 25.06.2019, 20.01.2020, 21.03.2020 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 52500.00 का भुगतान चेक /बाउचर द्वारा किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही हैण्डपम्प कार्य मरम्मत का

अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती रामा देवी ग्राम प्रधान एवं भगवानदीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -लीलापारा

विकास खण्ड-रिसिया

23. दिनांक 01.07.2019, 09.07.2019, में जू0 हा0 स्कूल धरमपुर में रिपेयरिंग पुटी रंगाई कार्य पर रू0 353302.00 का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-176651.00 श्री फरमान अहमद ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु0-176651.00 श्री सुएब अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

24. दिनांक 01.07.2019, में जू0 हा0 स्कूल धरमपुर में बरामदा में टाइल्स रिपेयरिंग कार्य पर रू0 119303.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-59651.50 श्री फरमान अहमद ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु0-59651.50 श्री सुएब अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

25. दिनांक 01.07.2019, 12.03.2020, 21.03.2020 में जू0 हा0 स्कूल में टाइल्स रिपेयरिंग कार्य पर रू0 220193.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-110096.50 श्री फरमान अहमद ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु0-110096.50 श्री सुएब अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

26. दिनांक 09.07.2019, में जू0 हा0 स्कूल धरमपुर में शौचालय रिपेयरिंग रंगाई कार्य पर रू0 44560.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-22280.00 श्री फरमान अहमद ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु0-22280.00 श्री सुएब अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -समोखन

विकास खण्ड/जनपद-रिसिया

अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु०-12800.00 श्रीमती अफसर जहाँ ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु०-12800.00 श्री हबीब अख्तर, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत का नाम -नरसिंह डीहा

विकास खण्ड-रिसिया

36. दिनांक 02.04.2019, 04.07.2019, में रू०-363503.00 प्रिया केशबुक में मटेरियल/एम.आर. हेतु व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त भुगतान किस कार्य का है यह स्पष्ट नहीं है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु०-181751.50 श्री समसुद्दीन ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु०-181751.50 श्री हबीब अख्तर, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

37. दिनांक 02.04.2019, 04.07.2019 में पू०मा०वि० नरसिंह डीहा में टाइल्स कार्य भुगतान, एम. आर. पर भुगतान, वेजेस पर भुगतान रू०- 171010.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु०-85505.00 श्री समसुद्दीन ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु०-85505.00 श्री हबीब अख्तर, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-02)

38. दिनांक 12.03.2020, 21.03.2020 में पू०मा०वि० नरसिंह डीहा में मरम्मत, व रंगाई पुताई मजदूरी पर रू० 243421.00 का भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु०-121710.50 श्री समसुद्दीन ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु०-121710.50 श्री हबीब अख्तर, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत का नाम -मोहम्मदपुर ककरहा

विकास खण्ड-पयागपुर

39. दिनांक 17.07.2019, 25.07.2019, में रू०-272380.00 प्रिया केशबुक में मटेरियल/एम.आर. हेतु व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-136190.00 श्रीमती आरती ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु0-136190.00 श्री आशुतोष मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

- अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-129435.00 श्रीमती आरती ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु0-129435.00 श्री आशुतोष मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

- अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-93428.00 श्रीमती आरती ग्राम प्रधान तथा आधी रकम मु0-93428.00 श्री आशुतोष मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

50. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये समस्त कार्यों पर प्रियासाफ्ट कैशबुक में ₹0 2059899.00 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोषबही एवं स्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सुरेश कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री विधानचंद ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-1)

ग्राम पंचायत का नाम -लालपुर शिवपुर

विकास खण्ड-शिवपुर

51. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये समस्त कार्यों पर प्रियासाफ्ट कैशबुक में ₹0 2641825.00 का व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोषबही एवं स्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती केतकी देवी ग्राम प्रधान एवं श्री सुनील वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-1)

ग्राम पंचायत का नाम -मजदरिया बुर्द

विकास खण्ड-शिवपुर

52. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये समस्त कार्यों पर प्रियासाफ्ट कैशबुक में ₹0 2399660.00 का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में कोषबही एवं स्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अन्य कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-1)

ग्राम पंचायत का नाम - कन्दरा

विकास खण्ड - हुजूरपुर

53. दिनांक 31.05.2019 से दिनांक 07.03.2020 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 230774.00 का कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री धर्मदेव सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री अनिल कुमार पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-11)

ग्राम पंचायत का नाम - रेवढा

विकास खण्ड - जरवल

54. दिनांक 09.08.2019 से दिनांक 18.03.2020 तक विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 106233, कैशबुक में व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मीचम बानो ग्राम प्रधान एवं श्री विजय भान सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मोतीपुर

विकास खण्ड - मिर्हीपुरवा

55. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0-263765.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, निविदा/कोटेशन, बिल बाउचर मजदूरी का भुगतान, मस्टर रोल, ईट क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, निर्माण पत्रावली आदि कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शाहीन ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-29)

56. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कार्याकल्प कार्य पर ₹0- 1432719.00, पर प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, निविदा/कोटेशन, बिल बाउचर मजदूरी का भुगतान, मस्टर रोल, ईट क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय

बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर, निर्माण पत्रावली आदि कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रोशन अली ग्राम प्रधान एवं श्री मनीष चौधरी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-घ, उ)

64. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पंचायत भवन निर्माण/कायाकल्प कार्य/स्ट्रीट लाइट स्थापना/रिबोर में ₹0-830089.00 पर प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रोशन अली ग्राम प्रधान एवं श्री मनीष चौधरी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-11 क व ख)

ग्राम पंचायत का नाम - गोपिया

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

65. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य, ईंट क्रय, मजदूरी पर ₹0-438275.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, मानदेय रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र मोहन ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-1क,)
66. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ₹0- 438275.00 ईंट क्रय पर निर्धारित 2 प्रति0 की दर से ₹0-8765.00 का इनकम टैक्स व टी0डी0एस0 काटकर नियमानुसार कोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र मोहन ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0-1ख)
67. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0-1561959.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, मानदेय रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र मोहन ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-2क,)
68. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ₹0- 1561959.00 पर निर्धारित 2 प्रति0 की दर से ₹0-31239.00 का इनकम टैक्स व टी0डी0एस0 काटकर नियमानुसार कोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र मोहन ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0-2ख)
69. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पंचायत भवन मरम्मत पर ₹0-226561.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, मानदेय रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र मोहन ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-3क,)
70. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ₹0- 226561.00 पर निर्धारित 2 प्रति0 की दर से ₹0-4531.00 का इनकम टैक्स व टी0डी0एस0 काटकर नियमानुसार कोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र मोहन ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0-3ख)
71. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0-88500.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र मोहन ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0-4क,)

80. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0- 315890.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति/कार्य की फोटो आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती माया देवी ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-16)
81. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में काल्पनिक सोलर लाइट स्थापना कार्य पर ₹0-94540.00, का प्रियासॉफ्ट/ कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक, उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती माया देवी ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-17)
82. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप पर ₹0- 132840.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती माया देवी ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-18)
83. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पर ₹0- 71998.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती माया देवी ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-19)
84. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ₹0- 615268.00 पर निर्धारित 2 प्रति0 की दर से ₹0-12305.36.00 का इनकम टैक्स व टी0डी0एस0 काटकर नियमानुसार कोष में जमा न कर राजकीय राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती माया देवी ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0-20)

ग्राम पंचायत का नाम - रमपुरवा विकास खण्ड - मिहीपुरवा

85. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मनरेगा का उपयोग कोविड 19 संकट के समय अकुशल श्रमिकों के रोजगार एवं मजदूरी पर ₹0- 2890000.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती केशरानी ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0- 3अ,घ)
86. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0-1069473.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती केशरानी ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0- 26)
87. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर एवं ह्यूम पाइप स्थापना कार्य पर ₹0- 290780.00 पर प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0 बुक/निविदा /कोटेशन/कार्य योजना सूची, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती केशरानी ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0-27)

ग्राम पंचायत का नाम - झाला विकास खण्ड - मिहीपुरवा

88. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0-327095.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

89. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0- 852034.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

90. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में खडन्जा निर्माण/खडन्जा मरम्मत/लेबर भुगतान पर ₹0- 792815.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-31)

92. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में जिम निर्माण कार्य पर ₹00-394000.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

- 93 वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ईट क्रय पर ₹0- 394000.00 के भुगतान पर 2 प्रति0 की दर से जी0एस0टी0 ₹0- 7880.00 की कटौती न कर राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-32ख)

96. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पर ₹0- 219271.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/उपभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती जसोदा ग्राम प्रधान एवं श्री विजय वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-17)

ग्राम पंचायत का नाम - लाल बोझा विकास खण्ड - मिहींपुरवा

97. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में काल्पनिक कायाकल्प कार्य के नाम पर ईट क्रय पर ₹0-398924.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मनोज कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-15क)
98. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में काल्पनिक कार्य के नाम शैडो फर्म को एवं काल्पनिक सामग्री क्रय पर ₹0- 521515.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मनोज कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-15ख)

ग्राम पंचायत का नाम - मनगौडिया

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

99. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मनरेगा पर ₹0-6100000.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विजय प्रताप सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री ब्रजराज पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-3अ-घ)
100. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कार्यों पर ₹0-782666.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, वैध बिल बाउचर, मस्टर रोल कार्य योजना, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विजय प्रताप सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री ब्रजराज पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-17)

ग्राम पंचायत का नाम - पौडा

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

101. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य/गौ आश्रय स्थल निर्माण पर ₹0-1163825.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ननक ग्राम प्रधान एवं श्री इरशाद अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-19)

ग्राम पंचायत का नाम - मूर्तिहा

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

102. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0-854237.00 का प्रियासॉफ्ट/ कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री पंच देव प्रधान एवं श्री शैलेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-19)

ग्राम पंचायत का नाम - पैरूआ

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

103. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मनरेगा एवं काल्पनिक सामग्री क्रय पर ₹0-5214000.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मजदूरी मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम भरोसे प्रधान एवं श्री ब्रजराज पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-3 अ)

ग्राम पंचायत का नाम - सेमरी मलमला

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

104. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0-341127.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मंगल प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-29)

105. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0- 1023937.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मंगल प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-30)

106. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में खडन्जा निर्माण/नाली निर्माण पर ₹0- 234355.00, का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजिका, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मंगल प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-31)

107. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में सोलर लाइट/पेंटिंग कार्य पर ₹0- 160175.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, वैध बिल बाउचर, मस्टर रोल कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मंगल प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-32)

ग्राम पंचायत का नाम - मझाव

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

108. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों पर काल्पनिक सामग्री क्रय पर ₹0- 3668000.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मनरेगा रोकडबही, काल्पनिक सामग्री क्रय, मजदूरी मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम कुबेर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-3 अ)

ग्राम पंचायत का नाम - शाहपुरजोत युसुफ

विकास खण्ड - चितौरा

109. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में नाली निर्माण, शौचालय, कायाकल्प (स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन) एवं हैण्डपम्प मरम्मत तथा मजदूरी पर ₹0- 227460.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित कार्य पत्रावलिआं आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती मन्तसा ग्राम प्रधान एवं श्री दीनानाथ मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-7)

ग्राम पंचायत का नाम - शिवदहा

विकास खण्ड - पयागपुर

110. वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराये गये निर्माणों कार्यों पर ₹0- 2413229.00, हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर ₹0- 540438.00, नाली एवं मिट्टी कार्य पर ₹0- 560333.00, खडन्जा मरम्मत/निर्माण कार्यों पर व्यय ₹0- 1153700.00, भूमिगत जल निकास हेतु ह्यूम पाइप पर व्यय ₹0- 72900.00, डस्टबिन क्रय एवं साफ सफाई कार्य पर व्यय ₹0- 197400.00, सोलर स्टीट मरम्मत कार्य पर व्यय ₹0- 176300.00, सीमेंट, बालू सामग्री खरीद पर व्यय ₹0- 445807.00, बाउंडी वाल निर्माण कार्यों पर व्यय ₹0- 586293.00, मजदूरी पर मस्टर रोल विहीन व्यय ₹0- 16400.00, मरम्मत कार्यों पर व्यय ₹0- 21200.00, आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत कार्यों पर व्यय ₹0- 72327.00, ईट खरीद पर व्यय ₹0- 79068.00 कुल व्यय ₹0- 6335395.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, रोकडबही, काल्पनिक सामग्री क्रय, मजदूरी मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राधे श्याम ग्राम प्रधान एवं श्री आशुतोष मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (क्रमशः आ0 सं0-2)

111. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराये गये निर्माणों कार्यों पर रू0- 749126.00, हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर रू0- 72663.00, पंचायत भवन मरम्मत एवं रंगाई, पुताई कार्यों पर व्यय रू0- 210295.00, पंचायत भवन में मरम्मत कार्यों पर व्यय रू0- 96220.00 कुल व्यय रू0- 1128304.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मनरेगा रोकडबही, काल्पनिक सामग्री क्रय, मजदूरी मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राधे श्याम ग्राम प्रधान एवं श्री आशुतोष मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-1)

ग्राम पंचायत का नाम - नवगांव विकास खण्ड - नवाबगंज

112. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0:- 30.07.2019 से दि0-23.01.2020 तक विभिन्न चेक/बाउचर्स द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य पर कुल व्यय रू0- 231815.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अभिनन्दन चौधरी ग्राम प्रधान एवं श्री शत्रोहन लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-8)

ग्राम पंचायत का नाम - रहीमनगर

विकास खण्ड - नवाबगंज

113. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 09.07.2019 को चेक संख्या/बाउचर नं0 017588 द्वारा व्यय रू0- 32560.00 एवं चेक संख्या/बाउचर नं0 017586 द्वारा व्यय रू0- 5540.00 तथा दि0- 20.07.2019 को चेक संख्या/बाउचर नं0 017583 द्वारा व्यय रू0- 25000.00 एवं चेक संख्या/बाउचर नं0 017585 द्वारा व्यय रू0- 25000.00 का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रू0- 88100.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0, स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामनरेश ग्राम प्रधान एवं श्री शत्रोहन लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-9)

ग्राम पंचायत का नाम - सिरसिया

विकास खण्ड - नवाबगंज

114. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0:- 26.05.2019 को चेक संख्या/बाउचर नं0 050060 द्वारा खडन्जा मरम्मत पर व्यय रू0- 31000.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कोटेशन, संपादित कार्या का स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती आयशा खातून ग्राम प्रधान एवं श्री शत्रोहन लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-9)

ग्राम पंचायत का नाम - जमुनहा नौबस्ता

विकास खण्ड - नवाबगंज

115. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 09.01.2020 व दि0-24.03.2020 को विभिन्न चेक/बाउचर्स द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रू0- 128000.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ताजुद्दीन ग्राम प्रधान एवं श्री शत्रोहन लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-9)

ग्राम पंचायत का नाम - उमरिया

विकास खण्ड - नवाबगंज

116. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 20.02.2020 को चेक संख्या/बाउचर नं0 4ज्म्ैथ्2019.20ध्1 द्वारा खडन्जा सोलर लाइट पर व्यय रू0- 88200.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, निविदा/कोटेशन, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित

वसूली श्रीमती पुष्पा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री शत्रोहन लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-9)

ग्राम पंचायत का नाम -सुमेरपुर

विकास खण्ड - नवाबगंज

117. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 04.12.2019 को चेक/बाउचर द्वारा व्यय रू0- 24438.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल व्यय रू0- 48910.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, निविदा/कोटेशन, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री शत्रोहन लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (क्रमशः सा0आ0 सं0-05)
118. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 27.01.2020 को चेक/बाउचर द्वारा व्यय रू0- 44400.00 एवं दिनांक 22.02.2020 को चेक/बाउचर द्वारा व्यय रू0- 44400.00 का सोलर लाइट पर कुल व्यय रू0- 88800.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, निविदा/कोटेशन, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजकुमार सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री शत्रोहन लाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-06)

ग्राम पंचायत का नाम -खम्हरिया शुक्ल

विकास खण्ड - तेजवापुर

119. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 19.01.2020 व दि0- 18.01.2020 को विभिन्न चेक/बाउचर्स द्वारा नाली निर्माण कार्य पर कुल व्यय रू0- 177973.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, स्वीकृत कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सरिता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राजितराम सहाय ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-09)

ग्राम पंचायत का नाम -टेण्डवा सिस्टीपुर

विकास खण्ड - तेजवापुर

120. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 15.04.2019 से दि0- 10.03.2020 तक विभिन्न चेक/बाउचर्स द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य पर कुल व्यय रू0- 114636.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती ललिता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राम कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-06)
121. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0-22.07.2019 को रू0- 13425.00 व दि0- 20.01.2020 को रू0- 5900.00 स्टेशनरी क्रय पर कुल व्यय रू0- 19325.00 प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती ललिता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राम कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (क्रमशः आ0 सं0-07)

ग्राम पंचायत का नाम -चौखडिया

विकास खण्ड - तेजवापुर

122. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 03.04.2019 से दि0- 19.02.2020 तक विभिन्न चेक/बाउचर्स द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रू0- 77730.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती संगीता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राम कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-09)
123. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0-30.12.2019 को स्टेशनरी क्रय पर रू0- 13425.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया

गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती संगीता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राम कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-10)

ग्राम पंचायत का नाम -भोगियापुर

विकास खण्ड - तेजवापुर

124. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 11.04.2019 से दि0- 20.01.2020 तक विभिन्न चेक/बाउचर्स द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रू0- 114513.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 या जे0ई0आर0ई0डी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जाकरून ग्राम प्रधान एवं श्री यासिर शकिल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-07)

ग्राम पंचायत का नाम -चन्दनपुर सिकडिया

विकास खण्ड - तेजवापुर

124. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 16.12.2019 को चेक/बाउचर द्वारा पर व्यय रू0- 50192.00 एवं दि0- 28.12.2019 को चेक/बाउचर द्वारा व्यय रू0- 9786.00 का नाली निर्माण पर कुल व्यय रू0- 59978.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम छबीले ग्राम प्रधान एवं श्री परमानन्द ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-08)
125. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0-03.05.2019 को रू0- 25000.00 व दि0- 28.12.2019 को रू0- 5900.00 स्टेशनरी क्रय पर कुल व्यय रू0-30900.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम छबीले ग्राम प्रधान एवं श्री परमानन्द ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-09)

ग्राम पंचायत का नाम -चफरिया

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

127. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दि0- 04.07.2019 से दि0- 09.07.2019 तक हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर रू0- 212136.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल, सामग्री क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इकबाल ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-29)

128. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कार्याकल्प कार्य पर रू0- 1472358.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल, सामग्री क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इकबाल ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-30 क)

129. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कार्याकल्प कार्य पर रू0- 1472358.00 के भुगतान पर 2 प्रति0 की दर से जी0एस0टी0 रू0- 29447.16 की कटौती न कर राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इकबाल ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-30 ख)

130. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में खडन्जा निर्माण/नाली निर्माण/खडन्जा मरम्मत/ह्यूम पाइप/लेबर भुगतान कार्य पर ₹0- 863189.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल, सामग्री क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इकबाल ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0-31 क)

131. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0- 863189.00 के भुगतान पर 2 प्रति0 की दर से जी0एस0टी0 ₹0- 17263.78 की कटौती न कर राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री इकबाल ग्राम प्रधान एवं श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (क्रमशः सा0आ0 सं0-31 ख)

ग्राम पंचायत का नाम -हरखापुर

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

132. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में काल्पनिक हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर ₹0- 251993.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नबी अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-30)
133. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में काल्पनिक ओपन जिम कार्य पर ₹0- 394000.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई सामग्री दर/कार्यपूति/कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0/कोटेशन/निविदा/स्थान आदि कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नबी अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0 31)
134. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में काल्पनिक प्रशासनिक मद कार्य पर ₹0- 64625.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई सामग्री दर/कार्यपूति/कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0/कोटेशन/निविदा/स्थान आदि कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नबी अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-32)
135. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर ₹0- 108924.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई सामग्री दर/कार्यपूति/कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0/कोटेशन/निविदा/स्थान आदि कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नबी अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-33)
136. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर ₹0- 2917000.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई सामग्री दर/कार्यपूति/कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0/कोटेशन/निविदा/स्थान आदि कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नबी अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री दुर्गे हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-घ से ड)

ग्राम पंचायत का नाम- बोझिया

विकास खण्ड - मिहीपुरवा

137. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर ₹0- 1377000.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई सामग्री दर/कार्यपूति/कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0/कोटेशन/निविदा/स्थान आदि कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-अ घ)

138. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर ₹0- 317643.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल, सामग्री क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-16)
139. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कायाकल्प कार्य पर ₹0- 1512306.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल, सामग्री क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-17)
140. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में सोलर लाइट कार्य पर ₹0- 236350.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल, सामग्री क्रय के बिल बाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, एम0बी0 बुक, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-19)
141. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर ₹0- 132840.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई सामग्री दर/कार्यपूति/कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0/कोटेशन/निविदा/स्थान आदि कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0-20)
142. वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर ₹0- 301616.00 का प्रियासॉफ्ट/कैशबुक में व्यय दर्शित है जिनकी पुष्टि में कोई सामग्री दर/कार्यपूति/कार्य की त्रिस्तरीय फोटो/एम0बी0/कोटेशन/निविदा/स्थान आदि कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-21)
143. वर्ष 2019-20 दौरान कुल व्यय ₹0- 2500755.00 के भुगतान पर 2 प्रति0 की दर से आई0टी0/टी0डी0एस0 कटौती ₹0- 50015.10 की कटौती न कर राजस्व का नुकसान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव सागर ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-20)

ग्राम पंचायत का नाम- गूढ

विकास खण्ड – मिहीपुरवा

144. वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय ₹0- 143996.00 राज्य वित्त 14 या वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत ह्यूम पाइप मद पर काल्पनिक व्यय के सापेक्ष कोई भी क्रय दर/कोटेशन/ व्यय के सापेक्ष कोई भी क्रय दर/कोटेशन/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती स्वर्ण कुमारी ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-32)
145. वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय ₹0- 2631000.00 मनरेगा का उपयोग कोविड -19 के बाद की स्थितियों में कितना प्रभावी ढंग से उपयोगी रहा यह सूचना अज्ञात रही अकुशल श्रमिकों की पूरी सूची का मिलान कराया जाना चाहिये की कोविड 19 संकट के समय ग्राम पंचायत में प्रवासी प्रदेश के श्रमिकों को कितना रोजगार दिया गया। आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के शासनादेश के अनुपालन तथा मनरेगा रोकडबही ग्राम पंचायत स्तर पर न रखने के संदर्भ में मैं एवं अपर मुख्य सचिव उ०प्र० श्री मनोज कुमार सिंह के पतांक के अनुसार उ०प्र० सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं तथा मनरेगा के अकुशल श्रमिकों को ₹0- 2631000.00 मजदूरी के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना करना गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती स्वर्ण कुमारी ग्राम प्रधान एवं श्री कैलाश नाथ ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0-घ-ड)

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 193676.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मझिला एवं तत्कालीन ग्र.प्रा.सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर के सापेक्ष कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन / निविदा संबंधी प्रपत्र, डिलीवरी चालान, हैण्डपम्प की संख्या एवं संबंधित स्थलों की सूची, त्रिस्तरीय फोटो, डेडस्टॉक रजि., कार्यपूरी प्रमाण-पत्र, कर / शुल्क कटौती एवं जमा रजि., एम.बी., व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम / नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु.169750.00 का व्यय किया गया।

प्रस्तर संख्या-9 (ग्राम पंचायत- जहाँडीह)

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 2018993.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मोगीना एवं तत्कालीन प्रा.पं.सचिव श्री नित्यानंद सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- विशुनपुर खैरहनिया, वि०ख०-तुलसीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 31408.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती निकिता मिश्रा एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 414590.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती नकिता मिश्रा एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- मोहनपुर, वि०ख०-तुलसीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 142882.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री नित्यानंद सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 142794.00 अपहरण की श्रेणी में लार्ड जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री नित्यानंद सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 246275.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री नित्यानंद सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 191683.00 अपहरण की श्रेणी में लार्ड जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री नित्यानंद सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 136013.00 अपहरण की श्रेणी में लार्ड जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री नित्यानंद सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- धनौड़ा, वि०ख०-तुलसीपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

अतः उक्त व्यय धनराशि रु. 77027.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती आशा एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री अजय कुमार विमल से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रा.पं.- भुसैलवा, वि०खण्ड- बलरामपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

- प्रस्तर संख्या-26 (ग्राम पंचायत- खजुरिया)

- प्रस्तर संख्या-27 (ग्राम पंचायत- गंगापुर लखना) (कुल अधिभारित धनराशि रु- 5602288.00)

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रा.पं.- गंगापुर लखना, वि०खण्ड- बलरामपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

- प्रस्तर संख्या-28 (ग्राम पंचायत- बेलवा बिनहनी) (कल अधिभारित धनराशि रु- 1180958.00)

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रा.पं.- बेलवा बिनुहनी, वि०खण्ड- बलरामपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

- प्रस्तर संख्या-29 (ग्राम पंचायत- कांदभारी)

- प्रस्तर संख्या-30 (ग्राम पंचायत- कोईलिहा) (कल अधिभारित धनराशि रु- 1300591.00)

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रा.पं.- कोईलिहा, वि०खण्ड- बलरामपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

- प्रस्तर संख्या-31(ग्राम पंचायत- सिसई) (कुल अधिभारित धनराशि रु- 1346569.00)

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रा.पं.- सिसई, वि०खण्ड- बलरामपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

- प्रस्तर संख्या-32 (ग्राम पंचायत- शेखरपुर) (कुल अधिभारित धनराशि रु- 3481067.00)

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रा.पं.- शेखरपुर, वि०खण्ड- बलरामपुर की लेखा परीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. 14वें वित्त से कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली, स्टॉर रजि., एम.बी., आदि प्रस्तुत न कर धनराशि रु. 2846992.00 का व्यय कर अपहरण किया गया जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास सचिव/अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
2. राज्य वित्त से कराये गए कार्य पर व्यय धनराशि रु. 634075.00 के सापेक्ष मात्र कैशबुक ही प्रस्तुत किया गया। व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन / निविदा संबंधी प्रपत्र, डिलीवरी चालान, हैण्डपम्प की संख्या एवं संबंधित स्थलों की सूची, क्रिस्टलीय फोटो, डेडस्टॉक रजि., कार्यपुर्ति प्रमाण-पत्र, कर / शुल्क कटौती एवं जमा रजि., एम.बी., व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम / नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 634075.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास सचिव/अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 (ग्राम पंचायत- रछौडा) (कल अधिभारित धनराशि रु- 1089024.00)

- सहायक विकास अधिकारी पंचायत का कार्य प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रहा।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रुपए हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 162170.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। साथ ही साथ तत्कालीन सचिव ग्राम पं. श्री अरुण कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अजीज से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

प्रस्तर संख्या-63 (ग्राम पंचायत- सहियापुर)

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खड़जा निर्माण कार्य कराया जाना कैशबुक पर अंकित है जिस पर कुल धनराशि रु. 283221.00 का भुगतान किया गया है। उक्त व्यय में भुगतान किए गए श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अग्रस्तुत रहा। कार्यदेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत/ अप्राप्त रही। अतः उक्त व्यय धनराशि रु 283221.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्रा.पं अधिकारी श्री प्रभाकर मौर्य व ग्राम प्रधान श्री गोबरे से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड- रेहरा बाजार (ऑडिट अवधि- 2019-20)

प्रस्तर संख्या-64 (ग्राम पंचायत- भेलवा मदनपुर)

हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु.102400.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है।

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियाँ हैं-

- लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाण अग्रस्तुत/ अप्राप्त रहा जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।
- प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किए गए श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अग्रस्तुत रहा।
- कार्यदेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत/ अप्राप्त रही।
- डेड स्टॉक पंजी में ना तो बदले गए कंडम पार्ट का अंकन किया गया है और ना ही कंडम पार्ट/ कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई है और ना ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में किया गया है।
- ग्राम पंचायत/ कार्यालय सहायक विकास अधिकारी पंचायत से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सके कि कितने हैंडपंप स्थापित हैं और उसमें से कितने खराब हैं।
- दौरान लेखा परीक्षा हैंडपंप खराब होने के उपरांत मरम्मत कराए जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराए जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
- सहायक विकास अधिकारी पंचायत का कार्य प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रहा।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रुपए हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 102400.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। साथ ही साथ तत्कालीन सचिव ग्राम पं. श्री युसुफ खाँ एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमरुन्निसा से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

प्रस्तर संख्या-65 (ग्राम पंचायत- हसनापुर)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि इकरामुद्दीन के घर से रसीद के घर तक नाली निर्माण कार्य कराया जाना कैशबुक पर अंकित है, जिस पर कुल धनराशि रु.99680.00 का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन / निविदा संबंधी प्रपत्र, डिलीवरी चालान, त्रिस्तरीय फोटो, डेडस्टॉक रजि., कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कर / शुल्क कटौती एवं जमा रजि., एम.बी., व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम / नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु.99680.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री मो०यासीन एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास सचिव/अधिकारी श्री अश्वनी वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66 (ग्राम पंचायत- नेवादा)

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्रा.पं. नेवादा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि इण्टरलाकिंग रोड से कफेल के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य कराया जाना कैशबुक पर अंकित है, जिस पर कुल धनराशि रु.214584.00 का भुगतान किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक यथा-निर्माण कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन / निविदा संबंधी प्रपत्र, डिलीवरी चालान, एम.बी. इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण से उक्त व्यय धनराशि रु. 214584.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है, जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती तहरीमुन्निसा एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास सचिव/अधिकारी श्री सहाबुद्दीन खाँ से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-67 (ग्राम पंचायत- गोल्हरीपुर)

हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु.245000.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है।

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियाँ हैं-

- (क) लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाण अग्रस्तुत/ अप्राप्त रहा जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।
- (ख) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किए गए श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अग्रस्तुत रहा।
- (ग) कार्यदेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत/ अप्राप्त रही।
- (घ) डेड स्टॉक पंजी में ना तो बदले गए कंडम पार्ट का अंकन किया गया है और ना ही कंडम पार्ट/ कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई है और ना ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में किया गया है।
- (ङ) ग्राम पंचायत/ कार्यालय सहायक विकास अधिकारी पंचायत से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सके कि कितने हैंडपंप स्थापित हैं और उसमें से कितने खराब हैं।
- (च) दौरान लेखा परीक्षा हैंडपंप खराब होने के उपरांत मरम्मत कराए जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराए जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
- (छ) सहायक विकास अधिकारी पंचायत का कार्य प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रहा।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रुपए हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 245000.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। साथ ही साथ तत्कालीन सचिव ग्राम पं. श्री अश्वनी कुमार वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जोहरा से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

प्रस्तर संख्या-68 (ग्राम पंचायत- कुशमौरा)

हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु.221648.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है।

उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियाँ हैं-

- लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाण अग्रस्तुत/ अप्राप्त रहा जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के प्रावधान अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।
- प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किए गए श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अग्रस्तुत रहा।
- कार्यदेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत/ अप्राप्त रही।
- डेड स्टॉक पंजी में ना तो बदले गए कंडम पार्ट का अंकन किया गया है और ना ही कंडम पार्ट/ कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई है और ना ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में किया गया है।
- ग्राम पंचायत/ कार्यालय सहायक विकास अधिकारी पंचायत से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सके कि कितने हैंडपंप स्थापित हैं और उसमें से कितने खराब हैं।
- दौरान लेखा परीक्षा हैंडपंप खराब होने के उपरांत मरम्मत कराए जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराए जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
- सहायक विकास अधिकारी पंचायत का कार्य प्रमाण पत्र/ स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अग्रस्तुत रहा।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रुपए हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 221648.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। साथ ही साथ तत्कालीन सचिव ग्राम पं. श्री महादेव पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

प्रस्तर संख्या-69 (ग्राम पंचायत- किशुनपुर)

ग्राम पंचायत मझगावां की वित्तीय वर्ष 2019 - 20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान केशबुक में दिनांक 9 -2- 20 को सीमेंट ईंट पर भुगतान रु0 106955 . 00 दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक , क्रीत सामग्री का डिलीवरी चालान प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त सामग्री का अंकन स्टॉक पंजिका पर भी नहीं है उक्त सामग्री किस प्रोजेक्ट या कार्य पर व्यय की गयी का भी विवरण अंकित नहीं है जिसके अभाव में उक्त व्यय दर्शित धनराशि का व्यय प्रमाणित नहीं होता है ।

उक्त नियम के आलोक एवं वांछनीय अभिलेखां की अनुपलब्धता में उक्त दर्शित व्यय रु०106955. 00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान व सचिव का है। इस व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसुली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री से रु० 53477.50 एवं सचिव श्रीमती सुनीता भारती से रु० 53477. 50 किया जाना अपेक्षित है।

- कैशबुक में दर्शित सी.सी. रोड निर्माण हेतु भुगतान के सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 332649.00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कवला एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री अजय कुमार विमल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।
- कैशबुक में दर्शित जलभराव हेतु भुगतान के सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 25000.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कवला एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री अजय कुमार विमल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

चौदहवें वित्त से सोलिंग कार्य के सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 198985.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री राम अचल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

14वें वित्त से हैण्डपम्प रिबोर / मरम्मत भुगतान के सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एम्बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 210477.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामदेव एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री गुलबारासरा राही से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

14वें वित्त से हैंडपम्प रिबोर / मरम्मत भुगतान के सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एम्बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 134452.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकरन एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री अनुप कुमार सैनी से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित 14वें वित्त से मरम्मत कार्य के सापेक्ष मस्टररोल कार्यदिश, वित्तीय स्वीकृति, एटीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टैप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 203879.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अद्या प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री राम अचल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

चौदहवें वित्त से R.C.C पुलिया निर्माण कार्य के सापेक्ष सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 190828.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बच्चाराम एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री के.पी.सिंह से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

कैशबुर्क में दर्शित 14वें वित्त से खड़जा समस्त कार्य के सापेक्ष मस्टररोल कायादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 197644.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चंदप्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री राम अचल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

चौदहवें वित्त से आर.सी.सी पुलिया निर्माण कार्य के सापेक्ष सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 167424.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनीराम एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री के.पी.सिंह से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

चौदहवें वित्त से सोलिंग कार्य के सापेक्ष मस्टररोल कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एसीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भौतिक सत्यापन आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०लेखा मैनुअल तथा उ०प्र०पंचायती राज अधिनियम / नियमावली, 1947 का उल्लंघन करते हुए राजकीय धन रु. 196411.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पष्पा एवं ग्राम पंचायत सचिव / अधिकारी श्री राम अचल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम- गोण्डा मण्डल का नाम- देवीपाटन

प्रस्तर संख्या-01

ग्राम पंचायत-भटनैया विकास खण्ड हलधरमऊ

ग्राम पंचायत भटनैया द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 954968.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत-मैजापुर विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-18

ग्राम पंचायत-मलौनी विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-19

ग्राम पंचायत-नहवा परसौरा विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-20

ग्राम पंचायत-निन्दरा विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-21

ग्राम पंचायत-पडरिया विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-27

ग्राम पंचायत-परसा गोडरी विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-28

ग्राम पंचायत-रोवारी विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-29

ग्राम पंचायत-सोनवार विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-30

ग्राम पंचायत-असरना विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत-बालपर हजारी विकास खण्ड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-76

ग्राम पंचायत-धानीगांव विकास खण्ड परसपुर

प्रस्तर संख्या-77

ग्राम पंचायत-धनौरा विकास खण्ड परसपर

प्रस्तर संख्या-78

ग्राम पंचायत-धमरैया विकास खण्ड परसपर

प्रस्तर संख्या-79

ग्राम पंचायत-डेहरास विकास खण्ड परसपर

प्रस्तर संख्या-80

ग्राम पंचायत-चरसडी विकास खण्ड परसपर

व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्रीमती चन्द्रावती एवं सचिव श्री राधेरमण प्रजापतिसे अपेक्षित है। (सा0 आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत सैदापुर विकास खण्ड बभनजोत

प्रस्तर संख्या- 121

ग्राम पंचायतसैदापुर द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 1861435.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्री शिवबरन एवं सचिव श्री अवधेश प्रताप वर्मा से अपेक्षित है। (सा0 आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत सीतारामपुर ग्रन्ट विकास खण्ड बभनजोत

प्रस्तर संख्या- 122

ग्राम पंचायतसीतारामपुर ग्रन्ट द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 2953564.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्रीमती गायत्री एवं सचिव श्री तिलकराम वर्मासे अपेक्षित है। (सा0 आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत बनगवाँ विकास खण्ड बभनजोत

प्रस्तर संख्या- 123

ग्राम पंचायतबनगवाँ द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 981515.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्री फूलचन्द एवं सचिव श्री सूर्यबक्श सिंह से अपेक्षित है। (सा0 आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत सिगारघाट विकास खण्ड बभनजोत

प्रस्तर संख्या- 124

आलोच्य वर्ष में हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 64778.00 व्यय किए गए जिसमें 6 हैंडपंप मरम्मत की मजदूरी 4800.00 रुपए भुगतान किया गया जबकि प्रति नग रुपया 600.00 ही भुगतान अनुमन्य था इस प्रकार रुपया 1200.00 का अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्री अशोक कुमार एवं सचिव श्री तिलकराम वर्मा/श्री राम मोहन वर्मासे अपेक्षित है। (सा0 आपति संख्या-5)

प्रस्तर संख्या- 125

आलोच्य वर्ष में हैंडपंप मरम्मत पर दिनांक 16-7-2019 को मधुप ट्रेडर्स से बाउचर क्रमांक 05 / 496 दिनांक 16-7-2019 द्वारा रुपया 43094.00 की सामग्री क्रय करके हैंडपंप मरम्मत कराए गए। परंतु स्टीमेट में चैन खरीद का प्रावधान ना होने के बावजूद भी 12 नग चैन 215.00 की दर से क्रय करके रुपया 2150.00 का भुगतान किया गया। इसी क्रम में 10 हैंडपंप मरम्मत पर जी.आई.पाइप कुल 120 नग की खरीद की जानी थी परंतु 151 नग जी.आई.पाइप क्रय किए गए जिसकी दर प्रति नग 218.00 थी इस प्रकार 31 नग अधिक जी.आई.पाइप क्रय कर रुपए 6758.00 अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल रुपया 2150.00 + 6758.00 = 8908.00 का

अनियमित भुगतान किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्से में ग्राम प्रधानश्री अशोक कुमार एवं सचिव श्री तिलकराम वर्मा/श्री राम मोहन वर्मा से अपेक्षित है। (सा० आपति संख्या-6)

ग्राम पंचायत घारीघाट विकास खण्ड बभनजोत

प्रस्तर संख्या- 126

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत घारीघाटके इलाहाबाद बैंक शाखा बभनजोत के खाता नंबर 50049932 515 में दिनांक 16-9-2019 को रुपया 103722.00 का आहरण बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है परंतु कोषवही में अंकित न कर धन का आपहरण कर लिया गया है न ही उक्त धन के व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कुलभुगतानरुपये 103722-00 पंचायतराजनियमावलीके अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "यदि दृष्टांतगत व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह एवं सचिव श्री तिलकराम वर्मा से बराबर - बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा० आपति संख्या-6)

प्रस्तर संख्या- 127

आलोच्य वर्ष में प्रशासनिक मद से किए गए व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत बाउचर में निम्नलिखित कमियां पाई गई, जिसके कारण किया गया व्यय अनियमित एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। विवरण निम्न प्रकार है :

क्रमांक	बाउचर संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	273	16-12-2019	वर्ष 2019 -20 की कार्य योजना का लेखन कार्य	39060.00	लालचंद आर्ट
2	274	11-12-2019	आंगनवाड़ी केंद्र में चित्रकारी का कार्य	28850.00	लालचंद आर्ट
3	----	----	टाइपिंग का कार्य एवं फोटो कॉपी	7380.00	फिरोज कंप्यूटर
4	42	----	स्टेशनरी क्रय	7479.00	आर० के० कंस्ट्रक्शन एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर
			कुल योग	82769.00	

क्रमांक 1 व 2 के बाउचर क्रमांक के व्युत्क्रम रहने के कारण एवं क्रमांक 3 पर बाउचर क्रमांक एवं दिनांक अंकित न होने के कारण एवं क्रमांक 4 पर दिनांक अंकित ना रहने के कारण प्रस्तुत बाउचर की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इसी क्रम में बाउचर क्रमांक 274 पर अंकित धनराशि रुपया 29850.00 के स्थान पर 28850.00 अंकित है। इस प्रकार उक्त बाउचर भी संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त धनराशि रुपया 82769.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह एवं सचिव श्री तिलकराम वर्मा से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा० आपति संख्या-7)

ग्राम पंचायत बभनजोत विकास खण्ड बभनजोत

प्रस्तर संख्या-128

प्राथमिक विद्यालय भवन बभनजोत में भवन मरम्मत कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सामग्री क्रय मधुपट्टेर्स से क्रमांक रहित बाउचर दिनांक 30-06-2019 द्वारा रुपया 11200+6000 की सामग्री क्रय की गई, इस प्रकार कुल धनराशि 17200.00 के बाउचर क्रमांक रहित उपलब्ध कराए गए। अतः खरीद काल्पनिक/फर्जी हैं। जो कि पंचायतराजनियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में के अनुसार एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) एवं 8 (ख) पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा० आपति संख्या-5-1)

प्रस्तर संख्या-129

उक्त कार्य पर (वर्ष 2018-19) में प्रयुक्त प्रथम मस्टर रोल जो कि दिनांक 01-12-2019 से 10-12-2019 तक रुपया 14200.00 का है पर श्रमिकों के नाम व पता अंकित नहीं हैं तथा दूसरे मस्टर रोल पर धनराशि रुपया 17040.00 अंकित पाई गई, परंतु श्रमिकों की उपस्थिति दर्शित नहीं थी, इस प्रकार उक्त कार्य पर प्रस्तुत किए गए दोनों मस्टर रोल पर व्यय की गई धनराशि रुपया 31240.00 का व्यय काल्पनिक है जो कि पंचायतराजनियमावली

1947	केनियमसंख्या	256(2)	केउपनियम	1	(क)
मैंकेअनुसारएवंपंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशसरकारद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतु" लेखामैनुअल" केअध्याय 8 केप्रस्तर 8(क) एवं	8	(ख)	परउल्लिखितप्रविधानोंकेअनुसारवसूलीयोग्यहै।		
उक्तकास्पष्टीकरणप्राप्तकियाजाएतथासंतोषजनकनहींपाएजानेपरउपरोक्तधनराशिकीवसूलीब्याज सहितग्रामप्रधानएवंसचिवसेबराबरबराबरकीजानीअपेक्षितहै।		(सा०आपत्ति-संख्या-5-2)			

प्रस्तर संख्या- 130

आलोच्य वर्ष मेंहैण्ड वाशिंग प्लेटफार्म एवं समरसेबल पंप निर्माण कार्य पर कुल रुपया 149925.00 का व्ययकिया जाना कोषबही में अंकित है उक्त की पुष्टि में निविदा, स्टीमेट, एम०बी०, खरीद वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण उक्त अवधि में आहरित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्तकार्योंपरबाउचरविहीनकियागयाकुलभुगतानरुपये149925.00पंचायतराजनियमावलीकेअध्याय 13 केनियमसंख्या 256 (2) केउपनियम 1 (क) मेंविनिर्दिष्टविशिष्टियोंकेअनुसारपंचायतराजविभागउत्तरप्रदेशसरकारद्वाराजारी " ग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतु "लेखामैनुअल" केअध्याय 8 केप्रस्तर 8 (क)परउल्लिखितप्रविधानोंकेअनुसारवसूलीयोग्यहै, जिसमेयहस्पष्टरूपसेउल्लिखितहैकि "यदिदर्शायेगएव्ययकेसापेक्षकोईबिलबाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहैतोव्ययदर्शायीगयीधनराशियोंकोगबनमानतेहुएइसकीवसूलीब्याज सहितसम्बंधितग्रामप्रधानश्री राम गोपाल एवंसचिवश्री राम मोहन वर्मा सेबराबरबराबरकीजानी अपेक्षित है।(सा०आ०सं०- 6)

ग्राम पंचायत-सिरसा विकास खण्ड नवाबगंज प्रस्तर संख्या-131

ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 2139799.00व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्रीमती सुशीला एवं सचिव श्री घनश्याम निषाद से अपेक्षित है। (सा० आपत्ति संख्या-1)ग्राम पंचायत-तुरकौलीविकास खण्ड नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-132

ग्राम पंचायततुरकौली द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 1725757.61व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्रीमती सुनीता एवं सचिव श्री कुमारी सुनीता मौर्या से अपेक्षित है। (सा० आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत-पहली विकास खण्ड नवाबगंज

प्रस्तर संख्या- 133

ग्राम पंचायतपहली द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 1987573.00व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्रीमती सुनैना एवं सचिव श्री कुमारी सुनीता मौर्या से अपेक्षित है। (सा० आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत-दुल्लापुरविकास खण्ड नवाबगंज

प्रस्तर संख्या- 134

ग्राम पंचायत दुल्लापुर द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा

ग्राम पंचायतजेठपुरवाद्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 1742709.00व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

(सा० आपति संख्या- 1)

ग्राम पंचायत-बलहीजोत विकास खण्ड रूपईडीह

प्रस्तर संख्या- 145

ग्राम पंचायत बलहीजोत द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 2035915.00व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्री सालिकराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा० आपति संख्या- 1)

ग्राम पंचायत-गौनरिया विकास खण्ड रूपईडीह

प्रस्तर संख्या- 146

ग्राम पंचायतगौनरियाद्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 1404221.00व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्रीमती शशि कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

(सा० आपति संख्या- 1)

ग्राम पंचायत-बेलवा बाजार विकास खण्ड रूपईडीह

प्रस्तर संख्या- 147

ग्राम पंचायतबेलवा बाजारद्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 1580422.50व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा० आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत-जगतापुरविकास खण्ड इटियाथोक

प्रस्तर संख्या- 148

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतजगतापुर कोषवही प्रथम में निम्न कार्यो पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	वा०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	वेन्डर
1	खण्डजा निर्माण जगताराम के घर से पिच रोड तक।	01	24-04-2019	005927	45112.00	बी०के०ई०प्र०
2	खण्डजा निर्माण पिच रोड से हजारी के घर तक।	02	24-04-2019	005928	27850.00	बी०के०ई०प्र०

3	ईंरोड निं गंगाराम के घर से पिच रोड तक।	03	24-05-2019	005930	10000.00	ओम का०
4	ईंरोड निं पिच रोड से साधू के घर तक।	04	24-05-2019	005929	10000.00	ओम का०
5	तालाब में जल भराई।	05	27-06-2019	005931	41600.00	ओम का०
6	प्रा०वि०विश्रामरामपुर कायाकल्प।	06	04-07-2019	005932	165984.00	बी०के०ई०प्र०
योग-					300546.00	

कोषवही में दर्शित व्यय धनराशि रु० 300546.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा 30प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज मौर्य से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा० आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत-बहेरकुआँ विकास खण्ड इटियाथोक

प्रस्तर संख्या- 149

ग्राम पंचायतबहेरकुआँ द्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषवही के अनुसार रु० 705419.00 बिना व्यय प्रमाणक के व्यय कर पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा 30प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्री सालिकराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव यादव से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा० आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत-हरदैया भटपुरवा विकास खण्ड इटियाथोक

प्रस्तर संख्या- 150

वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01-04-2019 से दिनांक31-11-2019 तक खाता सं० 50053767939 इलाहाबाद बैंक शाखा इटियाथोक से आहरित धनराशि रु० 369748.00 का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1	02-04-2019	045157	10150
2	02-04-2019	045162	16975
3	02-04-2019	045159	17150
4	02-04-2019	045165	32900
5	02-04-2019	045158	10150
6	10-04-2019	045167	17500
7	10-06-2019	045170	20000
8	11-06-2019	045168	3000
9	18-06-2019	045171	10500
10	26-06-2019	045172	57500
11	29-06-2019	045175	65823
12	29-06-2019	045174	57500
13	02-08-2019	045179	50600
योग-			369748.00

उपर्युक्त आहरित धनराशि रु० 369748.00 का अंकन कोषवही में न कर ग्राम प्रधान श्रीमती रानी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 06)

ग्राम पंचायत-मध्यनगर विकास खण्ड इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-151

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतमध्यनगर की कोषवही प्रथम में निम्न कार्यों पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं०	कार्य का विवरण	वा.सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	वेन्डर
1	पू०म०वि० कार्याकल्प।	01 02	17-07-2019 17-07-2019	004832 004831	169388.00 148825.00	ओम का०
2	ई०रोड नि० पी०डब्ल्यू०डी० रोड से अलखराम के घर तक।	03	31-07-2019	004833	80051.00	ओम का०
3	हैण्डपम्प रिवोर।	04	31-07-2019	004834	22500.00	ओम का०
4	प्रा०वि० मध्यनगर कार्याकल्प।	05	29-02-2020	पीएफएमएस	166846.00	ओम का०
5	ग्रा०पं० में शौचालय निर्माण।	06	29-02-2020	पीएफएमएस	80528.00	ओम का०
6	ई०ला०रोड नि० इण्टर कालेज के सामने।	07	29-02-2020	पीएफएमएस	181776.00	ओम का०
योग-					849914.00	

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु०849914.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतों के वित एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्रीमती धनपता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विलय कुमार से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

(सा० आपति संख्या- 06)

ग्राम पंचायत-बिहरी विकास खण्ड इटियाथोक

प्रस्तर संख्या- 152

वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही में दर्शित व्यय रु० 62082.00 हैण्डपम्प रिवोर पर किया गया दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

वा०सं०-04 दिनांक 23-07-2019 चंक सं० 008755 रु० 62082.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की जांच नहीं की जा सकी। समस्त व्यय धनराशि एक ही वर्क आई०डी० पर कराया गया है। जबकि शासनादेश सं० 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार प्रत्येक रिवोर हेतु वर्क आई०डी० बनायी जानी अपेक्षित है। कराये गये कार्य पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर पंचायतों के वित एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्री मेवालाल वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र मौर्य से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा० आपति संख्या- 06)

ग्राम पंचायत-पृथ्वीपालगंज ग्रन्ट विकास खण्ड इटियाथोक

प्रस्तर संख्या- 153

ग्राम पंचायतपृथ्वीपालगंज ग्रन्टद्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु०1875789.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधानश्री राकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव अनिल कुमार वर्मा से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (सा० आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत-कोनिया बनकट विकास खण्ड इटियाथोक

प्रस्तर संख्या- 154

ग्राम पंचायतकोनिया बनकटद्वारा वित्तीय 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार बार पत्राचार के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न कराये जाने के कारण ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों/अभिलेख के अनुसार रु० 978442.00 व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के(क) से(ड.) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक किया

गया व्यय अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधानश्री मेवालाल एवं ग्राम पंचायत सचिव राजीव यादव से बराबर हिस्सों में वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

(सा० आपति संख्या-1)

ग्राम पंचायत- दसियापुर विकास खण्ड- झंझरी

प्रस्तर संख्या- 155

ग्रामपंचायतदसियापुरकीवित्तीयवर्ष

2019-20

कीलेखापरीक्षामेंपायागयाकिहैण्डपम्पमरम्मतएवंरिबोरमदमेंकुलधनराशिरु० 139328.00 काव्ययकियाजानाकैशबुकमेंअंकितकियागयाहै।विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	कार्यकानाम	कार्यआई०डी०	दिनांक	चेकसंख्या / Online	सामग्री	श्रमांस	योग
1	हैण्डपम्पमरम्मत	17643558	10-05-19 20-07-19 17-10-19	535190 535998 पीएफएमएस	29150 11750 ---	--- --- 5500	46400
2	हैण्डपम्प रिबोर	17643550	09-03-20	पीएफएमएस	47928	0	47928
3	हैण्डपम्पमरम्मत	17643549	17-06-19	535996	45000	0	45000
योग							139328

जिसमेंसामग्रीक्रयपररु० 133828.00

एवंश्रमांशपररु० 5500.00

काव्ययनिहीतहै।उक्तअंकितव्ययपरलेखापरीक्षाकोनिम्नलिखितआपतियांहैं -

(क) कार्यसेसम्बंधितकार्यपत्रावलिआलेखापरीक्षादौरानअप्रस्तुतरही।

(ख) सामग्रीक्रयकेसापेक्षकियेगएभुगतानकाबिल / वाउचरलेखापरीक्षामेंअप्राप्तरहा।वित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामेंनुअलकेअध्याय-8 की धारा 8(क) केप्रविधानानुसारयदिदर्शायेगएव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै, तोदर्शायेगईव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

(ग) दौरानलेखापरीक्षाग्रामपंचायतस्तरसेयहजानकारीनहींप्राप्तहोसकीकि कुलकितनेहैण्डपम्पकीमरम्मतकरायीगयीऔरकितनेरिबोरकरायेगये।

(घ) जैसाकिदौरानलेखापरीक्षापायागयाकिहैण्डपम्पमरम्मतएवंरिबोरमदमेंआलोच्यवर्षमेंकुलधनराशिरु० 139328.00 काव्ययहोनाकैशबुकमेंअंकितकियागयाहै, जोएकप्रभूतधनराशिहै।स्पष्टहैकीरिबोरएवंमरम्मतमेंचेन, नट-बोल्ट, राड, सिलेण्डर, पाइपआदिबदलेगएहोंगे।डेडस्टॉकपंजीमेंनतोबदलेगएकण्डमपार्टकाअंकनकियागयाहैऔरनहीकण्डमपार्ट/कबाड़बिक्रीसेप्राप्तधनराशिखातेमेंजमाकी गईहैऔरनहीप्राप्तधनराशिकासीधेअंकनकैशबुकमेंकीगयी।

(ङ.) ग्रामपंचायत/कार्यालयसहायकविकासअधिकारी (पंचायत) सेइसआशयकीसूचनानहींप्राप्तहोसकीकि कितनेहैण्डपम्पस्थापितहैऔरउसमेंसेकितनेखराबहैं। इसआशयकाकोईप्रार्थनापत्रभीदौरानलेखापरीक्षाप्राप्तनहींहुआ।

(च) दौरानलेखापरीक्षाहैण्डपम्पखराबहोनेकेउपरांतमरम्मतकरायेजानेकाप्रार्थनापत्रऔरमरम्मतकरायेजानेकेबादठीकहोनेकापुष्टिप्रमाणपत्रअप्राप्तरहा।

(छ) सहायकविकासअधिकारी (पंचायत) काकार्यप्रमाण / स्थलीयसत्यापनरिपोर्टलेखापरीक्षामेंअप्रस्तुतरहा।

(ज) इसआशयकाकोईप्रमाणपत्रदौरानलेखापरीक्षाप्रस्तुतनहींकियागयाकि कार्यकुशलश्रमिकसेहीकरायागयाहै।

अस्तुउक्तआपतियोंकेअनुक्रममेंलेखापरीक्षाइसनिष्कर्षपरपहुंचताहैकिउक्तअंकितव्ययधनराशिकाअंकनकैशबुकपरआधारहीनएवंफर्जीतरीकेसेकैशबुकपरकरतेहुएरु० 139328.00 सेग्रामपंचायतकोक्षतिपहुंचायीगयीहै। जिसकीभरपाईसम्बंधितग्रामपंचायतसचिव श्रीनौशादअहमदअंसारी एवंग्रामप्रधानश्रीमतीसावित्रीदेवी सेअद्यावधिब्याजसहितवसूलीकरकेविधिकार्यवाहीकरतेहुएक्षतिपूर्तिकीभरपाईकीजानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-01)

प्रस्तर संख्या- 156

ग्रामपंचायतदसियापुरकीवित्तीयवर्ष

2019-20

कीलेखापरीक्षामेंपायागयाकिविभिन्नकार्योंपररु० 901050.00 कियाजाना कैशबुकपरअंकितकियागयाहै।विवरण निम्न प्रकार है:

क्र०	कार्यकानाम	कार्यआई०डी०	दिनांक	चेकसंख्या / Online	सामग्री	श्रमांस	योग
1	टाइल्स लगवाई कार्य	17643564	12-11-19	पीएफएमएस	70000	---	186385

			21-12-19 21-12-19 21-12-19	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	31500 54001 ---	--- --- 30884	
2	इंटरलेसिंग	17643566	13-12-19 20-01-20 20-01-20 20-01-20 24-01-20	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	103840 33306 47597 44263 ---	--- --- --- --- 5760	234766
3	खडंजा	20286976	20-01-20 20-03-20	पीएफएमएस पीएफएमएस	206371 ---	--- 43034	249405
4	खडंजा	19740694	20-12-19 24-01-20	पीएफएमएस पीएफएमएस	115143 ---	--- 5400	120543
5	खडंजा मिट्टी	20286972	20-01-20	पीएफएमएस	109951	0	109951
योग							901050

उक्तअंकितव्ययपरलेखापरीक्षाकोनिम्नलिखितआपतियां हैं -

- (अ) दौरानलेखापरीक्षानिर्माणसमितिकीसंस्तुतिपत्रअप्राप्तर्हा।सामग्रीक्रयकेसापेक्षव्ययप्रमाणकअप्रस्तुत /अप्राप्तर्हा,
जबकिवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 की धारा 8(क)
केप्रविधानानुसारयदिदर्शायेगएव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,
तोदर्शायेगईव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।
(ब) प्रस्तुतविवरणकेसापेक्षभुगतानकियेगएश्रमांशकेसापेक्षमस्टररोलदौरानलेखापरीक्षाअप्रस्तुतर्हा।
(स) कार्यदेश, वित्तीयस्वीकृत, स्टीमेट,एम०बी०, कार्यपूति प्रमाणपत्र, तीनस्टेपकीफोटोभीलेखापरीक्षामेंअप्रस्तुत/अप्राप्तर्ही।

अस्तुउक्तकेआलोकमेंलेखापरीक्षाइसनिष्कर्षपरपहुंचताहैकिआधारहीनएवंकूटरचितढंगसेव्ययकाअंकनकैशबुकमेंकरतेहुएधनराशिकागबनकरकेग्रामपंचायतकोरु० 9,01,050.00

सेक्षति पहुंचायोग्यीहै। संबंधित ग्रामपंचायतसचिवश्रीनौशादअहमदअंसारी एवंग्रामप्रधानश्रीमतीसावित्रीदेवीसे अद्यावधिब्याजसहितवसूलीकरकेविधिककार्यवाहीकरतेहुएक्षतिपूर्तिकीभरपाईकीजानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-02)

ग्राम पंचायत- इमरती बिसेन विकास खण्ड- झंझरी

प्रस्तर संख्या- 157

ग्रामपंचायतइमरतीबिसेन, विकासखण्डझंझरी, जनपदगोण्डाकीवित्तीयवर्ष 2019-20
में बैंकस्टेटमेंटविवरणकेअनुसाररु० 2814581.56 व्ययकियागयाहै।जिसपरलेखापरीक्षाकोआपति हैं।उक्तव्ययकेसापेक्षकैशबुक,
कार्यपत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीयवप्रशासनिकस्वीकृति, वर्कआईडी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टररोल.
कार्यपूतिप्रमाणपत्र, सामग्रीकाटेण्डरपत्रावली,
अभिलेखआदिभीलेखापरीक्षामेंनहींप्रस्तुतकियेगये।जिससेउक्तकार्यपरकियेगएरु० 2814581.56 कीपुष्टिनहींकीजासकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु० 100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015
विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50
हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग1केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब)
केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2
लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराऐसे प्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0) से
 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से
 5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर
 10लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317

केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिगएप्रशानिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइस कायथोचितपालननहींकियागयाहै।जोपंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्तनियमकेआलोकमेंस्पष्टहैकिसमुचितव्ययप्रमाणकोकेअभावमेंव्ययधनराशि०

2814581.56 तत्कालीनग्रामप्रधानएवंग्रामपंचायतअधिकारीकीदुरभिसंधिसेधनराशिकाअपहरणकरतेहुएग्रामपंचायतकोक्षति/हानि पहुंचायागी थीहै।अतःलेखापरीक्षाविभागद्वाराउक्तव्ययधनराशि० 2814581.56 कोउत्तरप्रदेशपंचायतीराजनियमावली 1947 केनियम 256 व 257 केअंतर्गतअधिभारकीकार्यवाहीकीसंस्तुतिकीजातीहै।अधिभारितधनराशिकीवसूलीब्याजसहितबराबर-

बराबरहिस्सोंमेंतत्कालीनग्रामपंचायतअधिकारीश्रीमतीचंदादेवी सेरू० 1407290.78 एवंग्रामप्रधानश्रीमतीअमीनाबेगमसेरू० 1407290.78 वसूलकरतेहुएग्रामपंचायतकोकुलधनराशि० 2814581.56 सेपहुंचायागीहानिकीक्षतिपूर्तिकियाजानाअपेक्षितहै। साथहीग्रामपंचायतप्रधानवस चिवकेविरुद्धवैधानिककार्यवाहीभीकियाजानाअपेक्षितहै। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- मथुरा चौबे

विकास खण्ड- झंझरी

प्रस्तर संख्या- 158

ग्रामपंचायतमथुराचौबेकीवित्तीयवर्ष

2019-20

कीलेखापरीक्षामेंपायागयाकिहैण्डपम्पमरम्मतएवंरिबोरमदमेंकुलधनराशि० 125031.00

काव्ययकियाजानाकैशबुकमेंअंकितकियागयाहै।विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्यकानाम	कार्यआई0डी0	दिनांक	चेकसंख्या / online	सामग्री	श्रमांस	योग
1	हैण्डपम्प रिबोर	17821566	23-10-19 23-10-19 26-11-19 26-11-19 26-11-19	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	35251 28310 --- --- ---	--- 12188 5540 12188	93477
2	हैण्डपम्पमरम्मत	17821565	26-11-19 26-11-19 26-11-19 26-11-19	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	--- --- --- ---	7194 6086 5540 12734	31554
योग							125031

जिसमेंसामग्रीक्रयपररू0 63561.00

एवंश्रमांशपररू0 61470.00

काव्ययनिहीतहै।उक्तअंकितव्ययपरलेखापरीक्षाकोनिम्नलिखितआपत्तियां हैं -

(क) कार्यसेसम्बंधितकार्यपत्रावलियांलेखापरीक्षादौरानअप्रस्तुतही।

(ख) सामग्रीक्रयकेसापेक्षकियेगएभुगतानकाबिल/वाउचरलेखापरीक्षामेंअप्राप्तरहा।वित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 की धारा 8(क) केप्रविधानानुसारयदिदर्शायेगएव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै, तोदर्शायागईव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

(ग) दौरानलेखापरीक्षाग्रामपंचायतस्तरसेयहजानकारीनहींप्राप्तहोसकीकिकुलकितनेहैण्डपम्पकीमरम्मतकरायीगयीऔरकितनेरिबोरकरायेगये।

(घ) जैसाकिदौरानलेखापरीक्षापायागयाकिहैण्डपम्पमरम्मतएवंरिबोरमदमेंआलोच्यवर्षमेंकुलधनराशि० 125031.00 काव्ययहोनाकैशबुकमेंअंकितकियागयाहै, जोएकप्रभूतधनराशिहै। स्पष्टहैकीरिबोरएवंमरम्मतमेंचेन, नट-बोल्ट, राड, सिलेण्डर, पाइपआदिबदलेगएहोंगे।डेडस्टॉकपंजीमेंनतोबदलेगएकण्डमपार्टकाअंकनकियागयाहैऔरनहीकण्डमपार्ट/कबाइबिक्रीसेप्राप्तधनराशिखातेमेंजमाकी गईहैऔरनहीप्राप्तधनराशिकीसीधेअंकनकैशबुकमेंकीगयी।

(ड.) ग्रामपंचायत/कार्यालयसहायकविकासअधिकारी (पंचायत)
सेइसआशयकीसूचनानहींप्राप्तहोसकीकिकितनेहैण्डपम्पस्थापितहैऔरउसमेंसेकितनेखराबहैं। इसआशयकाकोईप्रार्थनापत्रभीदौरानलेखापरीक्षाप्राप्तनहींहुआ।

(च) दौरानलेखापरीक्षाहैण्डपम्पखराबहोनेकेउपरांतमरम्मतकरायेजानेकाप्रार्थनापत्रऔरमरम्मतकरायेजानेकेबादठीकहोनेकापुष्टिप्रमाणपत्रअप्राप्तहै।

(छ) सहायकविकासअधिकारी (पंचायत) काकार्यप्रमाण/स्थलीयसत्यापनरिपोर्टलेखापरीक्षामेंअप्रस्तुतरहा।

(ज) इसआशयकाकोईप्रमाणपत्रदौरानलेखापरीक्षाप्रस्तुतनहींकियागयाकिकार्यकुशलश्रमिकसेहीकरायागयाहै।

अस्तुउक्तआपत्तियोंकेअनुक्रममेंलेखापरीक्षाइसनिष्कर्षपरपहुंचताहैकिउक्तअंकितव्ययधनराशिकाअंकनकैशबुकपरआधारहीनएवंफर्जीतरीकेसेकैशबुकपरकरतेहुएरु0 125031.00 सेग्रामपंचायतकोक्षतिपहुंचायीगयीहै।सम्बंधिततत्कालीनग्रामपंचायतसचिव श्रीविष्णुप्रजापतिएवंग्रामप्रधान श्रीमतीसाधना सेअद्यावधिब्याजसहितवसूलीकरकेविधिकार्यवाहीकरतेहुएक्षतिपूर्तिकीभरपाईकीजानी अपेक्षित है।(सा०आ०सं०- 01)

प्रस्तर संख्या- 159

ग्राम पंचायत मथुरा चौबे की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 328490.00 किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्यकानाम	कार्यआई0डी0	दिनांक	चेकसंख्या/ Online	सामग्री	श्रमांस	योग
1	खडंजा मिट्टी	17821569	17-10-19 18-10-19 26-11-19 18-05-20	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	48048 7208 --- ---	--- --- --- 13232	68488
2	पाइप	17821553	24-03-20	पीएफएमएस	87800	0	87800
3	आर सी सी रोड निर्माण	17821561	24-03-20 28-03-20 23-08-20 23-08-20 23-08-20	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	81225 16800 --- --- ---	--- --- --- ---	98025
4	इंटरलेसिंग	17821568	21-02-20 21-02-20 24-02-20 05-03-20	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	10373 6300 50248 ---	--- --- --- 7256	74177
योग							328490

उक्तअंकितव्ययपरलेखापरीक्षाकोनिम्नलिखितआपत्तियाँ हैं -

(अ) दौरानलेखापरीक्षानिर्माणसमितिकीसंस्तुतिपत्रअप्राप्तहै।सामग्रीक्रयकेसापेक्षव्ययप्रमाणकअप्रस्तुत /अप्राप्तहै,
जबकिवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 की धारा 8(क)

केप्रविधानानुसारयदिदर्शयेगएव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,
तोदर्शायीगईव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

(ब) प्रस्तुतविवरणकेसापेक्षभुगतानकियेगएश्रमांशकेसापेक्षमस्टररोलदौरानलेखापरीक्षाअप्रस्तुतरहा।

(स) कार्यदेश, वित्तीयस्वीकृत, स्टीमेट, ,एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, तीनस्टेपकीफोटोभीलेखापरीक्षामेंअप्रस्तुत / अप्राप्तहै।

अस्तुउक्तकेआलोकमेंलेखापरीक्षाइसनिष्कर्षपरपहुंचताहैकिआधारहीनएवंकूटरचितदंगसेव्ययकाअंकनकैशबुकमेंकरतेहुएधनराशिकागबनकरकेग्रामपंचायतकोरु0 328490.00

सेक्षति पहुंचायीगयीहै। संबधित ग्रामपंचायतसचिवश्रीविष्णुप्रजापतिएवंग्रामप्रधानश्रीमतीसाधना अद्यावधिब्याजसहितवसूलीकरकेविधिकार्यवाहीकरतेहुएक्षतिपूर्तिकीभरपाईकीजानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-02)

ग्राम पंचायत- पिपरा पदुम विकास खण्ड- झंझरी

प्रस्तर संख्या- 160

की लेखापरीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में कुल धनराशि रु० 95900.00 का व्यय किया जाना कैश बुक में अंकित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	कार्यकानाम	कार्य आई० डी०	दिनांक	चेक संख्या / online	सामग्री	श्रमांस	योग
1	हैण्डपम्प रिबोर	16891183	07-05-19	पीएफएमएस	95900.00	0.00	95900.00

जिसमें सामग्री क्रय पर रु०

95900.00

एवं श्रमांश पर रु० 0.00

का व्यय निहीत है। उक्त अंकित व्यय पर लेखापरीक्षा को निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं -

(क) कार्य से सम्बंधित कार्यपत्र व लियां लेखापरीक्षा दौरान अप्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल/वाउचर लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,

तो दर्शायी गई व्यय धनराशिको गबन मानते हुए इस धनराशिकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्रामपंचायत से की जाएगी।

(ग) दौरान लेखापरीक्षा ग्रामपंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प की मरम्मत करायी गयी और कितने रिबोर कराये गये।

(घ) जैसा कि दौरान लेखापरीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 95900.00

का व्यय होना कैश बुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभूत धनराशि है। स्पष्ट है कि रिबोर एवं मरम्मत में चैन, नट-बोल्ट, राड, सिलेण्डर, पाइप आदि बंद ले गए होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बंद ले गए एक पडमार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डमार्ट/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई है और न ही प्राप्त धनराशिकी सीधे अंकन कैश बुक में की गयी।

(ड.) ग्रामपंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी

(पंचायत)

से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित हैं और उसमें से कितने खराब हैं। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखापरीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(च)

दौरान लेखापरीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराय जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराय जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(छ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखापरीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशिकी अंकन कैश बुक पर आधारित एवं फर्जी तारीखों से कैश बुक पर कर रहे हुए रु० 95900.00 से ग्रामपंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। सम्बंधित तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव श्री विष्णु प्रजापति एवं ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा शरण से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जानी अपेक्षित है। (सा० आ० सं-01)

प्रस्तर संख्या- 161

ग्रामपंचायत पिपरापदुमकी वित्तीय वर्ष 2019-20

की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 384598.00 किया जाना कैश बुक पर अंकित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	कार्यकानाम	कार्य आई० डी०	दिनांक	चेक संख्या / online	सामग्री	श्रमांस	योग
1	कम्पोजिट विद्यालय में शौचालय निर्माण एवं मरम्मत कार्य	16891149	15-03-20 15-03-20 14-07-20	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	11138 20780	0	36118 31918
2	पूर्वमा० वि० के कक्षों में टाइल्स लगवाई	16891150	15-03-20	पीएफएमएस	106060	0	106060
3	पिच रोड से अली के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	16891164	24-03-20	पीएफएमएस	51920	0	51920
4	पिपरडीहा से पराग के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	16891167	24-03-20	पीएफएमएस	77880	0	77880
5	पिच रोड से सत्यदेव के घर तक इंटरलाकिंग	16891159	----	पीएफएमएस	51899	0	0
6	कौड़िया सम्पर्क मार्ग से सरजू सिंह के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	16891160	24-03-20	पीएफएमएस	64900	0	64900
7	पिपरडीहा से शिव कुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	16891165	24-03-20	पीएफएमएस	51920	0	51920

योग	384598

उक्तअंकितव्ययपरलेखापरीक्षाकोनिम्नलिखितआपतियाहैं -

(अ) दौरानलेखापरीक्षानिर्माणसमितिकीसंस्तुतिपत्रअप्राप्तरहा।सामग्रीक्रयकेसापेक्षव्ययप्रमाणकअप्रस्तुत /अप्राप्तरहा,
जबकिवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 की धारा 8(क)

केप्रविधानानुसारयदिदर्शयेगएव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,

तोदर्शयीगईव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

(ब) प्रस्तुतविवरणकेसापेक्षभुगतानकियेगएश्रमांशकेसापेक्षमस्टररोलदौरानलेखापरीक्षाअप्रस्तुतरहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीयस्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, तीनस्टेपकीफोटोभीलेखापरीक्षामेंअप्रस्तुत/अप्राप्तरही।

अस्तुउक्तकेआलोकमेंलेखापरीक्षाइसनिष्कर्षपरपहुंचताहैकिआधारहीनएवंकूटरचितढंगसेव्ययकाअंकनकैशबुकमेंकरतेहुएधनराशिकागबनकरकेग्रामपंचायतकोरु0 384598.00 सेक्षति पहुंचायागयीहै। संबंधित ग्रामपंचायतसचिव श्रीविष्णुप्रजापतिएवंग्रामप्रधान श्रीजगदम्बाशरण सेअद्यावधिव्याजसहितवसूलीकरकेविधिकार्यवाहीकरतेहुएक्षतिपूर्तिकीभरपाईकीजानी अपेक्षित है।(सा०आ०सं-02)

ग्राम पंचायत- सीहागांव

विकास खण्ड- झंझरी

प्रस्तर संख्या- 162

ग्रामपंचायतसीहागांवकीवित्तीयवर्ष 2019-20 कीलेखापरीक्षामेंपायागयाकिहैण्डपम्परिबोरमदमेंकुलधनराशिरु0 84288.00 काव्ययकियाजानाकैशबुकमेंअंकितकियागयाहै।जिसमेंसामग्रीक्रयपररु0 81600.00 एवंश्रमांशपररु0 2688.00 काव्ययनिहीतहै।उक्तअंकितव्ययपरलेखापरीक्षाकोनिम्नलिखितआपतियाहैं -

(क) कार्यसेसम्बंधितकार्यपत्रावलियांलेखापरीक्षादौरानअप्रस्तुतरही।

(ख) सामग्रीक्रयकेसापेक्षकियेगएभुगतानकाबिल / वाउचरलेखापरीक्षामेंअप्राप्तरहा।वित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 की धारा 8(क) केप्रविधानानुसारयदिदर्शयेगएव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,

तोदर्शयीगईव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

(ग) दौरानलेखापरीक्षाग्रामपंचायतस्तरसेयहजानकारीनहींप्राप्तहोसकीकिकुलकितनेहैण्डपम्परिबोरकरायेगये।

(घ) जैसाकिदौरानलेखापरीक्षापायागयाकिहैण्डपम्परिबोरमदमेंआलोच्यवर्षमेंकुलधनराशिरु0 84288.00 काव्ययहोनाकैशबुकमेंअंकितकियागयाहै, जोएकप्रभूतधनराशिहै।स्पष्टहैकिरिबोरमेंचेन, नट-बोल्ट, राड, सिलेण्डर, पाइपआदिबदलेगएहोंगे।डेडस्टॉकपंजीमेंनतोबदलेगएकण्डमपार्टकाअंकनकियागयाहैऔरनहीकण्डमपार्ट/कबाइबिक्रीसेप्राप्तधनराशिखातेमेंजमाकी गईहैऔरनहीप्राप्तधनराशिकासीधेअंकनकैशबुकमेंकीगयी।

(ङ.) ग्रामपंचायत/कार्यालयसहायकविकासअधिकारी (पंचायत) सेइसआशयकीसूचनानहींप्राप्तहोसकीकि कितनेहैण्डपम्पस्थापितहैऔरउसमेंसेकितनेखराबहैं। इसआशयकाकोईप्रार्थनापत्रभीदौरानलेखापरीक्षाप्राप्तनहींहुआ।

(च) सहायकविकासअधिकारी (पंचायत) काकार्यप्रमाण/स्थलीयसत्यापनरिपोर्टलेखापरीक्षामेंअप्रस्तुतरहा।

(छ) इसआशयकाकोईप्रमाणपत्रदौरानलेखापरीक्षाप्रस्तुतनहींकियागयाकिकार्यकुशलश्रमिकसेहीकरायागयाहै।

अस्तुउक्तआपतियोंकेअनुक्रममेंलेखापरीक्षाइसनिष्कर्षपरपहुंचताहैकिउक्तअंकितव्ययधनराशिकाअंकनकैशबुकपरआधारहीनएवंफर्जीतरीकेसेकैशबुकपरकरतेहुएरु0 84288.00 सेग्रामपंचायतकोक्षतिपहुंचायागयीहै।सम्बंधिततत्कालीनग्रामपंचायतसचिव श्रीविष्णुप्रजापतिएवंग्रामप्रधान श्रीधनीरामवर्मासेअद्यावधिव्याजसहितवसूलीकरकेविधिकार्यवाहीकरतेहुएक्षतिपूर्तिकीभरपाईकीजानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं-01)

प्रस्तर संख्या- 163

ग्रामपंचायतसीहागांवकीवित्तीयवर्ष 2019-20 कीलेखापरीक्षामेंपायागयाकिविभिन्नकार्योंपररु0 397661.00 कियाजाना कैशबुकपरअंकितकियागयाहै।

क्र0	कार्यकानाम	कार्यआई0डी0	दिनांक	चेकसंख्या / Online	सामग्री	श्रमांस	योग
1	पीरमो0 केखेतसेमुन्नरअलीकेखेततक इंटरलाकिंगकार्य	20338611	19-01-20 19-01-20 19-01-20 19-01-20	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	34268 12915 22995 113652	— — — 5040	188870

			16-03-20				
2	काशीरामकेघरसेजैरामकेघरतकइंटरलाकिंगकार्य	17533738	16-03-20 16-03-20 16-03-20 27-03-20 27-03-20 27-03-20 27-03-20 27-03-20	पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस पीएफएमएस	20475 19765 140274 12911 11046 — — —	— — — — — — — 4320	208791
योग							397661

उक्तअंकितव्ययपरलेखापरीक्षाकोनिम्नलिखितआपत्तियाँहैं -

(अ) दौरानलेखापरीक्षानिर्माणसमितिकीसंस्तुतिपत्रअप्राप्तरहा।सामग्रीक्रयकेसापेक्षव्ययप्रमाणकअप्रस्तुत /अप्राप्तरहा,
जबकिवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 की धारा 8(क)

केप्रविधानानुसारयदिदर्शायेगएव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,
तोदर्शायीगईव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

(ब) प्रस्तुतविवरणकेसापेक्षभुगतानकियेगएश्रमांशकेसापेक्षमस्टररोलदौरानलेखापरीक्षाअप्रस्तुतरहा।

(स) कार्यदेश, वित्तीयस्वीकृत, स्टीमेट,एम0बी0, कार्यपूति प्रमाणपत्र, तीनस्टेपकीफोटोभीलेखापरीक्षामेंअप्रस्तुत/अप्राप्तरही।

अस्तुउक्तकेआलोकमेंलेखापरीक्षाइसनिष्कर्षपरपहुंचताहैकिआधारहीनएवंकूटरचितदंगसेव्ययकाअंकनकैशबुकमेंकरतेहुएधनराशिकागबनकरकेग्रामपंचायतकोरु० 397661.00 सेक्षति पहुंचायीगयीहै।संबंधित ग्रामपंचायतसचिव श्रीविष्णुप्रजापतिएवंग्रामप्रधान श्रीधनरामवर्माअद्यावधिव्याजसहितवसूलीकरकेविधिकार्यवाहीकरतेहुएक्षतिपूर्तिकीभरपाईकीजानी अपेक्षित है।(सा०आ०सं०-02)

ग्राम पंचायत- कटुवा नाला विकास खण्ड- कटरा बाजार

प्रस्तर संख्या- 164

ग्राम पंचायत कटुवा नाला की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1125217 के व्यय का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक निम्नानुसार किया गया है। ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1125217 के व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान की तिथि	भुगतान में सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	28281058	मर्मत कार्य	30-07-2019	202312	202312
2	28281114	मर्मत कार्य	02-07-2019	196515	196515
3	26367102	इन्टर लॉकिंग कार्य	17-12-2019	122694	122694
4	28281271	चाइल्ड फ्रेंडली टॉइलेट निर्माण	08/01/2020 08/01/2020 24/02/2020	99566 70140 99856	269562
5	28282529	विद्यालय सौंदर्यीकरणकार्य	09-07-2019	189116	189116
6	33005292	प्रशासनिकमद	11/03/2020 11/03/2020	13216 20768	33984
7	33005122	हैन्ड वॉश प्लेटफॉर्मनिर्माण	13-12-2019	55517	55517
8	33005106	हैन्ड वॉश प्लेटफॉर्मनिर्माण	13-12-2019	55517	55517
			कुल व्यय		1125217

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक

के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1125217 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री पवन कुमार गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती जहूरा से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत- भगहरिया पूरे मितई

विकास खण्ड- कटरा बाजार

प्रस्तर संख्या- 165

ग्राम पंचायत भगहरिया पूरे मितई की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुलधनराशि रुपये 1645855 के व्यय का भुगतान दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक निम्नानुसार किया गया है। ई-ग्रामस्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1645855 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान की तिथि	भुगतान में सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	28287660	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	23/01/2020 23/01/2020	101483 31366	132849
2	28287423	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	23/01/2020 23/01/2020	101483 31366	132849
3	28290187	प्रशासनिक मद	04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019 09/04/2019 12/04/2019 11/04/2019	14000 16000 1708 6000 9800 9200 12000	68708
4	28287196	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	23/01/2020 23/01/2020	101483 31366	132849
5	28290161	प्रधान मानदेय	06-04-2019	42000	42000
6	31284439	विद्यालय सौंदर्यीकरण	23/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	400112 58940 25540	484592
7	32755418	हैन्ड वॉश प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य	23/01/2020 23/01/2020	55723 9543	65266
8	32755382	इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	07/12/2019 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020	30785 138524 6815 47602 19224	242950
9	9099836	प्यारे के घर से कृष्ण कुमार के घर तक इन्टरलॉकिंग रोड निर्माणकार्य	06-04-2019 06/04/2019 23/01/2020	40020 40020 25648	105688
10	9099837	ननकेके घर से राधेश्याम की आबादी तक इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	06-04-2019 06/04/2019	38318 40020	78338
11	9099840	हैन्डपम्परेबोर	03-04-2019	150000	150000

12	9226878	प्राथमिक विद्यालय भगहरीयापूरे मितई बाउन्डीवाल निर्माण कार्य	06-04-2019	9766	9766
				कुल योग	1645855

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1645855 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि ग्राम पंचायत सचिव श्री विध्यावासिनी भारती एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी सेकिया जाना अपेक्षित है।(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत- कंजेमऊ

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या- 166

ग्राम पंचायत कंजेमऊ की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1489594 के व्यय का भुगतान दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1489594 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान की तिथि	भुगतान में सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	28960291	कडुआ संपर्क मार्ग से गणेश के घर तक खरंजानिर्माण कार्य	21-11-19	35490	35490
2	31022683	जूनियरहाईस्कूल कंजे मऊ में टाइल्स स्थापना कार्य	04-07-19	183270	183270
3	28960249	कचना पुर संपर्क मार्ग से धर्मेन्द्र शुक्ल के घर तक सी सी रोडनिर्माण कार्य	21-11-19	112702	112702
4	28960467	ग्रामपंचायत के मजरा में सोक पीट निर्माणकार्य	15-03-20	145616	145616
5	28960306	सी सी रोड से अजय केघर तक खरंजा निर्माण कार्य	21-11-19	30282	30282
6	28960263	बयापूर्वा संपर्क मार्ग से सुनील के घर तकखरंजा निर्माण कार्य	21-11-19	131985	131985
7	28960397	किशन शुक्ला के घर से राम सहाय के घर तक खरंजानिर्माण कार्य	25-02-20	100380	100380
8	28960428	ग्रामपंचायत के मजरा में हैंड पम्प रेबोरकार्य	24/10/19 21/11/19	30227 119216	149443
9	8954384	प्रशासनिकमद	04-07-19 17/05/19	5000 590	5590
10	8954372	बुधली केघर से तालाबतक नाली निर्माण	04-07-19 11-07-19	22144 15820	37964
11	8954373	मस्जिद सेहामिद के घर तक नाली निर्माण	04-07-19	21616	21616
12	8954373	रामनरेश केघर से तालाब तक नाली निर्माण	05-07-19	9485	9485
13	1914331	प्रशासनिकमद	08-04-19	5000	5000
14	8954372	परशुराम केघर से तालाब तक नाली निर्माण	11-07-19	28315	28315
15	8954372	मस्जिद सेहामिद के घर तक नाली निर्माण	11-07-19	21490	21490
16	8954368	शिव सहायके घर से तालाब तक नाली निर्माण	03-05-19 13/05/19	23559 16320	39879
17	8954371	झगरु के घरसे तालाब तक नाली निर्माण	03-05-19 03-05-19	8784 10260	19044

18	8954370	शमसुद्दीनके घर से चंदे के घर तक नाली निर्माण	04-07-19	48832	48832
19	8954374	भवानी केघर से राम सहायके खेततक नाली निर्माण	04-07-19	26827	26827
20	8954363	परशुराम केघर से तालाब तक नाली निर्माण	04-07-19	18165	18165
21	8954364	राकेश केघर से तालाब तक नाली निर्माण	04-07-2019 11-07-2019	11739 19040	30779
22	8954375	इंडियनमार्क 2 हैन्डपम्प रेबोर	04-07-19 8-4-19	105470 76325	181795
23	8954363	भवानी केघर से राम सहायके घरतक नाली निर्माण	11-07-19	30240	30240
24	8954371	शमसुद्दीनके घर से चंदे के घर तक नाली निर्माण	11-07-19	38640	38640
25	8954376	इंडियनमार्क 2 हैन्डपम्प मरमत	13-05-19	11250	11250
26	8954382	सोक पीटनिर्माणकार्य	13-05-19	25515	25515
			कुल योग		1489594

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1489594 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री योगेश कुमार दिवेदी एवं प्रधान श्रीमती संगीता से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत- कचनापुर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या- 167

ग्राम पंचायत कचनापुर की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुलधनराशि रुपये 2355216 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 2355216 के व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान की तिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	32106262	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसुहामें मरमत कार्य	15-05-2019	44160	44160
2	32106272	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसुहा में चाइल्ड फ्रेंडलीटॉइलेट निर्माणकार्य	18-07-2019	132795	132795
3	18528114	सी सी रोड से प्राथमिक विद्यालय बसुहा तक खरंजामरमत कार्य	15-05-2019	31850	31850
4	32106292	प्राथमिक विद्यालय कचना पुर में चाइल्डफ्रेंडली टॉइलेट निर्माण कार्य	10/04/2019 14/05/2019	56316 36205	92521
5	28968657	इंडिया मार्क 2 हैन्डपम्प रेबोर कार्य	04-07-2019	93175	93175
6	28967849	उच्चप्राथमिक विद्यालय बसुहामें मोडेलटॉइलेट निर्माणकार्य	08-04-2019	51626	51626

8	28967424	सज्जनके घर से कमरजहां के घर तकतक सी सी रोड निर्माण कार्य	18-07-2019	144351	144351
9	28968690	सफाई कमी किट	09-04-2019	5000	5000
10	28969112	कुन्नाके घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	18-07-2019	51782	51782
11	28967481	सज्जनके घर से कमर जहां के घर तकतक नाली निर्माण कार्य	08-07-2019	65830	65830
12	28969050	लालता के घर से बिन्द्र के घ खडन्जानिर्माण कार्य	18-07-2019	29064	29064
13	33405863	उच्च प्राथमिकविद्यालयबसुहामें बाउन्ड्रीवाल मरमत वउच्चीकरण कार्य	19-12-2019	118000	118000
14	33405887	हैन्डपम्प रेबोरकार्य	19-12-2019	36000	36000
15	33405880	उच्च प्राथमिकविद्यालय बसुहामें चार कमरों व ऑफिस का मरमत व टाइल्सस्थापना कार्य	19/12/2019 19/12/2019	124118 72000	196118
16	38503172	ग्राम पंचायत में सोकपितनिर्माण	26-02-2020	128452	128452
17	15879501	प्रधान मानदेय	05-07-2019 14/5/2019 16/04/2019	14000 7000 17500	38500
18	15879475	ग्राम पंचायत के विभिन्न मजरों मे हैन्ड पम्प मरमत कार्य	08-04-2019	57243	57243
19	15879477	विकास कार्य	08-04-2019	177	177
20	6179721	अजमत अली के घर से वसुहा संपर्क मार्गतक नाली निर्माण कार्य	10-04-2019 15/05/2019	10219 8065	18284
21	6179718	वसुहा संपर्क मार्ग से रोज अली के घर तक सी सी रोड निर्माणकार्य	10-04-2019 15/05/2019	13535 8550	22085
22	15879491	विभिन्न मजरों मे हैन्ड पम्प मरमत कार्य	15-05-2019	11250	11250
23	6179720	सामग्री क्रय	15-05-2019	52520	52520
24	15849777	सामग्री क्रय	15-05-2019	70480	70480
25	15879477	विज्ञापन निकलवाने हेतु भुगतान	17-05-2019	1890	1890
26	15879486	गुलाबी पुरवामें नालीनिर्माण कार्य	18-07-2019	50585	50585
27	15879484	मुसीबत के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	19-07-2019	46473	46473
28	15879499	प्राथमिक विद्यालय कचनापुर बसुहा का मरमत कार्य	04-07-2019 18/07/2019	170836 93946	264782
29	9442841	सी सी रोड से प्राथमिक विद्यालय बसुहा तक खरंजामरमत कार्य	08-04-2019 14/05/2019	14511 64490	79001

30	13369884	प्राथमिक विद्यालय कचनापुरका मरम्मत कार्य	08-04-2019	52132	52132
31	9442857	जुगराज के घर से काली रोड तक खरंजा निर्माण कार्य	08-04-2019 15/05/2019	16837 7000	23837
32	9442837	ताज मोहम्मद के घर से नानकु के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य	10-04-2019	18931	18931
33	6179719	वसुहा संपर्क मार्ग से अजमत अली के घर तक सी सी रोड निर्माणकार्य	10-04-2019 15/05/2019	13680 9600	23280
34	9442855	कुवरे के घर से सी सी रोड तक नाली निर्माण कार्य	10-04-2019 15/05/2019	25547 17100	42647
35	6179724	बेबी फ्रेंडली टॉइलेट निर्माण कार्य	10-04-2019	16189	16189
36	9442854	रहमत के घर से मोबीन के घर तक नाली निर्माण कार्य	10-04-2019	19210	19210
37	9442838	रहमत के घर से अलीमके घरतक सी सी रोडनिर्माण कार्य	11-04-2019	43087	43087
38	6179725	कचनापुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर बेबी फ्रेंडली टॉइलेट निर्माण	14-05-2019	6025	6025
39	15879476	विभिन्न मजरो में हैंड पम्प रेबोरकार्य	14-05-2019	3500	3500
40	9442847	काली रोड से देवीक्षरण के घर तक खरंजा मरम्मतकार्य	15-04-2019 15-05-2019	30723 12250	42973
	15879500	राम कृपाल के घर से फेराई के घर तक इंटरलोकइंग कार्य	18-07-2019	129411	129411
			कुल व्यय		2355216

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उप० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 2355216 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र एवं प्रधान श्री भगोले से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत- गुमदहा

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या- 168

ग्राम पंचायत गुमदहा की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 844851 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 844851 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान की तिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	28281058	मरम्मत कार्य	30-07-2019	202312	202312
2	28281114	मरम्मत कार्य	02-07-2019	196515	196515
3	26367102	इन्टर लॉकिंग कार्य	17-12-2019	122694	122694

4	28281271	चाइल्ड फ्रेंडली टॉइलेट निर्माण	08/01/2020 08/01/2020 24/02/2020	99566 70140 99856	269562
5	28282529	विद्यालय सौंदर्यीकरणकार्य	09-07-2019	189116	189116
6	33005292	प्रशासनिकमद	11/03/2020 11/03/2020	13216 20768	33984
7	33005122	हैन्ड वॉश प्लेटफॉर्मनिर्माण	13-12-2019	55517	55517
8	33005106	हैन्ड वॉश प्लेटफॉर्मनिर्माण	13-12-2019	55517	55517
			कुल व्यय		844851

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 844851 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री जमुना प्रसाद गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री राम कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-रेक्सडियाविकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या- 169

ग्राम पंचायत रेक्सडिया की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1510145 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1510145 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान की तिथि	भुगतान में सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	27610602	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य	03/06/2019 26/02/2020	15300 45000	60300
2	27620253	सी सी रोड निर्माण आशुतोष के घर से उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तक	03/07/2019 04/07/2019 15/02/2020	87820 74315 38000	200135
3	31028921	उच्च प्राथमिक विद्यालय जोलहन पुरवा में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य	02/07/2019 03/07/2019 15/02/2020	84094 85575 38000	207669
4	31028941	उच्च प्राथमिक विद्यालय रेक्सडिया में चाइल्डफ्रेंडली टॉइलेटनिर्माण कार्य	24-06-2019	35700	35700
5	31028805	प्राथमिक विद्यालय रेक्सडिया में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य	02/07/2019 03/07/2019 15/02/2020	84094 85575 38000	207669
7	27609588	तालाबमें पानी भरायीकार्य	03-06-2019	15900	15900
1	38194175	प्राथमिक विद्यालय रेक्सडिया में मरम्मत कार्य	26-02-2020	124118	124118
2	38194114	पममू मिश्र के घर के पास सोखता निर्माणकार्य	15-02-2020	16000	16000

3	38194248	ग्राम पंचायत केमजरी में हैन्डपम्प रेबोर कार्य	26/02/2020 26/02/2020	45000 45000	90000
6	38194093	पममू मिश्र के घर से सोखता तक नाली निर्माण	15/02/2020	19000	19000
8	38194055	कुवर बहादुर के घर के पास नाली निर्माण	15/02/2020 15/02/2020	18000 38000	56000
9	38194153	प्राथमिक विद्यालय रेक्सडिया में टाइल्स स्थापना कार्य	26-02-2020	124118	124118
10	38194626	प्राथमिक विद्यालय रेक्सडिया में अतिरिक्त रूम का मरमत एवं रंगाई कार्यकार्य	26-02-2020	124118	124118
11	10600377	प्रशासनिक व्यय	03-07-2019 03-07-2019	120 18	138
12	19544084	प्रधान केखेत से बड़कड के खेत तक खरंजा निर्माण	03-07-2019	182700	182700
13	4564273	इंडियामार्क हैन्डपम्प रेबोर	04-07-2019	46580	46580
			कुल योग		1510145

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1510145 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री दिनेश चन्द्रा एवं ग्राम प्रधान श्री धुवराज से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत- हीरापुर कमियारविकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या- 170

ग्राम पंचायत हीरापुर कमियार की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनार्य/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1560983 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1560983 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	26934665	प्राथमिक विद्यालय मरमत कार्य	03-12-2019	93125	93125
2	26937713	राधेश्याम पंडित के खेत से पुलिया तक खरंजा निर्माण कार्य	28/11/2019 19/12/2019	114120 52017	166137
3	26933491	ग्राम पंचायत में हैन्डपम्प मरमत कार्य	03/12/2019 03/01/2020	199520 20984	220504
4	26934860	जूनियर हाई स्कूल नहरी पूर्व में मरमत एवं टाइल्स कार्य	28/11/2019 20/12/2019	179205 23924	203129
5	26934064	खले पुरवा से कानहू यादवके खेत तक मरमत कार्य	06/07/2019 27/06/2019	61844 130305	192149

6	26934250	ओम प्रकाश सिंह के घर सेकाली सड़क तक खरंजा मरमत कार्य	27/06/2019 06/07/2019	130305 61844	192149
7	26934765	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य	27/06/2019 06/07/2019	192218 36326	228544
8	26933935	प्रधान मानदेयप्रशासनिक मद /	30/06/2019 26/07/2019 26/07/2019 06/04/2019	35000 5000 2000 120	42120
9	32999074	नकही सड़क से राम नेता के घर तक खरंजा निर्माणकार्य	11/02/2020 08/03/2020 08/03/2020	109620 20272 56514	186406
10	13370362	काली सड़क से प्राथमिक विद्यालय तक इन्टर लॉकिंग	25-07-2019	17680	17680
11	13370363	मुन्ना के खेत से कमल के खेत तक इन्टर लॉकिंग	25-07-2019	19040	19040
कुल योग					1560983

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1560983 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री योगेश दिवेदी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शर्मवती से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-कटहर बूटहनि

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या- 171

ग्राम पंचायत कटहर बूटहनि की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1742682 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1742682 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	29231037	हैन्डपम्प मरमत कार्य	27-06-2019	78500	78500
2	29232838	राम तेज खटीकके घर सेगुरुदेव के चक तक सी सी रोड निर्माण कार्य	08/01/2020 08/01/2020	95481 6000	101481
3	29230963	ग्राम पंचायत के विभिन्नतालाबों में पानीभरायी काकार्य	28/06/2019 28/06/2019	35000 31200	66200
4	29230925	प्रधान मानदेय	07/06/2019 08/01/2020	21000 21000	42000
5	29231547	राम नरेश धोबी के घर सेनालातक नाली मरमत कार्य	08/01/2020 18/01/2020	56209 63000	119209
6	29231461	मथुरा के घर से शंकर के घरतक सी सी रोड निर्माण कार्य	08/01/2020 08/01/2020	95481 6000	101481

7	29232636	बुद्धिराम के घर से काशीराम के घर तक तक मिट्टी खरंजा निर्माण कार्य /	17/07/2019 17/07/2019	30184 3927	34111
8	29232894	राम चंदेर के घर से पंचम के घर होते हुवे नाला तक नाली निर्माणकार्य	05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 06/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	70350 55709 6000 63000 45667 6000	246726
9	29231138	प्रशासनिक कार्य	01/07/2019 26/07/2019 27/06/2019 27/07/2019 05/01/2020	29500 3000 5600 2000 8500	48600
10	29232943	ग्राम पंचायत के विभिन्नस्थानों पर हूडम पाइप स्थापना कार्य	10-07-2019	166500	166500
11	29233061	ग्राम पंचायत के विभिन्न मजरो में स्ट्रीट लाइट स्थापनाकार्य	26/07/2019 26/12/2019	52000 144000	196000
12	32658871	जूनियरहाई स्कूल कथार भूटहनीमें फ्लोर एवंटाइल कार्य	05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 26/12/2019 26/12/2019 26/12/2019 01/01/2020 16/01/2020	23734 102120 6000 12998 72782 6000 13666 11802	249102
13	32658886	टेनकाई के घर से जियावाँके घर तक मिट्टी खरंजा कार्य	19-07-2019	49476	49476
14	32658899	जियावाँ के चक से द्वारिकाके घर तक मिट्टी खरंजा कार्य	25-07-2019	48384	48384
15	20363724	जूनियर हाई स्कूल में फर्श टाइल कार्य	08-01-2020 08-01-2020 18-01-2020	11802 48086 3524	63412
16	20363725	हयूम पाइप कार्य	08-01-2020	131500	131500
				कुल	1742682

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1742682का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहितआधी-आधी धनराशि सचिव श्रीअवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्रामप्रधान श्रीमती सावरी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-कलैनियाविकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या- 172

ग्राम पंचायत कलैनिया की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के

आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1389119 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1389119 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	30645771	प्रशासनिक मद	14/06/2019 30/06/2019 03/08/2019	4500 5000 39300	48800
2	30645976	इंडिया मार्क हैन्डपम्प 2 मरमत कार्य	23/07/2019 23/07/2019	12000 61824	73824
3	30645894	सफाई कर्मी किट	03-08-2019	71040	71040
4	32396381	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर ह्जेम पाइप स्थापना कार्य	03-08-2019	150000	150000
5	30646038	ग्राम पंचायत के विभिन्न तालाबों में पानी भरायी काकार्य	14/06/2019 23/07/2019	15000 30000	45000
6	30646444	हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	24-10-2019	114000	114000
7	30647063	राम केवल के घर से अमन भट्टा तक मिट्टी खरंजा कार्य	23/07/2019 23/07/2019	170520 5600	176120
8	30645739	प्रधान मानदेय	31-03-2020	56000	56000
9	30646212	स्ट्रीट लाइट स्थापना	31-03-2020	95480	95480
10	30648624	जानकी के घर से बलराम के घर तक मिट्टी खरंजाकार्य	23/07/2019 23/07/2019	170520 5600	176120
11	32396362	प्राथमिक पाठशाला कलेनिया में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य	14/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019	34125 46830 26171 14541 4033	125700
12	30646275	आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं मरमत कार्य	22-07-2019	50400	50400
13	32532565	प्राथमिक पाठशाला गोठिया एवं कलेनिया में गेट निर्माण कार्य	31-03-2020	3780	3780
14	32578298	अक्कू तिवारी के घर सेनाली निर्माण कार्य	31-03-2020	4410	4410
15	32578546	सामुदायिक स्वस्थ केंद्रमें मिट्टी भरायी निर्माण कार्य	06-12-2019	54600	54600
16	32532562	प्राथमिक विद्यालयकलेनियामेंगेटनिर्माण कार्य	31-03-2020	6300	6300
17	32913231	सब्सिबल वाटर सप्लाई एवं टॉटी कार्य	31-03-2020	4410	4410
18	10393023	मानिगढ़ा गाँव में खरंजा मरमत	06-12-2019 07-12-2019	23660 88305	111965
19	10393012	आंगनबाड़ी मरमत कार्य	06-12-2019	16760	16760
20	21219790	सब्सिबल वाटर सप्लाई एवं टॉटी कार्य	31-03-2020	4410	4410
				कुल	1389119

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1389119 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम

प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्रामप्रधान श्रीमती कैलायावती से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-बंदरहा

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या- 173

ग्राम पंचायत बंदरहा की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार कुल धनराशि रुपये 3016971 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 3016971 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	30790111	प्रशासनिक मद	28-07-2019	56000	56000
2	30791828	स्ट्रीट लाइट स्थापना	28-07-2019	168000	168000
3	30790272	सफाईकर्म कीट	28-07-2019	68400	68400
4	30788805	ओम प्रकाश के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	18/01/2020 8/01/2020 /01/2020	142450 4720 22500	169670
5	30789879	तालाब भरायी	07/06/2019 07/06/2019	35000 35000	70000
6	30788232	गिरिजेश के घर से मुन्ना लोहार के घर तक इंटरलोकीग कार्य	09/01/2020 1/01/2020 /01/2020	110700 4720 21500	136920
7	30787778	भददु के खरंजा से बबलू के घर तक इंटरलोकीग कार्य	15/11/2019 15/11/2019 14/01/2020	126000 6000 22500	154500
8	32489380	देवीयपुर स्कूल में इंटरलोकिंग कार्य	15/06/2019 4/07/2019 /07/2019 06/12/2019	8400 20050 159900 24376	212726
9	32489395	अमवा स्कूल में इंटरलोकिंग कार्य	24/07/2019 4/07/2019 /07/2019	8400 20050 159900	188350
10	30790190	हैन्डपम्प मरमत कार्य	18/04/2019 5/06/2019	28000 79500	107500
11	30787535	गिलुवा स्कूल में फ्लोर एवं टाइल कार्य	04-12-2019	54182	54182
12	30789785	पी डब्ल्यू डीसड़क से चिरैया अवधेश सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	18/01/2020 8/01/2020 /01/2020	22500 129500 4720	156720
13	30786956	पी डब्ल्यू डीसड़क से खेदु के घर तक खरंजा निर्माणकार्य	18/01/2020 8/01/2020	126000 4720	130720
14	30787849	पी डब्ल्यू डी सड़क से रामगुलाम के घर तक इन्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	15/11/2019 5/11/2019 /01/2020	126000 6000 22500	154500
15	30787918	हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	08-07-2019	162000	162000

16	30788611	देवीयापुर में कृष्ण कुमार के घर से तालाब तक नाली निर्माणकार्य	06/12/2019 6/12/2019 /12/2019	15000 20000 135000	170000
17	30788089	पी डब्ल्यू डीसइक सेजगदंबा के घर होते हुवे कृपारामके घरतक मिट्टीखरंजा /कार्य	18/01/2020 8/01/2020	126000 4720	130720
18	30787616	किशनदासपुरस्कूलमें फ्लोर एवं टाइल कार्य	04-12-2019	43215	43215
19	30789965	ग्राम पंचायत के विभिन्नस्थानों पर ह्जेम पाइप स्थापना कार्य	01-07-2019	187500	187500
20	30791352	जूनियर हाई स्कूल में मिट्टी कार्य	06-12-2019	23528	23528
21	32522671	प्रशासनिकमद	20-11-2019	42000	42000
22	34254189	कस्तूरबा विद्यालय मरमत कार्य	24-12-2019	345000	345000
23	36353923	भददुके घर से इंटरलॉकिंग तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	11/01/2020 1/01/2020 /01/2020	64750 4720 11500	80970
24	9028169	मस्टर रोल	04-04-2019	3850	3850
				कुल	3016971

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 3016971 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्रामप्रधान श्रीमती अर्चना यादव से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-लमती उकरहवा

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-174

ग्राम पंचायत लमती उकरहवा की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 955992 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 955992 के व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	31163517	बाउंड्री वाल मरमत कार्य	08/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 08/01/2020	18731 15750 6120 13688 15583	69872
2	29131205	सी सी रोड निर्माण लमती खरंजा से सहदेव के चक तक	13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	38111 20212 12006	70329
3	29139110	प्रधान मानदेय	13-01-2020	31500	31500
4	29129232	खरंजा निर्माण आर सी सी रोड से शिव प्रसाद के चक तक	08/07/2019 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020 13/01/2020	121800 70380 6000 10738 40960	249878

5	29130905	हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	25/07/2019 08/12/2019 13/01/2020	138500 3500 45000	187000
6	29127945	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	27/06/2019 01/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	13704 58300 35476 6000 15210 24693 6287 7700	167370
7	29131777	खरंजा निर्माण बजरंग के चकसे भरत गिरी के घर तक	08/07/2019 08/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	60900 11040 15872 7745	95557
8	29139730	प्रशासनिक मद	18/06/2019 18/06/2019 05/04/2019	2000 2000 236	4236
9	29139245	ग्राम पंचायत में तालाब भरायी कार्य	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	30000 15000 35250	80250
				कुल	955992

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 955992 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-इटैला बुजुर्गविकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या- 175

ग्राम पंचायत इटैला बुजुर्ग की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 908297 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 908297 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	31547684	अतिरिक्त कमरे का निर्माण टाइल्स का कार्य/	04/07/2019 05/07/2019	113402 14770	128172
2	32387640	अर्द्धा सड़क कार्य	01/07/2019 01/07/2019	29000 24000	53000
3	27847550	इंटरलॉकिंग कार्य	23/01/2020 24/01/2020	54880 168000	222880

4	27945812	खरंज निर्माण मिट्टी कार्य/	17/07/2019 18/07/2019 17/07/2019	71800 13244 7920	92964
5	27843376	तालाब भराई	22/05/2019 22/05/2019	26500 18000	44500
6	27843516	तालाब भराई	03-06-2019	36000	36000
7	31547769	नाली निर्माण कार्य	17/07/2019 01/08/2019	52000 11000	63000
8	27962955	नाली निर्माण कार्य	17/07/2019 17/07/2019 01/07/2019	62400 13000 17968	93368
9	32387646	प्रशासनिक मद	18/07/2019 25/06/2019 05/07/2019 05/07/2019 19/07/2019 18/07/2019	4470 10850 1800 1800 1708 9900	30528
10	32997285	प्राइमरी विद्यालय इटैल बुजुर्ग में हैन्ड वॉश कार्य	06/12/2019 05/02/2020	35000 25000	60000
11	27846452	हैन्डपम्प मरम्मत कार्य	01/07/2019 04/07/2019 01/08/2019	6552 16005 10807	33364
12	27846544	हैन्डपम्परेबोर कार्य	06/12/2019 03/03/2020	32000 18521	50521
		कुल धनराशि			908297

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 908297 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी सचिव श्री विजय कुमार गौतम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना खातून से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-खुटिहन

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या- 176

ग्राम पंचायत खुटिहनकी लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1556220 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1556220 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	29872288	हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	19-06-2019	32000	32000
2	29842172	प्रधान मानदेय	30-05-2019	21000	21000
3	29842178	तालाबभरायी कार्य	03-07-2019	25960	25960
4	29842201	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य	03-07-2019	6170	6170
5	29842197	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य	03-07-2019	7162	7162

6	29842250	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य	03-07-2019	6670	6670
7	29842188	तालाबभरायी कार्य	03-07-2019	32950	32950
8	29842218	हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य	03-07-2019	6012	6012
9	29842206	हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	19-06-2019	32000	32000
10	29872426	भवन मरम्मत कार्य	20/07/2019 04/01/2020 04/01/2020	86333 44675 16408	147416
11	31548635	फ्लोरिंगटाइल्स निर्माण कार्य	04/01/2020 04/01/2020 04/01/2020	128248 31883 5748	165879
12	31548642	मरम्मत कार्य	28/12/2019 28/12/2019 28/12/2019 28/12/2019	32041 86559 21392 5312	145304
13	32576898	प्रशासनिकमद	04/01/2020 22/02/2020	50000 20000	70000
14	37477704	प्राइमरी स्कूल के कॅम्पस में इन्टर लॉकिंगकार्य का अवशेष भाग	20/01/2020 05/03/2020	125575 20000	145575
15	37477403	प्राइमरी स्कूल के कॅम्पसमें इन्टर लॉकिंग कार्य	20/01/2020 06/03/2020	131020 50000	181020
16	37475968	प्राइमरी स्कूल खुटिहन में बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य	22/02/2020 05/03/2020	138916 30000	168916
17	37607309	मलखन वर्मा के घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोरकार्य	11-03-2020	25000	25000
18	37607199	प्रेमानन्द के पीपल के नीचे हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
19	37607377	हृदयरम मौर्यके घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
20	37607170	कौशल नरेश के घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
21	37607232	पतिरामके घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
22	37607349	जानकी वर्मा के घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
23	37607329	लल्लू देह बब्बन वर्मा केघर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
24	37607285	काली स्थान परहैन्ड पम्परेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
25	37607430	ओराउनी वर्माके घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
26	37607091	प्राइमरी स्कूल खुटिहन में सब्सिडल एवं हैन्डवॉश कार्य	12-02-2020	83978	83978
27	37607397	रामदेव वर्मा के घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
28	37607362	राम सजीवनके घर के सामने हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	11-03-2020	25000	25000
29	10880210	प्रशासनिक मद	17-06-2019 23/07/2019	1708 1500	3208
				कुल व्यय	1556220

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1556220 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी सचिव श्री विजय कुमार गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री जानकी राम पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गोहन्ना**विकास खण्ड- छपिया****प्रस्तर संख्या- 177**

ग्राम पंचायत गोहन्नाकी लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनार्य/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1526490 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1526490 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	33029253	प्राथमिक विद्यालय गोहन्ना के परिसर में इंटरलाकिंग कार्य	13/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 15/05/2019	9659 20440 8777 15484	54360
2	29568917	ह्यूम पाइप 200 MM	18-01-2020	175000	175000
3	29568267	प्रशासनिक मद	15/06/2019 30/06/2019 20/07/2019 24/07/2019	2000 2000 3000 30200	37200
4	29571444	नंदू मौर्य के घर से खरंजा तक मिट्टी खरंजा/ कार्य	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020 02/08/2020	39585 9464 6000	55049
5	29569250	पंचायत भवन में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	02/07/2019 02/07/2019 15/01/2020 15/01/2020	52500 41180 57540 59531	210751
6	33029188	आंगनवाड़ी केंद्र गोहन्ना के परिसर में इंटरलाकिंग कार्य	13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 15/05/2019	6816 20440 9030 32396	68682
7	29568329	सफाई कर्मी किट	18-01-2020	41200	41200
8	33029280	पंचायत भवन टाइल्स कार्य	02/07/2019 02/07/2019 10/07/2019	68080 6000 15057	89137
9	10392737	हैन्डपम्प मरम्मत कार्य	10-05-2019 28/06/2019	10000 78500	88500
10	10392736	तालाब भरायी	29-06-2019 29-06-2019	35000 31000	66000
11	10392766	नन्द के घर से खरंजा तक खरंजा निर्माण कार्य	30-10-2019	152250	152250
12	10590134	प्राथमिक पाठशाला गोहन्ना में बाउंड्री वाल उच्चीकरण एवं निर्माण कार्य	12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	44327 11430 50708	106465

13	10590134	चाइल्ड फ्रेंडली टॉइलेट	12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019	13500 4640 54530 29988	102658
14	10392750	बेबी फ्रेंडली टॉइलेट	12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019	7536 6339 13216	27091
15	10590132	प्राथमिक पाठशाला गोहन्ना में गेट निर्माण कार्य	24-07-2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	6000 29140 35105 5712 8190	84147
16	10392739	स्ट्रीट लाइट स्थापना	24-07-2019	168000	168000
				कुल	1526490

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1526490 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्रीमती अनिता कुशवाहा एवं प्रधान श्री राजकुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-पर्सा तिवारी

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या- 178

ग्राम पंचायत पर्सा तिवारी की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 1264639 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1264639 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	29489960	तालाब में पानी भरायी कार्य	07/06/2019 07/06/2019	10880 20000	30880
2	29489568	प्रधान मानदेय	06/04/2019 08/01/2020	10500 31500	42000
3	29496089	प्रशासनिक मद	19/07/2019 01/08/2019 24/02/2020 24/02/2020	1708 1500 11700 1500	16408
4	31117115	तालाब खुदायी कार्य	31/05/2019 31/05/2019	16200 14250	30450
5	31121878	अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	17/07/2019 26/12/2019 26/12/2019	86333 54673 21794	162800

6	32640817	अतिरिक्त कक्ष का मरम्मत व टाइल्स कार्य	14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020	149522 54909 30954	235385
7	32640881	चाइल्ड फ्रेंडली टॉइलेट निर्माण एवं मरम्मत	23/03/2020 28/03/2020	54484 16044	70528
8	32640994	काली माँ के स्थान से श्री धरती तिवारी के चक तक इन्टरलॉकिंग कार्य	04/01/2020 14/02/2020 14/02/2020	99360 112258 21830	233448
9	32640798	हैन्डवॉश बेसिन एण्ड सबमर्सिबल पम्प का निर्माण कार्य	20/03/2020 20/03/2020	47000 4002	51002
10	32640854	किचन शेड निर्माण एवं मरम्मत कार्य	14/02/2020 14/02/2020	39726 6658	46384
11	32641036	श्री धरती तिवारी के चक से सीताराम के चक तक इन्टर लॉकिंगकार्य	04/01/2020 14/02/2020 14/02/2020	88440 107690 22958	219088
12	32640750	हैन्डपम्प रेबोर कार्य	20/03/2020 20/03/2020	25362 764	26126
13	38863827	ग्राम पंचायत के विभिन्न मजरो में हैन्डपम्प रेबोर कार्य	30-03-2020	81660	81660
14	11089076	प्राइमरी स्कूल का मरम्मत एण्ड सौंदर्यीकरण कार्य	17-03-2020	18480	18480
कुल					1264639

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 1264639 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि सचिव श्री शिवम कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-पिपरा खुर्द

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या- 179

ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द की लेखा परीक्षा हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर उपलब्ध सूचनार्य/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल धनराशि रुपये 893148.94 के व्यय का भुगतान दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्नानुसार किया गया है।

ई-ग्राम स्वराजके अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 893148.94 के व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य id	कार्य कानाम	भुगतान कीतिथि	भुगतानमें सन्निहित राशि	कुल व्यय
1	29725487	कायाकल्प कार्य	08/07/2019 20/11/2019 03/12/2019	18719 151357 36190	206266
2	29723962	खरंजा निर्माण कार्य	13/08/2019 18/07/2019 03/12/2019	145551 15660 26788	187999
3	29724353	मिट्टी खरंजा कार्य /	16/12/2019 16/12/2019	28623 8296	36919

4	29724291	मिट्टी खरंजा कार्य /	13/12/2019 13/12/2019	21924 6040	27964
5	29724462	मिट्टी खरंजा कार्य /	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	23671 2494 6222	32387
6	29724159	मिट्टी खरंजा कार्य /	18/07/2019 18/07/2019 06/01/2020	51765 5365 9593	66723
7	29725553	प्रशासनिक कार्य	01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 07/08/2019	40000 1708 1500 1500 59	44767
8	29724731	मिट्टी /खरंजा कार्य	13/12/2019 13/12/2019	2292 8526	10818
9	29723869	प्रधान मानदेय	06-01-2020	66500	66500
10	29726128	हैन्ड पम्प रेबोर कार्य	01-07-2019	36000	36000
11	38483610	राम कुमार के घर से हरी राम के घर तक खरंजानिर्माण कार्य	28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	38367 4186 6730	49283
12		गलतप्रविष्टि	03-04-2019	17,601.94	17,601.94
13	8316486	पुलियानिर्माण	01-07-2019	90,746	90,746
14	8316471	पुलिया निर्माण मुसलमान पुरवा नाला तक	09-05-2019	19,175	19,175
				कुल	893148.94

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 893148.94 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी सचिव श्री विजय कुमार गौतम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती समुद्रा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-उदयपुर ग्रन्ट

विकास खण्ड- वजीरगंज

प्रस्तर संख्या- 180

ग्राम पंचायत उदयपुर ग्रन्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ग्रामपंचायत के विभिन्न मजरो में इंडिया मार्क हैन्ड पम्प मरम्मत संबंधित पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

इस कार्य की कार्य संख्या 15964537 है। कोशबही/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार 28322.00 रुपये राशि रसिक कन्स्ट्रक्शन एण्ड जनरल ऑर्डर सप्लायर्स को पीएफएमएस के माध्यम से 17/03/20 को भुगतान की गई है। उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 28322 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी व्याज सहित आधी आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं सचिव श्रीमती मनीषा यादव से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-बभनी**विकास खण्ड- वजीरगंज****प्रस्तर संख्या- 181**

ग्राम पंचायत बभनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में ग्रामपंचायत में विभिन्न तालाबों में पानी भरायी से संबंधित पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

इस कार्य की कार्य संख्या 15920496 है। कोशबही/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 10500.00 रुपये राशि की निकासी चेक संख्या 046776 से दिनांक 01/07/2019 को की गई है। उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 10500.00 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित आधी आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामबरन एवं सचिव श्रीमती मनीषा यादव से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-तेलियानी उपाध्याय**विकास खण्ड- पंडरीकृपाल****प्रस्तर संख्या- 182**

ग्राम पंचायत तेलियानी उपाध्याय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्राथमिक पाठशाला विजय राजपुरवा में चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल0, एम0बी0,स्टीमेट, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। इस कार्य की कार्य संख्या 15917450 है।

कोशबही/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान का विवरण -

1-191759.00 रुपये की राशि सामग्री हेतु के. डी. त्रिपाठी जनरल ऑर्डर एण्ड सपलायर्स को दिनांक 26/09/2019 को पीएफएमएस के माध्यम से भुगतानित किया गया है।

2- 32880 रुपये की राशि मजदूरी पर निम्नांकित को भुगतानित -

क्रम	भुगतान का माध्यम	भुगतानित व्यक्ति	राशि रुपये में
1	पीएफएमएस के माध्यम से 16/11/2019 को भुगतानित	रामावती	4,550.00
2		राम तीरथ	4,550.00
3		रंजना देवी	2,730.00
4		मोहन	8,250.00
5		महादेव	8,250.00
6		राजेश कुमार	4,550.00
योग			32880.00

कार्य पर हुआ कुल व्यय रुपये = 191759.00+32880.00 =224639.00

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 224639.00 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव -श्री अजीत गुप्ता एवं ग्रामप्रधान श्रीमतीरामावती से किया जाना अपेक्षित है।(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत-टिकरियाविकास खण्ड- पंडरीकृपाल**प्रस्तर संख्या- 183**

ग्राम पंचायत टिकरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में शेर बहादुर के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। इस कार्य की कार्य संख्या 15525085 है।कोशबही/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राशि 60375.00 रुपये का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से विशु ट्रेडर्स को दिनांक 17/09/2019 को की गई है।

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड (क) तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान रुपए 10500.00 का अपहरण है। उक्त अपहृत धनराशि के लिए के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव -श्री अजीत गुप्ता एवं ग्रामप्रधान श्रीमती काफिया से किया जाना अपेक्षित है।(सामान्य आ०सं० 01)

ग्राम पंचायत नाम- अकौनीविकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 184

ग्रामपंचायतअकौनी, विकासखण्डबेलसर, जनपदगोण्डाकीवित्तीयवर्ष 2019-20 में केशबुककेअनुसारकुछकार्योपररू० 882931.00 व्ययकियागयाहै।जिसपरलेखापरीक्षाकोआपति हैं, जैसे -

क्र०	कार्यकानाम	सामग्री	श्रमांस	योग
1	प्रा०वि०अकौनीमेंशौचालयनिर्माण	137432	29428	166860
2	हैण्डपम्पमरम्मत	21300	4900	26200
3	रमेशकेखेतसेप्रा०पा०तकखड्डजानिर्माण	176750	19628	196378
4	रैकवारपुरवासेपंडितकेघरसेडॉ०केघरतक खड्डजानिर्माण	24500	0	24500
5	प्रा०वि०अकौनीमरम्मतएवंटाइल्सकार्य	91564	0	91564
6	लल्लूकेसफेदासेस्कूल तकखड्डजानिर्माण	176660	19656	196316
7	डोमगढ़हासेराजकुमारकेखेत तकखड्डजानिर्माण	161457	19656	181113
	योग	789663	93268	882931

उक्तव्ययकेसापेक्षकार्यपत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीयवर्षासन्निकस्वीकृति, वर्कआर्डर,स्टीमेट,एम० बी०, त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टररोल. कार्यपूतिप्रमाणपत्र, सामग्रीकाटेण्डरपत्रावली, अभिलेखआदिभीलेखापरीक्षामेंनहींप्रस्तुतकियेगये।जिससेउक्तकार्यपरकियेगएरू० 882931.00 कीपुष्टिनहींकीजासकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररू० 100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एंवशा०सं०ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकीसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रू०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रू०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग 3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्नस्रोतोसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु 4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50 हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग1केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब) केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2 लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्राम पंचायतकेद्वाराऐसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए०डी०ओ० (पं०), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी०पी०आर०ओ० से ,

5 लाखसेऊपरडी०एम० सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिएगएप्रशासनिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइस कायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामेंनुअलकेअध्याय-8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी "यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै, तोदर्शायेगीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्तनियमकेआलोकमेंस्पष्टहैकिसमुचितव्ययप्रमाणकोंकेअभावमेंव्ययधनराशिरू० 882931.00 तत्कालीनग्रामप्रधानएवंग्रामपंचायतअधिकारीकीदुरभिसंधिसेधनराशिकाअपहरणकरतेहुएग्रामपंचायतकोक्षति/हानि पहुंचायेगीहै।अतःलेखापरीक्षाविभागद्वाराउक्तव्ययधनराशिरू० 882931.00 कोउत्तरप्रदेशपंचायतीराजनियमावली 1947 केनियम 256 व 257 केअंतर्गतअधिभारकीकार्यवाहीकीसंस्तुतिकीजातीहै।अधिभारितधनराशिकीवसूलीअद्यावधि ब्याजसहितबराबर- बराबरहिस्सोंमेंतत्कालीनग्रामपंचायतअधिकारीश्रीप्रदीपजयशील सेरू० 441465.50 एंवग्रामप्रधानश्रीमतीअन्नी सेरू० 441465.50 वसूलकरतेहुएग्रामपंचायतकोकुलधनराशिरू० 882931.00

सेपहुंचायेगीहानिकीक्षतिपूर्तिकियाजानाअपेक्षितहै। साथहीग्रामपंचायतप्रधानवसचिवकेविरुद्धवैधानिककार्यवाहीभीकियाजानाअपेक्षितहै।(सा० आ०सं०-01)

ग्राम पंचायत नाम- बढनापुर**विकास खण्ड- बेलसर****प्रस्तर संख्या- 185**

ग्राम पंचायत बढनापुर, विकास खण्ड बेलसर, जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रु० 2573069.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिलबाउचर-, मस्टर रोल कार्यपूति . प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु0 2573069.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। litati

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग 3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु 4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50 हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग१केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब) केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2 लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराएसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से ,

5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिएगएप्रशासनिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइसकायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकि "यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै, तोदर्शायेगीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु० 2573069.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2573069.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी से रु० 1286534.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीआलोक कुमारसे रु० 1286534.50 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 2573069.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

ग्राम पंचायत नाम- बरसाडा विकास खण्ड- बेलसर**प्रस्तर संख्या- 186**

ग्रामपंचायतबरसाडा, विकासखण्डबेलसर, जनपदगोण्डाकीवित्तीयवर्ष 2019-20 में कैशबुकएवंबैंकस्टेटमेंटविवरणकेअनुसाररु० 2022481.00 व्ययकियागयाहै।जिसपरलेखापरीक्षाकोआपत्ति हैं।उक्तव्ययकेसापेक्षकार्यपत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीयवप्रशासनिकस्वीकृति, वर्कआईडी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टररोल. कार्यपूतिप्रमाणपत्र, सामग्रीकाटेण्डरपत्रावली, अभिलेखआदिभीलेखापरीक्षामेंनहींप्रस्तुतकियेगये।जिससेउक्तकार्यपरकियेगएरु० 2022481.00 कीपुष्टिनहींकीजासकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराज अनुभाग	3	केशासनादेश संख्या	1838/33-3-2015-03	/2015	दिनांक	31.07.2015
विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु	4	(क)	मैं यह स्पष्ट है कि			50
हजार की सीमा तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या	3	-2016/3038/33-1-2016	दिनांक	22.11.2016	के बिंदु	2 (ब)
के माध्यम से राजस्व वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ाकर						2

लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इससे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रह जाये।
टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
१० लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड	6	प्रस्तर	316	और	317
के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजीकार खोजने के प्रावधान है लेकिन इस कायथोचित पालन नहीं किया गया है।					

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की
"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणों के अभाव में व्यय धनराशि रु 2022481.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभिसंधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखापरीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु 2022481.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी से रु 1011240.50 एवं ग्राम प्रधान श्री मती अमरावती सिंह से रु 1011240.50 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु 2022481.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं-01)

ग्राम पंचायत नाम- भिखारीपुर कला विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 187

ग्राम पंचायत भिखारीपुर कला विकास खण्ड बेलसर जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रु 2459574.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्य योजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल बाउचर-, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु 2459574.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जब कि नियमानुसार रु 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0 सं0 ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु 10 लाख से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रु 10 लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जब कि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग	3	केशासनादेश संख्या	1838/33-3-2015-03	/2015	दिनांक	31.07.2015
विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु	4	(क)	मैं यह स्पष्ट है कि			50
हजार की सीमा तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या	3	-2016/3038/33-1-2016	दिनांक	22.11.2016	के बिंदु	2 (ब)
के माध्यम से राजस्व वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ाकर						2
लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इससे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रह जाये।						

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से ,

5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317

केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिगएप्रशानिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइस कायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी

"यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,

तोदर्शायेगयीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु0 2459574.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 2459574.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी से रु० 1229787.00 एवं ग्राम प्रधान श्री रामबदल से रु० 1229787.00 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 2459574.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

ग्राम पंचायत नाम- चांदपुरविकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या-188

ग्राम पंचायत चांदपुरविकास खण्ड बेलसरजनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रु० 1240768.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिलबाउचर-, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु० 1240768.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग 3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु 4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50 हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग1केआदेशसंख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब) केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2 लाखकरदीगयीहै।

ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्राम पंचायतकेद्वाराऐसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से ,

5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317

केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिगएप्रशानिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइस कायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी

"यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,

तोदर्शायेगयीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु0 1240768.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 1240768.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत तिवारी से रु० 620384.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अवधेश दूबे से रु० 620384.00 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 1240768.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत नाम- दिक्सर

विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 189

ग्राम पंचायत दिक्सरविकास खण्ड बेलसर, जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट विवरण के अनुसार रु० 2681766.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिलबाउचर-मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु० 2681766.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। litati

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग 3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु 4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50 हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग१केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब) केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2 लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराएसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से ,

5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317

केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिएगएप्रशासनिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइसकायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय -8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी

"यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,

तोदर्शायीगयीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहूँइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु० 2681766.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षतिहानि/ पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 2681766.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री एसाबुलहक से रु० 1340883.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अजीत तिवारीसे रु० 1340883.00 वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 2681766.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत नाम- मरगूबपुरविकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 190

ग्राम पंचायत मरगूबपुरविकास खण्ड बेलसरजनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रु० 2034840.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिलबाउचर-, मस्टर रोलकार्यपूति प्रमाण पत्र ., सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु० 2034840.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग	3	केशासनादेशसंख्या	1838/33-3-2015-03/2015	दिनांक	31.07.2015
विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु	4 (क)	मैंयहस्पष्टहैकि	50		
हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग१केआदेशसंख्या	3	-2016/3038/33-1-2016	दिनांक	22.11.2016	केबिंदु 2 (ब)
केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर					2

लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराऐसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से ,

5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड	6	प्रस्तर	316	और	317

केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिणएप्रशानिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइसकायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय-8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी

"यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,

तोदर्शायेगीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु० 2034840.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षतिहानि/ पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 2034840.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी रु० 1017420.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजन से रु० 1017420.00 ब्याज सहित वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 2034840.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत नाम- मुजेड विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 191

ग्राम पंचायत मुजेड, विकास खण्ड बेलसर, जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रु० 649000.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिलबाउचर-, मस्टर रोलकार्यपूति प्रमाण पत्र ., सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु० 649000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग	3	केशासनादेशसंख्या	1838/33-3-2015-03/2015	दिनांक	31.07.2015
विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु	4 (क)	मैंयहस्पष्टहैकि	50		

हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग१केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब) केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2 लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराऐसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से , 5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317

केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिएगएप्रशासनिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइसकायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय -8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी

"यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै, तोदर्शायेगीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रु0 649000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु0 649000.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी से रु० 324500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीभूपेन्द्र सिंह से रु० 324500.00 ब्याज सहित वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 649000.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं-01)

ग्राम पंचायत नाम- मुकुंदपुर

विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 192

ग्राम पंचायत मुकुंदपुरविकास खण्ड बेलसरजनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रु० 743533.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिलबाउचर-, मस्टर रोलकार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु० 743533.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु० 100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशमंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग 3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु 4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50 हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग१केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब) केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2 लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराऐसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से , 5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर १०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317
के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजीकार खे जाने के प्रावधान हैं लेकिन इस कायथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा द्वारा 8(क) में प्रावधान है कि
"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए इस धनराशिकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणों के अभाव में व्यय धनराशि रु० 743533.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 743533.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी से रु० 371766.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना से रु० 371766.50 ब्याज सहित वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 743533.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

ग्राम पंचायत नाम- नियावां विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 193

ग्राम पंचायत नियावां, विकास खण्ड बेलसर, जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रु० 1302853.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिबाउचर-, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रु० 1302853.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्री मद्दे के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रु०

100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा० सं० ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रु० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रु० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायत राज अनुभाग	3	केशासनादेश संख्या	1838/33-3-2015-03/2015	दिनांक	31.07.2015
विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशिके उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु	4	(क)	मैयहस्पष्ट है कि	50	
हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायत राज अनुभाग के आदेश संख्या	3	-2016/3038/33-1-2016	दिनांक	22.11.2016	के बिंदु 2 (ब)
के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ाकर					2

लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशिके अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0), 2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से ,

5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और १० लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317
के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजीकार खे जाने के प्रावधान हैं लेकिन इस कायथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा द्वारा 8(क) में प्रावधान है कि
"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए इस धनराशिकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणों के अभाव में व्यय धनराशि रु० 1302853.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 1302853.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-

बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रु० 651426.50 एवं ग्राम प्रधान श्री देशराज शुक्ल से रु० 651426.50 ब्याज सहित वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 1302853.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत नाम- पूरेडाल

विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 194

ग्रामपंचायतपूरेडाल, विकासखण्डबेलसर, जनपदगोण्डाकीवित्तीयवर्ष 2019-20 में केशबुकविवरणकेअनुसारकुछ कार्यपररु० 711877.00 व्ययकियागयाहै।जिसपरलेखापरीक्षाकोआपत्ति हैं, जैसे-

क्र०	कार्यकानाम	कार्यआईडी	सामग्री	श्रमांस	योग
1	रामजीयावनकेघरसेनंदलालकेघरतकइंटरलाकिंगकार्य	12220209	55711	4025	59736
2	डिनाईपुरवामेंकरियाकेघरसेरामपतिकेघरतकखड़जानिर्माण	8627011	48226	14000	92226
3	प्रा०वि०पूरेभिखाईमेंशौचालयनिर्माण	8627011	68282	24990	93272
4	मंगलकेघरसेखुशीरामकेघरतकखड़जानिर्माण	12220206	195545	0	195545
5	जू०हा०स्कूलकापूरेडाल मरम्मतएवंटाइल्सकार्य	16338672	101775	14994	116769
6	प्रा०वि० पूरेडाल कामरम्मतएवंटाइल्सकार्य	12220198	134337	19992	154329
योग			603876	78001	711877

उक्तव्ययकेसापेक्षकार्यपत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीयवप्रशासनिकस्वीकृति, वर्कआईडी, स्टीमेट, एम० बी०, त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र, सामग्रीकाटेण्डरपत्रावली, अभिलेखआदिभीलेखापरीक्षामेंनहींप्रस्तुतकियेगये।जिससेउक्तकार्यपरकियेगएरु० 711877.00 कीपुष्टिनहींकीजासकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनहींकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा०सं०ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकीसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींरही।

पंचायतराजअनुभाग 3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015

विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु 4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50

हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनहींकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग१केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब)

केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2

लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराऐसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिकस्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए०डी०ओ० (पं०) से

2.5 लाखसे 5 लाखतकडी०पी०आर०ओ० से

5 लाखसेऊपरडी०एम० सेऔर

१०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317

केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिएगएप्रशानिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइसकायथोचितपालननहींकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामेंनुअलकेअध्याय -8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी

"यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनहींकरायाजाताहै,

तोदर्शायीगयीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्तनियमकेआलोकमेंस्पष्टहैकिसमुचितव्ययप्रमाणकोंकेअभावमेंव्ययधनराशि० 711877.00

तत्कालीनग्रामप्रधानएवंग्रामपंचायतअधिकारीकीदुरभिसंधिसेधनराशिकाअपहरणकरतेहुएग्रामपंचायतकोक्षति/हानि पहुंचायीगयीहै।अतःलेखापरीक्षाविभागद्वाराउक्तव्ययधनराशि० 711877.00 कोउत्तरप्रदेशपंचायतीराजनियमावली 1947 केनियम 256 व 257

के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप जयशील से रू० 355938.50 एवं ग्राम प्रधान श्री अवधराम से रू० 355938.50 ब्याज सहित वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 711877.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत नाम-सेमरीकला विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 195

ग्राम पंचायत सेमरीकला विकास खण्ड बेलसर जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट विवरण के अनुसार रू० 4008892.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिलबाउचर, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रू० 4008892.00 की पुष्टि नहीं की जा सकती। litati

सामग्री मदके सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू०

100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दश में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा० सं० ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायत राज अनुभाग 3 केशासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायत राज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राजस्व वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इस 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई. जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं०), 2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से , 5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और १० लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजीकार खे जाने के प्रावधान है लेकिन इस कायथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाये गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू० 4008892.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू० 4008892.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी से रू० 2004446.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लीला से रू० 2004446.00 ब्याज सहित वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 4008892.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत नाम- ताराडीह

विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या- 196

ग्रामपंचायतताराडीहविकासखण्डबेलसरजनपदगोण्डाकीवित्तीयवर्ष 2019-20 में कैशबुकएवंबैंकस्टेटमेंटविवरणकेअनुसाररु० 1317166.00 व्ययकियागयाहै।जिसपरलेखापरीक्षाकोआपत्ति हैं।उक्तव्ययकेसापेक्षकार्यपत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीयवप्रशासनिकस्वीकृति, वर्कआईडी, स्टीमेट,एम0 बी0, त्रिस्तरीयफोटोग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टररोल. कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र, सामग्रीकाटेण्डरपत्रावली, अभिलेखआदिभीलेखापरीक्षामेंनहींप्रस्तुतकियेगये।जिससेउक्तकार्यपरकियेगएरु० 1317166.00 कीपुष्टिनीहीकीजासकी।

सामग्रीमदकेसापेक्षटेण्डरपत्रावलीप्रस्तुतनीहीकीगयी।जबकिनियमानुसाररु०

100000.00 सेअधिककीसामग्रीक्रयकीदशामेंटेण्डरकरायाजानाअनिवार्यहै। वित्तीयनियमसंग्रहखंड-1 एवंशा0सं0ए-1-864/दसदिनांक 23.09.2008 केअनुसारनिर्माणकेलिएकिसीभीप्रकारकीसामग्रीकोक्रयकरनेकेक्रममेंकोटेशन (रु०बीसहजारसेअधिकएवंएकलाखतक) एवंटेण्डर (रु०एकलाखसेअधिक) कीप्रक्रियाकापालनकियाजानाचाहिए।जबकिटेण्डरकीपत्रावलीलेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनीहीरही।

पंचायतराजअनुभाग 3 केशासनादेशसंख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्नस्रोतोंसेउपलब्धहोनेवालीधनराशिकेउपभोगकेसम्बन्धमेंकेबिंदु 4 (क) मेंयहस्पष्टहैकि 50 हजारकीसीमातककीकार्ययोजनाकाअनुमोदनस्वयंग्रामपंचायतकेद्वाराकियाजायेगाऔरकार्ययोजनाकोटुकड़ोंमेंविभाजितनीहीकियाजायेगा।बादमेंपंचायतराजअनुभाग१केआदेशसंख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2 (ब) केमाध्यमसेराज्यवित्तऔरकेन्द्रीयवित्तआयोगकेसन्दर्भमेंयहसीमाबढ़ाकर 2 लाखकरदीगयीहै। ऐसाप्रतीतहोताहैकिनिर्धारितधनराशिकेअनुसारवित्तीयऔरप्रशासनिकस्वीकृतिप्रशासनिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसेबचनेकेलिएग्रामपंचायतकेद्वाराऐसेप्लानबनायेजारहेहैंताकिइसे 2 लाखकीसीमाकेअंदरहीरखाजाये।

टेक्निकलपरीक्षण 2 से 2.5 लाखतकजे.ई.आर.ई.एस./जे.ई.एम.आई./जे.ई जिला पंचायत/जे.ई. मंडी परिषदकेद्वाराकियाजायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाखसे 2.5 लाखतकए0डी0ओ0 (पं0) से

2.5 लाखसे 5 लाखतकडी0पी0आर0ओ0 से

5 लाखसेऊपरडी0एम0 सेऔर

१०लाखसेऊपरजिलापंचायतसे

वित्तीयहस्तपुस्तिकाखण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 केअनुसारप्राधिकारीद्वारादिएगएप्रशासनिकऔरवित्तीयस्वीकृतिपरनियंत्रणरखनेहेतुएकप्रशासनिकएवंवित्तीयपंजिकारखेजानेकेप्रावधानहैलेकिनइसकायथोचितपालननीहीकियागयाहै।

पंचायतीराजविभागउत्तरप्रदेशद्वाराजारीग्रामपंचायतोंमेंवित्तएवंलेखाप्रबंधहेतुलेखामेंनुअलकेअध्याय -8 कीधाराधारा 8(क) मेंप्रावधानहैकी "यदिदर्शायेगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईवाउचरउपलब्धनीहीकरायाजाताहै, तोदर्शायीगयीव्ययधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्रामप्रधानतथासचिवग्रामपंचायतसेकीजाएगी।

उक्तनियमकेआलोकमेंस्पष्टहैकिसमुचितव्ययप्रमाणकोंकेअभावमेंव्ययधनराशिरु०

1317166.00

तत्कालीनग्रामप्रधानएवंग्रामपंचायतअधिकारीकीदुरभिसंधिसेधनराशिकाअपहरणकरतेहुएग्रामपंचायतकोक्षति/हानि पहुंचायीगयीहै।अतःलेखापरीक्षाविभागद्वाराउक्तव्ययधनराशिरु० 1317166.00 कोउत्तरप्रदेशपंचायतीराजनियमावली 1947 केनियम 256 व 257 केअंतर्गतअधिकारकीकार्यवाहीकीसंस्तुतिकीजातीहै।अधिभारितधनराशिकीवसूलीअद्यावधिब्याजसहित बराबर- बराबरहिस्सोंमेंतत्कालीनग्रामपंचायतअधिकारीश्रीनरेन्द्रकुमारसोनी सेरु० 658583.00 एवंग्रामप्रधानश्रीसत्यप्रकाशसिंह सेरु० 658583.00 ब्याज सहित वसूलकरतेहुएग्रामपंचायतकोकुलधनराशिरु० 1317166.00 सेपहुंचायीगयीहानिकीक्षतिपूर्तिकियाजानाअपेक्षितहै।साथहीग्रामपंचायतप्रधानवसचिवकेविरुद्धवैधानिककार्यवाहीभीकियाजानाअपेक्षितहै।

(सा०आ०सं०- 01)

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन (पंचायत अनुभाग), वर्ष 2019-20

जनपद - श्रावस्ती

सम्भाग - देवीपाटन,गोण्डा

प्रस्तर-1.

ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न प्रकार ग्राम पंचायत में अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दर्शित किया गया।

दिनांक	विवरण	धनराशि
15.06.2018	जय ऑर्डर सप्लायर स्ट्रीट, लाइट क्रय (18 अदद)	99000.00
18.06.2018	जय ऑर्डर सप्लायर स्ट्रीट, लाइट क्रय (12 अदद)	66000.00
23.05.2018	जय ऑर्डर सप्लायर स्ट्रीट, लाइट मरम्मत (20 अदद)	46144.00
02.03.2019	जय ऑर्डर सप्लायर स्ट्रीट, लाइट क्रय (15 अदद)	82500.00
योग		293644.00

उपर्युक्त विवरण में दर्शित व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

- स्ट्रीट लाइट स्थापना की कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- सभी स्ट्रीट लाइट एक ही फर्म से ली गयी हैं, परन्तु इतने अधिक धनराशि से क्रय के सापेक्ष कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है। जो उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) एवं ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 11 का उल्लंघन है।
- इस क्रय से सम्बन्धित कोई बिल/व्यय प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। चार तिथियों में मरम्मत में एक ही जय ऑर्डर सप्लायर को भुगतान हेतु चेक निर्गत करना कार्य को तोड़कर दिखाये जाने का प्रयास किया गया है। जिसमें कोटेशन/टेन्डर से बचाया जा सके। इनके स्थापना आदि के स्थान आदि का कोई विवरण कैश बुक में दर्शित नहीं है। यह स्थिति राजकीय कार्यों के प्रति निर्धारित प्रक्रिया से बचकर धन का अपहरण करना है।
- स्ट्रीट लाइट की स्थापना किन स्थानों पर किया गया, इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।
- स्ट्रीट लाइट की आपूर्तिकर्ता जय ऑर्डर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन संख्या वैधता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह फर्म कौन-कौन सामग्री के लिए अधिकृत की गयी है तथा इसकी वैधता की समय सीमा कब तक है।
- स्ट्रीट लाइट क्रय से सम्बन्धित डिलीवरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि व्यय, विवरणहीन व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खण्ड-7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, के विपरीत एवं खण्ड-8(क) यह कि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध कुल व्यय धनराशि ₹० 293644.00 की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम सचिव श्री मनीष कुमार से बराबर हिस्सों की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर – 2

ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 में निम्न प्रकार ग्राम पंचायत में अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शित किया गया।

दिनांक	विवरण	धनराशि
02.03.2019	जय ऑर्डर सप्लायर सोलर लाइट क्रय (02 अदद)	41000.00
02.03.2019	जय ऑर्डर सप्लायर सोलर लाइट क्रय (03 अदद)	61500.00
योग		102500.00

उपर्युक्त विवरण में दर्शित व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

- सोलर लाइट स्थापना की कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृति, स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- सभी सोलर लाइट एक ही फर्म से ली गयी है परन्तु इतने अधिक धनराशि से क्रय के सापेक्ष कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है। जो उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) एवं ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 11 का उल्लंघन है।
- इस क्रय से सम्बन्धित कोई बिल/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। एक तिथि में क्रय 02.03.2019 में एक ही जय ऑर्डर सप्लायर को भुगतान हेतु चेक निर्गत करना कार्य को तोड़कर दिखाये जाने का प्रयास किया गया है। जिसमें कोटेशन/टेन्डर से बचाया जा सके। इनके स्थापना आदि के स्थान आदि का कोई विवरण कैश बुक में दर्शित नहीं है। यह स्थिति राजकीय कार्यों के प्रति निर्धारित प्रक्रिया से बचकर धन का अपहरण करना है।
- सोलर लाइट की स्थापना किस स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।
- सोलर लाइट की आपूर्तिकर्ता जय ऑर्डर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन संख्या वैधता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह फर्म कौन-कौन सामग्री के लिए अधिकृत की गयी है तथा इसकी वैधता की समय सीमा कब तक है।
- सोलर लाइट क्रय से सम्बन्धित डिलीवरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि व्यय, विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये कि विपरीत एवं खण्ड-8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध कुल व्यय धनराशि रु० 102500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम सचिव श्री मनीष कुमार से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर – 3

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर वर्ष 2018-19 में निम्न व्यय दर्शित है।

दिनांक	विवरण	धनराशि
28.01.2019	नल मरम्मत	4850.00
28.01.2019	नल मरम्मत	4900.00
01.03.2019	नल रिबोर	63000.00
03.10.2018	नल मरम्मत	14000.00
25.02.2019	नल रिबोर	63000.00
25.02.2019	नल रिबोर	63000.00
योग		212750.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान नगद/चेक से किया गया है जो अनियमित है। हैण्डपम्प किसी दक्ष एवं पंजीकृत मिस्त्री/दुकानदार से कराया जाना चाहिए और भुगतान नगद न करके खाते में करना चाहिए।

उक्त विवरण में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। मरम्मत/रिबोर व्यय प्रायः अस्थायी खराबी हेतु ही अनुमन्य है। परन्तु इतना अधिक एक साथ रिबोर पर व्यय किया गया है, जो अनियमित है। व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका। हैण्डपम्प मरम्मत व्यय शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3/2017-46 /2015 के अनुरूप एवं रिबोर पर व्यय शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं। है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्तएवंलेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये कि विपरीत एवं खण्ड-8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी, जो अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध कुल व्यय धनराशि रु० 212750.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम सचिव श्री मनीष कुमार से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (मू० आ० सं०- 3)

प्रस्तर – 4

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में केश बुक पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि
19.05.2018	सुनील स्पन पाईप से क्रय ह्यूम पाईप	13626.00
19.05.2018	सुनील स्पन पाईप से क्रय ह्यूम पाईप	13626.00
27.09.2018	माँ शान्ति कान्ट्रक्टर से क्रय ह्यूम पाईप	55312.00
29.09.2018	माँ शान्ति कान्ट्रक्टर से क्रय ह्यूम पाईप	73750.00
योग		156314.00

ग्रामपंचायतमेंदर्शितउपरोक्तव्यय,

प्रमाणकविहीनएवंविवरणहीनहै। इसप्रकारकियागयाव्ययग्रामपंचायतमेंवित्तएवंलेखाप्रबन्धहेतुलेखामैनुअलअध्याय8केखण्ड7मेंउल्लिखितहै, प्रमाणकविहीनएवंविवरणहीनव्ययग्रामपंचायतमेंवित्तएवंलेखाप्रबन्धहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय8केखण्ड7मेंउल्लिखितहैकि-“ग्राम-प्रधानतथाग्राम-पंचायतसचिवकायहसंयुक्तदायित्वहोगाकिवेसम्प्रेक्षणहेतुसम्प्रेक्षणदलकोव्ययकेसमस्तप्रमाणकतथानियमोंमेंअपेक्षितसमस्तअभिलेखउपलब्धकराये” एवंखण्ड8मेंप्राविधानहैकि-

“यदिदर्शाएगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईप्रमाणकउपलब्धनहीकरायाजाताहैतोदर्पायीगयीव्ययकीधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्राम-प्रधानतथाग्राम-पंचायतसचिवसेकीजायेगी।” व्ययपत्रावलियाँजिसमेंव्ययप्रमाणक, ग्रामपंचायतकीबैठकमेंअनुमोदितकार्ययोजना, कार्यकास्टीमेट, कार्यकीविस्तीय, प्रशासनिकएवंतकनीकीस्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्रीक्रयविलों /डिलीवरीचालान/मजदूरीभुगतानमस्टररोलों, मापपुस्तिकाओंकीगयीकार्यकीमापी, ग्रामपंचायतकेबैंकस्टेमेन्ट, लैन्डमार्कयुक्तकार्यकीतीनचरणोंकीफोटो, कार्यपूर्ति/उपभोगप्रमाणपत्रसम्मिलितहै, लेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींकियेगये।जिसकेकारणउपरोक्तव्ययकीजांचनहींकीजासकी।उपरोक्तआधारपरसमस्तधनराशिकोगबनमेंआंकलितकियाजाताहैजोउपरोक्तप्राविधानोंकेअन्तर्गतअधिभारयोग्यहै।अतःकुलविवरणहीनएवंप्रमाणकविहीनतथानियमविरुद्धउपरोक्तव्ययकीवसूलीउत्तरदायीग्रामप्रधानएवंग्रामपंचायत सचिवसेबराबरभागमेंकीजानीअपेक्षितहै।अतःलेखापरीक्षाकेअनुसारआगणितअपहरणकीकुलधनराशि रु० 156314.00कीग्रामप्रधानश्रीमती शीला देवी औरग्रामपंचायतसचिवश्री मनीष कुमार से बराबरहिस्सों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या- 4)

ग्राम पंचायत – मनिकापुर खुर्द

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर – 5

ग्राम पंचायत मनिकापुर खुर्द की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 में निम्न प्रकार ग्राम पंचायत में अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शित किया गया।

दिनांक	विवरण	धनराशि
23.07.2018	अमित इण्टरप्राइजेज लाइट क्रय	27500.00
09.08.2018	अमित इण्टरप्राइजेज लाइट क्रय	56000.00
योग		83500.00

उपर्युक्त विवरण में दर्शित व्यय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

- सोलर लाइट स्थापना की कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृति, स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- सभी सोलर लाइट एक ही फर्म से ली गयी है परन्तु इतने अधिक धनराशि से क्रय के सापेक्ष कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है। जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) एवं ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 11 का उल्लंघन है।
- इस क्रय से सम्बन्धित कोई बिल/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। दो तिथियों में क्रय 23.07.2018 एवं 09.08.2018 में एक ही अमित इण्टरप्राइजेज को भुगतान हेतु चेक निर्गत करना कार्य को तोड़कर दिखाये जाने का प्रयास किया गया है। जिसमें कोटेशन/टेन्डर से बचाया जा सके। इनके स्थापना आदि के स्थान आदि का कोई विवरण कैश बुक में दर्शित नहीं है। यह स्थिति राजकीय कार्यों के प्रति निर्धारित प्रक्रिया से बचकर धन का अपहरण करना है।
- सोलर लाइट की स्थापना किस स्थानों पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।
- सोलर लाइट की आपूर्तिकर्ता अमित इण्टरप्राइजेज का रजिस्ट्रेशन संख्या वैधता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह फर्म कौन-कौन सामग्री के लिए अधिकृत की गयी है तथा इसकी वैधता की समय सीमा कब तक है।
- सोलर लाइट क्रय से सम्बन्धित डिलीवरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि व्यय, विवरणहीन व्यय प्रमाणक विहीन नियमों की अनदेखी कर किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये कि विपरीत एवं खण्ड-8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध कुल व्यय रु० 83500.00 की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम सचिव श्री नगेन्द्र प्रसाद से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0संख्या-01)

प्रस्तर – 6

ग्राम पंचायत मनिकापुर खुर्द की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर वर्ष 2018-19 में निम्न व्यय दर्शित है।

दिनांक	विवरण	धनराशि
24.08.2018	नल मरम्मत	4547.00
28.09.2018	नल मरम्मत	4119.00
31.01.2019	नलरिबोर	61000.00
31.01.2019	नल रिबोर	31000.00
18.03.2019	नल मरम्मत	10650.00
30.07.2018	नल मरम्मत	7600.00
27.11.2018	नल रिबोर	61000.00
योग		179916.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान नगद/चेक से किया गया है जो अनियमित है। हैण्डपम्प किसी दक्ष एवं पंजीकृत मिस्त्री/दुकानदार से कराया जाना चाहिए और भुगतान नगद न करके खाते में करना चाहिए।

उक्त विवरण में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। मरम्मत/रिबोर व्यय प्रायः अस्थायी खराबी हेतु ही अनुमन्य है। परन्तु इतना अधिक एक साथ रिबोर पर व्यय किया गया है। परन्तु हैण्डपम्प के मरम्मत/रिबोर कराया गया जो अनियमित है। व्यय पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका। हैण्डपम्प मरम्मत व्यय शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3/2017-46 /2015 के अनुरूप एवं रिबोर पर व्यय शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये कि विपरीत एवं खण्ड-8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध कुल व्यय रु० 179916.00 की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अनीता देवी एवं ग्राम सचिव श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आ0 संख्या-02)

प्रस्तर – 7

ग्राम पंचायत मनिकापुर खुर्द की लेखा परीक्षा में ह्यूम पाईप मद में, कैश बुक पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि

19.05.2018	गुनगुन ट्रेडर्स से क्रय ह्यूप पाईप	35856.00
15.02.2019	गुनगुन ट्रेडर्स से क्रय ह्यूप पाईप	26400.00
20.09.2018	अमित इण्टरप्राइजेज से क्रय ह्यूप पाईप	22400.00
योग		84656.00

ग्रामपंचायतमेंदर्शितउपरोक्तव्यय, प्रमाणकविहीनएवंविवरणहीनहै।इसप्रकारकियागयाव्ययग्रामपंचायतमेंवित्तएवंलेखाप्रबन्धहेतुलेखामैनुअलअध्याय8केखण्ड7मेंउल्लिखितहै, प्रमाणकविहीनएवंविवरणहीनव्ययग्रामपंचायतमेंवित्तएवंलेखाप्रबन्धहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय8केखण्ड7मेंउल्लिखितहैकि-

“ग्राम-प्रधानतथाग्राम-

पंचायतसचिवकायहसंयुक्तदायित्वहोगाकिवेसम्प्रेक्षणहेतुसम्प्रेक्षणदलकोव्ययकेसमस्तप्रमाणकतथानियमोंमेंअपेक्षितसमस्तअभिलेखउपलब्धकराये” एवंखण्ड8मेंप्राविधानहैकि-

“यदिदर्शाएगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईप्रमाणकउपलब्धनहीकरायाजाताहैतोदर्शाईगयीव्ययकीधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्राम-प्रधानतथाग्राम-पंचायतसचिवसेकीजायेगी।” व्ययपत्रावलिआजिसमेंव्ययप्रमाणक, ग्रामपंचायतकीबैठकमेंअनुमोदितकार्ययोजना, कार्यकास्टीमेट, कार्यकीवित्तीय, प्रशासनिकएवंतकनीकीस्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्रीक्रयबिलों/ डिलीवरीचालान/मजदूरीभुगतानमस्टररोलों, मापपुस्तिकामेंकीगयीकार्यकीमापी, ग्रामपंचायतकेबैंकस्टेटमेंट, लैन्डमार्कयुक्तकार्यकीतीनचरणोंकीफोटो, कार्यपूर्ति/उपभोगप्रमाणपत्रसम्मिलितहै, लेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींकियेगये।जिसकेकारणउपरोक्तव्ययकीजांचनहींकीजासकी।उपरोक्तआधारपरसमस्तधनराशिकोगबनमेंआंकलितकियाजाताहैजोउपरोक्तप्राविधानोंकेअन्तर्गतअधिकारयोग्यहै।अतःकुलविवरणहीनएवंप्रमाणकविहीनतथानियमविरुद्धउपरोक्तव्ययकीवसूलीउत्तरदायीग्रामप्रधानएवंग्रामपंचायतसचिवसेबराबरभागमेंकीजानीअपेक्षितहै।अतःलेखापरीक्षाकेअनुसारआगणितअपहरणकीकुलधनराशि रु.84656.00में सेग्रामप्रधानश्रीमतीअनीता देवी . सेरु ० 42328.00औरग्रामपंचायतसचिवश्री.नागेन्द्र प्रसाद सेरु ०42328.00कीव्याज सहित वसूलीकियाजानाअपेक्षितहै।

(सा0 आ0 संख्या-03)

प्रस्तर – 8

ग्राम पंचायत मनिकापुर खुर्द की लेखा परीक्षा में पाया गया कि स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों मेंए केशवुक पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि
21.07.2018	चन्द्रा इण्टरप्राइजेज से कूड़ादान क्रय	67200.00
	चन्द्रा इण्टरप्राइजेज से कूड़ादान क्रय	82000.00
योग		149200.00

ग्रामपंचायतमेंदर्शितउपरोक्तव्यय,

प्रमाणकविहीनएवंविवरणहीनहै।इसप्रकारकियागयाव्ययग्रामपंचायतमेंवित्तएवंलेखाप्रबन्धहेतुलेखामैनुअलअध्याय8केखण्ड7मेंउल्लिखितहै, प्रमाणकविहीनएवंविवरणहीनव्ययग्रामपंचायतमेंवित्तएवंलेखाप्रबन्धहेतुलेखामैनुअलकेअध्याय8केखण्ड7मेंउल्लिखितहैकि-“ग्राम-प्रधानतथाग्राम-पंचायतसचिवकायहसंयुक्तदायित्वहोगाकिवेसम्प्रेक्षणहेतुसम्प्रेक्षणदलकोव्ययकेसमस्तप्रमाणकतथानियमोंमेंअपेक्षितसमस्तअभिलेखउपलब्धकराये” एवंखण्ड8मेंप्राविधानहैकि-

“यदिदर्शाएगयेव्ययकेसम्बन्धमेंकोईप्रमाणकउपलब्धनहीकरायाजाताहैतोदर्शाईगयीव्ययकीधनराशिकोगबनमानतेहुएइसधनराशिकीवसूलीग्राम-प्रधानतथाग्राम-पंचायतसचिवसेकीजायेगी।” व्ययपत्रावलिआजिसमेंव्ययप्रमाणक, ग्रामपंचायतकी बैठकमेंअनुमोदितकार्ययोजना, कार्यकास्टीमेट, कार्यकीवित्तीय, प्रशासनिकएवंतकनीकीस्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्रीक्रयबिलों/ डिलीवरीचालान/मजदूरीभुगतानमस्टररोलों, मापपुस्तिकामेंकीगयीकार्यकीमापी, ग्रामपंचायतकेबैंकस्टेटमेंट, लैन्डमार्कयुक्तकार्यकीतीनचरणोंकीफोटो, कार्यपूर्ति/उपभोगप्रमाणपत्रसम्मिलितहै, लेखापरीक्षामेंप्रस्तुतनहींकियेगये।जिसकेकारणउपरोक्तव्ययकीजांचनहींकीजासकी।उपरोक्तआधारपरकुलविवरणहीनएवंप्रमाणकविहीनतथानियमविरुद्धकुल व्ययधनराशि रु. 149200.00कीव्याज सहित वसूलीग्रामप्रधानश्रीमतीअनीता देवी एवंग्रामपंचायतसचिवश्री नागेन्द्र प्रसादसेबराबरभागमेंकीजानीअपेक्षितहै।

(सा0 आ0 संख्या-

04)

प्रस्तर – 9

ग्राम पंचायत मनिकापुर खुर्द की लेखा परीक्षा मेंपाया गया कि नाली निर्माण मरम्मत मद मेंकेशवुक पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	वाउचर सं०	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	धनराशि	दिनांक
1	02	ईट नाली निर्माण राम हजारी के घर से सुन्दर के खेत तक	-	8000.00	05.04.18
2	05	नाली निर्माण पर मजदूरी राम हजारी के घर से सुन्दर के खेत तक	-	12950.00	11.04.18
3	07	ईट, गिट्टी नाली निर्माण राम हजारी के घर से सुन्दर के खेत तक	-	29000.00	12.04.18
4	10	नाली निर्माण राम हजारी के घर से सुन्दर के खेत तक	चौहान ट्रेडर्स	23938.00	13.04.18
योग				73888.00	

नालीनिर्माणहेतुउपरोक्तव्ययकैशवुकमेंअंकितकियागयाहै।उपरोक्तनालीमरम्मतकार्यहेतुमात्रसामग्रीकीखरीददर्शितहै, खरीदीगयीसामग्रीकेउपभोगपरमजदूरीव्ययनहींकियागयाहै।अतःखरीदीगयीसामग्रीअप्रयुक्तहै, जोस्टाकबुकमेंप्रदर्शितहोनीचाहियेथी।स्टाकबुकप्रस्तुतनकियेजा नेएवंमजदूरीव्यय शून्यहोनेकेकारणउपरोक्तधनराशिकास्पष्टतःअपहरण/गबनकियागयाहै।

ग्रामपंचायतमें दर्शित उपरोक्त व्यय,
प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्रामपंचायतमें वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है,
प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्रामपंचायतमें वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये”
एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-

“यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गया व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्यकास्टीमेट, कार्यकी वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों /डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्यकी मापी, ग्रामपंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्यकी तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध की कुल व्यय धनराशि रु० 73888.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्रामपंचायत सचिव श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित।
(सा0 आ0 संख्या-05)

ग्राम पंचायत – मनोहरापुर

विकास खण्ड – इकौना

प्रस्तर -10

ग्राम पंचायत-मनोहरापुर विकास खण्ड इकौना के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रु० 5299345.00 के सापेक्ष कैशबुक, पासबुक, कार्य पत्रावली, बिल वाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जो उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 186 की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु -8(क) के आलोक में अभिलेखों की अनुपलब्धता में कुल व्यय धनराशि रु० 5299345.00 की वसूली समान रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता पाण्डेय एवं तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0 आ0 संख्या-01)

ग्राम पंचायत – मलौना खसियारी

विकास खण्ड – इकौना

प्रस्तर – 11

ग्राम पंचायत- मलौना खसियारी विकास खण्ड इकौना के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रु० 1597620.00 के सापेक्ष कैशबुक, पासबुक, कार्य पत्रावली, बिल वाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जो उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 186 पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु -8(क) के आलोक में अभिलेख की अनुपलब्धता में कुल व्यय धनराशि रु० 1597620.00 की वसूली समान रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनलता तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0 आ0 संख्या-01)

ग्राम पंचायत – बेनिडिहवा

विकास खण्ड – सिरसिया

प्रस्तर -12

ग्राम पंचायत बेनिडिहवा विकास खण्ड सिरसिया की वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रु० 750319.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टिपरक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है। उक्त के आलोक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि रु० 750319.00 को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती कुन्ती एवं सचिव ग्राम पंचायत अखिलेश कुमार से संयुक्त रूप से बराबर- बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आ0 संख्या-01)

ग्राम पंचायत – पटखौली

विकास खण्ड – सिरसिया

प्रस्तर – 13

ग्राम पंचायत पटखौली विकास खण्ड सिरसिया की वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रु० 1718215.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियाँ तथा अन्य पुष्टिपरक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019.20 में धनराशि रु० 1718215.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। यह उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 186 की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की “ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के आलोक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि रु० 1718215.00 को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती रागिनी सिंह एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सन्देश सिंह से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0 आ0 संख्या-01)

ग्राम पंचायत – बैरीहवा

विकास खण्ड – सिरसिया

प्रस्तर – 14

ग्राम पंचायत बैरीहवा विकास खण्ड सिरसिया की वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रु० 2070559.00 के सापेक्षलेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावली तथा अन्य पुष्टिपरक प्रपत्र यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में धनराशि रु० 2070559.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। यह उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 186 की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के आलोक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि रु० 2070559.00 को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान अनिल कुमार एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री नन्द किशोर से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा० आ० संख्या-01)

ग्राम पंचायत – बुटहर

विकास खण्ड – सिरसिया

प्रस्तर – 15

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बुटहर द्वारा निम्न विवरण के अनुसार सोलर लाइट स्थापना एवं लाइट मरम्मत पर व्यय दर्शित है-

क्र० सं०	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	कोशबही के अनुसार प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
1	15.07.19	048373	22500.00	शिवम इण्टर प्राइजेज	सोलर लाइट क्रय 1
2	15.07.19	048374	90000.00	शिवम इण्टर प्राइजेज	सोलर लाइट मरम्मत 8
3	15.07.19	048372	90000.00	शिवम इण्टर प्राइजेज	शिवम इण्टर प्राइजेज 4
योग			202500.00		

उक्त व्ययों धनराशि पर निम्न आपत्तियां हैं –

- उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।
- लेखा परीक्षा में डिलीवरी चालान अप्रस्तुत रहा।
- लेखा परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित एम०बी० एवं फोटोग्राफ आदि भी अनुपलब्ध रहा।
- सोलर लाइट क्रय नेडा से न करके सप्लायर्स से किया गया है।
- मरम्मत कराई गई सोलर लाइटों का विवरण भी अनुपलब्ध रहा एवं इनसे सम्बन्धित वारण्टी/गारण्टी रसीदें भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज, उ०प्र० के अध्याय-8 की धारा 8 (क) में निहित प्राविधान के आलोक एवं वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता में उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 202500.00 अपहरण की श्रेणी में आती है, जो वसूली योग्य है। आहरित/व्यय समस्त धनराशि रु० 202500.00 की ग्राम प्रधान श्री भानु चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रक्षाराम गुप्ता से बराबर - बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा० आ० संख्या-01)

ग्राम पंचायत – मल्हीपुर कलां

विकास खण्ड – जमुनहां

प्रस्तर – 16

ग्राम पंचायत - मल्हीपुर कलां विकास खण्ड - जमुनहां के वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रु० 578759.00 के सापेक्ष कैशबुक, पासबुक, कार्य पत्रावली, बिल वाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 186 की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु -8(क) के आलोक में अभिलेख की अनुपलब्धता में कुल व्यय धनराशि रु० 578759.00 की वसूली समान रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी बेगम एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश गुप्ता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा० आ० संख्या-01)

ग्राम पंचायत – खावां कलां

विकास खण्ड – जमुनहां

प्रस्तर – 17

ग्राम पंचायत – खावां कलां विकास खण्ड - जमुनहां के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार सोलर लाइट स्थापना पर व्यय दर्शित है –

क्र० सं०	दिनांक	मोड ऑफ पेमेंट	धनराशि	कोशबही के अनुसार प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
1	01.10.19	पी.एफ.एम.एस.	80000.00	अज्ञात	-

उक्त व्यय धनराशि पर निम्न आपत्तियां हैं –

- उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।
- लेखा परीक्षा में डिलीवरी चालान अप्रस्तुत रहा।
- लेखा परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित एम०बी० एवं फोटोग्राफ आदि भी अनुपलब्ध रहा।

- सोलर लाइट क्रय नेडा से न करके सप्लायर्स से किया गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज, उ०प्र० के अध्याय-8 की धारा - 8 (क) में निहित प्राविधान के आलोक एवं वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता में उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 80000.00 अपहरण की श्रेणी में आती है, जो वसूली योग्य है। आहरित/व्यय समस्त धनराशि रु० 80000.00 की ग्राम प्रधान श्री कृपाराम वर्मा एवं ग्राम सचिव श्री नानू यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आ0 संख्या-01)

ग्राम पंचायत – सेहरिया

विकास खण्ड – जमुनहां

प्रस्तर – 18

ग्राम पंचायत - सेहरिया विकास खण्ड - जमुनहां के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रु० 1042022.00 के सापेक्ष कैशबुक, पासबुक, कार्य पत्रावली, बिल वाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 186 की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के विन्दु -8(क) के आलोक में अभिलेख की अनुपलब्धता में कुल व्यय धनराशि रु० 1042022.00 की वसूली समान रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश गुप्ता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0 आ0 संख्या-01)

वार्षिक प्रतिवेदन-2019-2020

जनपद का नाम-देवरिया

जनपद - देवरिया

मण्डल का नाम-गोरखपुर

ग्राम पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण:-

ग्राम पंचायत-बरडीहा परशुराम

विकास खण्ड-लार

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-01- वर्ष लेखा परीक्षा में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता सं0-50048864623 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	17.05.2019	082511	10000=00
02	17.05.2019	082509	49470=00
03	16.06.2019	082521	33883=00
04	10.06.2019	082512	8395=00
05	10.06.2019	082515	8457=00
06	10.06.2019	082519	29918=00
07	10.06.2019	082520	26199=00
08	10.06.2019	082518	34679=00
09	10.06.2019	082516	55864=00
10	10.06.2019	082513	60169=00
11	10.06.2019	082522	6555=00
12	10.06.2019	082514	928=00
13	10.06.2019	082517	4917=00
14	23.07.2019	082523	10000=00
15	26.07.2019	082524	3000=00
16	02.03.2020	टी. आर.	2000=00
17	21.03.2020	टी. आर.	42000=00
योग			386434=00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि रु० 386434.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौड से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति संख्या-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
386434=000		

ग्राम पंचायत-बनकटा अमेठिया

विकास खण्ड-लार

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-02- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक खाता संख्या 50048688421) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	24.04.2018	029723	27406=00
02	24.04.2018	029722	81406=00
03	24.04.2018	029721	93000=00
04	24.04.2018	029720	100006=00
05	24.04.2018	029726	17500=00
06	24.04.2018	029727	17500=00
07	24.04.2018	029725	17500=00
08	10.12.2018	029731	20000=00
09	10.12.2018	029732	15000=00
योग			389318=00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि रू0 389318.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूणेश सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
389318.00		

प्रस्तर संख्या-03- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक खाता संख्या 50048688421) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	09.01.2019	09733	20000=00
02	19.01.2019	029737	20000=00
03	19.01.2019	029735	56337=00
04	20.01.2019	029744	10000=00
05	23.01.2019	029745	10000=00
06	23.01.2019	029742	17086=00
07	23.01.2019	029739	40856=00
08	23.01.2019	029743	17086=00
09	23.01.2019	029741	21882=00
10	23.01.2019	029740	21882=00
11	31.01.2019	029738	40856=00
12	08.02.2019	128644	7200=00
13	18.02.2019	029747	14006=00
14	18.02.2019	029748	5703=00
15	18.02.2019	029749	12006=00
16	18.02.2019	029746	22006=00
17	18.02.2019	029750	3703=00
18	18.02.2019	128642	10906=00
19	18.02.2019	128641	5403=00
20	18.02.2019	128645	4603=00

21	20.02.2019	128648	16000=00
22	26.02.2019	128647	16000=00
23	26.02.2019	128649	15600=00
24	27.02.2019	128650	20000=00
25	05.03.2019	128646	144418=00
26	26.03.2019	128654	18000=00
27	26.03.2019	128653	20000=00
28	26.03.2019	128651	30006=00
29	26.03.2019	128656	10506=00
30	26.03.2019	128655	10506=00
31	27.03.2019	128657	85006=00
योग			747563=00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि ₹0 747563.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश दूबे से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
747563.00		

प्रस्तर संख्या-04- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक खाता संख्या 50048688421) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	26.07.2019	113827	20000=00
02	26.07.2019	113828	20000=00
03	26.07.2019	113829	42000=00
04	29.07.2019	113826	20000=00
05	21.12.2019	टी. आर.	1000=00
06	21.12.2019	टी. आर.	850=00
07	01.02.2020	टी. आर.	21808=00
08	01.02.2020	टी. आर.	85500=00
09	01.02.2020	टी. आर.	151400=00
10	01.02.2020	टी. आर.	197000=00
11	10.02.2020	टी. आर.	151400=00
12	04.03.2020	टी. आर.	3000=00
13	04.03.2020	टी. आर.	184544=00
14	04.03.2020	टी. आर.	5285=00
15	09.03.2020	टी. आर.	47600=00
16	09.03.2020	टी. आर.	38000=00
योग			989387=00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि ₹0 989387.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश दूबे से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
989387.00		

ग्राम पंचायत-सजांव विकास खण्ड-लार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-05- वर्ष लेखा परीक्षा में दिनांक 02.07.2019 को चेक संख्या 133604 द्वारा ₹0 100000=00 का आहरण न्यू गुप्ता मशीनरी स्टोर्स द्वारा किया गया है। जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेख मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि ₹0 100000=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम द्विवेदी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेन्द्र गौड से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
100000=00		

ग्राम पंचायत-जमसड़ा विकास खण्ड-लार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-06- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक खाता संख्या 50048850803) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	16.04.2018	074147	76006=00
02	16.04.2018	074150	72006=00
03	16.04.2018	074148	115018=00
04	16.04.2018	074149	75006=00
05	16.04.2018	074152	45006=00
06	16.04.2018	074151	52006=00
07	10.09.2018	074158	190018=00
08	10.12.2018	074157	113268=00
09	10.09.2018	074156	124018=00
10	10.09.2018	074154	45792=00
11	10.09.2018	074155	39337=00
12	10.09.2018	074153	45792=00
13	01.02.2019	074159	90006=00
14	08.02.2019	081823	190000=00
15	11.02.2019	074160	199000=00
16	14.02.2019	081822	3000=00
17	14.02.2019	081821	120000=00
18	15.03.2019	081825	80000=00
योग			1675279=00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि ₹0 1675279.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मकसूदन मिश्रा से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1675279.00		

प्रस्तर संख्या-07- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक खाता संख्या 50048850803) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	07.06.2019	081827	82320=00
02	26.06.2019	081828	196000=00
03	26.06.2019	081829	160000=00
04	27.06.2019	081832	45000=00
05	27.06.2019	081833	160000=00
06	03.07.2019	081830	115000=00
07	08.02.2020	टी. आर.	35000=00
08	08.02.2020	टी. आर.	42000=00
09	05.03.2020	टी. आर.	20000=00
10	05.03.2020	टी. आर.	75000=00
11	05.03.2020	टी. आर.	150000=00
12	07.03.2020	टी. आर.	150000=00
13	07.03.2020	टी. आर.	75000=00
14	07.03.2020	टी. आर.	50000=00
15	07.03.2020	टी. आर.	150000=00
16	16.03.2020	टी. आर.	107000=00
17	16.03.2020	टी. आर.	40000=00
18	23.03.2020	टी. आर.	31000=00
19	23.03.2020	टी. आर.	7000=00
		योग	1690320=00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि ₹0 1690320.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मकसूदन मिश्रा से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1690320.00		

ग्राम पंचायत-चौमुखा

विकास खण्ड-लार

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-08- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक खाता संख्या 50048858814) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	11.04.2018	005194	20000=00
02	11.04.2018	005192	130500=00
03	11.04.2018	005193	139500=00
04	24.01.2019	005197	20000=00
05	08.02.2019	005196	3500=00
06	14.02.2019	005198	3000=00
07	18.02.2019	005199	36800=00
08	18.02.2019	005200	21006=00
09	28.02.2019	005203	35806=00
10	28.02.2019	005202	96756=00
11	28.02.2019	005206	26306=00
12	28.02.2019	005205	21506=00
13	06.03.2019	005207	42006=00

14	28.03.2019	005208	20000=00
15	28.03.2019	005209	5000=00
16	28.03.2019	005210	21506=00
17	30.03.2019	005212	50000=00
18	31.03.2019	005211	16006=00
19	31.03.2019	005213	50006=00
योग			759204=00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि ₹0 759204.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार दूबे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मकसूदन मिश्रा से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
759204.00		

प्रस्तर संख्या-09- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक खाता संख्या 50048858814) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	25.04.2019	005214	9000=00
02	10.07.2019	005215	45000=00
03	18.07.2019	005216	69000=00
04	22.07.2019	005221	19768=00
05	22.07.2019	005220	131000=00
06	22.07.2019	005223	57000=00
07	22.07.2019	005224	23898=00
08	22.07.2019	005219	86000=00
09	22.07.2019	005222	133000=00
10	26.07.2019	005226	20000=00
11	26.07.2019	005225	98000=00
12	16.12.2019	टी. आर.	142440=00
13	16.12.2019	टी. आर.	8220=00
14	16.12.2019	टी. आर.	6174=00
15	16.12.2019	टी. आर.	4842=40
16	16.12.2019	टी. आर.	16000=00
17	16.12.2019	टी. आर.	15000=00
18	16.12.2019	टी. आर.	7000=00
19	16.12.2019	टी. आर.	13178=00
20	16.12.2019	टी. आर.	3187=00
21	16.12.2019	टी. आर.	3618=65
22	16.12.2019	टी. आर.	17500=00
23	16.12.2019	टी. आर.	5796=00
24	16.12.2019	टी. आर.	5859=00
25	16.12.2019	टी. आर.	12642=00
26	16.12.2019	टी. आर.	24212=00
27	19.12.2019	टी. आर.	26544=00
28	19.12.2019	टी. आर.	18000=00

29	19.12.2019	टी. आर.	22680=00
30	19.12.2019	टी. आर.	129000=00
31	30.12.2019	टी. आर.	31500=00
32	19.03.2020	टी. आर.	10500=00
33	04.03.2020	टी. आर.	76000=00
34	28.03.2020	टी. आर.	13000=00
		योग	1304559=05

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि रु0 1304559.05 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार दूबे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मकसूदन मिश्रा से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1304559.05		

ग्राम पंचायत-रावतपार

विकास खण्ड-देवरिया

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-10- ग्राम पंचायत रावतपार में राम प्रयाग के घर से मेन खण्डजा तक इण्टरलार्किंग कार्य पर निम्न प्रकार व्यय किया गया-

क्र0सं0	दिनांक	बाउचर क्रमांक	भुगतान का विवरण	धनराशि
1	12.04.2019	—	मजदूरी इण्टरलार्किंग ईट ईट पर व्यय	4000=00
2	12.04.2019	4	-	23169=00
3	12.04.2019	5		3574=00
			योग	30743=00

उक्त व्यय ग्राम निधि प्रथम के खाता सं0. 50048702253 (इलाहाबाद बैंक) से किया गया है। कैशबुक में दर्शित व्यय बाउचर (क्रमांक 4, 5), प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154), कार्यपूति प्रमाण पत्र, मास्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का अपहरण किया गया है, अतः रु0 30743.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रदीप यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी विजय शुक्ला से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
30743.00		

ग्राम पंचायत-पिड़रा

विकास खण्ड-देवरिया

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-11- दिनांक 26.07.2019 को पू0मा0वि0 पिड़रा में ग्राम निधि-1 के खाता सं0-699010100000706 से रु0 61000.00 का व्यय शौचालय की टंकी निर्माण हेतु कैशबुक में दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं:-

- (क) उक्त व्यय के सम्बन्ध में बाउचर सं0-4 दर्शाया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (ख) उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं खारिज है और न ही मास्टर रोल प्रस्तुत किया गया।
- (ग) उक्त व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1974 के नियम सं0 152 एवं 154), कार्य पूति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है, अतः रु0 61000.00 वसूली ग्राम प्रधान श्री हृदयानन्द गौड़ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आशा यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
61000.00		

ग्राम पंचायत-हडौवा उर्फ औरंगाबाद विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-12- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम से पंजाब नेशनल बैंक देवरिया के खाता सं0 1507000102646819 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से भूमिगत नाली निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि
1.	सलीम के घर से कौसर के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0-15045564)	01.07.2019	459428	167580.00
		10.07.2019	459434	25362.00
		15.11.2019	डोंगल से	30000.00
		30.12.2019	डोंगल से	104500.00
			योग	327442.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रु0 327442.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु0 327442.00 वसूली ग्राम प्रधान श्री ताहिर सिद्धिकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद उमेर से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
327442.00		

प्रस्तर संख्या-13- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से पंजाब नेशनल बैंक देवरिया के खाता संख्या 1507000102646819 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की निम्न धनराशि इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है।

क्रम संख्या	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि
1	29.06.2019	459429	30000.00
2	11.07.2019	459435	8100.00
3	16.01.2020	—	31490.00
		योग	69590.00

उपरोक्त आहरित धनराशि पर निम्न आपत्तियां हैं:-

- (अ) हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि किन-किन स्थलों पर हैण्डपम्प खराब थे, जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया। निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही। डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (ब) पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचायत/डी0एम0 द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।
- (स) ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित है।

(द) उक्त से सम्बन्धित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः ₹0 69590.00 की धनराशि दुरुपयोगित है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद उमेर एवं प्रधान श्री ताहिर सिद्धिकी से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी है। सामान्य आपत्ति सं0-3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
	69590.00	

ग्राम पंचायत-बरसीपार

विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-14- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048981224 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि निम्न तिथियां में ह्यूम पाईप पाईप क्रय पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है:-

क्रम सं0	क्रय की गयी सामग्री	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि
1.	ह्यूम पाईप क्रय	02.04.2019	135646	191520.00
2.	ह्यूम पाईप क्रय	04.04.2019	135642	155610.00
3.	ह्यूम पाईप क्रय	04.04.2019	135643	183790.00
4.	ह्यूम पाईप क्रय	04.04.2019	135648	196308.00
5.	ह्यूम पाईप क्रय	04.04.2019	135647	191520.00
6.	ह्यूम पाईप क्रय	04.04.2019	135645	191520.00
7.	ह्यूम पाईप क्रय	04.04.2019	135644	167580.00
			योग	1277848.00

उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 1277848.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 1277848.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बबुन्द यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद उमेर से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1277848.00		

ग्राम पंचायत-बड़पुरवा

विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-15- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048989063 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त के बैंक स्टेटमेंट में दिनांक 03.03.2020 को ₹0 6500.00 की निकासी दर्शायी गयी है। उक्त धनराशि को कैशबुक में न दर्शाकर ₹0 6500.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है।

अतः व्यय की गयी धनराशि ₹0 6500.00 रुपये की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद उमेर एवं ग्राम प्रधान श्री राधे प्रसाद से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
6500.00		

प्रस्तर संख्या-16- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048989063 द्वारा वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से भूमिगत नाली निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	धनराशि
1.	जबीउल्लाह अंसारी के घर से श्यामलाल के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य। (कार्य आई0डी0 206592213)	16.11.2019	30000.00
		14.01.2020	47000.00
		03.03.2020	9000.00
		03.03.2020	95760.00
		03.03.2020	6000.00

		योग	187760.00
2.	श्यामलाल के घर से भरत कुशवाहा के खेत तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य।	03.03.2020	119700.00
		योग	119700.00
		महायोग	307460.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 307460.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 307460.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राधे प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद उमेर से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 6)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
307460.00		

ग्राम पंचायत-धनौती राय

विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-17- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048985025 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि
1.	02.05.2019	128104	68304.00
2.	02.05.2019	128103	68204.00
3.	05.03.2019	106367	35880.00
4.	05.03.2019	106366	48600.00
5.	05.03.2019	106365	16200.00
6.	05.03.2019	106364	50254.00
		योग	287442.00

उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 287442.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 287442.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
287442.00		

ग्राम पंचायत-डोल छपरा

विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-18- पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के अनुच्छेद 07 में स्पष्ट प्रावधान है:-ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु लेखा परीक्षा वर्ष 2017-2018 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048970890 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं जिसकी पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि
1.	03.04.2017	001920	51200.00
2.	05.04.2017	001923	42000.00
3.	05.04.2017	001921	15006.00
4.	05.04.2017	001922	97606.00
5.	12.04.2017	001925	157010.00

6.	12.04.2017	001919	157010.00
7.	01.05.2017	001924	20000.00
8.	03.05.2017	024706	155700.00
9.	03.05.2017	024705	197400.00
10.	03.05.2017	024703	99775.00
11.	03.05.2017	024701	90530.00
12.	03.05.2017	024702	94611.00
13.	04.05.2017	027404	20000.00
14.	12.05.2017	024712	17000.00
15.	12.05.2017	024710	15700.00
16.	15.05.2017	024708	15700.00
17.	15.05.2017	024711	13300.00
18.	15.05.2017	024714	61000.00
19.	16.05.2017	024707	9000.00
20.	03.07.2017	024713	117500.00
21.	04.07.2017	024715	117500.00
22.	04.07.2017	024709	7700.00
23.	10.07.2017	024716	71106.00
24.	10.07.2017	024717	141000.00
25.	15.07.2017	024718	120000.00
26.	17.07.2017	024719	28006.00
27.	21.07.2017	024721	120000.00
28.	21.07.2017	024720	20000.00
29.	30.08.2017	024722	70500.00
30.	03.10.2017	024725	11900.00
31.	04.10.2017	024726	5700.00
32.	24.01.2018	024728	97300.00
33.	24.01.2018	024729	117000.00
योग			2374760.00

उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 2374760.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 2374760.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेश प्रताप सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2374760.00		

ग्राम पंचायत-चोरडीहा

विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-19- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048876264 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से खण्डजा मरम्मत/निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाये गये हैं:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1.	इण्टरलॉकिंग सड़क से महाराज भगत के मकान खण्डजा निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0 29250764)	19.02.2020	सामग्री	50631.00
		26.02.2020	सामग्री	5815.00
		26.02.2020	मजदूरी	15400.00

			योग	71846.00
2.	कैलाश के मकान से रामसकल के पोखरी तक खण्डजा मरम्मत कार्य (कार्य आई0डी0 29250294)	13.03.2020	सामग्री	2200.00
		13.03.2020	सामग्री	51728.00
		13.03.2020	सामग्री	11487.00
		13.03.2020	मजदूरी	17800.00
			योग	83215.00
			महायोग	155061.00

उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 155061.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 155061.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनिवास यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
155061.00		

ग्राम पंचायत-कोल्हूआ

विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-20- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा पड़री बाजार देवरिया के खाता संख्या 2338572095 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाये गये हैं:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1.	निजामुद्दीन के दरवाजे से शिव मंदिर तक भूमिगत नाली निर्माण	06.02.2020	मजदूरी	6272.00
		06.02.2020	सामग्री	5642.00
		06.02.2020	सामग्री	4430.00
		07.02.2020	सामग्री	27800.0
			योग	44144.00
2.	जनार्दन के घर से ट्रांसफार्मर तक खण्डजा मरम्मत कार्य।	06.02.2020	मजदूरी	26152.00
		06.02.2020	सामग्री	35000.00
			योग	61152.00
			महायोग	105296.00

उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 105296.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 105296.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुल्तान खान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
105296.00		

प्रस्तर संख्या-21- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पड़री बाजार देवरिया के खाता संख्या 2338572095 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से दिनांक 07.02.2020 को 10000.00 ₹0 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं:-

(अ) हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प खराब थे, जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया। निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही। डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

- (ब) पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचायत/डी0एम0 द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।
- (स) ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 1 के अनुसार नये इण्डिया मार्क हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापित है।
- (द) उक्त से सम्बन्धित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
अतः ₹0 10000.00 की धनराशि दुरुपयोगित है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुल्तान खान एवं प्रधान श्री विजय कुमार यादव उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति सं0-6)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
	10000.00	

ग्राम पंचायत-अनुआपार

विकास खण्ड-सलेमपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-22- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 5004897449 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि में भूमिगत नाली निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	धनराशि
1.	शमशाद के मकान से गड्डे तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य (कार्य आई0डी0 15079491)	05.03.2020	22344.00
		05.03.2020	22344.00
		05.03.2020	5460.00
		17.03.2020	2010.00
		योग	52158.00
2.	बाबूराम के घर से गुप्ता जी के छोटे तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य। (कार्य आई0डी0 15079479)	05.03.2020	93100.00
		05.03.2020	29848.00
		17.03.2020	6030.00
		योग	128978.00
3.	लल्लन के घर से गड्डे तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य। (कार्य आई0डी0 21104507)	17.03.2020	104272.00
		17.03.2020	11390.00
		योग	115662.00
		महायोग	296798.00

उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 296798.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 296798.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय मिश्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहम्मद उमेर से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
296798.00		

प्रस्तर संख्या-23- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पड़री बाजार देवरिया के खाता संख्या 2338572095 द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से दिनांक 07.02.2020 को 10000.00 ₹0 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं:-

- (अ) हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प खराब थे, जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया। निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही। डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (ब) पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचायत/डी0एम0 द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।
- (स) ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित है।
- (द) उक्त से सम्बन्धित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
अतः ₹0 10000.00 की धनराशि दुरुपयोगित है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहम्मद उमेर एवं प्रधान श्री संजय मिश्रा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति सं0-6)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
	10000.00	

ग्राम पंचायत-पिपरा मिश्र

विकास खण्ड-भागलपुर

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-24- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 21.03.2020 को 18000.00 ₹0 स्टेशनरी पर व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, क्रय आदेश आदि लेखा परीक्षा जांच में सुलभ नहीं कराये गये। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिये गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

उक्त वर्ष में ₹ 18000.00 स्टेशनरी पर व्यय दर्शाया जाना अत्यधिक और अवास्तविक प्रतीत होता है। अतः उक्त व्यय को फर्जी मानते वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा चौरसिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाशंकर यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
18000.00		

प्रस्तर संख्या-25- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में भूमिगत नाली निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	सामग्री/मजदूरी	धनराशि
1.	मल्लू चौरसिया के घर से पोखरी तक भूमिगत नाली	27.11.2019	सामग्री	5880.00
		27.11.2019	मजदूरी	5096.0
		27.11.2019	सामग्री	5908.00
		27.11.2019	मजदूरी	4500.00
		27.11.2019	सामग्री	51800.00
2.	मुन्ना प्रसाद के घर से रामसहाय के घर तक भूमिगत नाली	27.11.019	सामग्री	25000.00
		27.11.2019	मजदूरी	2184.00

		27.11.2019	मजदूरी	2500.00
		27.11.2019	सामग्री	3260.00
		27.11.2019	सामग्री	3866.00
3.	फागू पासवान के घर से दयाशंकर के घर तक भूमिगत नाली	20.12.2019	सामग्री	8150.00
		20.12.2019	सामग्री	54300.00
		20.12.2019	मजदूरी	6500.00
		20.12.2019	सामग्री	11232.00
		20.12.2019	मजदूरी	6552.00
			योग	196728.00

उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ₹0 196728.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 196728.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा चौरसिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाशंकर यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
196728.00		

प्रस्तर संख्या-26- वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान किया गया है, जो कोशबही में दर्शित है:-

02.07.2019	मानदेय ग्राम प्रधान	17500.00	2019-20
24.02.2020	मानदेय ग्राम प्रधान	38500.00	2019-20
21.03.2020	मानदेय ग्राम प्रधान	3500.00	2019-20
	योग	59500.00	

परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। एक वित्तीय वर्ष में प्रति माह 3500.00 रुपये की दर से कुल 42000.00 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए था, परन्तु 59500.00 रुपये का भुगतान किया गया है।

इस प्रकार 59500.00-42000.00=17500.00 रुपये अधिक का भुगतान मानदेय पंजिका प्रस्तुत किये बिना अपहरित रही। अपहरित धन की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा चौरसिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाशंकर यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 4)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
17500.00		

ग्राम पंचायत-बेलडाड़ विकास खण्ड-बरहज जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-27- वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048850213 द्वारा 14वां/राज्य वित्त की धनराशि दिनांक 19.07.2019 को चेक नम्बर 139215 से 90,000.00 ₹0 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं:-

(अ) हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प खराब थे, जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया। निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही। डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ब) पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचायत/डी0एम0 द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।

(स) ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु-1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित है।

(द) उक्त से सम्बन्धित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः रूपया 90,000.00 की धनराशि दुरुपयोगित है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती मालती देवी उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति सं0-5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
	90,000.00	

ग्राम पंचायत-अम्मा पाण्डेय विकास खण्ड-बरहज जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-28- वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से इलाहाबाद बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048843998 द्वारा 14वां/राज्य वित्त की धनराशि दिनांक 01.08.2018 को चेक नम्बर 095793 से रू0 104500.00 एवं 02.08.2018 को चेक नम्बर 095794 से रू0 14875.00 कुल रूपया 119375.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां हैं:-

(अ) हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प खराब थे, जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया। निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही। डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ब) पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचायत/डी0एम0 द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।

(स) ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु-1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित है।

(द) उक्त से सम्बन्धित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः रूपया 119375.00 की धनराशि दुरुपयोगित है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार सिंह एवं प्रधान श्री रामजी पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति सं0-5)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
	1193750.00	

ग्राम पंचायत-जमुनी

विकास खण्ड-तरकुलवा

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-29- वर्ष लेखा परीक्षा में भूमिगत नाली मरम्मत/नाली निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शित है:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	धनराशि
1		02.08.2019	16000.00

	राम किशुन गुप्ता के घर से मुन्सफ के घर तक नाली मरम्मत कार्य	17.07.2019	98700.00
2	झमरुल्लाह के घर से मदन के घर तक नाली निर्माण कार्य	04.03.2020	82800.00
		योग	197500.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 व 154), प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 197500.00 की वसूली ग्राम प्रधान मुसद्दी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
197500.05		

प्रस्तर संख्या-30 - वर्ष लेखा परीक्षा में खण्डजा हेतु निम्नांकित व्यय दर्शित है:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	धनराशि
1	धर्मेन्द्र कुशवाहा के घर से ब्रह्म	17.07.2019	112700
		योग	112700.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 व 154), प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 112700.00 की वसूली ग्राम प्रधान मुसद्दी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
112700.00		

प्रस्तर संख्या-31- वर्ष लेखा परीक्षा में खण्डजा हेतु निम्नांकित व्यय दर्शित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	03.04.2019	5000.00
2.	25.05.2019	10000
	योग	15000.00

उक्त व्यय में सामग्री के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त क्रय की पुष्टि में स्टाक रजिस्टर (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 07 के अनुसार) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 15000.00 की वसूली ग्राम प्रधान मुसद्दी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता

15000.00		

प्रस्तर संख्या-32- वर्ष लेखा परीक्षा में चबूतरा निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शित है:-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	धनराशि
1	केसरीपुर खलिहान में चबूतरा निर्माण	20.07.2020	50790.00
		योग	50790.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 व 154), प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 50790.00 की वसूली ग्राम प्रधान मुसद्दी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
50790.05		

प्रस्तर संख्या-33- वर्ष लेखा परीक्षा में सफाई कर्मी का सामान पर दिनांक 25.07.2019 को ₹0 198000.00 का व्यय दर्शाया गया है। सफाई कर्मी सामान पर औसतन ₹0 10000.00 का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है जबकि उक्त मद में भारी मात्रा में ₹0 198000.00 का व्यय दर्शाना अवास्तविक है।

सफाई कर्मी के द्वारा सफाई किट की कोई मांग पत्र लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उक्त क्रय की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 07 के अनुसार) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 198000.00 की वसूली ग्राम प्रधान मुसद्दी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
198000.00		

प्रस्तर संख्या-34- वर्ष लेखा परीक्षा में हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाए गए है:-

सफाई कर्मी के द्वारा सफाई किट की कोई मांग पत्र लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उक्त क्रय की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 07 के अनुसार) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	25.07.2019	50000.00
	योग	50000.00

उपरोक्त व्यय में हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना एवं व्यय हेतु विभागीय पूर्व स्वीकृति एवं मरम्मत की सत्यापन रिपोर्ट सुलभ नहीं हुए। उक्त व्यय में संबंधित कोई बिल बाउचर भी लेखा परीक्षा जांच में सुलभ नहीं कराए गए। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 50000.00 की वसूली ग्राम प्रधान मुसद्दी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता

50000.00		

प्रस्तर संख्या-35- वर्ष लेखा परीक्षा में फॉर्गिंग मशीन पर दिनांक 25.07.2019 को ₹0 48000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त क्रय की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 07 के अनुसार) प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रय की पुष्टि में संपदा रजिस्टर भी लेखा परीक्षा जांच में सुलभ नहीं कराए गए। साथ ही उक्त क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹0 48000.00 की वसूली ग्राम प्रधान सुसद्दी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
48000.00		

ग्राम पंचायत-आमघाट

विकास खण्ड-रामपुर कारखाना

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-36- निम्न विवरणानुसार बैंक बचत खाता सं0-50048741667 से धनराशि आहरित किया गया है परन्तु उक्त की पुष्टि में कोषबही व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	03.04.2018	26932.00
2.	09.04.2018	11900.00
2.	09.04.2018	7000.00
	योग	45832.00

अतः ₹0 45832.00 अपहरित है। अतः ₹0 45832.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती शीलू साहनी से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 1)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
45832.00		

प्रस्तर संख्या-37- वर्ष 2018-2019 में निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि-1 खाता संख्या 50048741667 से धनराशि आहरित की गयी है। परन्तु उक्त आहरित धनराशि की पुष्टि में कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	18.02.2019	088806	77650.00
2.	18.02.2019	088008	135200.00
3.	21.02.2019	088807	18550.00
4.	25.02.2019	088809	19600.00
5.	07.03.2019	088810	9000.00
6.	12.03.2019	088811	26000.00
7.	12.03.2019	088812	26000.00
		योग	312000.00

अतः ₹0 312000.00 अपहरित है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह उत्तरदायी है। अतः ₹0 312000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
312000.00		

प्रस्तर संख्या-38- वर्ष 2019-2020 में दिनांक 06.04.2019 को बैंक बचत खाता सं0 50048741667 द्वारा श्री रामप्रकाश सिंह द्वारा 6000.00 की निकासी की गई है परन्तु उक्त की पुष्टि में कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, एम0बी0 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट किस

कार्य हेतु धनराशि आहरित की गयी है। विवरण अप्राप्त रहा। अतः ₹0 6000.00 अपहरित है। अतः ₹0 6000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति सं0- 3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
6000.00		

ग्राम पंचायत-कतौरा

विकास खण्ड-गौरीबाजार

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-39- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-2020 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048696362 इंडियन बैंक विकास भवन, देवरिया शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	01.05.2019	065531	13500=00
02	29.05.2019	065532	100000=00
03	08.07.2019	065535	20000=00
04	08.07.2019	065534	99500=00
05	08.07.2019	065533	199500=00
06	16.07.2019	065536	220794=00
07	16.07.2019	065537	197549=00
08	16.07.2019	065538	162565=00
09	29.07.2019	065540	3853=00
10	30.07.2019	065539	3000=00
11	15.11.2019	टी.आर.	58500=00
12	16.12.2019	टी.आर.	86958=00
13	17.12.2020	टी.आर.	29072=00
14	18.01.2020	टी.आर.	20958=00
15	18.01.2020	टी.आर.	1433=00
16	29.01.2020	टी.आर.	47320=00
17	29.01.2020	टी.आर.	3784=00
18	29.01.2020	टी.आर.	36853=00
19	29.01.2020	टी.आर.	190845=00
20	29.01.2020	टी.आर.	19140=00
21	29.01.2020	टी.आर.	154622=00
22	29.01.2020	टी.आर.	3953=00
23	29.01.2020	टी.आर.	1433=00
24	29.01.2020	टी.आर.	35000=00
25	25.02.2020	टी.आर.	30000=00
26	28.02.2020	टी.आर.	190987=00
27	28.02.2020	टी.आर.	48760=00
28	17.03.2020	टी.आर.	62022=00
29	17.03.2020	टी.आर.	117978=00
		योग	2159879=00

उक्त व्यय से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 व 154, के अनुसार कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र नियम संख्या 202 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर नियम संख्या 209) के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि ₹0 2159879=00 का अपहरण किया गया है। जिसको ग्राम प्रधान से तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अम्बिका प्रसाद से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति संख्या-02)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता

2159879=00

ग्राम पंचायत-हरपुर

विकास खण्ड-गौरीबाजार

जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-40- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-2020 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048892549 इंडियन बैंक विकास भवन, देवरिया शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
01	15.04.2019	108433	45427=00
02	15.04.2019	108437	28063=00
03	15.04.2019	108438	4707=00
04	15.04.2019	108434	85143=00
05	18.04.2019	108439	13125=00
06	18.04.2019	108436	9100=00
07	22.04.2019	108435	14000=00
08	27.04.2019	108441	62130=00
09	27.05.2019	108440	9221=00
10	27.05.2019	108442	11725=00
11	31.05.2019	108447	50406=00
12	31.05.2019	108444	54006=00
13	31.05.2019	108448	36006=00
14	31.05.2019	108445	30246=00
15	31.05.2019	108443	75606=00
16	31.05.2019	108446	21606=00
17	01.07.2019	108451	19950=00
18	01.07.2019	108449	8913=00
19	01.07.2019	108454	179458=00
20	02.07.2019	108452	18200=00
21	02.07.2019	108456	98850=00
22	02.07.2019	108455	29590=00
23	02.07.2019	108461	20000=00
24	02.07.2019	108458	26972=00
25	02.07.2019	108459	100830=00
26	02.07.2019	108462	100000=00
27	05.07.2019	108457	15050=00
28	08.07.2019	108460	14868=00
29	15.07.2019	108453	12194=00
30	25.11.2019	टीएफआर	150000=00
31	26.12.2019	टीएफआर	37588=00
32	26.12.2019	टीएफआर	36000=00
33	26.12.2019	टीएफआर	24000=00
34	26.12.2019	टीएफआर	24148=00
35	26.12.2019	टीएफआर	14400=00
36	26.12.2019	टीएफआर	54388=00
37	20.01.2020	टीएफआर	38241=00
38	20.01.2020	टीएफआर	168163=00
39	20.01.2020	टीएफआर	37245=00

40	20.01.2020	टीएफआर	60785=00
41	20.01.2020	टीएफआर	7742=00
42	22.01.2020	टीएफआर	12861=00
43	22.01.2020	टीएफआर	22096=00
44	22.01.2020	टीएफआर	17904=00
45	08.02.2020	टीएफआर	42000=00
46	08.02.2020	टीएफआर	198023=00
47	21.02.2020	टीएफआर	12052=00
48	21.02.2020	टीएफआर	18409=00
49	21.02.2020	टीएफआर	3262=00
50	21.02.2020	टीएफआर	6767=00
51	21.02.2020	टीएफआर	65347=00
52	21.02.2020	टीएफआर	58327=00
53	21.02.2020	टीएफआर	23072=00
54	21.02.2020	टीएफआर	12965=00
55	21.02.2020	टीएफआर	86807=00
56	21.02.2020	टीएफआर	31771=00
		योग	2459755=00

उक्त व्यय से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 व 154, के अनुसार कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र नियम संख्या 202 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर नियम संख्या 209) के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु0 2459755.00 का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्री केदार नाथ यादव से रु0 1229877.50 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती चन्द्रावती यादव तथा श्रीमती सुवार्नापाल पाल सिंह से रु0 1229877.50 से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति संख्या-02)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2459755=00		

ग्राम पंचायत-मुंडेरा उर्फ देउरवा वि०ख०-देसही देवरिया जनपद-देवरिया
प्रस्तर संख्या-41- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-2020 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048713129 इंडियन बैंक विकास भवन, देवरिया शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
01	18.04.2019	123874	20000=00
02	09.05.2019	123873	12299=00
03	26.07.2019	123878	20000=00
04	29.10.2019	टीएफआर	60601=00
05	29.10.2019	टीएफआर	68145=00
06	30.10.2019	टीएफआर	136290=00
07	30.10.2019	टीएफआर	9163=00
08	20.11.2019	टीएफआर	33642=00
09	20.11.2019	टीएफआर	30588=00
10	29.11.2019	टीएफआर	20820=00
11	02.12.2019	टीएफआर	15310=00
12	10.12.2019	टीएफआर	14510=00
13	10.12.2019	टीएफआर	111336=00

14	10.12.2019	टीएफआर	33880=00
15	11.12.2019	टीएफआर	29319=00
16	17.12.2019	टीएफआर	42570=00
17	17.12.2019	टीएफआर	175938=00
18	17.12.2019	टीएफआर	7954=00
19	31.12.2019	टीएफआर	31500=00
20	06.01.2020	टीएफआर	13030=00
21	07.01.2020	टीएफआर	30000=00
22	07.01.2020	टीएफआर	20000=00
23	18.02.2020	टीएफआर	15582=00
24	18.02.2020	टीएफआर	11600=00
25	25.03.2020	टीएफआर	10500=00
		योग	974577=00

उक्त व्यय से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 व 154, के अनुसार कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र नियम संख्या 202 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर नियम संख्या 209) के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 के अनुसार व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु0 974577.00 का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान से रु0 487288.50 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी तथा रु0 487288.50 से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। (सामान्य आपत्ति संख्या-02)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
974577=00		

जनपद का नाम - गोरखपुर

मण्डल का नाम - गोरखपुर

प्रारूप - 4

ग्राम पंचायत - गोनघट विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-01

ग्राम पंचायत गोनघट में, "पंचायत भवन से दक्खिन पुलिया निर्माण कार्य" में दिनांक 17-7-2019 को ईट क्रय हेतु रु.11600.00 एवं दिनांक 05-8-2019 को सामग्री मद में रु .35000.00 का व्यय भुगतान कोष वही में दर्शित है। इस व्यय भुगतान की सकल धनराशि रु.46600.00 के सापेक्ष व्यय वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8(क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 46600.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर यादव एवं सचिव (ग्राम) (पंचायतश्री विकास रॉय से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खजुरी पाण्डेय विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-02

दिनांक 11-4-2019 को कैश बुक में प्रशासनिक मद में रूपया 10000.00 व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि, लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर उपलब्ध कराएँ। लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 10000.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति सुनीता देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री गणेश खरवार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लखनौरी विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-03

ग्राम पंचायत लखनौरी में, "दयानंद के घर से ईटरलॉकिंग तक मिट्टी खडजा कार्य" में दिनांक 20-01-2020 को ईट क्रय हेतु रु. 30206.00 का व्यय भुगतान कोष वही में दर्शित है। इस व्यय भुगतान की धनराशि रु.30206.00 के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के

अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त व्यय वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 30206.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दर्शन यादव एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री विकास राय से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मकरन्दपुर विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-04

दिनांक 26-6-2019 को कैश बुक में प्रशासनिक मद में रूपया 9000.00 व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर उपलब्ध कराएँ। लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 9000.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति आशा देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री कृष्णानंद शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बुढनपुरा विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-05

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार सचिव श्री गणेश खरवार एवं श्रीमति सीमा देवी (ग्राम प्रधान) द्वारा स्वयं नकद रकम की निकासी कर व्यय भुगतान दर्शित है :-

क्रम.सं	तिथि	मद	चेक सं.	धन राशि रु.
1 -	05/8/2019	कीटनाशक एवं घास जलाने वाले केमिकल	346420	20000.00

उपर्युक्त सकल धनराशि रु. 20000.00 व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार इस अनियमित भुगतान हेतु ग्राम प्रधान श्रीमति सीमा देवी एवं सचिव श्री गणेश खरवार (ग्रा.वि.अधि.) संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अस्तु, सकल अपहरित धनराशि रु. 20000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति सीमा देवी एवं सचिव श्री गणेश खरवार (ग्रा.वि.अधि.) से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बुढनपुरा विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-06

दिनांक 03-8-2019 को कैश बुक में प्रशासनिक मद में रूपया 10900.00 व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर उपलब्ध कराएँ। लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 10900.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मानसिंह निषाद एवं सचिव (ग्राम पं.) श्री दिवाकर गौड़ से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसंतपुर विकास खण्ड- पिपराईच जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-07

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार सचिव श्री मत्स्यराज (ग्रा.वि.अधि.) एवं प्रधान श्रीमति फूला देवी द्वारा स्वयं नकद रकम की निकासी खाता सं.11606522655 (एसबीआई) से की गयी है :-

क्रम.सं	तिथि	आहरित कर्ता का नाम	चेक सं.	धन राशि रु.
1-	15/4/2019	श्रीमति फूला देवी (प्रधान)	273572	30000.00
2-	29/4/2019	श्रीमति फूला देवी(प्रधान)	273573	20000.00
3-	03/5/2019	श्री मत्स्यराज(ग्रा.वि.अधि.)	273574	45000.00
4-	21/5/2019	श्री मत्स्यराज(ग्रा.वि.अधि.)	273575	45000.00
5-	21/5/2019	श्री मत्स्यराज(ग्रा.वि.अधि.)	273576	40000.00
6-	04/6/2019	श्री मत्स्यराज(ग्रा.वि.अधि.)	273559	40000.00
7-	07/6/2019	श्री अमरनाथ	273578	4000.00
8-	25/6/2019	श्री मत्स्यराज(ग्रा.वि.अधि.)	273579	40000.00
		योग-		264000.00

उपर्युक्त सकल आहरित नकद धनराशि रु.264000.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। दिनांक 01/4/019 से 30/6/019 तक की कोष बही भी अप्रस्तुत रही। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए आहरित संव्यवहार के अनुरूप व्यय के सापेक्ष समस्त पत्रावली / व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त निकासी के अनुक्रम में व्यय प्रमाणक एवं तत्संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये

गए सम्पूर्ण भुगतान रुपये 264000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमति फूलादेवी एवं सचिव श्री मत्स्यराज(ग्रा.वि.अधि.) से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भैसहों विकास खण्ड- पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-08

दिनांक 08-02-2019 को फोरेलेन से बगाहिया चौराहा तक खडन्जा मरम्मत हेतु मिटटी की धुलाई के लिए चेक संख्या 425389 द्वारा श्रीमति उषा देवी (ग्राम प्रधान) द्वारा स्वयं रुपये 30000.00 की नकद निकासी की गयी है। जबकि कार्य क्लासिक इंडिया ट्रेडर्स द्वारा कराया गया है। ऐसे में भुगतान कार्यदायी फर्म के नाम होना नियम संगत है। प्रधान द्वारा स्वयं नकद निकासी किया जाना नियम विरुद्ध है। इस अनियमित भुगतान का औचित्य लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा। ऐसे भुगतान का वर्चुअल/ काल्पनिक भुगतान होने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए श्रीमति उषा देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री हरे राम यादव (सचिव) संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अतएव किये गए सम्पूर्ण भुगतान रुपये 30000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमति उषा देवी एवं सचिव श्री हरे राम यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चिलबिलवाँ विकास खण्ड- पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-09

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार सचिव श्री वकील कुमार (ग्रा.वि.अधि.) द्वारा स्वयं नकद रकम की निकासी कर व्यय भुगतान दर्शित है :-

क्रम.सं	तिथि	मद	चेक सं.	धन राशि रु.
1-	18/4/2019	स्वच्छता पर स्लौगन लिखवाई	754281	20000.00
2-	20/4/2019	एंटीलार्वा का छिणकाव	754283	20000.00
		योग-		40000.00

उपर्युक्त सकल धनराशि रु.40000.00 व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावली / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार इस अनियमित भुगतान हेतु ग्राम प्रधान श्रीमति फेकनी देवी एवं सचिव श्री वकील कुमार (ग्रा.वि.अधि.) संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अस्तु, सकल अपहरित धनराशि रु.40000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति फेकनी देवी एवं सचिव श्री वकील कुमार (ग्रा.वि.अधि.) से ब्याज सहित बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहरामपुर विकास खण्ड- पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-10

आलोच्य वर्ष में पिच रोड से अयोध्या के घर तक मिटटी खड्जा कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्रम.सं	तिथि	मद	धन राशि रु.
1 -	05/4/2019	ईंट खरीद	194880.00
2 -	01/5/2019	मिटटी पर भुगतान	68810.00
		योग -	263690.00

उपर्युक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि, वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को ग़बन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए सम्पूर्ण अनियमित भुगतान रुपये 263690.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनीष कुमार एवं सचिव श्री बृजमोहन रॉय (ग्रा.वि.अधि.) से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुई विकास खण्ड- भरोहिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-11

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुई विकासखंड भरोहिया के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 25/06/2019 को चेक संख्या 213098 से धनराशि रु.17500.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का -2 हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय हेतु दर्शाया गया है जिस पर निम्न गंभीर आपत्तिया है -

- 1- हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन- किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय किया गया। डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/ 2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु 1 के अनुसार नए इंडिया मार्का हैंडपंप और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिस्थापित किये जाने के बाद रख- रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका की ग्राम पंचायत में कुल कितने इंडिया मार्का 2 हैंडपंप स्थापित है।

- 3- उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी, त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इंडिया मार्का - 2 हैंडपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः रुपया 17500.00 की वित्तीय अनियमितता कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के अधीन ग्राम प्रधान श्री अमरकेश एवं सचिव श्री मनोज कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अमरकेश एवं सचिव श्री मनोज कुमार से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अतरौली विकास खण्ड- बांसगांव जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-12

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 2049925.00 एवं 2018-19 में कुल रुपये 2011022.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरीश चन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती कांति त्रिपाठी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरीश चन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती कांति त्रिपाठी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहेपुरवा विकास खण्ड- बांसगांव जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-13

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 1292943.10 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 112.10 बैंक खर्च/ डुप्लीकेट पासबुक प्रिंट खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 1292831.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्री ध्रुप नारायण से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्री ध्रुप नारायण से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बैरोपुर विकास खण्ड- बांसगांव जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-14

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 2005875.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 345260.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 1660615.00 चौदहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मवीर यादव व ग्राम प्रधान श्री बुद्धिराम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी धर्मवीर यादव व ग्राम प्रधान श्री बुद्धिराम से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चाडी विकास खण्ड- बांसगांव जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-15

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 1716935.40 की निकासी कर व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल अभिलेख, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरीश चन्द व ग्राम प्रधान श्री रामदुलारे से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरीश चन्द व ग्राम प्रधान श्री रामदुलारे से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चाडी विकास खण्ड- बांसगांव जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-16

स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी धर्मवीर यादव व ग्राम प्रधान श्री परशुराम से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कटवर विकास खण्ड- बांसागांव जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-22

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 1442341.80 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 188.80 बैंक खर्च/डुप्लीकेट पासबुक प्रिंट खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 1442153.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्री ओंकारनाथ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्री ओंकारनाथ से वसली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोहटारूप	विकास खण्ड- बांसगांव	जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-23
आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 789898.10 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 53.10 बैंक खर्च के रुप में है। अवशेष रुपये 789845.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी से वसूली अपेक्षित है।		

ग्राम पंचायत - लेडुआबारी खुर्द विकास खण्ड- बांसगांव जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-24

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1564743.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री पवन कुमार शुक्ला व ग्राम प्रधान श्री दूधनाथ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि व्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री पवन कुमार शुक्ला व ग्राम प्रधान श्री दूधनाथ से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परसिया विकास खण्ड- बांसगांव जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-25

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2792000100151020 से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 1201940.40 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपये 94.40 बैंक खर्च/ डुप्लीकेट पासबुक प्रिंट खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 1201846.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अंकुर दुबे व ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रघुवाडीह बुजुर्ग विकास खण्ड- बांसगांव जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-26

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 4755000100013466 से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 2028021.80 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 188.80 बैंक खर्च/ डुप्लीकेट पासबुक प्रिंट खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 2027833.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी

पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 38550.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र दुबे एवं सचिव श्री चंद्रशेखर से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लोहरपुरवा विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-32

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत लोहरपुरवा के कोषवही के अनुसार दिनांक 24/02/2020 ग्राम प्रधान का अवशेष मानदेय रु० 122000.00 (जनवरी 2016 से नवम्बर 2019 तक) दिया गया है, जिसका भुगतान बैंक पासबुक के अनुसार 07/03/2020 को हुआ है। लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर अप्रस्तुत रहने से देय धन के दुरुपयोग/अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के अधीन ग्राम प्रधान श्री विजय अग्रहरी एवं सचिव श्री हरेराम सिंह यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विजय अग्रहरी एवं सचिव श्री हरेराम सिंह यादव से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सोनौरा बुजुर्ग विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-33

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 02/01/2020 को रुपया 35000.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में सफाई सामग्री पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी मूल पत्रावली / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 35000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 35000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति प्रियंका देवी एवं सचिव श्री चंद्रशेखर से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गड़ही विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-34

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत गड़ही के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 03/05/2019 को चेक संख्या 605891 से रुपया 10250.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का 2 हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 10250.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 10250.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं सचिव श्री अरुण सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चाड़ी विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-35

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 12/07/2019 को चेक संख्या 221753 से रुपया 16500.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 16500.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 16500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना एवं सचिव श्री लालचन्द से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नरौहा विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-36

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत नरौहा के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 23/05/2019 को चेक संख्या 178827 से रुपया 5200.00 एवं दिनांक 01/07/2019 को चेक संख्या 178828 से रुपया 5500.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 10700.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 10700.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी एवं सचिव श्री अरुण सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नारायणपुर खुर्द विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-37

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत नारायणपुर खुर्द के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 24/10/2019 को चेक संख्या 425352 से रुपया 45000.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में साफ सफाई हेतु किट पर भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी मूल पत्रावली / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 45000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति राधिका एवं सचिव श्री लालचन्द से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बाउपार विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-38

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बाउपार विकासखंड गगहा के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 10/12/2019 को 14वा वित्त की धनराशि रु० 48300.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का -2 हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय हेतु दर्शाया गया है जिस पर निम्न गंभीर आपत्तिया है -

- 1- हैंडपम्प मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन- किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय किया गया। डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/ 2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु 1 के अनुसार नए इंडिया मार्का हैंडपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिस्थापित किये जाने के बाद रख- रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका की ग्राम पंचायत में कुल कितने इंडिया मार्का 2 हैंडपम्प स्थापित है।
- 3- उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी, त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इंडिया मार्का - 2 हैंडपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः रुपया 48300.00 की वित्तीय अनियमितता कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के अधीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं सचिव श्री लालचन्द से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती एवं सचिव श्री लालचन्द से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महुराई विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-39

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत महुराई के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 06/06/2019 को चेक संख्या 227050 से रुपया 12500.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 12500.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 12500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र एवं सचिव श्री आशुतोष कुमार सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सकरी विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०- 40

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 07/06/2019 को चेक संख्या 849907 से रुपया 20500.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में पोखरे में पानी भराई पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 20500.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 20500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल एवं सचिव श्री लालचन्द से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बनकटी विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-41

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 995332.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शत्रुघन चन्द व ग्राम प्रधान श्री सतीश सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शत्रुघन चन्द व ग्राम प्रधान श्री सतीश सिंह से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसही विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-42

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1480390.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित मूल पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन

अधिकारी श्री अखिलेश चंद्र व ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश चंद्र व ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चकसरया विकास खण्ड- उरुवा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-71

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **31653597376 (एसबीआई शाखा किशुनपुर)** के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वषे 2019-20 में कुल रुपये 797269.00 की निकासी की गयी है। जिसमें से रुपया 177.00 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये **797092.00** व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कैशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्री हरिदर्शन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्री हरिदर्शन से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवापार विकास खण्ड- उरुवा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-72

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **3160314663 (एसबीआई शाखा किशुनपुर)** के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वषे 2019-20 में कुल रुपये 1148182.00 की निकासी की गयी है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कैशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्री नागेंद्र यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्री नागेंद्र यादव से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गजपुर विकास खण्ड- उरुवा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-73

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **31653729268** से वषे 2019-20 में हैंडपंप मरम्मत पर कुल रुपये 220000.00 व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	कार्य विवरण	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	हैंडपंप मरम्मत	05/07/2019	119005	100000.00	दयाराम
2	हैंडपंप मरम्मत	06/07/2019	119007	120000.00	दयाराम

कुल = 220000.00

उक्त व्यय के सापेक्ष हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय किया गया। धनराशि व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि फर्म को न कर ग्राम प्रधान को किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवम लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के नियम 5 के विपरीत रहा। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा प्रसाद व ग्राम प्रधान श्री दयाराम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा प्रसाद व ग्राम प्रधान श्री दयाराम से ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरपुर विकास खण्ड- उरुवा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-74

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **31655534346 (एसबीआई शाखा किशुनपुर)** के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वषे 2019-20 में कुल रुपये 1263501.00 की निकासी की गयी है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कैशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्रीमती सनोहरी देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्रीमती सनोहरी देवी से ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हुडरी विकास खण्ड- उरुवा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-75

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **31654079216** से वषे 2019-20 में आंगनवाडी केंद्र निर्माण पर कुल रुपये 200000.00 व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	कार्य विवरण	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	आंगनवाडी केंद्र निर्माण	21/06/2019	468889	100000.00	रामजतन
2	आंगनवाडी केंद्र निर्माण	25/06/2019	468890	100000.00	रामजतन

कुल = 200000.00

उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि फर्म को न कर, ग्राम पंचायतों में वित्त एवम लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के नियम 5 के अनुसार गम्भीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा प्रसाद व ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा प्रसाद व ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से ब्याज सहित बराबर-बराबर मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हुडरी विकास खण्ड- उरुवा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-76

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **31654079216** से वषे 2019-20 में विभिन्न मदों पर कुल रुपये 162200.00 व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	कार्य विवरण	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	कूप मरम्मत	06/07/2019	468893	100000.00	रामजतन
2	हैंडपंप रिबोर	30/07/2019	468895	62200.00	रामजतन

कुल = 162200.00

उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि फर्म को न कर, ग्राम पंचायतों में वित्त एवम लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के नियम 5 के अनुसार गम्भीर वित्तीय अनियमितता कर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा प्रसाद व ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा प्रसाद व ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से बराबर-बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इमलीडीह बुर्गु विकास खण्ड- उरुवा जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-77

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **31654074310** (एसबीआई शाखा किशुनपुर) से वषे 2019-20 के जुलाई माह में कुल रुपये 671000.00 की निकासी चेक के माध्यम से की गयी है जो विभिन्न कार्यों पर खर्च किया गया है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली, व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश चंद्र व ग्राम प्रधान श्री बशीम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश चंद्र व ग्राम प्रधान श्री बशीम से बराबर-बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मरवटिया विकास खण्ड- उरुवा जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-78

आलोच्य वषे की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या **31653729858** (एसबीआई शाखा किशुनपुर) के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वषे 2019-20 में कुल रुपये 746797.00 की निकासी की गयी है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित केशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्री कयूम खान से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुदस्सिर खान व ग्राम प्रधान श्री कयूम खान से बराबर-बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डेफरा जोत विकास खण्ड- पिपरीली जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-79

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है :-

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि
1	स्टीट लाईट कार्य	198240.00

2	काली जी के स्थान पर बाउण्डीवाल व खडन्जा निर्माण	131250.00

आपत्तियां निम्नवत है -

1-व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

2-उक्त कार्यों की आनलाईन फिडिंग ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। जो अपेक्षित रहा।

3-उक्त कार्यों की वर्क आई डी0 कैशबुक व आनलाईन उपलब्ध नहीं रही। जो अपेक्षित रहा।

4-स्टीट लाईट कार्य के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर व टेण्डर, स्ट्रीट लाइट का स्पेसिफिकेशन पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जो अपेक्षित रहा।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अत एव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती सुप्रिया वर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डि से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कैली विकास खण्ड- पिपरौली जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-80

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल व निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

1-प्राथमिक वि० गाडर में रंगाई पुताई कार्य - 91000.00

2-प्राथमिक वि० गाडर में स्लोगन व चित्रकारी पर व्यय - 11000.00

3-डस्टबीन क्रय - 14000.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राम पलट यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती से बराबर-बराबर व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पिछौरा विकास खण्ड- पिपरौली जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-81

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार रु० 48000.00 हरिजन बस्ती में पानी निकासी हेतु हयूम पाइप पर व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री रवि कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी से बराबर-बराबर व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पिपरी विकास खण्ड- पिपरौली जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-82

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार रु० 150800.00 कूड़ादान क्रय पर व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार

है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव श्री रवि कुमार पाण्डेय ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान श्री शेषनाथ से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सेवई विकास खण्ड- पिपरौली जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-83

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार ₹0 48500.00 स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री रवि कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेतुवा उर्फ चनऊ विकास खण्ड- पिपरौली जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-84

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता के अनुसार दिनांक 29-11-2018 को एम/एस माँ दुर्गा ट्रेडर्स के नाम से ₹0 52098.00 का भुगतान दर्शित है जिसे कोषबही में आय व व्यय पक्ष में नहीं दर्शित किया गया है जिससे सापेक्ष मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक व कराये गये कार्य का विवरण तथा पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती सुप्रिया वर्मा व ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलडाड विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-85

वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2018-19 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1349364.00 का व्यय निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है।

क्रम	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	03.04.2018	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	67860.00
2	30.04.2018	बैंक चार्ज	280.00
3	08.05.2018	प्रशासनिक व्यय	18100.00
4	17.05.2018	मानदेय	14000.00
5	17.05.2018	पंचायत भवन मरम्मत कार्य, मजदूरी	15500.00
6	17.05.2018	हैण्डपम्प मरम्मत	7000.00
7	19.05.2018	हैण्डपम्प रिबोर	24834.00
8	19.05.2018	पंचायत भवन मरम्मत कार्य, सामान क्रय	15646.00
9	22.05.2018	पंचायत भवन मरम्मत कार्य, सामान क्रय	31273.00
10	22.05.2018	पंचायत भवन मरम्मत कार्य, टाईल्स	17400.00
11	17.07.2018	बेलडार में गड़ही से लेकर पोखरी तक नाली निर्माण कार्य, मजदूरी	15400.00
12	17.07.2018	बेलडार में गड़ही से लेकर पोखरी तक नाली निर्माण कार्य, सामान	23102.00
13	17.07.2018	बेलडार में गड़ही से लेकर पोखरी तक नाली निर्माण कार्य, ईट	42333.00
14	20.07.2018	हैण्डपम्प रिबोर	24834.00
15	31.08.2018	प्रा०वि० बेलडार मरम्मत व टाईल्स कार्य, मजदूरी	11100.00
16	31.08.2018	प्रा०वि० बेलडार मरम्मत व टाईल्स कार्य, ईट	11996.00
17	31.08.2018	प्रा०वि० बेलडार मरम्मत व टाईल्स कार्य, सामान	60810.00
18	24.09.2018	बेलडार में गड़ही से लेकर पोखरी तक नाली निर्माण कार्य, मजदूरी	8200.00
19	24.09.2018	बेलडार में गड़ही से लेकर पोखरी तक नाली निर्माण कार्य, सामान क्रय	27992.00
20	24.09.2018	बेलडार में गड़ही से लेकर पोखरी तक नाली निर्माण कार्य, ईट	19488.00
22	29.10.2018	हैण्डपम्प मरम्मत	25600.00
23	01.11.2018	लालजी के घर से विंध्यांचल के खेत तक खंडजा निर्माण कार्य, ईट	85260.00
24	02.11.2018	लालजी के घर से विंध्यांचल के खेत तक खंडजा निर्माण कार्य, मजदूरी	10500.00

25	03.11.2018	प्रा०वि० बेलडार मरम्मत व टाईल्स कार्य, सामान क्रय	55143.00
26	03.11.2018	प्रा०वि० बेलडार मरम्मत व टाईल्स कार्य, पेंट क्रय	19593.00
27	03.11.2018	प्रा०वि० बेलडार मरम्मत व टाईल्स कार्य, दरवाजा	27114.00
28	03.11.2018	स्ट्रीट लाईट	150000.00
29	20.12.2018	लालजी के घर से विंध्यांचल के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य, मिट्टी क्रय	12285.00
30	20.12.2018	लालजी के घर से विंध्यांचल के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य, मजदूरी	15400.00
31	30.01.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	25600.00
32	31.01.2019	मानदेय	24500.00
33	18.02.2019	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	26229.00
34	16.03.2019	रामा के घर से बाबुलाल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य मजदूरी	23100.00
35	16.03.2019	रविन्द्र के घर से दीलिप के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य मजदूरी	14700.00
36	16.03.2019	रामनयन के खेत से रामदरश के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य मजदूरी	12600.00
37	18.03.2019	रामा के घर से बाबुलाल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य ईट	36540.00
38	18.03.2019	रविन्द्र के घर से दीलिप के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य ईट	24360.00
39	18.03.2019	रामनयन के खेत से रामदरश के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य ईट	18270.00
40	18.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	26325.00
41	23.03.2019	रविन्द्र के घर से दीलिप के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य, मिट्टी	10290.00
42	27.03.2019	रामा के घर से बाबुलाल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य, मिट्टी	18900.00
43	27.03.2019	रविन्द्र के घर से दीलिप के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य, मजदूरी	11375.00
44	27.03.2019	रविन्द्र के घर से दीलिप के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य, ईट	7612.00
45	27.03.2019	रामनयन के खेत से रामदरश के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य ईट	10353.00
46	27.03.2019	रामनयन के खेत से रामदरश के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य, मिट्टी	7350.00
47	27.03.2019	रामनयन के खेत से रामदरश के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य, मजदूरी	6300.00
48	29.03.2019	लौहर के घर से दिनेश के खेत तक सी सी रोड निर्माण कार्य, मजदूरी	18500.00
49	29.03.2019	लौहर के घर से दिनेश के खेत तक सी सी रोड निर्माण कार्य, सामान क्रय	58157.00
50	29.03.2019	बेलडार में पिच रोड से फूलदेव के घर तक सी सी रोड मरम्मत कार्य मजदूरी	12950.00
51	29.03.2019	बेलडार में पिच रोड से फूलदेव के घर तक सी सी रोड मरम्मत कार्य ईट	17974.00
52	29.03.2019	बेलडार में पिच रोड से फूलदेव के घर तक सी सी रोड मरम्मत सामान क्रय	26061.00
53	30.03.2019	रामा के घर से बाबुलाल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य, ईट	33495.00
54	30.03.2019	प्रा०वि० बेलडार मरम्मत व टाईल्स कार्य, वायरिंग व मोटर	19780.00

दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी व ग्राम प्रधान श्री सुरेश से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी व ग्राम प्रधान श्री सुरेश से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलडाड विकास खण्ड- खजनी जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-86

लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1000278.00 का व्यय निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है।

क्रम	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	25.04.2019	व्हील चैयर	5125.00
2	25.12.2019	ईट और ईट गिट्टी का भुगतान	75678.00
3	25.12.2019	ईट और ईट गिट्टी का भुगतान	68696.00
4	01.01.2020	सीमेंट, बालू, मोरंग, पत्थर गिट्टी और टीएमटी सरिया का भुगतान	118380.00
5	01.01.2020	सीमेंट, बालू, मोरंग, पत्थर गिट्टी और टीएमटी सरिया का भुगतान	115530.00
6	01.01.2020	मजदूरी का भुगतान	43910.00
7	01.01.2020	मजदूरी का भुगतान	43106.00
8	26.01.2020	मजदूरी का भुगतान	11770.00
9	26.01.2020	मजदूरी का भुगतान	11770.00

10	26.01.2020	सीमेंट, बालू, मोरंग, गिट्टी का भुगतान	89577.00
11	26.01.2020	ईट और ईट गिट्टी का भुगतान	33443.00
12	26.01.2020	मजदूरी का भुगतान	11770.00
13	26.01.2020	सीमेंट, बालू, मोरंग, गिट्टी और सरिया का भुगतान	96517.00
14	26.01.2020	मजदूरी का भुगतान	10866.00
15	26.01.2020	ईट और ईट गिट्टी का भुगतान	44546.00
16	26.01.2020	मजदूरी का भुगतान	10866.00
17	26.01.2020	मजदूरी का भुगतान	10866.00
18	22.02.2020	सामान का भुगतान	9850.00
19	22.02.2020	सामान का भुगतान	9850.00
20	03.03.2020	सामान का भुगतान	28000.00
21	22.03.2020	सीमेंट, बालू, मोरंग, गिट्टी और सरिया का भुगतान	14539.00
22	22.03.2020	ईट गिट्टी का भुगतान	6235.00
23	22.03.2020	दरवाजा, खिड़की, टाईल्स, लकड़ी, पेंटिंग का भुगतान	115388.00
24	22.03.2020	मजदूरी का भुगतान	14000.00

दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी व ग्राम प्रधान श्री सुरेश से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी व ग्राम प्रधान श्री सुरेश से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चिलौना विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-87

लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1143783.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द व ग्राम प्रधान श्री रामपति से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी रमेश चन्द व ग्राम प्रधान श्री रामपति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डोडो विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-88

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 502192.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 42000.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 460192.00 चौदहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुबाष चंद्र व ग्राम प्रधान श्रीमती सुचित्रा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुबाष चंद्र व ग्राम प्रधान श्रीमती सुचित्रा से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डूमरैला विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-89

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1346495.00 का व्यय निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है।

क्रम	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि

1	02.04.2019	लोक सभा चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु	5125.00
2	02.07.2020	कोइल के घर से शंकर के घर तक मिट्टी खडंजा	14963.00
3	"	"	8750.00
4	"	"	12250.00
5	"	अंसार के घर से चौथी के घर तक मिट्टी खडंजा	28282.00
6	"	"	18693.00
7	"	"	46200.00
8	15.07.2020	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	165200.00
9	17.12.2019	ब्रिक्स, मिट्टी	57969.00
10	17.12.2019	ब्रिक्स, पीविसी पाइप	17712.00
11	08.02.2020	ब्रिक्स, मिट्टी	107660.00
12	"	लेबर	22800.00
13	11.02.2020	"	12825.00
14	"	"	4560.00
15	22.02.2020	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	28100.00
16	"	"	28000.00
17	"	"	28100.00
18	"	"	28000.00
19	"	ब्रिक्स	33201.00
20	"	मिट्टी	1990.00
21	29.02.2020	फागिंग	19600.00
22	"	"	29600.00
23	04.03.2020	लाईट	112500.00
24	07.03.2020	ब्रिक्स	190575.00
25	"	लेबर	7410.00
26	"	"	45600.00
27	"	मिट्टी	10800.00
28	17.03.2020	हैण्डपम्प रिपेयर कार्य	6400.00
29	"	"	6350.00
30	"	"	6450.00
31	22.03.2020	प्रधान मानदेय	40000.00
32	"	हैण्डपम्प रिपेयर कार्य	23500.00
33	"	ब्रिक्स, मिट्टी	40600.00
34	29.03.2020	स्ट्रीट लाईट	135000.00

दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र व ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र व ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खूटभार विकास खण्ड- खजनी जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-90

वर्ष 2018-19 में ग्रामनिधि प्रथम के कोषवही के अनुसार वर्ष में उपभोग / व्यय रुपये 2452100.00 है जबकि बैंक पासबुक के अनुसार रूपया 2506364.00 है। इस प्रकार रूपया 54264.00 कोषवही में अंकित न कर अपहृत कर लिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवेंद्र पाल सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवेंद्र पाल सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तुलसी रतन विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-95

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 1254975.00 की निकासी की गयी है जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रसून मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती शंकरावती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रसून मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती शंकरावती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तुलसी रतन विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-96

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 549768.00 की निकासी की गयी है जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रसून मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती शंकरावती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री प्रसून मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती शंकरावती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परसिया मिश्र विकास खण्ड- गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-97

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत परसिया मिश्र का मात्र ग्राम निधि प्रथम का बैंक पासबुक, कोषबही तथा प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट ही जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। कई बार मांग के बाद भी कोषबही के अनुसार व्यय के व्यय प्रमाणक एवं कार्यों की पत्रावलियां जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कोषबही में दर्शित कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत कोषबही में खर्चों के सापेक्ष प्रायः कार्यों का नाम, स्थल, एवं माप आदि का विवरण अंकित नहीं है। जिससे उक्त कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) कोषबही एवं प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट में समानता नहीं है। कुछ कार्यों का विवरण कोष बही में अंकित है परन्तु प्रियासॉफ्ट में अंकित नहीं है।

(घ) बैंक पासबुक की जाँच के अनुसार प्रायः भुगतान फर्मों को न देकर किसी व्यक्ति विशेष को किया गया है। जो अनियमित है।

(ङ) वर्ष 2019 -20 में ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता से दिनांक 22/03/2020 को आहरित कुल ₹040000.00 + 12544.00 + 3000.00 = ₹0 55544.00 का आय व्यय कोषबही में अंकित न करके कुल ₹0 55544.00 का अपहरण किया गया है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत परसिया मिश्र में बैंक पासबुक एवं कोषबही के अनुसार वर्ष 2018 -19 में रूपया 1920134.00 एवं 2019 -20 में ₹01273061.00 कुल ₹0 3193195.00 व्यय किया गया है। जो अनियमित एवं फर्जी व्यय प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 156(2) के प्रावधानों के विपरीत है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शायी गई कुल धनराशि रूपया 3193195.00 को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली उत्तर दायी ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बरपार विकास खण्ड- गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-98

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत बरपार का मात्र ग्राम निधि प्रथम बैंक पासबुक, कोषबही तथा प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट ही जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। कई बार मांग के बाद भी कोषबही के अनुसार व्यय के व्यय प्रमाणक एवं कार्यों की पत्रावलियां जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कोषबही में दर्शित कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत कोषबही में खर्चों के सापेक्ष प्रायः कार्यों का नाम, स्थल, एवं माप आदि का विवरण अंकित नहीं है। जिससे उक्त कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) कोषबही एवं प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट में समानता नहीं है। कुछ कार्यों का विवरण कोष बही में अंकित है परन्तु प्रियासॉफ्ट में अंकित नहीं है।
 (घ) बैंक पासबुक की जाँच के अनुसार प्रायः भुगतान फर्मों को न देकर किसी व्यक्ति विशेष को किया गया है। जो अनियमित है।
 (ङ) वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर 2019 में आहरित कुल ₹ 302651.00 का कार्य एवं व्यय कोष बही में अंकित नहीं है। जिससे उक्त धन के अपहरण की पुष्टि होती है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत बरपार में बैंक पासबुक एवं कोषबही के अनुसार वर्ष 2018 -19 में रुपया 1989950.00 एवं 2019-20 में ₹ 1480463.00 कुल ₹ 3470413.00 आहरण करके व्यय किया गया है। जो अनियमित एवं फर्जी व्यय प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाया गई कुल धनराशि रुपया 3470413.00 को गबन मानते हुए, उक्त धनराशि की वसूली उत्तर दायी ग्राम प्रधान श्रीमती सैयदा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अहिरौली 2 विकास खण्ड- गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-99

(क) लेखापरीक्षा में ग्राम पंचायत **अहिरौली 2** का मात्र ग्राम निधि प्रथम का बैंक पासबुक, कोषबही तथा प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट ही जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। कई बार मांग के बाद भी कोषबही के अनुसार व्यय के व्यय प्रमाणक एवं कार्यों की पत्रावलियां जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कोषबही में दर्शित कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत कोषबही में खर्चों के सापेक्ष प्रायः कार्यों का नाम, स्थल, एवं माप आदि का विवरण अंकित नहीं है। जिससे उक्त कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) कोषबही एवं प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट में समानता नहीं है। कुछ कार्यों का विवरण कोषबही में अंकित है परन्तु प्रियासॉफ्ट में अंकित नहीं है।

(घ) बैंक पासबुक की जाँच के अनुसार प्रायः भुगतान फर्मों को न देकर किसी व्यक्ति विशेष को किया गया है। जो अनियमित है।

इस प्रकार ग्रामपंचायत अहिरौली 2 में बैंक पास बुक एवं कोषबही के अनुसार वर्ष 2018 -19 में रुपया 1856129.00 एवं 2019-20 में ₹ 1132771.00 कुल ₹ 2988900.00 अहरण करके व्यय किया गया है। जो अनियमित एवं फर्जी व्यय प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त व्यय उत्तरप्रदेश पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत है। पंचायतराज विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा ग्रामपंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाया गई कुल धनराशि रुपया 2988900.00 को गबन मानते हुए, उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान श्रीमती मनीषा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ददरा विकास खण्ड- गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-100

(क) लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **ददरा** का मात्र ग्राम निधि प्रथम का बैंक पासबुक, कोषबही तथा प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट ही जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। कई बार मांग के बाद भी कोषबही के अनुसार व्यय के व्यय प्रमाणक एवं कार्यों की पत्रावलियां जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कोषबही में दर्शित कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत कोष बही में खर्चों के सापेक्ष प्रायः कार्यों का नाम, स्थल, एवं माप आदि का विवरण अंकित नहीं है। जिससे उक्त कार्यों एवं खर्चों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) कोषबही एवं प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट में समानता नहीं है। कुछ कार्यों का विवरण कोषबही में अंकित है परन्तु प्रियासॉफ्ट में अंकित नहीं है।

(घ) बैंक पासबुक की जाँच के अनुसार प्रायः भुगतान फर्मों को न देकर किसी व्यक्ति विशेष को किया गया है। जो अनियमित है।

इस प्रकार ग्रामपंचायत ददरा में बैंक पासबुक एवं कोषबही के अनुसार वर्ष 2018 -19 में रुपया 1043339.00 एवं 2019 -20 में ₹ 697049.00 कुल ₹ 1740388.00 व्यय किया गया है। जो अनियमित एवं फर्जी व्यय प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत है। पंचायतराज विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाया गई कुल धनराशि रुपया 1740388.00 को गबन मानते हुए, उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाण्डेय से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दुरई विकास खण्ड- गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-101

ग्राम पंचायत दुरई की वर्ष 2018- 19 एवं 2019 -20 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्ड पम्प एवं रिबोर हेतु वर्ष 2018-19 में ₹ 189930.00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹ 59500.00 कुल ₹ 249430.00 का व्यय किया गया है। जिसका व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली मांग के बाद भी जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त व्यय संधिगंध/फर्जी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाया गई कुल धनराशि रुपया 249430.00 को गबन मानते हुए, उक्त धनराशि की वसूली उत्तर दायी ग्राम प्रधान श्री राममिलन यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जबरैला बिस्कोहर विकास खण्ड- सहजनवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-102

दिनांक 20.04.2018 को ₹0 4000.00 ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित है जिसका व्यय कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार ₹0 4000.00 खाते से निकाल कर दुरुपयोग कर लिया गया है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभय कुमार से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पचौरी विकास खण्ड- सहजनवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-103

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार ₹0 4900.00 ग्राम निधि खाते से आहरित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत कुमारी माधवी पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्री पंचम सिंह से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गंगटही विकास खण्ड- सहजनवा जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-104

लेखा परीक्षा वर्ष माह अप्रैल 2019 से माह जुलाई 2019 तक की कोषबही प्रस्तुत नहीं की गयी साथ ही बैंक से धनराशि के निकासी / स्थानान्तरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य कराये जाने की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी विवरण निम्नवत है -

दिनांक	धनराशि
05-07-2019	280140.00
05-07-2019	18000.00
05-07-2019	43680.00
05-07-2019	27300.00
05-07-2019	9300.00
05-07-2019	36764.00
अप्रैल 2019	4661.00
योग	419845.00

इस प्रकार कुल ₹0 419845.00 की खाते से आहरण के पश्चात व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली न प्रस्तुत कर अनियमितता की गयी है। कोषबही, व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गेना देवी व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संजय दूबे से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरदी विकास खण्ड- सहजनवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-105

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में मरम्मत कार्य पर माह मार्च 2020 में ₹0 242731.00 का व्यय दर्शित जिसके सापेक्ष कैशबुक में विवरण व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का

अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामलौट यादव सचिव व ग्राम पंचायत श्री संजय कुमार दूबे से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रकौली विकास खण्ड- सहजनवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-106

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्नलिखित तिथियों में ₹0 368000.00 की निकासी की गयी है विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	धनराशि
23-05-2018	40000.00
18-06-2018	10000.00
19-06-2018	85000.00
22-06-2018	98000.00
29-06-2018	40000.00
29-06-2018	95000.00
योग	368000-00

जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती अनुपमा सक्सेना व ग्राम प्रधान श्री गंगा से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नेवास विकास खण्ड- पाली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-107

दिनांक 09-04-2019 को ग्राम निधि प्रथम खाते से ₹0 30000.00 तथा दिनांक 08-07-2019 को ₹0 4495.00 कुल ₹0 34495.00 की निकासी की गयी है। जिसका लेखा / प्रविष्टि कैशबुक में नहीं किया गया है साथ ही इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री बाकिलाल व ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी त्रिपाठी से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बाहीलपार विकास खण्ड- पाली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-108

दिनांक 27-09-2018 को ग्राम निधि प्रथम खाते से ₹0 15000.00 की निकासी की गयी है। जिसका लेखा / प्रविष्टि कैशबुक में नहीं किया गया है साथ ही इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री बाकिलाल व ग्राम प्रधान श्रीमती लाली से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उसरी विकास खण्ड- पाली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-109

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित प्रकार से ग्राम निधि खाते से धन आहरण के पश्चात व्यय कैशबुक रूप पत्र -06 में दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

	दिनांक	धनराशि
1	03-04-2019	10000.00
2	03-04-2019	49000.00
3	03-04-2019	10000.00
4	03-04-2019	26500.00
5	17-04-2019	5000.00
6	22-04-2019	5125.00
7	21-05-2019	5000.00
8	13-06-2019	2000.00
9	03-07-2019	20000.00
10	03-07-2019	42000.00
11	10-07-2019	10000.00
12	10-07-2019	10000.00
	योग	194625.00

उपरोक्त व्यय कुल ₹0 194625.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री अखिलेश कुमार सिंह सचिव ग्राम पंचायत श्री विरेन्द्र भूषण से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिसई विकास खण्ड- पाली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-110

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित प्रकार से ग्राम निधि खाते से आहरण के पश्चात व्यय कैशबुक रूप पत्र -06 में दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

	दिनांक	धनराशि
1	10-04-2019	15000.00
2	10-04-2019	42000.00
3	12-04-2019	24500.00
4	17-04-2019	54000.00
5	23-04-2019	20000.00
6	23-04-2019	5125.00
7	13-06-2019	2000.00

8	04-07-2019	45000.00
9	04-07-2019	40000.00
10	05-07-2019	40000.00
11	15-07-2019	40000.00

योग 327625.00

उपरोक्त व्यय कुल ₹0 327625.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधेश व सचिव ग्राम पंचायत श्री विरेन्द्र भूषण से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - माडर विकास खण्ड- पाली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-111

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार दिनांक 07-09-2018 को 50 अदद स्टीट लाईट क्रय पर ₹0 247000.00 का व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्य पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आपत्तियां निम्नवत है :-

1-कार्यपर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

2-स्टीट लाईट कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर व टेण्डर पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जो वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं० ए-1-864(1)/दस-2008-15 (1)66 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के विपरीत रहा।

3-पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार कुल भुगतान ₹0 247000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री ब्रिजेश कुमार यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनु निषाद से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सेमरडाडी विकास खण्ड- पाली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-112

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित प्रकार से ग्राम निधि खाते से आहरण के पश्चात व्यय कैशबुक रूप पत्र -06 में दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्य पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1 सेमरडाडी में रामहित के घर से रामधनी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य		
उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	08.04.2019	47436.00
उक्त कार्य पर ईट क्रय	11.05.2019	40356.00
उक्त कार्य पर ईट का टुकड़ा क्रय	30.05.2019	29757.00

	उक्त कार्य पर ईट क्रय	18.06.2019	33495.00
	उक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय	24.06.2019	10850.00
	उक्त कार्य पर इन्टरलॉकिंग ईट क्रय	02.07.2020	26904.00
	उक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय	08.07.2019	20825.00
2	लोकसभा चुनाव हेतु कुर्सी मेज सामग्री पर व्यय	20.06.2019	6000.00
3	स्टेशनरी क्रय	08.07.2019	377.00
	योग		216000.00

उपरोक्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश कुमार यादव से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ज० तिकोनिया न० ०२ विकास खण्ड- चरगावा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-113

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	आंगनवाडी कार्य	20.06.2019	200000.00
	आंगनवाडी कार्य	20.06.2019	200000.00
			400000.00
2	फांगिंग मशीन क्रय	25.01.2020	49100.00
			449100.00

आपत्तियां निम्नवत है -

1-आंगनवाडी पर कार्य के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

2- फांगिंग मशीन क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कोटेशन पत्रावली में उपलब्ध नहीं करायी गयी जो वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं० ए-1-864(1)/दस-2008-15 (1)66 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के विपरीत रहा।

इस प्रकार कुल भुगतान रू० 449100.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री ओमप्रकाश तिवारी व ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दुलता से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ज० छत्रधारी विकास खण्ड- चरगावा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-114

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	स्टीट लाईट कार्य (वर्क आई.डी.-14571213)	06.01.2020	247320.00
	स्टीट लाईट कार्य (वर्क आई.डी.-14571213)	13.01.2020	238160.00
	स्टीट लाईट कार्य (वर्क आई.डी.-14571070)	07.02.2020	247320.00
	स्टीट लाईट कार्य (वर्क आई.डी.-14571070)	08.02.2020	247320.00
			980120.00
2	डस्टबीन (वर्क आई.डी.-14571030)	08.11.2019	124000.00
	डस्टबीन (वर्क आई.डी.-14571030)	16.11.2020	124000.00
			248000.00
3	प्रशासनिक व्यय-चूना ब्लीचिंग (आई.डी.-14571199)	22.11.2019	12542.00
	प्रशासनिक व्यय-ठेला क्रय (आई.डी.-14571199)	22.11.2019	23730.00
	प्रशासनिक व्यय-फावडा / बेल्ला (आई.डी.-14571199)	22.11.2019	11995.00
	प्रशासनिक व्यय-ठेला क्रय (आई.डी.-14571199)	22.11.2019	11865.00
	प्रशासनिक व्यय-टेबुल / चेर (आई.डी.-14571199)	04.12.2019	34500.00
	प्रशासनिक व्यय-17 अदद चेर (आई.डी.-14571199)	26.12.2019	16405.00
	प्रशासनिक व्यय-चूना छिडकाव (आई.डी.-14571199)	03.02.2020	24350.00
	प्रशासनिक व्यय-स्टेशनरी (आई.डी.-14571199)	06.03.2020	20873.00
			156260.00
4	फार्गिंग कार्य (वर्क आई.डी.-14571200)	06.11.2019	12800.00
	फार्गिंग कार्य (वर्क आई.डी.-14571200)	06.01.2020	21300.00
	फार्गिंग कार्य (वर्क आई.डी.-14571200)	06.03.2020	24060.00
			58160.00

आपत्तियां निम्नवत हैं-

1-फार्गिंग कार्य व प्रशासनिक व्यय के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

2-स्टीट लाईट कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर व टेण्डर पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जो वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15 (1)66 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के विपरीत रहा।

3-डस्टबिन क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक राजकीय निर्धारित दर व टेण्डर पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जो वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15 (1)66 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के विपरीत रहा।

इस प्रकार कुल भुगतान रू0 1442540.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती सीमा शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सराय गुलरिया विकास खण्ड- चरगावा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-115

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां वैध विद्युत कनेक्शन की पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है :-

	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	स्टीट लाईट कार्य (वर्क आई.डी.-29727887)	07.02.2020	247320.00

आपत्तियां निम्नवत हैं-

1-व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

2-स्टीट लाईट कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर व टेण्डर पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी जो वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15 (1)66 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के विपरीत रहा।

3-पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार कुल भुगतान रू0 247320.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री ओमप्रकाश तिवारी व ग्राम प्रधान श्री खडग बहादुर यादव से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेला विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-116

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता सं0 31600264654 (एसबीआई- जंगल कौडिया) के अनुसार दिनांक 16-05-2019 को चेक सं0 239192 द्वारा रू0 20000.00 का नकद भुगतान किया गया है जिसे कोषवही में प्रशासनिक मद के अर्न्तगत व्यय दर्शित किया गया है जिससे सापेक्ष मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक व कराये गये कार्य का विवरण तथा पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर

सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम सचिव श्रीमती प्रिया साहनी व ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेला विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-117

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्न तिथियों में बैंक खाते से नगद भुगतान ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार यादव को किया गया है विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	माह
30-05-2019	239193	3500	मार्च -19
30-05-2019	239194	3500	अप्रैल -19
01-07-2019	239193	7000	मई 19 to जून 2019
07-01-2020	239193	28000	मई 19 to दिसंबर 19
07-01-2020	239193	3500	अप्रैल -19

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अप्रैल 2019 के सापेक्ष दो बार व मई 2019 के सापेक्ष दो बार मानदेय का भुगतान ₹ 7000.00 श्री अशोक कुमार यादव को करते हुये ₹ 7000.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256(2) के तहत ग्राम सचिव श्रीमती प्रिया साहनी व ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना भी अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ₹ 7000.00 की वसूली बराबर-बराबर मात्रा में ग्राम सचिव श्रीमती प्रिया साहनी व ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भौरामल विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-118

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता सं० 11529872551 (एस बी आई- जंगल कोरिया) के अनुसार दिनांक 6-08-2019 को चेक सं० 43163 द्वारा ₹ 93177.00 का भुगतान दर्शित है जिसे कोषबही में आय व व्यय पक्ष में नहीं दर्शित किया गया है जिससे सापेक्ष मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक व कराये गये कार्य का विवरण तथा पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रिया साहनी व ग्राम प्रधान श्री ललई से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भौरामल विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-119

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्न तिथियों में बैंक खाते से स्वच्छता व प्रशासनिक मद में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	वर्क आईडी	दिनांक	धनराशि
सफाई सामग्री व साफ सफाई पर व्यय	17576758	06-08-2019	42365
स्वच्छता पर व्यय	9703081	24-02-2020	7000
परिवार रजिस्टर प्रिन्टिंग व बाईण्डिंग कार्य	11080958	10-03-2020	33189
योग			82554

मांगोपरान्त व्यय प्रमाणक व कराये गये कार्य का विवरण तथा पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रिया साहनी व ग्राम प्रधान श्री ललई से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भौरामल विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-120

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 23.04.2019 को ग्राम निधि खाते से निर्वाचन डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में क्रमशः ₹0 15375.00 तथा ₹0 5125.00 का भुगतान व्हील चेयर मद में किया गया है। लेखा परीक्षा में यह तथ्य विदित हुआ कि सामान्यतया ग्राम पंचायतों द्वारा प्रति ग्राम पंचायत 01 व्हीलचेयर के सापेक्ष ही भुगतान किया है। ग्राम पंचायत भौरामल में 04 व्हीलचेयर क्रय करने का औचित्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान द्वारा अतिरिक्त व्हीलचेयर क्रय कर अनियमितता की गयी है। संस्था द्वारा क्रय प्रक्रिया में वित्तीय औचित्य व मितव्ययिता का पालन नहीं किया गया है। अनियमितता की वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रिया साहनी व ग्राम प्रधान श्री ललई से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बुढियाबारी विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-121

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के कोषबही के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है –

1-सुन्दर के घर से पाथर के जमीन तक भूमिगत नाली	- ₹0 181682.00
2-पाथर के घर से कपिल के घर तक भूमिगत नाली	- ₹0 392702.00

कुल योग ₹0 574384.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री विजय प्रताप व ग्राम प्रधान श्रीमती भारती से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शेरपुर चमराह विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-122

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के कोषबही के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है –

1-15787963-तीजू के घर से मनता के घर तक मि0 एवं खडन्जा कार्य	
ईट क्रय हेतु श्री गोरक्षनाथ टेडर्स को -	रु0 66381.00
मिटटी	रु0 4126.00
मजदूरी	रु0 18810.00
2-15787980-मिठाई के घर से धोबी गढडा तक भूमिगत नाली	
मे0 आदित्य टेडिंग कम्पनी पाईप क्रय -	रु0 86164.00
3-15787955- स्टेशनरी आदि पर व्यय	रु0 13500.00

कुल योग रु0 -

188981.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री विजय प्रताप व ग्राम प्रधान श्री धर्मराज यादव से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उत्तरासोत विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-123

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल व निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय रु0 469755.00 की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है :-

1-मोती के घर से इन्टरलार्किंग रोड तक मि0/ ख0 कार्य	- 68755.00
2-जंगबहादुर के घर से विश्वनाथ के घर तक मि0/ ख0 कार्य	- 180000.00
3-चन्द्रभान के घर से रामलाल के घर तक भूमिगत नाली	- 141000.00
4-हैण्डपम्प मरम्मत	- 80000.00

आपत्तियां निम्नवत है -

- 1-उपरोक्त कार्यों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित नहीं किया गया औ ना ही वर्क आईडी0 सहित एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में व्यय दर्शित है।
- 2-व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती गौरी सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से बराबर-बराबर व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जानीपुर विकास खण्ड- कौडीराम जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-124

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं करायी गयी प्रभारी सचिव श्री चन्देलाल द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018-19 के अभिलेखों का चार्ज आतिथि तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अंकुर दूबे द्वारा किसी अन्य विकास खण्ड में स्थानान्तरण के उपरान्त नहीं दिया गया है जो अधिकारियों के संज्ञान में है तथा जिस हेतु पत्राचार किया जा रहा है। चार्ज न दिया जाना पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 06/2017/2325/33-1-2917-1988/17 दिनांक दिसम्बर 2017 के विपरीत रहा। उक्त शासनादेश के द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज /अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रतिस्थानी को चार्ज /अभिलेख का हस्तान्तरण न करने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करते हुये शासन को अवगत कराये जाने का उल्लेख है। जिसके परिपालन में सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। आनलाईन आंकडे / ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी विवरण निम्नवत है :-

क्र० स०	कार्य आई डी०	कार्य का नाम	स्कीम का नाम	कुलखर्च(रु.में)	वाउचर की सं०
1	17935170	भुषण के घर से पोखरी तक नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	165919	2
2	17894687	जानीपुर गगगा मार्ग से रामचंद्र के खेत तक ईटरलार्किंग निर्माण कार्य	14 वा वित्त	224656	2
3	18101249	राम आश्रय के घर से रमाकांत के घर तक ईटरलार्किंग कार्य	14 वा वित्त	169988	1
4	18231607	हैंडपम्प रिबोर कार्य	14 वा वित्त	140860	1
5	17728897	ग्राम प्रधान का मानदेय	14 वा वित्त	31500	1
6	17730481	विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	72500	1
7	18048683	जगदीश सिंह के घर से राम प्रताप के घर तक नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	175819	1
8	18100780	जानीपुर लहीदादी मार्ग से रामाश्रय के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य	14 वा वित्त	473707	4
9	18231238	रामक्रीत के घर महाबली के घर तक ईटर लार्किंग कार्य	14 वा वित्त	340802	4
10	17725811	विभिन्न स्थानों पर कूप मरम्मत व ढक्कन कार्य	14 वा वित्त	90774	3
11	18101355	रकांत के घर से राम खेही के घर तक ईटरलार्किंग कार्य	14 वा वित्त	352471	4
12	18968529	पी० वी० मे ईटरलार्किंग कार्य	14 वा वित्त	302704	2
13	8509847	मिट्टी खड्डनजा कार्य	14 वा वित्त	193997	2
विना किसी विवरण के व्यय				2735697	28
योग				419303	
				3155000	

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अंकुर दूबे व ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जानीपुर विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-125

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक के अनुसार संस्था के खाता सं० 591302010001253 द्वारा दिनांक 30-07-2019 को चेक सं० 12008960 द्वारा यादव बिल्डिंग मैटेरियल को रु० 300000.00 का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष कोई कार्य कराया जाना अभिलेखों से प्रतीत नहीं होता है इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कोई निर्माण कार्य न कराया जाना धन का अपहरण प्रतीत होता है जिस हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अंकुर दूबे व ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह उत्तरदायी है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न

कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अंकुर दूबे व ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मेहरौली विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-126

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त /चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र० सं०	कार्य आईडी	कार्य का नाम	स्किम का नाम	कुलखर्च(रु.में)
1	27311335	पूर्व मा0वि0 मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	40741.00
2	27310999	रोड से सन्तु क ेघर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	158500.00
3	27313255	प्रशासनिक मद	राज्य वित्त	12000.00
4	27313319	ग्राम प्रधान जी का मानदेय	राज्य वित्त	14000.00
5	27313177	मेन रोड से शम्भू के घर तक नाला मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	80000.00
6	27311228	प्राथमिक वि० में टायल्स कार्य	चौदहवां वित्त	161628.00
7	27310766	राजेश के घर के बगल रोड पर पुलिया हयुम पाईप निर्माण	चौदहवां वित्त	43000.00
8	14899001	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	24000.00
		हवील चैयर		5125.00
				538994.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - मेहरौली विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-127

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित तिथियों में निकासी के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये और ना ही उक्त निकासी के सापेक्ष कराये गये कार्यों को आनलाईन ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित किया गया है। विवरण निम्नवत है स्वराज पोर्टल पर दर्शित किया गया है। विवरण निम्नवत है -

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
31-07-2019	12031064	80000.00	श्री राज कुमार साही
31-07-2019	12031065	40000.00	श्री मंजू देवी
05-08-2019	12031067	40000.00	श्री राज कुमार शाही
05-08-2019	12031066	100000.00	स्वास्तिका ईटर प्राइजेज
		112688.00	
24-12-2019	पी0एफ0एम0एस	372688.00	

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - मेहरौली विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-128

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त /चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र० स०	कार्य आई डी०	कार्य का नाम	स्कीम नाम	कुलखर्च(रु.में)
1	14899616	मेन रोड से लाल जी पाल के घर तक खड़गजा मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	206506
2	14898931	प्रदीप के घर से प्रहलाद के घर तक मिट्टी खड़गजा कार्य	राज्य वित्त	192012
3	14896681	आगनवाड़ी के फर्श /दिवाल मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	147000
4	14899001	विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	116200
5	14899791	प्रधान जी का मानदेय	राज्य वित्त	38500
6	14899856	प्रशासनिक मद	राज्य वित्त	147000
7	14896822	रामदरब के घर से पछिम मे खड़गजा तक ईटरलार्किंग कार्य	चौदहवां वित्त	411517
8	14897391	रामप्रीत के घर के बगल से फयनाथ के घर तक खड़गजा कार्य	चौदहवां वित्त	163199
9	14896924	पक्की सड़क से पुरब पुलिया तक ईटरलार्किंग कार्य	चौदहवां वित्त	256714
10	14898545	पुलिया से सामुदायिक केंद्र तक खड़गजा मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	154257
11	14897556	बेबी फ्रेंडली शौचालय कार्य	चौदहवां वित्त	73252
12	14899715	विभिन्न स्थानों पर कूप मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	41147
13	14896879	विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	28172
बिना विवरण के				155046
				2130522.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कशिहार विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-129

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कोषबही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

1-लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कोषबही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

वार्षिक योजना : 2018-2019 राज्य: उत्तर प्रदेश:ग्राम पंचायत कशिहार

क्र स0	कार्य आई डी	कार्य का नाम	स्कीम नाम	खर्च(रु में)	
1	16575789	मेन हाइवे से मोहन लोना के घर तक सी सी नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	281490	3
2	16510101	विभिन्न स्थानों पर भूमिगत नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	374805	6
3	16683218	परिषदीय विद्यालय का मरम्मत बाउंडीवाल कार्य	14 वा वित्त	432389	9
4	16683276	विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प रिबोर कार्य	14 वा वित्त	194760	3
5	16510234	विभिन्न स्थानों पर डस्टबीन की स्थापना	14 वा वित्त	105000	1
6	8770050	विद्यालय मरम्मत	14 वा वित्त	418337	9
7	सूचना नहीं	बिना कार्य के व्यय		61815	
				1868596	31

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री मत्स्य राज से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कशिहार विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-130

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कोषबही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

वार्षिक योजना : 2018-2019 राज्य : उत्तर प्रदेश : ग्राम पंचायत कशिहर

क्र० स०	कार्य आई डी	कार्य का नाम	स्कीम का नाम	टोटल खर्च	वाउचर स०
1	16510151	इंडिया मार्क हैंडपम्प मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	65000	2

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री मत्स्य राज से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कशिहार विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-131

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

वार्षिक योजना : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश : ग्राम पंचायत कशिहर

क्र० स०	कार्य आई डी	कार्य का नाम	स्कीम नाम	कुलखर्च(रु.में)	वाउचर न०
1	29720166	एन एच से जयराम के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य	14 वा वित्त	256093	6
2	29720308	पिच रोड से कन्हैया मास्टर के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य	14 वा वित्त	69632	4
3	29720368	पिच रोड से राम जी तिवारी के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य	14 वा वित्त	68574	4
4	31611267	अन्य खर्च	14 वा वित्त	200000	1
5	31611166	घुरहु पासवान के घर से घुरहु पासवान के खेत तक भुमिगत नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	457789	10

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री मत्स्य राज से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कशिरा

विकास खण्ड- कौडीराम

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-132

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश : ग्राम पंचायत कशिरा

क्र० स०	कार्य आई डी०	कार्य का नाम	स्कीम नाम	कुलखर्च(रू.में)	वाउचर स०
7	16510173	ग्राम प्रधान का मानदेय	चतुर्थ राज्य वित्त	42000	2
2	16509866	प्रशासनिक मद व्यय	चतुर्थ राज्य वित्त	21360	4
3	16510151	इंडिया मार्का हैंडपम्प मरम्मत	चतुर्थ राज्य वित्त	21050	1
				84410	7

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री मत्स्य राज से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मानो किशनपुर

विकास खण्ड- कौडीराम

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-133

परीक्षा वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं करायी गयी प्रभारी सचिव श्री चन्देलाल द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018-19 के अभिलेखों का चार्ज आतिथि तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अंकुर दूबे द्वारा किसी अन्य विकास खण्ड में स्थानान्तरण के उपरान्त नहीं दिया गया है जो अधिकारियों के संज्ञान में है तथा जिस हेतु पत्राचार किया जा रहा है। चार्ज न दिया जाना पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश सं० 06/2017/2325/33-1-2917-1988/17 दिनांक दिसम्बर 2017 के विपरीत रहा। उक्त शासनादेश के द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज /अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रतिस्थानी को चार्ज /अभिलेख का हस्तान्तरण न करने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करते हुये शासन को अवगत कराये जाने का उल्लेख है। जिसके परिपालन में सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। आनलाईन आंकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी विवरण निम्नवत है :-

क्र0स0	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम	स्कीम का नाम		
1	14698513	प्रशासनिक मद	चतुर्थ राज्य वित्त	12295.00	1
2	14697529	हरिजन बस्ती मे पीच रोड से राम चंद्र के घर तक ईटर लार्किंग कार्य	14 वा वित्त	182597.00	2
3	14697628	पोखरी पूल से राम प्रीत चंद के शौचालय तक ईटरलार्किंग कार्य	14 वा वित्त	182595.00	4
4	14697824	पिच रोड से लछमी प्रसाद के घर तक मिटटी खडन्नजा कार्य	14 वा वित्त	179917.00	3
5	14697952	विभिन्न स्थान पर हैंडपम्प रीबोर कार्य	14 वा वित्त	84516.00	1
6	14698532	प्रधान जी का मानदेय	चतुर्थ राज्य वित्त	28000.00	1
7	14697731	पिच रोड से राम सकल के घर तक नाली स्लैब निर्माण कार्य	14 वा वित्त	168469.00	2
8	14697994	बेबी फ्रेंडली शौचालय कार्य	14 वा वित्त	78000.00	2
9	14698046	वालजन के घर से दल सिंगार के घर तक खडन्नजा मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	189928.00	4
10	14698490	विभिन्न स्थानों पर कूप मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	38000.00	1
11	14698461	विभिन्न स्थानों पर कूप मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	27600.00	2
बिना विवरण के व्यय				58741.00	
				1230658.00	23

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री अंकुर दूबे से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सीयर विकास खण्ड- कौडीराम जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-134

परीक्षा वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं करायी गयी प्रभारी सचिव श्री चन्देलाल द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018-19 के अभिलेखों का चार्ज आतिथि तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अंकुर दूबे द्वारा किसी अन्य विकास खण्ड में स्थानान्तरण के उपरान्त नहीं दिया गया गया है जो अधिकारियों के संज्ञान में है तथा जिस हेतु पत्राचार किया जा रहा है। चार्ज न दिया जाना पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश सं० 06/2017/2325/33-1-2917-1988/17 दिनांक दिसम्बर 2017 के विपरीत रहा। उक्त शासनादेश के द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के उपरान्त प्रतिस्थानी को चार्ज /अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये है। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रतिस्थानी को चार्ज /अभिलेख का हस्तान्तरण न करने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करते हुये शासन को अवगत कराये जाने का उल्लेख है। जिसके परिपालन में सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किया

जाना परिलक्षित नहीं होता है। आनलाईन आंकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी विवरण निम्नवत है :-

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत : सियर

क्र.स	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम	स्कीम का नाम	टोटल खर्च	वाउचर न.0
1	18081046	रतनेश के घर से रोड तक ईटरलाकिंग/सी0सी0 कार्य	14 वा वित्त	185207.00	2
2	18078430	अलगु के घर से रमासरे के घर तक खड्डा कार्य	14 वा वित्त	321848.00	4
3	18080048	प्रदीप के घर से रोड तक ईटरलाकिंग/सी0सी0 कार्य	14 वा वित्त	301596.00	3
4	18083076	विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर कार्य	14 वा वित्त	178172.00	1
5	18080756	अर्जुन के घर से पप्पू के घर तक ईटरलाकिंग/सी0सी0 कार्य	14 वा वित्त	333581.00	4
6	18081613	ईटरलाकिंग से ईश्वर शाही के घर तक ईटरलाकिंग/सी0सी0 कार्य	14 वा वित्त	251536.00	3
7	18075129	सुभाष के घर से पोखरी तक नाली निर्माण कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	99506.00	2
8	18075322	सरोज के घर से खेत तक नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	202412.00	3
9	18076883	विभिन्न स्थानों पर कूप मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	75734.00	1

23

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रमेश व सचिव ग्राम पंचायत श्री अंकुर दुबे से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - राजगढ़ विकास खण्ड- कौडीराम जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-135

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत कोषवही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है :- प्रशासनिक व्यय-फार्गिंग पर व्यय- 30.08.2018 - 28750.00 ,फार्गिंग पर व्यय-04.01.2019- 15000.00 ,अलाव -

18.03.2019- 20000.00 ,इस्टवीन क्रय-28.03.2019 - 16000.00 फार्गिंग कार्य व प्रशासनिक व्यय के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व

सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री मत्स्यराज व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानमती देवी से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पोछिया ब्रह्मस्थान विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-136

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम के बैंक पासबुक के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग / राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार निकासी / चेक हस्तांतरण किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे भुगतान की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	कार्य का नाम / भुगतान
1	06-08-2019	546673	19320.00	चेक ट्रांसफर टू मि० के 36690508486
2	06-08-2019	546668	15708.00	चेक ट्रांसफर टू मि० के 36690508486
3	06-08-2019	546671	35854.00	चेक ट्रांसफर टू मि० के 36690508486
4	06-08-2019	546669	38584.00	चेक ट्रांसफर टू मि० के 36690508486
5	06-08-2019	546674	43862.00	चेक ट्रांसफर टू मि० के 36690508486
6	06-08-2019	546670	103530.00	चेक ट्रांसफर टू 37009827835
7	06-08-2019	546667	115710.00	चेक ट्रांसफर टू 37009827835
8	06-08-2019	546672	124845.00	चेक ट्रांसफर टू 37009827835
		योग	497413.00	

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती शशिकिरण व ग्राम प्रधान रम्भा से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पोछिया ब्रह्मस्थान विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-137

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत			स्कीम का नाम	टोटल खर्च (रु.में)	वाउचर न.0
क्र.स	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	29020975	रामचन्द्रयादव के घर से शंकर के घर तक नाला निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त	242711.00	5
2	29020021	पिचरोड से रामसूरत के घर तक मि0/ ख0 कार्य	चौदहवांवित्त	231308.00	4
3	29020642	हरिलालके घर से रामचन्द्र के घर तक नाली मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	230539.00	5
4	29019653	पिचरोड से फोर लेन तक मि0/ख0 कार्य	चौदहवांवित्त	190880.00	4
5	36540144	स्टीटलाईट का कार्य	चौदहवांवित्त	242460.00	2
				1137898.00	20

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती शशिकिरण व ग्राम प्रधान रम्भा से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल केवटलिया विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-138

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि के निकासी / स्थानान्तरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य कराये जाने की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी विवरण निम्नवत है -

04-04-2019	454337	54119.00
05-04-2019	454332	38870.00
28-05-2019	454338	15000.00
02-08-2019	454341	23072.00
13-03-2020		24500.00
26-03-2020		73080.00

इस प्रकार कुल ₹0 228641.00 का व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली न प्रस्तुत कर अनियमितता की गयी है। व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली/और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश व सेक्रेटरी श्रीमती शशिकिरण से ब्याज सहित बराबर बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल केवटलिया विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-139

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 06-03-2020 को चेक संख्या 454343 के सापेक्ष ₹0 55650.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त धनराशि के सापेक्ष आनलाईन पोर्टल पर किसी कार्य के अर्न्तगत भुगतान किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। उक्त चेक के भुगतान एवं कराये गये कार्य के सम्बन्ध में जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त धन के सापेक्ष आनलाईन फीडिंग व व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण कर लिया गया है। व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव श्रीमती शशिकिरण ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान श्री राकेश से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कूई विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-140

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता सं० 10489149428 के अनुसार दिनांक 03-01-2020 को क्रमशः ₹0 131573.00 व ₹0 37306.00 का भुगतान किया गया है जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक व कराये गये कार्य का विवरण तथा निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकी। निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जाना अपेक्षित है जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 256(2) के अर्न्तगत ग्राम पंचायत सचिव श्री अभय कुमार श्रीवास्तव व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना भी अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ग्राम पंचायत को हुयी क्षति ₹0 168879.00 की वसूली बराबर बराबर मात्रा में ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभय कुमार श्रीवास्तव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल गौरी नम्बर 01 विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-141

भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं० सी०सी०ए० / पी०आर०/पी०एफ०एम०एस०/ रिपोर्ट/2018-19 दिनांक 29 नवम्बर 2019 में यह निर्देश दिये गये हैं कि पंचायती राज विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित समस्त योजनाओं की धनराशि पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से व्यय की जायेगी इस क्रम में सभी सम्बन्धित एजेंसी एवं वेण्डर्स को पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर रजिस्टर एवं मैप करने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों एवं वेण्डर्स को भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से ही किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी एजेंसी द्वारा वेण्डर, मजदूर अथवा कार्यालय व्यय हेतु एडवांस का भुगतान आर.ई.टी. जो पी०एफ०एम०एस० पर है उसके माध्यम से ही किया जाना है। लेखा परीक्षा वर्ष में संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु एस०बी०आई बैंक खाता सं० 10489149100 प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा दिनांक 19-03-2020 को ₹० 1688411.00 का विट्राल ट्रांसफर टू अदर अकाउंट अन्य खाता नंबर 39158916650 में किया गया जिसके सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में बताया गया कि तकनीकी कमियों की वजह से सम्पूर्ण धनराशि अन्य खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी जिसके सापेक्ष बैंक खाता का स्टेटमेंट व अन्य पत्रावली मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं करायी गयी जो नियम विरुद्ध रहा। इस प्रकार प्रकरण का यथोचित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में उक्त धनराशि की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द सिंह से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत - जंगल गौरी नम्बर 01 विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-142

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-20 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत : जंगलगौरी नंबर.1			स्कीम का नाम	टोटल खर्च ₹०)	वाउचर न.
क्र.स	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28282252	कूप मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	15925.00	2
2	28277448	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	125000.00	2
3	28280858	पुरुषोत्तम तिवारी के बगल से प्रसिद्ध तिवारी के दरवाजे तक मि० / ख० कार्य	14 वा वित्त	61502.00	2
4	28282442	अहिरावती सडक से बन्धे तक खडन्जा मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	121800.00	2
5	28271959	इण्डिया मार्क हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	20000.00	1
6	28276934	पक्की सडक से प्रभाकर तिवारी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	14 वा वित्त	196800.00	2
7	28275404	अहिरावती से पूरव टोला तक मि० / ख० मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	184575.00	3
8	28272228	ग्राम पंचायत में फार्मिंग कार्य व दवा छिडकाव	14 वा वित्त	6910.00	2
9	38107726	सुगहा सडक से स्वामीनाथ के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	75000.00	1
				807512.00	17

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल गौरी नम्बर 01 विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-143

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत: : जंगलगौरी नंबर.1			स्कीम का नाम	टोटल खर्च	वाउचर न
क्र.स	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28272336	स्वच्छता सामग्री व उपकरण	चतुर्थ राज्य वित्त	48500	1
2	28271572	ग्राम प्रधान जी का मानदेय	चतुर्थ राज्य वित्त	84000	1
3	28271642	प्रशासनिक मद	चतुर्थ राज्य वित्त	2800	1
				135300	3

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जंगल गौरी न० 02 अमहिया विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-144

भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं० सी०सी०ए० / पी०आर०/पी०एफ०एम०एस०/ रिपोर्ट/2018-19 दिनांक 29 नवम्बर 2019 में यह निर्देश दिये गये है कि पंचायती राज विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित समस्त योजनाओं की धनराशि पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से व्यय की जायेगी इस क्रम में सभी सम्बन्धित एजेन्सी एवं वेण्डर्स को पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर रजिस्टर एवं मैप करने के निर्देश दिये गये है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों एवं वेण्डर्स को भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से ही किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी एजेन्सी द्वारा वेण्डर ,मजदूर अथवा कार्यालय व्यय हेतु एडवांस का भुगतान आर.ई.ए.टी जो पी०एफ०एम०एस० पर है उसके माध्यम से ही किया जाना है। लेखा परीक्षा वर्ष में संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु एस०बी०आई बैंक खाता सं० 10489149111 प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा दिनांक 29-02-2020 को ₹ 3684902.25 का विड्राल ट्रांसफर टू अदर अकाउंट अन्य खाता नंबर 39138650579 किया गया जिसके सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में बताया गया कि तकनीकी कमियों की वजह से सम्पूर्ण धनराशि अन्य खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी जिसके सापेक्ष बैंक खाता सं० का स्टेटमेंट व अन्य पत्रावली मांगोपरान्त उपलब्ध नहीं करायी गयी जो नियम विरुद्ध रहा। इस प्रकार प्रकरण का यथोचित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में उक्त धनराशि की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द सिंह से की जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-जंगल गौरी न० 02 अमहिया विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-145

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत: : जंगलगौरी नंबर.1			स्कीम का नाम	टोटल खर्च	वाउचर न
क्र.स	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	29119346	सरजू के घर से 56 न० नलकूप तक मिटटी खंडजा कार्य	14 वा वित्त	163800.00	1
2	29090208	56 न० नलकूप से राजधानी रोड तक मिटटी खंडजा कार्य	14 वा वित्त	247884.00	2

3	29154950	ग्राम सभा में फगिंग कार्य व दवा छिड़काव	14 वा वित्त	25820.00	3
4	29115879	मदन सिंह के घर पीछे से तंगी के घर तक ईटर लॉकिंग कार्य	14 वा वित्त	378813.00	3
5	29154843	इंदल मार्का हैण्ड पंप 2 रेओबोरे कार्य	14 वा वित्त	240240.00	1
6	29092516	राजेंद्र के घर से गोरखा यादव के घर तक अन्तर लॉकिंग	14 वा वित्त	57760.00	1
7	33033300	नाली मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	105804.00	2
8	33033297	खानजा मरम्मत कार्य	14 वा वित्त	174394.00	3
9	38212837	स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत	14 वा वित्त	245440.00	1
10	38212947	स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत में	14 वा वित्त	245440.00	1
11	16681407	सोखता निर्माण	14 वा वित्त	214093.00	3
12	16752245	मरम्मत कार्य और बाउंड्री और ग्राउंड में खंडजा कार्य	14 वा वित्त	33642.00	2
13	16752799	ईटर लॉकिंग कार्य	14 वा वित्त	191179.00	3
				2324309.00	26

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जंगल गौरी न० 02 अमहिया विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-146

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख आफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत: : जंगलगौरी नंबर.2 उर्फ अमिया			स्कीम का नाम	टोटल खर्च	वाउचर न
क्र.स	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	29154982	स्वच्छता सामग्री व सफाई उपकरण	चतुर्थ राज्य वित्त	48500.00	1
2	29154774	ग्राम प्रधान मंटी	चतुर्थ राज्य वित्त	42000.00	1
3	29154795	प्रशानिक मद	चतुर्थ राज्य वित्त	38600.00	4
4	16876538	प्रशानिक मद	चतुर्थ राज्य वित्त	25125.00	3
5	16877984	शौचालय मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	120594.00	4
				274819.00	13

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल रामगढ़ चंवरी विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-147

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष कोषवही के साथ व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत जंगल रामगढ़ चंवरी			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28830996	मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	79250.00	2
2	28835809	मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	215963.00	4
3	28825167	सी सी रोड कार्य	14 वा वित्त	230023.00	2
4	28829161	सी सी रोड कार्य	14 वा वित्त	248872.00	2
5	28835073	नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	183959.00	2
6	28873784	नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	165243.00	2
7	28835585	मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	48360.00	2
8	28836044	मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	392758.00	2
9	28829747	मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	117979.00	3
10	28836454	मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	397875.00	2
11	28833894	मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	396210.00	2
12	28834885	नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	80553.00	3
13	28831171	सी सी रोड कार्य	14 वा वित्त	317561.00	3
14	28839248	ग्राम पंचायत में फागिंग कार्य व दबा छिटकाव	14 वा वित्त	3910.00	1
15	28823584	सी सी रोड कार्य	14 वा वित्त	336656.00	1
16	28882019	safsafaikary	14 वा वित्त	48500.00	1
17	28838629	स्ट्रीट लाइट कार्य	14 वा वित्त	246000.00	1
18	28831765	सी सी रोड कार्य	14 वा वित्त	152976.00	1
19	34434017	हैंडपंप मरमत 28	14 वा वित्त	64000.00	1
20	34432603	राम मिलम के घर से पलिहर्ताक्षेप बचा सी सी रोड निर्माण कार्य	14 वा वित्त	118269.00	3
21	34434107	इंडिया मार्क हैंडपंप रेबोर	14 वा वित्त	171600.00	1
22	37088179	विजली यादव के घर से बटोही के घर तक ईटरलॉकिंग	14 वा वित्त	398844.00	2
23	37087641	राम राज के घर से महेंद्र के घर तक सी सी रोड	14 वा वित्त	389037.00	3

24	37087922	राम किसुन के घर से विजय के घर तक अन्तर लॉकिंग	14 वा वित्त	398844.00	2
25	37165624	100 आदद स्ट्रीट लाइट	14 वा वित्त	246000.00	1
26	37165607	स्ट्रीट लाइट	14 वा वित्त	246000.00	2
27	38081841	सी सी रोड से गणेश के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य	14 वा वित्त	196910.00	1
28	16642119	नाली निर्माण कार्य	14 वा वित्त	237376.00	5
29	16734925	सोखता निर्माण कार्य	14 वा वित्त	47931.00	2
				6177459.00	59

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाया गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल रामगढ चंवरी विकास खण्ड- खोराबार जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-148

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष कोषबही के साथ व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत जंगल रामगढ चंवरी			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28882261	खडंजा मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	177540.00	2
2	28873869	ग्राम पंचायत में डस्टबीन निर्माण कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	247000.00	1
3	28843022	खडंजा मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	164940.00	2
4	28839056	प्रशासनिक मद	चतुर्थ राज्य वित्त	12125.00	2
5	28843866	नाली निर्माण कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	116823.00	2
6	28838887	ग्राम प्रधान मानदेय	चतुर्थ राज्य वित्त	31500.00	1
7	34433393	सीमेंटेड बेंच 30	चतुर्थ राज्य वित्त	222000.00	1
8	38081150	लालजी के घर से कलि मंदिर तक सी सी मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	185745.00	1
9	38081227	काली मंदिर से कान्ही के घर तक सी सी मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	183360.00	1
10	38081072	अन्तर लॉकिंग से लालजी के घर तक सी सी मरम्मत कार्य	चतुर्थ राज्य वित्त	76784.00	1
				1417817.00	14

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाया गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु

ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लहसडी विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-149

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग/ राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत लहसरी			स्कीम का नाम	टोटल खर्च (.)	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	29459980	प्रशासनिक मद	राज्यवित्त	40000	1
2		गौतमसागर के घर से प्रा0 वि0 तक इन्टरलार्किंग	राज्यवित्त	282182	5
3	29467792	मलौनीबनधे से प्रकाश के घर तक सी0सी0 मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	247030	3
4	29465569	बांकेके घर से सुरेन्द्र चौधरी के घर तक नाली मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	67332	2
5	29465470	रामबचनके घर से फौजदार के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	चौदहवांवित्त	239678	3
6	29461362	आंगनवाडीकेन्द्र का निर्माण	चौदहवांवित्त	200000	1
7	29461073	स्टीटलाईट	चौदहवांवित्त	118500	1
8	33482736	रामसफलचौधरी के घर से तारा सिंह के खेत तक खडन्जा मर0	चौदहवांवित्त	245007	3
9	33482842	स्टीटलाईट	चौदहवांवित्त	242793	1
10	33482498	वीरेन्द्रपाण्डेय के घर से रामबचन के घर तक नाली मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	87634	2
11	33482341	सी0सी0 रोड से मुन्ना साहनी के घर तक मि0 / ख0 कार्य	चौदहवांवित्त	171110	4
				1941266	26

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावलियां तथा उनसे सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रतिभा व ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लहसडी विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-150

निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश महोदय के पत्र सं0 आर जी एस ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 द्वारा जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की गयी कार्ययोजनाओं की समीक्षा के निर्देश सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को दिये गये थे। जिसका अनुपालन किया जाना लेखा परीक्षा में परिलक्षित नहीं होता है। ग्राम पंचायत की कार्ययोजनाओं की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई ग्राम स्वराज पर वर्क आई डी जनरेट करने में एवं किये गये व्यय में अनुदानवार अन्तर रहा। जैसे कि 14 वें वित्त की वर्क आई डी पर रू0 42000.00 ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान अंकित किया जा रहा है। जबकि मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से किया जाना था। लेखा परीक्षा में व्यय के सापेक्ष मानदेय रजिस्टर व पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे मानदेय पर हुये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी

द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रतिभा व ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लक्ष्मीपुर विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-151

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
3	28978727	मिट्टी भराई व सुन्दरी करण कार्य	चौदहवांवित्त	244500.00	5
4	28967917	मिट्टी खडंजा कार्य	चौदहवांवित्त	246250.00	3
5	38356806	चंद्रसेन के घर होते हुए गोरख के घर तक हमे पाइप पर अवसेष भुगतान	चौदहवांवित्त	302882.00	5
7	35084486	पार्किंग बेंच	चौदहवांवित्त	73800.00	1
8	28967852	मिट्टी खडंजा कार्य	चौदहवांवित्त	244266.00	5
9	28981570	मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त	247955.00	5
10	28981328	खडंजा चौड़ी करण या मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	246414.00	3
11	28981225	खडंजा चौड़ी करण या मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	212880.00	5
				1818947.00	32

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती शशिकिरण व ग्राम प्रधान श्रीमती सोनकेश से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लक्ष्मीपुर विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-152

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत मंझरिया			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28983136	ग्राम प्रधान मानदेय	चौथावां वित्त	80500.00	4
2	28983293	फार्गिंग कार्य	चौथावां वित्त	93100.00	3
6	16509430	प्रशासनिक मद	चौथावां वित्त	15800.00	5

				189400.00	12

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती शशिकिरण व ग्राम प्रधान श्रीमती सोनकेश से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मंझरिया बिस्टौल विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-153

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली, एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत मंझरिया बिस्टौल			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28070364	जूनियरहाईस्कूल मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	90657	3
2	28072274	हरिके घर से रामभरोस के घर तक मि0 / ख0 कार्य	चौदहवांवित्त	165889	5
				256546	8

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रतिभा व ग्राम प्रधान श्रीमती बितनी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मंझरिया बिस्टौल विकास खण्ड- खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-154

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मानदेय पर हुये की व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत मंझरिया बिस्टौल			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28070572	ग्राम प्रधान मानदेय	राज्यवित्त	42000	2

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु

ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रतिभा व ग्राम प्रधान श्रीमती बितनी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बैलो

विकास खण्ड- भटहट

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-155

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें /ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय केसापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्तप्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार परनही की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत बैलो			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आड.डी	कार्य का नाम			
1	26127059	खडन्जा निर्माण	चौदहवांवित्त	134174.00	4
2	26166938	खडन्जा निर्माण	चौदहवांवित्त	175300.00	3
3	26159278	भूमिगत नाली / खडन्जा कार्य	चौदहवांवित्त	168007.00	5
4	26128820	हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर कार्य	चौदहवांवित्त	43655.00	5
5	26158713	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	चौदहवांवित्त	80890.00	4
6	32758027	रामआसरे के घर से मोहन मद्रेशिया के घर तक नाली व आर.सी.सी. निर्माण	चौदहवांवित्त	150178.00	1
7	32758249	पक्की सडक से रामा गुप्ता के घर तक नाली व आर.सी.सी. निर्माण	चौदहवांवित्त	494797.00	5
8	32758099	केयार के घर से भुआर के घर तक नाली व आर.सी.सी. निर्माण	चौदहवांवित्त	494983.00	7
9	32757957	नहर से जुवाले के घर तक नाली व आर.सी.सी. निर्माण	चौदहवांवित्त	463843.00	4
10	15320237	प्रशासनिक मद	चौदहवांवित्त	20000.00	3
11	30999805	हैण्डपम्प मरम्मत	चौदहवांवित्त	60500.00	1
12	15338399	एफ0एफ0सी0 नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	28822.00	2
13	15337165	एफ0एफ0सी0 सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	80000.00	1
14	15337021	एफ0एफ0सी0 सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	177727.00	3
15	15338308	एफ0एफ0सी0 सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	93192.00	5
				2666068.00	53

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" केविपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध मेंकोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तोदर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथासेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभारयोग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणकलेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारीद्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध नकराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानी देवी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बैलो

विकास खण्ड- भटहट

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-156

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्तआयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया हैजिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय केसापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्तप्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत बैलो			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	26166158	सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	राज्यवित्त आयोग	225353.00	4
2	26128954	स्वच्छताकार्य पर व्यय	राज्यवित्त आयोग	45917.00	2
3	15341463	एफ.एफ.सी.प्रशासनिक मद	राज्यवित्त आयोग	46142.00	10
				317412.00	16

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" केविपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध मेंकोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तोदर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथासेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभारयोग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणकलेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारीद्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध नकराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानी देवी से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बैलो

विकास खण्ड- भटहट

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-157

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्तआयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से मानदेय मद में व्यय किया गया है जिसकेसापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्षमानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्योंपर हुये व्यय की पुष्टि रजिस्ट्रों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखोंके अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत बैलो			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	26129151	मानदेय	राज्यवित्त आयोग	35000.00	1

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" केविपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध मेंकोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तोदर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथासेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभारयोग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष मानदेय रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाया गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्रामप्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरेन्द्र सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानी देवी से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल डुमरी नं0 1 विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-158

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ों / ई ग्रामस्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्नविवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेखआफलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर व्यय के सापेक्ष व्ययप्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीगये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी।आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत जंगल डुमरी न01			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	29721483	राममूरतके खेत से जलकल तक इन्टरलार्किंग कार्य	चौदहवांवित्त	487325.00	5
2	38025819	त्रिभुवनके खेत से अल्टन के खेत तक इन्टरलार्किंग कार्य	चौदहवांवित्त	435270.00	3
3	38553589	विभिन्नस्थानों पर बेन्च निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त	247214.00	1
4	15467966	एफ.एफ.सी.इन्टरलार्किंग	चौदहवांवित्त	158153.00	4
5	15469386	एफ.एफ.सी.रिबोर	चौदहवांवित्त	87906.00	5
6	15467395	एफ.एफ.सी.भूमिगत नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	113885.00	2
7	15469437	एफ.एफ.सी.प्रशासनिक व्यय	चौदहवांवित्त	37000.00	3
8	15467811	एफ.एफ.सी.इन्टरलार्किंग	चौदहवांवित्त	371921.00	6
9	25500715	गडहासे मुनीश्वर के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त	21621.00	3
10	25499771	बुधुके घर से गडहा तक नाली मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	58606.00	5
11	15468635	एफ.एफ.सी.इन्टरलार्किंग	चौदहवांवित्त	482615.00	4
				2501516.00	41

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" केविपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध मेंकोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तोदर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथासेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभारयोग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणकलेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारीद्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाया गयी है। अभिलेख उपलब्ध नकराने हेतु ग्राम

प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान कीसम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राम सागर गौतम व ग्राम प्रधान श्री रामरक्षा से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल डुमरी नं0 1 विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-159

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ईग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माणकार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत जंगल डुमरी न01			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	29718959	ग्रामप्रधान का मानदेय	राज्यवित्त	17500.00	1
2	15455086	ग्रामप्रधान का मानदेय	राज्यवित्त	52500.00	2
3	15454700	रिबोर / मरम्मत	राज्यवित्त	74490.00	4
4	7824768	ठेलाक्रय	राज्यवित्त	28250.00	1
				172740.00	8

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" केविपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध मेंकोई वाउचरउपलब्ध नहीं कराया जाता है तोदर्शाया गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथासेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभारयोग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणकलेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारीद्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाया गयी है। अभिलेख उपलब्ध नकराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान कीसम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राम सागर गौतम व ग्राम प्रधान श्री रामरक्षा से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जैनपुर विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-160

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें/ ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष कोषवही के साथ व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखापरीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत जैनपुर			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28064481	ग्रामीणशौचालय से शिव मन्दिर तक इन्टरलांकिंग कार्य	चौदहवां वित्त आयोग	498166	8
2	28097104	गोविन्दपुरगांव में इन्टरलांकिंग निर्माण	चौदहवां वित्त आयोग	494505	5
3	28064840	खडन्जानिर्माण	चौदहवां वित्त आयोग	60049	4
4	28066562	पोखरेपर पूर्व की तरफ सीढ़ी निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त आयोग	444886	6
5	28074864	ग्रामीणशौचालय मरम्मत / गेट निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त आयोग	223970	8
6	28065398	रामप्रीतपासवान के घर से दया पासवान के घर तक भूमिगत नाली निर्माण	चौदहवां वित्त आयोग	225879	5

7	28097289	मेनकुआं से छोरहिया नाला तक भूमिगत नाली निर्माण	चौदहवांवित्त आयोग	499093	9
8	28067122	विभिन्नस्थानों पर बेन्च स्थापना	चौदहवांवित्त आयोग	247214	1
9	28074704	सोखाडाडीमें सडक से श्रीराम निषाद के घर तक खडन्जा निर्माण	चौदहवांवित्त आयोग	43634	3
10	28066455	बुद्विरामके घर से रावरीछ के घरहोते हुयेप्रह्लाद के घर तक इन्टरलार्किंग निर्माण	चौदहवांवित्त आयोग	360998	16
11	28097244	गोविन्दपुरगांव के अन्दर नाली निर्माण	चौदहवांवित्त आयोग	466223	11
12	28096579	मेनसी0सी0 रोड से रामप्रसाद के घर तकइन्टरलार्किंग निर्माण	चौदहवांवित्त आयोग	106651	6
13	32705493	इन्टरलार्किंगकार्य	चौदहवांवित्त आयोग	61424	1
14	32913225	गोविन्दपुरवीरेन्द्र निषाद के घर से मेन पक्की सडक तक खडन्जा निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	73508	5
15	32913342	प्राथमिकवि0 में इन्टरलार्किंग कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	498296	6
16	32825521	सोखाडाडीजगत के घर से छोटई निषाद के घर तक इन्टरलार्किंग कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	494586	7
17	32705400	भूमिगतनाली निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	260174	7
18	32705363	खडन्जा निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	267109	8
19	32825472	संजयपासवान के घर से पलकधारी के घर तक नया खडन्जा निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	122055	5
20	32824140	जैतुरखास पंचायत भवन में शौचालय निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	32088	2
21	15432179	एफ.एफ.सी0 सी0सी0 रोड निर्माण	चौदहवांवित्त आयोग	267455	6
22	15437514	हैण्डपम्पमरम्मत	चौदहवांवित्त आयोग	190710	8
23	22261600	भूमिगतनाली / खडन्जा निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	176927	6
24	22262296	इन्टरलार्किंगकार्य	चौदहवांवित्त आयोग	443306	5
25	25925631	खडन्जा कार्य / मिटटी कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	287532	2
26	25925858	मिटटी / खडन्जा कार्य	चौदहवांवित्त आयोग	298446	5
27	25926537	भूमिगतनाली / खडन्जा मरम्मत	चौदहवांवित्त आयोग	440406	12
28	8938525	स्वच्छताकार्य पर व्यय	चौदहवांवित्त आयोग	69400	3
				7654690	170

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" केविपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम दुलारी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सन्तोष पाण्डेय से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जैनपुर

विकास खण्ड- भटहट

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-161

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्तआयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया। व्ययके सापेक्ष कोषबही के साथ व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षामें मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरणनिम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत जैनपुर			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	28072787	कुडादानकार्य	राज्यवित्त आयोग	75000.00	1
2	28072525	ग्रामप्रधान का मानदेय	राज्यवित्त आयोग	35000.00	1
3	32913422	हैण्डपम्पमरम्मत कार्य	राज्यवित्त आयोग	29270.00	11
4	15437534	प्रशासनिकमद	राज्यवित्त आयोग	3000.00	1
5	22258899	प्रा0 वि0 व जू0 स्कूल वाटर प्यूरीफायर कार्य	राज्यवित्त आयोग	81038.00	2
				223308.00	16

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम दुलारी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सन्तोष पाण्डेय से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हाफिज नगर विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-162

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग /चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम	टोटल खर्च (.)
1	27565992	हनुमानमन्दिर से नहर तक खडन्जा निर्माण कार्य	207797.00
2	27567559	मि0/ ख0 नाली स्लैब निर्माण कार्य	49960.00
3	27569350	प्रधानजी का मनदेय	31500.00
4	27371931	रामचन्द्रके घर से नहर तक नाली व मिटटी खडन्जा कार्य	102424.00
5	27569225	कुआंमरम्मत कार्य	4330.00
6	27569494	हैण्डपम्पमरम्मत कार्य	12000.00
7	27569432	स्वच्छताकार्य पर व्यय	36120.00
8	16862513	प्रशासनिकमद	11825.00
9	16863615	जोगिन्दरके घर से स्वामीनाथ के घर तक खडन्जा कार्य	51697.00
10	अप्राप्त	सफाई कार्य	19110.00
11	अप्राप्त	प्राथमिकवि0 मरम्मत व टायल्स कार्य	40784.00
			567547

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल हरपुर विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-163

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें/ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में

मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत जंगल हरपुर			
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम	टोटल खर्च
1	29766158	परदेशीके घर से मसजिदिया पोखरी तक इन्टरलाकिंग कार्य	111889.00
2	29766855	इण्डियामार्क हेण्डपम्प मरम्मत कार्य	88804.00
3	29767013	प्रशासनिकव्यय	24260.00
4	29765351	श्रीभगवत के घर से सोहरन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	487272.00
5	29769626	ग्रामप्रधान का मानदेय	42000.00
6	29769814	विभिन्न स्थानों पर बेन्च निर्माण कार्य	247214.00
7	29766987	स्वच्छता कार्य पर व्यय	20871.00
8	29765580	खुशीलालके घर से पोखरी तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य	301026.00
9	38037403	आंगनवाडीकेन्द्र का निर्माण कार्य	149977.00
			1473313.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" केविपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री नागेन्द्र पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती कृति देवी से व्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करमहां बुजुर्ग विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-164

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया हैजिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशवुक प्रस्तुत किया गया। व्यय केसापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार परनहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत करमहां बुजुर्ग				स्कीम का नाम	टोटल खर्च	वाउचर न
क्र.स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम				
1	29694768	प्रशासनिक मद पर व्यय		चौदहवांवित्त	62700.00	4
2	29694747	स्वच्छता पर व्यय		चौदहवांवित्त	45550.00	7
3	14822440	रामरूप के झोपडी से गुलजार के घर तक मि० / ख० कार्य		चौदहवांवित्त	105806.00	4
4	14822363	भटोलिया में गौरी के घर से सेन गुप्ता के खेत तक नाली / खडनजा कार्य		चौदहवांवित्त	492646.00	5
5	14822460	प्राथमिक वि० के प्रागण में किचेन शेड और चबूतरा निर्माण कार्य		चौदहवांवित्त	180526.00	3
6	14822421	राजूगुप्ता के घर से हनुमान मन्दिर तक मि० / ख० कार्य		चौदहवांवित्त	196535.00	5
7	14822437	सचिवालय से उत्तर रूदल के घर तक मि० / ख० कार्य		चौदहवांवित्त	133908.00	5
8	20865730	चक्रवती के घर से मस्जिद होते हुये प्राथमिक स्कूल तक नाली निर्माण कार्य		चौदहवांवित्त	423364.00	5
9	16236574	जालंधर के घर से पोखरी तक भूमिगत नाली निर्माण		चौदहवांवित्त	98519.00	5
10	16236502	हरि के घर से दक्षिण मनोज के घर तक सी०सी० रोड निर्माण		चौदहवांवित्त	194738.00	4
11	16379721	प्रशासनिक मद पर व्यय		चौदहवांवित्त	46743.00	7
12	16379411	कपिल के घर से नहर तक नाली निर्माण		चौदहवांवित्त	53834.00	2
13	16379701	हैण्डपम्पमरम्मत व रिबोर कार्य		चौदहवांवित्त	98177.00	4
14	21623543	प्राथमिक पा० अवशेष बाउण्डीवाल कार्य		चौदहवांवित्त	21000.00	2

15	21692979	राजेन्द्रके घर से पोखरी तक भूमिगत नाली	चौदहवांवित्त	9135.00	1
16	19653945	प्रथमिक स्कूल करमहा बु0 के प्रांगण में मि0 भराई व मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	348392.00	6
17	20487062	खेदन के घर से मेन सडक तक मि0 / ख0 निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त	141714.00	3
18	20988817	रामनयन के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत	चौदहवांवित्त	14407.00	2
19	20988824	लोमईव चन्दू के घर के सामने हैण्डपम्प मरम्मत	चौदहवांवित्त	5076.00	2
20	20988813	ध्यानचन्द के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत	चौदहवांवित्त	8074.00	2
21	20988822	कर्वला पोखरे पर हैण्डपम्प रिबोर	चौदहवांवित्त	23414.00	2
22	20988826	महेश के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	11072.00	2
23	20988818	मुरारी के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	22288.00	2
24	38565135	चानमती पत्नी श्री ठगई के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	11072.00	2
25	38565149	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	11072.00	2
26	20988824	चन्दू के घर के सामने हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	5076.00	2
27	38565201	पूर्वमा0 वि0 करमही बु0 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवांवित्त	17742.00	2
28	38565161	प्रकाश के दरवाजे पर हैण्डपम्प मरम्मत	चौदहवांवित्त	11072.00	2
29	38565081	हैण्डपम्प नं0 5 रिबोर कार्य	चौदहवांवित्त	23394.00	2
				2817046.00	104

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाया गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती फिरदौस जहां व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करमहां बुजुर्ग विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-165

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें/ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। आनलाईन अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत करमहां बुजुर्ग			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			

1	7915927	प्रधानजी का मानदेय	राज्यवित्त	31500.00	1
2	20374369	करमहाबुजुर्ग में आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण	राज्यवित्त	81230.00	1
3	16238057	हैण्डपम्पमरम्मत व रिबोर कार्य	राज्यवित्त	70205.00	6
4	16238093	स्वच्छतापर व्यय	राज्यवित्त	700.00	1
5	16238141	मानदेय	राज्यवित्त	10500.00	1
				194135.00	10

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती फिरदौस जहां व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करमहां बुजुर्ग विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-166

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्तआयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मात्र कैशबुक प्रस्तुत किया गया। व्यय के सापेक्ष ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्यों की वर्क आईडी0 व व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे कैशबुक के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत करमहां बुजुर्ग			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	5730595	चौपालस्थल का निर्माण	अज्ञात	413051.00	7
2		कपिलके घर से नहर तक नाली मरम्मत कार्य	अज्ञात	163398.00	2
3		बिनाविवरण के व्यय	अज्ञात	15043.00	2
				591492.00	11

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष मानदेय रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती फिरदौस जहां व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फुलवरिया विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर
प्रस्तर सं०-167

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्तआयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली ,एम0बी0 बुक,परिसम्पत्तिरजिस्टर,स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गयेजिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत फुलवरिया			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	26897393	बुधवार के घर से पूरब पोखरी त नाली निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त	408849.00	4
2	26894062	गोलू के घर से पश्चिम पोखरी तक नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	166102.00	5
3	26894864	रामदयाल के घर से उत्तर पोखरी तक नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	163871.00	4
4	26900843	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	चौदहवांवित्त	91125.00	10
5	32500500	प्राथमिक स्कूल 2 टायल्स कार्य	चौदहवांवित्त	430515.00	6
6	32500534	बारात घर मं टायल्स का कार्य	चौदहवांवित्त	212013.00	5
7	32500427	मेवाती के घर से पं0 नाली तक नाली निर्माण	चौदहवांवित्त	256021.00	5
8	32262288	नाली / इन्टरलार्किंग निर्माण कार्य	चौदहवांवित्त	186319.00	2
9	36206213	दुलारे मास्टर के घर से नाली तक नाला निर्माण	चौदहवांवित्त	78236.00	4
10	15094850	हैण्डपम्पमरम्मत	चौदहवांवित्त	168098.00	5
				2161149.00	50

व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्ययके समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभारयोग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत संतोष पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फुलवरिया विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-168

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली , एम0बी0 बुक, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत फुलवरिया			स्कीम का नाम	टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम			
1	26884554	स्वच्छता कार्य फागिंग व दवा	राज्यवित्त आयोग	29770.00	4
2	36205642	विभिन्न स्थानों पर स्लैब निर्माण	राज्यवित्त आयोग	77974.00	2
3	36206961	विभिन्न स्थानों पर कूड़ादान स्थापना	राज्यवित्त आयोग	75000.00	1
4	15094811	प्रशासनिक मद	राज्यवित्त आयोग	3000.00	1
5	15091056	अन्य कार्य	राज्यवित्त आयोग	26958.00	4
				212702.00	12

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्ययके

समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर व्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत संतोष पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फुलवरिया विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-169

लेखापरीक्षा वर्ष 2019-20 में आनलाईन आंकड़ें/ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मानदेय पर हुये की व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

प्लान वर्ष : 2019-2020 राज्य : उत्तर प्रदेश जिला पंचायत : ग्राम पंचायत फुलवरिया				टोटल खर्च .)	वाउचर न
क्र स.	कार्य आइ.डी	कार्य का नाम	स्कीम का नाम		
1	26883372	ग्रामप्रधान का मानदेय	राज्यवित्त आयोग	35000.00	1

व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली /और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष मानदेय रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्रामप्रधान व सचिव जिम्मेदार है अत एव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली बराबर-बराबर व्याज सहित सचिव ग्राम पंचायत संतोष पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4

ग्राम पंचायत

जनपद का नाम - कुशीनगर

मण्डल का नाम - गोरखपुर

ग्राम पंचायत - उसमानपुर

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर: 1

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2019-20 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया सॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 12,85,233 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 6,42,617 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती रीतू एवं ₹ 6,42,617 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मजरुल हक से व्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - कटया मैनुद्दीन

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर: 2

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2019-20 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया सॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल

91,968.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री मनोज से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री उपेन्द्र पाण्डेय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – बलुआ शमशेर शाही (नरायनपुर)

विकास खंड – तमकुही

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 50

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्षों के दौरान प्रिया सॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹ (17,15,438.00 + 9,85,249.00) = 27,00,687.00 व्यय किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 27,00,687.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री व्यास से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रमोद कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – परिवहवा उर्फ करजहां
प्रस्तर: 106

ग्राम पंचायत - पिपरा बघेल
प्रस्तर: 107

जनपद - कुशीनगर

ग्राम पंचायत – पिपरा कनक
प्रस्तर: 108

जनपद - कुशीनगर

ग्राम पंचायत - पुरैना कटया
प्रस्तर: 109

जनपद - कुशीनगर

ग्राम पंचायत - राजा पाकड़
प्रस्तर: 110

जनपद - कुशीनगर

3292 | Page

ग्राम पंचायत - सिंगहा विकास खंड - तमकुही जनपद - कुशीनगर
प्रस्तर: 116

ग्राम पंचायत - सुलतानपुर विकास खंड - तमकुही जनपद - कुशीनगर
प्रस्तर: 117

ग्राम पंचायत - तमकुही विकास खंड - तमकुही जनपद - कुशीनगर
प्रस्तर: 118

ग्राम पंचायत – तार विशुनपुर विकास खंड – तमकुही जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर: 119

3294 | Page

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2018-19 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2114279.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2114279.00 का अपहरण श्री दीपक गुप्ता ग्राम प्रधान व श्री मुन्ना लाल विश्वकर्मा वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री दीपक गुप्ता ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2018-19	803459.00
2019-20	1310820.00
योग	2114279.00

ग्राम पंचायत – बरवा रतनपुर

विकास खंड – खड्डा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 130

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2018-19 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 10490545.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 10490545.00 का अपहरण श्रीमती बेबी राव उर्फ बिन्दू ग्राम प्रधान व श्री मृत्युन्जय पटेल वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती बेबी राव उर्फ बिन्दू ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2018-19	4756143.00
2019-20	5734402.00
योग	10490545.00

ग्राम पंचायत – चौरही उर्फ अंजही

विकास खंड – रामकोला

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 131

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2018-19 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1417039.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1417039.00 का अपहरण श्री प्रमोद सिंह ग्राम प्रधान व श्री सौरभ चन्द्र वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री प्रमोद सिंह ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2018-19	808050.00
2019-20	608989.00
योग	1417039.00

ग्राम पंचायत – धानौजी**विकास खंड – रामकोला****जनपद – कुशीनगर****प्रस्तर: 132**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2018-19 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2537047.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2537047.00 का अपहरण श्री कमलेश यादव ग्राम प्रधान व श्री आशुतोष सिंह वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री कमलेश यादव ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2018-19	1344513.00
2019-20	1192534.00
योग	2537047.00

ग्राम पंचायत – धर्मसमदा**विकास खंड – रामकोला****जनपद – कुशीनगर****प्रस्तर: 133**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2018-19 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1648766.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1648766.00 का अपहरण श्री नीरज चतुर्वेदी प्रशासक/ग्राम प्रधान व श्री आशुतोष सिंह वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री दीपक गुप्ता ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2018-19	1346332.00
2019-20	302434.00
योग	1648766.00

ग्राम पंचायत – धूआ टिकर**विकास खंड – रामकोला****जनपद – कुशीनगर****प्रस्तर: 134**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2018-19 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4654466.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4654466.00 का अपहरण श्री रितेश शुक्ला ग्राम प्रधान व श्री नीरज चतुर्वेदी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री रितेश शुक्ला ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि

2018-19	2175507.00
2019-20	2478959.00
योग	4654466.00

ग्राम पंचायत – परवरपार

विकास खंड – रामकोला

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 135

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2018-19 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9989766.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 9989766.00 का अपहरण श्री मती प्रतिभा राव ग्राम प्रधान व श्री सौरभचन्द्र वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती प्रतिभा राव ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2018-19	6797522.00
2019-20	3192244.00

ग्राम पंचायत – टेकुआतार

विकास खंड – रामकोला

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 136

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 16403566.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 16403566.00 का अपहरण श्रीमती संतरा देवी ग्राम प्रधान व श्री अनिरुद्ध सिंह वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती संतरा देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	1344414.00
2016-17	3034873.00
2017-18	1947004.00
2018-19	3529544.00
2019-20	6547731.00
योग	16403566.00

ग्राम पंचायत – डुमरी सबेदार पट्टी

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 137

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 5243481.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये

खाते से धन का आहरण कर ₹ 5243481.00 का अपहरण श्रीमती जान्हवी देवी ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती जान्हवी देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	981049.00
2017-18	1017836.00
2018-19	2110399.00
2019-20	1134197.00
योग	5243481.00

ग्राम पंचायत – डोरही

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 138

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1085039 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1085039 का अपहरण श्री सुरेन्द्र यादव ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री सुरेन्द्र यादव ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	706824
2018-19	95700
2019-20	282515
योग	1085039

ग्राम पंचायत – चिरगोड़ा

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 139

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 11936766.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 11936766.00 का अपहरण श्रीमती बाहू देवी ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती बाहू देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	2094207
2017-18	2409238
2018-19	3910921
2019-20	3522400

योग	11936766

ग्राम पंचायत – चितहा

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर: 140

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 3410875 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 3410875 का अपहरण श्री मती खैरलग्राम प्रधान व श्री जय प्रकाश सिंह वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती खैरलग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	968940
2018-19	1373103
2019-20	1068832
योग	3410875

ग्राम पंचायत – मिठहा माफी

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर- 141

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6471669 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6471669 का अपहरण श्री रमायन ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री रमायन ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	379278
2016-17	1402639
2017-18	1222328
2018-19	1795526
2019-20	1671898
योग	6471669

ग्राम पंचायत – मिश्रौली

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर:- 142

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1547537 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1547537 का अपहरण श्री जयलाल ग्राम प्रधान व श्री राजेश यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री जयलाल ग्राम प्रधान से

एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	553213
2018-19	721279
2019-20	273045
योग	1547537

ग्राम पंचायत – पिपरा बुजुर्ग विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर- 143

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 13701093.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 13701093.00 का अपहरण श्री अख्तर ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री अख्तर ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	4181862
2017-18	3050533
2018-19	3432722
2019-20	3035976
योग	13701093

ग्राम पंचायत – पचफेड़ा विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर- 144

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6345200 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6345200 का अपहरण श्री जगरनाथ ग्राम प्रधान व श्री विनोद यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री जगरनाथ ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	833242
2016-17	1288150
2017-18	1228200
2018-19	1412548
2019-20	1583060
योग	6345200

ग्राम पंचायत – पटेरहा बुजुर्ग
प्रस्तर- 145

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4751442.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4751442.00 का अपहरण श्री रामहित ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री रामहित ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1093846
2017-18	634492
2018-19	1350743
2019-20	1672361
योग	4751442

ग्राम पंचायत – पटेरा खुर्द
प्रस्तर- 146

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 3739240.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 3739240.00 का अपहरण श्री राजेन्द्र ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री राजेन्द्र ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	454201
2017-18	933082
2018-19	1133459
2019-20	1218498
योग	3739240

ग्राम पंचायत – पटेरा
प्रस्तर-147

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1924025.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1924025.00 का अपहरण श्री मती इन्दू देवी ग्राम प्रधान व श्री मारकण्डेय पाण्डेय वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती इन्दू देवी

ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	560590.00
2018-19	913776.00
2019-20	449659.00
योग	1924025.00

ग्राम पंचायत – पटेरिया अबदकारी विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर प्रस्तर- 148

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1571288.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1571288.00 का अपहरण श्री रियाज अहमद ग्राम प्रधान व श्री मनोज कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री रियाज अहमद ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	40000.00
2016-17	432689.00
2017-18	392775.00
2018-19	703013.00
2019-20	2811.00
योग	1571288.00

ग्राम पंचायत – पड़री पिपरपाती विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर प्रस्तर-149

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9055355.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 9055355.00 का अपहरण श्री कपिलदेव शर्मा ग्राम प्रधान व श्री मनोज कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री कपिलदेव शर्मा ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	2440828.00
2018-19	3366534.00
2019-20	3247993.00
योग	9055355.00

**ग्राम पंचायत – पुर्नहा मिश्र
प्रस्तर-150****विकास खंड – विशुनपुरा****जनपद – कुशीनगर**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2433191 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2433191 का अपहरण श्री शहाबुद्दीन ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री शहाबुद्दीन ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	400400
2016-17	399856
2017-18	551157
2018-19	679859
2019-20	401919
योग	2433191

**ग्राम पंचायत – अहिरौली
प्रस्तर-151****विकास खंड – विशुनपुरा****जनपद – कुशीनगर**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 3404990 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 3404990 का अपहरण श्री सुरेश ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री सुरेश ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	978048
2018-19	1275322
2019-20	1151620
योग	3404990

**ग्राम पंचायत – अरनहवा
प्रस्तर-152****विकास खंड – विशुनपुरा****जनपद – कुशीनगर**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6186481.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6186481.00 का अपहरण श्री मती किरन देवी ग्राम प्रधान व श्री राजेश यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती किरन देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	399951.00
2016-17	1047876.00
2017-18	1197304.00
2018-19	1625669.00
2019-20	1915681.00
योग	6186481.00

ग्राम पंचायत – बेतियापट्टी
जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-153

विकास खंड – विशुनपुरा

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त

दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6338581.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6338581.00 का अपहरण श्री मनबहादुर ग्राम प्रधान व श्री राजेश यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मनबहादुर ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	489633
2016-17	747605
2017-18	1064089
2018-19	2026135
2019-20	2011119
योग	6338581

ग्राम पंचायत – बरवा पुर्दिल
प्रस्तर-154

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2448829 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2448829 का अपहरण श्री मती सुमन देवी ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती सुमन देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	454130
2018-19	1007780
2019-20	986919
योग	2448829

ग्राम पंचायत – बैजुपट्टी
प्रस्तर-155

विकास खंड – विशुनपुरा

जनपद – कुशीनगर

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2369592.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2369592.00 का अपहरण श्री प्रभुनाथ ग्राम प्रधान व श्री रमायन गुप्ता वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री प्रभुनाथ ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	609229.00
2018-19	698971.00
2019-20	1061392.00
योग	2369592.00

ग्राम पंचायत – बहोर रामनगर विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-156

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 3789815 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 3789815 का अपहरण श्री चौथी ग्राम प्रधान व श्री जयप्रकाश सिंह वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री चौथी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	1166421
2018-19	1306511
2019-20	1316883
योग	3789815

ग्राम पंचायत – बडुईया हरपुर विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-157

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 11067760 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 11067760 का अपहरण श्री सिकन्दर ग्राम प्रधान व श्री संतोष कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री सिकन्दर ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	2586054
2018-19	5780970

2019-20	2700736
योग	11067760

ग्राम पंचायत – माधोपुर गोजही विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-158

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1986037.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1986037.00 का अपहरण श्री ग्राम प्रधान व श्री मती प्रतिभा देवी वर्तमान मारकण्डेय पान्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती प्रतिभा देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	633887.00
2018-19	656985.00
2019-20	695165.00
योग	1986037.00

ग्राम पंचायत – माधी कोठिलवा विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-159

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 10937692 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 10937692 का अपहरण श्री मती फुलवा देवी ग्राम प्रधान व श्री संतोष कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती फुलवा देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	3085814
2018-19	4260275
2019-20	3591603
योग	10937692

ग्राम पंचायत – माधी मठिया विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-160

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4327465 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4327465 का अपहरण श्री मती ममता देवी ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती ममता

देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	2008430
2018-19	1848445
2019-20	470590
योग	4327465

ग्राम पंचायत – मनीकौरा विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-161

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 13382393.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 13382393.00 का अपहरण श्रीमती आरती देवी ग्राम प्रधान व श्री विनोद यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती आरती देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	2748142.00
2017-18	2737315.00
2018-19	4418321.00
2019-20	3478615.00
योग	13382393.00

ग्राम पंचायत – मठिया प्रशिद्ध तिवारी विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-162

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 5184861 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 5184861 का अपहरण श्री लियाकत ग्राम प्रधान व श्री सुनील मणि वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री लियाकत ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	381848
2016-17	921704
2017-18	852461
2018-19	1494238
2019-20	1534610
योग	5184861

ग्राम पंचायत – नन्द लाल छपरा विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर-163

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4643655 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4643655 का अपहरण श्री कैलाश यादव ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री कैलाश यादव ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	263900
2016-17	943986
2017-18	649658
2018-19	1327808
2019-20	1458303
योग	4643655

ग्राम पंचायत – घूर छपरा**विकास खंड – विशुनपुरा****जनपद – कुशीनगर****प्रस्तर-164**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 5461926 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 5461926 का अपहरण श्री विजय ग्राम प्रधान व श्री सुनील मणि वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री विजय ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	1715705
2018-19	1782534
2019-20	1963687
योग	5461926

ग्राम पंचायत – जंगल सिंगा पट्टी**विकास खंड – विशुनपुरा****जनपद – कुशीनगर****प्रस्तर-165**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 10807983 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 10807983 का अपहरण श्री मती फूलमती देवी ग्राम प्रधान व श्री राजेश यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती फूलमती देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि

2017-18	3381247
2018-19	3289279
2019-20	4137457
योग	10807983

ग्राम पंचायत – जंगल शाहपुर विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-166

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6547394.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6547394.00 का अपहरण श्री फेकू ग्राम प्रधान व श्री राजेश यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री फेकू ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1481657
2017-18	1403427
2018-19	2329859
2019-20	1332451
योग	6547394

ग्राम पंचायत – जरार विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-167

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9956843.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 9956843.00 का अपहरण श्री मती गुड्डि देवी ग्राम प्रधान व श्री सुनील मणि वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती गुड्डि देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1917076.00
2017-18	1987144.00
2018-19	3957252.00
2019-20	2095371.00
योग	9956843.00

ग्राम पंचायत – जटहा बाजार विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-168

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6009245.00

आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6009245.00 का अपहरण श्री मती कुसुम देवी ग्राम प्रधान व श्री रमायन गुप्ता वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती कुसुम देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	739832.00
2016-17	846709.00
2017-18	1646838.00
2018-19	1112434.00
2019-20	1663432.00
योग	6009245.00

ग्राम पंचायत – कंठी छपरा विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-169

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6582708 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6582708 का अपहरण श्री मती कुसमी देवी ग्राम प्रधान व श्री सुनील मणि वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती कुसमी देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	2046782
2018-19	2457906
2019-20	2078020
योग	6582708

ग्राम पंचायत – भूजौली पट्टी विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-170

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1863356 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 1863356 का अपहरण श्री मती नीलम देवी ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती नीलम देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	605231
2018-19	707566
2019-20	550559

योग	1863356

ग्राम पंचायत – खजूरिया विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-171

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9570118.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 9570118.00 का अपहरण श्री मती पुष्पांजली देवी ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती पुष्पांजली देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट /ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	2841373.00
2018-19	2951219.00
2019-20	3777526.00
योग	9570118.00

ग्राम पंचायत – चैती मूसहरी विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-172

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 7386801.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 7386801.00 का अपहरण श्री श्याम बदन ग्राम प्रधान व श्री राजेश यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री श्याम बदन ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1367804
2017-18	1776492
2018-19	2076916
2019-20	2165589
योग	7386801

ग्राम पंचायत – बल्कुडिया विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-173

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 8891317.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 8891317.00 का अपहरण श्री गिरजेश ग्राम प्रधान व श्री मनोज कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री गिरजेश ग्राम प्रधान से

एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1650077.00
2017-18	1632515.00
2018-19	3560164.00
2019-20	2048561.00
योग	8891317.00

ग्राम पंचायत – गंभीरीया विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-174

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4169891.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4169891.00 का अपहरण श्री मती रेशमी देवी ग्राम प्रधान व श्री मती रेशमी देवी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मनोज कुमार ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	1018518.00
2018-19	1732300.00
2019-20	1419073.00
योग	4169891.00

ग्राम पंचायत – बभनौली विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-175

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2261331.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2261331.00 का अपहरण श्री महातम ग्राम प्रधान व श्री धनन्जय पति त्रिपाठी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री महातम ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	443080.00
2017-18	330085.00
2018-19	878922.00
2019-20	609244.00
योग	2261331.00

ग्राम पंचायत – अकबरपुर विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-176

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 8743534.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 8743534.00 का अपहरण श्री गुलशन ग्राम प्रधान व श्री धनन्जय पति त्रिपाठी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री गुलशन ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	587405.00
2017-18	2103684.00
2018-19	3646399.00
2019-20	2406046.00
योग	8743534.00

ग्राम पंचायत – विरइट रामनगर विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-177

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4217831.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4217831.00 का अपहरण श्रीमती मीना देवी ग्राम प्रधान व श्री धनंजय पति त्रिपाठी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती मीना देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	287450.00
2016-17	701063.00
2017-18	1020095.00
2018-19	1356651.00
2019-20	852572.00
योग	4217831.00

ग्राम पंचायत – बिंदवालिआ पट्टी विकास खंड – विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-178

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2029403.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2029403.00 का अपहरण श्री मनोज कुमार ग्राम प्रधान व श्री मनोज कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मनोज कुमार ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	662362.00
2018-19	1094563.00
2019-20	272478.00
योग	2029403.00

ग्राम पंचायत –धौरहरा विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-179

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 3934645.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 3934645.00 का अपहरण श्री नागदेव ग्राम प्रधान व श्री मनोज कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री नागदेव ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	574240.00
2017-18	1036297.00
2018-19	1103394.00
2019-20	1220714.00
योग	3934645.00

ग्राम पंचायत –विशुनपुरा बुजुर्ग विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-180

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 5269904.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 5269904.00 का अपहरण श्री आजम ग्राम प्रधान व श्री अशोक कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री आजम ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1099539.00
2017-18	1425742.00
2018-19	1589316.00
2019-20	1155307.00
योग	5269904.00

ग्राम पंचायत –किन्नर पट्टी विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-181

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2398409.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये

खाते से धन का आहरण कर ₹ 2398409.00 का अपहरण श्रीमती सुमन यादव ग्राम प्रधान व श्री धनंजय पति त्रिपाठी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती सुमन यादव ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	45000.00
2016-17	474245.00
2017-18	302899.00
2018-19	909631.00
2019-20	666634.00
योग	2398409.00

ग्राम पंचायत –हिरनही विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-182

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9792372.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 9792372.00 का अपहरण श्री अतहर हुसैन ग्राम प्रधान व श्री धनन्जय पति त्रिपाठी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री अतहर हुसैन ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	3952296.00
2017-18	2867118.00
2018-19	1374832.00
2019-20	1598126.00
योग	9792372.00

ग्राम पंचायत –सोहरौना विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-183

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 3572870.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 3572870.00 का अपहरण श्रीमती वकलूननिशां ग्राम प्रधान व श्री मनोज कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती वकलूननिशां ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	925096.00
2018-19	1165401.00

2019-20	1482373.00
योग	3572870.00

ग्राम पंचायत –दुबौली विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर प्रस्तर-184

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 5513651.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 5513651.00 का अपहरण श्री मती लालती देवी ग्राम प्रधान व श्री धनन्जय पति त्रिपाठी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती लालती देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	857774.00
2017-18	1574454.00
2018-19	1520717.00
2019-20	1560706.00
योग	5513651.00

ग्राम पंचायत –एकवनही उर्फ भागवतपुर विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर प्रस्तर-185

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4114823.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4114823.00 का अपहरण श्री अनिल ग्राम प्रधान व श्री संतोष कुमार वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री अनिल ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	828388
2017-18	968144
2018-19	885001
2019-20	1433290
योग	4114823

ग्राम पंचायत –लीलाधार छपरा विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर प्रस्तर-186

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2558739 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2558739 का अपहरण श्री आजाद खां ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री आजाद खां ग्राम प्रधान

से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	652607
2018-19	1241074
2019-20	665058
योग	2558739

ग्राम पंचायत –मोजहिदा विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर प्रस्तर-187

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 4267829.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 4267829.00 का अपहरण श्री मती अनीता देवी ग्राम प्रधान व श्री रमायन गुप्ता वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	563855.00
2016-17	386492.00
2017-18	1034175.00
2018-19	1536070.00
2019-20	747237.00
योग	4267829.00

ग्राम पंचायत – सोनवल विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर प्रस्तर-188

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2021 तक लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 से 2019-20 की कोषवही, बैंक पासबुक, भुगतान की गई धनराशियों हेतु व्यय वाउचर्स, कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, वित्तीय तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टर रोल, कार्यों की मापन पुस्तिका एवं स्टीमेट, क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6636349.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 6636349.00 का अपहरण श्री महातम ग्राम प्रधान व श्री धनन्जय पति त्रिपाठी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी व्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री महातम ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1390041.00
2017-18	1554490.00
2018-19	1960462.00
2019-20	1731356.00
योग	6636349.00

ग्राम पंचायत – त्रिलोकपुर बुजुर्ग विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर-189

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2021 तक लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 से 2019-20 की कोषवही, बैंक पासबुक, भुगतान की गई धनराशियों हेतु व्यय वाउचर्स, कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, वित्तीय तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टर रोल, कार्यों की मापन पुस्तिका एवं स्टीमेट, क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 3638328 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 3638328 का अपहरण श्री ओमप्रकाश ग्राम प्रधान व श्री विनोद यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री ओमप्रकाश ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2015-16	769263
2016-17	285087
2017-18	1018352
2018-19	631238
2019-20	934388
योग	3638328

ग्राम पंचायत – त्रिलोकपुर खुर्द विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर**प्रस्तर-190**

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2021 तक लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2019-20 की कोषवही, बैंक पासबुक, भुगतान की गई धनराशियों हेतु व्यय वाउचर्स, कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, वित्तीय तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टर रोल, कार्यों की मापन पुस्तिका एवं स्टीमेट, क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 4201498.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 4201498.00 का अपहरण श्री प्रभु ग्राम प्रधान व श्री विनोद यादव वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री प्रभु ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	1095228.00
2018-19	1703422.00
2019-20	1402848.00
योग	4201498.00

ग्राम पंचायत – गोइती बुजुर्ग विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर**प्रस्तर-191**

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2021 तक लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2019-20 की कोषवही, बैंक पासबुक, भुगतान की गई धनराशियों हेतु व्यय वाउचर्स, कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, वित्तीय तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टर रोल, कार्यों की मापन पुस्तिका एवं स्टीमेट, क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 4205666 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 4205666 का अपहरण श्री शम्बीर उर्फ साबिर ग्राम प्रधान व श्री सुनील मणि वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री शम्बीर उर्फ साबिर ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	1136392
2018-19	1933834
2019-20	1135440
योग	4205666

**ग्राम पंचायत – मिश्रौली विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-192**

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2021 तक लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2019-20 की कोषवही, बैंक पासबुक, भुगतान की गई धनराशियों हेतु व्यय वाउचर्स, कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, वित्तीय तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टर रोल, कार्यों की मापन पुस्तिका एवं स्टीमेट, क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2017-18 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 4959005 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 4959005 का अपहरण श्री मती सहिना फातमा ग्राम प्रधान व श्री मिथलेश मल्ल वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती सहिना फातमा ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2017-18	1950700
2018-19	2437156
2019-20	571149
योग	4959005

**ग्राम पंचायत – नरचोचवा विकास खंड –विशुनपुरा जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-193**

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2021 तक लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 से 2019-20 की कोषवही, बैंक पासबुक, भुगतान की गई धनराशियों हेतु व्यय वाउचर्स, कराये गये कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, वित्तीय तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टर रोल, कार्यों की मापन पुस्तिका एवं स्टीमेट, क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका, कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2016-17 से 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 12055043.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 12055043.00 का अपहरण श्री मती मालती देवी ग्राम प्रधान व श्री जय प्रकाश सिंह वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती मालती देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से किया जाना अपेक्षित है। वर्ष वार आहरित धनराशि का विवरण निम्न है---

वर्ष	प्रिया सॉफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय / आहरित धनराशि
2016-17	1816668.00
2017-18	2800098.00
2018-19	4624868.00
2019-20	2813409.00
योग	12055043.00

**ग्राम पंचायत – करहिया हजारी पट्टी विकास खंड –पडरौना जनपद – कुशीनगर
प्रस्तर-194**

(रू० 10,000.00) से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत – लमकन
प्रस्तर-235**

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्रा० पं० लमकन की प्रस्तुत कोषबही के अनुसार रू० 262,549.00 का व्यय चबूतरा निर्माण, हैण्डपम्प मरम्मत, फार्गिंग, चबूतरा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी, हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी पर दर्शित किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये। जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली/ व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं। अतएव अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री सुमित कुमार (रू० 131,274.50) व ग्राम प्रधान श्री सुशील (रू० 131,274.50) से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप - 4

जनपद-महाराजगंज

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ :-

लेखा परीक्षा वर्ष :- 2019-20

प्रस्तर संख्या-01:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - अगया की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत कार्य तो कराया गया है, किन्तु उक्त कार्य के निर्मित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर कराये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत के खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुये तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा-परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिये शासनादेश संख्या:-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्ध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा-परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर पत्रावली के साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। केशबुक अनुसार सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान एक ही संस्था को किया गया है। जो कि मान्य नहीं है। साथ ही उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार रू०-19,535/- की धनराशि सचिव सुश्री प्रियंका पटेल एवं प्रधान श्री नन्दलाल द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतः रू०-19,535/- का आधा-आधा भाग रू०-9,767.50 व रू०-9,767.50 प्रत्येक से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

(मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	विवरण
1	09.03.2020	19,535.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग	19,535.00	
	अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
	19,535.00	0.00	19,535.00

प्रस्तर संख्या-02:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - अगया की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा-परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दू 8 (क) के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी। विवरण निम्न प्रकार है:- (मूल आपत्ति सं०-2 ख 2)

इस प्रकार रू०-43,774/- का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री नन्द लाल द्वारा रू०-21887.00 एवं सचिव सुश्री प्रियंका पटेल द्वारा रू०-21,887/- का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	विवरण
1	29.07.2019	10642	प्रशासनिक मद
2	19.01.2020	3500	प्रशासनिक मद
3	19.01.2020	2746	प्रशासनिक मद
4	17.03.2020	4496	प्रशासनिक मद
5	17.03.2020	7990	प्रशासनिक मद
6	01.08.2019	14400	स्वच्छता सामग्री क्रय
	योग	43,774.00	

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
43,774.00	0.00	43,774.00

प्रस्तर संख्या-03:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - जंगल फरजन्दअली की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत कार्य तो कराया गया है, किन्तु उक्त कार्य के निर्मित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर कराये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत के खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुये तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा-परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिये शासनादेश संख्या:-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्ध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के प्रमाणकों के साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। कैशबुक अनुसार सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक ही संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है। साथ ही उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार रू०-71820/- धनराशि सचिव सुश्री सुमन गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती पंजिका री देवी द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतः रू०-71820/- का आधा-आधा भाग रू०-35'910/- प्रत्येक से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार है:-

मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	विवरण
1	06.11.2018	30,050.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2	08.02.2019	41,770.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग	71,820.00	

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
71,820.00	0.00	71,820.00

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	विवरण
1	12.09.2018	157500.00	48अदद डिस्टबिन
2	03.10.2018	16000.00	ठेला क्रय
3	08.02.2019	37500.00	12 अदद डिस्टबिन

प्रस्तर संख्या-04:- विकास खण्ड - सदर के

योग	211000.00

ग्रा० पं० - जंगल फरजन्दअली की वर्ष 2018-

19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार डेड स्टॉक क्रय किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति पत्र अप्राप्त रहा। इस प्रकार रू०-2,11,000/- की धनराशि सुश्री सुमन गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती पंजिका री देवी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अत रू०-2,11,000/- का आधा-आधा भाग रू०-1,05,500/- प्रत्येक से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 2)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,11,000.00	0.00	2,11,000.00

प्रस्तर संख्या-05:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - सतभरिया की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत कार्य तो कराया गया है, किन्तु उक्त कार्य के निर्मित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर कराये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत के खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुये तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा-परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिये शासनादेश संख्या:-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्ध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के प्रमाणकों के साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। कैशबुक अनुसार सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक ही संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है। साथ ही उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार रू०-95240/- धनराशि सचिव सुश्री सुमन गुप्ता एवं प्रधान श्री राधेश्याम द्वारा अपहरण कर लिया गया। अत: रू०-95240/- का आधा-आधा भाग रू०-47620/- प्रत्येक से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:- (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	विवरण
1	26.07.2018	25200.00	हैण्डपम्प रिबोर
2	26.07.2018	25200.00	हैण्डपम्प रिबोर
3	26.07.2018	25200.00	हैण्डपम्प रिबोर
4	18.02.2020	19640.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग	95240.00	
अपहरण		गंभीर अनियमितता	योग
95,240.00		0.00	95,240.00

प्रस्तर संख्या-06:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - सतभरिया की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार डेड स्टॉक क्रय किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति पत्र अप्राप्त रहा। इस प्रकार रू०-187320/- की धनराशि सुश्री सुमन गुप्ता एवं प्रधान श्री राधेश्याम द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अत रू०-1,87,320/-

का आधा-आधा भाग रू०-93,660/- व रू०- 93,660/- सुश्री गुप्ता व श्री राधेश्याम से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	विवरण
1	06.09.2018	61600.00	14 अदद डस्टबिन
2	15.09.2018	12620.00	ठेला, बेलचा, कुदाल, आदि क्रय
3	17.01.2019	65000.00	26 अदद डस्टबिन
4	27.03.2019	24500.00	कुर्सी मेज, दरी, आदि क्रय
5	29.03.2019	23600.00	कुर्सी, मेज, दरी आदि क्रय
	योग	187320.00	

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,87,320.00	0.00	1,87,320.00

प्रस्तर संख्या-07:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - तरकुलवा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में केशबुक अनुसार निम्न प्रोजेक्टों पर सामग्री तथा मजदूरी का भुगतान एक ही संस्था को किया गया है, जो मान्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत स्वयं एक कार्यदायी संस्था है। साथ ही उक्त कार्यों की व्यय पत्रावली भी अप्रस्तुत रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दू 8(क) के अनुसार व्यय प्रमाणकों के अप्रस्तुत रहने पर दर्शित व्यय अपहरण माना जाएगा। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	भुगतानित धनराशि
1	27.01.2020	शिवप्रकाश के घर से प्रा0वि0तक सी0सी0रोड मरम्मत कार्य। (सामग्री + मजदूरी)	187218.00
2	02.01.2020	महेश के घर से गोपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य। (सामग्री + मजदूरी)	67638.00
		योग	254856.00

इस प्रकार अवास्तविक रूप से व्यय दर्शकर रू०- 2,54,856.00 का अपहरण सचिव सुश्री उर्वशी यादव एवं प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा कर लिया गया है, जिसकी प्रत्येक से आधी-आधी ब्याज सहित वसूली पंचायत हित में अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,54,856.00	0.00	2,54,856.00

प्रस्तर संख्या-08:- विकास खण्ड -

सदर के ग्रा० पं० - धनेवा धनेई की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत कार्य तो कराया गया है, किन्तु उक्त कार्य के निर्मित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर कराये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत के खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुये तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा-परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिये शासनादेश संख्या:-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्ध समिति का कार्य पीने

के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के प्रमाणकों के साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। कैशबुक अनुसार सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक ही संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है। साथ ही उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार ₹०-53950/- धनराशि सचिव श्री अशोक निगम एवं प्रधान श्रीमती तरन्नुम द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतः ₹०-53950/- का आधा-आधा भाग ₹०-26975/- प्रत्येक से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:- (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

क्र०सं०	तिथि	धनराशि	विवरण	फर्म का नाम
1	10.04.2019	23190.00	हैण्डपम्प रिबोर	यशराज इंटरप्राइजेज
2	30.11.2019	16080.00	हैण्डपम्प रिबोर	यशराज इंटरप्राइजेज
3	30.11.2019	14680.00	हैण्डपम्प रिबोर	यशराज इंटरप्राइजेज
	योग	53950.00		

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
53,950.00	0.00	53,950.00

प्रस्तर संख्या-09:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - धनेवा धनेई की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक अनुसार दिनांक 30.11.2019 को सफाई सामग्री ₹०-37075/- का क्रय किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृत पत्र अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय(8) के बिन्दु-8(क) के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर दर्शित व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ₹०-37075/- की धनराशि सचिव श्री अशोक निगम एवं प्रधान श्रीमती तरन्नुम द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः ₹०-37075/- का आधा-आधा भाग ₹०-18537.50 प्रत्येक से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 2)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
37,075.00	0.00	37,075.00

प्रस्तर संख्या-10:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा० पं० - धनेवा धनेई की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक अनुसार दिनांक 30.11.2019 06.10.2019 को प्रधान मानदेय व्यय ₹०-77000.00 दर्शित है। जो मार्च 2018 से दिसम्बर 2019 तक (22×3500.00) का है। उक्त की पुष्टि में प्रधान मानदेय पंजिका एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति पत्र अप्राप्त रहा। इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर ₹०-77000/- की धनराशि सचिव श्री अशोक निगम एवं प्रधान श्रीमती तरन्नुम द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली आधा-आधा भाग प्रत्येक से ब्याज सहित अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 3)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
77,000.00	0.00	77,000.00

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण

प्रस्तर संख्या-11:- विकास खण्ड - सदर के ग्रा०पं०

भिस्वा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार डेड स्टॉक क्रय किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति

1	05.09.2018	180000.00	डस्टबीन क्रय
2	12.11.2019	19800.00	कुर्सी, मेज आदि क्रय
योग		1,99,800.00	

प्रमाण-पत्र, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति पत्र अप्राप्त रहा। इस प्रकार रू०-198000/-की धनराशि सुश्री प्रियंका पटेल, सचिव एवं प्रधान की नूरे आलम द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः रू०-1,99,800/- का आधा-आधा भाग क्रमशः 99,900 व 99,900.00 ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,99,800.00	0.00	1,99,800.00

प्रस्तर संख्या-12:- विकास खण्ड -

सदर के ग्रा०पं० भिस्वा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत कार्य तो कराया गया है, किन्तु उक्त कार्य के निर्मित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर कराये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत के खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुये तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा-परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिये शासनादेश संख्या:- 4430/33-1-99/एस०पी०आर०/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्ध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के प्रमाणकों के साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। कैशबुक अनुसार सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक ही संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है। साथ ही उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार रू०-113179/- धनराशि सचिव श्री प्रियंका पटेल एवं प्रधान श्री नूरे आलम द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतः रू०-113179/- का आधा-आधा भाग रू०-56589.50/- प्रत्येक से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार है:- (मूल आपत्ति सं०-2 ख 2)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,13,179.00	0.00	1,13,179.00

प्रस्तर संख्या-13:- विकास खण्ड - मिठौरा के ग्रा०पं० सिन्दुरिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 14/10/2019 को स्टेशनरी मद में रू० 17250.00 व 12/12/2019 को प्रशासनिक मद में रू० 3000.00 कुल रू० 20250.00 व्यय किया गया है, जिनकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अपुष्ट एवं अप्रमाणित व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत को रू० 20250.00 की क्षति पहुँचाई गई है। उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि रू० 20250.00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अस्तु **अपहृत धनराशि रू० 20250.00** का आधा भाग रू० 10125.00 **प्रधान श्रीमती निर्मला देवी** से तथा आधा भाग रू० 10125.00 **ग्राम विकास अधिकारी श्री आशुतोष जायसवाल** से ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
20,250.00	0.00	20,250.00

प्रस्तर संख्या-14:- विकास खण्ड - मिठौरा के ग्रा०पं० जगदौर के वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि भिन्न-भिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है परन्तु दिनांक 31/03/20 तक मजदूरी पर किए गए भुगतान का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय ऑनलाइन रोकड़ बही में भी दर्शित है परन्तु श्रमांश पर किया व्यय ऑनलाइन रोकड़ बही में भी दर्शित नहीं है।

क्रमांक	विवरण	दिनांक	सामग्री पर व्यय	श्रमांश

1	पीडब्ल्यूडी रोड से रोजई के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण	31/10/18	55809.00	-
2	फकरुद्दीन के घर से खैरूल के घर तक इन्टरलॉकिंग	31/10/18	50061.00	-
3	पीडब्ल्यूडी रोड से अलीजान के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण	22/10/18	117680.00	-
		29/12/18	68773.00	-

योग

292323.00

अतः स्पष्ट है कि रू० 292323.00 का कल्पनिक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचाई गई है जिसके लिए प्रधान श्रीमती कलिमुन्नीशा एवं सचिव श्री जयहिंद भारती संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अस्तु धनराशि रू० 292323.00 का आधा भाग रू० 146161.50 प्रधान श्रीमती कलिमुन्नीशा से तथा आधा भाग रू० 146161.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री जयहिंद भारती से ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,92,323.00	0.00	2,92,323.00

प्रस्तर संख्या-15:- विकास खण्ड - मिठौरा के ग्रा०पं० जगदौर के वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21/06/18 को हैन्ड पम्प मरम्मत पर रू० 34800.00, दिनांक 12/09/18 को फॉर्गिंग पर रू० 23645.00 व दिनांक 28/11/18 को हैन्ड पम्प मरम्मत पर रू० 12400.00 कुल रू० 70845.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, अनुपयुक्त हैन्ड पम्प सामग्री की नीलामी से आय भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार उक्त व्यय धनराशि रू० 70845.00 का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचाई गई है। उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि रू० 70845.00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अस्तु अपहृत धनराशि रू० 70845.00 का आधा भाग रू० 35422.50 प्रधान श्रीमती कलिमुन्नीशा से तथा आधा भाग रू० 35422.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री जयहिंद भारती से ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
70,845.00	0.00	70,845.00

प्रस्तर संख्या-16:- विकास खण्ड - मिठौरा के ग्रा०पं० रामपुर मीर के वर्ष 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15/11/17 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू० 1100.00 की निकासी की गई है जिसकी प्रविष्टि ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रोकड़ बही में नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि रू० 1100.00 का प्रधान श्रीमती कुसुम देवी तथा सचिव श्री अमरेन्द्र कुमार पटेल द्वारा अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचाई गई है। उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि रू० 1100.00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अस्तु अपहृत धनराशि रू० 1100.00 का आधा भाग रू० 550.00 प्रधान श्रीमती कुसुम देवी से तथा आधा भाग रू० 550.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार पटेल से ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,100.00	0.00	1,100.00

प्रस्तर संख्या-17:- विकास खण्ड - मिठौरा के ग्रा०पं० रामपुर मीर के वर्ष 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31/10/17 को चेक सं० 017544, 017545, 017546, 017547 व 017548 द्वारा क्रमशः रू० 3500.00, रू० 3500.00, रू० 3500.00, रू० 3500.00 व रू० 3500.00 कुल रू० 17500.00 श्री विपिन को भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि रोकड़ बही में प्रधान श्रीमती कुसुम देवी को मानदेय भुगतान किया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि प्रधान के मानदेय की धनराशि का चेक श्री विपिन को दिया गया है जो गंभीर प्रकरण है। स्पष्ट है कि सचिव श्री अमरेन्द्र कुमार पटेल व श्री विपिन ने आपसी मिली-भगत कर रू० 17500.00 का अपहरण कर लिया है। अतः

रू० 17500.00 का आधा भाग रू० 8750.00 श्री विपिन से तथा आधा भाग रू० 8750.00 सचिव श्री अमरेन्द्र कुमार पटेल से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
17,500.00	0.00	17,500.00

प्रस्तर संख्या-18:- विकास खण्ड - मिठौरा के ग्रा०पं० नेदुआ के वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली चुलहाई के घर से नियामत के घर तक खड़जा मरम्मत वर्ष 2019-20 में दिनांक 31/07/19 को सामग्री पर रू० 55000.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 में चुलहाई के घर से नियामत के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर रू० 235464.00 का व्यय किया जा चुका था। स्पष्ट है कि वर्ष 19-20 में काल्पनिक खड़जा मरम्मत पर रू० 55000.00 का व्यय पूर्ण रूप से फर्जी है एवं प्रधान श्रीमती सुनीता देवी तथा सचिव श्री नागेन्द्र पांडे द्वारा आपसी मिली-भगत कर अपहरण किया गया है। अतः रू० 55000.00 का आधा भाग रू० 27500.00 प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से तथा आधा भाग रू० 27500.00 सचिव श्री नागेन्द्र पांडे से ब्याज सहित वसूल कर क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
55,000.00	0.00	55,000.00

प्रस्तर संख्या-19:- विकास खण्ड - पनियरा के ग्रा०पं० तेंदुअहिया की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 21.01.20 को धनराशि रू० 63,648.00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि रू० 63,648.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री सन्तीरा तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री ममलेश्वर उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रू० 31,824.00 व रू० 31,824.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
63,648.00	0.00	63,648.00

प्रस्तर संख्या-20:- विकास खण्ड - पनियरा के ग्रा०पं० मिठौरा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रू० 1,93,000.00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि रू० 1,93,000.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्रम सं.	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1.	02-04-19	427106	27,600.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
2.	02-04-19	427107	27,600.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
3.	02-04-19	427105	27,600.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
4.	02-04-19	427111	15,000.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
5.	02-04-19	427112	25,000.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
6.	02-04-19	427110	15,000.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
7.	02-04-19	427109	27,600.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
8.	02-04-19	427108	27,600.0	हैंडपंप मरम्मत हेतु आर.पी. इंटरप्राइजेज को भुगतान
योग			1,93,000.0	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री ममलेश्वर उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 96,500.00 व ₹ 96,500.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,93,000.00	0.00	1,93,000.00

प्रस्तर संख्या-21:- विकास खण्ड - पनियरा के ग्रा०पं० रामनगर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 22.03.20 को चेक सं० पीएफएमएस द्वारा धनराशि ₹ 68,720.00 का भुगतान स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 68,720.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री ममलेश्वर उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 34,360.00 व ₹ 34,360.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
68,720.00	0.00	68,720.00

प्रस्तर संख्या-22:- विकास खण्ड - निचलौल के ग्रा०पं० बकुलडीहा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 1,24,022.00 का भुगतान विभिन्न कार्यों हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 1,24,022.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1.	30.07.19	46,590.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
2.	23.07.19	20,500.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
3.	20.04.19	28,466.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
4.	20.04.19	28,466.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		योग-	1,24,022.00

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री बेंचू प्रसाद तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री मुक्तिनाथ गुप्ता उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 62,011.00 व ₹ 62,011.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,24,022.00	0.00	1,24,022.00

प्रस्तर संख्या-23:- विकास खण्ड - निचलौल के ग्रा०पं० मेधौली खुर्द की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 31.12.19 को धनराशि ₹ 2,42,000.00 का भुगतान आरसीसी बैंच खरीद हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 2,42,000.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुस्तकीम तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री मुक्तिनाथ गुप्ता उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 1,21,000.00 व ₹ 1,21,000.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,42,000.00	0.00	2,42,000.00

प्रस्तर संख्या-24:- विकास खण्ड - निचलौल के ग्रा०पं० बीसोखोर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 1,56,000.00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 1,56,000.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1.	26.07.19	1,42,000.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
2.	26.07.19	14,000.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
योग-		1,56,000.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री विवेक कुमार पटेल उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 78,000.00 व ₹ 78,000.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,56,000.00	0.00	1,56,000.00

प्रस्तर संख्या-25:- विकास खण्ड - निचलौल के ग्रा०पं० संडा खुर्द की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 07.03.20 को धनराशि ₹ 17,100.00 का भुगतान स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 17,100.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री महेश तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री विवेक कुमार पटेल उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 8,550.00 व ₹ 8,550.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
17,100.00	0.00	17,100.00

प्रस्तर संख्या-26:- विकास खण्ड - निचलौल के ग्रा०पं० पिपरा काजी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 1,14,102.00 का भुगतान स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 1,14,102.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रकाश पटेल तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री विवेक कुमार पटेल उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 57,051.00 व ₹ 57,051.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,14,102.00	0.00	1,14,102.00

प्रस्तर संख्या-27:- विकास खण्ड - निचलौल के ग्रा०पं० बढया मुस्तकील की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रू० 2,53,050.00 का भुगतान स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि रू० 2,53,050.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री विवेक कुमार पटेल उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रू० 1,26,525.00 व रू० 1,26,525.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1.	17.05.18	19,945.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
2.	26.07.18	19,945.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
3.	27.03.19	30,000.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
4.	10.02.20	20,500.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
5.	14.09.18	37,560.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
6.	14.12.19	63,000.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
7.	15.01.19	37,700.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
8. अपहरण	24.03.20	24,400.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
2,53,050.00	योग	0.00	2,53,050.00

प्रस्तर संख्या-28:- विकास खण्ड - निचलौल के ग्रा०पं० मैरी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा कोषबही में दिनांक:- 28.11.19 को धनराशि रू० 1,25,000.00 का भुगतान स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किंतु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि रू० 1,25,000.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री भुलई यादव तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री विवेक कुमार पटेल उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रू० 62,500.00 व रू० 62,500.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,25,000.00	0.00	1,25,000.00

प्रस्तर संख्या-29:- विकास खण्ड - सिसवा के ग्रा०पं० डढोली की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 05.07.19 को चेक सं०- 336374 द्वारा धनराशि रू० 62,500.00 का भुगतान 'मे. सृष्टि इंटरप्राइजेज' को 'ग्रा.पं. में स्वच्छता हेतु स्वच्छता सामग्री क्रय हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि रू० 62,500.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती देवी तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री राजकुमार भारतीय उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः रू० 31,250.00 व रू० 31,250.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
62,500.00	0.00	62,500.00

प्रस्तर संख्या-30:- विकास खण्ड - सिसवा के ग्रा०पं० बरवा द्वारिका के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक:- 26.11.19 को पीएफएमएस द्वारा धनराशि रू० 35,000.00 का भुगतान 'ग्रा.पं. में स्वच्छता हेतु 'स्वच्छता सामग्री' क्रय हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि रू० 35,000.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कविता तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री हरिलाल चौधरी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः रू० 17,500.00 व रू० 17,500.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
35,000.00	0.00	35,000.00

प्रस्तर संख्या-31:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० रमगढ़वा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रू० 14,000.00 का व्यय 15 अगस्त व 26 जनवरी के विज्ञापनों हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त विज्ञापनों से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। न ही इन विज्ञापनों के पूर्व उच्चाधिकारियों की पूर्वानुमति संबंधी कोई अभिलेख ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। नियमानुसार ग्रा०पं० को निविदा आमंत्रण के अतिरिक्त अन्य कोई विज्ञापन निकालने की अनुमति नहीं है। व्यय प्रमाणकों की अनुपलब्धता में उक्त व्यय संदिग्ध है। संभव है कि उपरोक्त धनराशि रू० 14,000.00 आहरित कर अपहरण कर ली गई है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
1.	11/10/18	509751	2,500.00	अज्ञात	15 अगस्त हेतु विज्ञापन
2.	26/10/18	509769	5,000.00	राष्ट्रीय सहारा	26 जनवरी हेतु विज्ञापन
3.	08/02/19	509767	2,000.00	दैनिक जागरण	26 जनवरी हेतु विज्ञापन
4.	11/02/19	509751	2,000.00	अज्ञात	15 अगस्त हेतु विज्ञापन
5.	15/02/19	509768	2,500.00	अमर उजाला	26 जनवरी हेतु विज्ञापन
योग-			14,000.00		

इसके लिए ग्राम प्रधान मु. अदालत हुसैन तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री निवास उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः रू० 7,000.00 व रू० 7,000.00 की वसूली ब्याज सहित व आनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
14,000.00	0.00	14,000.00

प्रस्तर संख्या-32:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० महुअवा नं 1 की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 25/06/18 को चेक सं०- 006248 द्वारा धनराशि रू० 60,000.00 का भुगतान 'दिसंबर 2016 से मई 2018 तक के 'ग्राम प्रधान मानदेय' हेतु होना दर्शित है। जिसमें से दिसंबर 2016 से नवंबर 2017 तक 12 महीने का मानदेय 2500.00 प्रतिमाह की दर से (रू० 30,000.00) तथा दिसंबर 2017 से मई 2018 तक छह महीने का मानदेय 3500.00 प्रतिमाह की दर से (रू० 21,000.00) देना दर्शित है। उक्त को जोड़ने पर कुल मानदेय की राशि रू० 51,000.00 ही आती है। जबकि आहरण रू० 60,000.00 का किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि रू० 9,000.00 का अतिरिक्त आहरण कर उक्त धनराशि अपहृत कर ली गई है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री हेमन्त लाल तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः रू० 4,500.00 व रू० 4,500.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
9,000.00	0.00	9,000.00

प्रस्तर संख्या-33:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० महुअवा नं 1 के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रू० 1,41,950.00 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों हेतु विभिन्न फर्मों को 'ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क-11 हैंडपंप मरम्मत कार्य' हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि रू० 1,41,950.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1.	09/08/18	006258	1,25,790.00	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क-11 हैंडपंप मरम्मत कार्य
2.	02/06/18	006249	16,160.00	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क-11 हैंडपंप मरम्मत कार्य

योग- 1,41,950.00

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री हेमन्त लाल तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹ 70,975.00 व ₹ 70,975.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,41,950.00	0.00	1,41,950.00

प्रस्तर संख्या-34:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० नरकटहां की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 1,44,282.00 का भुगतान विभिन्न कार्यों हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 1,44,282.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	फर्म का नाम	कार्य का नाम
1.	20/07/18	985491	34,260.00	श्री वैष्णो ट्रेडर्स	ग्रा.पं. में स्वच्छता हेतु कूड़ेदान स्थापना कार्य
2.	15/07/19	915339	4,000.00	राम सुरेश को	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत कार्य
3.	28/10/19	पीएफएमएस	29,260.00	सर्वजीत को	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत कार्य
4.	30/12/19	पीएफएमएस	76,762.00	लक्ष्मी ट्रेडर्स	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत कार्य
योग- 1,44,282.00					

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रदीप सिंह तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹ 72,141.00 व ₹ 72,141.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,44,282.00	0.00	1,44,282.00

प्रस्तर संख्या-35:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० निपनिया की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 19/07/19 को चेक सं०- 019421 द्वारा धनराशि ₹ 19,591.00 का भुगतान 'चूना/ब्लीचिंग पाउ./मैला.' हेतु 'बजरंग इंटरप्राइजेज' को 'ग्रा.पं. में ग्राम पंचायत में स्वच्छता हेतु फॉर्गिंग/दवा छिड़काव कार्य' हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 19,591.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शशीरूत्रिशा तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹ 9,795.50 व ₹ 9,795.50 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
19,591.00	0.00	19,591.00

प्रस्तर संख्या-36:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में रेहरा की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 1,01,237.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को हैंडपंप मरम्मत कार्यों हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 1,01,237.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1.	25/04/18	043829	19,487.00	राम सुरेश को हैंडपंप मरम्मत हेतु
2.	19/06/18	008026	25,040.00	राम सुरेश को हैंडपंप मरम्मत हेतु

3.	02/02/19	012962	13,390.00	सर्वजीत को हैडपंप मरम्मत हेतु
4.	22/02/19	012984	15,980.00	आर.पी. इंटरप्राइजेज को हैडपंप मरम्मत हेतु
5.	05/07/19	012988	27,340.00	सर्वजीत को हैडपंप मरम्मत हेतु
योग-			1,01,237.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती गीता यादव तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹ 50,618.50 व ₹ 50,618.50 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,01,237.00	0.00	1,01,237.00

प्रस्तर संख्या-37:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० रामनगर की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 95,350.00 का भुगतान विभिन्न हैडपंप मरम्मत कार्यों हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 95,350.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1.	26/12/19	35,350.00	हैडपंप मरम्मत पर व्यय
2.	30/11/19	9,500.00	हैडपंप मरम्मत पर व्यय
3.	30/11/19	50,500.00	हैडपंप मरम्मत पर व्यय
योग-		95,350.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान मु. मसूद खाँ तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹ 47,675.00 व ₹ 47,675.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
95,350.00	0.00	95,350.00

प्रस्तर संख्या-38:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० बरवां भोज की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 62,510.00 का भुगतान विभिन्न हैडपंप मरम्मत कार्यों हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 62,510.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹ 31,255.00 व ₹ 31,255.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1.	16/07/19	081001	30,000.00	हैडपंप मरम्मत पर व्यय
2.	29/09/18	056059	12,000.00	हैडपंप मरम्मत पर व्यय
3.	14/02/19	056091	20,510.00	हैडपंप मरम्मत पर व्यय
अपहरण		गंभीर अनियमितता	62,510.00	योग
62,510.00		0.00		62,510.00

प्रस्तर संख्या-39:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० सम्पतिहा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में दिनांक:- 14/02/19 को चेक सं०- 890944 द्वारा धनराशि ₹ 1,26,000.00 का भुगतान 'कूड़ादान' हेतु 'प्रभाकर बिल्डिंग मैटेरियल्स' को ग्रा.पं. में स्वच्छता हेतु कूड़ेदान स्थापना कार्य हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय

प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 1,26,000.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹ 63,000.00 व ₹ 63,000.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,26,000.00	0.00	1,26,000.00

प्रस्तर संख्या-40:- विकास खण्ड - नौतनवा के ग्रा०पं० कौलही की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि ₹ 3,02,732.00 का भुगतान विभिन्न कार्यों हेतु होना दर्शित है। परंतु उक्त कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यय अवास्तविक है और धनराशि ₹ 3,02,732.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या पाण्डेय तथा ग्रा.पं./वि.अधि. श्री रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से क्रमशः ₹

क्र.सं.	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1.	26/03/19	999943	20,510.00	हैंडपंप मरम्मत हेतु लक्ष्मी ट्रेडर्स को भुगतान
2.	10/10/18	999923	16,820.00	हैंडपंप मरम्मत हेतु सर्वजीत को भुगतान
3.	16/10/18	999924	49,952.00	हैंडपंप मरम्मत हेतु लक्ष्मी ट्रेडर्स को भुगतान
4.	28/01/19	999927	1,08,300.00	कूड़ादान हेतु शिवांश ट्रेडर्स को भुगतान
5.	11/12/19	पीएफएमएस	48,550.00	हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान
6.	11/12/19	पीएफएमएस	58,600.00	हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान
योग-			3,02,732.00	

1,51,366.00 व ₹ 1,51,366.00 की सब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,02,732.00	0.00	3,02,732.00

प्रस्तर संख्या-41:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० नरायनपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली प्रा.वि. बाउंड्रीवॉल एवं आयरन गेट निर्माण पर मजदूरी भुगतान कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को चेक संख्या - 059687 द्वारा ₹ 67,685.00 का किया गया है। जबकि संलग्न मस्टररोल पर अंकित धनराशि का वास्तविक योग ₹ 66,675.00 मात्र होता है। इस प्रकार ₹ 1,010.00 का अधिक भुगतान किया गया है। ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह व सचिव श्री दिनेश कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह व सचिव श्री दिनेश कुमार से धनराशि के आधे भाग ₹ 505.00 की सब्याज वसूली कर ग्राम निधि में जमा कराए जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। (मूल आपत्ति सं-3 ब 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,010.00	0.00	1,010.00

प्रस्तर संख्या-42:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० करौता ऊर्फ नेबुईया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 18-19 के निर्माण कार्य पत्रावली कन्हई के घर से श्रीराम के घर तक मिट्टी/खड़जा कार्य में संलग्न मस्टररोल के अनुसार दिनांक 24-3-19 से 30-3-19 तक की मजदूरी का भुगतान दिनांक 22-7-19 को चेक सं० -652574 द्वारा ₹ 6825.00 का किया गया है। मस्टररोल पर कार्यरत मजदूर परदेशी पुत्र सरल अन्य निर्माण कार्य भोला के घर से कोदई के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर भी दिनांक 24-3-19 से 30-3-19 तक [7]दिनों तक कार्यरत है, तथा इस कार्य की मजदूरी का भुगतान दिनांक 26-4-19 को चेक सं० 0-652560 द्वारा ₹ 18675.00 का भुगतान है। दो मस्टररोल अकुशल ₹ 11550.00 एवं कुशल श्रमिक ₹ 7125.00]। इसप्रकार एक ही श्रमिक को दो स्थानों पर एक ही कार्य अवधि में कार्यरत दर्शाकर ₹ 1225.00 [7 दिन x 175.00] का डबल भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन मद्धेशिया से

स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार 1/2 भाग (रू० 612.50) प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह तथा 1/2 भाग (रू० 612.50) सचिव श्री पवन मद्धेशिया से सब्याज वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,225.00	0.00	1,225.00

प्रस्तर संख्या-43:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० बेलवा टीकर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 18-19 के निर्माण कार्य पर हुए व्यय जिनका भुगतान वर्ष 19-20 में किया गया है, से सम्बन्धित पत्रावली [अ] रामहरख के खलिहान से बड़ी नहर तक इंटरलाकिंग कार्य पर दिनांक 11-3-19 से 24-3-19 तक के कार्यअवधि का दिनांक 20-7-19 को चेक संख्या 250547 द्वारा रू० 16875.00 कुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान है। उक्त मस्टर रोल के अनुसार सूर्यभान पुत्र ललई ने 11-3-19 से 24-3-19 तक कार्य किया है। निर्माण कार्य रामजत्तन के घर से रामब्रिक्ष के घर तक नाली निर्माण कार्य पर दिनांक 5-3-19 से 18-3-19 तक की कार्यअवधि का दिनांक 16-4-19 को चेक संख्या 250529 द्वारा रू० 10125.00 के भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल पर भी कुशल श्रमिक सूर्यभान पुत्र ललई को दिनांक 5-3-19 से 17-3-19 तक कार्यरत दर्शाकर भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि दिनांक 11-3-19 से 17-3-19 तक 7 दिन श्रमिक सूर्यभान को दोनों स्थानों पर कार्यरत दर्शाकर [7 दिन x 375.00]रू० 2625.00 डबल भुगतान किया गया है।

[ब]- इसी प्रकार रामहरख के खलिहान से बड़ी नहर तक ई 0 कार्य पर संलग्न मस्टर रोल के अनुसार कुशल श्रमिक वीर बहादुर पुत्र इंद्रदेव तथा संजय पुत्र दुलारे को 11-3-19 से 24-3-19 तक कार्यरत दर्शाकर मजदूरी भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य बाढ़ऊ के घर से सुधीर मास्टर के घर तक ई 0 कार्य में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार दिनांक 11-3-19 से 20-3-19 तक वीर बहादुर को 10 दिनों की मजदूरी रू० 3750.00 एवं संजय पुत्र दुलारे को दिनांक 12-3-19 से 20-3-19 तक 9 दिनों की मजदूरी रू० 3375.00 कुल रू० 7125.00 का भुगतान चेक संख्या 250530 द्वारा दिनांक 16-4-19 को किया गया है। इस प्रकार एक ही अवधि में उक्त दोनों मिस्त्री को दो स्थानों पर कार्यरत दर्शाकर रू० 7125.00 का डबल भुगतान किया गया है। अतः [अ एवं ब रू० 2625.00 तथा रू० 7125.00] कुल रू० 9750.00 दोबार एक ही श्रमिक को मजदूरी भुगतान किये जाने के संबंध में ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन मद्धेशिया से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार 1/2 भाग (रू० 4,875.00) प्रधान श्रीमती अनीता देवी तथा 1/2 भाग (रू० 4,875.00) सचिव श्री पवन मद्धेशिया से सब्याज वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
9,750.00	0.00	9,750.00

प्रस्तर संख्या-44:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० अहिरौली के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष के निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न मास्टर रोल की जांच में निम्न विवरणानुसार त्रुटियाँ पाई गई-

[अ] पूरब टोला हरी के मकान से पोखरी तक खड़जा मरम्मत कार्य पर दिनांक 20-12-19 से 3-1-20 तक की कार्य अवधि का मजदूरी भुगतान दिनांक 9-3-20 को डोंगल से रू० 15652.00 का किया गया है। मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिक धीरेन्द्र गुप्ता पुत्र रामउग्रह को कार्य स्थल कैलाश के घर से रामबदन के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य पर भी दिनांक 22-12-19 से 28-12-19 तक कार्यरत दर्शाकर दिनांक 9-3-20 को रू० 6188.00 के कुल मजदूरीभुगतान में 7 दिन की मजदूरी 1274.00 [7x182.00]का भुगतान किया गया है। इस प्रकार रू० 1274.00 का मजदूरी भुगतान अवास्तविक है।

[ब]-पूरब टोला नहर पुल से ललन के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य पर दिनांक 5-2-20 से 18-2-20 तक की कार्य अवधि का मजदूरी भुगतान डोंगल से दिनांक 9-3-20 को रू० 32032.00 किया गया है। संलग्न मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिक लालती पत्नी नाथू, विश्वनाथ पुत्र सुखराज, जयप्रकाश पुत्र अयोध्या परमात्मा पुत्र बल्ली, शंभू पुत्र मुनेसर, एवं रामनयन पुत्र जिउत को कार्य स्थल प्रेम के बगल से पारस के घर तक खड़जा कार्य पर भी दिनांक 1-2-20 से 7-2-20 तक कार्यरत दिखाकर दिनांक 9-3-20 के मजदूरी भुगतान रू० 7644.00 में मजदूरी भुगतान किया गया है। इसप्रकार उक्त समस्त श्रमिक को दिनांक 5-2-20 से 7-2-20 तक की मजदूरी का डबल भुगतान [6 x 3 x 182.00]रू० 3276.00 का किया गया है, जो अवास्तविक व्यय है।

[स]-प्रा0 वि0 कायाकल्प योजना जीर्णोद्धार कार्य पर दिनांक 28-10-19 से 7-11-19 तक का मजदूरी भुगतान डोंगल से दिनांक 4-12-19 को रू० 55023.00 का किया गया है। संलग्न मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिक शेषसितम्बर पुत्र जोखाई, राम नरेश पुत्र सरजू, इस्लाम पुत्र रियास, मुंसरीफ पुत्र इस्माइल, प्रभुनाथ पुत्र परसादी, नियामत पुत्र जलील, नुरलनिशा पत्नी ताहिर को पूर्व मा0 वि0 जीर्णोद्धार कार्य पर भी दिनांक 25-10-19 से 31-10-19 तक कार्यरत दर्शाकर दिनांक 24-2-20 के मजदूरी भुगतान रू० 86166.00 मजदूरी भुगतान किया गया है। इसप्रकार उक्त श्रमिकों को दिनांक 28-10-19 से 31-10-19 तक दोनों स्थान पर कार्यरत दर्शाकर मजदूरी भुगतान किया गया है। अतः उक्त 7 श्रमिकों को 4 दिनों की मजदूरी रू० 5096.00 [7 x 4 x 182.00]का डबल भुगतान किया गया है।

[द]-इसीप्रकार प्रा0 वि0 जीर्णोद्धार कार्य के मजदूरी भुगतान रू० 55023.00 के मस्टर रोल पर कार्यरत कुशल श्रमिक हरीश कुमार पुत्र रामजस , जनार्दन पुत्र मुनेसर, छट्टू पुत्र गोपी, रामप्रित पुत्र हरहँगी, तथा अकुशल श्रमिक गौरी पुत्र खेदू, सोहरम पुत्र जुमराती , रामपत पुत्र भगवंत, लालचंद पुत्र दीपई , रामनाथ पुत्र सनोहर, इसराइल पुत्र रसूल, रहीम पुत्र जुम्मान , होसिलदार पुत्र हफीज साबिर पुत्र हवीव , सीताराम पुत्र खेदू , शंकर पुत्र रामपत, तथा सरीफ़ पुत्र रोझई को प्र0 वि0/पूर्व मा0 वि0/पंचायत भवन फील्ड में इंटरलाकिंग कार्य पर दिनांक 5-11-19 से 15-11-19 तक कार्यरत दर्शाकर दिनांक 4-12-19 को डोंगल से भुगतान रू० 40524.00 में दिनांक 5-11-19 से 7-11-19 तक 3 दिनों का उक्त श्रमिकों को मजदूरी भुगतान रू० 11052.00 [4 x3x375.00 तथा 12x3x182.00] किया गया है।

उपरोक्त के परिणाम स्वरूप रू० 1274.00 व रू० 3276.00 एवं रू० 5096.00 तथा रू० 11052.00 कुल रू० 20698.00 का अवास्तविक भुगतान किया गया है। इस संबंध में ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मानन्द एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री फिरोज आलम से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार 1/2 भाग (रू० 10,349.00) प्रधान श्री ब्रह्मानन्द तथा 1/2 भाग (रू० 10,349.00) सचिव श्री फिरोज आलम से सब्याज वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
20,698.00	0.00	20,698.00

प्रस्तर संख्या-45:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० कोटवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 11-7-19 में चेक संख्या- 65066 द्वारा ग्राम पंचायत में सफाई कार्य की मजदूरी भुगतान रू० 38220.00 में श्रमिक अवधलाल की मजदूरी रू० 2548.00 वापस खाते में क्रेडिट हुई है। दिनांक 3-8-19 को चेक संख्या 69749 द्वारा पुनः भुगतान रू० 5096.00 का किया गया है, जिसमें श्रमिक अवधलाल के साथ श्रमिक महेंद्र को भी रू० 2548.00 का भुगतान किया गया है। कैशबुक पर सफाई कार्य की मजदूरी भुगतान अंकित है। पूछे जाने पर पुनः भुगतान बताया गया। उल्लेखनीय है कि महेंद्र की मजदूरी वापस खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। इस प्रकार श्रमिक महेंद्र को रू० 2548.00 की मजदूरी दोबार भुगतान कर दिया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान/सचिव से नियमानुसार 1/2 भाग (रू० 1,274.00) प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं 1/2 भाग (रू० 1,274.00) सचिव मु० खालिद से सब्याज करते हुए खाता में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,548.00	0.00	2,548.00

प्रस्तर संख्या-46:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० खानपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 19-20 में दिनांक 12-4-19 को मंगल के घर से नहारपुल तक खड़जा कार्य हेतु चेक संख्या 309919 द्वारा रु11904.00, अशोक के घर से अधारे के घर तक खड़जा कार्य हेतु चेक संख्या 309918 द्वारा रू० 5952.00, मेनरोड से हरी के घर तक खड़जा कार्य हेतु चेक संख्या 309917 द्वारा रू० 11904.00, रामनिवास के घर से महेश के घर तक खड़जा कार्य हेतु चेक संख्या 309922 द्वारा रू० 5952.00 तथा 19-12-19 में डोंगल द्वारा रामनिवास के घर से महेश के घर तक खड़जा कार्य हेतु रू० 12167.00 कुल रू० 47879.00 का भुगतान विजय प्रताप सिंह ईट भट्टा को किया गया है। संबंधित व्यय प्रमाणक /निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उ०प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा [8 क] में प्रावधान है कि दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने पर दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में रू० 47879.00 के 1/2 भाग रू० 23,939.50 की ग्राम प्रधान श्री रंगनाथ पाण्डेय से तथा 1/2 भाग रू० 23,939.50 की पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
47,879.00	0.00	47,879.00

प्रस्तर संख्या-47:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० गोपाला के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 17-3-20 को बैंक स्टेटमेंट एवं कैशबुक के अनुसार डोंगल से भुगतान रू० 19300.00 का साबिर के घर से प्रा 0 वि 0 तक इंटरलाकिंग कार्य पर फर्म मो 0 वकील खान बी के ओ को किया गया है। सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली में उक्त व्यय का प्रमाणक संलग्न नहीं है। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ 0 प्र 0 पंचायत राज के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के धार-8[क] के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं पुष्टिपत्र उपलब्ध नहीं होने पर व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान/सचिव से की जाएगी। इस नियम के अन्तर्गत रू० 19,300.00 के 1/2 भाग भाग (रू० 9,650.00) प्रधान श्रीमती आमिया खातून एवं 1/2 भाग (रू० 9,650.00) सचिव मु० खालिद से सब्याज वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
19,300.00	0.00	19,300.00

प्रस्तर संख्या-48:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० चौमुखा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक- 03-04-2019 को चेक संख्या- 064065 द्वारा कुशल मजदूर उमेश को रू० 1125.00 का भुगतान चबूतरा निर्माण कार्य हेतु दिया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर उक्त मजदूर का नाम नहीं है। पृथक से भी कोई मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं है, जिससे भुगतान की पुष्टि हो सके। इस प्रकार आधारहीन व्यय दर्शाकर धनराशि रू० 1125.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी सब्याज वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अहिल्या देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री फिरोज आलम से, प्रत्येक से 1/2 भाग (रू० 562.50), किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,125.00	0.00	1,125.00

प्रस्तर संख्या-49:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० चौमुखा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली महुआ टोला में रामानंद के घर से रामदवन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य में संलग्न मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि रू०12375.00 का एडवाइस बनाकर भुगतान डोंगल द्वारा किया गया है। मस्टर रोल के अनुसार कार्यरत कुशल मजदूर रामप्रीत पुत्र रामाश्रय ने कुल 14 दिन कार्य किया है, जिसकी मजदूरी 14×375=5250.00 रू० होती है किंतु एडवाइस पर मजदूरी रू० 7125.00अंकित करते हुए भुगतान किया गया है। इस प्रकार उक्त मजदूर को रू० 1875.00अधिक मजदूरी भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अहिल्या देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री फिरोज आलम से, प्रत्येक से 1/2 भाग (रू० 937.50), किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,875.00	0.00	1,875.00

प्रस्तर संख्या-50:- विकास खण्ड - घुघली के ग्रा०पं० चौमुखा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली मेन सड़क से मकोल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य की जांच में पाया गया कि इस्टीमेट के अनुसार इंटरलाकिंग ईट 11270नग तथा लोकल बालू 9.65घन मी0का उपयोग किया जाना है। जबकि फर्म दुर्गा इ0प्रा0 जीएसटी नं.-09COOपीएम 9199जी1ज़ेडवाईसे इंटरलाकिंग ईट 12481नग क्रय करते हुए 1211नग अधिक क्रय दर्शाकर दर22.40रू०27126.40तथा फर्म एस0के0एंटर्प्राइजेज से लोकल बालू 10.70घन मी0क्रय दर्शाकर 1.05घन मी0दर803.25रू०843.40का अधिक भुगतान किया गया है। इसी प्रकार निर्माण कार्य पत्रावली पूर्व मा0वि0का कार्यालय योजना में मरम्मत कार्य में इस्टीमेट के अनुसार फर्श टाइल्स 187.7वर्ग मी0तथा दीवाल टाइल्स 87.72वर्ग मी0का क्रय होना चाहिए। किंतु फर्म एस0के0एंटर्प्राइजेज जीएसटी नं.-09बीएकेपीएस1852डी1ज़ेडकेसे दीवाल टाइल्स 110.29वर्ग मी0तथा फर्श टाइल्स 194.98वर्ग मी0क्रय करते हुए दीवाल टाइल्स 22.57दर1008.90=22770.80तथा फर्श टाइल्स 7.11वर्ग मी0दर1094.90=7784.74का इस्टीमेट से अधिक भुगतान किया गया है। इसी प्रकार निर्माण कार्य पत्रावली महुआ टोला में रामानंद के घर से रामदवन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य की जांच में पाया गया कि इस्टीमेट के अनुसार ईट 7140 नग क्रय होना चाहिए जबकि फर्म विजय प्रताप सिंह ईट उद्योग जीएसटी नं.-09डीएलएपीएस8960आर1ज़ेडएक्ससे 8086 नग ईट क्रय करके 946 नग दर6.09=5761.14 रू० का अधिक भुगतान किया गया है। इसप्रकार (27126.40+843.40+22770.80+7784.74+5761.14=64286.48)अर्थात् रू० 64,286.00 इस्टीमेट से अधिक सामग्री क्रय कर भुगतान किया गया है। यद्यपि समस्त क्रय सामग्री एम0बी0के अनुसार ही है तथापि भुगतान के पूर्व संशोधित इस्टीमेट तैयार कर नियत अधिकारी से स्वीकृत नहीं कराया गया है। अस्तु भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अहिल्या देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री फिरोज आलम उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
0.00	64,286.00	64,286.00

प्रस्तर संख्या-51:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० परसौना के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में इब्राहीम के घर से गप्फार के घर तक नाली पर दिनांक 29.01.2020 को मे० माँ अम्बे ट्रेडर्स को रू० 26369.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 26,369.00 का 1/2 भाग रू० 13,184.50 प्रधान श्रीमती देवमती देवी एवं 1/2 भाग रू० 13,184.50 सचिव श्री परविंद पाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
26,369.00	0.00	26,369.00

प्रस्तर संख्या-52:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० सौरहा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथ नल रिबोर पर निम्नानुसार व्यय दर्शित है -

1-	चेक न0822748 दिनांक 05 08 2019	दिलीप को मजदूरी	रू० 7570.00
2-	चेक न0822747 दिनांक 05.08.2019	मे०जैसवाल ट्रेडिंग कंपनी	रू० 20270.00
3-	28.10.2019	मे० हिंदुस्तान ट्रेडर्स	रू० 27840.00
4-	20.01.2020	मे० भारत इन्टर प्राइजेज	रू० 27840.00
5-	20.01.2020	मे० भारत इन्टर प्राइजेज	रू० 27840.00
6-	20.01.2020	मे० भारत इन्टर प्राइजेज	रू० 27840.00

योग - रू० 139200.00

व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 1,39,200.00 का 1/2 भाग रू० 69,600.00 प्रधान श्री श्रीमती सरिता गुप्ता एवं 1/2 भाग रू० 69,600.00 सचिव श्री परविंद पाल /तत्कालीनसचिवसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,39,200.00	0.00	1,39,200.00

प्रस्तर संख्या-53:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० लबदहा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कासिम के घर से कलामुद्दीन के घर तक इन्टरलाकिंगकार्य पर रू० 169925.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 169925.00 का 1/2 भाग रू० 84962.50 प्रधान श्रीमती जलेखा एवं 1/2 भाग रू० 84962.50 सचिव श्री यदुनन्दन यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,69,925.00	0.00	1,69,925.00

प्रस्तर संख्या-54:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० कोल्हुई के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथ नल रिबोर पर रु0306240.00 व्यय दर्शित है

1-23.01.2020 मे०बाबा एसोसिएट 7*27840 = 194880.00

2-27.01.2020 मे0बाबा एसोसिएट 4*27840 = 111360.00

योग - 306240.00

व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत मे लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 306240.00 का 1/2 भाग रू० 153120.00 प्रधान श्री श्रीमती सरोज सिंह एवं 1/2 भाग रू० 153120.00 सचिव श्री पवन कुमार /तत्कालीनसचिवसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,06,240.00	0.00	3,06,240.00

प्रस्तर संख्या-55:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० बभनी खुर्द के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा कूप मरम्मत पर दिनांक 15.01.2020 को मे0ज्ञानेन्द्र बहादुर को रू० 48208.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा मे व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत मे लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 48208.00 का 1/2 भाग रू० 24104.00 प्रधान श्री अब्दुल अयूब एवं 1/2 भाग रू० 24104.00 सचिव श्री प्रमोद कुमार /तत्कालीनसचिवसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
48,208.00	0.00	48,208.00

प्रस्तर संख्या-56:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० बभनी बुजुर्ग के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दिनांक 28-05-2019 को चेक सं० 619024 द्वारा माह मई 2018 से अप्रैल 2019 तक रू० 42000.00 तथा दिनांक 30-01-2020 को माह अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक रू० 31500.00 का भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि माह अप्रैल 2019 का भुगतान दो बार किया गया है। अस्तु रू० 3500.00 प्रधान श्रीमती शांतिप्रिया से ब्याज सहित वसूली कर ग्रामनिधि प्रथम खाते मे जमा किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे 3500.00 का 1/2 रू० 1750.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती शांतिप्रिया व 1/2 रू० 1750.00 सचिव श्री प्रमोद कुमार यादव से क्षतिपूर्ति कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,500.00	0.00	3,500.00

प्रस्तर संख्या-57:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० बड़गो के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथनल रिबोर पर रू० 306240.00 का व्यय दर्शित है -

- 1- 28.10.2019 मे0 भारतइन्टर प्राइजेज 6*27840 = 167040.00
- 2- 17.02.2020 मे0 भारतइन्टर प्राइजेज 5*27840 = 139200.00

योग - 306240.00

व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत मे लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 306240.00 का 1/2 भाग रू० 153120.00 प्रधान श्री श्रीमती शबाबानों एवं 1/2 भाग रू० 153120.00 सचिव श्री प्रमोद कुमार यादव /तत्कालीन सचिवसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,06,240.00	0.00	3,06,240.00

प्रस्तर संख्या-58:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० बड़िहारी के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथ नल रिबोर पर रू० 194880.00 का व्यय दर्शित है

1-	21.10.2019	मे० हिंदुस्तान ट्रेडर्स	2*27840 =	55680.00
2-	28.10.2019	मे० हिंदुस्तान ट्रेडर्स	3*27840 =	83520.00
3-	08.11.2019	मे० हिंदुस्तान ट्रेडर्स	2*27840 =	55680.00

योग-

194880.00

व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 194880.00 का 1/2 भाग रू० 97440.00 प्रधान श्री योगेन्द्र कुमार एवं 1/2 भाग रू० 97440.00 सचिव श्री रामनाथ /तत्कालीनसचिवसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,94,880.00	0.00	1,94,880.00

प्रस्तर संख्या-59:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० कंवलपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथ नल रिबोर पर दिनांक 02.01.2020 को 01 दिनांक 03.01.2020 को 09 स्थान कुल 10 स्थानों पर रू० 27840.00 की दर से रू० 2,78,400.00 का भुगतान मे० बाबा एसोसिएट किया गया है व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 278400.00 का 1/2 भाग रू० 139200.00 प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं 1/2 भाग रू० 139200.00 सचिव श्री रामनाथ /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,78,400.00	0.00	2,78,400.00

प्रस्तर संख्या-60:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० कंवलपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में रमदत्तपुर में राजकुमार के घर से रामहारखके घरतक इन्टरलाकिंग कार्य पर रू० 0389630.00 खर्च किया गया है ,जिसमें दिनांक 06.02.2020 को मे०बाला जी ब्रिक्स फिल्ड को रू० 74445.00व मे० माँ दुर्गा ट्रेडर्स को रू० 152278.00 कुल रू० 226723.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 226723.00 का 1/2 भाग रू० 113361.50 प्रधान श्रीमती कैलाशी देवी एवं 1/2 भाग रू० 113361.50 सचिव श्री रामनाथ /तत्कालीनसचिवसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 29)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,26,723.00	0.00	2,26,723.00

प्रस्तर संख्या-61:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० नयनसर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथनल रिबोर पर रू० 139200.00 दिनांक 07.10.2019 को 05 स्थानों पर रू० 27840.00 की दर से मे० बाबा ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है।व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 139200.00 का 1/2 भाग रू० 69600.00 प्रधान श्रीमती राजिया बेगम एवं 1/2 भाग रू० 69600.00 सचिव श्री सर्वजीत गुप्ता /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,39,200.00	0.00	1,39,200.00

प्रस्तर संख्या-62:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० सोनाबंदी के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में ओडवलिया गोसाईं मे कमलेश के घर से पक्की सड़क सड़क तक इंटरलाकिंग मद मे दिनांक 21.01.2020 को मे० खान ट्रेडर्स को रू० 69864.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत मे लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 69864.00 का 1/2 भाग रू० 34932.00 प्रधान श्रीमती मनीषा देवी एवं 1/2 भाग रू० 34932.00 सचिव श्री सर्वजीत गुप्ता /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
69,864.00	0.00	69,864.00

प्रस्तर संख्या-63:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० मटिहनवा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथ नल मरम्मत मद मे दिनांक 02.05.2019 से 11.03.2020 तक रू० 228705.00 हाथनल मरम्मत मद मे भुगतान किया गया है जो निम्नवत है -

1- 02.05.2019	चेकनं० 697532	मे० के के इंटरप्राइजेज	रू० 44285.00
2- 02.05.2019	चेक नं० 697533	मजदूरी मनौरहुसैन	रू० 12750.00
3- 21.06.2019	चेक नं० 697535	मे० जैसवाल ट्रेडिंग कम्पनी	रू० 30250.00
4- 21.06.2019	चेक नं० 697536	मजदूरी मनौरहुसैन	रू० 8500.00
5- 25.11.2019	पीएफएमएस	इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी	रू० 68610.00
6- 25.11.2019	पीएफएमएस	मजदूरी	रू० 21250.00
7- 11.03.2020	पीएफएमएस	मे० खान ट्रेडर्स	रू० 33710.00
8- 11.03.2020	पीएफएमएस	मजदूरी अजमत अली	रू० 8500.00

योग - रू० 228755.00

व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत मे लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 228705.00 का 1/2 भाग रू० 113827.50 प्रधान श्रीमती किरन सिंह एवं 1/2 भाग रू० 113827.50 सचिव श्री सर्वजीत गुप्ता /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,2,7855.00	0.00	2,2,7855.00

प्रस्तर संख्या-64:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० दुबौलिया के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथ नल रिबोर पर मे० बाबा एसोसिएट को 14 स्थानों पर रू० 27840.00 प्रति की दर से रू० 389760.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत मे लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 389760.00 का 1/2 भाग रू० 194880.00 प्रधान श्री अब्दुलगनी एवं 1/2 भाग रू० 194880.00 सचिव श्री सर्वजीत गुप्ता /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,89,760.00	0.00	3,89,760.00

प्रस्तर संख्या-65:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० बाधा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में अब्दुल्लाह के घर से सड़क तक इन्टरलाकिंग एवं ढक्कन सहित नालीनिर्माण में दिनांक 21.02.2020 को मे० राय ट्रेडर्स को रू० 155736.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 155736.00 का 1/2 भाग रू० 77868.00 प्रधान श्री राजकुमार एवं 1/2 भाग रू० 77868.00 सचिव श्री गुड्डू प्रसाद /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,55,736.00	0.00	1,55,736.00

प्रस्तर संख्या-66:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० शिकारगढ़ के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में भगिया पोखरे पर सरकारी जमीन, बाग में बैरिकेटिंग व गेट में दिनांक 17.12.2019 को मे० माँ अम्बे ट्रेडर्स को रू० 74981.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 74981.00 का 1/2 भाग रू० 37490.50 प्रधान श्री अशोक कुमार वर्मा एवं 1/2 भाग रू० 37490.50 सचिव श्री गुड्डू प्रसाद /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
74,981.00	0.00	74,981.00

प्रस्तर संख्या-67:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० सोनचिरेया के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथनल रिबोर पर दिनांक 11.12.2020 06 व दिनांक 24.02.2020 में 01 मे० बाबा एसोसिएट को रू० 27840.00 की दर से 07 हाथनल रिबोर का रु० 194880.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 194880.00 का 1/2 भाग रू० 97440.00 प्रधान श्रीमती सुमन राय एवं 1/2 भाग रू० 97440.00 सचिव श्री गुड्डू प्रसाद /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,94,880.00	0.00	1,94,880.00

प्रस्तर संख्या-68:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० राजमंदिर कला के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्राइमरी विद्यालय में इन्टरलाकिंग मद में दिनांक 02.08.2019 को चेक सं० 387512 द्वारा मे० राय ट्रेडर्स को रू० 107519.00 व 02.08.2019 को चेक सं० 387511 द्वारा मे० रुआब अली ईट भट्टा को रू० 29867.00 कुल रु० 137386.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 137386.00 का 1/2 भाग रू० 68693.00 प्रधान श्री रामअचल एवं 1/2 भाग रू० 68693.00 सचिव श्री परविंद पाल /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,37,386.00	0.00	1,37,386.00

प्रस्तर संख्या-69:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० विशुनपुर अदरौना के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथनल रिबोर मद में दिनांक 19.11.2019 को 01 दिनांक 20.11.2019 को 05 दिनांक 21.03.2020 को 03 कुल 09 स्थान पर रू० 27840.00 की दर से रू० 250560.00 का भुगतान मे 0 खान ट्रेडर्स को किया गया है व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 250560.00 का 1/2 भाग रू० 125280.00 प्रधान श्री घनश्याम यादव एवं 1/2 भाग रू० 125280.00 सचिव श्री रामनाथ /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
2,50,560.00	0.00	2,50,560.00

प्रस्तर संख्या-70:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० एकडेगावा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 29.03.2020 को स्वच्छता मद में रू० 21000.00 मे 0 प्रियल इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 21000.00 का 1/2 भाग रू० 10500.00 प्रधान श्री महबूब एवं 1/2 भाग रू० 10500.00 सचिव श्री प्रमोद कुमार यादव /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
21,000.00	0.00	21,000.00

प्रस्तर संख्या-71:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० काशतखैरा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में डीहवा सी सी रोड से नेपाल बॉर्डर वाली सड़क तक खड़जा मद में रू० 115657.00 दिनांक 15.12.2019. को मे 0 खान ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 115657.00 का 1/2 भाग रू० 57828.50 प्रधान श्री अब्दुल वाजिद एवं 1/2 भाग रू० 57828.50 सचिव श्री प्रमोद कुमार यादव /तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,15,657.00	0.00	1,15,657.00

प्रस्तर संख्या-72:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० करुआवल के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में सी सी रोड से दिनेश के घर होते हुये भागीरथी के घर तक इंटरलाकिंग पर दिनांक 18.11.2019. को मे 0 माँ दुर्गा ट्रेडर्स को रू० 53049.00 व रू० 98481.00 कुल रू० 151530.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 151530.00 का 1/2 भाग रू० 75765.00 प्रधान श्रीमती विजयलक्ष्मी एवं 1/2 भाग रू० 75765.00 सचिव श्री गुड्डू प्रसाद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,51,530.00	0.00	1,51,530.00

प्रस्तर संख्या-73:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० बंजरहा सोनबरसा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक- 04-07-2018 से 30-03-2019 के मध्य कोषबही पर अंकित विवरणानुसार 27 कार्य स्थलों पर रू० 750894.00 हाथनल रिबोर सामग्री एवं

मजदूरी पर व्यय वर्ष 18-19 में अंकित है। पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके निमित्त प्रश्न किए जाने पर सचिव ने पत्रावली खोज कर प्रस्तुत किए जाने का उत्तर दिया। किन्तु पत्रावलि/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8[क] के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के अनुसार दर्शित व्यय रू० 750894.00 का आधा भाग रू० 375447.00 प्रधान श्रीमती शशिकला एवं आधा भाग रू० 375447.00 सचिव श्री सर्वजीत गुप्ता से ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
7,50,894.00	0.00	7,50,894.00

प्रस्तर संख्या-74:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० घरैचा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 17-10-19 में 4 कार्य स्थल पर हाथनल रिबोर रू० 27840.00 की दर से रू० 111360.00 बाबा एसोसीएट्स को, दिनांक 30-11-19 को हाथनल रिबोर का भुगतान रू० 27840.00, इंडिया ट्रेडिंग कंपनी को तथा दिनांक 12-3-20 को हाथनल रिबोर का भुगतान रू० 27800.00 देवांशि ट्रेडर्स, कुल रू० 167000.00 का व्यय कोषबही पर अंकित है। पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। वर्तमान सचिव ने न तो तत्कालीन सचिव का नाम बताया और न तो चार्जलिस्ट ही प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायतों में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। अस्तु दर्शित व्यय रू० 167000.00 के 1/2 भाग रू० 83500.00 तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव श्री धर्मेन्द्र तिवारी एवं 1/2 भाग रू० 83500.00 प्रधान श्री बुद्धिराम से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,67,000.00	0.00	1,67,000.00

प्रस्तर संख्या-75:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० बेलौही के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार दिनांक 25-3-19 में बैंक खाते से रू० 1750 व रू० 1750.00 आहरित है, किन्तु कोषबही पर बैंक निकासी एवं व्यय दोनों अंकित नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 30-3-19 को बैंक खाते से निकासी रू० 5250.00 [1750.00+1750.00+1750.00] एवं 13-3-19 में रू० 8735.00 बैंक से निकासी आय पक्ष में अंकित है, किन्तु व्यय पक्ष में कोई व्यय अंकित नहीं है, तथा दिनांक 16-10-19 को रू० 17956.00, व रू० 48648.00, 25-10-19 में रू० 16655.00 एवं रू० 54334.00 तथा 1-11-19 में 17815.00 की धनराशि बैंक से निकासी अंकित है, किन्तु व्यय विवरण कोषबही पर अंकित नहीं है। उक्त धनराशियों के व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं हुए। वर्तमान सचिव ने इस सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तथा चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में उत्तरदायी वर्तमान सचिव भी है। इस प्रकार कुल रू० 172893.00 के व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। अस्तु उक्त नियम के अनुसार 1/2 भाग रू० 86,446.50 प्रधान श्री धर्मेन्द्र से एवं 1/2 भाग रू० 86,446.50 तत्कालीन सचिव श्री विजय कान्त (रू० 43,223.25) /वर्तमान सचिव श्री गुड्डू प्रसाद (रू० 43,223.25) से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,72,893.00	0.00	1,72,893.00

प्रस्तर संख्या-76:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० पृथ्वीपालगढ़ के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 30-3-19 को धरमापुर में धर्मशाला परिसर में इंटरलाकिंग कार्य सामग्री का भुगतान ज्ञानेन्द्र बहादुर को रू० 155698.00 का किया गया है। किन्तु मजदूरी का भुगतान दिनांक 31-3-20 तक नहीं किया गया है। स्पष्ट है की फर्म से आपसी मिली भगत करके धनराशि का गबन किया गया है। अस्तु 1/2 भाग रू० 77849.00 प्रधान श्रीमती सादिका से तथा 1/2 भाग रू० 77849.00 तत्कालीन सचिव श्री सर्वजीत गुप्ता से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,55,698.00	0.00	1,55,698.00

प्रस्तर संख्या-77:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० दुर्गापुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक- 01-09-18 को हाथनल रिबोर 5 अदद सामग्री हेतु रू० 101000.00, एवं 04-10-18 में मजदूरी रू० 37850. 00 कुल रू० 1,38,850.00 वर्ष 18-19 में व्यय है। दिनांक 02-04-19 को रू० 29,400.00, दिनांक 02-05-19 में [17500.00, रू० 45000.00, व रू० 4375.00] कुल रू० 66,875.00 , दिनांक 13-5-19 में [13175.00, 15230.00, 15995.00, 4250.00, 5100.00] कुल रू० 53,750.00 , दिनांक 21-5-19 में [20270.00, 20270.00, 20270.00, 7570.00, 7570.00] कुल रू० 75,950.00, दिनांक 4-7-19 में 21,890.00, दिनांक 5-7-19 में 4,001.00, दिनांक 10-7-19 में 1,709.00, दिनांक 12-7-19 में 7,570.00 तथा 3,500.00, दिनांक 15-7-19 में रू० 7,000.00, एवं दिनांक 18-7-19 में रू० 13,680.00 कुल रू० 2,85,325.00 बैंक से निकासी कोषबही पर अंकित है। व्यय पक्ष में कोई व्यय अंकित नहीं है, तथा उक्त निकासी का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा। इसी प्रकार दिनांक 26-12-19 से 24-2-20 तक कुल रू० 3,34,080.00 विभिन्न कार्य स्थलों पर हाथनल रिबोर 12 अदद का व्यय कोषबही पर अंकित है, जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। इस सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर वर्तमान सचिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8[क] के अनुसार दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। अस्तु उक्त नियम के अनुसार वर्ष 19-20 के कुल व्यय रू० 619405.00 का 1/2 भाग रू० 309702.50 ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं 1/2 भाग रू० 309702.50 सचिव तत्कालीन श्री सर्वजीत गुप्ता से तथा वर्ष 18-19 के कुल व्यय रू० 138850.00 का 1/2 भाग रू० 69425.00 श्रीमती विष्णुप्रिया तत्कालीन सचिव एवं 1/2 भाग रू० 69425.00 प्रधान श्रीमती तारा देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
7,58,255.00	0.00	7,58,255.00

प्रस्तर संख्या-78:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० विश्रामपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 7-3-19 को चेक संख्या 349368 द्वारा प्रधान को मानदेय भुगतान जुलाई-18 से दिसंबर-18 तक का रू० 21000.00 किया गया है। दिनांक 5-7-19 को चेक संख्या 349372 द्वारा प्रधान को मानदेय जुलाई-18 से दिसंबर-18 तक रू० 21000.00 का दिया जाना कोषबही पर पुनः अंकित है। इस प्रकार एक ही अवधि का भुगतान दोबार करके अनुदान का रू० 21000.00 गबन किया गया है। वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव उक्त अवधि के ग्राम पंचायत सचिव का नाम नहीं बताया गया। अस्तु 1/2 भाग (रू० 10,500.00) तत्कालीन सचिव /वर्तमान सचिव श्री धर्मेन्द्र तिवारी एवं 1/2 भाग (रू० 10,500.00) प्रधान श्री सुग्रीव से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
21,000.00	0.00	21,000.00

प्रस्तर संख्या-79:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० गुर्चिहाँ के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 14-6-18 को 3 कार्य स्थल पर रामसुमेर के घर के पास रू० 26350.00, हिरालाल के घर के पास रू० 26900.00 , रमापति के घर के पास रू० 26200.00 कुल रू० 79450.00 हाथ नल रिबोर पर भुगतान कोषबही पर अंकित है। इसी प्रकार दिनांक 12-3-20 को प्रा 0 वि 0 पर, पूर्व मा 0 वि 0 पर, एवं आंगनबाड़ी केंद्र के सामने हाथनल रिबोर हेतु सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान रू० 27840.00 प्रति की दर से रू० 83520.00 कोषबही पर अंकित है। पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर सचिव ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय रू० 1,62,970.00 को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के अनुसार आधा भाग रू० 81485.00 प्रधान श्री दिनेश कुमार एवं आधा भाग रू० 81485.00 सचिव श्री पवन कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,62,970.00	0.00	1,62,970.00

प्रस्तर संख्या-80:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० खरखोड़ी के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 18-19 एवं 19-20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 19-20 की कोषबही के अनुसार दिनांक 31-7-19 को रमाशंकर के घर के सामने, हनुमान राय के घर के सामने, हलीक के घर के सामने तथा वीपत के घर के सामने कुल चार कार्य स्थल पर रिबोर हेतु प्रति रिबोर 27822.00 की दर से ₹ 111288.00 देवांशि ट्रेडर्स को भुगतान है। प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। आनलाइन कोषबही के अनुसार प्रा 0 वि 0 में इंटरलाकिंग कार्य पर देवांशि ट्रेडर्स को ₹ 83417.00 का भुगतान किया गया है। प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं रहा। वर्तमान सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तथा चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उत्तरदायी वर्तमान सचिव भी है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। अस्तु उक्त नियम के अनुसार कुल व्यय ₹ 194705.00 का 1/2 भाग ₹ 97352.50 प्रधान श्री असद अहमद से एवं 1/2 भाग ₹ 97352.50 श्री अजीत सिंह तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव श्री मुकेश यादव परविंद से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,94,705.00	0.00	1,94,705.00

प्रस्तर संख्या-81:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० चंदनपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 27-9-18 को चेक संख्या 485251 द्वारा प्रधान मानदेय फरवरी-18 से अगस्त-18 तक का भुगतान ₹ 24500.00 तथा 27-3-19 को चेक संख्या 485263 द्वारा ₹ 21000.00 विवरणहीन मानदेय भुगतान वर्ष 18-19 में किया गया है। दिनांक 27-9-18 के आधार पर 27-3-19 में भुगतान माह सितम्बर-18 से फरवरी-19 का होता है। दिनांक 2-8-19 में चेक संख्या 485280 द्वारा प्रधान को मानदेय भुगतान ₹ 17500.00 फरवरी-19 से जून-19 तक का किया गया है। इस प्रकार माह फरवरी-19 का भुगतान ₹ 3500.00 दोबार कर दिया गया है। अस्तु 1/2 भाग ₹ 1750.00 ग्राम प्रधान श्री संतराम यादव एवं 1/2 भाग ₹ 1750.00 सचिव श्री प्रमोद यादव से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,500.00	0.00	3,500.00

प्रस्तर संख्या-82:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० चंदनपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 19-11-19 में हाथनल रिबोर सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान छोटेलाल के घर के सामने ₹ 27840.00, संतराम यादव के घर के सामने ₹ 27840.00 तथा 6-1-20 में शिवराम के घर के सामने ₹ 20270.00 राधेश्याम के घर के सामने ₹ 20270.00, परमात्मा के घर के सामने ₹ 20270.00 रिबोर सामग्री का भुगतान कोषबही पर अंकित है। प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा -8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। अस्तु नियमानुसार कुल व्यय ₹ 116490.00 का 1/2 भाग ₹ 58245.00 प्रधान श्री संतराम यादव एवं 1/2 भाग ₹ 58245.00 सचिव श्री प्रमोद यादव से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,16,490.00	0.00	1,16,490.00

प्रस्तर संख्या-83:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० लालपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 19-20 में दिनांक 15-10-19 में 7 कार्य स्थलों पर 27840.00 की दर से ₹ 194880.00, दिनांक 27-1-20 में 4 कार्य स्थलों पर ₹ 111360.00, तथा दिनांक 28-2-20 में 2 कार्य स्थलों पर ₹ 55680.00 कुल ₹ 361920.00 हाथनल रिबोर सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान कोषबही पर अंकित है। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। इसके निमित्त प्रश्न किए जाने पर पत्रावली खोज कर प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई। किन्तु न तो प्रमाणक और न तो सम्पूर्ण रिबोर की पत्रावली प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। पकत नियम के अनुसार आधा भाग ₹

180960.00 सचिव श्री प्रमोद यादव एवं आधा भाग रू० 180960.00 प्रधान श्रीमती अनीता देवी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,61,920.00	0.00	3,61,920.00

प्रस्तर संख्या-84:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० सोनपिपरी खुर्द के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 18-19 एवं 19-20 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार दिनांक 30-8-18 को जगदम्बा ह्यूमपाइप को रू० 45352.00 ,जायसवाल सिमेंट एण्ड आयरन स्टोर्स को रू० 2707.00 तथा दिनांक 1-9-18 को बिना विवरण रू० 3191.00 कुल रू० 51250.00 का भुगतान है। कोषबही पर कार्य स्थल का विवरण भी अंकित नहीं है, तथा प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। वर्तमान सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तथा चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उत्तरदायी वर्तमान सचिव है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धार 8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। अस्तु उक्त नियम के अनुसार 1/2 भाग रू० 25625.00 प्रधान श्रीमती शहजहा से एवं 1/2 भाग रू० 25625.00 सचिव श्री परविंद पाल से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 28)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
51,250.00	0.00	51,250.00

प्रस्तर संख्या-85:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० खड़खोड़ा के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 28-11-18 में महेंद्र के घर के सामने रिबोर रू० 27150.00 ,दिनांक 27-12-18 में रामकेवल साहनी के घर के सामने रिबोर रू० 27250.00 कुल रू० 54400.00 जायसवाल मशीनरी स्टोर्स दिनांक 29-3-19 में मुरली के घर के सामने रिबोर रू० 27840.00 खान ट्रेडर्स को, दिनांक 22-7-19 में मनोज सिंह के घर के सामने रिबोर रू० 27822.00, अलगु के घर के पास रिबोर रू० 27822.00, प्रा 0 वि 0 खड़खोड़ा पर रिबोर रू० 27822.00, तथा प्रा 0 वि 0 लौकहा पर रिबोर रू० 27822.00 कुल रू० 111288.00 देवांशि ट्रेडर्स को, दिनांक 24-3-20 गौरी के घर से प्रभाकर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य सामग्री रू० 173132.00 देवांशि ट्रेडर्स को कुल रू० 366660.00 का भुगतान कोषबही पर अंकित है। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान सचिव ने इस सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर एवं चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं किया, तथा किसका कार्यकाल रहा, इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः कार्य अवधि स्पष्ट नहीं हो सकी। इस स्थिति में वर्तमान सचिव भी उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धार-8[क] के अनुसार व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर व्यय को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के अनुसार रू० 3,66,660.00 का 1/2 भाग रू० 1,83,330.00 तत्कालीन सचिव/श्री धर्मेन्द्र तिवारी को उत्तरदायी मानते हुए तथा 1/2 भाग रू० 1,83,330.00 श्री प्रदीप सिंह ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
3,66,660.00	0.00	3,66,660.00

प्रस्तर संख्या-86:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० महुलानी के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 18-11-19 को तैयबखान के घर के सामने रू० 27840.00, निरंजन के घर के सामने रू० 27840.00, टी यन त्रिपाठी के घर के सामने रू० 27840.00, रामपाल चौधरी के दरवाजे पर रू० 27840.00 हाथनल रिबोर सामग्री व मजदूरी, तथा दिनांक 7-8-18 को कोइल के घर के सामने रू० 20270.00, दीनदयाल के घर के सामने रू० 20270.00, महुलानी चौराहा पर रू० 20270.00, काली स्थान पर रू० 20270.00, ओली नगर चौराहा पर रू० 20270.00, एवं दिनांक 10-8-18 को प्रा 0 वि 0 भैसा पुर पर रू० 20270.00, प्रेम चौधरी के घर के सामने रू० 20270.00, शिवमंगल के घर के सामने रू० 20270.00, रामनयन के घर के सामने रू० 20270.00, चंद्रभान के घर सामने रू० 20270.00, अमरनाथ के घर के सामने रू० 20270.00 एवं दिनांक 10-1-19 में विवरणहीन कार्य स्थल पर रू० 20270.00, हाथनल रिबोर सामग्री पर तथा दिनांक 10-1-19 में 8 अदद रिबोर की मजदूरी मुरलीधर को रू० 60560.00 एवं दिनांक 30-1-19 में 4 अदद रिबोर की मजदूरी जय कुमार को रू० 30280.00 कुल रू० 445440.00 वर्ष 18-19 एवं 19-20 में रिबोर कार्य पर कोषबही में व्यय दर्शित है। इसी प्रकार प्रा 0 वि 0 सुमेरपुर में सोख्ता निर्माण कार्य पर दिनांक 30-1-19 को वि के ट्रेडर्स को भुगतान रू० 17500.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्ययों से सम्बन्धित प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में न तो चार्ज लिस्ट प्रस्तुत किया गया और न तो कोई उत्तर ही दिया गया। साथ ही तत्कालीन सचिव का नाम भी अवगत नहीं कराया गया, अस्तु कार्य अवधि अज्ञात है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सचिव भी उत्तरदायी है। ग्राम पंचायतों में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8

की धार-8[क] के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली सचिव व प्रधान से की जाएगी। अस्तु कुल व्यय रू० 4,62,940.00 का आधा भाग प्रधान श्री शैलेन्द्र से रू० 2,31,470.00 तथा आधा भाग रू० 2,31,470.00 श्री मुकेश कुमार वर्तमान सचिव/तत्कालीन सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 01)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
4,62,940.00	0.00	4,62,940.00

प्रस्तर संख्या-87:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० राजपुर बुजुर्ग के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 2-11-18 को चार हैण्डपम्प रिबोर कार्य स्थल कोषबही पर अंकित नहीं का भुगतान रू० 108630.00 जायसवाल मशीनरी स्टोर्स को ,दिनांक 29-3-19 प्रा 0 वि 0 सेमरहानी पर सोख्ता निर्माण हेतु रू० 11738.00, प्रा 0 वि 0 कोमरवा पर सोख्ता निर्माण हेतु रू० 11860.00, मुरारी पुत्र भोनई के घर के पास सोख्ता निर्माण हेतु रू० 11799.00 ,संतोष पुत्र बनवारी के घर के पास सोख्ता निर्माण हेतु रू० 11769.00, रोहित पुत्र हरिद्वार कर घर के पास सोख्ता निर्माण हेतु रू० 11830.00 का भुगतान खान ट्रेडर्स किया जाना कोषबही पर अंकित है। दर्शित व्यय कुल रू० 167626.00 के प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव ने चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं किया, तथा तत्कालीन सचिव का नाम भी नहीं बताया। अस्तु कार्य अवधि की स्थिति अज्ञात है। इस स्थिति में वर्तमान सचिव भी उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धार-[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय रू० 1,67,626.00 को गबन मानते हुए वसूली प्रधान व सचिव से की जाएगी। अस्तु नियमानुसार 1/2 भाग रू० 83,813.00 तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव श्री धर्मेन्द्र तिवारी से एवं 1/2 भाग रू० 83,813.00 प्रधान श्री शैलेश सिंह से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,67,626.00	0.00	1,67,626.00

प्रस्तर संख्या-88:- विकास खण्ड - बृजमनगंज के ग्रा०पं० लौकही के वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 18-19 एवं 19-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार दिनांक 25-10-19 को शंकर के घर के सामने रिबोर पर रू० 27840.00 ,दिनांक 25-10-19 को मो 0 अली के घर के सामने रिबोर पर रू० 27840.00 कुल रू० 55680.00 का भुगतान असद एंटरप्राइजेज को किया गया है। उक्त व्यय का प्रमाणक /पत्रावली उपलब्ध नहीं रहा। वर्तमान सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तथा चार्ज लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं तत्कालीन सचिव का नाम भी नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में उत्तरदायी वर्तमान सचिव भी है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धार 8[क] के अनुसार प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। अस्तु उक्त नियम के अनुसार 1/2 भाग रू० 27,840.00 प्रधान श्री शीतल से एवं 1/2 भाग रू० 27,840.00 तत्कालीन सचिव/वर्तमान सचिव श्री धर्मेन्द्र तिवारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-3 ब 26)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
55,680.00	0.00	55,680.00

प्रस्तर संख्या-89:- विकास खण्ड - धानी के ग्रा०पं० पुरन्दरपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31.07.2019 को माह अप्रैल 19 से जून 19 तक प्रधान के मानदेय का भुगतान रू० 10500.00 तथा दिनांक 26.12.2019 को प्रधान का मानदेय का भुगतान अप्रैल 19 से अक्टूबर 2019 तक रू० 24500.00 का चेक /डोंगल के द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि माह अप्रैल 19 से जून 19 तक 03 माह का भुगतान दो बार रू० 10,500.00 का किया गया है। अस्तु रू० 10500.00 प्रधान श्री तपसी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की इस स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री तपसी से रू० 10,500.00 का 1/2 भाग रू० 5,250.00 तथा 1/2 भाग रू० 5,250.00 सचिव श्री अनूप कुमार शुक्ला से ब्याज सहित वसूली कर ग्रामनिधि प्रथम में जमा किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
10,500.00	0.00	10,500.00

प्रस्तर संख्या-90:- विकास खण्ड - धानी के ग्रा०पं० कोईलाडाड़ के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में हाथ नल रिबोर पर रू० 85,866.00 का व्यय दर्शित है व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते

हुये वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 85,866.00 का 1/2 भाग रू० 42,933.00 प्रधान श्री हरीश राम तथा 1/2 भाग रू० 42,933.00 सचिव श्री ऋषिकेश पटेल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
85,866.00	0.00	85,866.00

प्रस्तर संख्या-91:- विकास खण्ड - धानी के ग्रा०पं० रामपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक 5-8-19 तक ही पूर्ण है। इसके बाद आनलाइन भुगतान होने के कारण कैशबुक तैयार नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक है। कैशबुक ग्राम पंचायत का प्रथम महत्वपूर्ण अभिलेख है, अतः इसे पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। आनलाइन कैशबुक के अनुसार दिनांक 20-12-19 में [1]कपिलदेव के घर के पास हाथनल रिबोर [2]तिजू के घर के पास रिबोर तथा [3]कपिलदेव के घर के पास रिबोर की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान प्रत्येक कार्य पर रू० 27368.00 करते हुए कुल रू० 82104.00 का भुगतान किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों पर तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है, तथा वर्क आई० डी० तीनों कार्य [1] कपिलदेव के घर के पास हाथनल रिबोर, [2] तीजू के घर के पास रिबोर एवं [3] प्रा० वि० डोड़घाट पर रिबोर की एक ही [आई डी न०-17542774] है। इस संबंध में प्रश्न किए जाने पर वर्तमान ग्रा०पं० सचिव ने अवगत कराया की एक ही प्रकार का कार्य होने के कारण एक ही आई डी जनरेट हुआ है, तथा आनलाइन कैशबुक पर क्रमांक [3] का स्थल गलत अंकित है। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार प्रत्येक हाथनल रिबोर कार्य को मरम्मत कार्य मानते हुए प्रत्येक के लिए अलग-अलग वर्क आई डी जनरेट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट है की ग्राम पंचायत स्तर पर नियमों की अनदेखी करते हुए कार्य कराया गया है, जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस संबंध में तत्कालीन ग्रामपं० सचिव श्री अजीत सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए एवं स्थलीय जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
0.00	82,104.00	82,104.00

प्रस्तर संख्या-92:- विकास खण्ड - लक्ष्मीपुर के ग्रा०पं० पैसिया ललाइन के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में चेक सं० 442956 दिनांक 05-07-19 द्वारा बाबा एसोसिएट को रू० 137500.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में सचिव से पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया गया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान एवं सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 137500.00 का 1/2 भाग रू० 68750.00 प्रधान श्रीमती विमला देवी तथा 1/2 भाग रू० 68750.00 सचिव श्री सन्तोष कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2

ख 1)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,37,500.00	0.00	1,37,500.00

प्रस्तर संख्या-93:- विकास खण्ड - लक्ष्मीपुर के ग्रा०पं० बैरवा बनकटवा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मेन सड़क से भकेलु के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जिसमें दिनांक 01.01.2020 को मे० आराध्या इन्टरप्राइजेज को रू० 124544.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया गया। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने पर दर्शित व्यय को गबन माना जायेगा इसकी वसूली ग्रामप्रधान एवं सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 1,24,544 .00 का 1/2 भाग रू० 62,272.00 प्रधान श्रीमती विमला देवी तथा 1/2 भाग रू० 62,272.00 सचिव श्री मिलिंद चौधरी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
1,24,544.00	0.00	1,24,544.00

प्रस्तर संख्या-94:- विकास खण्ड - लक्ष्मीपुर के ग्रा०पं० भैसहिया के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में चेक सं० 564073 दिनांक 14.02.20 को रू० 78650.00 हाथनल रिबोर पर व्यय किया गया है जबकि माह अगस्त 2019 के बाद चेक से भुगतान न होकर डोंगल द्वारा किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से संबंधित व्यय वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध चेक द्वारा भुगतान करते हुये उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। ग्रामपंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर दर्शित व्यय को गबन मानते हुये वसूली ग्रामप्रधान एवं सचिव से की जायेगी। अतः नियमानुसार रू० 78650.00 का 1/2 भाग रू० 39325.00 प्रधान श्री पारस तथा 1/2 भाग रू० 39325.00 सचिव श्री दिनेश राय से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं०-2 ख 27)

अपहरण	गंभीर अनियमितता	योग
78,650.00	0.00	78,650.00

प्रारूप- 4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

जनपद का नाम: जालौन

मण्डल का नाम: झांसी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपतियाँ -

ग्राम पंचायत- हैदलपुरा

विकास खण्ड: माधौगढ़

प्रस्तर-1 वर्ष 16-17 में ग्रामनिधि खाता संख्या-22089000107 इलहाबाद बैंक शाखा माधौगढ़ से रु0 845846-00 आहरण के समायोजन में कोष -बही स्वीकृत कार्य योजना स्टीमेंट एम0 वी0 गार्ड- फाइल आदि बार-बार मांगने पर भी अनुपलब्ध रहे, जिससे आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी सम्भव है कि सचिव श्री इन्द्रपाल सिंह व प्रधान श्री मती केशकली द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये हैं अनियमित एवम मनमाने ढंग से आहरण कर लिया गया दर्शित आहरण को अपहरण मानते हुए सचिव व प्रधान से आधे-आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-17

प्रस्तर-2 वर्ष 2016-2017 में निर्मल भारत खाते संख्या 50127805772 से आहरण रु0 51000-00 किया गया था किन्तु आहरण के समायोजन में कोष -बही चयन सूची अभ्यर्थियों की धनराशि -बार तथा लाभार्थियों की चेक प्राप्ति रसीद आदि अप्राप्त रही सम्भव है कि सचिव श्री इन्द्रपाल सिंह व प्रधान श्री मती केशकली द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाने ढंग से आहरण कर लिया गया आहरण को अपहरण मानते हुए सचिव व प्रधान से आधे -आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-18

विकास खण्ड -माधौगढ़

ग्राम पंचायत- पूरनपुरा

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष 2019-20 में पूरनपुरा ग्राम -पंचायत कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थराज्य वित्त /चौदहवाँ वित्त - दोनों वित्तों से- कुल रुपया -419656-00 व्यय भुगतान दर्शित हैं लेखा सिद्धान्त के अनुसार व्ययित धनराशि के प्रमाणीकरण हेतु सचिव श्री हेमन्त वर्मा -वर्तमान द्वारा व्यय-प्रमाणक स्टीमेंट माप -पुस्तिका का कार्य -पूर्ति प्रमाण -पत्र प्रमाणित कार्यवाही -पुस्तिका मस्टररोल व निर्माण -पत्रावलियाँ बार बार माग करने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गई जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी सम्भव है कि सचिव व प्रधान द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाने ढंग से व्यय दर्शा दिया गया दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए सचिव दोनों - एवं प्रधान से आधे- आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-17

ग्राम पंचायत -मिहौनी

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष 2019-20 में मिहौनी ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त - दोनों वित्तों से कुल रुपया -1867432-00 व्यय भुगतान दर्शित है लेखा-सिद्धान्त के अनुसार व्ययित धनराशि के प्रमाणीकरण हेतु सचिव श्री हेमन्त वर्मा द्वारा व्यय प्रमाणक स्टीमेंट माप-पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रमाणिक कार्यवाही पुस्तिका मस्टररोल व निर्माण पत्रावलियाँ बार बार माँग करने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी सम्भव है कि सचिव प्रधान द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाने ढंग से व्यय दर्शा दिया गया दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए सचिव दोनों एवं प्रधान से आधे आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-17

ग्राम पंचायत . अकबरपुरा

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 में अकबरपुरा ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्यवित्त चौदहवें वित्त दोनों वित्तों से कुल रुपया 2357587-00 व्यय भुगतान दर्शित हैं लेखा सिद्धान्त के अनुसार व्ययित धनराशि के प्रमाणिकरण हेतु सचिव श्री हेमंत वर्मा द्वारा व्यय प्रमाणक स्टीमेंट मापपुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रमाणित कार्यवाही पुस्तिका मस्टररोल व निर्माण पत्रावलियाँ बार बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है कि सचिवों प्रधान द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाने ढंग से व्यय दर्शा दिया गया दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए सचिव व प्रधान से आधे आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की बैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-17

ग्राम पंचायत .रुद्रपुरा

प्रस्तर-6 आलोच्य वर्ष 2019-20 में रुद्रपुरा ग्राम पंचायत कोष बही बैंक खाता संख्या 59001360012 इलाहाबाद बैंक माधौगढ़ के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थराज्य वित्त चौदहवें वित्त दोनों वित्तों से कुल रुपया 920126-00 व्यय भुगतान दर्शित हैं लेखा सिद्धान्त के अनुसार व्ययित धनराशि के प्रमाणिकरण हेतु सचिव श्री हेमंत वर्मा द्वारा व्यय प्रमाणक स्टीमेंट माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रमाणित कार्यवाही पुस्तिका मस्टररोल व निर्माण पत्रावलियाँ बार- बार मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है कि सचिव श्री हेमंत वर्मा एवं प्रधान श्रीमती रामबेटी द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाने ढंग से व्यय दर्शा दिया गया दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए सचिव एवं प्रधान से आधे आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की बैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-1

विकास खण्ड कदौरा

ग्राम पंचायत सुरहती

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक रुपपत्र-06 की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत सुरहती में 30प्र0 पं0राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 यथा संशोधित 1994 के नियम सं0 256 तथा ग्राम पं0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि कैशबुक सं0 दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि का गवन की श्रेणी को अपहरण मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली की जायेगी इस प्रकार दिनांक 17.09.2019 को वाउचर सं0 13 एवं 14 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री का भुगतान वाउचर सं0-13 का व्यय धनराशि 14760 एवं वाउचर सं0 14 का व्यय धनराशि 14750 इस प्रकार कुल धनराशि 29510 रु की धनराशि के बाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों से आधी आधी धनराशि श्री वैभव कुमार ग्रा0पं0 वि0 आ0 से रुपया 14755= एवं प्रधान श्री अनिल कुमार से रु0 14755= की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-17

ग्राम पंचायत इकौना

प्रस्तर-8 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक रुपपत्र 06 की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत इकौना में 30प्र0 पंचायत राज अधि00 एवं नियमावली 1947 तथा संशोधित 1994 के नियम सं0 256-तथा ग्रामपं0के वित्त एवं लेखन प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क में स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि कैशबुक में दर्शाये व्यय में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन की श्रेणी में अपहरण मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली की जायेगी इस प्रकार दिनांक 16.08.2019 को वाउचर सं0 23 भूसा क्रय का भुगतान रु 24800 की धनराशि की वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से आधी आधी धनराशि श्री प्रभात कुमार ग्रा0पं0वि0अधि0से रुपय 12400 एवं प्रधान श्रीमती विलोट देवी से रुपया 12400 व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-17

विकास खण्ड कोंच

ग्राम पंचायत अटा

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत अटा की कैशबुक में ग्राम निधि से दिनांक 29.03.2020 को रुपया 15460.00 हैण्टपम्प मरम्मत सामग्री बावत व्यय दर्शित किया गया है उक्त धनराशिको बैंक से दिनांक 30.03 2020 को आहरण हुआ जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया अतः रुपया 15460.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी व्याज सहित वसूली सचिव कु0 खुशबू एवं प्रधान श्रीमती मंजू देवी से 50:50 के अनुपात से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-15

ग्राम पंचायत लौना

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष 31.03.2020 को प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नकद रुपया 562.00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नकद शून्य (रु0 00-00) था उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में न करके अनियमितता की गयी है जिसकी व्याज सहित वसूली सम्बन्धित प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड कुठौँद

ग्राम पंचायत छानी अहीर

प्रस्तर-11 आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2019-20 में (ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ वित्त आयोग एवं चौदहवां वित्त से (दोनों वित्त) से कुल व्यय रूपया 4594627.00 दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा से सम्बन्धित सचिव श्री योगेश प्रकाश सोनी द्वारा कोई भी अभिलेख जैसे कैशबुक खाताबही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टररोल आदि समस्त मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है कि सचिव श्री कृष्णबिहारी विद्यार्थी एवं श्री योगेशप्रकाश सोनी तथा प्रधान श्री दुर्गाप्रसाद द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमितता एवं मनमाना व्यय किया गया जिसमें सम्बन्धित सचिव श्री कृष्णबिहारी विद्यार्थी एवं योगेश प्रकाश सोनी व प्रधान श्री दुर्गाप्रसाद आधे आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

ग्राम पंचायत पीपरी अठगईया

प्रस्तर-12 आलोच्य वर्ष 2018-19 से 2019-20 में (ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ वित्त आयोग एवं चौदहवां वित्त से (दोनों वित्त) से कुल व्यय रूपया 2651168.00 दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा से सम्बन्धित सचिव श्री योगेश प्रकाश सोनी द्वारा कोई भी अभिलेख जैसे कैशबुक खाताबही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टररोल आदि समस्त अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है कि सचिव श्री वेदप्रकाश एवं श्री योगेशप्रकाश सोनी तथा प्रधान श्री देवकीनन्दन द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमितता एवं मनमाना व्यय किया गया जिसमें सम्बन्धित सचिव श्री वेदप्रकाश एवं योगेश प्रकाश सोनी व प्रधान श्री देवकीनन्दन आधे आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

ग्राम पंचायत जखा

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट (ई ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ वित्त आयोग एवं चौदहवां वित्त से (दोनों वित्त) से कुल व्यय रूपया 2687793.00 दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा से सम्बन्धित सचिव श्री योगेश प्रकाश सोनी द्वारा कोई भी अभिलेख जैसे कैशबुक खाताबही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टररोल आदि समस्त मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है कि सचिव योगेशप्रकाश सोनी तथा प्रधान श्री विवेक सिंह द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमितता एवं मनमाना व्यय किया गया जिसमें सम्बन्धित सचिव श्री योगेश प्रकाश सोनी व प्रधान श्री विवेक सिंह आधे आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

ग्राम पंचायत -जहटौली

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2019-20 में (ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ वित्त आयोग एवं चौदहवां वित्त से (दोनों वित्त) से कुल व्यय रूपया 2933703.00 दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा से सम्बन्धित सचिव श्री योगेश प्रकाश सोनी द्वारा कोई भी अभिलेख जैसे कैशबुक खाताबही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टररोल आदि समस्त मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है कि सचिव श्री कृष्णबिहारी विद्यार्थी एवं श्री योगेशप्रकाश सोनी तथा प्रधान श्री श्याम सिंह द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमितता एवं मनमाना व्यय किया गया जिसमें सम्बन्धित सचिव श्री कृष्णबिहारी विद्यार्थी एवं योगेश प्रकाश सोनी व प्रधान श्री श्याम सिंह आधे आधे अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

विकास खण्ड नदीगांव

ग्राम पंचायत छिरिया खुर्द

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष 31-03-2020 को प्रियासाफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 553-00-00-00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 00-00 था उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में न करके अनियमितता की गयी जिसकी व्याज सहित वसूली सम्बंधित प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-01

ग्राम पंचायत- क्योलारी

प्रस्तर-16 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट (इ.ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से व्यय रूपया 751985-0-00-00 एवं चौदहवां वित्त से व्यय रूपया 3676174-00 कुल रूपया 4428159-00(चवालीस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ उनसठ) दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा को सम्बंधित सचिव श्री प्रशांत सुभाष दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख यथा -कैशबुक खाता बही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टर रोल आदि संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे किये गये उपर्युक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है सचिव श्री दुबे एवं प्रधान श्रीमती जनक दुलारी गुर्जर द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाना व्यय किया गया हो सचिव द्वारा पूर्व वर्ष के अभिलेख भी लेखा परीक्षा को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराये गये अतः पूर्व वर्ष के अभिलेख उपलब्ध कराने एवं सचिव श्री दुबे एवं सम्बंधित प्रधान से किये गये अनियमित व्यय रूपया 4428159-00 की 50-50 के अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत -गिदवासा

प्रस्तर-17 आलोच्य वर्ष 31-03-2020 को प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधाननगद रूपया 2830-00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 00-00 था उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में न करके अनियमितता की गयी है जिसकी व्याज सहित वसूली सम्बंधित प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत -डाबर माधौगढ़

प्रस्तर-18 आलोच्य वर्षों के दौरान प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 856-00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 00-00 था उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में न करके अनियमितता की गयी है जिसकी व्याज सहित वसूली सम्बंधित प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-18

ग्राम पंचायत- गंगथरा

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट (इ.ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से व्यय रूपया 130129-00 एवं चौदहवां वित्त से व्यय रूपया 1175348-00 कुल रूपया 1305477-00(तेरह लाख पंच हजार चार सौ सतहतर) दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा को सम्बंधित सचिव श्री प्रशांत सुभाष दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक खाता बही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टर रोल आदि संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे किये गए उपर्युक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है सचिव श्री दुबे एवं प्रधान श्री रितु राज गुर्जर द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाना व्यय किया गया हो सचिव द्वारा पूर्व वर्ष के अभिलेख भी लेखा परीक्षा को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराये गये अतः पूर्व वर्ष के अभिलेख उपलब्ध कराने एवं सचिव श्री दुबे एवं सम्बंधित प्रधान से किये गए अनियमित व्यय रूपया 1305477-00 की 50-50 के अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत- तीतरा खलीलपुर

प्रस्तर-20 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट(इ.ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से व्यय रूपया 491402-00-00 एवं चौदहवां वित्त से व्यय रूपया 4673488-00 कुल रूपया 5164890(इकावन लाख चौसठ हजार आठ सौ नब्बे) दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा को सम्बंधित सचिव श्री प्रशांत सुभाष दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक खाता बही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टर रोल आदि संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे किये गये उपर्युक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी संभव है सचिव श्री दुबे एवं प्रधान श्री महेंद्र सिंह यादव द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाना व्यय किया गया हो सचिव द्वारा पूर्व वर्ष के अभिलेख भी लेखा परीक्षा को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराये गये अतः पूर्व वर्ष के अभिलेख उपलब्ध कराने एवं सचिव श्री दुबे एवं सम्बंधित प्रधान से किये गए अनियमित व्यय रूपया 5164890-00 की 50:50 के अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत- रेंदर

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष 31-03-2020 को प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 577-00-00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 00-00 था उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में न करके अनियमितता की गयी है जिसकी व्याज सहित वसूली सम्बंधित प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-18

ग्राम पंचायत- धन्जा

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट (इ-ग्राम स्वराज पोर्टल)के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से व्यय रूपया 216801-00 एवं चौदहवां वित्त से व्यय रूपया 1686769-00 कुल रूपया 1903570-00 (उन्नीस लाख तीन हजार पांच सौ सतर) दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा को सम्बंधित सचिव श्री प्रशांत सुभाष दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक खाता बही व्यय प्रमाणक स्टीमेट माप पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर मस्टर रोल आदि संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे किये गये उपर्युक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी सभ्य हैं सचिव श्री दुबे एवं प्रधान श्री जगत सिंह कुशवाहा द्वारा बिना अभिलेख तैयार किये ही अनियमित एवं मनमाना व्यय किया गया सचिव द्वारा पूर्व वर्ष के अभिलेख भी लेखा परीक्षा को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराये गये अतः पूर्व वर्ष के अभिलेख उपलब्ध कराने एवं सचिव श्री दुबे एवं सम्बंधित प्रधान से किये गए अनियमित व्यय रूपया 1903570-00 की 50:50के अनुपात से व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-01

ग्राम पंचायत- रूपपुरा

प्रस्तर-23 पंचायतीराज अनुभाग .1 के शासनादेश संख्या.3/2016/3038/33.1.2016.175 एम एस /2016लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर 2016 के निर्देशानुसार प्रधान पास आकस्मिक खर्च हेतु रूपया 5000-00 नगद रखना ही अनुमत है इससे पूर्व रूपया 1000-00 नगद रखनेकी अनुमति थी। आलोच्य वर्ष में 31.03.2020 को प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 5200-00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 00-00 (शून्य) दर्शया गया है। अतः उक्त शासनादेश में अनुमत धनराशि से अधिक नगद रखा गया एवं जिसका लेखा भी कैशबुक में न करके गंभीर अनियमितता की गयी है अतः रूपया 5200-00 की व्याज सहित वसूली सम्बंधित उत्तरदायी प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-01

विकास खण्ड जालौन

ग्राम पंचायत . कुसमरा

प्रस्तर-24 लेखा परीक्षा वर्ष में प्रधान मानदेय माह जुलाई 2019 को दो बार भुगतान किया गया जिसमें दिनांक 26.07.2019 को चेक संख्या 48184 द्वारा मु0 3500 का माह जुलाई 2019 का मानदेय भुगतान दर्शित है तथा दिनांक 04.01.2020 को पी0एफ0एम0 एस0 द्वारा मु0 17500/-का माह जुलाई 2019 से माह नवम्बर 2019 तक का भुगतान दर्शित पाया गया यही स्थिति ऑनलाइन फीडिंग में भी रही प्रधान मानदेय रजिस्टर तैयार न किये जाने से इस प्रकार की स्थिति प्रकट हुई है अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि माह जुलाई 2019 का मानदेय दो बार भुगतान किया गया है जिसके लिये ग्रा0पं0अ0 श्री कुलदीप वर्मा एवं प्रधान श्री धीरेन्द्र कुमार जिम्मेदार हैं जिसकी वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-09

ग्राम पंचायत- सींगपुरा

प्रस्तर-25 वर्ष 2018-2019 एवं 2019-20 में सीसी निर्माण हरजू के घर से सौरभ के घर तक की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल में मजदूरों एवं कारीगरों का क्रमांक 1 से 17 तक दर्शित पाया गया जबकि क्रमांक 1 से 12 तक में मजदूरों के नाम दर्ज हैं क्रमांक 13 से 17 तक में मजदूरों के नाम एवं भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं पायी गयी केवल मस्टररोल पर उपस्थिति दर्ज थी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बिना नाम के उपस्थिति कैसे दर्ज की गयी अतः क्रमांक 13 से 17 तक की भुगतान धनराशि मु0 10899 का फर्जी भुगतान किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्रा0पं0अ0 श्री संतोष वर्मा एवं प्रधान श्री यशवंत सिंह से आधी आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-08

ग्राम पंचायत -सींगपुरा

प्रस्तर-26 वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्य सीसी मार्ग एवं साइडवाल निर्माण श्री मोहन लाल (मिन्टू) के घर से श्री तुलाराम साहू के घर तक कार्य अवधि 08.05.19 से 22.05.19 तक तथा सीसी मार्ग एवं साइडवाल निर्माण सुशील के घर से हरजू के घर तक कार्य अवधि 07.05.19 से 22.05.19 के मस्टर रोलों में क्रमांक 1 से 12 तक के मजदूरों के नाम समान पाये

गये जबकि एक मजदूर एक समय अवधि में एक ही जगह कार्य कर सकता है अतः दिनांक 08.05.19 से 22.05.19 तक की कार्य अवधि में दर्शित भुगतान धनराशि मु0 27807.00 सीसी मार्ग श्री मोहनलाल (मिन्टू) के घर से श्री तुलाराम साहू के घर तक के मस्टररोल की धनराशि को अपहरण मानते हुये गा0प0अ0 श्री संतोष वर्मा एवं प्रधान श्री यशवंत सिंह से ब्याज सहित आधी आधी व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
मूल आपति सं0-08

ग्राम पंचायत- सींगपुरा

प्रस्तर-27 वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में सीसी निर्माण संतराम के घर से रणवीर के घर तक का कार्य अवधि 13.05.19 से 22.05.19 तथा सी0सी0 मार्ग निर्माण पन्ना कुशवाहा के घर से शिवराम प्रजापति के घर तक कार्य अवधि 12.05.19 से 22.05.19 तक के मस्टररोलों में जगदीश विक्रम ब्रजेश दीनू के नामों को दोनों कार्यों में दोहराया गया है। अतः कार्य अवधि 13.05.19 से 22.05.19 के मस्टररोल में भुगतान की गयी धनराशि जगदीश 3500 विक्रम 1750 ब्रजेश 1750 दीनू 1750 कुल मु0 8750 का भुगतान फर्जी किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित गा0प0अ0 श्री संतोष वर्मा एवं प्रधान श्री यशवंत सिंह से आधी आधी की जानी अपेक्षित है।
मूल आपति सं0-08

ग्राम पंचायत -सींगपुरा

प्रस्तर-28 वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण प्रा0वि0 सींगपुरा की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर दर्शित मजदूरों एवं कारीगरों की उपस्थिति उपरोक्त मजदूरी भुगतान प्राप्तकर्ता के रूप में हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं पायी गयी जिससे स्पष्ट है कि मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया अतः मस्टर रोल में भुगतान धनराशि मु0 40600.00 को अपहरण मानते हुये गा0प0 श्री संतोष वर्मा एवं प्रधान श्री यशवंत सिंह से आधी आधी व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
मूल आपति सं0-08

ग्राम पंचायत -जीपुरा

प्रस्तर-29 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रधान मानदेय माह अगस्त 2018 को दो बार भुगतान किया गया जिसमें दिनांक 17.09.2018 को चेक संख्या 0037179 द्वारा मु0 17500 माह अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 तक का मानदेय भुगतान किया गया तथा दिनांक 27.03.2019 के चेक संख्या 42289 द्वारा मु0 28000.00 माह अगस्त 2018 से मार्च 2019 तक का मानदेय भुगतान दर्शित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि माह अगस्त 2018 का मानदेय प्रधान मानदेय-3500 को दो बार दिया गया है। यह स्थिति प्रधान मानदेय रजिस्टर तैयार न किये जाने के कारण उत्पन्न हुई जिसके लिये गा0प0अ0 श्री जितेन्द्र पटेल एवं प्रधान श्रीमती संगीता देवी जिम्मेदार हैं अगस्त 2018 का मानदेय-3500 जिसकी वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
मूल आपति सं0-09

विकास खण्ड महेबा

पंचायत ग्राम निपनियां

प्रस्तर-30 दिनांक 12.04.2019 को चेक संख्या 033217 द्वारा रु0 21500.00 बैंक से आहरित किया गया जिसके व्यय का विवरण कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि फर्जी तरीके से बैंक से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत 50:50 के अनुपात से व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।
मूल आपति सं0-06

ग्राम पंचायत -निपनियां

प्रस्तर-31 27.05.2019 को चेक संख्या 030609 द्वारा रु0 42000.00 प्रधान मानदेय (वर्ष 2018-19) एवं दिनांक 04.06.2019 को चेक संख्या 030608 द्वारा रु0 17500 मानदेय (2019-20) दिया गया लेकिन प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दिनांक 06.04.2018 को बाउचर संख्या-च/24 द्वारा 7 माह का मानदेय 24500.00 भुगतान किया गया ऐसे में जब 2018-19 में 7 माह का मानदेय भुगतान हो चुका था तो फिर 2019-20 में रु0 42000.00 (2018-19) मानदेय भुगतान क्यों किया गया इससे स्पष्ट होता है कि 7 माह का मानदेय फर्जी तरीके से बैंक से आहरित कर रु0 24500.00 (7 माह) का अपहरण किया गया जिसके लिये तत्कालीन सचिव श्री जितेन्द्र पटेल प्रधान श्री जगदीश सिंह उत्तरदायी हैं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत श्री जितेन्द्र पटेल (सचिव) एवं प्रधान श्री जगदीश सिंह से 50:50 के अनुपात में व्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
मूल आपति सं0-07

ग्राम पंचायत- निपनियां

प्रस्तर-32 दिनांक 17.10.19 को कैश बुक बाउचर सं0 40 से रू0 2912.00 बाउचर सं0 41 से रू0 2912.00 बाउचर सं0 42 से रू0 4000.00 बाउचर सं0 43 से रू0 3038.00 एवं बाउचर संख्या 44 से रू0 3038.00 कुल 15900.00 फर्जी तरीके से मजदूरी के नाम से जिसका अंकन कैश बुक एवं खाता वही में प्राप्त न होने से भुगतान फर्जी प्रतीत होता है उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत सचिव श्री राहुल कुमार गुप्ता एवं प्रधान श्री जगदीश सिंह से 50:50 के अनुपात में व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-08

ग्राम पंचायत -सरसई

प्रस्तर-33 दिनांक 10.05.2019 को चेक 026532 संख्या द्वारा हैण्ड पम्प सामग्री क्रय का भुगतान रूपया 15750.00 क्रय फर्म के नाम एकाउण्टपेयी चेक निर्गत न करके फर्जी तरीके से श्री मुनीम के नाम चेक निर्गत कर धन का अपहरण किया गया जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार निरंजन एवं ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति उत्तरदायी हैं। उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति से रू 7875.00 एवं श्री दिलीप कुमार निरंजन ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 7875.00 की वसूली मय व्याज सहित से की जानी अपेक्षित है। मूल आपति सं0-06

ग्राम पंचायत -सरसई

प्रस्तर-34 दिनांक 23.07.2019 को चेक संख्या 028149 द्वारा हैण्डपम्प सामग्री क्रय का भुगतान रू 12740.00 का चेक क्रय फर्म के नाम निर्गत न करके फर्जी तरीके से सचिव एवं प्रधान द्वारा बैंक से धन आहरित कर धन का अपहरण किया गया है। उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार निरंजन से रू0 6370.00 एवं ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति से रू0 6370.00 मय व्याज के वसूली किया जाना अपेक्षित है। मूल आपति सं0-07

ग्राम पंचायत -सरसई

प्रस्तर-35 वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में माह सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक के कैशबुक एवं कुल आहरित धनराशि रू0 1079220.00 के सापेक्ष कैशबुक एवं व्यय किये गये धन के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। वितीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्धन के अध्याय 8 के प्रस्तर -8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। अतः क्षति हुई धनराशिको उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम 256, 257 एवं उ0 प्र0 पंचायत राज की धारा -27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये अतः ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति से रू0 539610.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप कुमार निरंजन से रू0 539610.00 की वसूली मय व्याज सहित की जानी अपेक्षित है। मूल आपति सं0-08

ग्राम पंचायत बाबई

प्रस्तर-36 वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। अभिलेख मांग के सम्बन्ध में सम्बन्धित को पत्राचार भी किया गया वर्ष दौरान ग्राम निधि प्रथम खाते से रू0 2809521.00 की निकासी/व्यय किया गया (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) जिसके सापेक्ष कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यों की स्वीकृत स्ट्रीट तकनीकी स्वीकृत एम0बी0 कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण व्यय की धनराशि अनियमित रहा जिसकी वैधानिक कार्यवाही के पश्चात आधी आधी धनराशि ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। मूल आपति सं0-1

ग्राम पंचायत -पाल

प्रस्तर-37 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं चौदह वित्त आयोग से सम्बन्धित रू 1339758.00 आहरित /व्यय किये गये किन्तु उक्त व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वितीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्धन के अध्याय - 8 के प्रस्तर - 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानकर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। अतः क्षति हुई धनराशि को उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम 256, 257 एवं उ0प्र0 पंचायत राज की धारा -27 के अन्तर्गत आधी आधी धनराशि की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोबरन सिंह एवं सचिव श्री आलोक सिंह से की जानी अपेक्षित है। मूल आपति सं0-1

ग्राम पंचायत -पाल

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं चौदह वित्त आयोग से सम्बन्धित रू0 832211.00 आहरित/व्यय किये गये हैं किन्तु उक्त व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये वितीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्धन के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी धनराशि को अपहरण

मानकर सम्बन्धि के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। अतः क्षति हुई धनराशि को उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम 256 257 एवं उ0प्र0 पंचायत राज की धारा-27 के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्री सोबरन सिंह से रु0 390980.50 एवं सचिव श्री आलोक कुमार से रु0 189148.00 एवं सचिव श्री राहुल गुप्ता से रु0 201832.50 की व्याज सहित वसूली जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-2

विकास खण्ड रामपुरा

ग्राम पंचायत -हुसेपुरा सुरई

प्रस्तर-39 दिनांक 04.09.2018 की कोषवही में फोटाकापी हेतु पवन कुमार को भुगतान किया दर्शाया गया है जिसके सापेक्षा लेखा परीक्षा में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है रु 7000.00 अपहरण किया गया है जिसकी श्री सुनील कुमार ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी एवं श्रीमती गुड्डी देवी ग्राम प्रधान से 50-50 प्रतिशत के अनुपात में व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं0- 19

ग्राम पंचायत -हुसेपुरा सुरई

प्रस्तर-40 दिनांक 21.08.2018 की कोषवही अनुसार ग्राम प्रधान मानदेय /भत्ता अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की 12 माह की अवधि का दर 3500/माह से चेक संख्या 044525 से रु 44500.00 नगद भुगतान श्री रुद्रपाल सिंह को किया गया दर्शित है जो कि रु 2500 अधिक भुगतान किया गया दर्शित है। ध्यातव्य है कि ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी हैं जबकि भुगतान किसी दूसरे को किया गया दर्शित है लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं रहने से वास्तविक स्थिति अज्ञात रही इस प्रकार रु 44500.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसकी व्याज सहित वसूली श्रीमती गुड्डी देवी ग्राम प्रधान एवं श्री सुनील कुमार पंचायत/वि0 अधिकारी से 50-50 प्रतिशत करने की वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-20

विकास खण्ड डकोर

ग्राम पंचायत बम्हौरी कला

प्रस्तर-41 ग्राम निधि प्रथम के इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50048239699 से दिनांक 18.02.2020 टीओटी आर एफ डी आर आर ओ 22001215517 टी आर एफ टू 0087502000731 से पी एफ एम एस से रु 24000 भुगतान बैंक स्टेटमेंट अनुसार हुआ है लेकिन इसकी प्रविष्टि कोष वही एवं खाता वही में नहीं हुई है। स्पष्ट है कि रु 24000 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी श्री जितेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत /वि0 अधिकारी एवं श्री अजय सिंह ग्राम प्रधान से 50-50 प्रतिशत के अनुपात में व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-19

ग्राम पंचायत -बिनौरा

प्रस्तर-42 दिनांक 14.05.2019 की कोषवही में प्रमाणक संख्या 8 से जितेन्द्र कुमार को प्रशासनिक मद हेतु रु0 10000.00 भुगतान दर्शाया गया है जिसके सापेक्षा लेखा परीक्षा में प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा स्पष्ट है 10000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी श्री आशुतोष कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत/ वि0 अधिकारी एवं श्री राजबहादुर ग्राम प्रधान से 50-50 प्रतिशत व्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-19

(1)

प्रारूप -4

जनपद - झाँसी

ग्राम पंचायत से संबंधित आपतिया -

ग्राम पंचायत अमरौख

प्रस्तर 1

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 11192.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बाबई

प्रस्तर 2

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1660.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बड़ोखरी

प्रस्तर 3

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 7637.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बांगरी

प्रस्तर 4

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 6597.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(10)

ग्राम पंचायत बरोदा

प्रस्तर 5

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बसोवई

प्रस्तर 6

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बावल टांडा

प्रस्तर 7

दिनांक 06.02.2020 को निर्मल भारत अभियान के खाते से चेक सं 30193 द्वारा रु 3000.00 का भुगतान श्री सुखनंदन को किया गया । उक्त का लेखा कैश बुक एवं खाता रजिस्टर में नहीं किया गया । ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेंद्र साहू द्वारा बताया गया की उक्त चेक उनके द्वारा निर्गत नहीं की गई और बैंक द्वारा इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है । ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेंद्र साहू द्वारा प्रति माह बैंक समाधान नहीं बनाया गया जिसके कारण समय पर उक्त अनियमितता का ज्ञान नहीं हो सका । लिखित कार्यवाही करके खाते को पुनः क्रेडिट कराया जाना अपेक्षित है । उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत भरोसा

प्रस्तर 8

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 2714.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत भुजोद

प्रस्तर 9

1.दिनांक 27.01.2020 को रु 42000.00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया जो कि 1 वर्ष प्रति माह रु 3500.00 की दर से था जबकि दिनांक 02.04.2019 को मार्च 2019 तक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका था । जनवरी 2020 को किया गया मानदेय का भुगतान अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक 9 माह का भुगतान रु 31500.00 किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार दिनांक 27.01.2020 को रु 10500.00 मानदेय का अधिक भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से किया जाना चाहिए ।

2.ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख आडिट हेतु बार -बार मांगे जाने के बाद भी मात्र कैश बुक ,खाता रजिस्टर एवं बैंक स्टैटमन्ट ही प्रस्तुत किए गए । वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आनंद आर्य ने बताया गया की पूर्व सचिव द्वारा मात्र कैश

(11)

बुक ,खाता रजिस्टर एवं बैंक स्टैटमन्ट ही चार्ज में दिए (छाया प्रति संलग्न है)। अन्य व्ययप्रमाणक ,प्राक्कलन ,एमबी ,मस्टर रोल ,बिल वाउचर ,स्वीकृत कार्ययोजना ,कार्यवाही रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए । उक्त अभिलेख के न होने से ग्राम पंचायत के ग्राम निधि से किए गए व्यय रु 736617 .00 अनियमित प्रतीत होते हैं । पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि कैश बुक में दर्शाए

गए व्यय के सापेक्ष उचित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

उपरोक्त नियम के आलोक में एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित होता है कि कैश बुक में मनमाना व्यय दर्शाकर रु 736617.00 का अनियमित भुगतान व्यय किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से/ की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत **बूढेराघाट**

प्रस्तर 10

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 3000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत **छेवटा**

प्रस्तर 11

दिनांक 14.07.2019 को प्रधान मानदेय का भुगतान रु 4500 किया गया। कैश बुक एवं खाता रजिस्टर में दिए गए मानदेय के माह का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रति माह रु 3500 मानदेय के भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु 1000 अधिक मानदेय का भुगतान प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत **चिरगाव खुर्द**

प्रस्तर 12

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 8290.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत **दतावली कला**

प्रस्तर 13

दिनांक 07.02.2020 को रु 31500.00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया जो कि माह जून 2019 से माह फरवरी 2020 तक कुल 9 माह का रु 3500 की दर से किया गया। माह फरवरी 2020 के मानदेय का भुगतान 29 फरवरी के पूर्व ही कर दिया गया जबकि किसी भी माह के मानदेय का भुगतान माह की अंतिम तिथि के पूर्व नहीं किया जाना चाहिए। इस बात की जांच किया जाना अपेक्षित है की माह फरवरी 2020 के मानदेय का भुगतान पुनः नहीं किया गया। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(12)

ग्राम पंचायत **धौरका**

प्रस्तर 14

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 9992.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत **फतेहपुर स्टेट**

प्रस्तर 15

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1062.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत **इमिलिया**

प्रस्तर 16

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत **जौरा**

प्रस्तर 17

1-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 12543.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

2-दिनांक 03.04.2019 को रु 15000 पंप आपरेटर को मानदेय का भुगतान किया गया। पंप आपरेटर के मानदेय का भुगतान न तो उक्त के पहले कभी किया गया और न तो उसके बाद। पंप आपरेटर को मानदेय भुगतान संबंधी कोई शासनादेश भी आडिट के समय

प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार पंप आपरेटर को किया गया भुगतान अनियमित है जिसके लिए प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी उत्तरदाई हैं। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत काडौर

प्रस्तर 18

दिनांक 26.05.2019 को रु 5000.00 एवं दिनांक 26.07.2019 को रु 10000.00 कुल रु 15000.00 टंकी आपरेटर को मानदेय का भुगतान किया गया किन्तु टंकी आपरेटर को मानदेय दिए जाने का कोई भी सक्षम अधिकारी का आदेश लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। टंकी आपरेटर को मानदेय का न तो इसके पहले भुगतान किया गया और न ही बाद में। इस प्रकार किया गया भुगतान अनियमित है एवं प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(13)

ग्राम पंचायत कडूरा

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 18288.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खुजा

प्रस्तर 19

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 3000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुम्हारार

प्रस्तर 20

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 19284.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत लावन

प्रस्तर 21

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 55322.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मडोरा खुर्द

प्रस्तर 22

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 5000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत महेनुआ

प्रस्तर 23

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 4500.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पचोवई

प्रस्तर 24

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 11404.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(14)

ग्राम पंचायत पहाड़पुरा एस्टेट

प्रस्तर 25

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 3315.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पनारी

प्रस्तर 26

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 12050.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत पाण्डोरी

प्रस्तर 27

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 9000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत पाण्डोरी

प्रस्तर 28

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 9000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत पूँछ

प्रस्तर 29

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1114.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत पुलगहना

प्रस्तर 30

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 3587.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

(15)

ग्राम पंचायत पुलिया

प्रस्तर 31

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 6476.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत रेब

प्रस्तर 32

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 2774.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत रूँद करारी

प्रस्तर 33

दिनांक 04.06.2019 चेक सं 0 44963 द्वारा रु 5000.00 का भुगतान भूसा क्रय हेतु किया गया जबकि भूसा क्रय हेतु प्रथक खाते से भुगतान किया जाता है । इस प्रकार ग्राम निधि से किया गया भुगतान अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मति विनीता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विजय सिंह से आधी आधी की जानी चाहिए ।

ग्राम पंचायत साकिन

प्रस्तर 34

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1660.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत सौजना

प्रस्तर 35

1-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 3283.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार प्रधान के पास नकद धनराशि शून्य है । संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

2-ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख आडिट हेतु बार -बार मांगे जाने के बाद भी मात्र कैश बुक ,खाता रजिस्टर एवं बैंक स्टेट्मन्ट ही प्रस्तुत किए गए । वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आनंद आर्य ने बताया गया की पूर्व सचिव द्वारा मात्र कैश बुक ,खाता रजिस्टर एवं बैंक स्टेट्मन्ट ही चार्ज में दिए (छाया प्रति संलग्न है)। अन्य व्यय प्रमाणक ,प्राक्कलन ,एमबी ,मस्टर रोल ,बिलवाउचर ,स्वीकृत कार्ययोजना ,कार्यवाही रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए । उक्त

अभिलेख के न होने से ग्राम पंचायत के ग्राम निधि से किए गए व्यय रु 1049663.00 अनियमित प्रतीत होते हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि कैश बुक में दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष उचित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से वसूली की जाएगी।

(16)

उपरोक्त नियम के आलोक में एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित होता है कि कैश बुक में मनमाना व्यय दर्शाकर रु 1049663.00 का अनियमित भुगतान व्यय किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास/अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत शाहजहांपुर

प्रस्तर 36

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 5753.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सिमिरिया

प्रस्तर 37

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 2000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सिमरा

प्रस्तर 38

1-दिनांक 30.12.2019 को रु 21000.00 अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक के 5 माह के मानदेय का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा के अनुसार 5 माह का मानदेय रु 3500.00 की दर से रु 17500.00 किया जाना चाहिए जबकि रु 21000.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार रु 3500.00 अधिक मानदेय का भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

2-प्राथमिक विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु दिनांक 12.02.2020 को मे0 साधना इंटेरप्राइजेज को रु 185208.00 का भुगतान किया गया। प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किस प्रयोजन के लिया किया गया, उससे ग्राम पंचायत को क्या लाभ है आदि प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। प्राथमिक विद्यालय परिसर में निर्माण कार्य कराना बेसिक शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व है न की पंचायत का। व्यय की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदाई प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तालोड

प्रस्तर 39

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 1868.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(17)

ग्राम पंचायत टांडा

प्रस्तर 40

दिनांक 20.05.2019 को चेक सं 547468 द्वारा प्रधान मानदेय रु 42000 भुगतान किया गया जो कि अप्रैल -2018 से मार्च 2019 तक रु 3500 प्रति माह की दर से भुगतान किया गया।

दिनांक 11.03.2020 को पीएफएमएस के माध्यम से मार्च -2019 से सितंबर -2019 तक 7 माह के मानदेय का भुगतान रु 24500.00 किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि माह मार्च-2019 के मानदेय का भुगतान दो बार किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत टोडी

प्रस्तर 41

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31.03.2020 को नकद रु 30000.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बड़वार

प्रस्तर 42

कैश बुक के अनुसार दिनांक 11.08.19 को चैक सं० 037401 से पवन कुमार को बस्ता एवं आडिट हेतु रु० 20000.00 का भुगतान किया गया जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 की धारा - 8क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न किये जाये तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुये उसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जानी चाहिये। उक्त नियम के आलोक में रु० की धनराशि की ब्याज सहित वसूली 20000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीर अभिमन्यू व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुजुवा

प्रस्तर 43

बुक के अनुसार दिनांक 08.08.2019 को चैक सं० 155635 से पवन कुमार को बस्ता एवं आडिट हेतु रु० 20000.00 का भुगतान किया गया जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 की धारा - 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न किये जाये तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुये उसकी वसूली (तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जानी चाहिये। उक्त नियम के आलोक में रु०. 20000.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जायपन्ती व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(18)

ग्राम पंचायत धवारी

प्रस्तर 44

कैश बुक के अनुसार दिनांक 13.08.2019 को चैक सं० 866710 से रागवेद्र को बस्ता एवं आडिट हेतु रु० 20000.00 का भुगतान किया गया जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 की धारा - 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न किये जाये तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुये उसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जानी चाहिये। उक्त नियम के आलोक में रु० 20000.00 धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजलाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार सोनी से की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत रसीना

प्रस्तर 45

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी से बार- बार अभिलेख मांगे जाने के बाद केवल कैशबुक एवं पासबुक उपलब्ध करवाई गयी, जिसमें उल्लिखित कार्यों पर कुल व्यय रु० 2285869.00 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए :कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, मांग संकलन, चल सम्पत्ति रजिस्टर, भण्डार पुस्तिका, समेकित सार प्रपत्र, सृजित सम्पत्ति रजिस्टर, प्राकलन / स्टीमेट, निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधीआधी की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री बृजलाल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी द्वारा व्यय धनराशि रु० 2285869.00 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रसोई

प्रस्तर 46

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी से बार- बार अभिलेख मांगे जाने के बाद केवल कैशबुक एवं पासबुक उपलब्ध करवाई गयी, जिसमें उल्लिखित कार्यों पर कुल व्यय रु० 898247.70 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए :कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, मांग संकलन, चल सम्पत्ति रजिस्टर, भण्डार पुस्तिका, समेकित सार प्रपत्र, सृजित सम्पत्ति रजिस्टर, प्राकलन / स्टीमेट, निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधीआधी की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों के आलोक में

यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री गुलाब सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी द्वारा व्यय धनराशि रु० 898247.70 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(19)

ग्राम पंचायत चमरौआ

प्रस्तर 47

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी से बार बार अभिलेख मांगे जाने के बाद केवल कैशबुक एवं पासबुक उपलब्ध करवाई गयी, में उल्लिखित कार्यों पर कुल व्यय रु० 4988431.60 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए :कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, मांग संकलन, चल सम्पत्ति रजिस्टर, भण्डार पुस्तिका, समेकित सार प्रपत्र, सृजित सम्पत्ति रजिस्टर, प्राकलन / स्टीमेट, निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं गरटर रोल । पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधीआधी की जानी चाहिए । उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती लीला वती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी द्वारा व्यय धनराशि रु० 4988431.60 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत सितौरा

प्रस्तर 48

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	कुल योग	वर्ष में व्यय	वर्षांत में शेष
675930.92	1457961.00	2133891.92	17570.80	2116321-12

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए राजकीय अनुदान का ग्राम पंचायत द्वारा पूर्णतया सदुपयोग नहीं किया गया है। उपलब्ध कराये गए अनुदान की धनराशि का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को विकास कार्य कराकर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे कि ग्रामवासियों का आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार किया जा सके । साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव व प्रधान के वेतन, भत्ते व मानदेय भी व्यय किये जाते हैं । ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहते हुए विकास/निर्माण कार्य पर व्यय/सदुपयोग नहीं किया जाना अति गंभीर आपत्ति का विषय है । विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा किये गए कार्यों का मूल्यांकन व नियंत्रण किया जाता है । कार्य न कराये जाने के कारणों से लेखा परीक्षक को अवगत भी नहीं कराया गया है । यह स्थिति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गम ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 10 के बिंदु 6 में स्पष्ट रूप से अंकित है, “ राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त किये गए अनुदान की तिथि के एक वर्ष की अवधि के अन्दर स्थानीय निकाय को इसका उपयोग कर लेना चाहिये । ग्राम पंचायतें पंचायती राज विभाग को अनुदान उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगी जिसमें यह प्रमाण पत्र भी सम्मिलित होगा कि अनुदान का प्रयोग वेतन एवं मजदूरी पर नहीं किया गया है । पंचायती राज विभाग स्थानीय निकायों को अनुदान के अवमुक्त की तिथि के 15 की अवधि के अन्दर वास्तविक उपभोग का विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध कराएगा ।

(20)

उक्त स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान का उपयोग न करके नियमों का अवहेलना किया गया है । इस प्रति नियमानुसार सम्बन्धित सचिव श्री जाफ़र खान एवं प्रधान श्री किशोरी लाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट जाता है । जिस संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत कुम्हारिया

प्रस्तर 49

कैश बुक के अनुसार दिनांक 14.06.2019 को चैक सं० 014960 रु० 10000.00 जो श्री सदाराम को आय पक्ष में निर्गत हुयी लेकिन व्यय पक्ष में व्यय विवरण अंकित नहीं किया गया और न ही व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराया गया। साथ ही रु० 10000.00 का व्यय विवरण न ही खाता रजिस्टर में अंकित किया पंचायतराज विभाग द्वारा जारी गया । ग्राम - पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 की धारा - 8क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न किये जाये तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुये उसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जानी चाहिये । उक्त

नियम के आलोक में ₹0 10000.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति ज्योति व ग्राम पंचायत सचिव कु पूजा समाधिया से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत धनौरा

प्रस्तर 50

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में कोषवही, खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषवही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय रु 3572210-60 है। कोष बही में दर्शित व्यय रु 3572210.60 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक निर्माण-मरम्मत कार्यपत्रावली, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माणमरम्मत कार्यपत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रु. 3572210-60 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय सम्बन्ध में ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने एवं खंड 8 के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इसइस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय 3572210.66 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक का पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय दर्शाई गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमला एवं तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(21)

ग्राम पंचायत बैदा

प्रस्तर 51

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्रामक कोषवही, खाता रजिस्टर एवं बैंक पास के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोष बही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग व्यय रु 1955205-10 है/ ग्रामनिधि कोष बही में दर्शित उपभोग व्यय रु0 1955205-10 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक निर्माण - मरम्मत कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक निर्माण,मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान व्यय की गई धनराशि की पुष्टी नहीं की जा सकी पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समेत अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही में दर्शित व्यय रु 1955205-10 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक पत्रावली विहीन व्यय अपहरण के श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध न कराए जाने से प्रतीत कराये होता है कि उपरोक्त दर्शित व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती फूला देवी एवं तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रसोई

प्रस्तर 52

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी से बार- बार अभिलेख मांगे जाने के बाद केवल कैशबुक एवं पासबुक उपलब्ध करवाई गयी, जिसमें उल्लिखित कार्यों पर कुल व्यय रु० 1675179.10 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए :कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, मांग संकलन, चल सम्पत्ति रजिस्टर, भण्डार पुस्तिका, समेकित सार प्रपत्र, सृजित सम्पत्ति रजिस्टर, प्राकलन / स्टीमेट,

निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल | पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधीआधी की जानी चाहिए | उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री गुलाब सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी द्वारा व्यय धनराशि रु० 1675179.10 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(22)

ग्राम पंचायत खजराहा खुर्द

प्रस्तर 53

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महेश राजपूत से बार- बार अभिलेख मांगे जाने के बाद केवल कैशबुक एवं पासबुक उपलब्ध करवाई गयी, जिसमें उल्लिखित कार्यों पर कुल व्यय रु० 2679421.40 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए :कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, अचल सम्पति रजिस्टर, मांग संकलन, चल सम्पति रजिस्टर, भण्डार पुस्तिका, समेकित सार प्रपत्र, सृजित सम्पति रजिस्टर, प्राकलन / स्टीमेट, निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल | पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधीआधी की जानी चाहिए | उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महेश राजपूत द्वारा व्यय धनराशि रु० 2679421.40 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत चमरौआ

प्रस्तर 54

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी से बार बार अभिलेख मांगे जाने के बाद केवल कैशबुक एवं पासबुक उपलब्ध करवाई गयी, जिसमें उल्लिखित कार्यों पर कुल व्यय रु० 7409069.00 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए :कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, अचल सम्पति रजिस्टर, मांग संकलन, चल सम्पति रजिस्टर, भण्डार पुस्तिका, समेकित सार प्रपत्र, सृजित सम्पति रजिस्टर, प्राकलन / स्टीमेट, निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल | पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधीआधी की जानी चाहिए | उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय गोस्वामी द्वारा व्यय धनराशि रु० 7409069.00 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप- 4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम- झाँसी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपितियाँ-

ग्राम पंचायत- आलापुर

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 1

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत आलापुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27.01.2020 को ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या 0955000100086189 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बांसी (ललितपुर) से पीएफएमएस(डॉंगल) टीआरटीआर/आरओ120023898260046EATPAYREA2 द्वारा धनराशि मु० 130358=00 का भुगतान देव इंटरप्राइजेज को किया जाना दर्शित

है एवं उक्त भुगतान के सापेक्ष कोषवही में 'स्वच्छता कार्य- पर उक्त व्यय दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय के प्रमाण में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं कराये गये हैं जिससे उक्त व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध रहा है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड- 7 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाये तथा यह भी कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड- 8 के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जाएगी तथा उक्त प्रकरण अधिकार योग्य होगा।

अतः उपरोक्त नियम के आलोक में उपरोक्त रुपया 130358=00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है एवं अधिभार योग्य जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित सिंघई संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं अतः उनसे ब्याजसहित बसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 03

ग्राम पंचायत- मिर्चवारा

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 2

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मिर्चवारा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.07.2019 को ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या 3101719338 स्ट्रोल बैंक ऑफ इंडिया ललितपुर शाखा से चैक संख्या 131765 द्वारा धनराशि रुपया 12265=00 का भुगतान TRF to 02983007275 को बैंक स्टेटमेंट में किया जाना दर्शित है जबकि भुगतान पाने वाले का नाम बैंक स्टेटमेंट में दर्शित नहीं पाया गया है, परन्तु उक्त भुगतान/आहरण के सापेक्ष कोषवही में कोई भी व्यय दर्शित नहीं किया गया है जबकि लेखा मैनुअल के नियमानुसार प्रत्येक आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय का सम्पूर्ण विवरण कोषवही के व्यय पक्ष में दर्शित किया जाना आवश्यक है अतः उक्त धनराशि रुपया 12265=00 का अपहरण/गबन किया गया है इसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती भारती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विशाखा मिश्रा जिम्मेदार हैं अतः उक्त धनराशि रुपया 12265=00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 03

ग्राम पंचायत- बीघामहावत

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 3

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- बीघामहावत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 05.04.2019 को ग्रामनिधि प्रथम के खाता संख्या 31544843894 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बांसी शाखा से चैक संख्या 973997 द्वारा धनराशि रुपया 8400=00 का भुगतान प्रगति स्टोर्स को बैंक स्टेटमेंट में किया जाना दर्शित है परन्तु उक्त भुगतान/आहरण के सापेक्ष कोषवही में कोई भी व्यय दर्शित नहीं किया गया है जबकि लेखा मैनुअल के नियमानुसार प्रत्येक आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय को सम्पूर्ण विवरण कोषवही के व्यय पक्ष में दर्शित किया जाना आवश्यक है अतः उक्त धनराशि रुपया 8400=00 का अपहरण/गबन किया गया है इसके लिये ग्राम प्रधान श्री चिरौंजिया एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्री रवि गोस्वामी जिम्मेदार हैं, अतः उक्त धनराशि रुपया 8400=00 की ब्याज सहित बसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 03

ग्राम पंचायत- सौजना

विकास खण्ड: महरौनी

प्रस्तर- 4

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- सौजना की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 03.08.2019 को चेक सं0 133462 द्वारा ₹0 14250=00 का भुगतान श्री छक्की लाल को किया गया एवं वर्ष 2019-20 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री अजयवीर विक्रम एवं ग्राम पंचायत अधि0/ग्राम विकास अधि0 श्री सौरभ यादव जिम्मेदार हैं। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 04

ग्राम पंचायत- साढ़ूमल

विकास खण्ड: महरौनी

प्रस्तर- 5

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- साढ़ूमल की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.07.2019 को चेक सं0 280697 द्वारा ₹0 6978=00 का भुगतान श्री हेमन्त कुमार सिंह कम्प्यूटर को किया गया एवं वर्ष 2019-20 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान फोटो स्टैट पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा

मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती जुबेदा बानो एवं ग्राम पंचायत अधि०/ग्राम विकास अधि० श्री सौरभ यादव जिम्मेदार हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 04

ग्राम पंचायत- बिल्ला

विकास खण्ड: बार

प्रस्तर- 6

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.04.2019 को चैक सं०- 414947 द्वारा मु० 10,000=00 रुपये नगद आहरित किया गया। उक्त धनराशि का भुगतान कैशबुक में प्रियासाफ्ट प्लान की फीडिंग पर व्यय दर्शित है परन्तु व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री रामरक्ष पालसिंह तत्कालीन एवं श्री अखिलेश राजपूत ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन जिम्मेदार हैं। अतः उक्त धनराशि रुपया 10,000=00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 9

ग्राम पंचायत- बिल्ला

विकास खण्ड: बार

प्रस्तर- 7

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.08.2019 को चेक सं०- 414967 द्वारा मु० 12406=00 श्री हरपाल सिंह को भुगतान किया गया उक्त धनराशि कैशबुक में घूरा सफाई पर व्यय दर्शित है परन्तु व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री रामरक्ष पाल सिंह तत्कालीन एवं श्री अखिलेश राजपूत ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। है अतः उक्त धनराशि रुपया 12406=00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 10

ग्राम पंचायत- दर्दनी

विकास खण्ड: बार

प्रस्तर- 8

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.01.2020 को FFC/2019-20/P-16, पीएफएमएसद्वारा मु० 34500=00 रु० आशीष ट्रेडर्स को भुगतान किया गया एवं वर्ष 2019-20 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुद्धराम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार जिम्मेदार हैं। है अतः उक्त धनराशि रुपया 34500=00 की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 10

ग्राम पंचायत- झरावटा

विकास खण्ड: मड़वरा

प्रस्तर- 9

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- झरावटा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27.06.2019 को चेक सं० 252277 द्वारा रु० 10,000=00 का भुगतान श्री रामप्रसाद को किया गया एवं वर्ष 2019-20 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधि०/ग्राम विकास अधि० श्री सौरभ यादव जिम्मेदार हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 03

ग्राम पंचायत- तरावली

विकास खण्ड: मड़वरा

प्रस्तर- 10

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत- तरावली की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18.06.2019 को चेक सं0 23562 द्वारा ₹0 6188=00 का भुगतान श्री प्रदीप को किया गया एवं वर्ष 2019-20 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान फोटो स्टैट व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान एवं ग्राम पंचायत अधि0/ग्राम विकास अधि0 श्री जोधन सिंह जिम्मेदार हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 04

ग्राम पंचायत- महोली

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 11

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 3332448=39 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 3332448=39 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 3332448=39 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री मोकम सिंह और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित जैन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- कलोथरा

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 12

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 1404559=40 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1404559=40 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1404559=40 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजेश्वरी और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित जैन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- पड़ना

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 13

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 1869771=99 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1869771=99 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1869771=99 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री नत्थू सिंह और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित जैन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- सलैया

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 14

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में

उपभोग/व्यय रुपया 1473837=42 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1473837=42 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1473837=42 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री मान सिंह और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित जैन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- सतौरा

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 15

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 1624535=44 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1624535=44 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1624535=44 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री रामबिहारी और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित जैन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- उमरिया डोंगरा

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 16

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 782907=80 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 782907=80 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 782907=80 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्रीमती श्यामू बाई और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित जैन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बिरधा

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 17

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 3028398=84 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 3028398=84 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 3028398=84 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री प्रदीप और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित जैन उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- बेटना

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 18

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 1484874=00 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1484874=00 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1484874=00 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री फूल सिंह और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- चिराकोडार

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 19

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 973204=00 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 973204=00 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 973204=00 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री मनसुख और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 01

ग्राम पंचायत- जाखलोन

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 20

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 14410221=20 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 14410221=20 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 14410221=20 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री राजेश राजा और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 01

ग्राम पंचायत- मैनवार

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 21

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में

उपभोग/व्यय रुपया 2896441=00 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 2896441=00 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 2896441=00 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्रीमती कुसुम और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- पिपरिया जागीर

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 22

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 2435120=00 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 2435120=00 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 2435120=00 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री लखन लाल और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- सगौरिया

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 23

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 438320=00 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 438320=00 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 438320=00 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री पूरन और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- ठगारी

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 24

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 2304406=00 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 2304406=00 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 2304406=00 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय

प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- मैरती कला

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 25

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 1519347=70 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1519347=70 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1519347=70 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री रोशन सिंह और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री कृष्ण सहारिया उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- पाली ग्रामीण

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 26

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 1412841=50 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1412841=50 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर

तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1412841=50 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री जगदीश और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री कृष्ण सहारिया उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- पटऊआ

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 27

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 1991320=52 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 1991320=52 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 1991320=52 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री मलखान सिंह और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री कृष्ण सहारिया उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

ग्राम पंचायत- सतरवांस

विकास खण्ड: बिरधा

प्रस्तर- 28

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरांत भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रियासॉफ्ट पर ऑन लाइन आंकड़ों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपभोग/व्यय रुपया 3694021=92 दर्शित है। प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उपभोग/व्यय रुपया 3694021=92 के सापेक्ष कोई भी मूल अभिलेख और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से कई बार अभिलेखों की मांग की गयी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को पत्रांक मेमो-2 दिनांक 01.02.2021 को एवं पत्रांक मेमो-3 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्रांक मेमो-4 दिनांक 22.02.2021 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का लिखित अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मौखिक और लिखित प्रयासों के बावजूद कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में समस्त मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण-मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रुपया 3694021=92 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री गुलाब राजा और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री कृष्ण सहारिया उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 1

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2019-20

जनपद का नाम ः औरैया

मण्डल ः कानपुर

ग्राम पंचायत- भदसान ले.प.वर्ष 2018-19 विकास खण्ड अजीतमल

प्रस्तर 01-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क. के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जायेगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। वर्ष 2018-19 के कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि ₹0 4150676.00 की पुष्टि में व्ययप्रमाणक, कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, मालआपूर्तिचालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना, यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 2075338.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी से तथा ₹0 2075338.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री राजबहादुर से की जानी अपेक्षित है।

1

ग्राम पंचायत- यदुवंशपुर ले.प.वर्ष 2018-19

प्रस्तर 02-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क. के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जायेगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। वर्ष 2018-19 के कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि ₹0 2334083.00 की पुष्टि में व्ययप्रमाणक, कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, मालआपूर्तिचालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना, यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 1167041.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से तथा ₹0 1167041.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री राजबहादुर से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जगनपुर ले.प.वर्ष 2018-19

प्रस्तर 03-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क. के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जायेगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। वर्ष 2018-19 के कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में आहरित कुल धनराशि ₹0 1560411.00 की पुष्टि में व्ययप्रमाणक, कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, मालआपूर्तिचालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना, यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 780205.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश कुमारी से तथा ₹0 780205.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री राजबहादुर से की जानी अपेक्षित है।

1

प्रस्तर 19-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क. के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जायेगा और इस धनराशि की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में आहरित, कुल धनराशि ₹0 2028275.00 की पुष्टि में व्ययप्रमाणक, कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, मालआपूर्तिचालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना, यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया हैं। अतः उपरोक्त पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 1014137.50 की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति गीता देवी से तथा ₹0 1014137.50 की व्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री राजेश राजपुत से की जानी अपेक्षित है।

मल आ0स0 1

ग्राम पंचायत- हरवंशपुर . ले.प.वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत- नौगवां , ले.प.वर्ष 2019-20

1

ग्राम पंचायत- पट्टी तोरना ले.प.वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत- शहवाजपुर ले.प.वर्ष 2019-20

वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में आहरित ,कुल धनराशि ₹0 1318056.00 की पुष्टि में व्ययप्रमाणक, कार्ययोजना ,कार्यवाही रजिस्टर, मालआपूर्तिचालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये है। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना,यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया हैं। अतः उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 659028.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामबाबू से तथा ₹0 659028.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री सर्वेश द्वे से की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0स0 1

ग्राम पंचायत- चिरुहली ले.प.वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत- मधुपुर ले.प.वर्ष 2019-20

आस 1

ग्राम पंचायत- जैतापुर . ले.प.वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत- गदनपर . ले.प.वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- भाग्यनगर

मूल आस 1

मूल आस 1

मूल

मूल आस 1

मूल

मूल आस 1

आस 1

दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया हैं. अतः उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 820349.00 की व्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी देवी से तथा ₹0 820349.00 की व्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री प्रफुल्ल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0स0 1

ग्राम पंचायत- पसौली ले.प.वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत- ताजपर बिधना ले.प.वर्ष 2019-20

आस 1

आस 1

1

अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 6000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अशोक कुमार से तथा ₹0 6000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री पंकज यादव से की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0स0 1

ग्राम पंचायत- पटना ऐरवा ले.प.वर्ष 2019-20

प्रस्तर 94-पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क. के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जायेगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में आहरित, कुल धनराशि ₹0 58275.00 की पुष्टि में व्ययप्रमाणक, कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, मालआपूर्तिचालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना, यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 29137.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से तथा ₹0 29137.50 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री विनय यादव से की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0स0 1

प्रारूप 04

मण्डल- कानपुर मण्डल कानपुर

जिला - इटावा।

विकास क्षेत्र- भरथना

ग्राम पंचायत- हथनौली 2019-20

प्रस्तर-1 दिनांक- 12.07.2019 को श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश, काकरपुर वि0ख0- बढपुरा को प्रा0वि0 हथनौली में टाइल्स कार्य हेतु मु0- 26180.00 कैशबुक में भुगतान बा0सं0-10 से दर्शित किया गया। बा0 पर भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गए, जिससे स्पष्ट है कि भुगतान काल्पनिक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं सचिव श्री भुवनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 दिनांक- 15.07.2019 को चेक सं0- 068230 से मु0 8850.00 आहरित किया गया। जिसमें से बा0 सं0- 11 से मु0- 2381.00 बाबा बर्फानी ईट भट्ठा से तीन सौक पिट हेतु ईट क्रय किया गया तथा बा0 सं0- 12 से मु0- 6519.00 शिबू ट्रेडर्स से तीन सौक पिट हेतु सिमेन्ट बालू क्रय किया गया। कैशबुक में दर्शित है। इस प्रकार कुल भुगतान 2381.00+6519.00=8900.00 किया गया, जबकि उक्त तिथि में मु0 8850.00 ही खाते से आहरित है। अतः मु0 50.00 रुपये बिना आहरण के कैसे भुगतान किया गया। इसका उल्लेख नहीं किया गया, जबकि उक्त तिथि में प्रधान के पास कैशबुक में नगद धनराशि शून्य थी। साथ ही उक्त बा0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः भुगतान काल्पनिक रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं सचिव श्री भुवनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 दिनांक- 16.07.2019 को मु0 38000.00 अंकित शटरिंग एण्ड हार्डवेयर स्टोर के नाम चेक सं0-068228 से आहरित कैश-बुक में दर्शित है। जिसको कैश-बुक के व्यय पक्ष में दर्शित नहीं किया गया है, न ही उक्त के सम्बन्ध में बा0 ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त व्यय काल्पनिक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं सचिव श्री भुवनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 दिनांक- 05.02.2020 को बा0सं0- 18 व 19 से मस्टर रोल क्रमशः मु0- 7600.00 तथा मु0- 7220.00 मिस्त्री श्री नैतिक एवं श्री बन्टी के नाम से बनाये गये हैं। लेकिन मस्टर रोल में उक्त दोनों मिस्त्रियों के भुगतान में हस्ताक्षर नहीं पाये गये। अतः भुगतान काल्पनिक रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 दिनांक- 17.02.2020 को बा0सं0- 20 से मु0- 12288.00 जू0वि0 हथनौली में टाइल्स कार्य में जनरेटर का भुगतान तथा दिनांक- 14.03.2020 को बा0सं0- 21 से मु0- 10001.00 प्रा0वि0 एवं जू0वि0 हेतु ग्रीन बोर्ड क्रय का भुगतान दर्शित किया गया है। लेकिन उक्त बा0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः भुगतान काल्पनिक रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मुरैया वर्ष 2019-20

विकास खण्ड- भरथना

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत मुरैथा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया -856126-00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल/अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या -256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या - 36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार -- यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ - साथ डीपीआरओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा -409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मुरैथा द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपया -856126-00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह एवं तत्कालीन पंचायत अधिकारी धू ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द्र एवं श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- ढकपुरा वर्ष 2019-20

विकास खण्ड- भरथना

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत ढकपुरा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट की फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 3465545.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटर फाइल/अनयूज्ड चेक बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिनके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

उक्त के सम्बंध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम(1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार- यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ डीपीआरओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत ढकपुरा द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपया 3465545.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अपर्णा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्यदेव सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है, चूंकि वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक/स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि प्रियासॉफ्ट से अधिक आहरित की गई हो तो उस अंतर की धनराशि को भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मुगलपुर नरैनी वर्ष 2019-20

विकास खण्ड- भरथना

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत मुगलपुर नरैनी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट की फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2007810.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटर फाइल/अनयूज्ड चेक बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिनके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

उक्त के सम्बंध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम(1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार- यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ डीपीआरओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत असफपुर द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपये 2007810.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्यदेव सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है, चूंकि वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक/स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि प्रियासॉफ्ट से अधिक आहरित की गई हो तो उस अंतर की धनराशि को भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- वैशौली घाट वर्ष 2019-20

विकास खण्ड- भरथना

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत वैशौली घाट की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट की फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपये 2687850.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परंतु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, फाइल, एमबी बुक, मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटर फाइल/अनयूज्ड चेक बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिनके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

उक्त के सम्बंध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम(1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानानुसार- यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ डीपीआरओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत असफपुर द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपये 2687850.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री होतीलाल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्यदेव सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है, चूंकि वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक/स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि प्रियासॉफ्ट से अधिक आहरित की गई हो तो उस अंतर की धनराशि को भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- असफपुर वर्ष 2019-20

विकास खण्ड- भरथना

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत असफपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट की फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपये 2062814.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परंतु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर, फाइल, एमबी बुक, मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटर फाइल/अनयूज्ड चेक बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिनके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

उक्त के सम्बंध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उपनियम(1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या-36-37 पर उल्लिखित प्रविधानानुसार- यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ डीपीआरओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत असफपुर द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपये 2062814.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री आदित्यदेव सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है, चूंकि वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक/स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-20 में आहरित धनराशि प्रियासॉफ्ट से अधिक आहरित की गई हो तो उस अंतर की धनराशि को भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रितौरा वर्ष 2019-20

विकास खण्ड- भरथना

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत रितौरा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपये -1656445-00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही , बैंक स्टेटमेंट , वाउचर , फाइल , एमबी बुक , मस्टर रोल , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , चेक बुक काउंटरफॉइल /अनयूज्ड चेक , बैंक समायोजन स्टेटमेंट

, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार - बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या -256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या -36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डीपीआरओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा -409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत रीतौरा द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रूपया -1656445-00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनील एवं तत्कालीन पंचायत अधिकारी ग्राम विकास /अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार पोरवाल एवं श्री शरद कुमार से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- किल्ली सुल्तानपुर- 2019-20

विकास क्षेत्र- बसरेहर

प्रस्तर-12 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹- 4,69,778=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती मौरश्री से ₹- 2,34,889=00 एवं श्री आनन्द कन्द, ग्राम पंचायत सचिव से ₹- 2,34,889=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक स्टेटमेंट भी/लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹- 22,48,824=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती मौरश्री से ₹- 11,24,412=00 एवं श्री आनन्द कन्द, ग्राम पंचायत सचिव से ₹- 11,24,412=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सन्तोषपुर घाट - 2019-20

विकास क्षेत्र- बसरेहर

प्रस्तर-14 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹- 12,58,506=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी से ₹- 6,29,253=00

एवं श्री आनन्द कन्द, ग्राम पंचायत सचिव से ₹०- 6,29,253=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव ब्याज सहित से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अमृतपुर - 2019-20

प्रस्तर-16

प्रस्तर-17 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹०- 22,75,589=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री वेदपाल से ₹०- 11,37,794=00 एवं श्री उमाकान्त, ग्राम पंचायत सचिव से ₹०- 11,37,795=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

विकास क्षेत्र- बसरेहर

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14 वें वित्त आयोग से प्रिया साँफ्ट के अनुसार रु०- 14,50,690=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी

से ₹- 26,78,928=00 एवं श्री विशाल श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सचिव से ₹-26,78,928=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मसनाई - 2019-20

प्रस्तर-34 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹- 12,47,008=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार से ₹- 6,23,504=00 एवं कु0 लवली कुमारी, ग्राम पंचायत सचिव से ₹- 6,23,504=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कल्याणपुर राहिन - 2019-20

प्रस्तर-36 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹०- 30,73,350=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा में अनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के

विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री केशव सिंह से ₹-15,36,675=00 एवं कु0 लवली कुमारी, ग्राम पंचायत सचिव से ₹- 15,36,675=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सन्तोषपुर उन्वा- 2019-20

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹- 10,22,239=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री महेश चन्द्र से ₹- 5,11,119=00 एवं श्री विशाल श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सचिव से ₹-5,11,120=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अंगुपुर गोपालपुर - 2019-20

प्रस्तर-40 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 15,88,685=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी।

परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से ₹- 7,94,342=00 एवं श्री विशाल श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सचिव से ₹-7,94,343=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रैपुरा - 2019-20

प्रस्तर-42 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹- 1,74,476=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री सिपाही राम से ₹- 87,238=00 एवं कु0 लवली कुमारी, ग्राम पंचायत सचिव से ₹- 87,238=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बसरेहर 2019-20

2019-20 में आहरित धनराशि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित की गयी हो तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14 वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹0- 9,60,537=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को उ0 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं उ0 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह से ₹0- 4,80,268=00 एवं श्री वीरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत सचिव से ₹0- 4,80,269=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट में दर्शित धनराशि से अधिक आहरित किया गया है, तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बख्तारपुर- 2019-20

विकास क्षेत्र- बसरेहर

प्रस्तर-49 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 24.01.2020 को चैक सं0 035331 द्वारा ₹0 72,000=00 का नगद भुगतान सुशील कुमार द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया है। जिसका लेखा कैशबुक)प्रियासॉफ्ट में भी नहीं किया गया है। जबकि माह सितम्बर (, अक्टूबर 2019 से ही पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने के निर्देश थे एवं अन्य भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये भी गये हैं। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का नगद भुगतान प्राप्त कर एवं कैशबुक)प्रियासॉफ्ट में अंकन न कर (धनराशि ₹0 72,000=00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुबोधिनी से ₹0 36,000=00 एवं श्री सुशील कुमार, ग्राम पंचायत सचिव से ₹0 36,000=00 की वसूली मय व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वाउचर न0 4टीएचएसएफसी /2019-20/पी /3 दिनांक 30.01.2020 द्वारा प्रधान का मानदेय ₹0 66,500.00 का भुगतान किया गया है। जबकि विगत वर्ष 2018-2019 में वाउचर न0 4टीएचएसएफसी /2018-19/पी /2 दिनांक 31.01.2019 द्वारा प्रधान का मानदेय भुगतान किया गया था। इस प्रकार प्रधान का मानदेय (फरवरी 19 से जनवरी 2020 तक)12 माह ₹0 42,000=00 का भुगतान दिया जाना शेष था। किन्तु आलोच्य वर्ष में ₹0 65,500=00 मानदेय का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ₹0 24,500=00 का अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुबोधिनी से ₹0 12,250=00 एवं श्री सुशील कुमार, ग्राम पंचायत सचिव से ₹0 12,250=00 की वसूली मय व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रसूलाबाद - 2019-20

विकास क्षेत्र- बसरेहर

प्रस्तर-51 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹0- 45,900=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुयी धनराशि को उ0 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं उ0 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान कु0 मधू से ₹0- 22,950=00 एवं श्री उमाकान्त, ग्राम पंचायत सचिव से ₹0- 22,950=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹0- 12,32,478=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय

प्रस्तर-56 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 10,71,423=00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारीद्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्धकार्यवाही का प्राविधान है। अतःक्षति हुयी धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री कुंवर पाल सिंह से रु०- 5,35,711=00 एवं श्री आनन्द कन्द, ग्राम पंचायत सचिव से रु०- 5,35,712=00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत वर्ष ,मानिकपुर मोहन – 2015-16 से 2018-19

विकासखंड बडपुरा -

प्रस्तर 57 - पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को ब्याज सहित गबन माना जायेगा। और इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी।

वित्तीय वर्ष- 2015-16 से 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त, तेरहवां व चौदहवां वित्त व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत क्रमशः आहरित एवं कैशबुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत न करना, यह दर्शाता है उक्तधनराशि का अनियमित रूप से आहरित कर कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। वर्ष वार व्यय की गयी धनराशि- का विवरण निम्नवत है

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	गबन की धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नामपदनाम /
1-	2015-16	ग्रामनिधि1खाता संख्या सीबीआई 3104582376 स्वच्छ भारत मिशन खाता संख्या सीबीआई 3343595553	356975.00 00.00	श्री राकेश कुमार (प्रधान) व श्री हेमन्त कुमार यादव ग्रा०वि०अधि०
2-	2016-17	उपरोक्त	1564149.00 480000.00	श्री राकेश कुमार (प्रधान) व श्री हेमन्त कुमार यादव ग्रा०वि०अधि०
3-	2017-18	उपरोक्त	2237306.20 1040356.00	श्री राकेश कुमार (प्रधान) व श्री हेमन्त कुमार यादव ग्रा०वि०अधि०
4-	2018-19	उपरोक्त	1803782.20 2912234.00	श्री राकेश कुमार (प्रधान) व श्री हेमन्त कुमार यादव ग्रा०वि०अधि०
5-		योग ---	10394982.40	

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु० 5197491.20 की वसूली प्रधान श्री राकेश कुमार से तथा रु० 5197491.20 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री हेमन्त कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बाहुरी- 2019-20

विकास क्षेत्र- बडपुरा

प्रस्तर- 58 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 942939.00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचार द्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारीद्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध

कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुई धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह से रु०- 471469.50 एवं श्री विवके तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव से रु०-471469.50 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सितौरा- 2019-20

विकास क्षेत्र- बढपुरा

प्रस्तर-59 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 3372684.00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचारद्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुई धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र सिंह से रु०- 1686342.00 एवं श्री नागेन्द्र प्रकाश, ग्राम पंचायत सचिव से रु०-1686342.00 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गढायता- 2019-20

विकास क्षेत्र- बढपुरा

प्रस्तर-60 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 1026865.00 की धनराशि आहरित / व्यय की गयी है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक बार-बार मांग करने एवं पत्राचारद्वारा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से) ग्राम पंचायत अधिकारी से व्यय प्रमाणको की मांग की गयी। परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि को अपहरण मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है। अतः क्षति हुई धनराशि को 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली के नियम 256, 257 एवं 30 प्र0 पंचायतराज की धारा-27 के अनुसार वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाये। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती ममता से रु०- 513432.50 एवं श्री विवके तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव से रु०-513432.50 की वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। चूंकि वर्ष 2019-2020 के ग्राम पंचायत के खातों की पासबुक /स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे हैं। अतः इन खातों से वर्ष 2019-2020 में आहरित धनराशि यदि प्रिया सॉफ्ट से अधिक आहरित किया गया है तो उस अंतर की धनराशि को भी उक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सिरहौल - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु2350740.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.2350740.00 का 50%मे से 1175370.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज से एवं शेष 50% 1175370.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी कु. वसुंधरा शर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाए। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- तिजौरा- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.3146689.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.3146689.00 का 50%मे से 1573344.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उदल सिंह से एवं शेष 50% 1573344.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाए। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- परसौआ- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.2056166.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.2056166.00 का 50%मे से 1028083.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मदन सिंह से एवं शेष 50% 1028083.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाए। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- दौदुआ गोपालपुर - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.819172.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.819172.00 का 50%मे से रु. 409586.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से एवं शेष 50% 409586.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरुप्रसाद से ब्याज सहित जमा कराया जाए। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- मल्हूपुर- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.881257.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.881257.00 का 50%मे से 440628.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष बाबू से एवं शेष 50% 440628.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार गुप्ता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- नगला सलहदी- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.1218952.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1218952.00 का 50%मे से 609476.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शक्ति सिंह से एवं शेष 50% 609476.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरुप्रसाद से जमा ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- नगला तौर - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.3226912.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.3226912.00 का 50%मे से 1613456.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या से एवं शेष 1613456.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी कु. वसुंधरा शर्मा से जमा ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- बलरई- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 1666884.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट

विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1666884.00 का 50%मे से 833442.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चंदपाल सिंह से एवं शेष 50% 833442.00 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरुप्रसाद से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- अण्डावली - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 841205.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 841205.00 का 50%मे से 420602.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अविनाश से एवं शेष 50% 420602.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- भैसान- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.3043573.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.3043573.00 का 50%मे से 1521786.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आनन्द कुमार से एवं शेष 50% 1521786.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती आरती यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- निलोई - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.4373227.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का

मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि ₹.4373227.00 का 50%मे से 2186613.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ईश्वर दयाल से एवं शेष 50% 2186613.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी कु. सपना यादव ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- कुरसेना- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से ₹.2642508.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि ₹.2642508.00 का 50%मे से 1321254.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से एवं शेष 50% ₹.1321254.00 .तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती पिकी यादव ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- खेडाबुजुर्ग - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से ₹.4023620.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि ₹.4023620.00 का 50%मे से 2011810.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रश्मि देवी से एवं शेष 50% 2011810.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती पिकी यादव से जमा ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- जोनई - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से ₹.1107085.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि ₹.1107085.00 का 50%मे से 553542.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लता कुमारी से एवं शेष 50% 553542.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- धरवार- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.5031248.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.5031248.00 का 50%मे से 2515624.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से एवं शेष 50% रु.2515624.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरुप्रसाद से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- ककरई - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.1108690.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1108690.00 का 50%मे से 554345.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से एवं शेष 50% 554345.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- धौलपुर खेडा - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.2197523.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.2197523.00 का 50%मे से 1098761.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीना सिंह से एवं शेष 50%रु.1098761.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- धनुआ - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 6874762.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित

अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.6874762.00 का 50% में से रु. 3437381.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से एवं शेष 50% 3437381.00 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- सिसहाट - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.4243241.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.4243241.00 का 50% में से 2121620.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनुमंत से एवं शेष 50% 2121620.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती पिकी यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- रूकनपुर - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.1590583.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1590583.00 का 50% में से 795291.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से एवं शेष 50% 795291.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज यादव ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- भीखनपुर पुठिया - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.1816367.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-

8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।” वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1816367.00 का 50% में से 908183.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मधु यादव से एवं शेष 50% 908183.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- जुगौरा 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.1206321.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी ‘ग्राम पंचायतों’ के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।” वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1206321.00 का 50% में से 603160.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजपाल यादव से एवं शेष 50% 603160.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- फुलरई - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 2445987.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी ‘ग्राम पंचायतों’ के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।” वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 2445987.00 का 50% में से 1222993.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रक्षपाल से एवं शेष 50% 1222993.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- बीबामऊ - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 2341614.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी ‘ग्राम पंचायतों’ के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।” वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.2341614.00 का 50% में से 1170807.00 रु. तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्री रामकुमार से एवं शेष 50% 1170807.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- बनकटी बुजुर्ग, - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 2075080.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.2075080 का 50%मे से 1037540.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्वेता से एवं शेष 50% 1037540.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- भैसरई, - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.3043573.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.3043573.00 का 50%मे से 1521786.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आनन्द कुमार से एवं शेष 50% 1521786.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती आरती यादव से जमा कराया जाए। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- बाउथ- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 3916421.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.3916421.00 का 50%मे से 1958210.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी से एवं शेष 50% 1958210.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरुप्रसाद से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- आलई, - 2019-20

प्रस्तर-88

ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु. 1591351.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 1591351.00 का 50%मे से 795675.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह से एवं शेष 50% 795675.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती पिंकी यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत-, पीहरपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.866237.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.866237.00 का 50%मे से रु. 433118.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दलवीर सिंह से एवं शेष 50% रु. 433118.50 तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी कु. वसुंधरा शर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- नगला रामसुन्दर- 2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.3383162.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.3383162.00 का 50%मे से 1691581.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिप्रभा से एवं शेष 50% रु. 1691581.00 तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार गुप्ता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- नसीरपुर-2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग)के खाते से रु.1614813.60 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही

सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1614813.60 का 50% में से 807406.80 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सामले सिंह से एवं शेष 50% रु. 807406.80 तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- भीखनपुर -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से रु.2069486.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.2069486.00 का 50% में से 1034743.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर से एवं शेष 50% 1034743.00 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरुप्रसाद से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- कोकावली -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से रु.3221117.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.3221117.00 का 50% में से 1610558.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी से एवं शेष 50% 1610558.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री रामकुमार गुप्ता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- भतौरा -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से रु.1824569.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 1824569.00 का 50% में से 912284.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीवान सिंह से एवं शेष 50% 912284.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री राम कुमार गुप्ता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- कैस्त -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग) के खाते से रु. 4698553.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 4698553.00 का 50% में से 2349276.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद से एवं शेष 50% 2349276.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- मुहब्बतपुर जसोहन -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग) के खाते से रु. 2296018.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 2296018.00 का 50% में से 1148009.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से एवं शेष 50% 1148009.00 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- राजपुर तमेरी -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग) के खाते से रु. 2692670.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 2692670.00 का 50% में से 1346335.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुन्ती देवी से एवं शेष 50% 1346335.00 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत

अधिकारी श्रीमती पिकी यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- भावलपुर -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से ₹.499339.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि ₹.499339.00 का 50%मे से 249669.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम अवतार से एवं शेष 50% 249669.50 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी कु. सपना यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- चाँदनपुर बीबामऊ -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से ₹.627846.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि ₹.627846.00 का 50%मे से 313923.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष से एवं शेष 50% 313923.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- कैलोखर-2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से ₹.1447878.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि ₹.1447878.00 का 50%मे से 723939.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से एवं शेष 50% 723939.00 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री पंकज यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- मलाजनी -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से रु.10133104.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.10133104.00 का 50%मे से 5066552.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुमित से एवं शेष 50% रु. 5066552.00 तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती आरती यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- रजमऊ -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से रु.1126442.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.1126442.00 का 50%मे से रु. 563221.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महावीर सिंह से एवं शेष 50% रु. 563221.00तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- जगसौरा -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से रु.4347675.72 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु.4347675.72 का 50%मे से 2173837.86 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूबी से एवं शेष 50% 2173837.86 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी कु. सपना यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- अजनौरा-2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत मे लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग)के खाते से रु. 1246949.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि मे कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. का 50% में से 623474.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवान दास से एवं शेष 50% 623474.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी कु. सपना यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- जैनपुर नागर-2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग) के खाते से रु. 2094675.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 2094675.00 का 50% में से 1047337.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह से एवं शेष 50% 1047337.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती आरती यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- अराजी सराय भुपत -2019-20

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ वित्त आयोग) के खाते से रु. 850483.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो' के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथजिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 850483.00 का 50% में से 425241.50 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से एवं शेष 50% 425241.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी आरती यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत फुलरई - वर्ष 2018 - 19

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर 107 ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के 2018-19 अनुसार ग्राम निधि 14 वां वित्त आयोग के खाते से रु. 2050701.50 धनराशि आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही सहित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की

जाएगी।"वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 2050701.50 का 50% में से रु. तत्कालीन ग्राम 1025350.50 प्रधान श्री रक्षपाल से एवं रु. 2050701.50 का 50% 1025350.50 रु. तत्कालीन ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी श्री पंकज पाल से जमा करा ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत जुगौरा-व-2014 -15 से 18-19

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर 108 ग्राम पंचायत जुगौरा में लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 18-19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त / 13 वां/ 14 वां- वित्त आयोग) के खाते से रु. 4360345.80 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया।

वर्ष	वर्ष में व्यय
2014-15	753710.00
2015-16	315748.20
2016-17	228613.00
2017-18	1628863.60
2018-19	1433411.00
कुल धनराशि-	4360345.80

परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 4360345.80 का 50% में से 2180172.90 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान से एवं रु. 4060345.80 का 50% 2180172.90 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी से जमा कराया जाए। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए। ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -दौंदुआ गोपालपुर वर्ष 18-19

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर -109 ग्राम पंचायत दौंदुआ गोपालपुर में लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वाँ-वित्त आयोग) के खाते से रु. 2203316.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।" वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 2203316.00 का 50% में से 1101658.00 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से एवं रु. 2203316.00 का 50% 1101658.00 रु. तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरु प्रसाद से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत -नगला सलहदी वर्ष 18-19

विकास क्षेत्र- जसवन्तनगर

प्रस्तर -110 ग्राम पंचायत नगला सलहदी मे लेखा परीक्षा वर्ष 18-19 मे बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त /13वाँ /14 वॉ-वित्त आयोग)के खाते से रु.2036999.50 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परंतु दर्शाये गए उक्त व्यय की पुष्टि में कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे बार बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। उक्त के संदर्भ मे पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 के (2)उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क मे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए,इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।"वसूली के साथ साथजिला पंचायत राजअधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा - 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाएगा। अतः अपहरण की राशि रु. 2036999.50 का 50%मे से 1018499.75 रु. तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शक्ति सिंह से एवं रु.2036999.50 का 50% 1018499.75 रु.तत्कालीन ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री गुरु प्रसाद ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए उक्त सभी के विरुद्ध भारतीय दंड साहित्य की धारा 409 के अधीन पुलिस मे प्रथमसूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

ग्राम पंचायत- महेवा, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत - महेवा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रामेन्द्र कुमार तथा ग्राम प्रधान निर्मला देवी पाल द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 292530.00 एवं 14वां वित्त आयोग से रु० 2854734.00 अर्थात कुल रु० 3147264.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान निर्मला देवी पाल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रामेन्द्र कुमार से रु० 3147264.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- जगमोहनपुर - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत - जगमोहनपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय रतन तथा ग्राम प्रधान रीना सिंह द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 200390.00 एवं 14वां वित्त आयोग से रु०1374125.00 अर्थात कुल रु०1574515.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान रीना सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय रतन से ₹1574515.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- इन्द्रपुर - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत - इन्द्रपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को संप्रैक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लक्ष्मी भदौरिया तथा ग्राम प्रधान संतोष गौतम द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 319909.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹751033.00 अर्थात कुल ₹1070942.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान संतोष गौतम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लक्ष्मी भदौरिया से ₹ 1070942.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- कुडरिया, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर- 114 ग्राम पंचायत - कुडरिया वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को संप्रैक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रामेन्द्र कुमार तथा ग्राम प्रधान शिव कुमारी द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 597664.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 3789137.00 अर्थात कुल ₹ 4386801.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान शिव कुमारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रामेन्द्र कुमार से ₹ 4386801.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- बहेडा, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत - बहेडा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को संप्रैक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लक्ष्मी भदौरिया तथा ग्राम प्रधान रजनी द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 371430.00 एवं 14वां

वित्त आयोग से ₹2464565.00 अर्थात् कुल ₹2835995.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान रजनी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लक्ष्मी भदौरिया से ₹2835995.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बिजौली, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत - बिजौली वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बृजेन्द्र सिंह तथा ग्राम प्रधान सत्यवती द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹657123.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹2918314.00 अर्थात् कुल ₹3575437.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान सत्यवती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बृजेन्द्र सिंह से ₹3575437.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अहेरीपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत - अहेरीपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामेंद्र कुमार तथा ग्राम प्रधान विलकिशा द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹771784.00.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹3336241.00 अर्थात् कुल ₹4108025.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान विलकिशा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामेंद्र कुमार से ₹4108025.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सब्दलपुर दाउदपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-118 ग्राम पंचायत - सब्दलपुर दाउदपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह तथा ग्राम प्रधान नरेन्द्र कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 407947.00 एवं 14वां वित्त आयोग से रु० 1426120.00 अर्थात् कुल रु० 1834067.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान नरेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह से रु० 1834067.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- रतनपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-119 ग्राम पंचायत - रतनपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को संप्रेक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह तथा ग्राम प्रधान सुभाष चन्द्र द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 465642.00 एवं 14वां वित्त आयोग से रु० 2555846.00 अर्थात् कुल रु० 3021488.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान सुभाष चन्द्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह से रु० 3021488.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- मुकुटपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत - मुकुटपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को संप्रेक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजय रतन तथा ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 203445.00 एवं 14वां वित्त आयोग से रु० 1581411.00 अर्थात् कुल रु० 1784856.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजय रतन से रु० 1784856.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- नौधना - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत - नौधना वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजय रतन तथा ग्राम प्रधान विपिन कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 255558.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 3435289.00 अर्थात् कुल ₹ 3690847.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान विपिन कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजय रतन से ₹ 3690847.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पृथ्वीरामपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-122 ग्राम पंचायत - पृथ्वीरामपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रवीन कुमार तथा ग्राम प्रधान भोगीलाल द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 176394.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 1058522.00 अर्थात् कुल ₹ 1234916.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान भोगीलाल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रवीन कुमार से ₹ 1234916.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सैदपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर- 123 ग्राम पंचायत - सैदपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को संप्रक्षेपण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रवीन यादव तथा ग्राम प्रधान विजय सिंह पाल द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 120782.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 1715173.00 अर्थात् कुल ₹ 1835955.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान विजय सिंह पाल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रवीन यादव से ₹ 1835955.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दाईपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत - दाईपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को संप्रेक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकिता चौधरी तथा ग्राम प्रधान अशोक कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 690425.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 931795.00 अर्थात् कुल ₹ 1622220.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान अशोक कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकिता चौधरी से ₹ 1622220.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- इकनौर - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत - इकनौर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को संप्रेक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकिता चौधरी तथा ग्राम प्रधान रामऔतार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 74500.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 283182.00 अर्थात् कुल ₹ 357682.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान रामऔतार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकिता चौधरी से ₹ 357682.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- विशुनामई , - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर- 126 ग्राम पंचायत -विशुनामई वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को संप्रेक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह तथा ग्राम प्रधान मधु द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 100834.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 1599664.00 अर्थात् कुल ₹ 1700498.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान मधु एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह से रु० 1700498.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- दादरपुर - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत - दादरपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को संप्रैक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजय रतन तथा ग्राम प्रधान अनिल कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 373952.00 एवं 14वां वित्त आयोग से रु० 1451184.00 अर्थात कुल रु० 1825136.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान अनिल कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विजय रतन से रु० 1825136.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- शेरपुर रसूलपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर- 128 ग्राम पंचायत -शेरपुर रसूलपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को संप्रैक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह तथा ग्राम प्रधान आदेश द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 165800.00 एवं 14वां वित्त आयोग से रु० 2656581.00 अर्थात कुल रु० 2822381.00 खारिज किए गये हैं । जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका ।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान आदेश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह से रु० 2822381.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- व्यासपुर, - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत - व्यासपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये ,जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु7का उल्लंघन है । बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रैक्षण दल को संप्रैक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें ।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकिता चौधरी तथा ग्राम प्रधान प्यूरेश कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये , परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है । वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से रु० 475802.00 एवं 14वां वित्त

आयोग से ₹ 1497566.00 अर्थात कुल ₹ 1973368.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान प्यूरेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकिता चौधरी से ₹ 1973368.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सराय मिठे - 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत - सराय मिठे वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिनपर जांचोपरांत कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि पंचायत राज विभाग उ०प्र०द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 का उल्लंघन है। बिंदु संख्या 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को संप्रेक्षण हेतु आय व्यय की समस्त बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वर्ष 2019-20 के अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह तथा ग्राम प्रधान राघवेन्द्र सिंह द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि वसूली योग्य है। वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकलनों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। प्रिया सॉफ्ट के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से ₹ 102782.00 एवं 14वां वित्त आयोग से ₹ 1822165.00 अर्थात कुल ₹ 1924947.00 खारिज किए गये हैं। जिनके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय की धनराशि को प्रमाणित न किया जा सका।

अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान राघवेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक सिंह से ₹ 1924947.00 की वसूली मय ब्याज के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- लछवई - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-131

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत का नाम- लछवई के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	बैंक पासबुक के अनुसार दर्शित व्यय
2	2018-19	497895.00
3	योग	497895.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹ 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹ 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम०एम०-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र० ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन

ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0497895.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0497895.00 में से ₹0248947-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मधुरपाल एवं ₹0 248947-50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्योति यादव से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत- वीरपुर सालेमपुर - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-132

आपत्ति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- वीरपुर सालेमपुर के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2018-19	5466560-00
3	योग	5466560-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹05466560-00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹05466560-00 में से ₹02733280.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश दोहरे एवं ₹0 2733280.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुधीर कुमार से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फरवरी

2001 और तत्काल अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

स्ट्रीट लाइट . पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइनके अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा बिभिन्न स्थानोंपर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्यकराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान/ सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत्कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जानेसम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइलमें फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहे। उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियोंका ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

एलईडी स्ट्रीटलाइट के सन्दर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में डीएम की समिति के किया जाने सम्बन्धी पत्रावली भी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं रही।

यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी या नहीं। पुराने की दशा में इसका निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही।

हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप केखराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या 27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश है का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी। डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा. सं. -4430/33-1-99/एस पी. आर/994430 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियोंमें जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानीसे संबंधित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में सीमित हो ।

शासनादेशसंख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कम लागत के कईहैंडपम्प कीएक गुप आईडी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है परंतु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की गुप आईडी विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है।स्पष्ट है बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैंडपम्प रिबोर की गाइडलाइन केअनुसार हैंडपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूचीऔर जल निगम कीमार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकीअनुश्रवण का कार्य जेई एम आई /आर ई डी / मंडी परिषद् / जिला पंचायत / डीएम केद्वारा नामितअधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

साथ ही कार्यकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयनसमिति के निरीक्षणएव पर्यवेक्षणकी पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही

ग्राम्य विकासअनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदुएक केअनुसार नएइंडिया मार्का 2 हैंडपम्प और एकल ग्राम पाइप पेय जल योजनाये कार्यकारी संस्थाके द्वारा अधिष्ठापितकिये जाने केबाद रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिंदु 3 केअनुसार ग्राम सभाकी खुली बैठक में अनुमोदनापरांत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।, लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश

है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण. पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली जमा कराया जाना अपेक्षित है।

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणों परांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं , प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्यपूति प्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

ग्राम पंचायत- वीरपुर सालेमपुर - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-133

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

10. अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रम संख्या	आपति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशि रु०			आपति का सारांश
				अपहरण	दुरुप योग / गंभीर अनिय मितता	योग	
1		प्रधान- सचिव-	2019-20	18500-00 19500-00 18500-00 18500-00 30200-00 15050-00 30280-00 18150-00 32200-00 14150-00		18500-00 19500-00 18500-00 18500-00 30200-00 15050-00 30280-00 18150-00 32200-00 14150-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
2		प्रधान- सचिव-	2019-20	154000-00		154000-00	स्ट्रीट लाईट मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर

							धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	31400-00 62993-00		31400-00 62993-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
4		प्रधान-सचिव-	2019-20	43049-00 36711-00 113050-00		43049-00 36711-00 113050-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
8		प्रधान-सचिव-	2019-20	194330-00 251280-00 174000-00		194330-00 251280-00 174000-00	प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
9		प्रधान-सचिव-		78761-00 211653-00 202628-00 245983-00 234500-00 130375-00 153000-00 159073-00		78761-00 211653-00 202628-00 245983-00 234500-00 130375-00 153000-00 159073-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।
1 2		प्रधान-सचिव-	2019-20	15000-00		15000-00	उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्य पर प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
1 4		प्रधान-सचिव-	2019-20	90000-00 119679-00		90000-00 119679-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
1 6		प्रधान-सचिव-	2019-20	135000-00		135000-00	चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
1 7		प्रधान-सचिव-	2019-20	145300-00		145300-00	मिट्टी भराई कार्य
1 8		प्रधान-सचिव-	2019-20	467752-00		467752-00	बाउण्ड्री वाल कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
1 9		प्रधान-सचिव-	2019-20	20250-00		20250-00	तालाब मे पानी भराई

			175876-00 248714-00		175876-00 248714-00	सी सी निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
योग			4109387-00		4109387-00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/ दुरूपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों से, 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क-उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख- ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये।

ग-उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैश बुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ई-ग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरण हीन एवं प्रमाणक विहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा 30प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां हैं:-

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र01सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		215030-00
	योग-		215030-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत

सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी ।उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है । अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 215030-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु107515-00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 107515-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02-उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीटलाईट मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्ट्रीटलाईट मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना		154000-00
	योग-		154000-00

स्ट्रीटलाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन है । इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/ उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी । उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुलधनराशि रु. 154000-00 में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु77000-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 77000-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

03-उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ा दान एवं अन्य कार्यों में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		94393-00
	योग-		94393-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/ उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुलविवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 94393-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 47196-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ श्रीमती से रु ..47196-50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नाली निर्माण		192810-00
	योग-		192810-00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया सॉफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/ गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्कयुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति /उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.. 192810-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 96405-00..... और ग्राम

पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 96405-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

05-उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		619610-00
	योग-		619610-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशिरु. 619610-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.309805-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री / श्रीमती से रु. 309805-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

06-उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग निर्माण मद में		1415973-00
	योग-		1415973-00

प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतली करण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ कर के उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की बु चिता पर संदेह उत्पन्न करता है वै से भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत

सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिस में व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्कयुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति /उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुलविवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 1415973-00..... में से ग्राम प्रधान श्री /श्रीमती से रु. .. 707986-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. . 707986-50..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा 0 आ 0 सं 0)

7-प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां	वित्त	धनराशि
01	2019-20				209679-00
		योग-			209679-00

8-मिट्टी भराई कार्य

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां	वित्त	धनराशि
01	2019-20				145300-00
		योग-			145300-00

9-सी सी निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां	वित्त	धनराशि
01	2019-20				424590-00
		योग-			424590-00

10-चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां	वित्त	धनराशि
01	2019-20				135000-00
		योग-			135000-00

11-बाउण्ड्री वाल कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां	वित्त	धनराशि
01	2019-20				467752-00
		योग-			467752-00

1-ग्राम पंचायत का नाम- वीरपुर सालेमपुर के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2019-20	4109387.00
3	योग	4109387.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹05466560-00को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹05466560-00में से ₹02733280.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश दोहरे एवं ₹0 2733280.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुधीर कुमार से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

स्ट्रीट लाइट . पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइनके अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा बिभिन्न स्थानोंपर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्यकराया गया हैलेकिन ग्राम प्रधान ध् सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेशपॉवर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जानेसम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुतरही और फाइलमें फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहे। उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियोंका ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

एलईडी स्ट्रीटलाइट के सन्दर्भवाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारणमें डीएम की समिति के किया जाने सम्बन्धीपत्रावली भीलेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं रही।

यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी या नहीं। पुराने की दशा मेंइसका निस्तारणकी प्रक्रिया क्या रही।

हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप केखराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकेअभाव मे यहजानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद केलिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव मेंपंचायत राजअनुभाग 3 के आदेश संख्या 27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश है का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी। डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा. सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/994430 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियोंमें जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानीसे संबंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजो में सीमित हो ।

शासनादेशसंख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कम लागत के कईहैंडपम्प कीएक ग्रुप आईडी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है परंतु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की ग्रुप आईडी विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है।स्पष्ट है बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन केअनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूचीऔर जल निगम कीमार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकीअनुश्रवण का कार्य जेई एम आई /आर ई डी / मंडी परिषद् / जिला पंचायत / डीएम केद्वारा नामितअधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

साथ ही कार्यकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयनसमिति के निरीक्षणएव पर्यवेक्षणकी पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही

ग्राम्य विकासअनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदुएक केअनुसार नएइंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेय जल योजनाये कार्यकारी संस्थाके द्वारा अधिष्ठापितकिये जाने केबाद रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिंदु 3 केअनुसार ग्राम सभाकी खुली बैठकमें अनुमोदनापरांत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।, लेकिन परिसंपत्तिरजिस्टर के अभाव मेंइसकी पुष्टिनहीं की जा सकी

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भदेहीकाशी पुर - वर्ष2019-20

विकास क्षेत्र- सैफईप्रस्तर-134

अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रमसंख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम श्री/ श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा	वर्ष	धनराशिरु०			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीर अनियमितता	योग	

		भाग निम्न से वसूली योग्य है।)				
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	409874-00 91710-00 150416-00 117945-00 85940-00 64092-00 215614-00	409874-00 91710-00 150416-00 117945-00 85940-00 64092-00 215614-00	प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
2		प्रधान-सचिव-		196512-00 196512-00 185120-00	196512-00 196512-00 185120-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है ।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	98024-00 47048-00	98024-00 47048-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
4		प्रधान-सचिव-	2019-20	120000-00	120000-00	चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
योग				1978807.00	1978807.00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण /दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों /कर्मचारियों से, उ0प्र0 पंचायत राजनियमावली 1947 के नियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख ग्राम पंचायत के सचिव ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायतराज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

ग उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैश बुक एवं प्रमाणकों का विवरण ,ईग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्ययप्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय

वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/ अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपतियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपतियां हैं-

02- इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।		578144-00
	योग-		578144-00

इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रियासाफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्ययप्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुलविवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 578144-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 289072-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ श्रीमती से रु 289072-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

01- उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		1135591-00
	योग-		1135591-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम

पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टैटमेंट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, मापपुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैंड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/ उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 1135591-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 567795-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ श्रीमती से रु. 567795-50..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

3-प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			145072-00
		योग-		145072-00

4-चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			120000-00
		योग-		120000-00

ग्राम पंचायत का नाम- भदेहीकाशी पुर के वर्ष-2019-20 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2019-20	1978807.00
	योग	1978807.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रु0 1978807.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रु0 1978807.00 में से रु0 989403.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आजीत कुमार एवं रु0 989403.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमें एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भदेहीकाशी पुर - वर्ष2018-19

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-135

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- भदेहीकाशी पुर के वर्ष2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2018-19	687214-00
3	योग	687214-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रू0 687214-00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रू0 687214-00 में से रू0 343607-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आजीत कुमार एवं रू0 360347-00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह चौहान से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान . शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्काल अनुवर्ती शासनादेशमें यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों में एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गौतमपुर - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-136

आपति का संक्षिप्त विवरण- कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर , ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत का नाम -गौतमपुर के वर्ष-2019-20 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष/ वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2019-20	1012981.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। .

ख.लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं 0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम 0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च उक्त . व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होनेकी दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1012981.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹01012981.00 में से ₹0 506490.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश बाबू एवं ₹0 506490.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

टेंडर और कोटेशन. वित्तीय नियम संग्रह खंड.1 एवं शा०सं० .ए1.864./ दस दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामग्री क्रयकरने के क्रम में कोटेशन) रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक (एवं टेंडर)रु एकलाख से अधिक (की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन लोकनिर्माण विभाग के शेड्यूल दर पर भुगतान किये गए हैं।

रॉयल्टी भुगतान शासनादेश. संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय मे गाई फाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने. या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे.

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- इकधरा - वर्ष 2004-05से2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-137

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- ग्राम पंचायत.... इकधरा.....की वर्ष वर्ष-2004-05से2009-10.....की लेखा परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी है। जबकि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947के नियम 40के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सम्पन्न करायी जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा न कराने के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जानी अपेक्षित हैं।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत का नाम- इकधरा के वर्ष-2004-05से2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2004-05	कोईभी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहींरहे। प्रियासॉफ्ट में वर्ष 2004.05से 2009.10 तक आय और व्यय की फीडिंग उपलब्ध नहीं है ।
	2005-06	
	2006-07	
	2007-08	
	2008-09	
	2009-10	
	2010-11	351290-00
	2011-12	315270-00
	2012-13	343547-00
	2013-14	756888-00
	2014-15	465838-00
	2015-16	175500-00
	2016-17	926509-00
	2017-18	1248547-00
	2018-19	1816635-00
3	योग	6400024-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय

प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 6400024-00- को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹06400024-00 में से वित्तीय वर्ष 2010.11से2014.15 तक कुल अपहरित धनराशि ₹02232833-00 में से ₹01116416-50---- तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹01116416-50----- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2015.16से2018-19 तक कुल अपहरित धनराशि ₹04167191-00 में से ₹0 2083595.50-- तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री योगेश कुमार एवं ₹0 2083595.50--- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

आयकर अधिनियम 1961 ;यथा संसोधितद्ध की धारा 194 सी के अनुसारशासकीय अनुदान सेकराये जानेवाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौतीकिये जाने उपरांत हीभुगतान कियाजाने का प्रावधान हैं। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारितसमयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमाकिये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे, ऐसा किये जाने मे विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने काप्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता हैं। 1 अप्रैल 2009 से आयकर कीकटौती 2 % दर से सुनिश्चित की जानी है।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- इकधरा - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-138

आपति का संक्षिप्त विवरण -कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रमसंख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशिका आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशिरू०			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुप योग /गंभीर अनिय मितता	योग	
1		प्रधान- सचिव-	2019-20	18800-00 19750-00 19600-00 19750-00 18100-00		18800-00 19750-00 19600-00 19750-00 18100-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
2							
3		प्रधान- सचिव-	2019-20	13650-00		13650-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
7		प्रधान- सचिव-		36000-00		36000-00	वाल पेन्टिंग में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
8		प्रधान- सचिव-	2019-20	178608-00 163200-00		178608-00 163200-00	प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
9		प्रधान- सचिव-		117300-00 111200-00		117300-00 111200-00	इन्टर लाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।
1 4		प्रधान- सचिव-	2019-20	33053-00		33053-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
योग				749011-00		749011-00	

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध हैं, उन पर निम्न आपत्तियां हैं-

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/ दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों /कर्मचारियों से, 30.04.20 पंचायतराज नियमाली 1947 के नियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख-ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायतराज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये। उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैशबुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ईग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा 30.04.20 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/ अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्यकाविवरण	दिनांक	व्ययकीधनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		96000-00
	योग-		96000-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य की स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/ उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत

अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 96000-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 48000-00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 48000-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02-उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		13650-00
	योग-		13650-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु... 13650-00..... में से ग्राम प्रधान श्री /श्रीमती से रु. 6825-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. .. 6825-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

03-उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		341808-00
	योग-		341808-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर

समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 341808-00..... में से तत्कालीन ग्राम प्रधान से रु. 170904-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 170904-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

04-उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्यकाविवरण	दिनांक	व्ययकीधनराशि
1.	इन्टर लाॅकिंग निर्माण मद में		228500-00
	योग-		228500-00

प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ कर के उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशिका भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शा याजाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं मापपुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्तदायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धन राशिको गबन मानते हुए इस धन राशिकी वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य कास्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धन राशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरण हीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. .. 228500-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.....114250-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 114250-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

5.उक्त ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल पर सामग्री/निर्माण/मजदूरी पर प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.			00
	योग-		00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी

भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0

6-प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
13	20-2019			33053-00
		योग-		33053-00

7-वाल पेन्टिंग में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
14	20-2019			36000-00
		योग-		36000-00

8 -कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
13	20-2019			13650-00
		योग-		13650-00

ग्राम पंचायत का नाम- इकधरा के वर्ष- 2019-20 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	20-2019	749011-00
	योग	749011-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रु0 749011-00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रु0 749011-00 में से रु0 374505.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवनीश एवं रु0 374505.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत

अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

आयकर अधिनियम 1961 ;यथा संसोधितध की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने उपरांत ही भुगतान किया जाने का प्रावधान है एं आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे , ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने भी किया जा सकता है 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती 2 % दर से सुनिश्चित की जानी है

कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ धराक्कलन मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आधे अधूरे और अपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- इन्द्रावली - वर्ष 2004-05से2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-139

आपति का संक्षिप्त विवरण -कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1--ग्राम पंचायत.... इन्द्रावली.....की वर्ष वर्ष-2004-05से2009-10.....की लेखा परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी है। जबकि उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947के नियम 40के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सम्पन्न करायी जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा न कराने के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत आधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जानी अपेक्षित हैं।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत का नाम- इन्द्रावली के वर्ष-2004-05से2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2004-05	कोईभी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहींरहे। प्रियासॉफ्ट में वर्ष 2004.05से 2009.10 तक आय और व्यय की फीडिंग उपलब्ध नहीं है ।
	2005-06	
	2006-07	
	2007-08	
	2008-09	
	2009-10	
	2010-11	0
	2011-12	438800-00
	2012-13	833885-00
	2013-14	801618-00
	2014-15	1031416-00
	2015-16	330490-20
	2016-17	579308-00
	2017-18	3025704-00
	2018-19	2878696-00
3	योग	9919917-20

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 9919917-20---- को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 9919917-20--- में से वित्तीय वर्ष 2010.11से2014.15 तक कुल अपहरित धनराशि ₹0 3105719-00 में से ₹0-1552859-50-- तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹0 1552859-50- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015.16से2018.19तक कुल अपहरित धनराशि ₹0 6814198-20 में से ₹0 3407099-10-- तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूरजपाल सिंह एवं ₹0-3407099-10--- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ध्राक्कलन मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आधे अधूरे और अपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल सम्पादित कार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखी कृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- इन्द्रावखी - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-140

आपति का संक्षिप्त विवरण -कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रमसंख्या	आपतिसंख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशिरू०			आपति का सारांश
				अपहरण	दुरुप योग /गंभीर अनिय मितता	योग	

1		प्रधान- सचिव-	2019-20	32976-00		32976-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
3		प्रधान- सचिव-	2019-20	62959-00		62959-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
4		प्रधान- सचिव-	2019-20	29648-00 24399-00		29648-00 24399-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
8		प्रधान- सचिव-	2019-20	144936-00		144936-00	प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
9		प्रधान- सचिव-		174200-00 169226-00 146352-00 123992-00 58000-00 98000-00		174200-00 169226-00 146352-00 123992-00 58000-00 98000-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।
1 4		प्रधान- सचिव-	2019-20	61410-00		61410-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
		प्रधान- सचिव-	2019-20	13810-00		13810-00	सोकपिट निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
		प्रधान- सचिव-	2019-20	229680-00		229680-00	टाइल्स निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
		प्रधान- सचिव-	2019-20	141133-00		141133-00	सी सी निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
योग				1510721-00		1510721-00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/ दुरूपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से, 30 प्र0 पंचायतराज नियमाली 1947 के नियम 256(1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:- क उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख- ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायतराज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये। उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैश बुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ईग्राम स्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा 30 प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन / अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां हैं-

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्ड पंप मरम्मत एवं रिबोर		32976-00
	योग-		32976-00

ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये "एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम - प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु..... 32976-00..... में से ग्राम प्रधान श्री/ श्रीमती से रु.....16488.00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री /श्रीमती से रु16488.00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

03-उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		62959-00
	योग-		62959-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति /उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु... 62959-00..... में से ग्राम प्रधान श्री/ श्रीमती से रु 31479.50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ श्रीमती से रु .. 31479.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण /मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नाली निर्माण		54047.00
	योग-		54047.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया सॉफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम -पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग

में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.. 54047.0.. में से ग्राम प्रधान श्री/ श्रीमती से रु 27023.50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ श्रीमती से रु .. 27023.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

08-उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		144936.00
	योग-		144936.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने केऔ चित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण /मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम - प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 144936.00..... में से ग्राम प्रधान श्री/ श्रीमती से रु 72468.00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ श्रीमती से रु 72468.00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

09- उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग निर्माण मद में		769770.00
	योग-		769770.00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एकही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ कर के उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की बुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम

पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति /उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. . 769770.00..... में से ग्राम प्रधान श्री/ श्रीमती से रु.....384885.00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ श्रीमती से रु. 384885.00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	20-2019			61410.00
		योग-		61410.00

सोकपिट निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	20-2019			13810.00
		योग-		13810.00

टाइल्स निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	20-2019			229680.00
		योग-		229680.00

सी सी निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	20-2019			141133.00
		योग-		141133.00

ग्राम पंचायत का नाम- इन्द्रावली के वर्ष- 2019-20 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	20-2019	1510721-00
	योग	1510721-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रु0 1510721-

00 को गबन मानते हुए उ०प्र० पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 1510721-00में से ₹0 755360.50तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूरजपाल सिंह एवं ₹0 755360.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जाफरपुर - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-141

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- जाफरपुर के वर्ष2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष /वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये है।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2018-19	4932487-00
3	योग	4932487-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 4932487-00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 4932487-00 में से ₹0 2466243-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सरोज एवं ₹0 2466243-50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह चौहान से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जाफरपुर - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-142

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- जाफरपुर के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष /वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2018-19	2195375.00
3	योग	2195375.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 2195375.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 2195375.00 में से ₹0 1097687.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सरोज एवं ₹0 1097687.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह चौहान से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणों परांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुशगावों अहिरान - वर्ष 2017-18से2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-143

1-ग्राम पंचायत का नाम- कुशगावों अहिरान के वर्ष- 2017-18से2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2017-18	2196292-00
	2018-19	1931679-00
3	योग	4127971-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय ८ के प्रस्तर ८ (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रु० ४१२७९७१-००- को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम १९४७ के नियम २५६ में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रु०-४१२७९७१-०० में से रु० २०६३९८५-५० तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुधाकुमारी एवं रु० २०६३९८५-५० तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा ४०९ के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम २१० और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली १९४७ की नियम २०४ के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .६ नियम ४२२मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम १५२ और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .६ नियम ४०७तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय ८ के खंड ७ के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड ८ क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा ४०९ के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुशगावों अहिरान - वर्ष २०१९-२०

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-१४४

१-ग्राम पंचायत का नाम- कुशगावों अहिरान के वर्ष-२०१९-२० के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
१	२०१९-२०	१५८३२८५-००
३	योग	१५८३२८५-००

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1583285.00 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0-1583285-00 में से ₹0 791642.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुधाकुमारी एवं ₹0 791642.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी हैं।

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- कुम्हार के वर्ष2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष /वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2018-19	3410489-00
3	योग	3410489-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु० 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु० 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम०एम०-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रु० 3410489-00 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रु 3410489-00

में से रु० 1705244.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजू एवं रु० 1705244.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह चौहान से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एकट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुम्हावर - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-146

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रम संख्या	आपति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशिरू०			आपतिकासारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीरअ नियमित ता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	19959-00		19959-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
2		प्रधान-सचिव-	2019-20	79898-00 88200-00		79898-00 88200-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना ।उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एकमुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	168468-00 154500-00 329500-00 171921-00		168468-00 154500-00 329500-00 171921-00	खड़न्जा निर्माण /सी.सी मरम्मत मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना ।उक्त

							मद में सामग्री एवं लेबर व्यय में कोई तालमेल नहीं है ।
4		प्रधान- सचिव-	2019-20	304757-00 49008-00 144526-00		304757-00 49008-00 144526-00	प्राथमिक विद्यालय /उच्चप्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यो पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
5		प्रधान- सचिव-	2019-20	353580-00 124102-00 27852-00 245913-00 41950-00 249500-00 44550-00 31002-00		353580-00 124102-00 27852-00 245913-00 41950-00 249500-00 44550-00 31002-00	उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
6		प्रधान- सचिव-	2019-20	47421-00 50000-00		47421-00 50000-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
योग				29892.00		29892.00	अन्य व्यय
				2756499.00		2756499.00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/ दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध मे संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों /कर्मचारियों से, उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:- क- उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख ग्राम पंचायत के सचिव ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायतराज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये।

ग उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैशबुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ईग्राम स्वराज साइट पर प्रदर्शित तोहै, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद

व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/ अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपतियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपतियां हैं-

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		19959-00
	योग-		19959-00

ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्पमरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि” यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/ उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन था नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 19959-00..... में से ग्राम प्रधान श्री/ श्रीमती से रु 9979.50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 9979.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

03-उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		168098-00
	योग-		168098-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति /उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 168098-00..... में से ग्रामतत्कालीन प्रधान से रु..... 84049-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. .. 84049-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

05- उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.			824389.00
	योग-		824389.00

प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिवका यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी। ” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/ उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. ...

824389.00..... में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती से रु. 412194.50..... और ग्राम पंचायत सचिवश्री/श्रीमती से रु. 412194.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

08-उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.			498291.00
	योग-		498291.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण /मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्तदायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ,ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/ उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है ।अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुलधनराशि रु. ... 498291.00..... में से ग्रामतत्कालीन प्रधान से रु. 249145.50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 249145.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

09- उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.			1118449.00
	योग-		1118449.00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की षुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस परइतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।इस प्रकार कियागया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8

के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायतसचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम - प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक , ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य कास्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट ,लैन्डमार्कयुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुलधनराशि रु. ... 1118449.00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. 559224.50..... और ग्राम पंचायत सचिवश्री/श्रीमती से रु. ..559224.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

09- प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्ययकीधनराशि
1.			97421.00
	योग-		97421.00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतली करण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं,उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी मेंपूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की बुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग अलग दर्शित कर कैश बुक मेंदर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है।इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 के खण्ड7 में उल्लिखित है कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिवका यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुएइस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिस में व्यय प्रमाणक ,ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट ,लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है ।अतः कुलविवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुलधनराशि रु. ... 97421.00..... में से ग्रामतत्कालीन प्रधान से रु. 48710.50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. .. 48710.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- कुम्हावर के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2019-20	2756499.00
	योग	2756499.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 2756499.00 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्द्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 2756499.00 में से ₹0 1378249.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ₹0 1378249.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह चौहान से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के

दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे। अतः नियमानुसार कार्यवाही प्रेषित है।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- लछवई - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-147

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत का नाम- लछवई के वर्ष2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष/ वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2018-19	2730225.00
3	योग	2730225.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। .

ख .लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति , कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग .शासनादेश सं 0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू० 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रू० 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड .मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम 0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च उक्त . व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने कीदशा में व्ययों को क ाल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रू०2730225.00को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रू० 2730225.00में से रू०1365112.50तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुकेश चन्द्र एवं रू० 1365112.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय चौहान से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत- लखौर - वर्ष 2017-18से2018-19

क्रम संख्या	आपति संख्या	उत्तरदायीकर्मचारी/ अधिकारीकानाम श्री/श्रीमती- योग) की धनराशि का आधाआधा- भाग निम्न से वसूली योग्य है। (	वर्ष	धनराशिरू0			आपति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग गंभीरअनि/ यमितता	योग	
1		प्रधान- सचिव-	2018-19	19700-00 19075-00 18540-00		19700-00 19075-00 18540-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
3		प्रधान- सचिव -	2018-19	64900-00		64900-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना । उक्तमद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एकमुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
4		प्रधान- सचिव -	2018-19	163759-00		163759-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
5		प्रधान- सचिव -	2018-19	26507-00		26507-00	खड़न्जा निर्माण मरम्मत/ मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना ।उक्त मद में सामग्री एवं लेबर व्यय में कोई तालमेल नहीं है।
8		प्रधान- सचिव -	2018-19	248202-00 30935-00 135770-00 134570-00 142360-00		248202-00 30935-00 135770-00 134570-00 142360-00	प्राथमिक विद्यालय उच्च/ प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यो पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
9		प्रधान- सचिव -	2018-19	157516-00 278761-00 258966-00 187817-00 46944-00 63916-00 329163-00 243595-00		157516-00 278761-00 258966-00 187817-00 46944-00 63916-00 329163-00 243595-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।

12	प्रधान-सचिव -	2018-19	44550-00		44550-00	उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
13	प्रधान-सचिव-	2018-19	61769-00		61769-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं.
	योग	2018-19	2677315-00		2677315-00	
	योग	2017-18	3428946-00		3428946-00	निम्न व्यय दर्शाये गये हैं.
	महायोग		6106261-00		6106261-00	

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- लरखौर के वर्ष 2017-18 से 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2017-18	3428946-00
2	2018-19	2677315-00
	योग	6106261-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। .

ख .लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति , कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग .शासनादेश सं 0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु० 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु० 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड .मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम०एम०-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च उक्त . व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रु० 6106261-00 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्द्वारा उक्त अपहरित धनराशि रु० 6106261-00 में से रु० 3053131.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं रु० 3053131.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्योति यादव, श्री रवि, श्री जयचन्द्र से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गाई फाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रखरखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम और पंचायत 210लेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है। मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना .

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना .एफएचबी खंड 6.नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके मापपुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम और पंचायत 152लेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड 6.नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- लरखौर - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-149

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रम संख्या	आपति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी /अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती-योग) की धनराशि का आधाआधा-भाग निम्न से वसूली योग्य है। (	वर्ष	धनराशि ₹0			आपति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग गंभीरअ/नियमित ता	योग	
1		प्रधान-सचिव -	2019-20	173300-00 209001-00 165046-00 177662-00 141928-00		173300-00 209001-00 165046-00 177662-00 141928-00	प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
2		प्रधान-सचिव-	2019-20	349867-00 382108-00		38701-00 382108-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।
3			2019-20	38701-00		38701-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं.
योग				1637613.00		1637613.00	

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1-ग्राम पंचायत का नाम- **लरखौर** के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1		1637613.00
	योग	1637613.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

क उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। .

ख .लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग .शासनादेश सं 0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड .मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम 0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च उक्त . व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1637613.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 1637613.00 में से ₹0 818806.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹0 818806.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती ज्योति यादव, श्री रावि, श्री शैलेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गाई फाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने. या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम और पंचायत 210 लेखा मैनुअल सम्पादित कार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टर रोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना .

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना . एफएचबी खंड 6.नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड 6.नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नगला बिलहाटी - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-150

1-ग्राम पंचायत का नाम- नगला बिलहाटी के वर्ष- 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2018-19	1292110-00
	योग	1292110-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1292110-00को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 1292110-00 में से ₹0 646055-00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ₹0 646055-00तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गाई फ़ाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। व्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नगला बिलहाटी - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-151

10. अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-2020 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार

क्रम संख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी /अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशि ₹0			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीर अनियमितता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	44401-00 44501-00 40000-00 35500-00 40545-00 18393-00 19294-00 40480-00		44401-00 44501-00 40000-00 35500-00 40545-00 18393-00 19294-00 40480-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	60788-00		60788-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एकमुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
5		प्रधान-सचिव-	2019-20	205325-00		205325-00	खड़न्जा निर्माण /मरम्मत मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्यय दर्शित कर धन का गबन

							करना। उक्त मद में सामग्री एवं लेबर व्यय में कोई तालमेल नहीं है।
8		प्रधान- सचिव-	2019-20	183537-00 243861-00 106313-00		183537-00 243861-00 106313-00	प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
14		प्रधान- सचिव-	2019-20	48344-00		48344-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
20		प्रधान- सचिव-	2019-20	15750-00		15750-00	ग्रीन बोर्ड पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
योग				1147032-00		1147032-00	

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां हैं-

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण / दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों /कर्मचारियों से, उ0 प्र0 पंचायत राजनियमावली1947 के नियम256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क-उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिलापंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख-ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राजअधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये।

ग-उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैश बुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ई-ग्राम स्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय , विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/ अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

01- उक्तग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		283114-00
	योग-		

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायतसचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंकस्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति /उपभोग प्रमाण पत्रसम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरण हीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.283114-00..... में सेग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 141557-00 और ग्राम पंचायत सचिवश्री/श्रीमती से रु 141557-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		60788-00
	योग-		60788-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/ कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति /उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 60788-00..... में से ग्रामतत्कालीन प्रधान से रु 30394-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 30394-00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

03- उक्तग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	खड़जा निर्माण मद में		205325-00
	योग-		205325-00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग- अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा /कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के

बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/ उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 205325-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 102662.50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. ... 102662.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

03- उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		533711-00
	योग-		533711-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण /मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक , ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/ मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति /उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 533711-00..... में से ग्राम प्रधान श्री/ श्रीमती से रु.266855-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 266855-50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

5-प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			48344-00
		योग-		48344-00

6-ग्रीन बॉर्ड पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि

01	2019-20			15750-00
		योग-		15750-00

1-ग्राम पंचायत का नाम- नगला बिलहाटी के वर्ष- 2019-20के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2019-20	1147032-00
	योग	1147032-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1147032-00को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 1147032-00 में से ₹0 573516.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ₹0 573516.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा. उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नगला सुभान - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-152

आपत्ति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत का नाम- नगला सुभान के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2018-19	4337203.00
3	योग	4337203.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 4337203.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 4337203.00 में से ₹0 2168601-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ₹0 2168601-50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सजीव कुमार से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत- निवाडी खुर्द - वर्ष 2004-05 से 2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-153

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- ग्राम पंचायत.. निवाडी खुर्द ...की वर्ष वर्ष-2004-05से2009-10.....की लेखा परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी है। जबकि 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947के नियम 40के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सम्पन्न करायी जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा न कराने के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जानी अपेक्षित हैं।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत का नाम- निवाडी खुर्द के वर्ष-2004-05से2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2004-05	कोईभी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहींरहे। प्रियासॉफ्ट में वर्ष 2004.05से 2009.10 तक आय और व्यय की फीडिंग उपलब्ध नहीं है ।
	2005-06	
	2006-07	
	2007-08	
	2008-09	
	2009-10	
	2010-11	133924.00
	2011-12	657565.00
	2012-13	275100.00
	2013-14	1018417.00
	2014-15	1759326.00
	2015-16	607248.44
	2016-17	1891100.00
	2017-18	2652085.00
	2018-19	3507645.00
3	योग	12502410-44

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

30प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 12502410-44--- को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 12502410-44--- में से वित्तीय वर्ष 2010.11से2014.15 तक कुल अपहरित धनराशि ₹03844332-00 में से ₹01922166-00---- तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹01922166-00----- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015.16से2019.20 तक कुल अपहरित धनराशि ₹0 8658078-44 में से ₹0 4329039-22- तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रिजेश कुमार एवं ₹0 4329039-22-- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों में एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा. उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणों परांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं , प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं रहे।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायत लेखा मैनुअल सम्पादित कार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टर रोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना.

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- निवाडी खुर्द - वर्ष 2019-20
विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-154

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार-

क्रम संख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/ श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशि रू०			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीर अनियमितता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	33000-00 19360-00 33000-00 33000-00 33000-00 19360-00 15106-00 19500-00 19500-00		33000-00 19360-00 33000-00 33000-00 33000-00 19360-00 15106-00 19500-00 19500-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
2		प्रधान-सचिव-	2019-20	38000-00 64606-00		38000-00 64606-00	स्ट्रीट लाईट मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अतः बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	39312-00 38000-00 40040-00 62972-00		39312-00 38000-00 40040-00 62972-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अतः बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया।
4		प्रधान-सचिव-	2019-20	59514-00 167807-00		59514-00 167807-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
5		प्रधान-सचिव-	2019-20	158118-00		158118-00	खड़न्जा निर्माण /मरम्मत मद में प्रमाणक विहीन विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में सामग्री एवं लेबर व्यय में कोई त्रुटि नहीं है।
8		प्रधान-सचिव-	2019-20	160650-00 245960-00 401040-00 25700-00		160650-00 245960-00 401040-00 25700-00	प्राथमिक विद्यालय /उच्चप्राथमिक विद्यालय में बनी गये निर्माण कार्य पर दर्शित व्यय प्रमाणक विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।

9		प्रधान- सचिव-		180000-00 41500-00 124362-00 159806-00 116182-00		180000-00 41500-00 124362-00 159806-00 116182-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन कर
14		प्रधान- सचिव-	2019-20	62916-40		62916-40	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
15		प्रधान- सचिव-	2019-20	49500-00		49500-00	फागिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
18		प्रधान- सचिव-	2019-20	35000-00		35000-00	तालाब में पानी भराई
19		प्रधान- सचिव-	2019-20	99000-00 70000-00 200000-00		99000-00 70000-00 200000-00	गौवण आश्रय स्थल कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये
		प्रधान- सचिव-	2019-20	173000-00		173000-00	पुलिया निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये
योग				3037811-40		3037811-40	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण / दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों /कर्मचारियों से, उ0प्र0 पंचायतराज नियमाली1947 के नियम 256(1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिलापंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख- ग्राम पंचायत के सचिव ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिलापंचायतराज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये ।

ग उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैश बुक एवं प्रमाणकों का विवरण ,ई ग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्य क्रम पर कई बार आडिट कार्य क्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्ययपत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैश बुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल था 30प्र0पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां हैं:-

01- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		224826-00
	योग-		224826-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु..... 224826-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 112413-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 112413-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02-उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीटलाइट मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्ट्रीटलाइट मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना		102606-0
	योग-		102606-0

स्ट्रीटलाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी स्ट्रीटलाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीटलाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत

में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायतसचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु...1026060.....में से ग्रामतत्कालीन प्रधान से रु . 51303-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 51303-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		180324-00
	योग-		180324-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रतिकूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशिरु...180324-00..... में से ग्रामतत्कालीन प्रधान से रु 90162-00..... और ग्रामपंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 90162-00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नाली निर्माण		227321-00
	योग-		227321-00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 227321-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 113660-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 113660-50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

05- उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	खड़जा निर्माण मद में		158118-00
	योग-		158118-00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियाँ से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 158118-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 79059-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 79059-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

06- उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		833350-00
	योग-		833350-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैंड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 833350-00..... में से ग्रामतत्कालीन प्रधान से रु 416675-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 416675-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

07- उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग निर्माण मद में		621850-00
	योग-		621850-00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ कर के उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की बुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम - प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का

स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायतसचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. .. 621850-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.....310925-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 310925-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

8-प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			62916-40
		योग-		62916-40

9-फागिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			49500-00
		योग-		49500-00

10-तालाब में पानी भराई

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			35000-00
		योग-		35000-00

11-गौवंश आश्रय स्थल कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			369000-00
		योग-		369000-00

12-पुलिया निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			173000-00
		योग-		173000-00

-ग्राम पंचायत का नाम- निवाडी खुर्द के वर्ष- 2019-20के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	<u>2019-20</u>	3037811-40
	योग	3037811-40

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम०एम०-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 3037811-40 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 3037811-40में से ₹0 1518905.70 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवनीश एवं ₹0 1518905.70 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्काल अनुवर्ती शासनादेशमें यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिजों की आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमें एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा. उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फ़ाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

कार्यपूति प्रमाण पत्र. उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना.

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- निवाडीकला - वर्ष 2004-05से2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-155

आपति का संक्षिप्त विवरण -कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- ग्राम पंचायत.... निवाडीकला....की वर्ष वर्ष-2004-05से2009-10....की लेखा परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी है। जबकि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947के नियम 40के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सम्पन्न करायी जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा न कराने के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जानी अपेक्षित हैं। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत का नाम- निवाडीकला के वर्ष-2004-05से2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं। उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2004-05	कोईभी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहींरहे। प्रियासॉफ्ट में वर्ष 2004.05से 2009.10 तक आय और व्यय की फीडिंग उपलब्ध नहीं है ।
	2005-06	
	2006-07	
	2007-08	
	2008-09	
	2009-10	
	2010-11	125000-00
	2011-12	793995-00
	2012-13	336909-00
	2013-14	1303164-00
	2014-15	3271615-00
	2015-16	762844-40
	2016-17	1606256-00
	2017-18	6519989-00
	2018-19	6933761-00
3	योग	21653533-40

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 21653533.40 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 21653533.40 में से वित्तीय वर्ष 2010.11से2014.15 तक कुल अपहरित धनराशि ₹0 5830683-00 में से ₹02915341-50--- तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹02915341-50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015.16से2018.19 तक कुल अपहरित धनराशि ₹015822850-40 में से ₹0 7911425-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रतना देवी एवं ₹0 7911425-00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमें एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि

के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- निवाडीकला - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-156

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रम संख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायीकर्मचारी/अधिकारीका नाम श्री/श्रीमती-(योगकीधनराशिका आधा-आधाभाग निम्नसेवसूलीयोग्यहै।)	वर्ष	धनराशि₹0			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग/गंभीरअनियमितता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	18500-00 19200-00 19600-00 18500-00 18500-00 28300-00 34956-00 28320-00 28320-00 34956-00 28320-00 28320-00 28320-00 28320-00 37456-00 18830-00 19500-00 19103-00		18500-00 19200-00 19600-00 18500-00 18500-00 28300-00 34956-00 28320-00 28320-00 34956-00 28320-00 28320-00 28320-00 28320-00 37456-00 18830-00 19500-00 19103-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
2		प्रधान-सचिव-	2019-20	110000-00		110000-00	स्ट्रीटलाईट मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	31370-00 73528-00 54600-00		31370-00 73528-00 54600-00	कूड़ादान मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी

							धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
4		प्रधान-सचिव-	2019-20	98312-00		98312-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
5		प्रधान-सचिव-	2019-20	55307-00 51532-00		55307-00 51532-00	खड़न्जा निर्माण/मरम्मत मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में सामग्री एवं लेबर व्यय में कोई तालमेल नहीं है।
6		प्रधान-सचिव-	2019-20	107647-00		107647-00	पंचायत भवन के निर्माण मद प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
7		प्रधान-सचिव-		28000-00		28000-00	वाल पेन्टिंग में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
8		प्रधान-सचिव-	2019-20	315700-00		315700-00	प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
9		प्रधान-सचिव-		59495-00 366500-00 181375-00 207319-00 236118-00		59495-00 366500-00 181375-00 207319-00 236118-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।
13		प्रधान-सचिव-	2019-20	193500-00		193500-00	फर्नीचर क्रय में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
14		प्रधान-सचिव-	2019-20	73058-00 82038-00		73058-00 82038-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
15		प्रधान-सचिव-	2019-20	48000-00		48000-00	फागिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
17		प्रधान-सचिव-	2019-20	20700-00 102378-00		20700-00 102378-00	मिट्टी भराई कार्य

		प्रधान- सचिव-	2019-20	138115-00 77306-00 41250-00		138115-00 77306-00 41250-00	पुलिया निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
				204318-00 149940-00 182636-00		204318-00 149940-00 182636-00	टाइल्स निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
				135000-00		135000-00	चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
योग				3854043-00		3854043-00	

ग्राम पंचायत की वर्ष **2019-20** की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/ दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से, 30 प्र0 पंचायत राज नियमाली 1947 के नियम 256(1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख-ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

ग उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैशबुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ई ग्राम स्वराजसाइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद

व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा 30 प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष **2019-20** के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां हैं-

01- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		429001-00
	योग-		429001-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्ट्रीटमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुलधन राशि रु.... **429001-00**..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 214500-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 214500-00..... की **ब्याज सहित** वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02- उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीटलाइट मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्ट्रीटलाइट मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना		110000-00
	योग-		110000-00

स्ट्रीटलाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी स्ट्रीटलाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीटलाईट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-”यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु110000-00.....में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु55000-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 55000-00..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

03-उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		159498-00
	योग-		159498-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- ”यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी।उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुलधनराशि रु... 159498-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 79749-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 79749-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नाली निर्माण		98312-00
	योग-		98312-00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया सॉफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 98312-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 49156-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 49156-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

05- उक्त ग्राम पंचायत में खड्जा निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	खड्जा निर्माण मद में		106839-00
	योग-		106839-00

प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड्जा मरम्मत कार्य जिसमें खड्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भिक के उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत

सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु...106839-00.....में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 53419-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 53419-50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

06- उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में		107647-00
	योग-		107647-00

प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु..107647-00.....में से ग्राम प्रधान श्री /श्रीमती.....से रु 53823-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 53823-50..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

07- उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		315700-00
	योग-		315700-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 315700-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 157850-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु.. 157850-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

08-उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग निर्माण मद में		1050807-00
	योग-		1050807-00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्णविवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि

रु1050807-00.....में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.....525403-30.....और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 525403-30..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

9-प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			155096-00
		योग-		155096-00

10-फागिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			48000-00
		योग-		48000-00

11-टाइल्स निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			536894-00
		योग-		536894-00

12-मिट्टी भराई कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			123078-00
		योग-		123078-00

13-पुलिया निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			256671-00
		योग-		256671-00

14-फर्नीचर क्रय में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			193500-00
		योग-		193500-00

15-चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			135000-00
		योग-		135000-00

16-वाल पेन्टिंग में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			28000-00
		योग-		28000-00 3

ग्राम पंचायत.... निवाडीकला.....की वर्ष **वर्ष-2019-20** की लेखा परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी है। जबकि 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947के नियम 40के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सम्पन्न करायी जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा न कराने के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- **निवाडीकला** के **वर्ष-2019-20**के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
2	2019-20	3854043-00
3	योग	3854043-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

30प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 **3854043-00**--- को गबन मानते हुए 30प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0**3854043-00**-- में से वित्तीय वर्ष 2019-20तक कुल अपहरित धनराशि ₹0**3854043-00** में से ₹0 **1927021-50**-- तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹0 **1927021-50**---- तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से **ब्याज सहित** वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने

के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी हैं।

रॉयल्टी भुगतान . शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में यह यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों में एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पेवली - वर्ष 2004-05 से 2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-157

ग्राम पंचायत- पेवली की वर्ष वर्ष-2004-05 से 2009-10 की लेखा परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी है। और ना तो ई ग्राम स्वाराज पर ही इसकी फीडिंग है। जबकि 30 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात सम्पन्न करायी जानी चाहिये। ग्राम पंचायतों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा न कराने के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत- पेवली की वर्ष वर्ष-2004-05 से 2009-10 की लेखा परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी है। और ना तो ई ग्राम स्वाराज पर ही इसकी फीडिंग है। जबकि 30 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात सम्पन्न करायी जानी चाहिये। ग्राम पंचायतों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा न कराने के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

3- ग्राम पंचायत का नाम- पेवली के वर्ष-2010-11 से 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2004-05	कोईभी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। प्रियासॉफ्ट में वर्ष 2004.05से 2009.10 तक आय और व्यय की फीडिंग उपलब्ध नहीं है ।
	2005-06	
	2006-07	
	2007-08	
	2008-09	
	2009-10	
	2010-11	अज्ञात
	2011-12	506510-00
	2012-13	497886-00
	2013-14	685742-00
	2014-15	551764-00
	2015-16	251227-00
	2016-17	457266-00
	2017-18	1051697-00
	2018-19	1887008-00
3	योग	5889100.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 5889100.00 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 5889100.00 में से वित्तीय वर्ष 2010.11से2014.15 तक कुल अपहरित धनराशि ₹0 2241902-00 में से ₹0 1120951.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹0 1120951.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015.16 से 2018.19 तक कुल अपहरित धनराशि ₹0 3647198-00 में से ₹0 1823599-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹0 1823599-00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित

पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना.

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमें एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप केखराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकेअभाव में यहजानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद केलिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव मेंपंचायत राजअनुभाग 3 के आदेश संख्या 27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश है का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी। डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा. सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/994430 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियोंमें जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानीसे संबंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में सीमित हो ।

शासनादेशसंख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कम लागत के कईहैंडपम्प कीएक ग्रुप आईडी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है परंतु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की ग्रुप आईडी विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है।स्पष्ट है बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पंचायत राजअनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैंडपम्प रिबोर की गाइडलाइन केअनुसार हैंडपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूचीऔर जल निगम कीमार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकीअनुश्रवण का कार्य जेई एम आई /आर ई डी / मंडी परिषद् / जिला पंचायत / डीएम केद्वारा नामितअधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

साथ ही कार्यकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयनसमिति के निरीक्षणएव पर्यवेक्षणकी पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही

ग्राम्य विकासअनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदुएक केअनुसार नएइंडिया मार्क 2 हैंडपम्प और एकल ग्राम पाइप पेय जल योजनाये कार्यकारी संस्थाके द्वारा अधिष्ठापितकिये जाने केबाद रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिंदु 3 केअनुसार ग्राम सभाकी खुली बैठकमें अनुमोदनापरांत परिसंपत्ति रजिस्टर में

दर्ज किया जायेगा।, लेकिन परिसंपत्तिरजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी अतः नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पेवली - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-158

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रम संख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशिरू०			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीर अनियमितता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	18456-00 34021-00 18646-00 19155-00 18700-00 19125-00 18502-00		18456-00 34021-00 18646-00 19155-00 18700-00 19125-00 18502-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	64992-00 25000-00 25000-00		64992-00 25000-00 25000-00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
4		प्रधान-सचिव-	2019-20	106617-00		106617-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
5		प्रधान-सचिव-	2019-20	153481-00 155900-00		153481-00 155900-00	खड़न्जा निर्माण /मरम्मत मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में सामग्री एवं लेबर व्यय में कोई ताल मेल नहीं है।

7		प्रधान- सचिव-		7560-00		7560-00	वाल पेन्टिंग में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
8		प्रधान- सचिव-	2019-20	197310-00 101091-00 75021-00		197310-00 101091-00 75021-00	प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
12		प्रधान- सचिव-	2019-20	2366.00		2366.00	उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
14		प्रधान- सचिव-	2019-20	71684-00		71684-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
योग				1132627-00		1132627-00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों से, 30 प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख ग्राम पंचायत के सचिव ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नही प्रस्तुत कराये गये।

ग उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैश बुक एवं प्रमाणकों का विवरण ,ई ग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है,परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं ।जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैश बुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/ अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां है-

01- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रियासाफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		146605-00
	योग-		146605-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम - पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ,ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी,ग्राम पंचायत के बैंक स्टेट मेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु... 146605-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 73302-50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु . 73302-50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (सा0 आ0 सं0)

02- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रियासाफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में	114992-00
	योग-	114992-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एकमुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 114992-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 57496-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु .. 57496-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नाली निर्माण		106617-00
	योग-		106617-00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉकबुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉकबुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार

पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 106617-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु . 53308-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु..... 53308-50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

05- उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	खड़जा निर्माण मद में		309381-00
	योग-		309381-00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-” यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. . 309381-00..... में से तत्कालीन ग्राम प्रधान से रु. 154690-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. . 154690-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

08- उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		373422-00
	योग-		373422-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-” यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. .. 373422-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.186711-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 186711-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

12- उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.			2366-00
	योग-		2366-00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-” यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	<u>2019-20</u>			71684-00
		योग-		71684-00

वाल पेन्टिंग में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			7560-00
		योग-		7560-00

1-ग्राम पंचायत का नाम- पेवली के वर्ष- 2019-20के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2019-20	1132627.00
	योग	1132627.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1132627-00 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 1132627-00 में से ₹0 566313.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री एवं ₹0 566313.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना.

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए

योजनाओं, प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

रॉयल्टी भुगतान शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्काल अनुवर्ती शासनादेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों में एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या 27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी। डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा. सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/994430 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से संबंधित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में सीमित हो।

शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कम लागत के कई हैंडपंप की एक ग्रुप आईडी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है परंतु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की ग्रुप आईडी विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैंडपंप रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई / आर ई डी / मंडी परिषद् / जिला पंचायत / डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

ग्राम्य विकास अनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु एक के अनुसार नए इंडिया मार्क 2 हैंडपंप और एकल ग्राम पाइप पेय जल योजना के कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनापरांत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन गबन की एफ. आई. आर दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पीपरीपुरधार - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-159

1-ग्राम पंचायत का नाम- पीपरीपुरधार के वर्ष- 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2018-19	1418721.00
	योग	1418721.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1418721.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 1418721.00 में से ₹0 709360.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवनीश एवं ₹0 709360.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

टेंडर और कोटेशन . वित्तीयनियमसंग्रह खंड.1 एवं शा०सं०. ए.1.864/ दस दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामाग्री क्रयकरने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन लोकनिर्माण विभाग के शिड्यूल दर पर भुगतान किये गए हैं।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे.

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और ब्याज सहित वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में

चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
ग्राम पंचायत- पिलखाना - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-160

1-ग्राम पंचायत का नाम- पिलखाना के वर्ष- 2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2018-19	3550363-00
	योग	3550363-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 3550363-00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 3550363-00 में से ₹0 1775181-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजुल एवं ₹0 1775181-50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पिलखाना - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-161

10. अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रम संख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशिरु०			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग / गंभीरअ नियमित ता	योग	
1		प्रधान- सचिव-	2019-20	19870-00 19688-00 19711-00 19800-00 18200-00 18600-00 18900-00 16000-00		19870-00 19688-00 19711-00 19800-00 18200-00 18600-00 18900-00 16000-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
4		प्रधान- सचिव-	2019-20	31850-00		31850-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।

8		प्रधान- सचिव-	2019-20	19215-00 26904-00 81060-00 21240-00 9070-00 159047-00		19215-00 26904-00 81060-00 21240-00 9070-00 159047-00	प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवंविवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
9		प्रधान- सचिव-	2019-20	26775-00 35000-00 66000-00 97225-00 80000-00 30000-00 130000-00 24943-00		26775-00 35000-00 66000-00 97225-00 80000-00 30000-00 130000-00 24943-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।
14		प्रधान- सचिव-	2019-20	65348-00 3500-00		65348-00 3500-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
15		प्रधान- सचिव-	2019-20	55283-00		55283-00	फागिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
17		प्रधान- सचिव-	2019-20	100000-00 60000-00 190233-00 127008-00		100000-00 60000-00 190233-00 127008-00	मिट्टी भराई कार्य
18		प्रधान- सचिव-	2019-20	13000-00		13000-00	तालाब मे पानी भराई
19		प्रधान- सचिव-	2019-20	137500-00 137500-00		137500-00 137500-00	चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
20		प्रधान- सचिव-	2019-20	183122-00		183122-00	M.D.M निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
योग				2061592-00		2061592-00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध मे संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से, 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क- उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

- ख- ग्राम पंचायत के सचिव, हायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नही प्रस्तुत कराये गये।
- ग- उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैशबुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ई-ग्राम स्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष 2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां है-

01- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रियासाफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		150769-00
	योग-		150769-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-” यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.150769-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 75384-50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 75384-50..... की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नाली निर्माण		31850-00
	योग-		31850-00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रियासॉफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्यकास्टीमेट, कार्यकीवित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन ,सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 31850-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु 15925-00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु 15925-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

08- उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		316536-00
	योग-		316536-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एकमुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्ट्रीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम

प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 316536-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.158268-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 158268-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

09- उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग निर्माण मद में		489943-00
	योग-		489943-00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ कर के उसी में पूर्णकर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की बुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-” यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलॉ, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्ड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 489943-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.24971-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 24971-50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			68848-00
		योग-		68848-00

चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			275000-00
		योग-		275000-00

M.D.M निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			183122-00
		योग-		

मिट्टी भराई कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			477241-00
		योग-		477241-00

तालाब में पानी भराई पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			13000-00
		योग-		13000-00

फार्मिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			55283-00
		योग-		

1-ग्राम पंचायत का नाम- पिलखाना के वर्ष- 2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2019-20	2061592.00
	योग	2061592.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 2061592.00 को गबन

मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रु0 2061592.00 में से रु0 1030796.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजुल एवं रु0 1030796.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दिनांक 2 फरवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों में एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणों परांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं , प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्यपूति प्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पीपरीपुरधार - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-162

1-ग्राम पंचायत का नाम- पीपरीपुरधार के वर्ष- 2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2018-19	1288407.00
	योग	1288407.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यदेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 1288407.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 1288407.00 में से ₹0 644203.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवनीश एवं ₹0 644203.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

टेंडर और कोटेशन . वित्तीयनियमसंग्रह खंड.1 एवं शा०सं०. ए.1.864/ दस दिनांक 23.9.2008 के अनुसार निर्माण हेतुकोई सामाग्री क्रयकरने के क्रम में कोटेशन (रु बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेंडर (रु एकलाख से अधिक)की प्रक्रियाका पालन किया जाना चाहिये जब की टेंडर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिस कारण इसबात की संभावनासे इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन लोकनिर्माण विभाग के शेड्यूल दर पर भुगतान किये गए हैं।

रॉयल्टी भुगतान .शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य में प्रयुक्त उपखनिजो पररॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने का सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसकेअनुसार दिनांक 2 फ़रवरी 2001 और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेशमें यहयह निर्देश दिए गए है कि उपखनिजकी आपूर्तिप्राप्त करतेसमय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी काभुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधारपर परिवहन किये गए है आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फॉर्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसेमामलोंजिनमे एमएम-11/फॉर्म -3सी प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्वनिर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष मेंअवश्य जमा करा ली जाए।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे.

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्ध नहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरणके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- राहतपुर - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-163

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण:2019-20

क्रम संख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशिःरु०			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीरअ नियमित ता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	151185-00		151185-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	70790-00		70790-00	कूड़ादान मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एक मुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
4		प्रधान-सचिव-	2019-20	60000-00		60000-00	नाली निर्माण मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
8		प्रधान-सचिव-	2019-20	213700-00 199000-00 157667-00		213700-00 199000-00 157667-00	प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यो पर दर्शित व्यय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
13		प्रधान-सचिव-	2019-20	24199-50		24199-50	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
14		प्रधान-सचिव-	2019-20	55283-00		55283-00	फागिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
				59500-00		59500-00	अन्य व्यय
योग				991324.50		991324.50	

ग्राम पंचायत की वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से, उ0 प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क- उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिलापंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख- ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये।

ग उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैशबुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ईग्राम स्वराजसाइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैश बुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष -2019-20 के आकड़े जो प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध है, उन पर निम्न आपत्तियां हैं-

01- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		151185-00
	योग-		151185-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-”यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की

फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 151185-00. में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. 75592-50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 75592-50..की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		70790-00
	योग-		70790-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूलीग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. . 70790-00. में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.. 35395-00.. और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 35395-00... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नाली निर्माण		60000-00
	योग-		

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टोकबुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टोकबुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- “ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-”यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम - प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 60000-00... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. 30000-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 30000-00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

08- उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्ययदर्शित कर धन का गबन ।		570367-00
	योग-		

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एकमुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि ” यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। ” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन ,सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 570367-00... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. 285183-50.... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 285183-50.. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि

01	2019-20			24199-50

फागिंग मशीन पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2019-20			55283-00

1-ग्राम पंचायत का नाम- राहतपुर के वर्ष-2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2019-20	991324.50
	योग	991324.50

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 991324.50 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 991324.50 में से ₹0 495662.25 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतेन्द्र सिंह एवं ₹0 495662.25 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेन्द्र वीर सिंह से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने

के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फ़ाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- राहतपुर - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-164

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2018-19

क्रम संख्या	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशि रू०			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीर अनियमितता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2018-19	70700-00		70700-00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
3		प्रधान-सचिव-	2018-19	78000-00 20150-00		78000-00 20150-00	कूड़ादान मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना। उक्त मद में अत्यधिक बड़ी धनराशि का एकमुश्त भुगतान दर्शाया गया है।
9		प्रधान-सचिव-	2018-19	157934-00 173000-00 234630-00 237326-00		157934-00 173000-00 234630-00 237326-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।

12		प्रधान- सचिव-	2018-19	98000-00 44550-00		98000-00 44550-00	उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
		प्रधान- सचिव-	2018-19	60000-00		60000-00	फर्नीचर क्रय में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।
13		प्रधान- सचिव-	2018-19	59104-00		59104-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
14		प्रधान- सचिव-	2018-19	42000-00		42000-00	अन्य व्यय
योग				1275394.00		1275394.00	

ग्राम पंचायत की वर्ष-2018-19से2019-20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरण नुसार अपहरण/ दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से, 30 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क-उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिलापंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख-ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिलापंचायतराज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बार-बार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये।

ग

उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैशबुक एवं प्रमाणकों का विवरण, ई ग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर

प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीनजारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्ष -2018-19से2019-20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध हैं, उन पर निम्न आपत्तियां हैं-

01- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		70700-00
	योग-		70700-00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 70700-00 में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. 35350-00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 35350-00..की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02- फर्नीचर क्रय में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना -

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	फर्नीचर क्रय में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना		60000-00
	योग-		60000-00

फर्नीचर क्रय में एकमुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी फर्नीचर क्रय की गयी है, एवं प्रति फर्नीचर व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध

हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 60000-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. .. 30000-00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. . 30000-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

02- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में		98150-00
	योग-		98150-00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रतिकूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षणदल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. . 98150-00. में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.. 49075-00. और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 49075-00.. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

09- उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।		802890-00
	योग-		802890-00

प्रियासॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्णकर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्णविवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 802890-00 ... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु. 401445-00.... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 401445-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

12- उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना।		142550-00
	योग-		142550-00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 142550-00.... में से ग्राम प्रधान श्री /श्रीमती से रु. 71275-00... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 71275-00..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0)

प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वां वित्त	धनराशि
01	2018-19 से 2019-20			59104-00

1-ग्राम पंचायत का नाम- राहतपुर के वर्ष-2018-19 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2018-19	1275394.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों रु0 1275394.00 को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि रु0 1275394.00 में से रु0 637697.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतेन्द्र सिंह एवं रु0 637697.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेन्द्र वीर सिंह से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित

पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- उरेंग - वर्ष 2018-19

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-165

1-ग्राम पंचायत का नाम- उरेंग के वर्ष- 2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2018-19	4086961.00
	योग	4086961.00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0

4086961.00को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 4086961.00 में से ₹0 2043480.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका देवी एवं ₹0 2043480.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीन कुमार से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना.

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- उरेंग - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- महेवा

प्रस्तर-166

1-ग्राम पंचायत का नाम- उरेंग के वर्ष- 2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष / वर्षों में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2018-19	2953842-00
	योग	2953842-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम०एम०-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 2953842-00 को गबन मानते हुए उ०प्र० पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 2953842-00 में से ₹0 1476921-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका देवी एवं ₹0 1476921-00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीन कुमार से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे.

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना.

कार्यपूति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ ,प्राक्कलन, मानचित्र के अनुसार किया गया है; के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूतिप्रमाणपत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरूप में प्रस्तुत रहे और उन पर कतिपय सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहींरहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- वियारी भटपुरा - वर्ष 2010-11 से 2018-19

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-167

आपति का संक्षिप्त विवरण -वर्ष-2010-11से2018-19 से कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- ग्राम पंचायत का नाम- वियारी भटपुरा के वर्ष-2010-11से2018-19के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरणके अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1	2010-11	84466-00
2	2011-12	172785-00
3	2012-13	352555-00
4	2013-14	605275-00
5	2014-15	867623-00
6	2015-16	545288-82
7	2016-17	90931-00
8	2017-18	579959-00
9	2018-19	1979184-00
	योग	5278066-82

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपतियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम०एम०-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 5278066-82 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 5278066-82 में से ₹0 2639033-42 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹0 2639033-42 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा. उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फ़ाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- वियारी भटपुरा - वर्ष 2019-20

विकास क्षेत्र- सैफई

प्रस्तर-168

आपति का संक्षिप्त विवरण-कैश बुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य की इस्टिमेट, परिमाण पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पति रजिस्टर ,ई.एम.एम.11 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

10.अधिभार का संक्षिप्त विवरण: 2019-20

क्रम संख्या	आपति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती- (योग की धनराशि का आधा-आधा भाग निम्न से वसूली योग्य है।)	वर्ष	धनराशि रू0			आपति का सारांश
				अपहरण	दुरुपयोग /गंभीरअ नियमित ता	योग	
1		प्रधान-सचिव-	2019-20	240958-00 95399-00		240958-00 95399-00	प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर दर्शित व्यय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना
2		प्रधान-सचिव-	2019-20	16392-00 212190-00 149973-00 187178-00		16392-00 212190-00 149973-00 187178-00	इंटरलाकिंग एवं नाली मद में प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन करना है।
3		प्रधान-सचिव-	2019-20	139049-00		139049-00	प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-
4		प्रधान-सचिव-	2019-20	134400-00		134400-00	चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-
5		प्रधान-सचिव-	2019-20	302546-00 116984-00 213303-00 70710-00 180235-00 68225-00 47115-00 73482-00 116049-00		302546-00 116984-00 213303-00 70710-00 180235-00 68225-00 47115-00 73482-00 116049-00	सी सी निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

			79636-00 61239-00		79636-00 61239-00	
योग			2505063-00		2505063-00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019.20 की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बंध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों धर्मवचारियों से उ0प्र0पंचायतराजनियमावली1947 के नियम 256;1 ध् के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है: क उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायतराज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है। ख ग्राम पंचायत के सचिव ए सहायक विकासअधिकारी;पंचायत ध् एवं जिलापंचायतराज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत से बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षों के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नहीं प्रस्तुत कराये गये। ग उपरोक्त वर्षों से संबंधित कैशबुक एवं प्रमाणकों का विवरण ए ई ग्रामस्वराजसाइट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैश बुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उक्त वर्ष में किये गये व्यय एवं विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम में उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन ध्अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है। वर्ष 2019.20 के आकड़े जो प्रियासाफ्ट पर उपलब्ध है ए उन पर निम्न आपत्तियां हैं. 01.उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर प्रियासॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:.

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर		336357-00
	योग-		336357-00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण धर्मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय एवं प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है ए प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-श्याम. प्रधान तथा ग्राम.पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये श् एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि .श्यादि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम. प्रधान तथा ग्राम.पंचायतसचिव से की जायेगी। श् व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ए ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना एवं कार्य का स्टीमेट एवं कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा धकोटेशन एवं सामग्री क्रय बिलों डिलीवरी चालान धमजदूरी भुगतान मस्टररोलों एवं माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी एवं ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट एवं लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो एवं कार्य पूर्ति धउपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है एवं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी ।उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 336357.0 में से ग्राम प्रधान श्रीमती से रु 168178.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती से रु 168178.50 की ब्याज सहितवसूली किया जाना अपेक्षित है। ;सा0 आ0 सं0 प्द्ध

02.उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण मद में एवं प्रिया सॉफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंटरलाकिंग निर्माण मद में		565733-00
	योग-		565733-00

प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की पुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इंटरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम- प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा ग्राम- पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी।उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 565733-00..... में से ग्राम तत्कालीन प्रधान से रु.282866-50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती से रु. 282866-50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

3-प्रशासनिक व्यय निम्न दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वा वित्त	धनराशि
01	2019-20			139049-00
		योग-		139049-00

4-चिल्ड्रेन पार्क पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वा वित्त	धनराशि
01	2019-20			134400-00
		योग-		134400-00

5-सी सी निर्माण कार्य पर निम्न व्यय दर्शाये गये हैं-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	14वा वित्त	धनराशि
01	2019-20			1329524-00
		योग-		1329524-00

1-ग्राम पंचायत का नाम- वियारी भटपुरा के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त वर्ष में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया सॉफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं०	वर्ष	प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय
1		2505063-00
	योग	2505063-00

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं०- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और ₹0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रॉयल्टी भुगतान की पुष्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ०प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा। तथा दर्शित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूंकि उक्त व्ययों की पुष्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परि माप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्शित व्ययों ₹0 2505063-00 को गबन मानते हुए उ०प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्वारा उक्त अपहरित धनराशि ₹0 2505063-00 में से ₹0 1252531.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ₹0 1252531.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली मय ब्याज की अपेक्षा की जाती है साथ ही भारतीय दण्डसंहिता की धारा 409 के तहत उक्त आरोपितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यालय में गार्ड फाइल में रखे जाएंगे लेकिन लेखा परीक्षा के

दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

ग्राम पंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैनुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. एफएचबी खंड .6 नियम 422 मापन हेतु माप पुस्तिका के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिका निर्गमन पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका बनाए जाने के निर्देश हैं लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। एफएचबी खंड .6 नियम 407 तैयार किये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण . पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए, के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है और वसूली के साथ साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप - 4

जनपद-फर्रुखाबाद

विकास खण्ड-कायमगंज

मण्डल-कानपुर

ग्राम पंचायत - अल्लाहपुर

प्रस्तर-1- ग्राम पंचायत: अल्लाहपुर के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेकों प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अल्लाहपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
584098.90	815034.00	1399132.90	274550.98	1124581.92

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-274550.98 का 50 % ₹0-137275.49 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-137275.49 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2- ग्राम पंचायत: अल्लाहपुर-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेकों प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अल्लाहपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष

1124581.92	1079168.08	2203750.00	179543.00	2024207.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-179543.00 का 50 % ₹0-89771.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 % ₹0-89771.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3- ग्राम पंचायत: अल्लाहपुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अल्लाहपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2024207.00	1634819.00	3659026.00	840634.00	2818392.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-840634.00 का 50 % ₹0-420317.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-420317.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4- ग्राम पंचायत: अल्लाहपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अल्लाहपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2818392.00	2172684.00	4991076.00	3708475.00	1282601.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3708475.00 का 50 % ₹0-1854237.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1854237.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1421591.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की दिनांकमूल प्रति(बिल,मस्टरोल,ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली व अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित कार्य योजना /, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख/ ,स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली ,सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलि, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ , सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से

उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1421591.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹710795.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा वर्मा से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹710795.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम विकास/ अधिकारी श्री रवींद्र से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अताईपुर जदीद

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत: अताईपुर जदीद के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर जदीद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
461442.75	2158538.25	2619981.00	1558863.70	1061117.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1558863.70 का 50 % ₹0-779431.85 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-779431.85 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 7 ग्राम पंचायत: अताईपुर जदीद-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर जदीद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1061117.30	2960504.00	4021621.30	1869877.00	2151744.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1869877.00 का 50 % ₹0-934938.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-934938.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत: अताईपुर जदीद के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर जदीद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2151744.30	3661316.00	5813060.30	587534.00	5225526.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-587534.00 का 50 % ₹0-293767.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-293767.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत: अताईपुर जदीद के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर जदीद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
5225526.30	6657102.00	11882628.30	10840329.00	1042299.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-10840329.00 का 50 % ₹0-5420164.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-5420164.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 4937248.10 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजीका, परिसंपत्ति पंजीका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹4937248.10 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹2468624.05 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आबिद हुसैन से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹2468624.05 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अताईपुर कोहना

प्रस्तर-11-ग्राम पंचायत:-अताईपुर कोहना के वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर कोहना की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष

147018.60	1229413.00	1376431.60	801730.68	574700.92

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-801730.68 का 50 % ₹0-400865.34 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-400865.34 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12-ग्राम पंचायत:अताईपुर कोहना- के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर कोहना की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
574700.92	1296873.08	1871574.00	1361646.00	509928.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1361646.00 का 50 % ₹0-680823.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-680823.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13- ग्राम पंचायत: अताईपुर कोहना के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर कोहना की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
509928.00	2707140.00	3217068.00	1103994.00	2113074.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1103994.00 का 50 % ₹0-551997.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-551997.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14- ग्राम पंचायत:-अताईपुर कोहना के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अताईपुर कोहना की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2113074.00	2493174.00	4606248.00	3065015.00	1541233.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3065015.00 का 50 % ₹0-1532507.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1532507.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 2003103.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2003103.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1001551.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अदील खान से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1001551.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम विकास/ अधिकारी श्री अशोक तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -चिलौली

प्रस्तर-16- ग्राम पंचायत: चिलौली के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत चिलौली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
203538.75	4045722.00	4249260.75	2250836.98	1998423.77

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2250836.98 का 50 % ₹0-1125418.49 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1125418.49 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17- ग्राम पंचायत: चिलौली-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत चिलौली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष

1998423.77	5117148.00	7115571.77	2178262.00	4937309.77

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2178262.00 का 50 % ₹0-1089131.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1089131.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत: चिलौली के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत चिलौली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
4937309.77	5428675.00	10365984.77	6249455.00	4116529.77

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-6249455.00 का 50 % ₹0-3124727.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-3124727.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत: चिलौली के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत चिलौली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
4116529.77	14198803.00	18315332.77	9731165.00	8584167.77

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-9731165.00 का 50 % ₹0-486558.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-486558.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 8289374.76 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल , ट्रांसफर विवरण मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलि, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय

फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवर्न मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹8289374.76 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹4144687.38 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती शांती देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹4144687.38 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम विकास/ अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हंसापुर गौराई

प्रस्तर-21- ग्राम पंचायत: हंसापुर-गौराई के वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत हंसापुर गौराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
30446.90	1879429.00	1909875.90	1185949.88	723926.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवर्न मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1185949.88 का 50 % ₹0-592974.94 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-592974.94 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22- ग्राम पंचायत: हंसापुर-गौराई के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत हंसापुर गौराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
723926.02	1197942.00	1921868.02	1202780.00	719088.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवर्न मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1202780.00 का 50 % ₹0-601390.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-601390.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23- ग्राम पंचायत: हंसापुर-गौराई के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत हंसापुर गौराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
719088.02	1878967.00	2598055.02	1486032.00	1112023.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1486032.00 का 50 % ₹0-743016.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-743016.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24- ग्राम पंचायत: हंसापुर-गौराई के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत हंसापुर गौराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1112023.02	2379752.00	3491775.02	2146003.00	1345772.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2146003.00 का 50 % ₹0-1073001.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1073001.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 2240730.08 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2240730.08 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1120365.04 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजय सिंह से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1120365.04 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दीपपुर नगरिया

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1062400.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1062400.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹531200.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती मीरा यादव से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹531200.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम/विकास अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - होतेपुर

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1819195.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1819195.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹909597.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानदिनेश चंद्र वर्मा से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹909597.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम विकास/अधिकारी श्री रवींद्र से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कटिया

प्रस्तर-28 -ग्राम पंचायत कटिया द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 5310571.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹5310571.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹2655285.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती शमा बेगम से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹2655285.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मझोला

प्रस्तर-29 -ग्राम पंचायत:ग्राम पंचायत - मझोला के वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मझौला की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
178937.30	1598751.00	1777688.30	933400.38	844287.92

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-933400.38 का 50 % ₹0-466700.19 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-466700.19 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत:ग्राम पंचायत - मझोला के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मझौला की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
844287.92	4538451.00	5382738.92	227685.00	5155053.92

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-227685.00 का 50 % ₹0-113842.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-113842.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत:ग्राम पंचायत - मझोला के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मझौला की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
5155053.92	2985124.00	8140177.92	2705834.00	5434343.92

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2705834.00 का 50 % ₹0-1352917.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1352917.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत - मझौला के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मझौला की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
5434343.92	25626511.00	11060854.92	7065519.00	3995335.92

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-7065519.00 का 50 % ₹0-3532759.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-3532759.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रूप, 3164400.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹3164400.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1582200.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1582200.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री रवींद्र से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मऊ रसीदाबाद

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत: मऊ रसीदाबाद के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मऊ रसीदाबाद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष

206740.75	2290150.00	2496890.75	1253306.45	1243584.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1253306.45 का 50 % ₹0-626653.23 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-626653.22 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत: मऊ रसीदाबाद-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मऊ रसीदाबाद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1243584.30	3222060.70	44625645.00	347390.00	4118255.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-347390.00 का 50 % ₹0-173695.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-173695.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत: मऊ रसीदाबाद के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मऊ रसीदाबाद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
4118255.00	2328112.00	6446367.00	2350693.00	40925674.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2350693.00 का 50 % ₹0-1175346.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1175346.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत: मऊ रसीदाबाद के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मऊ रसीदाबाद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
40925674.00	82567636.00	12663310.00	12058965.00	604345.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-12058965.00 का 50 % ₹0-6029482.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-6029482.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 4085259.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹4085259.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹2042629.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹2042629.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुंडौल

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1331579.80 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1331579.80 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹665789.90 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार दुबे से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹665789.90 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नरैनामऊ

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत: नरैनामऊ-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नरैनामऊ की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्टवेयर ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1801213.74	3258386.00	5059599.74	1728268.0	3331331.74

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1728268.00 का 50 % ₹0-864134.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-864134.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत:नरैनामऊ के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नरैनामऊ की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
3331331.74	2859865.00	6191196.74	4179550.00	2011646.74

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-4179550.00 का 50 % ₹0-2089775.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-2089775.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत:-नरैनामऊ के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नरैनामऊ की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2011646.74	6342089.00	8353735.74	4997621.00	33256114.74

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-4997621.00 का 50 % ₹0-2498810.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-2498810.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 5904433.20 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित

धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹5904433.20 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹2952216.60 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती नीलम से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹2952216.60 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पचरौली महादेवपुर

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत: पचरौली महादेवपुर के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पचरौली महादेवपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
243716.00	1365576.00	1609292.00	701894.00	907398.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-701894.00 का 50 % ₹0-350947.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-350947.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत: पचरौली महादेवपुर-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पचरौली महादेवपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
907398.00	1937651.00	2845049.00	424577.00	2420472.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-424577.00 का 50 % ₹0-212288.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-212288.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत: पचरौली महादेवपुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पचरौली महादेवपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2420472.00	3395296.00	5815768.00	34731256.00	2342612.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-34731256.00 का 50 % ₹0-1736578.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1736578.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत: पचरौली महादेवपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पचरौली महादेवपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2342612.00	3702307.00	6044919.00	3510843.00	2534076.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3510843.00 का 50 % ₹0-1755421.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1755421.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रूप, 2711549.40 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2711549.40 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1355774.70 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र सिंह से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1355774.70 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रूटौल

प्रस्तर-49 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रूप, 2769996.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर

आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2769996.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1384998.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विद्याराम से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1384998.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवरई वरियार

प्रस्तर-50 -ग्राम पंचायत:-शिवरई वरियार के वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत शिवरई वरियार। की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
107252.15	577850.00	685102.15	240774.20	444327.95

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-240774.20 का 50 % ₹0-120387.10 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-120387.10 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत:-शिवरई वरियार के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत शिवरई वरियार। की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
444327.95	857271.00	1301598.95	220595.00	1081003.95

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-220595.00 का 50 % ₹0-110297.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-110297.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 -ग्राम पंचायत:-शिवरई वरियार के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत शिवरई वरियार। की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1081003.95	1033521.00	2114524.95	16925256.00	421968.95

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-16925256.00 का 50 % ₹0-846278.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-846278.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत-शिवरई वरियार के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत शिवरई वरियार की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
421968.95	1638004.00	2059972.95	1384473.00	675499.95

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1384473.00 का 50 % ₹0-692236.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-692236.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रूप, 1921319.68 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1921319.68 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹960659.84 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संदीप से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹960659.84 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम/ विकास अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नीवलपुर

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत: नीवलपुर-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नीवलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
158260.00	733871.00	892131.00	286420.00	605711.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-286420.00 का 50 % ₹0-143210.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-143210.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत: नीवलपुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नीवलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
605711.00	1620078.00	2225789.00	1238052.00	987737.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1238052.00 का 50 % ₹0-619026.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-619026.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत: नीवलपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नीवलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
987737.00	1916507.00	2904244.00	1959398.00	944846.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1959398.00 का 50 % ₹0-979699.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-979699.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रूप, 1138863.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर

आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1138863.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹2569431.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुखरानी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹2569431.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नारायनपुर

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत: नारायनपुर के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नारायनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
0.00	107350.00	107350.00	89200.00	18150.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-89200.00 का 50 % ₹0-44600.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-44600.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत: नारायनपुर-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नारायनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
18150.00	611029.00	629179.00	230090.00	399089.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-230090.00 का 50 % ₹0-115045.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-115045.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत: नारायनपुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नारायनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
399089.00	600145.00	999234.00	552742.00	446492.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-552742.00 का 50 % ₹0-276371.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-276371.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत: नारायनपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नारायनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
446492.00	1026875.00	1473367.00	1457632.00	15735.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1457632.00 का 50 % ₹0-728816.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-728816.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 935005.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹935005.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹467502.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चिट्नीस खानसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹467502.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री जयवीर से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लालपुर पट्टी

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत: लालपुर पट्टी के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
0.0	180255.00	180255.00	155320.00	24935.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-155320.00 का 50 % ₹0-77660.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-77660.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 -ग्राम पंचायत: लालपुर पट्टी-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
24935.00	816845.00	841780.00	601174.00	240606.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-601174.00 का 50 % ₹0-300587.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-300587.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 -ग्राम पंचायत: लालपुर पट्टी के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
240606.00	1049494.00	1290100.00	788786.00	501314.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-788786.00 का 50 % ₹0-394393.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-394393.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत: लालपुर पट्टी के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
501314.00	1539609.00	2040923.00	1493970.00	546953.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1493970.00 का 50 % ₹0-746985.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-746985.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1658640.20 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1658640.20 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹829320.10 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका राय से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹829320.10 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम/विकास अधिकारी श्री कपिल देव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पहाड़पुर

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत: पहाड़पुर के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पहाड़पुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
114730.30	630361.00	745091.30	384835.00	360256.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की

जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-384835.00 का 50 % ₹0-192417.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-192417.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 -ग्राम पंचायत: पहाड़पुर-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पहाड़पुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
360256.30	566154.70	926411.00	695692.00	230719.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-695692.00 का 50 % ₹0-347846.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-347846.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 -ग्राम पंचायत: पहाड़पुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पहाड़पुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
230719.00	728066.00	958785.00	857724.00	101061.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-857724.00 का 50 % ₹0-428862.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-428862.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत: पहाड़पुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पहाड़पुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
101061.00	1153984.00	1255045.00	1001846.00	253199.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।"

जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1001846.00 का 50 % ₹0-500923.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-500923.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 655812.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये," के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि "यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹655812.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹327906.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹327906.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री जयवीर से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लखनपुर

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1486996.04 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति ;बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजनाअनुमोदित कार्य योजना/, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये," के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि "यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1486996.04 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹743498.02 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमारसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹743498.02 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिलदेव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मीरपुर कमरूददीननगर

प्रस्तर-75-ग्राम पंचायत: मीरपुर कमरूददीनपुर के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मीरपुर कमरूददीनपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
0.0	132968.00	132968.00	229.00	132739.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में

पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-229.00 का 50 % ₹0-114.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-114.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत: मीरपुर-कमरूद्दीनपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मीरपुर कमरूद्दीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
132739.00	874012.00	1006751.00	565189.00	441562.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-565189.00 का 50 % ₹0-282594.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-282594.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत: मीरपुर कमरूद्दीनपुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मीरपुर कमरूद्दीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
441562.00	775662.00	1217224.00	753893.00	463331.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-753893.00 का 50 % ₹0-376946.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-376946.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत: मीरपुर कमरूद्दीनपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मीरपुर कमरूद्दीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
463331.00	1135726.00	1599057.00	1089808.00	509249.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज

विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1089808.00 का 50 % ₹0-544904.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-544904.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 986759.16 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना/, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹986759.16 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹493379.58 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपू से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹493379.58 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड-शम्साबाद

ग्राम पंचायत - किसरौली

प्रस्तर-80 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1515246.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1515246.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹757623.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजराज सिंह से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹757623.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फरीदपुर सैदवाड़ा

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1147619.80 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास

योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजीका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त, आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1147619.80 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹573809.90 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुखदेवसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹573809.90 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दलेलगंज

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत: दलेलगंज के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत दलेलगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
216015.84	864140.00	1080155.84	493864.00	586291.84

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-493864.00 का 50 % ₹0-246932.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-246932.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत: दलेलगंज-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत दलेलगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
586291.84	1013411.16	1599703.00	641221.00	958482.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-641221.00 का 50 % ₹0-320610.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-320610.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत: दलेलगंज के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत दलेलगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
958482.00	1304934.00	2263416.00	442397.00	1821019.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-442397.00 का 50 % ₹0-221198.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-221198.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत: दलेलगंज के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत दलेलगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1821019.00	2532118.00	4353137.00	3572749.00	780388.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3572749.00 का 50 % ₹0-1786374.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1786374.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 86-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1304641.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1304641.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹652320.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुजसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹652320.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेंद्र शर्मा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भिड़ौर

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1229636.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1229636.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹614818.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹614818.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री रामवीर से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बछलैया

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत: बछलैया के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बछलैया की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
197926.00	701748.00	899674.00	412430.00	487244.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-412430.00 का 50 % ₹0-206215.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-206215.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 -ग्राम पंचायत: बछलैया-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बछलैया की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
487244.00	608520.00	1095764.00	576061.00	519703.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की

जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-576061.00 का 50 % ₹0-288030.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-288030.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 90-ग्राम पंचायत: बछलैया के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बछलैया की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
519703.00	1054027.00	1573730.00	898593.00	675137.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-898593.00 का 50 % ₹0-449296.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-449296.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत: बछलैया के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बछलैया की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
675137.00	682611.00	1357748.00	1109213.00	248535.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1109213.00 का 50 % ₹0-554606.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-554606.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 92-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1172446.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये," के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1172446.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹586223.00

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चंद्र प्रकाशसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹586223.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानचंद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - समसपुर भिखारी

प्रस्तर-93 -ग्राम पंचायत: समसपुर भिखारी के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत समसपुर भिखारी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
880758.00	728496.00	1609254.00	1073637.00	535617.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1073637.00 का 50 % ₹0-536818.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 % ₹0-536818.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 -ग्राम पंचायत: समसपुर भिखारी-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत समसपुर भिखारी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
535617.00	796403.00	1332020.00	821426.00	510594.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-821426.00 का 50 % ₹0-410713.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-410713.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत: समसपुर भिखारी के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत समसपुर भिखारी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
510594.00	979075.00	1489669.00	960582.00	529087.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की

जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-960582.00 का 50 % ₹0-480291.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-480291.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत: समसपुर भिखारी के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत समसपुर भिखारी की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
529087.00	1679729.00	2208816.00	1713544.00	495272.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1713544.00 का 50 % ₹0-856772.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-856772.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1076254.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये," के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1076254.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹538127.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश चतुर्वेदीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹538127.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानचंद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - संतोषपुर

प्रस्तर-98 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 506598.80 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये," के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि

को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹506598.80 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹253299.40 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गिरजादेवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹253299.40 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम विकास/ अधिकारी श्री रामवीर से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगला दमू

प्रस्तर-99 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1424716.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1424716.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹712358.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजीवसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹712358.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री जुबेर अहमदसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ललौर राजपूताना

प्रस्तर-100 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1856259.50 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1856259.50 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹928129.75 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमारसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹928129.75 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ग्राम विकास/ अधिकारी श्री जुबेर अहमद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लहरारजा कूलीपुर

प्रस्तर-101 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1407820.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत

प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1407820.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹703910.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹703910.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुड़िया संत

प्रस्तर-102 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 594887.90 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹594887.90 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹297443.95 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹297443.95 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुड़ियाखेडा

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत:-कुड़ियाखेडा के वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कुड़ियाखेरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
106860.00	618902.00	725762.00	288552.00	437210.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-288552.00 का 50 % ₹0-144276.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-144276.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत: कुंड्याखेरा-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कुंड्याखेरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
437210.00	823601.00	1260811.00	92224.00	1168587.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-92224.00 का 50 % ₹0-46112.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-46112.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत: कुंड्याखेरा के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कुंड्याखेरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1168587.00	1007071.00	2175658.00	851597.00	1324061.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-851597.00 का 50 % ₹0-425798.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-425798.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 -ग्राम पंचायत: कुंड्याखेरा के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कुंड्याखेरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1324061.00	2548459.00	3872520.00	1075852.00	2796668.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1075852.00 का 50 % ₹0-537926.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-537926.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 107-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1634696.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास

योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1634696.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹817348.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सावन कुमारसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹817348.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानचंद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कलुआपुर सानी

प्रस्तर-108 -ग्राम पंचायत: कलुआपुर सानी-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कलुआपुर सानी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
386738.00	860388.00	1247126.00	1052605.00	194521.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1052605.00 का 50 % ₹0-526302.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-526302.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत: कलुआपुर सानी के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कलुआपुर सानी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
194521.00	1137736.00	1332257.00	793960.00	538297.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-793960.00 का 50 % ₹0-396980.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-396980.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत: कलुआपुर सानी के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कलुआपुर सानी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
538297.00	1931228.00	2469525.00	1869529.00	599996.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1869529.00 का 50 % ₹0-934764.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-934764.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 111-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1661758.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1661758.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹830879.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रदीपसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹830879.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानचंद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - घुमैया रसूलपुर

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 2148899.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2148899.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1074449.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय कुमारसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1074449.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पसियापुर

प्रस्तर-113 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 2295618.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2295618.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1147809.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुंजा देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1147809.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मिल्क सुल्तान

प्रस्तर-114 ग्राम पंचायत: मिल्क सुल्तान-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मिल्क सुल्तान की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
93618.00	556942.00	650560.00	525412.00	125148.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-525412.00 का 50 % ₹0-262706.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-262706.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115 -ग्राम पंचायत: मिल्क सुल्तान के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मिल्क सुल्तान की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
125148.00	766862.00	892010.00	843435.00	48575.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय

की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-843435.00 का 50 % ₹0-421717.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-421717.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत: मिल्क सुल्तान के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मिल्क सुल्तान की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
48575.00	1342853.00	1391428.00	1252246.00	139182.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1252246.00 का 50 % ₹0-626123.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-626123.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 825320.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹825320.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹412660.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती रामवतीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹412660.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री रामवीर से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लोहापानी

प्रस्तर-118 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1108412.80 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8

के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1108412.80 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹554206.40 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमारसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹554206.40 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री रामवीर से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुइयाधीर

प्रस्तर-119 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 2788799.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2788799.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1394399.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधांशु गंगवारसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1394399.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रपेंद्रशर्मा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खुडनावैध

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत: खुडना वैद के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत खुडना वैद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
148635.00	650139.00	798774.00	373300.00	425474.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-373300.00 का 50 % ₹0-186650.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-186650.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत: खुडना वैद-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत खुडना वैद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
425474.00	915050.00	1340524.00	1024842.00	315682.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1024842.00 का 50 % ₹0-512421.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-512421.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-122 ग्राम पंचायत: खुडना वैद के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत खुडना वैद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
315682.00	1172342.00	1488024.00	934458.00	553566.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-934458.00 का 50 % ₹0-467229.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-467229.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत: खुडना वैद के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत खुडना वैद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
553566.00	1768787.00	2322353.00	1948894.00	373459.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1948894.00 का 50 % ₹0-974447.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-974447.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रूप, 1391976.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1391976.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹695988.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹695988.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री नृपेन्द्र शर्मा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करनपुर गंगतारा

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत: करनपुर गंगतारा के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत करनपुर गंगतारा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
181982.00	523820.00	705802.00	462173.00	243629.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-462173.00 का 50 % ₹0-231086.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-231086.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत: करनपुर गंगतारा के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत करनपुर गंगतारा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
243629.00	928419.00	1172048.00	756290.00	415758.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-756290.00 का 50 % ₹0-378145.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-378145.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 688557.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित

व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹688557.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹344278.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती हाजरा बेगमसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹344278.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बकसुरी

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रूप, 1553012.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1553012.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹776506.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री कमलेश यादवसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹776506.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहित यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अदुपुर देहमाफी

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत: अदुपुर देहमाफी-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अदुपुर देहमाफी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
555503.00	605662.00	1161165.00	412216.00	748949.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-412216.00 का 50 % ₹0-206108.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-206108.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-130 -ग्राम पंचायत: अदुपुर देहमाफी के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अदुपुर देहमाफी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
748949.00	896801.00	1645750.00	423965.00	1221785.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-423965.00 का 50 % ₹0-211982.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-211982.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत: अदुपुर देहमाफी के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अदुपुर देहमाफी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1221785.00	1057942.00	2279727.00	1483237.00	796490.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1483237.00 का 50 % ₹0-741618.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-741618.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 892103.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹892103.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹446051.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजू यादवसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹446051.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रसीदपुर तराई

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत: रसीदपुर तराई के वर्ष-2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत रसीदपुर तराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2015-16 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
141895.00	702794.00	844689.00	391634.00	453055.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-391634.00 का 50 % ₹0-195817.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-195817.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-134 ग्राम पंचायत: रसीदपुर तराई-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत रसीदपुर तराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
453055.00	1005284.00	1458339.00	54400.00	1403939.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-54400.00 का 50 % ₹0-27200.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-27200.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत: रसीदपुर तराई के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत रसीदपुर तराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1403939.00	1124422.00	2528361.00	262982.00	2265379.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-262982.00 का 50 % ₹0-131491.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-131491.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत: रसीदपुर तराई के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत रसीदपुर तराई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष

2265379.00	1793914.00	4059293.00	182964.00	3876329.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-182964.00 का 50 % ₹0-91482.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-91482.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 2960083.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2960083.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1480041.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामा यादवसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1480041.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री राजीवगौतम से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड- राजेपुर

ग्राम पंचायत - खण्डौली

प्रस्तर-138 लेखा परीक्षा वर्ष 2019.20 में ग्राम पंचायत खंडौली के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल ₹0.2385751.00 लेखा व्यय किया गया है। समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी आधी आधी ब्याज सहित वसूली सचिव , ग्राम प्रधान से की जायेगी।

अतः पंचायत सचिव श्री आशुतोष दुबे , ग्राम प्रधान श्रीमती बीन प्रत्येक से ₹0 1192875.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुजहा

प्रस्तर-139 लेखा परीक्षा वर्ष 2019.20 में ग्राम पंचायत मुजहा के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल ₹0.57250.00 लेखा व्यय किया गया है। समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी आधी आधी ब्याज सहित वसूली सचिव , ग्राम प्रधान से की जायेगी।

अतः पंचायत सचिव श्री रवीन्द्र पान्डे , ग्राम प्रधान श्रीमती कांती देवी प्रत्येक से ₹0 28,625.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वीरपुर हरिहरपुर

प्रस्तर-140 लेखा परीक्षा वर्ष 2019.20 में ग्राम पंचायत वीरपुर हरिहरपुर के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल ₹0 572004.00 लेखा व्यय किया गया है। समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपरहण मानते हुए उसकी आधी आधी ब्याज सहित वसूली सचिव , ग्राम प्रधान से की जायेगी।

अतः पंचायत सचिव श्री रोहित कुमार , ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता देवी प्रत्येक से ₹0 2,86,002.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरहा

प्रस्तर-141 लेखा परीक्षा वर्ष 2019.20 में ग्राम पंचायत सरहा के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल ₹0 3095390.00 लेखा व्यय किया गया है। समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपरहण मानते हुए उसकी आधी आधी ब्याज सहित वसूली सचिव , ग्राम प्रधान से की जायेगी।

अतः पंचायत सचिव श्री प्रदीप दीक्षित , ग्राम प्रधान श्रीमती चित्रा अग्निहोत्री प्रत्येक से ₹0 15,47,695.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चिडिया महोलिया

प्रस्तर-142 लेखा परीक्षा वर्ष 2019.20 में ग्राम पंचायत चिडिया महोलिया के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल ₹0 642766.00 लेखा व्यय किया गया है। समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपरहण मानते हुए उसकी आधी आधी ब्याज सहित वसूली सचिव , ग्राम प्रधान से की जायेगी।

अतः पंचायत सचिव श्री रोहित कुमार , ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रत्येक से ₹0 321383.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरसिंहपुर कायस्थ

प्रस्तर-143 ग्राम पंचायत हरसिंहपुर कायस्थ द्वारा वर्ष 2016.17 में ई ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि. प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 351900.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8;क, यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.351900.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 175950.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्नौजी लाल तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 175950.00तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-144 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में ई ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .573149.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.573149.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 286574.50तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्नौजी लाल तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 286574.50तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-145 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018.19 में ईग्रामस्वराज पर. अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .966642.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.966642.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 483321.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्नौजी लाल तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 483321.00तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-146 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .79000.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध

रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0. 79000.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 39500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्नौजी लाल तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 39500.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अश्विनी कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-147 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .302229.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.302229.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 151114.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्नौजी लाल तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 151114.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अश्विनी कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गुजरपुर गहलवार

प्रस्तर-148 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016.17 में ई ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, , 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .586038.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में

कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.586038.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 293019.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीदीपचन्द्र तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 293019.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-149 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017.18 में ई ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त. , 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .496025.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.496025.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 248012.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीदीपचन्द्र तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 248012.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-150 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018.19 में ई ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त. , 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .929615.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.929615.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 464807.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपचन्द्र तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 464807.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-151 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .224753.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप

व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0. 224753.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 112376.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीप चन्द्र तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 112376.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अश्विनी कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-152 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .982825.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.982825.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 491412.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीप चन्द्र तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 491412.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अश्विनी कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - अल्लादादपुर भटौली

प्रस्तर-153 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .1131611.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.1131611.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 565805.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 565805.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-154 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .70623.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण, मूल पत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार, प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय, प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित, स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0. 70623.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 35311.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 35311.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-155 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .374993.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण, मूल पत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार, प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय, प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित, स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.374993.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 187496.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान

श्रीमती शिव देवी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 187496.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - हुसैनपुर हड़ाई नया गाव

प्रस्तर-156 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2018-19 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि रु0 .1662713.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रु0.1662713.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि रु0 831356.50तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 831356.50तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-157 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त आयोग मद से धनराशि रु0 .122604.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रु0. 122604.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि रु0 61302.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 61302.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रविन्द्र पाण्डे से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-158 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि रु0 .932411.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत

योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वितीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.932411.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 466205.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 466205.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रविन्द्र पाण्डे से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - कोला सोता

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .813745.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वितीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वितीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क),यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.813745.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 4,06,872.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान मनोज कुमार तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 4,06,872.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-160 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .78200.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वितीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वितीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा

सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0. 78200.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 39100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान मनोज कुमार तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 39100.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विवेक तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-161 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .588123.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.588123.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 294061.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान मनोज कुमार तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 294061.50 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विवेक तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - नीबिया

प्रस्तर-162 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0 .80660.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति ;बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण , मूल पत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे. स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार , प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय , प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित , स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0. 80660.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 40330.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुबोध कुमार तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 40330.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-163 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई.ग्रामस्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 14वें वित्त आयोग मद से धनराशि ₹0.852602.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति; बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण, मूल पत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे: स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार, प्रमाणित कैशबुक, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय, प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित, स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्रकार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क), यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम. स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि ₹0.852602.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 426301.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुबोध कुमार तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 426301.00 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड-मोहम्मदाबाद

ग्राम पंचायत - निसाई

प्रस्तर-164 -ग्राम पंचायत:-निसाई के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत निसाई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
741075.00	1897399.00	2638474.00	2176539.00	461935.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2176539.00 का 50 % ₹0-1088269.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1088269.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-165 ग्राम पंचायत निसाई द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रूप, 1493104.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति; बिल मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण मूल पत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्ट्रार स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1493104.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹746552.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती बिट्टन देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹746552.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मदनपुर

प्रस्तर-166 ग्राम पंचायत: मदनपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मदनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
3735168.00	10915799.00	14650967.00	7698493.00	6952474.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-7698493.00 का 50 % ₹0-3849246.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-3849246.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-167 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 6377727.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹6377727.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹3188863.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती संगीता देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹3188863.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उखरा

प्रस्तर-168 ग्राम पंचायत: उखरा के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत उखरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1394675.00	2812178.00	4206853.00	3193112.00	1013741.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3193112.00 का 50 % ₹0-1596556.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1596556.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-169 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 2249504.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2249504.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1124752.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री राजीवसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1124752.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - धीरपुर

प्रस्तर-170 -ग्राम पंचायत: धीरपुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत धीरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1213536.00	2015917.00	3229453.00	1988072.00	1241381.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1988072.00 का 50 % ₹0-994036.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-994036.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-171 ग्राम पंचायत: धीरपुर के- वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत धीरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1241381.00	3169401.00	4410782.00	3631789.00	778993.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3631789.00 का 50 % ₹0-1815894.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1815894.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-172 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 2190649.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2190649.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1095324.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती कमलेश कुमारीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1095324.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री रनवीर सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नदौरा

प्रस्तर-173 ग्राम पंचायत: नदौरा-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नदौरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
573021.00	1878275.00	2451296.00	467827.00	1983469.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-467827.00 का 50 % ₹0-233913.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-233913.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-174 -ग्राम पंचायत: नदौरा के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नदौरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1983469.00	1623875.00	3607344.00	1648151.00	1959193.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1648151.00 का 50 % ₹0-824075.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-824075.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 175 ग्राम पंचायत: नदौरा के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत नदौरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1959193.00	2548090.00	4507283.00	1487404.00	3019879.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1487404.00 का 50 % ₹0-743702.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-743702.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-176 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1719096.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1719096.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹859548.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती अनीता देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹859548.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुरेली

प्रस्तर-177 ग्राम पंचायत: कुरेली के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कुरेली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1094973.00	2490531.00	3585504.00	3033381.00	552123.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3033381.00 का 50 % ₹0-1516690.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1516690.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-178 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि (2019-20) में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 991980.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹991980.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹495990.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हिमांशु से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹495990.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिठऊपुर कुर्मी

प्रस्तर-179 ग्राम पंचायत: सिठऊपुर कुर्मी के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत सिठऊपुर कुर्मी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
223636.00	1031384.00	1255020.00	675399.00	579621.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-675399.00 का 50 % ₹0-337699.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-337699.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-180 ग्राम पंचायत: सिठऊपुर कुर्मी के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत सिठऊपुर कुर्मी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष

579621.00	2330025.00	2909646.00	1791603.00	118043.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1791603.00 का 50 % ₹0-895801.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-895801.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-181 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 935731.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹935731.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹467865.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री उमेशसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹467865.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गैसिंगपुर

प्रस्तर-182 ग्राम पंचायत: गैसिंगपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत गैसिंगपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1663560.256	2671417.00	4334977.256	4134351.00	200626.256

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-4134351.00 का 50 % ₹0-2067175.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-2067175.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-183 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1901165.70 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत

प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1901165.70 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹950582.85 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती श्री देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹950582.85 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुरान

प्रस्तर-184 ग्राम पंचायत: मुरान के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मुरान की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
563612.10	1551761.00	2115373.10	1498249.00	617124.10

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1498249.00 का 50 % ₹0-749124.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-749124.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-185 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1248098.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1248098.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹624049.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री अहिबरन सिंहसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹624049.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कटिन्नामानिकपुर

प्रस्तर-186 ग्राम पंचायत: कटिन्ना मानिकपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कटिन्ना मानिकपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1528000.00	3802796.00	5330796.00	2410299.00	2920497.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2410299.00 का 50 % ₹0-1205149.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1205149.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-187 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 4879688.96 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹4879688.96 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹2439844.48 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री जगपाल सिंहसे तथा शेष

50 प्रतिशत धनराशि ₹2439844.48 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सितवनपुर पिथू

प्रस्तर-188 ग्राम पंचायत: सितवनपुर पिथू के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत सितवनपुर पिथू की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1552431.00	2380540.00	3932971.00	2973521.00	959450.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2973521.00 का 50 % ₹0-1486760.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1486760.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-189 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 2543802.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2543802.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1271901.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रन्नोदेवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1271901.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोसरपुर

प्रस्तर-190 ग्राम पंचायत: गोसरपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत गोसरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
766422.00	1515233.00	2281655.00	1329134.00	952521.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1329134.00 का 50 % ₹0-664567.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-664567.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-191 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1542351.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1542351.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹771175.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मेंद्र से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹771175.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुडगाव

प्रस्तर-192 ग्राम पंचायत: मुडगाव के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मुडगाव की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2821752.00	3334483.00	6156235.00	3743851.00	2412384.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3743851.00 का 50 % ₹0-1871925.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1871925.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-193 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 2392284.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2392284.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1196142.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती सुशमा देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1196142.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अर्जुनपुर

प्रस्तर-194 ग्राम पंचायत: अर्जुनपुर-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अर्जुनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
399504.00	1113455.00	1512959.00	716388.00	796571.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-716388.00 का 50 % ₹0-358194.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-358194.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-195 ग्राम पंचायत: अर्जुनपुर के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अर्जुनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
796571.00	1449499.00	2246070.00	1302669.00	943401.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1302669.00 का 50 % ₹0-651334.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-651334.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-196 ग्राम पंचायत: अर्जुनपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अर्जुनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
943401.00	2425501.00	3368902.00	2883321.00	485581.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2883321.00 का 50 % ₹0-1441660.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1441660.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-197 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 935247.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह

संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹935247.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹467623.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती साधनासे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹467623.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अलावलपुर

प्रस्तर-198 -ग्राम पंचायत:-अलावलपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अलावलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
269178.00	774549.00	1043727.00	862815.00	180912.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-862815.00 का 50 % ₹0-431407.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-431407.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-199 ग्राम पंचायत:-अलावलपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अलावलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
180912.00	1008910.00	1189822.00	590965.00	598857.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-590965.00 का 50 % ₹0-295482.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-295482.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-200 ग्राम पंचायत:-अलावलपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अलावलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
598857.00	1572780.00	2171637.00	1876956.00	294681.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1876956.00 का 50 % ₹0-938478.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-938478.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-201 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1237731.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1237731.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹618865.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान दिलिप कुमार से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹618865.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री रनवीर सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - राजारामपुर मेई

प्रस्तर-202 ग्राम पंचायत: राजारामपुर मेई के वर्ष-2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत राजारामपुर मेई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
876291.00	1804375.00	2680666.00	1250545.00	1430121.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं

हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1250545.00 का 50 % ₹0-625272.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-625272.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-203 ग्राम पंचायत: राजारामपुर मेई के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत राजारामपुर मेई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1430121.00	2856546.00	4286667.00	1497741.00	2788926.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1497741.00 का 50 % ₹0-748870.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-748870.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-204 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 2425020.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹2425020.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1212510.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती सुशमा देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1212510.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सकवाई

प्रस्तर-205 ग्राम पंचायत: सकवाई के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत सकवाई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2334208.00	2597423.00	4931631.00	3384373.00	1547258.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3384373.00 का 50 % ₹0-1692186.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1692186.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-206 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 3373244.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹3373244.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1686622.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती किरनसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1686622.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिरौली

प्रस्तर-207 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 11717123.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व

प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹11717123.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹5858561.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती अंजली उर्फ किरनसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹5858561.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करनपुर मजरा बांसमेई

प्रस्तर-208 -ग्राम पंचायत: करनपुर मजरा बांसमेई के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत करनपुर मजरा बांसमेई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1237059.00	2625678.00	3889737.00	2616864.00	1272873.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2616864.00 का 50 % ₹0-1308432.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1308432.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-209 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रूप, 1652954.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह

संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1652954.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹826477.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती शशिसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹826477.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कन्हैयाकूबपुर

प्रस्तर-210 ग्राम पंचायत:-कन्हैयाकूबपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कन्हैयाकूबपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
527552.00	2431237.00	2958789.00	390836.00	2567953.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-390836.00 का 50 % ₹0-195418.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-195418.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-211 ग्राम पंचायत: कन्हैयाकूबपुर के वर्ष-2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत कन्हैयाकूबपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
2567953.00	3439168.00	6007121.00	3795793.00	2211328.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-3795793.00 का 50 % ₹0-1897896.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1897896.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-212 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 3034766.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे

स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹3034766.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1517383.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री ओमेंद्र सिंहसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1517383.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बराकेशव

प्रस्तर-213 ग्राम पंचायत:-बराकेशव के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बराकेशव की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
778994.00	2476246.00	3255240.00	2125029.00	1130211.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2125029.00 का 50 % ₹0-1062514.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1062514.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-214 ग्राम पंचायत:-बराकेशव के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बराकेशव की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
1130211.00	4548949.00	6349063.00	5607794.00	741269.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-5607794.00 का 50 % रु0-2803897.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत रु0-2803897.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरतपुर रसूलपुर

प्रस्तर-215 ग्राम पंचायत: भरतपुर रसूलपुर-के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत भरतपुर रसूलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
445969.00	1010041.00	1456010.00	838204.00	617806.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-838204.00 का 50 % रु0-419102.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत रु0-419102.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-216 ग्राम पंचायत:भरतपुर रसूलपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत भरतपुर रसूलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
617806.00	1133309.00	1751115.00	858822.00	892293.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-858822.00 का 50 % रु0-429411.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से,अवशेष 50 प्रतिशत रु0-429411.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-217 ग्राम पंचायत:भरतपुर रसूलपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः अनेको प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत भरतपुर रसूलपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में अवशेष
892293.00	1796147.00	2688440.00	2026714.00	661726.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-2256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2026714.00 का 50 % ₹0-1013357.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, अवशेष 50 प्रतिशत ₹0-1013357.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरकमपुर

प्रस्तर-218 ग्राम पंचायत हरकमपुर द्वारा वर्ष 2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में ₹ 1912193.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलीया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1912193.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹956096.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री उमेश चंद्र से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹956096.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अभयराज से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तेरा

प्रस्तर-219 ग्राम पंचायत तेरा द्वारा वर्ष-2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1075970.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की

पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1075970.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹537985.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री रामनिवाससे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹537985.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भटकुरी

प्रस्तर-220 ग्राम पंचायत **भटकुरी** द्वारा वर्ष-2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1645342.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1645342.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹822671.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री निवाससे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹822671.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पिपरगाव

प्रस्तर-221 ग्राम पंचायत **पिपरगाव** द्वारा वर्ष-2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 8576054.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की

पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹8576054.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹4288027.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती ज्योत्सनासे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹4288027.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मानिकपुर दहेलिया

प्रस्तर-222 ग्राम पंचायत **मानिकपुर दहेलिया** द्वारा वर्ष-2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 3159663.24 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹3159663.24 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1579831.62 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपक सिंहसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1579831.62 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पट्टी खुर्द

प्रस्तर-223 ग्राम पंचायत **पट्टी खुर्द** द्वारा वर्ष-2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 700352.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट

रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹700352.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹350176.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजवीरसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹350176.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पसनिगपुर

प्रस्तर-224 ग्राम पंचायत पसनिगपुर द्वारा वर्ष-2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 1798402.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1798402.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹899201.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र सिंहसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹899201.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री सुभाश चंद्र कठेरिया से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगलाबाग रठौरा

प्रस्तर-225 ग्राम पंचायत नगलाबाग रठौरा द्वारा वर्ष-2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त, 14वें वित्त के मद में रुप, 4403323.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली, अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त, लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹4403323.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹2201661.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती सुशीला देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹2201661.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री सुभाश चंद्र कठेरिया से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नन्दसा

प्रस्तर-226 -ग्राम पंचायत नन्दसा द्वारा वर्ष-2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 884320.68 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹884320.68 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹442160.34 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती गीता कुमारीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹442160.34 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री सुभाश चंद्र कठेरिया से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ज्योता

प्रस्तर-227 ग्राम पंचायत ज्योता द्वारा वर्ष-2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 3377542.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की

धनराशि ₹3377542.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹1688771.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री प्रेमपालसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹1688771.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री योगेंद्र से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हुसैनपुर दरिया मसमूले

प्रस्तर-228 -ग्राम पंचायत हुसैनपुर दरिया मसमूले द्वारा वर्ष-2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 377624.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹377624.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹188812.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री चंद्र पालसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹188812.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अभयराज से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ऊगरपुर

प्रस्तर-229 ग्राम पंचायत ऊगरपुर द्वारा वर्ष-2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1209395.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1209395.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹604697.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती रीता संतवानीसे तथा शेष

50 प्रतिशत धनराशि ₹604697.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दाऊदपुर मजरा नन्दसा

प्रस्तर-230 ग्राम पंचायत दाऊदपुर मजरा नन्दसा द्वारा वर्ष-2019-20 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 997088.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹997088.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹498544.00 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती बिट्टन देवीसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹498544.00 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री सुभाश चंद्र कठेरिया से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दाऊदपुर नगला बाग

प्रस्तर-231 ग्राम पंचायत दाऊदपुर नगला बाग द्वारा वर्ष-2019-20 में कैश बुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त , 14वें वित्त के मद में रुप, 1669193.00 का व्यय किया गया दर्शित है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति; बिल मस्टरोल ट्रांसफर विवरण मूलपत्रावली , अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृति कि, जाने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त , लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेषण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये,” के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि “यदि दर्शायेगये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी,के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि ₹1669193.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि ₹834596.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अखिलेश कुमारसे तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि ₹834596.50 तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री सुभाश चंद्र कठेरिया से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड-कमालगंज

ग्राम पंचायत - नहरैया

प्रस्तर--232 ग्राम पंचायत - नहरैया के वर्ष 2016-17 के व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नहरैया की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
765843.47	1286148.00	2051991.47	1302633.43	749358.04

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1302633.43 का 50 प्रतिशत ₹0-651316.71 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1302633.43 का 50 प्रतिशत ₹0-651316.71 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--233 ग्राम पंचायत नहरैया के वर्ष 2017-18 के व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नहरैया की लेखा परीक्षा कैशबुक पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
749358.04	1545809.00	2295167.04	1537099.37	758067.69

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1537099.37 का 50 प्रतिशत ₹0-768549.68 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1537099.37 का 50 प्रतिशत ₹0-768549.68 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--234 ग्राम पंचायत - नहरैया के वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नहरैया की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
758067.69	2428086.00	3186153.69	2184716.20	1001437.49

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2184716.20 का 50 प्रतिशत ₹0-1092358.10 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2184716.20 का 50 प्रतिशत ₹0-1092358.10 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-235 ग्राम पंचायत - नहरैया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नहरैया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित **चतुर्थ राज्य वित्त** की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-141839.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-141839.00 का 50 प्रतिशत ₹0-70919.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती केतुका देवी से, ₹0-141839.00 का 50 प्रतिशत ₹0-70919.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-236 ग्राम पंचायत - नहरैया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नहरैया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित **चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग** की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1356016.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1356016.00 का 50 प्रतिशत ₹0-678008.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती केतुका देवी से, ₹0-1356016.00 का 50 प्रतिशत ₹0-678008.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर

प्रस्तर-237 ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
447569.77	1552869.00	2000438.77	1808504.80	191933.97

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1808504.80 का 50 प्रतिशत ₹0-904252.40 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1808504.80 का 50 प्रतिशत ₹0-904252.40 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-238 ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-40200.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-40200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-20100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शहाना बेगम से , ₹0-40200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-20100.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-239 ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के

अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1144422.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1144422.00 का 50 प्रतिशत ₹0-572211.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शहाना बेगम से , ₹0-1144422.00 का 50 प्रतिशत ₹0-572211.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-240 ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - जहाँगीरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शायी गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना। , इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-200.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शहाना बेगम से , ₹0-200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-100.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सितौली

प्रस्तर-241 ग्राम पंचायत - सितौली के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सितौली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
739377.00	1477248.00	2216625.00	939508.00	1277117.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-939508.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 939508.00 का 50 प्रतिशत ₹0-469754.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-939508.00 का 50 प्रतिशत ₹0-469754.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-242 ग्राम पंचायत - सितौली के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सितौली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1277117.00	3088791.00	1811674.00	810894.00	2277897.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-810894.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 810894.00 का 50 प्रतिशत ₹0-405447.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-810894.00 का 50 प्रतिशत ₹0-405447.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-243 ग्राम पंचायत - सितौली के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सितौली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
2277117.00	2005457.00	4283354.00	3032362.00	1250992.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-3032362.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 3032362.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1516181.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-3032362.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1516181.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-244 ग्राम पंचायत - सितौली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सितौली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता

है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1676651.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1676651.00 का 50 प्रतिशत ₹0-838325.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय से , ₹0-1676651.00 का 50 प्रतिशत ₹0-838325.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-245 ग्राम पंचायत - सितौली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सितौली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-997171.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-997171.00 का 50 प्रतिशत ₹0-498585.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय से , ₹0-997171.00 का 50 प्रतिशत ₹0-498585.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुन्दनपुर गणेशपुर

प्रस्तर--246 ग्राम पंचायत - कुन्दन गणेशपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुन्दन गणेशपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
797946.00	1729595.00	2527541.00	1814210.00	713331.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1814210.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1814210.00 का 50 प्रतिशत ₹0-907105.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1814210.00 का 50 प्रतिशत ₹0-907105.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-247 ग्राम पंचायत - कुन्दनपुर गनेशपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुन्दनपुर गनेशपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1104086.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1104086.00 का 50 प्रतिशत ₹0-552043 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से , ₹0-1104086.00 का 50 प्रतिशत ₹0-552043 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-248 ग्राम पंचायत - कुन्दनपुर गनेशपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुन्दनपुर गनेशपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-844407.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-844407.00 का 50 प्रतिशत ₹0-422203.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से , ₹0-844407.00 का 50 प्रतिशत ₹0-422203.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लऊवा नगला मानपट्टी

प्रस्तर-249 ग्राम पंचायत - लऊवा नगला मान पट्टी के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - लऊवा नगला मान पट्टी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
302154.87	1500086.00	1802240.87	1094168.00	708062.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं

हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1094168.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1094168.00 का 50 प्रतिशत ₹0-547084.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1094168.00 का 50 प्रतिशत ₹0-547084.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-250 ग्राम पंचायत - लउआ नगला मान पट्टी के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - लउआ नगला मान पट्टी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
708062.87	1161981.00	1870043.87	421874.00	1448169.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-421874.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-421874.00 का 50 प्रतिशत ₹0-210937.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-421874.00 का 50 प्रतिशत ₹0-210937.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-251 ग्राम पंचायत - लउआ नगला मान पट्टी के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - लउआ नगला मान पट्टी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1448169.87	15481.00	1463650.87	1220633.00	243017.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया

साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1220633.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1220633.00 का 50 प्रतिशत ₹0-610316.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1220633.00 का 50 प्रतिशत ₹0-610316.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-252 ग्राम पंचायत - लउआ नगला मानपट्टी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - लउआ नगला मानपट्टी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-184100.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-184100.00 का 50 प्रतिशत ₹0-92050.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार से , ₹0-184100.00 का 50 प्रतिशत ₹0-92050.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-253 ग्राम पंचायत - लउआ नगला मानपट्टी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - लउआ नगला मानपट्टी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1674901.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1674901.00 का 50 प्रतिशत ₹0-837450.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार से , ₹0-1674901.00 का 50 प्रतिशत ₹0-837450.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई

प्रस्तर-254 ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
489716.32	1578405.00	2068121.32	1747479.00	320642.32

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1747479.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1747479.00 का 50 प्रतिशत ₹0-873739.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1747479.00 का 50 प्रतिशत ₹0-873739.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-255 ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई के वर्ष- 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई- की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
320642.32	1843506.00	2164148.32	1396186.00	767962.32

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1396186.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1396186.00 का 50 प्रतिशत ₹0-698093.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1396186.00 का 50 प्रतिशत ₹0-698093.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-256 ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई के वर्ष- 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई- की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
767962.32	3016568.00	3784530.32	2457075.00	1327455.32

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई

भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2457075.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2457075.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1228537.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-2457075.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1228537.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-257 ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1007455.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1007455.00 का 50 प्रतिशत ₹0-503727.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महावीर से , ₹0-1007455.00 का 50 प्रतिशत ₹0-503727.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-258 ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी चुरसई की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-762203.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-762203.00 का 50 प्रतिशत ₹0-381101.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महावीर से , ₹0-762203.00 का 50 प्रतिशत ₹0-381101.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग

प्रस्तर-259 ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
381532.47	1047157.00	1428689.47	840544.00	588145.47

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-840544.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-840544.00 का 50 प्रतिशत ₹0-420272.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-840544.00 का 50 प्रतिशत ₹0-420272.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-260 ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
588145.47	1318346.00	1906491.47	1447205.00	459286.47

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1447205.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1447205.00 का 50 प्रतिशत ₹0-723602.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1447205.00 का 50 प्रतिशत ₹0-723602.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--261 ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
459286.47	2016760.00	2476046.47	1837189.00	638857.47

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1837189.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1837189.00 का 50 प्रतिशत ₹0-918594.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1837189.00 का 50 प्रतिशत ₹0-918594.50.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-262 ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी वर्ना बुजुर्ग की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-130500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-130500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-65250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी से , ₹0-130500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-65250.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-263 ग्राम पंचायत - वर्ना बुजुर्ग के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी वर्ना बुजुर्ग की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1322322.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1322322.00 का 50 प्रतिशत ₹0-661161.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी से , ₹0-1322322.00 का 50 प्रतिशत ₹0-661161.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - झंसी

प्रस्तर-264 ग्राम पंचायत - झंसीके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - झंसी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
839420.05	1709844.00	2549264.05	1807000.00	742264.05

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1807000.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1807000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-903500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1807000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-903500.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-265 ग्राम पंचायत - झंसी के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - झंसी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
742264.05	2029112.00	2771376.05	942785.00	1828591.05

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-942785.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-942785.00 का 50 प्रतिशत ₹0-471392.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-942785.00 का 50 प्रतिशत ₹0-471392.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--266 ग्राम पंचायत - झंसी के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - झंसी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1828591.05	3393401.00	5221992.05	3307832.00	1914160.05

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-3307832.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-3307832.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1653916.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-3307832.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1653916.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-267 ग्राम पंचायत - झंसी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी झंसी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-304469.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-304469.00 का 50 प्रतिशत ₹0-152234.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विजय कुमारी से , ₹0-304469.00 का 50 प्रतिशत ₹0-152234.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-268 ग्राम पंचायत झंसी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी झंसी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2897334.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2897334.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1448867.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विजय कुमारी से , ₹0-2897334.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1448867.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-269 ग्राम पंचायत - झंसी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - झंसी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना। तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना।, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-500.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विजय कुमारी सुधीर से , ₹0-500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-250.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करमचन्दपुर

प्रस्तर-270 ग्राम पंचायत - करम चन्दपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - करम चन्दपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
664553.00	663919.00	1328472.00	637900.00	690572.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-637900.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-637900.00 का 50 प्रतिशत ₹0-318950.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-637900.00 का 50 प्रतिशत ₹0-318950.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-271 ग्राम पंचायत - करम चन्दपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - करम चन्दपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
690572.00	778379.00	1468951.00	499456.00	969495.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया

साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-499456.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-499456.00 का 50 प्रतिशत ₹0-249728.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-499456.00 का 50 प्रतिशत ₹0-249728.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-272 ग्राम पंचायत - करम चन्दपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - करम चन्दपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
969495.00	1872494.00	2841989.00	1600565.00	1241424.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1600565.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1600565.00 का 50 प्रतिशत ₹0-800282.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1600565.00 का 50 प्रतिशत ₹0-800282.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-273 ग्राम पंचायत - करमचन्दपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी करमचन्दपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-175880.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-175880.00 का 50 प्रतिशत ₹0-87940.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुनन्दन लाल से , ₹0-175880.00 का 50 प्रतिशत ₹0-87940.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-274 ग्राम पंचायत - करमचन्दपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रूनी करमचन्दपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-162833.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-162833.00 का 50 प्रतिशत ₹0-81416.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुनन्दन लाल से , ₹0-162833.00 का 50 प्रतिशत ₹0-81416.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोरीखेड़ा

प्रस्तर-275 ग्राम पंचायत - कोरीखेड़ा के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कोरीखेड़ा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
493724.00	1235607.00	1729331.00	1002932.00	726399.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1002932.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1002932.00 का 50 प्रतिशत ₹0-501466.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1002932.00 का 50 प्रतिशत ₹0-501466.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-276 ग्राम पंचायत - कोरीखेड़ा के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कोरीखेड़ा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
726399.00	1455240.00	2181639.00	1028481.00	1153158.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1028481.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1028481.00 का 50 प्रतिशत ₹0-514240.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1028481.00 का 50 प्रतिशत ₹0-514240.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--277 ग्राम पंचायत - कोरीखेडा के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कोरीखेडा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1153158.00	2306307.00	3459465.00	1982806.00	1476659.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1982806.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1982806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-991403.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1982806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-991403.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--278 ग्राम पंचायत - कोरीखेडा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कोरीखेडा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-446749.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-446749.00 का 50 प्रतिशत ₹0-223374.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से , ₹0-446749.00 का 50 प्रतिशत ₹0-223374.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-279 ग्राम पंचायत - कोरीखेडा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कोरीखेडा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1830372.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1830372.00 का 50 प्रतिशत ₹0-915186.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से , ₹0-1830372.00 का 50 प्रतिशत ₹0-915186.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - माडल शंकरपुर

प्रस्तर--280 ग्राम पंचायत - माँडल शंकरपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत -माँडलशंकरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
501290.00	1045410.00	1546700.00	1132755.00	413945.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1132755.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1132755.00 का 50 प्रतिशत ₹0-566377.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1132755.00 का 50 प्रतिशत ₹0-566377.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--281 ग्राम पंचायत -माँडल शंकरपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत -माँडलशंकरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
413945.00	1000969.00	1414914.00	890971.00	523943.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-890971.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-890971.00 का 50 प्रतिशत ₹0-445485.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-890971.00 का 50 प्रतिशत ₹0-445485.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--282 ग्राम पंचायत -मॉडल शंकरपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत -मॉडलशंकरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
523943.00	1983010.00	2506953.00	1358913.00	1148040.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1358913.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1358913.00 का 50 प्रतिशत ₹0-679456.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1358913.00 का 50 प्रतिशत ₹0-679456.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--283 ग्राम पंचायत -मॉडलशंकरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत -मॉडलशंकरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा

वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-97368.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-97368.00 का 50 प्रतिशत ₹0-48684.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमल किशोर से, ₹0-

97368.00 का 50 प्रतिशत रु0-48684.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-284 ग्राम पंचायत -मॉडल शंकरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत -मॉडलशंकरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रु0-1227727.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-1227727.00 का 50 प्रतिशत रु0-613863.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमल किशोर से , रु0-1227727.00 का 50 प्रतिशत रु0-613863.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर

प्रस्तर-285 ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
307156.72	998858.00	1306014.72	745801.00	560213.72

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि रु0-745801.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-745801.00 का 50 प्रतिशत रु0-372900.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-745801.00 का 50 प्रतिशत रु0-372900.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-286 ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
560213.72	1233969.00	1794182.72	1325805.00	468377.72

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1325805.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1325805.00 का 50 प्रतिशत ₹0-662902.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1325805.00 का 50 प्रतिशत ₹0-662902.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-287 ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
468377.72	1961237.00	2429614.72	1294060.00	1135554.72

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1294060.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1294060.00 का 50 प्रतिशत ₹0-647030.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1294060.00 का 50 प्रतिशत ₹0-647030.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-288 ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा मोहददीनपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज

विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-31500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से , ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-289 ग्राम पंचायत - रठौरा मोईददीनपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा मोईददीनपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-784473.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-784473.00 का 50 प्रतिशत ₹0-392236.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से , ₹0-784473.00 का 50 प्रतिशत ₹0-392236.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढ़िया

प्रस्तर-290 ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढ़ियाके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढ़िया की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
390223.70	778427.00	1168650.70	895950.00	272700.70

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-895950.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-895950.00 का 50 प्रतिशत ₹0-447975.00 तत्कालीन

ग्राम प्रधान से , ₹0-895950.00 का 50 प्रतिशत ₹0-447975.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--291 ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढिया के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढिया की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
272700.70	1460482.00	1733182.70	864703.00	868479.70

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-864703.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-864703.00 का 50 प्रतिशत ₹0-432351.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-864703.00 का 50 प्रतिशत ₹0-432351.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--292 ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढिया के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढिया की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
864479.70	1487352.00	2355831.70	623588.00	1732243.70

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-623588.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-623588.00 का 50 प्रतिशत ₹0-311794.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-623588.00 का 50 प्रतिशत ₹0-311794.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--293 ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढिया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढ़िया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-186286.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-186286.00 का 50 प्रतिशत ₹0-93143.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवनीश से , ₹0-186286.00 का 50 प्रतिशत ₹0-93143.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-294 ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढ़िया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चुन्नूपुर गढ़िया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1144483.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1144483.00 का 50 प्रतिशत ₹0-572241.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवनीश से , ₹0-1144483.00 का 50 प्रतिशत ₹0-572241.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कैटहा

प्रस्तर-295 ग्राम पंचायत - कैटहा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कैटहा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-86700.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है।

अतः इस धनराशि ₹0-86700.00 का 50 प्रतिशत ₹0-43350.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा से , ₹0-86700.00 का 50 प्रतिशत ₹0-43350.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्रीमती नीरू दीक्षित से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-296 ग्राम पंचायत - कैटहा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कैटहा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1428613.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1428613.00 का 50 प्रतिशत ₹0-714306.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा से , ₹0-1428613.00 का 50 प्रतिशत ₹0-714306.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्रीमती नीरू दीक्षित से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगरिया गहलवरान

प्रस्तर-297 ग्राम पंचायत - नगरिया गहलवरान के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगरिया गहलवरान की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-69210.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-69210.00 का 50 प्रतिशत ₹0-34605.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से , ₹0-69210.00 का 50 प्रतिशत ₹0-34605.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्रीमती नीरू दीक्षित से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-298 ग्राम पंचायत - नगरिया गहलवरान के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगरिया गहलवरान की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के

अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1367998.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1367998.00 का 50 प्रतिशत ₹0-683999.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से , ₹0-1367998.00 का 50 प्रतिशत ₹0-683999.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्रीमती नीरू दीक्षित से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शर्फाबाद

प्रस्तर-299 ग्राम पंचायत - शर्फाबाद के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शर्फाबाद की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1656848.17	1152455.00	2809303.17	1680623.00	1128680.17

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1680623.00 का 50 प्रतिशत ₹0-840311.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1680623.00 का 50 प्रतिशत ₹0-840311.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-300 ग्राम पंचायत - शर्फाबाद के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शर्फाबाद की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-628947.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-628947.00 का 50 प्रतिशत ₹0-314473.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया बेगम से , ₹0-628947.00 का 50 प्रतिशत ₹0-314473.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-301 ग्राम पंचायत - शर्फाबाद के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शर्फाबाद की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2246619.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2246619.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1123309.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया बेगम से , ₹0-2246619.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1123309.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर

प्रस्तर-302 ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
696423.82	695579.00	1392002.82	819000.00	573002.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-819000.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 819000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-409500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-819000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-409500.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-303 -- ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष

573002.82	792422.00	1365424.82	685328.00	680096.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-685328.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 685328.00 का 50 प्रतिशत ₹0-342664.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-685328.00 का 50 प्रतिशत ₹0-342664.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-304 ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
680096.82	1841031.00	2521127.82	1716513.00	804614.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1716513.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1716513.00 का 50 प्रतिशत ₹0-858256.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1716513.00 का 50 प्रतिशत ₹0-858256.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-305 ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शरफुद्दीनपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम

पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-61450.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-61450.00 का 50 प्रतिशत ₹0-30725.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरमेश से , ₹0-61450.00 का 50 प्रतिशत ₹0-30725.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-306 ग्राम पंचायत - शर्फुददीनपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शर्फुददीनपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-565437.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-565437.00 का 50 प्रतिशत ₹0-282718.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरमेश से , ₹0-565437.00 का 50 प्रतिशत ₹0-282718.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महमदपुर अचला

प्रस्तर-307 ग्राम पंचायत - महमदपुर अचलाके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - महमदपुर अचला की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
395423.82	897751.00	1293174.82	978531.00	314643.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-978531.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 978531.00 का 50 प्रतिशत ₹0-489265.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-978531.00 का 50 प्रतिशत ₹0-489265.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--308 ग्राम पंचायत - महमदपुर अचला के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - महमदपुर अचला की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
314643.82	1515798.00	1830441.82	768345.00	1062096.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-768345.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 768345.00 का 50 प्रतिशत ₹0-384172.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-768345.00 का 50 प्रतिशत ₹0-384172.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--309 ग्राम पंचायत - महमदपुर अचला के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - महमदपुर अचला की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1062096.82	3622706.00	4684802.82	1760098.00	2924704.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1760098.00 का 50 प्रतिशत ₹0-880049.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1760098.00 का 50 प्रतिशत ₹0-880049.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--310 ग्राम पंचायत - अहमदपुर अचला के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहमदपुर अचला की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज

नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-14000.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-14000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-7000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जोहरा से , ₹0-14000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-7000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-311 ग्राम पंचायत - अहमदपुर अचला के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहमदपुर अचला की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1443690.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1443690.00 का 50 प्रतिशत ₹0-721845.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जोहरा से , ₹0-1443690.00 का 50 प्रतिशत ₹0-721845.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रानूखेडा

प्रस्तर-312 ग्राम पंचायत - रानूखेडा अचलाके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रानूखेडा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
497282.20	829345.00	1326627.20	720000.00	606627.20

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-720000.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 720000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-360000.00 तत्कालीन

ग्राम प्रधान से , ₹0-720000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-360000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-313 ग्राम पंचायत - रानूखेडा के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रानूखेडा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
606627.20	999848.00	1606475.20	901337.00	705138.20

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-901337.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 901337.00 का 50 प्रतिशत ₹0-450668.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-901337.00 का 50 प्रतिशत ₹0-450668.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-314 ग्राम पंचायत - रानूखेडा के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रानूखेडा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
705138.20	1554650.00	2259788.20	683935.00	1575853.20

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-683935.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-683935.00 का 50 प्रतिशत ₹0-341967.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-683935.00 का 50 प्रतिशत ₹0-341967.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-315 ग्राम पंचायत - रानूखेडा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रानूखेडा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष

2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-31500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जबर सिंह से , ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-316 ग्राम पंचायत - रानूखेडा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रानूखेडा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-760577.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-760577.00 का 50 प्रतिशत ₹0-380288.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जबर सिंह से , ₹0-760577.00 का 50 प्रतिशत ₹0-380288.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बीबीपुर

प्रस्तर-317 ग्राम पंचायत - बीबीपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बीबीपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
438778.87	934873.00	1373651.87	1168132.00	205519.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1168132.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज

सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1168132.00 का 50 प्रतिशत ₹0-584066.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1168132.00 का 50 प्रतिशत ₹0-584066.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-318 ग्राम पंचायत - बीबीपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बीबीपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
205519.87	1092082.00	1297601.87	401715.00	895886.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-401715.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 401715.00 का 50 प्रतिशत ₹0-200857.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-401715.00 का 50 प्रतिशत ₹0-200857.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-319 ग्राम पंचायत - बीबीपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बीबीपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
895886.87	1727727.00	2623613.87	2098449.00	525164.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2098449.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2098449.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1049224.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-2098449.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1049224.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-320 ग्राम पंचायत - बीबीपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बीबीपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष

2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-128300.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-128300.00 का 50 प्रतिशत ₹0-64150.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम विलास से , ₹0-128300.00 का 50 प्रतिशत ₹0-64150.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-321 ग्राम पंचायत - बीबीपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बीबीपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1302919.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1302919.00 का 50 प्रतिशत ₹0-651459.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम विलास से , ₹0-1302919.00 का 50 प्रतिशत ₹0-651459.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-322 ग्राम पंचायत - बीबीपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बीबीपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना।, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-2675.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2675.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1337.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम विलास से , ₹0-2675.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1337.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फतेहउल्लाहपुर

प्रस्तर-323 ग्राम पंचायत - फतेहउल्लाहपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
633849.00	1380733.00	2014582.00	1370016.00	6442566.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1370016.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1370016.00 का 50 प्रतिशत ₹0-685008.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1370016.00 का 50 प्रतिशत ₹0-685008.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-324 ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
644566.00	1284125.00	1928691.00	746883.00	1181808.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-746883.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 746883.00 का 50 प्रतिशत ₹0-373441.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-746883.00 का 50 प्रतिशत ₹0-373441.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-325 ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष

1181808.00	2004035.00	3185843.00	1545552.00	1640291.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1545552.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि धनराशि ₹0-1545552.00 का 50 प्रतिशत ₹0-772776.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1545552.00 का 50 प्रतिशत ₹0-772776.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-326 ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-422001.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-422001.00 का 50 प्रतिशत ₹0-211000.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से, ₹0-422001.00 का 50 प्रतिशत ₹0-211000.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-327 ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1733460.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1733460.00 का 50 प्रतिशत ₹0-866730.00 तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से , ₹0-1733460.00 का 50 प्रतिशत ₹0-866730.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-328 ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना।, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-2550.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2550.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1275.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से , ₹0-2550.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1275.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगला भीखा

प्रस्तर-329 ग्राम पंचायत - नगला भीखा के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला भीखा की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
196746.47	606647.00	803393.47	632173.00	171220.47

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-632173.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 632173.00 का 50 प्रतिशत ₹0-316086.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-632173.00 का 50 प्रतिशत ₹0-316086.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-330 ग्राम पंचायत - नगला भीखा के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला भीखा की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
171220.47	727310.00	898530.47	501118.00	397412.47

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-501118.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 501118.00 का 50 प्रतिशत ₹0-250559.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-501118.00 का 50 प्रतिशत ₹0-250559.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-331 ग्राम पंचायत - नगला भीखा के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला भीखा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
397412.47	1803809.00	2201221.47	802916.00	1398305.47

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-802916.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-802916.00 का 50 प्रतिशत ₹0-401458.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-802916.00 का 50 प्रतिशत ₹0-401458.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-332 ग्राम पंचायत - नग लाभीखा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगलाभीखा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-119273.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-119273.00 का 50 प्रतिशत ₹0-59636.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज बेगम से , ₹0-119273.00 का 50 प्रतिशत ₹0-59636.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-333 ग्राम पंचायत - नगलाभीखा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगलाभीखा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-976865.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-976865.00 का 50 प्रतिशत ₹0-488432.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज बेगम से , ₹0-976865.00 का 50 प्रतिशत ₹0-488432.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पतौंजा

प्रस्तर-334 ग्राम पंचायत - पतौंजा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - पतौंजा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-648810.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-648810.00 का 50 प्रतिशत ₹0-324405.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला से , ₹0-648810.00 का 50 प्रतिशत ₹0-324405.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-335 ग्राम पंचायत - पतौंजा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - पतौंजा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक

उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2132540.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2132540.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1066270.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला से , ₹0-2132540.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1066270.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हब्बापुर

प्रस्तर-336 हब्बापुर के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत हब्बापुर . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
304947.87	539430.00	844377.87	732682.00	111695.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 732682.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.732682.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 366341.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 732682.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 366341.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-337 ग्राम पंचायत हब्बापुर के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत हब्बापुर . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
111695.87	947922.00	1059617.87	496841.00	562776.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 496841.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.496841.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 248420.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से

, ₹0. 496841.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 248420.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-338 हब्बापुर के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत हब्बापुर . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
562776.87	990340.00	1553116.87	868632.00	2562776.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 868632.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.868632.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 434316.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 868632.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 434316.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-339 ग्राम पंचायत - हब्बापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हब्बापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-154050.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-154050.00 का 50 प्रतिशत ₹0-77025.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार से , ₹0-154050.00 का 50 प्रतिशत ₹0-77025.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-340 ग्राम पंचायत - हब्बापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हब्बापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के

अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-780451.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-780451.00 का 50 प्रतिशत ₹0-390225.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार से , ₹0-780451.00 का 50 प्रतिशत ₹0-390225.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उस्मानगंज

प्रस्तर-341 ग्राम पंचायत - उस्मानगंज के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - उस्मानगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
232732.30	1003756.00	1236488.30	686330.00	550158.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-686330.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 686330.00 का 50 प्रतिशत ₹0-343165.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-686330.00 का 50 प्रतिशत ₹0-343165.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-342 ग्राम पंचायत - उस्मानगंज के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - उस्मानगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
550158.30	1080450.00	1630608.30	425804.00	1204804.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-425804.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 425804.00 का 50 प्रतिशत ₹0-212902.00 तत्कालीन

ग्राम प्रधान से , ₹0-425804.00 का 50 प्रतिशत ₹0-212902.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-343 ग्राम पंचायत - उस्मानगंज के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - उस्मानगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1204804.30	1206433.00	2411237.30	380899.00	2030338.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-380899.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-380899.00 का 50 प्रतिशत ₹0-190449.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-380899.00 का 50 प्रतिशत ₹0-190449.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 344 ग्राम पंचायत - उस्मानगंज के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - उस्मानगंज की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-161240.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-161240.00 का 50 प्रतिशत ₹0-80620.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश चन्द्र से , ₹0-161240.00 का 50 प्रतिशत ₹0-80620.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-345- ग्राम पंचायत - उस्मानगंज के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - उस्मानगंज की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के

अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1317921.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1317921.00 का 50 प्रतिशत ₹0-658960.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश चन्द्र से , ₹0-1317921.00 का 50 प्रतिशत ₹0-658960.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दानमण्डी

प्रस्तर-346 ग्राम पंचायत - दानमण्डीके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दानमण्डी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
362436.00	851282.00	1213718.00	1180916.00	32802.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1180916.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1180916.00 का 50 प्रतिशत ₹0-590458.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1180916.00 का 50 प्रतिशत ₹0-590458.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-347 ग्राम पंचायत - दानमण्डी के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दानमण्डी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
32802.00	1240093.00	1272895.00	1053629.00	219266.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1053629.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज

सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1053629.00 का 50 प्रतिशत ₹0-526814.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1053629.00 का 50 प्रतिशत ₹0-526814.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-348 ग्राम पंचायत - दानमण्डी के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दानमण्डी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
219266.00	1506729.00	1725995.00	1420474.00	305521.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1420474.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1420474.00 का 50 प्रतिशत ₹0-710237.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1420474.00 का 50 प्रतिशत ₹0-710237.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-349 ग्राम पंचायत - दानमण्डी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दानमण्डी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-68000.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-68000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-34000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम निवास से , ₹0-68000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-34000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 350 ग्राम पंचायत - दानमण्डी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दानमण्डी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत

राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1253922.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1253922.00 का 50 प्रतिशत ₹0-626961.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम निवास से , ₹0-1253922.00 का 50 प्रतिशत ₹0-626961.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भडौसा

प्रस्तर-351 ग्राम पंचायत - भडौसा के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भडौसा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
588350.77	6256676.00	6845026.77	6241887.00	603139.77

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-6241887.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 6241887.00 का 50 प्रतिशत ₹0-3120943.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-6241887.00 का 50 प्रतिशत ₹0-3120943.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-352 ग्राम पंचायत भडौसा की प्रिया साफ्ट कैश बुक में दिनांक 31.03.2019 को नकद अवशेष ₹0-37000=00 दर्शित है। इस धनराशि में से ₹0-37000=00 गत वर्ष से यथावत दर्शित है। इस प्रकार ₹0-37000=00 तत्कालीन ग्राम प्रधान , तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धन को अनियमित रूप से निजी हित में ग्राम पंचायत के खातों से आहरित कर नकद के रूप में दर्शाया गया है। अतः नकद के रूप में दर्शायी गयी धनराशि ₹0-37000=00 में से ₹0-18500=00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-18500=00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी वसूल कर उक्त ग्रामपंचायत के खातों में ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-353 ग्राम पंचायत - भडौसा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भडौसा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग

उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1225431.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1225431.00 का 50 प्रतिशत ₹0-612715.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अकीला से , ₹0-1225431.00 का 50 प्रतिशत ₹0-612715.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-354 ग्राम पंचायत - भडौसा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भडौसा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-4622846.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-4622846.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2311423.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अकीला से , ₹0-4622846.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2311423.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ईशापुर

प्रस्तर-355 ग्राम पंचायत - ईशापुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईशापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1063696.65	3403366.00	4467062.65	3403814.00	1063248.65

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-3403814.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 3403814.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1701907.00

तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-3403814.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1701907.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-356 ग्राम पंचायत ईसापुर की प्रिया साफ्ट केश बुक में दिनांक 31.03.2019 को नकद अवशेष ₹0-39000=00 दर्शित है। इस धनराशि में से ₹0-31000=00 गत वर्ष से यथावत दर्शित है। इस प्रकार ₹0-39000=00 तत्कालीन ग्राम प्रधान , तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धन को अनियमित रूपसे निजी हित में ग्राम पंचायत के खातों से आहरित कर नकद के रूप में दर्शाये गया है। अतः नकद के रूप में दर्शाये गयी धनराशि ₹0-39000=00में से ₹0-19500=00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-19500=00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी वसूल कर उक्त ग्राम पंचायत के खातों में ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-357 ग्राम पंचायत - ईसापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईसापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-372828.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-372828.00 का 50 प्रतिशत ₹0-186414.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना से , ₹0-372828.00 का 50 प्रतिशत ₹0-186414.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-358 ग्राम पंचायत - ईसापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईसापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2057410.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2057410.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1028705.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना से , ₹0-2057410.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1028705.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-359 ग्राम पंचायत - ईसापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईसापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना। तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना।, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-62000.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-62000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-31000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना से , ₹0-62000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-31000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - राजेपुर टप्पा मण्डल

प्रस्तर-360 -राजेपुर टप्पामण्डल के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत राजेपुर टप्पामण्डल . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
349108.57	1131240.00	1480348.47	868859.00	611489.57

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 868859.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.868859.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 434429.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 868859.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 434429.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-361 राजेपुर टप्पामण्डल के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत राजेपुर टप्पामण्डल . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
611489.57	1144301.00	1755790.57	1119461.00	636329.57

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1119461.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1119461.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 559730.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान

से , ₹0. 1119461.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 559730.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 362 राजेपुर टप्पामण्डल के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत राजेपुर टप्पामण्डल . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
636329.57	2138135.00	2774464.57	1863968.00	910496.57

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1863968.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1863968.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 931984.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 1863968.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 931984.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-363 ग्राम पंचायत - राजेपुर टप्पामण्डल के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - राजेपुर टप्पामण्डल की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-493276.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-493276.00 का 50 प्रतिशत ₹0-246638.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमेश चन्द्र से , ₹0-493276.00 का 50 प्रतिशत ₹0-246638.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी कु0 विजेता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-364 ग्राम पंचायत - राजेपुर टप्पामण्डल के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - राजेपुर टप्पामण्डल की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के

अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1078819.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1078819.00 का 50 प्रतिशत ₹0-539409.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमेशचन्द्र से , ₹0-1078819.00 का 50 प्रतिशत ₹0-539409.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी कु0 विजेता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया

प्रस्तर-365 ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरियाके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
279237.82	798621.00	1077858.82	518964.00	558894.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-518964.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 518964.00 का 50 प्रतिशत ₹0-259482.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-518964.00 का 50 प्रतिशत ₹0-259482.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-366 ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
558894.82	962808.00	1521702.82	915129.00	606573.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की

ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-915129.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 915129.00 का 50 प्रतिशत ₹0-457564.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-915129.00 का 50 प्रतिशत ₹0-457564.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-367 ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
606573.82	1525226.00	2131799.82	1401513.00	730286.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1401513.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1401513.00 का 50 प्रतिशत ₹0-700756.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1401513.00 का 50 प्रतिशत ₹0-700756.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-368 ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-540175.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-540175.00 का 50 प्रतिशत ₹0-270087.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनूप कुमार से , ₹0-540175.00 का 50 प्रतिशत ₹0-270087.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरूण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-369 ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहमदपुर देवरिया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1443613.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1443613.00 का 50 प्रतिशत ₹0-721806.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनूप कुमार से , ₹0-1443613.00 का 50 प्रतिशत ₹0-721806.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी अरुण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अजीजलपुर

प्रस्तर-370 अजीजलपुर के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत . अजीजलपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
757651.02	1410509.00	2168160.02	847073.00	1321087.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 847073.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.847073.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 423536.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 847073.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 423536.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-371 अजीजलपुर के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत . अजीजलपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1321087.02	2068912.00	3389999.02	1967408.00	1422591.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट

विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1967408.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1967408.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 983704.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 1967408.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 983704.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 372 ग्राम पंचायत अजीजलपुर के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत . अजीजलपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1422591.02	2930459.00	4353050.02	3384095.00	968955.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 3384095.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.3384095.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 1692047.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 3384095.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 1692047.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-373 ग्राम पंचायत - अजीजलपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अजीजलपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-352316.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-352316.00 का 50 प्रतिशत ₹0-176158.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शयराबानो से , ₹0-352316.00 का 50 प्रतिशत ₹0-176158.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-374 ग्राम पंचायत - अजीजलपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अजीजलपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1249224.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1249224.00 का 50 प्रतिशत ₹0-624612.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शायराबानो से , ₹0-1249224.00 का 50 प्रतिशत ₹0-624612.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भोजपुर

प्रस्तर-375 ग्राम पंचायत - भोजपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भोजपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
837742.32	2201402.00	3039144.32	2311050.00	728094.32

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2311050.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 2311050.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1155525.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-2311050.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1155525.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-376 ग्राम पंचायत - भोजपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भोजपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
728094.32	3213498.00	3941592.32	2845245.00	1096347.32

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2845245.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 2845245.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1422622.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2845245.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1422622.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-377 ग्राम पंचायत - भोजपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भोजपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-47759.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-47759.00 का 50 प्रतिशत ₹0-23879.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा दुबे से, ₹0-47759.00 का 50 प्रतिशत ₹0-23879.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-378 ग्राम पंचायत - भोजपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भोजपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2103397.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2103397.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1051698.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा दुबे से, ₹0-2103397.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1051698.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-379 ग्राम पंचायत - भोजपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भोजपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना। , इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-277.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-277.00 का 50 प्रतिशत ₹0-138.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा दुबे से , ₹0-277.00 का 50 प्रतिशत ₹0-138.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगला खेम रैगाँई

प्रस्तर--380 ग्राम पंचायत - नगला खैमरगाई के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला खैमरगाई की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
480768.15	2011101.00	2491869.15	1696911.00	794958.15

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1696911.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1696911.00 का 50 प्रतिशत ₹0-848455.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1696911.00 का 50 प्रतिशत ₹0-848455.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-381 ग्राम पंचायत - नगला खैमरगाई के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला खैमरगाई की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-182429.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-182429.00 का 50 प्रतिशत ₹0-91214.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से , ₹0-

182429.00 का 50 प्रतिशत रु0-91214.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-382 ग्राम पंचायत - नगला खैमरैगाई के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला खैमरैगाई की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रु0-1998061.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-1998061.00 का 50 प्रतिशत रु0-999030.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से , रु0-1998061.00 का 50 प्रतिशत रु0-999030.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-383 ग्राम पंचायत - नगला खैमरैगाई के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला खैमरैगाई की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित अन्तेष्ठी स्थल की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के अन्तेष्ठी स्थल के निर्माण में हुये व्यय की धनराशि रु0-3109926.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-3109926.00 का 50 प्रतिशत रु0-1554963.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से , रु0-3109926.00 का 50 प्रतिशत रु0-1554963.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 384-ग्राम पंचायत - नगला खैमरैगाई के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला खैमरैगाई की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शाये ी गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना।, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि रु0-1648.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-1648.00 का 50 प्रतिशत रु0-824.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश दुबे से , रु0-

1648.00 का 50 प्रतिशत रु0-824.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहोरिकपुर

प्रस्तर-385 बहोरिक के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बहोरिक . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
837470.97	1699571.00	2537041.97	1511910.00	1025131.97

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि रु0 1511910.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0.1511910.00 का 50 प्रतिशत रु0. 755955.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0. 1511910.00 का 50 प्रतिशत रु0. 755955.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-386 बहोरिक के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बहोरिक . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1025131.97	1989669.00	3014800.97	1861912.00	1152888.97

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि रु0 1861912.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0.1861912.00 का 50 प्रतिशत रु0. 930956.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0. 1861912.00 का 50 प्रतिशत रु0. 930956.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-387 बहोरिक के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बहोरिक . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1152888.97	3131904.00	4284792.97	3397947.00	886845.97

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 3397947.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.3397947.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 1698973.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 3397947.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 1698973.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-388 ग्राम पंचायत - बहोरिकपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरिकपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-559867.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-559867.00 का 50 प्रतिशत ₹0-279933.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमलता से , ₹0-559867.00 का 50 प्रतिशत ₹0-279933.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी कु0 विजेता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-389 ग्राम पंचायत - बहोरिकपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरिकपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त

आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2242525.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2242525.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1121262.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमलता से , ₹0-2242525.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1121262.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी कु0 विजेता से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर

प्रस्तर-390 ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुरके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1422427.15	1391090.00	2813517.15	556093.00	2257424.15

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-556093.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 556093.00 का 50 प्रतिशत ₹0-278046.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-556093.00 का 50 प्रतिशत ₹0-278046.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-391 ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
2257424.15	3207807.00	5465231.15	2655189.00	2810042.15

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2655189.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2655189.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1327594.50 तत्कालीन

ग्राम प्रधान से , ₹0-2655189.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1327594.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 392 ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
2810042.15	3021235.00	5831277.15	2910653.00	2920614.15

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2910653.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-29102563.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1455326.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-2910653.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1455326.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-393 ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-56366.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-56366.00 का 50 प्रतिशत ₹0-28183.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन बेगम से , ₹0-56366.00 का 50 प्रतिशत ₹0-28183.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-394 ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत

राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-3396529.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-3396529.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1698264.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन बेगम से , ₹0-3396529.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1698264.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-395 ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बन्थलशाहपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना। , इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-12.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-12.00 का 50 प्रतिशत ₹0-6.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन बेगम से , ₹0-12.00 का 50 प्रतिशत ₹0-6.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा

प्रस्तर-396 ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
7380398.82	5130872.00	12511270.82	4293616.00	8217654.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-4293616.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 4293616.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2146808.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-2493616.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2146808.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-397 ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1113643.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1113643.00 का 50 प्रतिशत ₹0-556821.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिनीता देवी से , ₹0-1113643.00 का 50 प्रतिशत ₹0-556821.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-398 ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-5129553.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-5129553.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2564776.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिनीता देवी से , ₹0-5129553.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2564776.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करीमगंज

प्रस्तर-399 ग्राम पंचायत - करीमगंज के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - करीमगंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
503026.30	652633.00	1155659.30	1137795.00	17864.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की

ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1137795.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1137795.00 का 50 प्रतिशत ₹0-568897.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1137795.00 का 50 प्रतिशत ₹0-568897.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-400 ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-44825.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-44825.00 का 50 प्रतिशत ₹0-22412.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जंगी सिंह से , ₹0-44825.00 का 50 प्रतिशत ₹0-22412.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरूण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-401 ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हुसैनपुर नौखण्डा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1138806.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1138806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-569403.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जंगी देवी से , ₹0-1138806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-569403.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरूण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-402 ग्राम पंचायत - करीमगंज के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - करीमगंज की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शायी गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना , इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-5500.00 को

गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-5500.00 का 50 प्रतिशत रु0-2750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जंगी सिंह से , रु0-5500.00 का 50 प्रतिशत रु0-2750.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरूण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रठौरा नगला नीव

प्रस्तर-403 ग्राम पंचायत - रठौरा नगला नीव के वर्ष 2016-17 के कोई भी व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा नगला नीव की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
442420.47	1190194.00	1632614.47	1276568.68	356045.79

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-1276568.68 का 50 प्रतिशत रु0-638284.84 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-1276568.68 का 50 प्रतिशत रु0-638284.34 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-404 ग्राम पंचायत - रठौरा नगला नीव के वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा नगला नीव की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
356045.79	1438278.00	1794323.79	1562616.85	231706.94

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-1562616.85 का 50 प्रतिशत रु0-781308.42 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-1562616.85 का 50 प्रतिशत रु0-781308.42 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-405- ग्राम पंचायत - रठौरा नगला नीव के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा नगला नीव की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 के बैक स्टेटमेन्ट अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
231706.94	2248230.00	2479936.94	2379465.00	100471.94

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2379465.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1189732.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2379465.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1189732.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-406 ग्राम पंचायत - रठौरा नगलानीव के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा नगलानीव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-39671.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-39671.00 का 50 प्रतिशत ₹0-19835.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश कुमारी से, ₹0-39671.00 का 50 प्रतिशत ₹0-19835.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 407 ग्राम पंचायत - रठौरा नगलानीव के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रठौरा नगलानीव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1014806.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1014806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-507403.00 तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश कुमारी से , ₹0-1014806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-507403.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ताजपुर

प्रस्तर-408 ग्राम पंचायत - ताजपुर के वर्ष 2016-17 के व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ताजपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
369395.47	719912.00	1089307.47	905950.43	183357.04

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-905950.43 का 50 प्रतिशत ₹0-452975.21 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-905950.43 का 50 प्रतिशत ₹0-452975.21 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-409 ग्राम पंचायत - ताजपुर के वर्ष 2017-18 व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ताजपुर की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
183357.04	869477.00	1052834.04	697667.55	355166.49

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-697667.55 का 50 प्रतिशत ₹0-348833.77 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-697667.55 का 50 प्रतिशत ₹0-348833.77 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 410- ग्राम पंचायत - ताजपुर के वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ताजपुर की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
355166.49.00	1360235.00	1715401.49	1460769.00	254632.49

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1460769.00.00 का 50 प्रतिशत ₹0-730384.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1460769.00 का 50 प्रतिशत ₹0-730384.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-411 ग्राम पंचायत - ताजपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ताजपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-17500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-17500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-8750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र सिंह से , ₹0-17500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-8750.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 412 ग्राम पंचायत - ताजपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ताजपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1036878.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1036878.00 का 50 प्रतिशत ₹0-518439.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र सिंह से , ₹0-1036878.00 का 50 प्रतिशत ₹0-518439.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कमालपुर

प्रस्तर-413 ग्राम पंचायत - कमालपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कमालपुर की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
396506.87	896609.00	1293115.87	1092851.75	200264.12

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1092851.75 का 50 प्रतिशत ₹0-546425.87 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1092851.75 का 50 प्रतिशत ₹0-546425.87 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-414 ग्राम पंचायत - कमालपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कमालपुर की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
200264.12	756024.00	956288.12	351815.35	604472.77

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-351815.35 का 50 प्रतिशत ₹0-175907.67 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-351815.35 का 50 प्रतिशत ₹0-175907.67 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-415 ग्राम पंचायत - कमालपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कमालपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
604472.77	1697055.00	2301527.77	2271807.20	29720.57

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2271807.20 का 50 प्रतिशत ₹0-1135903.60 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2271807.20 का 50 प्रतिशत ₹0-1135903.60 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-416 ग्राम पंचायत - कमालपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कमालपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-140434.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-140434.00 का 50 प्रतिशत ₹0-70217.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह से, ₹0-140434.00 का 50 प्रतिशत ₹0-70217.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 417 ग्राम पंचायत - कमालपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कमालपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1268887.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1268887.00 का 50 प्रतिशत ₹0-634443.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह से, ₹0-1268887.00 का 50 प्रतिशत ₹0-634443.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अहिमलापुर

प्रस्तर-418 ग्राम पंचायत - अहिमलापुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहिमलापुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
317867.52	1103049.00	1420916.52	1324229.68	96686.84

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी व्यय प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1324229.68 का 50 प्रतिशत ₹0-662114.84 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1324229.68 का 50 प्रतिशत ₹0-662114.84 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-419 ग्राम पंचायत - अहिमलापुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहिमलापुर की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
96686.84	1334179.00	1430865.84	858230.10	572635.74

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-858230.10 का 50 प्रतिशत ₹0-429115.05 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-858230.10 का 50 प्रतिशत ₹0-429115.05 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 420 ग्राम पंचायत - अहिमलापुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहिमलापुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
572635.74	2103487.00	2676122.74	2640520.20	35602.54

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2640520.20 का 50 प्रतिशत ₹0-1320260.10 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2640520.20 का 50 प्रतिशत ₹0-1320260.10 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-421 ग्राम पंचायत - अहिमलापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहिमलापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-43533.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-43533.00 का 50 प्रतिशत ₹0-21766.500 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम निवास से, ₹0-43533.00 का 50 प्रतिशत ₹0-21766.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 422 ग्राम पंचायत - अहिमलापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अहिमलापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1559926.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1559926.00 का 50 प्रतिशत ₹0-779963.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम निवास से, ₹0-1559926.00 का 50 प्रतिशत ₹0-779963.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -चौसेपुर

प्रस्तर-423- ग्राम पंचायत - चौसेपुर के वर्ष 2016-17 में व्यय प्रमाणक , उसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चौसेपुर की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
82645.00	645962.00	728607.00	627930.50	100676.50

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के व्यय प्रमाणक सम्बन्धी कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0- 627930.50 का 50 प्रतिशत ₹0-313965.25 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0- 627930.50 का 50 प्रतिशत ₹0-313965.25 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-424 ग्राम पंचायत - चौसेपुर के वर्ष 2017-18 में व्यय प्रमाणक , उसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चौसेपुर की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
100676.50	613971.00	714647.50	580562.35	134085.15

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के व्यय प्रमाणक सम्बन्धी कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0- 580562.35 का 50 प्रतिशत ₹0-290281.17 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0- 580562.35 का 50 प्रतिशत ₹0-290281.17 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-425 ग्राम पंचायत - चौसेपुर के वर्ष 2018-19 में कैश बुक , व्यय प्रमाणक, उसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चौसेपुर की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
134085.15	969178.00	1103263.15	975170.80	128092.35

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक सम्बन्धी कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0- 975170.80 का 50 प्रतिशत ₹0-487585.40 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0- 975170.80 का 50 प्रतिशत ₹0-487585.40 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-426 ग्राम पंचायत - चौसेपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चौसेपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-43600.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-43600.00 का 50 प्रतिशत ₹0-21800.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आदेश कुमार से , ₹0- 43600.00 का 50 प्रतिशत ₹0-21800.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 427 ग्राम पंचायत - चौसेपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चौसेपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-646255.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-646255.00 का 50 प्रतिशत ₹0-323127.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आदेश कुमार से , ₹0-646255.00 का 50 प्रतिशत ₹0-323127.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिरौज

प्रस्तर-428 ग्राम पंचायत - सिरौजके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सिरौज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
109996.00	682507.00	792503.00	673251.00	119252.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-673251.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 673251.00 का 50 प्रतिशत ₹0-336625.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-673251.00 का 50 प्रतिशत ₹0-336625.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-429 ग्राम पंचायत - सिरौज के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सिरौज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
119252.00	1237639.00	1356891.00	896733.00	460158.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-896733.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 896733.00 का 50 प्रतिशत ₹0-448366.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-896733.00 का 50 प्रतिशत ₹0-448366.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-430 ग्राम पंचायत - सिरौज के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सिरौज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
460158.00	1347601.00	1807759.00	762675.00	1045084.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-762675.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 762675.00 का 50 प्रतिशत ₹0-381337.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-762675.00 का 50 प्रतिशत ₹0-381337.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-431 ग्राम पंचायत - सिरौज के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सिरौज की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-192596.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-192596.00 का 50 प्रतिशत ₹0-96298.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह से, ₹0-192596.00 का 50 प्रतिशत ₹0-96298.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरूण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 432 ग्राम पंचायत - सिरौज के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सिरौज की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1366020.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1366020.00 का 50 प्रतिशत ₹0-683010.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह से, ₹0-1366020.00 का 50 प्रतिशत ₹0-683010.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरूण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगांव

प्रस्तर-433 ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगावॉंके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगावॉं की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
379004.90	1275920.00	1654924.90	1333886.00	321038.90

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1333886.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1333886.00 का 50 प्रतिशत ₹0-666943.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1333886.00 का 50 प्रतिशत ₹0-666943.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-434 ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगावॉं के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगावॉं की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
321038.90	1538232.00	1859270.90	1265820.00	593450.90

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1265820.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1265820.00 का 50 प्रतिशत ₹0-632910.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1265820.00 का 50 प्रतिशत ₹0-632910.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-435 ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगावॉं के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगाँव की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
593450.90	2437962.00	3031412.90	2058634.00	972778.90

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2058634.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 2058634.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1029317.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2058634.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1029317.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-436 ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगाँव के 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगाँव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-222743.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-222743.00 का 50 प्रतिशत ₹0-111371.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तबस्सुम बेगम से, ₹0-222743.00 का 50 प्रतिशत ₹0-111371.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरुण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 437 ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगाँव के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नसरतपुर नौगाँव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक

उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1998201.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1998201.00 का 50 प्रतिशत ₹0-999100.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तबस्सुम बेगम से , ₹0-1998201.00 का 50 प्रतिशत ₹0-999100.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरुण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर

प्रस्तर-438 ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुरके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
128853.00	531862.00	660715.00	404500.00	256215.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-404500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 404500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-202250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-404500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-202250.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-439 ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
256215.00	694409.00	950624.00	581582.00	369042.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-581582.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज

सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 581582.00 का 50 प्रतिशत ₹0-290791.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-581582.00 का 50 प्रतिशत ₹0-290791.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-440 ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
369042.00	1100568.00	1469610.00	799773.00	669837.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-799773.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 799773.00 का 50 प्रतिशत ₹0-399886.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-799773.00 का 50 प्रतिशत ₹0-399886.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-441 ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-31500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लख्मी चन्द्र से , ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरुण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-442 ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगरिया देवधरापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये

जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-810536.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-810536.00 का 50 प्रतिशत ₹0-405268.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लख्मी चन्द्र से , ₹0-810536.00 का 50 प्रतिशत ₹0-405268.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरूण यादव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जरारी

प्रस्तर-443 ग्राम पंचायत - जरारी के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - जरारी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
3105968.87	7071194.00	10177162.87	9846785.00	330377.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-9846785.00 का 50 प्रतिशत ₹0-4923392.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-9846785.00 का 50 प्रतिशत ₹0-4923392.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-444 ग्राम पंचायत - जरारी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - जरारी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-895396.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-895396.00 का 50 प्रतिशत ₹0-447698.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमृतनुना बेगम से

, ₹0-895396.00 का 50 प्रतिशत ₹0-447698.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-445 ग्राम पंचायत - जरारी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - जरारी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-3981642.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-3981642.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1990821.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमृतनुना बेगम से , ₹0-3981642.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1990821.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर

प्रस्तर-446 ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
439532.87	0.00	439532.87.00	278990.00	160542.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-278990.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-278990.00 का 50 प्रतिशत ₹0-139495.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-278990.00 का 50 प्रतिशत ₹0-139495.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-447 ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
160542.87	1012506.00	1173048.87	653330.00	519718.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-653330.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-653330.00 का 50 प्रतिशत ₹0-326665.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-653330.00 का 50 प्रतिशत ₹0-326665.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-448 ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
519718.87	1790944.00	2310662.87	1270895.00	1039767.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1270895.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1270895.00 का 50 प्रतिशत ₹0-635447.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1270895.00 का 50 प्रतिशत ₹0-635447.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-449 ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली

के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रु0-243320.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-243320.00 का 50 प्रतिशत रु0-121660.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर से , रु0-243320.00 का 50 प्रतिशत रु0-121660.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-450 ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रु0-968322.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-968322.00 का 50 प्रतिशत रु0-484161.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर से , रु0-968322.00 का 50 प्रतिशत रु0-484161.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-451 ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - टाडा बहरामपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना। , इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि रु0-13480.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रु0-13480.00 का 50 प्रतिशत रु0-6740.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर से , रु0-13480.00 का 50 प्रतिशत रु0-6740.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रंजीत कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरतामऊ

प्रस्तर-452 ग्राम पंचायत - भरतामऊके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भरतामऊ की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष

145781.00	990061.00	1135842.00	751838.00	384004.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-751838.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-751838.00 का 50 प्रतिशत ₹0-375919.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-751838.00 का 50 प्रतिशत ₹0-375919.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-453 ग्राम पंचायत - भरतामऊ के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भरतामऊ की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
384004.00	1177356.00	1561360.00	962626.00	598734.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-962626.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-962626.00 का 50 प्रतिशत ₹0-481313.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-962626.00 का 50 प्रतिशत ₹0-481313.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-454 ग्राम पंचायत - भरतामऊ के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भरतामऊ की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
598734.00	1891513.00	2490247.00	2009255.00	480992.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की

ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2009255.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2009255.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1004627.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-2009255.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1004627.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-455 ग्राम पंचायत - भरतामऊ के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भरतामऊ की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-245241.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-245241.00 का 50 प्रतिशत ₹0-122625.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम रहीश से , ₹0-245241.00 का 50 प्रतिशत ₹0-122625.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-456 ग्राम पंचायत - भरतामऊ के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - भरतामऊ की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1300666.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1300666.00 का 50 प्रतिशत ₹0-650333.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम रहीश से , ₹0-1300666.00 का 50 प्रतिशत ₹0-650333.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सियापुर

प्रस्तर-457 ग्राम पंचायत - सियापुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सियापुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
154448.00	695565.00	850013.00	759674.00	90339.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-759674.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 759674.00 का 50 प्रतिशत ₹0-379837.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-759674.00 का 50 प्रतिशत ₹0-379837.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-458 ग्राम पंचायत - सियापुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सियापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
90339.00	832364.00	922703.00	516912.00	405791.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-516912.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 516912.00 का 50 प्रतिशत ₹0-258456.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-516912.00 का 50 प्रतिशत ₹0-258456.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-459 ग्राम पंचायत - सियापुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सियापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
405791.00	1314593.00	1730384.00	868342.00	852042.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई

भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-868342.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 868342.00 का 50 प्रतिशत ₹0-434171.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-868342.00 का 50 प्रतिशत ₹0-434171.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-460 ग्राम पंचायत - सियापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सियापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-270458.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-270458.00 का 50 प्रतिशत ₹0-135229.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से , ₹0-270458.00 का 50 प्रतिशत ₹0-135229.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-461 ग्राम पंचायत - सियापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सियापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-892200.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-892200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-446100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से , ₹0-892200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-446100.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहोरा

प्रस्तर-462 ग्राम पंचायत - बहोराके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
178631.00	798511.00	977142.00	804570.00	172572.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-804570.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 804570.00 का 50 प्रतिशत ₹0-402285.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-804570.00 का 50 प्रतिशत ₹0-402285.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-463 ग्राम पंचायत - बहोरा के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
172572.00	962668.00	1135240.00	372288.00	762952.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-372288.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 372288.00 का 50 प्रतिशत ₹0-186144.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-372288.00 का 50 प्रतिशत ₹0-186144.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-464 ग्राम पंचायत - बहोरा के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरा की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
762952.00	1601462.00	2364414.00	1419198.00	945216.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1419198.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1419198.00 का 50 प्रतिशत ₹0-709599.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1419198.00 का 50 प्रतिशत ₹0-709599.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-465 ग्राम पंचायत - बहोरा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-307800.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-307800.00 का 50 प्रतिशत ₹0-153900.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तोषा देवी से , ₹0-307800.00 का 50 प्रतिशत ₹0-153900.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-466 ग्राम पंचायत - बहोरा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1169742.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1169742.00 का 50 प्रतिशत ₹0-584871.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तोषा देवी से , ₹0-1169742.00 का 50 प्रतिशत ₹0-584871.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फतहेपुर राव साहब

प्रस्तर-467 ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहबके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
85406.00	384032.00	469438.00	387667.25	81770.75

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-387667.25 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 387667.25 या 387667.00 का 50 प्रतिशत ₹0-193833.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-387667.00 का 50 प्रतिशत ₹0-193833.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-468 ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
81770.75	460257.00	542027.75	321541.00	220486.75

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-321541.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 321541.00 का 50 प्रतिशत ₹0-160770.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-321541.00 का 50 प्रतिशत ₹0-160770.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-469 ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
220486.75	720238.00	940724.75	636431.00	304293.75

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-636431.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-636431.00 का 50 प्रतिशत ₹0-318215.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-636431.00 का 50 प्रतिशत ₹0-318215.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-470 ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-35388.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-35388.00 का 50 प्रतिशत ₹0-17694.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से, ₹0-35388.00 का 50 प्रतिशत ₹0-17694.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-471 ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-581556.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज

सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-581586.00 का 50 प्रतिशत ₹0-290793.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से , ₹0-581586.00 का 50 प्रतिशत ₹0-290793.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-472 ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर राव साहब की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-871583.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-871583.00 का 50 प्रतिशत ₹0-435791.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से , ₹0-871583.00 का 50 प्रतिशत ₹0-435791.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर

प्रस्तर-473 ग्राम पंचायत श्रृंगीरामपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
803274.00	1688059.00	2491333.00	49300.00	2442033.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-49300.00 का 50 प्रतिशत ₹0-24650.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-49300.00 का 50 प्रतिशत ₹0-24650.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-474 ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष

2442033.00	1641911.00	4083944.00	922759.00	3161185.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-922759.00 का 50 प्रतिशत ₹0-461379.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-922759.00 का 50 प्रतिशत ₹0-461379.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-475 ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
3161185.00	3841031.00	7002216.00	6331018.00	671198.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-6331018.00 का 50 प्रतिशत ₹0-3165509.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-6331018.00 का 50 प्रतिशत ₹0-3165509.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-476 ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - श्रृंगीरामपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-88009.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-88009.00 का 50 प्रतिशत ₹0-44004.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीशानन्द से, ₹0-88009.00 का 50 प्रतिशत ₹0-44004.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-477 ग्राम पंचायत - शृंगीरामपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - शृंगीरामपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-147850.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-147850.00 का 50 प्रतिशत ₹0-73925.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीशानन्द से , ₹0-147850.00 का 50 प्रतिशत ₹0-73925.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कन्धरापुर

प्रस्तर-478 ग्राम पंचायत - कन्धरापुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कन्धरापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
127923.00	571842.00	699765.00	639902.00	59863.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-639902.00 का 50 प्रतिशत ₹0-319951.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-639902.00 का 50 प्रतिशत ₹0-319951.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-479 ग्राम पंचायत - कन्धरापुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कन्धरापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
59863.00	689402.00	749265.00	260660.00	488605.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-260660.00 का 50 प्रतिशत ₹0-130330.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-260660.00 का 50 प्रतिशत ₹0-130330.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-480 ग्राम पंचायत - कन्धरापुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कन्धरापुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
488605.00	921027.00	1409632.00	378262.00	1031370.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-378262.00 का 50 प्रतिशत ₹0-189131.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-378262.00 का 50 प्रतिशत ₹0-189131.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--481 ग्राम पंचायत - कन्धरापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कन्धरापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-263788.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-263788.00 का 50 प्रतिशत ₹0-131894.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से , ₹0-263788.00 का 50 प्रतिशत ₹0-131894.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--482 ग्राम पंचायत - कन्धरापुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कन्धरापुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने

के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-139990.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-139990.00 का 50 प्रतिशत ₹0-66995.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से , ₹0-139990.00 का 50 प्रतिशत ₹0-66995.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आदित्य वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लक्ष्मण नगला

प्रस्तर-483 लक्ष्मण नगला के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत लक्ष्मण नगला . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
110945.00	499592.00	610537.00	522510.00	88027.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 522510.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.522510.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 261255.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 522510.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 261255.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--484 लक्ष्मण नगला के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत लक्ष्मण नगला . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
88027.00	628057.00	716084.00	536103.00	179981.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी

व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 536103.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.536103.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 268051.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 536103.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 268051.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--485 लक्ष्मन नगला के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत लक्ष्मन नगला . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
179981.00	947633.00	1127614.00	532670.00	594944.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 532670.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.532670.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 266335.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 532670.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 266335.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर--486 ग्राम पंचायत - लक्ष्मन नगला के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - लक्ष्मन नगला की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-159648.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-159648.00 का 50 प्रतिशत ₹0-79824.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राज बहादुर से , ₹0-159648.00 का 50 प्रतिशत ₹0-79824.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-487 ग्राम पंचायत - लक्ष्मन नगला के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - लक्ष्मन नगला की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-333083.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-333083.00 का 50 प्रतिशत ₹0-166541.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राज बहादुर से , ₹0-333083.00 का 50 प्रतिशत ₹0-166541.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री करन सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामपुर मझगाँव

प्रस्तर--488 ग्राम पंचायत - रामपुर मझगाँव के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रामपुर मझगाँव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-908316.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-908316.00 का 50 प्रतिशत ₹0-454158.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूरज पाल से , ₹0-908316.00 का 50 प्रतिशत ₹0-454158.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-489 ग्राम पंचायत - रामपुर मझगाँव के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रामपुर मझगाँव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक

उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1357155.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1357155.00 का 50 प्रतिशत ₹0-678577.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूरज पाल से , ₹0-1357155.00 का 50 प्रतिशत ₹0-678577.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पा हवेली

प्रस्तर-490 ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पाहवेली के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पाहवेली की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
569041.00	3036225.00	3605266.00	2513098.00	1092168.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-2513098.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 2513098.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1256549.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-2513098.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1256549.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-491 ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पा हवेली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पा हवेली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-626980.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-626980.00 का 50 प्रतिशत ₹0-313490.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद सिंह से , ₹0-626980.00 का 50 प्रतिशत ₹0-313490.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-492 ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पा हवेली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पा हवेली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2920719.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2920719.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1460359.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद सिंह से , ₹0-2920719.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1460359.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-493 ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पा हवेली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बहोरन टप्पा हवेली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शाये गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना।, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-36806.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-36806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-18403.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद सिंह से , ₹0-36806.00 का 50 प्रतिशत ₹0-18403.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री सुरेश पाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुम्हौली

प्रस्तर-494 ग्राम पंचायत - कुम्हौली के वर्ष 2016-17 के व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुम्हौली की लेखा परीक्षा कैशबुक में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
125467.00	722001.00	847468.00	650243.75	197224.25

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-

650243.75 का 50 प्रतिशत रु0-325121.87 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-650243.75 का 50 प्रतिशत रु0-325121.87 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-495 ग्राम पंचायत - कुम्हौली के वर्ष 2017-18 व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुम्हौली की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
197224.25	683798.00	881022.25	604063.35	276958.90

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0- 604063.35 का 50 प्रतिशत रु0-302031.67 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-604063.35 का 50 प्रतिशत रु0-302031.67 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-496 ग्राम पंचायत - कुम्हौली के वर्ष 2018-19 व्यय प्रमाणक , अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी । अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुम्हौली की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
276958.90	1084814.00	1361772.90	1245303.80	116469.10

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-1245303.80 का 50 प्रतिशत रु0-622691.90 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-1245303.80 का 50 प्रतिशत रु0-622691.90 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर-497 ग्राम पंचायत - कुम्हौली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुम्हौली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग

उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-101493.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-101493.00 का 50 प्रतिशत ₹0-50746.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से , ₹0-101493.00 का 50 प्रतिशत ₹0-50746.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-498 ग्राम पंचायत - कुम्हौली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुम्हौली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-777033.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-777033.00 का 50 प्रतिशत ₹0-388516.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से , ₹0-777033.00 का 50 प्रतिशत ₹0-388516.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री आलोक दुबे से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अभयपुर

प्रस्तर-499 ग्राम पंचायत - अभयपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अभयपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
98371.00	667917.00	766288.00	440274.00	326014.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-440274.00 का 50 प्रतिशत ₹0-220137.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-440274.00 का 50 प्रतिशत ₹0-220137.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-500 ग्राम पंचायत - अभयपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अभयपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
326014.00	839821.00	1165835.00	934609.00	231226.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-934609.00 का 50 प्रतिशत ₹0-467304.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-934609.00 का 50 प्रतिशत ₹0-467304.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-501 ग्राम पंचायत - अभयपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अभयपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
231226.00	943803.00	1175029.00	610148.00	564881.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-610148.00 का 50 प्रतिशत ₹0-305074.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-610148.00 का 50 प्रतिशत ₹0-305074.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हैदरपुर

प्रस्तर-502 ग्राम पंचायत - हैदरपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हैदरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
275763.00	693789.00	969552.00	376481.00	593071.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं

हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-376481.00 का 50 प्रतिशत ₹0-188240.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-376481.00 का 50 प्रतिशत ₹0-188240.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-503 ग्राम पंचायत - हैदरपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हैदरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
593071.00	709768.00	1302839.00	730394.00	572445.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-730394.00 का 50 प्रतिशत ₹0-365197.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-730394.00 का 50 प्रतिशत ₹0-365197.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-504 ग्राम पंचायत - हैदरपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - हैदरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
572445.00	925406.00	1497851.00	630861.00	866990.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-630861.00 का 50 प्रतिशत ₹0-315430.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-630861.00 का 50 प्रतिशत ₹0-315430.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ईशपुर

प्रस्तर-505 ग्राम पंचायत - ईशपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईसेपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
365119.50	535875.00	900994.50	249180.00	651814.50

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-249180.00 का 50 प्रतिशत ₹0-124590.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-249180.00 का 50 प्रतिशत ₹0-124590.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-506 ग्राम पंचायत - ईसेपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईसेपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
651814.50	646048.00	1297862.50	995231.00	302631.50

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-995231.00 का 50 प्रतिशत ₹0-497615.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-995231.00 का 50 प्रतिशत ₹0-497615.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-507 ग्राम पंचायत - ईसेपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईसेपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
302631.50	881426.00	1184057.50	733221.00	450836.50

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-

733221.00 का 50 प्रतिशत रु0-366610.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-733221.00 का 50 प्रतिशत रु0-366610.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डूंगरपुर

प्रस्तर-508 ग्राम पंचायत - डूंगरपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - डूंगरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
236164.00	715164.00	951328.00	662024.00	289304.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-662024.00 का 50 प्रतिशत रु0-331012.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-662024.00 का 50 प्रतिशत रु0-331012.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-509 ग्राम पंचायत - डूंगरपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दुर्गपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
289304.00	850082.00	1139386.00	952323.00	187063.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि रु0-952323.00 का 50 प्रतिशत रु0-476161.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-952323.00 का 50 प्रतिशत रु0-476161.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-510 ग्राम पंचायत - डूंगरपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दुर्गपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
187063.00	907004.00	1094067.00	885142.00	208925.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-885142.00 का 50 प्रतिशत ₹0-442571.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-885142.00 का 50 प्रतिशत ₹0-442571.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खुदागंज

प्रस्तर-511 ग्राम पंचायत - खुदागंज के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - खुदागंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1092465.00	2331257.00	3423722.00	1833559.00	1590163.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1833559.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1833559.00 का 50 प्रतिशत ₹0-916779.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1833559.00 का 50 प्रतिशत ₹0-916779.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-512 ग्राम पंचायत - खुदागंज के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - खुदागंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1590163.00	1040829.00	2630992.00	1330912.00	1300080.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2017-18 में प्रिया

साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1330912.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0- 1330912.00 का 50 प्रतिशत ₹0-665456.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1330912.00 का 50 प्रतिशत ₹0-665456.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-513 ग्राम पंचायत - खुदागंज के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - खुदागंज की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1300080.00	3305900.00	4605980.00	727503.00	3878477.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-727503.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-727503.00 का 50 प्रतिशत ₹0-363751.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-727503.00 का 50 प्रतिशत ₹0-363751.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महोई

प्रस्तर-514 ग्राम पंचायत - महोई के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - महोई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
392557.00	1188773.00	1581330.00	925404.00	655926.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-925404.00 का 50 प्रतिशत ₹0-462702.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-925404.00 का 50 प्रतिशत ₹0-462702.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-515 ग्राम पंचायत - महोई के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - महोई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
655926.00	1144278.00	1800204.00	1052185.00	748019.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1052185.00 का 50 प्रतिशत ₹0-526092.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1052185.00 का 50 प्रतिशत ₹0-526092.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-516 ग्राम पंचायत - महोई के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - महोई की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
748019.00	1715007.00	2463026.00	881282.00	1581744.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-881282.00 का 50 प्रतिशत ₹0-440641.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-881282.00 का 50 प्रतिशत ₹0-440641.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -दुर्गपुर

प्रस्तर-517 ग्राम पंचायत - दुर्गपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दुर्गपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
15186.00	560310.00	575496.00	249492.00	326004.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई

भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि रु0-249492.00 का 50 प्रतिशत रु0-124746.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-249492.00 का 50 प्रतिशत रु0-124746.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-518 ग्राम पंचायत - दुर्गपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दुर्गपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
326004.00	544692.00	870696.00	426670.00	444026.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि रु0-426670.00 का 50 प्रतिशत रु0-213335.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-426670.00 का 50 प्रतिशत रु0-213335.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-519 ग्राम पंचायत - दुर्गपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - दुर्गपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
444026.00	791715.00	1235741.00	488783.00	746958.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि रु0-488783.00 का 50 प्रतिशत रु0-244391.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , रु0-488783.00 का 50 प्रतिशत रु0-244391.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -जहानगंज

प्रस्तर-520 जहाँनगंज के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत जहाँनगंज . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
487420.82	1681321.00	2168741.82	1550787.00	617954.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायतरी राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1550787.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1550787.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 775393.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 1550787.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 775393.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-521 जहाँनगंज के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत जहाँनगंज . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
617954.82	1673166.00	2291120.82	1912820.00	378300.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1912820.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1912820.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 956410.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 1912820.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 956410.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-522 जहाँनगंज के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत जहाँनगंज . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
378300.82	4385729.00	4764029.82	2506775.00	2257254.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 2506775.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.2506775.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 1253387.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 2506775.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 1253387.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गदनपुर तुरा

प्रस्तर-523 गदनपुर तुरा के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत गदनपुर तुरा . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1200051.42	3797732.00	4997783.42	4306264.40	691519.02

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 4306264.40 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.4306264.40 का 50 प्रतिशत ₹0. 2153132.20 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 4306264.40 का 50 प्रतिशत ₹0. 2153132.20 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - न्यामतपुर ठाकुरान

प्रस्तर-524 न्यामतपुर ठाकुरान के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत न्यामतपुर ठाकुरान . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
806825.00	658337.00	1465162.00	627025.70	838136.30

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट

विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 627025.70 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.627025.70 का 50 प्रतिशत ₹0. 313512.85 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 627025.70 का 50 प्रतिशत ₹0. 313512.85 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-525 न्यामतपुर ठकुरान के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत न्यामतपुर ठकुरान . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
838136.30	1019749.00	1857885.30	1341043.20	516842.10

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1341043.20 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1341043.20 का 50 प्रतिशत ₹0. 670521.60 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 1341043.20 का 50 प्रतिशत ₹0. 670521.60 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महरूपुर खार

प्रस्तर-526 महरूपुर खार के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत महरूपुर खार . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
401407.87	520142.00	921549.87	653337.00	268212.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 653337.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की

संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.653337.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 326668.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 653337.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 326668.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-527 महरूपुर खार के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत महरूपुर खार .र की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
268212.87	771723.0	1039935.87	679837.00	360098.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 679837.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.679837.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 339918.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 679837.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 339918.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-528 महरूपुर खार के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत महरूपुर खार . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
360098.87	839170.00	1200928.87	568030.00	632898.87

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 2568030.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.568030.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 284015.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 568030.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 284015.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुसाखिरिया

प्रस्तर-529 मूसाखिरिया के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मूसाखिरिया . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
322187.87	1216904.0	1539091.87	1347643.68	191448.19

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1347643.68 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1347643.68 का 50 प्रतिशत ₹0. 673821.84 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 1347643.68 का 50 प्रतिशत ₹0. 673821.84 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-530 -मूसाखिरिया के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मूसाखिरिया . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
191448.19	1468660.00	1660108.19	1283983.55	376124.64

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 1283983.55 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.1283983.55 का 50 प्रतिशत ₹0. 641991.77 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 1283983.55 का 50 प्रतिशत ₹0. 641991.77 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-531 मूसाखिरिया के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मूसाखिरिया . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष

376124.64 2331043.00 2707167.64 2582803.90 124363.74

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 2582803.90 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0. 2582803.90 का 50 प्रतिशत ₹0. 1291401.95 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 2582803.90 का 50 प्रतिशत ₹0. 1291401.95 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पंजूरिया

प्रस्तर-532 पंजूरिया के वर्ष 2016.17 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पंजूरिया . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016.17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
384494.82	798018.00	1182512.82	18600.00	1163912.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016.17 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016.17 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2016.17 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 18600.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.18600.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 9300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 18600.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 9300.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-533 पंजूरिया के वर्ष 2017.18 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पंजूरिया . की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017.18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1163912.82	1348854.00	2512766.82	967488.00	1545278.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017.18 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017.18 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट

विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2017.18 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 967488.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.967488.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 483744.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 967488.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 483744.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-534 पंजूरिया के वर्ष 2018.19 के बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पंजूरिया की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018.19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है.

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1545278.82	1486036.00	3031314.82	673967.00	2357347.82

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018.19 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018.19 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार , पंचायत रीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 के प्रस्तर .8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, स धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जायेगी। अतः वर्ष 2018.19 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की धनराशि ₹0 673967.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0.673967.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 336983.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0. 673967.00 का 50 प्रतिशत ₹0. 336983.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड-नवाबगंज

ग्राम पंचायत - गुठिना

प्रस्तर-535 ग्राम पंचायत - गुठिना के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - गुठिना की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-114270.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-114270.00 का 50 प्रतिशत ₹0-57135.00 तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्री पंछीलाल से , ₹0-₹0-114270.00 का 50 प्रतिशत ₹0-57135.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-536 ग्राम पंचायत - गुठिना केवर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत - गुठिना की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1541752.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1541752.00 का 50 प्रतिशत ₹0-770876.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पंछी लाल से , ₹0-1541752.00 का 50 प्रतिशत ₹0-770876.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगला केल

प्रस्तर-537 ग्राम पंचायत - नगला केवल के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला केवल की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-57600.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-57600.00 का 50 प्रतिशत ₹0-28800.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से , ₹0-₹0-57600.00 का 50 प्रतिशत ₹0-28800.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-538 ग्राम पंचायत - नगला केवल के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नगला केवल की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट

विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1039923.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1039923.00 का 50 प्रतिशत ₹0-519961.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से , ₹0-₹0-1039923.00 का 50 प्रतिशत ₹0-519961.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रुखैया खालीदादपुर

प्रस्तर-539 ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुरके वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
207669.00	528537.00	736206.00	425660.00	310546.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-425660.00 का 50 प्रतिशत ₹0-212830.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-425660.00 का 50 प्रतिशत ₹0-212830.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-540 ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
310546.00	641015.00	951561.00	551198.00	400363.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययो , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई

भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-551198.00 का 50 प्रतिशत ₹0-275599.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-551198.00 का 50 प्रतिशत ₹0-275599.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-541 ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुर की लेखा परीक्षा "प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज" पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
400363.00	1009900.00	1410263.00	742756.00	667507.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अपहरण की धनराशि ₹0-742756.00 का 50 प्रतिशत ₹0-371378.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-742756.00 का 50 प्रतिशत ₹0-371378.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-542 रुखैया खालिकदादपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-75157.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-75157.00 का 50 प्रतिशत ₹0-37578.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुपम से , ₹0-75157.00 का 50 प्रतिशत ₹0-37578.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-543 रुखैया खालिकदादपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - रुखैया खालिकदादपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के

सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-977276.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-977276.00 का 50 प्रतिशत ₹0-488638.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुपम से , ₹0-977276.00 का 50 प्रतिशत ₹0-488638.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नौली

प्रस्तर-544 नौली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नौली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-80950.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-80950.00 का 50 प्रतिशत ₹0-40475.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से , ₹0-80950.00 का 50 प्रतिशत ₹0-40475.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-545 नौली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नौली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2580750.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2580750.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1290375.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से , ₹0-2580750.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1290375.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - साहबगंज

प्रस्तर-546 साहबगंज के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - साहबगंज की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-31500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अरूणा देवी से , ₹0-31500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-15750.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-547 साहबगंज के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - साहबगंज की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-744202.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-744202.00 का 50 प्रतिशत ₹0-372101.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अरूणा देवी से , ₹0-744202.00 का 50 प्रतिशत ₹0-372101.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुरार

प्रस्तर-548 कुरार के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुरार की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर

प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-66500.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-66500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-33250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से , ₹0-66500.00 का 50 प्रतिशत ₹0-33250.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-549 कुरार के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कुरार की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2129092.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2129092.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1064546.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से , ₹0-2129092.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1064546.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पिलखना

प्रस्तर-550 ग्राम पंचायत - पिलखना के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - पिलखना की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-51100.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-51100.00 का 50 प्रतिशत ₹0-25550.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से , ₹0-51100.00 का 50 प्रतिशत ₹0-25550.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-551- ग्राम पंचायत - पिलखना के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - पिलखना की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-5514425.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-5514425.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2757212.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से , ₹0-5514425.00 का 50 प्रतिशत ₹0-2757212.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अरवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अचरिया बाकरपुर

प्रस्तर-552 ग्राम पंचायत - अचरिया बाकरपुर के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अचरिया बाकरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
604693.00	978550.00	1583243.00	602680.00	980563.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-602680.00 का 50 प्रतिशत ₹0-301340.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-₹0-602680.00 का 50 प्रतिशत ₹0-301340.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-553 ग्राम पंचायत - अचरिया बाकरपुर के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अचरिया बाकरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
980563.00	1200516.00	2181079.00	449913.00	1731166.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-449913.00 का 50 प्रतिशत ₹0-224956.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-₹0-449913.00 का 50 प्रतिशत ₹0-224956.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-554 ग्राम पंचायत - अचरिया वाकरपुर के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अचरिया वाकरपुर की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1731166.00	1966130.00	3697296.00	2612782.00	1084514.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2612782.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1306391.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-₹0-2612782.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1306391.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-555 ग्राम पंचायत - अचरिया वाकरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अचरिया वाकरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-73975.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-73975.00 का 50 प्रतिशत ₹0-36987.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरपाल से, ₹0-73975.00 का 50 प्रतिशत ₹0-36987.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-556 ग्राम पंचायत - अचरिया वाकरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अचरिया वाकरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1028166.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1028166.00 का 50 प्रतिशत ₹0-514083.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरपाल से , ₹0-1028166.00 का 50 प्रतिशत ₹0-514083.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली

प्रस्तर-557 ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
486738.00	725495.00	1212233.00	692966.00	519267.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-692966.00 का 50 प्रतिशत ₹0-346483.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-692966.00 का 50 प्रतिशत ₹0-346483.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-558 ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
519267.00	1282280.00	1801547.00	668015.00	1133532.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-668015.00 का 50 प्रतिशत ₹0-334007.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-668015.00 का 50 प्रतिशत ₹0-334007.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-559 ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1133532.00	1840191.00	2973723.00	2100579.00	873144.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2100579.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1050289.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2100579.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1050289.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-560 ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-41300.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-41300.00 का 50 प्रतिशत ₹0-20650.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती से, ₹0-41300.00 का 50 प्रतिशत ₹0-20650.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-561 ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-899560.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-899560.00 का 50 प्रतिशत ₹0-449780.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जानवती से , ₹0-899560.00 का 50 प्रतिशत ₹0-449780.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 562 ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - फतेहपुर परिउली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित वर्ष के अन्त में नकद अवशेष की धनराशि को बैंक में जमा न कर अपने पास रखना । तो दर्शायी गयी नकद की धनराशि को वर्ष के अन्त में बैंक न जमा कर अपने पास रखना। , इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में अपने पास नकद धनराशि ₹0-258.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-258.00 का 50 प्रतिशत ₹0-129.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जानवती से , ₹0-258.00 का 50 प्रतिशत ₹0-129.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नौगाव

प्रस्तर-563 ग्राम पंचायत - नौगाव के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नौगाव की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
672247.00	1356934.00	2029181.00	904906.00	1124275.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-904906.00 का 50 प्रतिशत ₹0-452453.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-904906.00 का 50 प्रतिशत ₹0-452453.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-564 ग्राम पंचायत - नौगाव के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नौगाव की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1124275.00	1663140.00	2787415.00	1629014.00	1158401.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1629014.00 का 50 प्रतिशत ₹0-814507.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1629014.00 का 50 प्रतिशत ₹0-814507.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-565 ग्राम पंचायत - नौगाँव के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1158401.00	2430359.00	3588760.00	2105515.00	1483245.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2105515.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1052757.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2105515.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1052757.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-566 ग्राम पंचायत -नौगाव के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नौगाव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की

धनराशि ₹0-2256328.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2256328.00 का 50 प्रतिशत ₹0-128164.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जगदेवी से , ₹0-2256328.00 का 50 प्रतिशत ₹0-128164.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-567 ग्राम पंचायत - नौगाव के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नौगाव की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1412121.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1412121.00 का 50 प्रतिशत ₹0-706060.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जगदेवी से , ₹0-1412121.00 का 50 प्रतिशत ₹0-706060.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शिवपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिजौरी

प्रस्तर-568 ग्राम पंचायत - बिजौरी के वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बिजौरी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2016-17 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
378847.00	724060.00	1102907.00	666953.00	435954.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-17 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-666953.00 का 50 प्रतिशत ₹0-333476.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-666953.00 का 50 प्रतिशत ₹0-333476.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-569 ग्राम पंचायत - बिजौरी के वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बिजौरी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2017-18 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
435954.00	828302.00	1264256.00	1000.00	1263256.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-1000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-1000.00 का 50 प्रतिशत ₹0-500.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-570 ग्राम पंचायत - बिजौरी के वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बिजौरी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2018-19 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1263256.00	1618619.00	2881875.00	2729032.00	152843.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में किये गये व्ययों, अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः अपहरण की धनराशि ₹0-2729032.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1364516.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से, ₹0-2729032.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1364516.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-571 ग्राम पंचायत - बिजौरी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बिजौरी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-67810.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-67810.00 का 50 प्रतिशत ₹0-33905.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह से, ₹0-

67810.00 का 50 प्रतिशत ₹0-33905.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कटियार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-572 ग्राम पंचायत - बिजौरी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - बिजौरी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1073044.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1073044.00 का 50 प्रतिशत ₹0-536522.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह से , ₹0-1073044.00 का 50 प्रतिशत ₹0-536522.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कटियार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कनासी

प्रस्तर-573 ग्राम पंचायत - कनासी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कनासी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-261097.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-261097.00 का 50 प्रतिशत ₹0-130548.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शेर सिंह से , ₹0-261097.00 का 50 प्रतिशत ₹0-130548.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-574 ग्राम पंचायत - कनासी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कनासी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के

अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-924456.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-924456.00 का 50 प्रतिशत ₹0-462228.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शेर सिंह से , ₹0-924456.00 का 50 प्रतिशत ₹0-462228.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सलेमपुर त्योंरी

प्रस्तर-575 ग्राम पंचायत - सलेमपुर त्योंरी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सलेमपुर त्योंरी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-292767.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-292767.00 का 50 प्रतिशत ₹0-146383.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से , ₹0-292767.00 का 50 प्रतिशत ₹0-146383.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-576 ग्राम पंचायत - सलेमपुर त्योंरी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सलेमपुर त्योंरी की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-234405.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-234405.00 का 50 प्रतिशत ₹0-117202.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से , ₹0-234405.00 का 50 प्रतिशत ₹0-117202.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - समैचीपुर मजरा अठरूईया

प्रस्तर-577 ग्राम पंचायत - समैचीपुर मजरा अठरूईया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - समैचीपुर मजरा अठरूईया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-145232.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-145232.00 का 50 प्रतिशत ₹0-72616.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आदेश से , ₹0-145232.00 का 50 प्रतिशत ₹0-72616 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-578 ग्राम पंचायत - समैचीपुर मजरा अठरूईया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - समैचीपुर मजरा अठरूईया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-545168.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-545168.00 का 50 प्रतिशत ₹0-272584.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आदेश से , ₹0-545168.00 का 50 प्रतिशत ₹0-272584.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उम्मेरपुर

प्रस्तर-579 ग्राम पंचायत - उम्मेरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - उम्मेरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में

उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-149390.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-149390.00 का 50 प्रतिशत ₹0-74695.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह से , ₹0-149390.00 का 50 प्रतिशत ₹0-74695.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-580 ग्राम पंचायत - उम्मरपुर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - उम्मरपुर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्रामपंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1739631.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1739631.00 का 50 प्रतिशत ₹0-869815.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह से , ₹0-1739631.00 का 50 प्रतिशत ₹0-869815.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अठरूईया

प्रस्तर-581 ग्राम पंचायत - अठरूईया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अठरूईया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-156790.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-156790.00 का 50 प्रतिशत ₹0-78395.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह से , ₹0-156790.00 का 50 प्रतिशत ₹0-78395.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-582 ग्राम पंचायत - अठरूईया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - अठरूईया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-541908.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-541908.00 का 50 प्रतिशत ₹0-270954.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह से , ₹0-541908.00 का 50 प्रतिशत ₹0-270954.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री मानेन्द्र प्रताप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सैथरा

प्रस्तर-583 ग्राम पंचायत - सैथरा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - सैथरा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-80200.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-80200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-40100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सपना से , ₹0-80200.00 का 50 प्रतिशत ₹0-40100.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शाहिल चौधरी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-584 ग्राम पंचायत - सैथरा के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - नौली सैथरा की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त

आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-898496.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-898496.00 का 50 प्रतिशत ₹0-449248.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सपना से , ₹0-898496.00 का 50 प्रतिशत ₹0-449248.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शाहिल चौधरी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कक्डिली

प्रस्तर-585 ग्राम पंचायत - कक्डिली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कक्डिली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-128889.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-128889.00 का 50 प्रतिशत ₹0-64444.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से , ₹0-128889.00 का 50 प्रतिशत ₹0-64444.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कटियार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-586 ग्राम पंचायत - कक्डिली के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - कक्डिली की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-546819.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-546819.00 का 50 प्रतिशत ₹0-273409.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से , ₹0-546819.00 का 50 प्रतिशत ₹0-273409.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कटियार से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चन्दुईया

प्रस्तर-587 ग्राम पंचायत - चन्दुईया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चन्दुईया की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-86600.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-86600.00 का 50 प्रतिशत ₹0-43300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दफेदार से , ₹0-86600.00 का 50 प्रतिशत ₹0-43300.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शाहिल चौधरी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-588 ग्राम पंचायत - चन्दुईया के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-1339983.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1339983.00 का 50 प्रतिशत ₹0-669991.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दफेदार से , ₹0-1339983.00 का 50 प्रतिशत ₹0-669991.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शाहिल चौधरी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ईजौर

प्रस्तर-589 ग्राम पंचायत - ईजौर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईजौर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतो” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में

उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट के चतुर्थ राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-204430.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-204430.00 का 50 प्रतिशत ₹0-102215.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से , ₹0-204430.00 का 50 प्रतिशत ₹0-102215.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शाहिल चौधरी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-590 ग्राम पंचायत - चन्दुईया ईजौर के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - ईजौर की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट में दर्शित चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि ₹0-2830069.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-2830069.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1415034.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से , ₹0-2830069.00 का 50 प्रतिशत ₹0-1415034.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शाहिल चौधरी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चन्दनी

प्रस्तर-591 ग्राम पंचायत - चंदनी के वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखों की मांग की गयी ।

अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - चंदनी की लेखा परीक्षा “प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज” पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2019-20 की आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
13612.00	1064298.00	1077910.00	1028576.00	49334.00

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों , अनुदान की आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों” के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्ता-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जायेगी।” अतः वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट में फीड करायी गयी व्यय की धनराशि ₹0-1028576.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-1028576.00 का 50 प्रतिशत ₹0-514288.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-1028576.00 का 50 प्रतिशत ₹0-514288.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गनीपुर जोगपुर

प्रस्तर-592 ग्राम पंचायत - गनीपुर जोगपुर की वर्ष 2019-20 की कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावलिया जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से उक्त की मांग की गयी। इस कारण व्ययों की सत्यता/औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार बिना बाऊचर/बिल/पत्रावलियों के काल्पनिक भुगतान दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। अतः तमाम प्रयासों के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत - गनीपुर जोगपुर की लेखा परीक्षा कैश बुक पर दर्शित आंकड़ों के आधार पर की गयी है। वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नवत है:-

प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	वर्षान्त में शेष
1653400.47	10940046.00	12593446.47	7370845.68	5222600.79

इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावलिया जाँच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में किये गये व्ययों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों" के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" अतः वर्ष 2019-20 में कैश बुक में दर्शित व्यय की कुल धनराशि ₹0-7370845.68 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि ₹0-7370845.68 का 50 प्रतिशत ₹0-3685422.84 तत्कालीन ग्राम प्रधान से , ₹0-7370845.68 का 50 प्रतिशत ₹0-3685422.84 तत्कालीन ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड- बड़पुर

ग्राम पंचायत - अजमतपुर

प्रस्तर-593 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 2203076.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 2203076.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बीना , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 ₹0 2203076.00 का 50 प्रतिशत ₹0 11,01,538.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बीना , ₹0 ₹0 2203076.00 का 50 प्रतिशत ₹0 11,01,538.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-594 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 905121.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 905121.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम

प्रधान श्रीमती बीना , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 905121.00 का 50 प्रतिशित रु0 4,52,560.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बीना , रु0 905121.00 का 50 प्रतिशित रु0 4,52,560.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-595 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से जात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल रु0 4336252.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 4336252.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बीना , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 4336252.00 का 50 प्रतिशित रु0 21,68,126.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बीना , रु0 4336252.00 का 50 प्रतिशित रु0 21,68,126.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमेठी कोहना

प्रस्तर-596 वर्ष 2016.17 में रु 193500.00 आहरण किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट व प्रियासाफ्ट आकड़े अनुसार उक्त राशि का आहरण कर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया व व्यय किया गया है। प्रियासाफ्टएक्टिविटी कोड424330 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय रु 193500.00 दिनांक 16.12.2016 दिखाया जा रहा है, व्यय की पुष्टि में ग्राम प्रधान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली लेखामें अप्राप्त रही है और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि उक्त कार्य की स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी है यह भी अज्ञात रहा है, उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए रूप 193500.00 का आहरण कर काल्पनिक व्यय या फर्जी भुगतान कर अपहरण किया है जिसके लिए, ग्राम प्रधान विमला देवी व सचिव श्वेता उत्तरदायी है। अतः रु0 193500.00 की 50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली प्रधान विमला देवी व 50 प्रतिशत श्वेता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-597 वर्ष 2017.18 में रु0 92895.00 का आहरण किया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट व प्रिया साफ्ट आंकड़ों द्वारा की गयी हैं-

क्र0सं6एक्टिविटी कोड स्ट्रीट 15451193 लाइट कुल व्यय रु 92895 दिनांक 07.10.2017

क्र0सं9एक्टिविटी कोड 15446115 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय रु 92895 दिनांक 07.10.2017

क्र0सं19एक्टिविटी कोड 15450822 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय रु 92895 दिनांक 07.10.2017

क्र0सं22एक्टिविटी कोड 15447376 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय रु 92895 दिनांक 07.10.2017

क्र0सं23एक्टिविटी कोड 15450420 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय रु 92895 दिनांक 07.10.2017

रु0 92895.00 उक्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक 07.10.2017 को प्रियासाफ्ट आंकड़ों के हिसाब से स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया है जिसकी पुष्टि में ग्राम प्रधान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही है और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि उक्त कार्य की स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी है यह भी अज्ञात रहा है, ग्राम पंचायत में रु0 92895.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य में व्यय किया गया है प्रियासॉफ्ट आंकड़ों क्रम सं .6,9,19,22,23 के अनुसार तो कुल राशि रु0 92895*5 =रु 0 464475.00 होता है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए रूप 464475.00 का आहरण कर काल्पनिक व्यय या फर्जी भुगतान कर अपहरण किया है जिसके लिए, ग्राम प्रधान विमला देवी व सचिव श्वेता

उत्तरदायी है। अतः ₹0 464475.00 की 50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली प्रधान विमला देवी व 50 प्रतिशत सचिव श्वेता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-598 वर्ष 2018.19 में ₹0 92895.00 का आहरण किया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट व प्रिया साफ्ट आंकड़ों द्वारा की गयी हैं। प्रियासाफ्ट आंकड़े के अनुसार

क्र0सं4एक्टिविटी कोड16397835 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय ₹ 92895 दिनांक 21.08.2018

क्र0सं14एक्टिविटी कोड16397757 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय ₹ 92895 दिनांक 21.08.2018

क्र0सं20एक्टिविटी कोड16397970 स्ट्रीट लाइट कुल व्यय ₹ 92895 दिनांक 21.08.2018

₹0 92895.00 उक्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक 07.10.2017 को प्रियासाफ्ट आंकड़ों के हिसाब से स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया है जिसकी पुष्टि में ग्राम प्रधान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली लेखामें अप्राप्त रही है और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहा यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि कत कार्य की स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी है यह भी अज्ञात रहा है, ग्राम पंचायत में ₹0 92895.00 स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य में व्यय किया गया है प्रियासाफ्ट आंकड़ों क्रमसं .4,14,20 के अनुसार तो कुल राशि ₹0 92895*30= ₹0 278685.00 होता है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए रूप 278685.00 का आहरण कर काल्पनिक व्यय या फर्जी भुगतान कर अपहरण किया है जिसके लिए, ग्राम प्रधान विमला देवी व सचिव श्वेता उत्तरदायी है। अतः ₹0 278685.00 की 50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली प्रधान विमला देवी व 50 प्रतिशत सचिव श्वेता से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अरूपहाड़पुर

प्रस्तर-599 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासाफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 44340.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 44340.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम चन्द्र , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 ₹0 44340.00 का 50 प्रतिशत ₹0 22,170.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम चन्द्र , ₹0 ₹0 44340.00 का 50 प्रतिशत ₹0 22,170.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-600 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासाफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 2122445.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 2122445.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम चन्द्र , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 2122445.00 का 50 प्रतिशत ₹0 10,61,222.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम चन्द्र , ₹0 2122445.00 का 50 प्रतिशत ₹0 10,61,222.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-601 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल ₹0 1048736.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 1048736.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम चन्द्र , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 1048736.00 का 50 प्रतिशित ₹0 5,24,368.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम चन्द्र , ₹0 1048736.00 का 50 प्रतिशित ₹0 5,24,368.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - आमिलपुर

प्रस्तर-602 -ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 19829.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 19829.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री दयाराम , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 19829.00 का 50 प्रतिशित ₹0 9,914.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दयाराम , ₹0 19829.00 का 50 प्रतिशित ₹0 9,914.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-603 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 1803687.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 1803687.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री दयाराम , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 1803687.00 का 50 प्रतिशित ₹0 9,01,843.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दयाराम , ₹0 1803687.00 का 50 प्रतिशित ₹0 9,01,843.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - आवाजपुर

प्रस्तर-604 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल ₹0 2434131.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट

है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 2434131.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रीना , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 2434131.00 का 50 प्रतिशित ₹0 12,17,065.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीना , ₹0 2434131.00 का 50 प्रतिशित ₹0 12,17,065.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कटरीगंगपुर

प्रस्तर-605 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 129244.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 129244.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 129244.00 का 50 प्रतिशित ₹0 64,622.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी , ₹0 129244.00 का 50 प्रतिशित ₹0 64,622.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-606 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 975427.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 975427.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 975427.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,87,713.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी , ₹0 975427.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,87,713.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कलौली मोहबुल्लापुर

प्रस्तर-607 वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में ₹0 49200 आहरण किया गया है हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय किया गया है जवकि उक्त व्यय की पुष्टि में हैण्डपम्प लाभार्थी द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना व उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं रहा, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या .27/2017/662/33.3.2017.46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश का पालन किया गया है या नहीं जाच न की जा सकी डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही क्योंकि डेड स्टॉक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है। स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 49200.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 ₹0 49200.00 का 50

प्रतिशित ₹0 24,600.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला , ₹0 ₹0 49200.00 का 50 प्रतिशित ₹0 24,600.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-608 वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट व कोषवही से ज्ञात हुआ कि रुपये 92895.00 का ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया है उक्त राशि व्यय की पुष्टि में ग्राम प्रधान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावरकारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा विल भुगतान संबंध समस्त औपचारिकता पूर्ण की गयी है या नहीं पत्रावली अप्राप्त रही और फाईल में फोटों व स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा। स्मृत् स्ट्रीट लाईट के संदर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दरका निर्धारणमें कड की समिति के किये जाने संबंधी पत्रावली भी लेखापरीक्षा में अप्राप्त रही है तथा यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि उक्त कार्य की स्थापना पुराने स्ट्रीट लाईट के स्थान पर की गयी है या नहीं पुराने की दशा में इसका निस्तारण की प्रक्रिया क्या ही यह भी ज्ञात नहीं हो सका, उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रुपये 92895.00 काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 92895.00 का 50 प्रतिशित ₹0 46,447.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला , ₹0 92895.00 का 50 प्रतिशित ₹0 46,447.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-609 वर्ष 2018.19 में ₹0 59600.00 हैण्डपम्प रिवोर का कार्य ग्रामपंचायत द्वारा कराया गया है जिसकी पुष्टि में पंचायत राज अनुभाग 3 के साशनादेश संख्या 51/2017/1211/33.3.2017.46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिवोर की गाईडलाईन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतिक्षा सूचि और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षामें अप्राप्त रही है। साथ ही पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित किये ने हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण , पर्वक्षण की पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण गाईडलाईन पालन की स्थिति अज्ञात रही । अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 59600.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 59600.00 का 50 प्रतिशित ₹0 29,800.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला , ₹0 59600.00 का 50 प्रतिशित ₹0 29,800.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुबेरपुर घाट

प्रस्तर-610 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 899361.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 899361.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सन्तोष , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 899361.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,49,680.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सन्तोष , ₹0 899361.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,49,680.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-611 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 1234252.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट

है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 1234252.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सन्तोष , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 1234252.00 का 50 प्रतिशित रु0 6,17,126.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सन्तोष , रु0 1234252.00 का 50 प्रतिशित रु0 6,17,126.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जनैया सठैया

प्रस्तर-612 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 391610.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 391610.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान हंसमुखी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 391610.00 का 50 प्रतिशित रु0 1,95,805.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान हंसमुखी , रु0 391610.00 का 50 प्रतिशित रु0 1,95,805.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-613 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल रु0 813461.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 813461.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान हंसमुखी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 813461.00 का 50 प्रतिशित रु0 4,06,730.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान हंसमुखी , रु0 813461.00 का 50 प्रतिशित रु0 4,06,730.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-614 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल रु0 2029254.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 2029254.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान हंसमुखी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 2029254.00 का 50 प्रतिशित रु0 10,14,627.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान हंसमुखी , रु0 2029254.00 का 50 प्रतिशित रु0 10,14,627. 00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जसमई

प्रस्तर-615 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 1654700.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित

प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 1654700.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीना , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 1654700.00 का 50 प्रतिशत रु0 8,27,350.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीना , रु0 1654700.00 का 50 प्रतिशत रु0 8,27,350.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-616 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से जात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल रु0 737880.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 737880.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीना , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 737880.00 का 50 प्रतिशत रु0 3,68,940.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीना , रु0 737880.00 का 50 प्रतिशत रु0 3,68,940.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -जैतपुर

प्रस्तर-617 वर्ष 2016.17 में हैण्डपम्प ;जल हेतु कार्य कराया गया है जिसमें प्रियासाफ्ट द्वारा रु0 110000.00 दिनांक 15.12.2016 में कार्रित किया गया है चतुर्थ राज्य वित्त खाता से परन्तु बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 15.12.2016 में कोई धनराशि आहरित नहीं की गयी है। लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प खराब की सूचना व उसके मरम्मत मांग संबंधी प्रपत्र अप्राप्त रहा है जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थान की हैण्डपम्प खराब की सूचना व उसके मरम्मत मांग संबंधी प्रपत्र अप्राप्त रहा है जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थान पर हैण्डपम्प मरम्मत किया गया है जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया है उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या.27/2017/662/33.3.2017.46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिनों को अंदर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश है का पालन किया गया है नहीं की जांच नहीं की जा सकी, डेड स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही स्टॉक रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए उक्त धनराशि का अपहाण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र व ग्राम सचिव दीक्षा व्यय राशि का 50.50 प्रतिशत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-618 वर्ष 2017.18 में स्ट्रीट लाइट कार्य 4 जगह पर कराया गया है रु0 98600.00 प्रति जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान धसचिव द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान संबंधी समस्त औपचारिकता पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्राप्त रही है और फाईल में फोटो और सथापना प्रमाण पत्र भी संलग्न हीं है। रु. 98600*4=394400 रु0 व्यय चार स्थान पर स्ट्रीट लाइट में व्यय किया गया है, परन्तु प्रपत्र अप्राप्त की स्थिति अपहरण को दर्शाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुभाषचन्द्र व ग्राम सचिव दीक्षा से व्यय की गयी राशि का 50-50 प्रतिशत अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवरामपुर

प्रस्तर-619 वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट व कोषवही से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य कराया गया है ₹0 99320.00 की दर से दो जगह पर जिसमें $99320 \times 2 = 198640.00$ व्यय हुआ है। यह स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य के संबंध में ग्राम प्रधान श्री राजन व सचिव लक्ष्मी ग्राम पंच तथा 30 प्र0 पावरकारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा विल भुगतान संबंध समस्त औपचारिकता पूर्ण की गयी है या नहीं पत्रावली अप्राप्त रही और फाईल में फोटों व स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा जिससे स्पष्ट होता है कि स्थापना कार्य में व्यय काल्पनिक व्यय है। फर्जी भुगतान कर ₹0 198640.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए, ग्राम प्रधान श्री राजन व सचिव लक्ष्मी उत्तरदायी है। अतः ₹0 198640.00 का 50 प्रतिशत की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजन व 50 प्रतिशत की ब्याज सहित वसूली सचिव लक्ष्मी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - धनसुआ

प्रस्तर-620 ग्राम पंचायत में वित्त, लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 507188.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली, प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 507188.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुरजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 507188.00 का 50 प्रतिशत ₹0 2,53,594.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरजीत सिंह, ₹0 507188.00 का 50 प्रतिशत ₹0 2,53,594.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-621 ग्राम पंचायत में वित्त, लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 914311.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली, प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 914311.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुरजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 914311.00 का 50 प्रतिशत ₹0 4,57,155.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरजीत सिंह, ₹0 914311.00 का 50 प्रतिशत ₹0 4,57,155.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-622 ग्राम पंचायत में वित्त, लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल ₹0 2082035.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली, प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 2082035.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुरजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 2082035.00 का 50 प्रतिशत ₹0 10,41,017.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरजीत सिंह, ₹0 2082035.00 का 50 प्रतिशत ₹0

10,41,017.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नियामतपुर

प्रस्तर-623 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 702520.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 702520.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनोज , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी हैं। अतः इस धनराशि ₹0 702520.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,51,260.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज , ₹0 702520.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,51,260.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-624 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 601731.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 601731.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनोज , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी हैं। अतः इस धनराशि ₹0 601731.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,00,865.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज , ₹0 601731.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,00,865.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नीवलपुर

प्रस्तर-625 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 295700.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 295700.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री घनश्याम , ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधार कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। अतः इस धनराशि ₹0 295700.00 का 50 प्रतिशित ₹0 1,47,850.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री घनश्याम , ₹0 295700.00 का 50 प्रतिशित ₹0 1,47,850.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सुधार कुमार श्रीवास्तव ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-626 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 866397.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित

मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 866397.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री घनश्याम , ग्राम विकास अधिकारी श्री श्वेता उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 866397.00 का 50 प्रतिशित रु0 4,33,198.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री घनश्याम , रु0 866397.00 का 50 प्रतिशित रु0 4,33,198.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नेकपुरखर्द

प्रस्तर-627 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल रु0 1135752.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 1135752.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुबोध , ग्राम विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 1135752.00 का 50 प्रतिशित रु0 5,67,876.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुबोध , रु0 1135752.00 का 50 प्रतिशित रु0 5,67,876.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - न्यामतपुर

प्रस्तर-628 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 702520.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 702520.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनोज , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 रु0 702520.00 का 50 प्रतिशित रु0 3,51,260.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज , रु0 रु0 702520.00 का 50 प्रतिशित रु0 3,51,260.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-629 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल रु0 601731.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 601731.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनोज , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 601731.00 का 50 प्रतिशित रु0 3,00,865.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज , रु0 601731.00 का 50 प्रतिशित रु0 3,00,865.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-630 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल ₹0 835466.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 835466.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनोज , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 835466.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,17,733.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज , ₹0 835466.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,17,733.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पीथूपुर मेहदिया

प्रस्तर-631 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 554499.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 554499.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अवधेश चन्द्र , ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 554499.00 का 50 प्रतिशित ₹0 2,77,249.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश चन्द्र , ₹0 554499.00 का 50 प्रतिशित ₹0 2,77,249.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-632 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 1235154.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 1235154.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अवधेश चन्द्र , ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 1235154.00 का 50 प्रतिशित ₹0 6,17,577.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश चन्द्र , ₹0 1235154.00 का 50 प्रतिशित ₹0 6,17,577.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भगुआ नगला

प्रस्तर-633 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 467617.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण

रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 467617.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान हंसमुखी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 467617.00 का 50 प्रतिशित रु0 2,33,808.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान हंसमुखी, रु0 467617.00 का 50 प्रतिशित रु0 2,33,808.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मसेनी

प्रस्तर-634 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 500589.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 500589.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री हर्षवर्धन , ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 500589.00 का 50 प्रतिशित रु0 2,50,294.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हर्षवर्धन , रु0 500589.00 का 50 प्रतिशित रु0 2,50,294.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सुधीर श्रीवास्तव ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महरूपुर सहजू

प्रस्तर-635 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 573291.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 573291.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान गुड्डि देवी , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 573291.00 का 50 प्रतिशित रु0 2,86,645.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान गुड्डि देवी , रु0 573291.00 का 50 प्रतिशित रु0 2,86,645.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-636 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल रु0 5316361.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 5316361.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान गुड्डि देवी , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 5316361.00 का 50 प्रतिशित रु0 3,00,865.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान गुड्डि देवी , रु0 5316361.00 का 50 प्रतिशित रु0 3,00,865.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महलई

प्रतिशित ₹0 9,91,480.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा , ₹0 1982961.00 का 50 प्रतिशित ₹0 9,91,480.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-641 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 9694018.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 9694018.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 9694018.00 का 50 प्रतिशित ₹0 48,47,009.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा , ₹0 9694018.00 का 50 प्रतिशित ₹0 48,47,009.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रसीदपुर

प्रस्तर-642 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 654740.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 654740.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती राजवति , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 654740.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,27,370.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजवति , ₹0 654740.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,27,370.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-643 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 680506.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 680506.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती राजवति , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 680506.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,40,253.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजवति , ₹0 680506.00 का 50 प्रतिशित ₹0 3,40,253.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रामपुर डफरपुर

प्रस्तर-644 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 67241.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित

प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 67241.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 ₹0 67241.00 का 50 प्रतिशित ₹0 33,620.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता , ₹0 ₹0 67241.00 का 50 प्रतिशित ₹0 33,620.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-645 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 1033226.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 1033226.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 1033226.00 का 50 प्रतिशित ₹0 5,16,613.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता , ₹0 1033226.00 का 50 प्रतिशित ₹0 5,16,613.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-646 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल ₹0 853364.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 853364.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 853364.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,26,682.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता , ₹0 853364.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,26,682.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रेहाकरनपुर

प्रस्तर-647 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 558018.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 558018.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री फिरोज आलम , ग्राम विकास अधिकारी श्री अतुल श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 558018.00 का 50 प्रतिशित ₹0 2,79,009.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री फिरोज आलम , ₹0 558018.00 का 50 प्रतिशित ₹0

2,79,009.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री अतुल श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-648 वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट व कोषवही से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य कराया गया है। यह स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य रुपये 92895.00 की दर से ग्राम पंचायत में तीन स्थान पर कराया गया है जिसमें रुपये $92895 \times 3 = \text{रु० } 278685.00$ व्यय किया गया है जिसमें व्यय के सापेक्ष ग्राम प्रधान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत और 30 प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान संबंधी समस्त औपचारिकता पूर्ण नहीं की गयी है पत्रावली अप्राप्त रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहा। यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि स्थापना कार्य पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर किया गया है या नहीं, पत्रावली अप्राप्त रही है। जिससे यह स्पष्ट रहा कि वास्तविक व्यय या फर्जी भुगतान दिखाकर रु० 278685.00 का आहरण किया गया है जिसके लिए, ग्राम प्रधान श्री फिरदौस आलम , ग्राम विकास अधिकारी श्री अतुल श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु० 278685.00 का 50 प्रतिशित रु० 1,39,342.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री फिरदौस आलम , रु० 278685.00 का 50 प्रतिशित रु० 1,39,342.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री अतुल श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत वरौन

प्रस्तर-649 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु० 627780.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु० 627780.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान शहनाज बेमन , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु० 627780.00 का 50 प्रतिशित रु० 3,13,890.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान शहनाज बेमन , रु० 627780.00 का 50 प्रतिशित रु० 3,13,890.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-650 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल रु० 2189019.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु० 2189019.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान शहनाज बेमन , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु० 2189019.00 का 50 प्रतिशित रु० 10,94,509.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान शहनाज बेमन , रु० 2189019.00 का 50 प्रतिशित रु० 10,94,509.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-651 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल रु० 1761585.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित

प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 1761585.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान शहनाज बेमन , ग्राम विकास अधिकारी श्री राजू गौतम उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 1761585.00 का 50 प्रतिशित रु0 8,80,792.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान शहनाज बेमन , रु0 1761585.00 का 50 प्रतिशित रु0 8,80,792.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजू गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बसेली

प्रस्तर-652 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 290281.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 290281.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 रु0 290281.00 का 50 प्रतिशित रु0 1,45,140.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार , रु0 रु0 290281.00 का 50 प्रतिशित रु0 1,45,140.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-653 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल रु0 17225607.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 17225607.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 17225607.00 का 50 प्रतिशित रु0 8,62,803.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार , रु0 17225607.00 का 50 प्रतिशित रु0 8,62,803.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत वांगलकूला

प्रस्तर-654 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 369597.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 369597.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री हरिराम , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 369597.00 का 50

प्रतिशित ₹0 1,84,798.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिराम , ₹0 369597.00 का 50 प्रतिशित ₹0 1,84,798.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-655 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 997456.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 997456.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री हरिराम , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 997456.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,98,728.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिराम , ₹0 997456.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,98,728.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वावरपुर

प्रस्तर-656 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 1817886.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 1817886.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सेवल , ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 ₹0 1817886.00 का 50 प्रतिशित ₹0 9,08,943.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सेवल , ₹0 ₹0 1817886.00 का 50 प्रतिशित ₹0 9,08,943.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-657 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 437730.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 437730.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सेवल , ग्राम विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 ₹0 437730.00 का 50 प्रतिशित ₹0 2,18,865.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सेवल , ₹0 437730.00 का 50 प्रतिशित ₹0 2,18,865.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-658 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल ₹0 3339399.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 3339399.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम

प्रधान श्री सेवल , ग्राम विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 3339399.00 का 50 प्रतिशित रु0 16,69,699.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सेवल , रु0 रु0 3339399.00 का 50 प्रतिशित रु0 16,69,699.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -विलावलपुर

प्रस्तर-659 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल रु0 78023.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 78023.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसी देवी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 78023.00 का 50 प्रतिशित रु0 39,011.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसी देवी , रु0 78023.00 का 50 प्रतिशित रु0 39,011.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-660 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल रु0 1549636.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 1549636.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसी देवी , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 1549636.00 का 50 प्रतिशित रु0 7,74,818.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तुलसी देवी , रु0 1549636.00 का 50 प्रतिशित रु0 7,74,818.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वीसलपुर तराई

प्रस्तर-661 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल रु0 2005137.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर रु0 2005137.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह , ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रु0 2005137.00 का 50 प्रतिशित रु0 10,02,568.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह , रु0 2005137.00 का 50 प्रतिशित रु0 10,02,568.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सतीश सुमन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरैया

प्रस्तर-662 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2016.17 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016.17 में कुल ₹0 535666.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 535666.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सनी , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 535666.00 का 50 प्रतिशित ₹0 2,67,833.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सनी , ₹0 535666.00 का 50 प्रतिशित ₹0 2,67,833.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-663 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2017.18की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017.18 में कुल ₹0 1190298.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 1190298.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सनी , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 1190298.00 का 50 प्रतिशित ₹0 5,95,149.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सनी , ₹0 1190298.00 का 50 प्रतिशित ₹0 5,95,149.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-664 ग्राम पंचायत में वित्त , लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया । वर्ष 2018.19 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018.19 में कुल ₹0 826305.00 का आहरण किया गया जिसके व्यय की पुष्टि के लिए, वांछित प्रमाणक तथा कैशबुक स्वीकृत कार्य योजना, प्राक्कलन, ,एमबी., वर्क आईडी, टेण्डर व कोटेशन की पत्रावली ,प्रमाणित मस्टर रोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, जीएसटी, टीडीएस कटौती युक्त व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक कार्य रजि., निरीक्षण रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजि., भौतिक सत्यापन रिपोर्ट , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय अथवा फर्जी भुगतान दर्शाकर ₹0 826305.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सनी , ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि ₹0 826305.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,13,152.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सनी , ₹0 826305.00 का 50 प्रतिशित ₹0 4,13,152.5 तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2019-20

प्रारूप - 4

जनपद- कन्नौज

मण्डल- कानपुर

जनपद- कन्नौज की ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा के दौरान अधिभार योग्य पाए गये प्रस्तर-

1- ग्राम पंचायत - वैसापुर पट्टी

विकास खण्ड - कन्नौज

प्रस्तर सं०-1 ग्राम पंचायत वैसापुर पट्टी में लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ/14वाँ-वित्त आयोग) के खाते से ₹.3924117.40 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया -

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2011-12	222226.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2012-13	619609.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	1501157.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1400727.40	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	180398.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा व श्री रामपाल एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	3924117.40	

परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा एवम् पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा। चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 3924117.40 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. 3924117.40 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

2- ग्राम पंचायत - मडहरपुर

विकास खण्ड - कन्नौज

प्रस्तर सं०-2 ग्राम पंचायत मडहरपुर में लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ/14वाँ-वित्त आयोग) के खाते से रु.2176708.40 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया।

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2011-12	310911.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जब्बार खां एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	197000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जब्बार खां एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	461216.85	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जब्बार खां एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1207580.55	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जब्बार खां एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग=	2176708.40	

परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा एवम् पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा। चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु.2176708.40 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. 2176708.40 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत - भिदासिन

विकास खण्ड - कन्नौज

प्रस्तर सं०-3

ग्राम पंचायत भिदासिन में लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ/14वाँ-वित्त आयोग) के खाते से रु. 1589475.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया, परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा एवम् पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम

जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

आलोच्य वर्षों में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासॉफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का विवरण निम्नवत है -

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2011-12	330582.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	174260.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	282085.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	585786.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	216762.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल व श्री ब्रजभान सिंह एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	1589475.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1589475.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. 1589475.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

4- ग्राम पंचायत - मुरैया बुजुर्ग

विकास खण्ड - कन्नौज

प्रस्तर सं०-4

ग्राम पंचायत मुरैया बुजुर्ग में लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2015-16 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ/14वाँ-वित्त आयोग) के खाते से रु. 5525439.53 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया। परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा एवम् पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

आलोच्य वर्षों में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासॉफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का विवरण निम्नवत है -

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2011-12	594404.00	तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री विनोद एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	702729.00	तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री विनोद एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	1790875.00	तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री विनोद एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1311925.55	तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री विनोद एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	1125505.98	तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री विनोद व श्रीमती गीता देवी एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	5525439.53	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 5525439.53 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. 5525439.53 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

5- ग्राम पंचायत - करमुल्लापुर

विकास खण्ड - छिबरामऊ

प्रस्तर सं०- 5 शासनादेश संख्या ए-1- 864(1)/ दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितंबर 2008 के अनुसार रु० 20000.00 से अधिक व रु० 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु० 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने चाहिए, किन्तु शासन द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना कर बिना टी आई एन नंबर के वाउचर लगाये एवं कोटेशन व टेंडर प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया जिसका विवरण निम्न है-

वर्ष	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	अन्य विवरण
2014-15	02.04.2014	03	17550.00	बिना टी आई एन नंबर का वाउचर
2014-15	02.04.2014	04	23500.00	बिना टी आई एन नंबर का वाउचर
2014-15	30.04.2014	13	94001.00	बिना टी आई एन नंबर का वाउचर , बिना कोटेशन
2014-15	03.05.2014	16	70516.00	बिना कोटेशन
2014-15	19.05.2014	19	1800.00	बिना टी आई एन नंबर का वाउचर
2014-15	19.05.2014	21	2500.00	बिना टी आई एन नंबर का वाउचर
2014-15	07.06.2014	26	62000.00	बिना कोटेशन
2014-15	19.06.2014	31	690.00.00	बिना टी आई एन नंबर का वाउचर
2014-15	30.06.2014	35	35300.00	बिना टी आई एन नंबर का वाउचर , बिना कोटेशन
2014-15	15.07.2014	35	35300.00	बिना कोटेशन
2014-15	24.07.2014	41	113928.00	बिना टेंडर प्रक्रिया
2014-15	14.10.2014	43	40500.00	बिना कोटेशन
2014-15	--	47	48600.00	बिना कोटेशन
2014-15	03.01.2015	56	30600.00	बिना कोटेशन
2014-15	19.01.2015	59	75000.00	बिना कोटेशन
		योग=	651785.00	
2015-16	16.04.2015	02	60000.00	बिना कोटेशन

2015-16	14.05.2015	15	90000.00	बिना कोटेशन
2015-16	21.05.2015	20	26660.00	बिना कोटेशन
2015-16	08.06.2015	22	38000.00	बिना कोटेशन
2015-16	26.06.2015	23	49800.00	बिना कोटेशन
2015-16	26.06.2015	24	32000.00	बिना कोटेशन
2015-16	06.10.2015	26	10560.00	बिना कोटेशन
		योग=	307020.00	
		महायोग=	958805.00	

शासन के आदेशों का पालन न कर ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी हैं | अतः प्रधान श्री राम लड़ते एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कौशलेन्द्र सिंह से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर सं०- 6 वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए-

क्र.	वर्ष	दिनांक	प्रमाणक स.	धनराशि	विवरण
1-	2014-15	19.05.2014	20	3200.00	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध
2-	2014-15	19.05.2014	22	1050.00	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध
3-	2014-15	07.06.2014	25	152.00	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध
4-	2014-15	19.06.2014	30	452.00	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध
5-	2014-15	15.07.2014	38	7500.00	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध
6-	2015-16	18.04.2015	09	54000.00	व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध
			योग=	66354.00	

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय की गई धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) में दिए गए प्राविधानानुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी।" अतः रु. 66354.00 का 50% रु. 33177.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लड़ते से एवं 66354.00 का 50% रु.33177.00 तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों के कार्यकाल का विवरण विकास खण्ड स्तर से उपलब्ध न कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत अधिकारी वार दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सका जो अपेक्षित रहा।

06- ग्राम पंचायत - सरसई

विकास खण्ड - उमर्दा

प्रस्तर सं०- 07 ग्राम पंचायत सरसई में लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2018-19 में बैंक स्टेटमेंट/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/13वाँ/14वाँ-वित्त आयोग) के खाते से रु. 12268078.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया।

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	60000.00	ग्राम प्रधान श्री अनोखे लाल एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	780407.00	ग्राम प्रधान श्री अनोखे लाल एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	553959.00	ग्राम प्रधान श्री अनोखे लाल एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	1418524.00	ग्राम प्रधान श्री अनोखे लाल एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	745439.00	ग्राम प्रधान श्री अनोखे लाल एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2015-16	1174981.00	ग्राम प्रधान श्री अनोखे लाल एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2016-17	2087153.00	ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2017-18	2162233.00	ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार एवम् तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2018-19	3285382.00	ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार एवम् ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मो० मुजीब खां
योग=	12268078.00	

परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 12268078.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. 12268078.00 की उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

07- ग्राम पंचायत - बहसार

विकास खण्ड - उमर्दा

प्रस्तर सं०-08 वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम निधि प्रथम खाते से निम्नलिखित धन आहरित करके व्यय होना दर्शाया गया है-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान का प्रकार	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य विवरण
1	2017-18	03-04-17	031654	5000	कैश	शिवशंकर	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
2	2017-18	03-04-17	031653	20000	कैश	अरविन्द कुमार	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
3	2017-18	05-04-17	031650	20000	कैश	सुरेश	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
4	2017-18	13-04-17	031660	20000	कैश	मन्नी लाल	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
5	2017-18	05-04-17	031655	20000	कैश	सुरेश	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
6	2017-18	13-04-17	031659	20000	कैश	सुनील	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
7	2017-18	15-04-17	031657	40000	ट्रांसफर	सुनील	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
8	2017-18	15-04-17	031656	75000	ट्रांसफर	सुनील	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
9	2017-18	15-04-17	031658	85000	ट्रांसफर	सुनील	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
10	2017-18	17-10-17	031662	7000	कैश	विनय कुमार	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
11	2017-18	18-10-17	031663	3000	कैश	अनूप विश्नोई	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
12	2017-18	30-10-17	031664	7140	चेक	अनूप विश्नोई	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
13	2017-18	20-12-17	031666	13200	कैश	विवेक कुमार	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
14	2017-18	27-12-17	031667	7000	कैश	अमित कुमार	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
15	2017-18	12-01-18	031669	9200	कैश	सुभाष	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
16	2017-18	12-01-18	031670	14000	कैश	सुरेश बाबू	कोई व्यय प्रमाणक नहीं
17	2017-18	16-01-18	031668	53410	ट्रांसफर	सुरेश बाबू	कोई व्यय प्रमाणक नहीं

क- उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है ।

ख- लेखा परीक्षा में कार्य योजना, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये ।

ग- शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु. 20000 से अधिक व 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु. 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये ।

घ- पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर 5 क अनुसार पंचायत द्वारा रु0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के बावजूद भी कोई व्यय प्रमाणक 1 (बिल/वाउचर/एम आर) प्रस्तुत नहीं किये गये । पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के प्रावधान के अनुसार- “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी ।”

अतः रु. 418950.00 का 50% रु. 209475.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू से एवं रु. 418950.00 का 50% रु. 209475.00 तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बाबूलाल गौतम एवं मो० मुजीब से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

08- ग्राम पंचायत - महतेपुरा

विकास खण्ड - उमर्दा

प्रस्तर सं०- 09 मेन बम्बा रोड से सी.सी. रोड तक इंटरलॉकिंग पर निम्न व्यय दर्शाए गए हैं-

वित्तीय वर्ष	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	चेक संख्या	अन्य विवरण
2017-18	03-04-17	1	5000	24312	वाउचर नहीं
2017-18	03-04-17	2	5000	24311	वाउचर नहीं
2017-18	12-04-17	3	15000	24317	एम आर नहीं / नकद निकासी
2017-18	12-04-17	4	50000	24320	वाउचर नहीं
2017-18	12-04-17	5	65000	24319	वाउचर नहीं
2017-18	15-04-17	6	15000	24316	वाउचर नहीं
2017-18	19-04-17	7	10000	24318	एम आर नहीं / नकद निकासी
		योग	165000/-		

क- पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-05 के प्रस्तर-5 के अनुसार पंचायत द्वारा रु. 2000 से अधिक का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा तथा शासन के पत्रांक सं० 2686/27.07.2011-752 प०श०जी०ए 2011 के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान को मानदेय के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नकद/सेल्फ चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा । परन्तु मिट्टी ढुलाई (चेक सं०- 24311, 24312) मौरंग क्रय (चेक संख्या- 24316) एवं मजदूरी (चेक संख्या- 24317, 24318) का भुगतान नकद धन आहरित करके किया गया है ।

ख- लेखा परीक्षा के दौरान पैर्माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई ।

ग- इंटरलॉकिंग ईट का स्ट्रेंथ प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण उसकी गुणवत्ता अप्रमाणित रही।

घ- उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 202 में स्टॉक रजिस्टर (रूप पत्र सं० 25) रखने का प्रावधान है किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण इंटरलॉकिंग ईट के स्टॉक की पुष्टि नहीं हो सकी।

ड- शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रु. 20000 से अधिक व 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेशन और रु. 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये। किन्तु इंटरलॉकिंग ईट क्रय (चेक संख्या- 24319. 24320) के क्रम में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इंटरलॉकिंग का समस्त कार्य काल्पनिक है। लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के बावजूद भी कोई व्यय प्रमाणक (बिल/वाउचर/एम०आर०) प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो दर्शायी गयी व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा। अतः अपहरण की धनराशि रु 165000 का 50% रु. 82500 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी से एवं 165000 का 50% रु. 82500 तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री बाबूलाल गौतम से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 10 ग्राम पंचायत महतेपुरा में लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में 01/07/2017 से 28/02/2018 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाते से रु.492010/- से आहरित कर व्यय किया गया। उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां व अन्य सम्बन्धित अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार 'यदि दर्शाए गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।' ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा। अतः अपहरण की धनराशि रु0 492010.00 का 50% रु. 246005.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी से एवं रु0 492010.00 का 50% रु. 246005.00 तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी मो० मुजीब से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिभार वार्षिक प्रतिवेदन

प्रारूप-4

जनपद - कानपुर देहात

विकासखण्ड:- संदलपुर

मण्डल - कानपुर

ग्राम पंचायत:- भन्देमऊ

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं० 1..ग्राम पंचायत भन्देमऊ की वर्ष 2018-19 की कोष बही की जांच में पाया गया है कि हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर निम्न प्रकार से धनराशियों का आहरण किया गया है।

दिनांक	वा०सं०	कार्य का नाम	धनराशि	चेक संख्या
13.09.2018	56	सामग्री	38000.00	303
13.09.2018	57	सामग्री	38000.00	304
13.09.2018	58	सामग्री	38000.00	305
13.09.2018	59	सामग्री	38000.00	306

13.09.2018	60	सामग्री	38000.00	307
14.09.2018	62	सामग्री	38000.00	311
14.09.2018	63	सामग्री	38000.00	312
14.09.2018	64	सामग्री	38000.00	310
14.09.2018	65	सामग्री	38000.00	308
17.09.2018	70	सामग्री	32850.00	313
			रु. 374850.00	

इस प्रकार कुल रूपए **374850.00** का व्यय किया गया कोषबही में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई वाउचर (व्यय प्रमाणक), इस्टीमेट, एमबी, कार्य हेतु स्टॉक रजिस्टर तथा सम्पूर्ण व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही हैण्डपम्पों के खराब होने की किसी सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट भी नहीं प्रस्तुत रही। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के प्राविधानानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भन्देमऊ द्वारा वर्ष **2018-19** में **रु0 374850.00** व्यय की गई धनराशि गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सन्तोष से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 2.ग्राम पंचायत भन्देमऊ की कोष बही के जांच में पाया गया कि वर्ष **2018-19** में **रु0 159500.00** की 22 नग कूड़ेदान लाखन सिंह कांट्रेक्टर से दिनांक **07.09.2018** को वाउचर संख्या (52) एवं (53) के द्वारा कय किया गया दर्शित है परंतु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर (व्यय प्रमाणक) एवं व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। पंचायतों की लेखा मैनुअल में अध्याय 18 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि वाउचर प्रमाण उपलब्ध न होने की दशा में दर्शित व्यय धनराशि गबन है।

अतः उक्त प्रावधानानुसार रु० **159500** (एक लाख उनसठ हजार पांच सौ) गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं ग्रा०पं०अधि० / ग्रा०वि०अधि० श्री द्विवेदी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 25

प्रस्तर सं0 3 ग्राम पंचायत भन्देमऊ की वर्ष **2018-19** की लेखा परीक्षा में कोष बही की जांच में पाया गया कि अंबेडकर पार्क की बाउंड्री निर्माण पर निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया है-

क्र0	दिनांक	वाउचर सं०	मद का नाम	धनराशि	चेक सं0
1	21.06.2018	18	ईट क्रय	103950.00	246
2	21.06.2018	19	सामग्री	53197.00	247
3	09.07.2018	25	मजदूरी	65760.00	258
4	09.07.2018	26	समग्री	28098.00	256
5	10.07.2018	27	ईट क्रय	19249.00	257
			योग----	270254.00	-----

इस प्रकार रु० **270254** का व्यय अंबेडकर पार्क बाउंड्री निर्माण के नाम पर किया दर्शित है परंतु उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो उक्त धनराशि को गबन माना जाए। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भन्देमऊ द्वारा वर्ष 2018-19 में रु० 270254.00 (दो लाख सत्तर हजार दो सौ चउवन) गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं ग्रा०प०अधि० / ग्रा०वि०अधि० श्री राजीव द्विवेदी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 26

प्रस्तर सं० 4 ग्राम पंचायत भन्देमऊ की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कोष बही की जाँच में पाया गया कि पंचायत घर मरम्मत के नाम पर निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया है-

क्र०	दिनांक	वाउचर सं०	मद का नाम	धनराशि
1	21.02.2019	134	मजदूरी	17680.00
2	21.02.2019	135	ईट	8673.00
3	22.02.2019	140	सीमेंट मोरग	40463.00
			योग----	66816.00

इस प्रकार कुल रु० 66816.00 पंचायत भवन मरम्मत के नाम पर आहरण किया गया कोष बही में दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी वाउचर (व्यय प्रमाणक) व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायत के प्रबन्ध हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल की अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उक्त व्यय को गबन माना जाए, उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भन्देमऊ द्वारा 2018-19 में पंचायत भवन मरम्मत पर किया गया व्यय रु० 66816.00 (छाछठ हजार आठ सौ सोलह) गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं ग्रा०प०अधि०/ग्रा०वि०अधि० श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 27

प्रस्तर सं० 5 ग्राम पंचायत भन्देमऊ की वर्ष 2018-19 की कोष बही की जांच में पाया गया कि बारातशाला में इण्टरलाकिंग निर्माण के नाम पर निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया है-

क्र०	दिनांक	वाउचर सं०	मद का नाम	धनराशि
1	06.11.2018	83	मजदूरी	25000.00
2	06.11.2018	84	ईट क्रय	180180.00
3	06.11.2018	85	सीमेंट मोरग	8684.00
4	06.11.2018	86	ईट क्रय	10216.00
5	21.11.2018	89	मजदूरी	10100.00
			योग----	234180.00

इस प्रकार कुल रु० 234180.00 का व्यय बारात शाला में इण्टरलाकिंग निर्माण के नाम पर किया गया दर्शित है, परन्तु उक्त समस्त व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर (व्यय प्रमाणक) व्यय पत्रावली, स्टॉक रजि० बार - बार मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्पूर्ण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पंचायतों के वित्त प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्राविधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में वाउचर यदि नहीं उपलब्ध कराया जाता तो उक्त सम्बन्धित व्यय (धनराशि) को गबन माना जाए। इस नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भन्देमऊ द्वारा 2018-19 में बारात शाला में इण्टरलाकिंग निर्माण पर किया गया व्यय

234180.00 (दो लाख चौतिस हजार एक सौ अस्सी) रूपया गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं ग्रा०प०अधि० / ग्रा०वि०अधि० श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 28

प्रस्तर सं० 6 ग्राम पंचायत भन्देमऊ की वर्ष 2018-19 की कोष बही की जांच में पाया गया कि दिनांक 29.09.2018 को वा०स० 72 के द्वारा लाखन सिंह कान्ट्रैक्टर से ₹ 74562.00 का टिन शेड क्रय किया गया दर्शित है जिसके सापेक्ष न ही वाउचर (व्यय प्रमाणक) उपलब्ध कराया गया और न ही स्टॉक रजि० ही उपलब्ध कराया गया, जिसमें कि आमद दर्ज हो, कार्ययोजना भी प्रस्तुत नहीं रही कि किस कार्य के लिए एवं कहाँ पर इसका उपभोग किया जायेगा। अतः कल्पित कय दर्शाकर ₹ 74562.00 का गबन कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष व सचिव श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 29

प्रस्तर सं० 7 ग्राम पंचायत भन्देमऊ की वर्ष 2018-19 की कोष बही की जांच में पाया गया कि 03.11.2018 को जू०वि० भन्देमऊ की काया कल्प में से ₹ 69658.00 की मजदूरी आहरित की गई। परन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई भी मास्टर रोल (वाउचर) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा साथ ही उक्त कार्य की व्यय पत्रावली भी अप्रस्तुत रही। पुनः मजदूरी के सापेक्ष सामग्री के प्रमाण उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः कुल धनराशि ₹ 69658.00 (उनहत्तर हजार छः सौ अठारह) गबन कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं ग्रा०प०वि०/ग्रा०वि०अधि० श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 30

विकासखण्ड:- संदलपुर

ग्राम पंचायत:- ततुआपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं० 8

आपतियों का विस्तृत विवरण -

2. ग्राम पंचायत ततुआपुर की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रा०वि० एवं जू०हा०स्कूल की मरम्मत के नाम पर निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया दर्शित है -

दिनांक	वा०स०	कार्य का नाम	धनराशि	चेक सं०
28.09.2018	16	प्रा०वि० मशंआपुर की मरम्मत सामग्री	73145.00	0258
28.09.2018	17	प्रा०वि० ततुआपुर की मरम्मत सामग्री	62844.00	0265
28.09.2018	19	जू०हा० स्कूल ततुआपुर की मरम्मत सामग्री	84075.00	0262
29.09.2018	21	मजदूरी भुगतान प्रा०वि० ततुआपुर	29760.00	0267
29.09.2018	22	मजदूरी भुगतान जू०वि० ततुआपुर	62844.00	0264
29.09.2018	23	मजदूरी भुगतान प्रा०वि० मसापूर	62844.00	0261
28.09.2018	25	ईट क्रय प्रा०वि० ततुआपुर हेतु	62844.00	0266
28.09.2018	26	ईट क्रय प्रा०वि० मसापूर हेतु	62844.00	0259
		योग --	395943.00	

इस प्रकार तीनों विधायकों के मरम्मत के नाम पर कुल ₹ 395943.00 का आहरण किया गया कोष बही में दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक (वाउचर) तथा निर्माण पत्रावली बार-2 मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गई और न ही स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर तथा कार्यवाही पंजिका ही प्रस्तुत की गई।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत ततुआपुर द्वारा वर्ष 2018-19 में ₹0 395943.00 व्यय की गई धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर अवस्थी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मेघजाल

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2017-18, 2018-19

प्रस्तर सं0 9 ग्राम पंचायत मेघजाल की वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु. 1656661.00 धनराशि आहरित किया गया जिसमें ₹0 1083.00 ब्याज की कटौती तथा ₹0 1656661.00 व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, व्यय वाउचर आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार - बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम 256 (2) उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विभिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु. 1656661.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है, जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री तुलाराम एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्री दीपचन्द्र से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- औरंगाबाद गहदेवा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2016-17 2018-19

प्रस्तर सं0 10 ग्राम पंचायत औरंगाबाद गहदेवा की वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से वर्ष 2016-17 में ₹0 675029.50, वर्ष 2017-18 में 1049614.70, वर्ष 2018-19 में 1374135.80 कुल रु. 3098210.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक खाते में, वाउचर कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 3098210.00 का अपहरण कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सं. 256 (2) उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विभिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु. 3098210.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है, जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रमुखी से एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्री अमित कुमार से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत:- संगसियापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 11. ग्राम पंचायत संगसियापुर के वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल ₹0 4249379.00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, निर्माण कार्य की सम्बन्धित पत्रावलियां, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण- पत्र कार्य को चालू- समाप्त व प्रारम्भ के फोटोग्राफ अप्राप्त रहे।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सं. 256 (2) उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विभिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अभिलेखों के अभाव में ₹0 4249379.00 का व्यय काल्पनिक दर्शाकर अपहरण किया गया, जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरिशंकर एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्री हरनाथ संखवार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 29

विकासखण्ड: - अकबरपुर

ग्राम पंचायत: - लालपुर अकबरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 12 वर्ष 2018-19 में दिनांक 25.06.2018 को वा0सं0 15 ए तथा चेक सं0 360775 ₹. 4985.00 का आहरण श्री रामसिंह नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। उक्त राशि का अंकन कोषबही में न कर ₹. 4985.00 का अपहरण किया गया। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा यादव से एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्रीमती सीमा पाल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 29

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत: - बेवन

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 13.

दिनांक	वा0सं0	चेक संख्या	आहरित धनराशि	अवधि
14.04.18	11	32241	17500.00	अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 तक(6 माह)
10.12.18	31	-	42000.00	नवम्बर 2017 से अक्टूबर 2018 तक(12 माह)

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि माह नवम्बर 2017 से फरवरी 2018 तक कुल 4 माह प्रतिमाह 3500.00 की दर से कुल रूपया $3500/4 = 14000.00$ का दो बार आहरित कर ₹. 14000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका शुक्ला/स्नेहा राजपूत से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 29

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत: - बिगाही

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 14 दिनांक 13.11.2018 को कूड़ा सफाई रिकशा गाडी व टूल सफाई (किट) मे0 जय माता दी इण्टरप्राइजेज से क्रय के सापेक्ष ₹. 24950.00 वा0सं. 52 का बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा तथा स्टॉक पंजिका व सहायक पत्रावलियां आदि अभिलेखों के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त व्यय को काल्पनिक मानते हुए अपहरण किया गया। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्री जितेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 29

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत:- स्वरूपपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 15 दिनांक 30.03.2019 को वाउचर संख्या- 44 चेक संख्या - 45000 द्वारा रुपया 10130 का आहरण किया गया। जिसका विवरण कोष बही में अंकन न कर रु. 10130.00 का अपहरण किया गया। स्टॉक पंजिका भी अप्राप्त रही।

जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री हरनाथ संखवार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जीतेन्द्र सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गोपश्री से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत:- तिगाई

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 16 दिनांक 05.04.18 को वा0सं. 09 चेक संख्या- 275355 से 40 वाट की स्ट्रीट लाइट रु. 101500.00 व वा0सं0 10 से रु. 102300.00 से स्ट्रीट लाइट क्रय करना कोषबही में दर्शित है। मै0 शिव इण्टरप्राइजेज से वाउचर , स्टॉक पंजिका, स्थलसूची, व सम्बन्धित फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

उक्त अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है कि कुल रु. 203800.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती देवी एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्रीमती आकांक्षा त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 29

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत:- रुरवाहार

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 17 दिनांक 08.10.2018 को चेक संख्या 36411 द्वारा रु. 5604.00 से मेसर्स लक्ष्मी ब्रिक फील्ड से ईट क्रय के सापेक्ष न तो स्टॉक पंजिका में स्टॉक पकड़ा गया और न ही कोषबही में उक्त वाउचर का अंकन किया गया।

स्पष्ट है कि रु. 5604.00 का अपहरण किया गया। जिसकी संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माण्डवी एवं ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0 श्री शिवम अग्निहोत्री से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 29

विकासखण्ड:- झींझक

ग्राम पंचायत:- बनीपारा महाराज

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 18 ग्राम पंचायत बनीपारा महाराज की वर्ष 2018-19 की कोष बही के अवलोकन से ज्ञात होता है। कि हैडपम्प रिबोर एवं चटिया निर्माण पर निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया दर्शित है-

क्र0	दिनांक	वाउचर सं0	मद का नाम	धनराशि
1	26.06.2018	22	हैडपम्प रिबोर सामग्री	19000.00
2	21.08.2018	45	मजदूरी	49000.00
3	08.08.2018	44	मजदूरी	50000.00
4	08.08.2018	42	मजदूरी	50000.00
5	07.08.2018	41	चटिया निर्माण	57060.00
6	29.08.2018	47	सामग्री	38000.00
7	29.08.2018	48	सामग्री	38000.00
8	29.08.2018	49	सामग्री	38000.00
9	30.08.2018	51	सामग्री	38000.00

10	05.09.2018	52	मजदूरी	49000.00
11	18.09.2018	56	मजदूरी	49000.00
12	18.09.2018	57	मजदूरी	49000.00
13	04.10.2018	61	ईट क्रय चटिया निर्माण	60000.00
14	05.10.2018	62	चटिया निर्माण मजदूरी	49000.00
15	28.03.2019	123	सामग्री	40000.00
16	28.03.2019	124	सामग्री	38000.00
			योग-	882060.00

इस प्रकार कुल रु. 882060.00 हैंडपंप रिबोर एवं चटिया निर्माण पर व्यय किया गया दर्शित है, परन्तु इसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (प्रमाणक), व्यय पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, जल प्रबंधन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव आदि अभिलेख के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सं. 256 (2) उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विभिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बनीपारा महाराज द्वारा वर्ष 2018-19 में रु0 882060.00 व्यय की गई धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार चौधरी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

प्रस्तर सं0. 19 ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की कोष बही के अवलोकन में पाया गया कि निम्न तिथियों में स्ट्रीट लाइट पर रु. 295000.00 व्यय किया जाना दर्शित है -

क्र0	दिनांक	वाउचर सं०	मद का नाम	धनराशि
1	19.04.2018	11	40 स्ट्रीट लाइट	195000.00
2	18.06.2018	19	40 स्ट्रीट लाइट	100000.00
			योग-	295000.00

उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक (वाउचर), पत्रावली एवं विद्युत विभाग की विद्युत संयोजन रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के प्राविधानानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बनीपारा महाराज द्वारा वर्ष 2018-19 में रु0 295000.00 व्यय की गई धनराशि गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार चौधरी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- सरवनखेड़ा

ग्राम पंचायत:- जसौरा बीरसिंह पुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 20 ग्राम पंचायत जसौरा बीरसिंह पुर में वर्ष 2018-19 में वर्ष दौरान निम्नलिखित में दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये विवरण निम्नवत है-

मद का नाम	धनराशि		चेक सं०	भुगतान
(क)हैण्डपम्प रिबोर	1	29600.00	198/21.04.2018	विजय प्रकाश
	2	19000.00	201/21.04.2018	विजय प्रकाश
	3	30000.00	232/27.06.2018	विजय प्रकाश
	4	30000.00	231/27.06.2018	विजय प्रकाश
	5	29600.00	234/27.07.2018	विजय प्रकाश
	6	29500.00	236/27.07.2018	विजय प्रकाश
	7	29500.00	237/27.07.2018	विजय प्रकाश
	8	29400.00	235/27.07.2018	शैलेन्द्र कुमार
	9	14000.00	291/22.10.2018	शैलेन्द्र कुमार
	10	14000.00	290/22.10.2018	शैलेन्द्र कुमार
	11	29000.00	295/29.10.2018	शैलेन्द्र कुमार
	12	28800.00	289/29.10.2018	शैलेन्द्र कुमार
	13	29000.00	288/29.10.2018	शैलेन्द्र कुमार
	योग	351400.00		
	(ख)हैण्डपम्प मरम्मत	1	42200.00	202/21.04.2018
	2	17000.00	234/06.08.2018	अवस्थी हार्डवेयर
	3	6000.00	294/22.10.2018	शैलेन्द्र कुमार
	4	10000.00	292/22.10.2018	शैलेन्द्र कुमार
	5	38000.00	293/22.10.2018	विजय प्रकाश
	योग	119200.00		

उपरोक्त किये गये/दर्शाये गये व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। साथ ही हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत को आवश्यकता सम्बन्धी प्रमाण/आवेदन पत्रावली में नहीं पाये गये। इसी प्रकार पूर्व में किसी सक्षम व्यक्ति की जाँच रिपोर्ट, रिबोर/मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्पों की प्रमाणित सूची तथा रिबोर व मरम्मत पश्चात निकले डेड स्टॉक का क्या हुआ, इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256(2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पप्पी तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 21 ग्राम पंचायत जसौरा बीरसिंह पुर द्वारा वर्ष 2018-19 में खडंजा मरम्मत जगजीवन के घर से भीखम के घर तक उक्त कार्य में निम्नलिखित मदों में भुगतान किये श्रीमती गये परन्तु सम्बन्धित कार्य की एम०बी०, प्राक्कलन, कार्यादेश, व्यय प्रमाणक तथा कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र व कार्य की पूर्व, मध्य तथा पूर्ण के फोटो इत्यादि तत्कालीन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निम्नवत् है-

मद का नाम	धनराशि	चेक सं०	भुगतान
सामग्री मजदूरी	1 49000.00	183/08.01.2019	राजब्रिक फील्ड
	2 15000.00	182/08.01.2018	शैलेन्द्र कुमार
योग	64000.00		

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 नियम 256(2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पप्पी तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 28

प्रस्तर सं० 22 ग्राम पंचायत जसौरा बीरसिंहपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान मेन रास्ता में घूरा सफाई व कचरा फिकवाई का एम० आर० द्वारा भुगतान रूपया- 40,000=00 व्यय वर्ष की कैश बुक में दर्शाया गया। परन्तु उक्त एम० आर० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निम्नवत-

मद का नाम	धनराशि	चेक सं०	भुगतान
घूरा सफाई	20000.00	187/08.01.2019	शैलेन्द्र कुमार
कचरा फिकवाई	20000.00	186/08.01.2018	शैलेन्द्र कुमार
योग	40000.00		

उक्त के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत में साफ सफाई हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में सवेतन एक सफाई कर्मी नियुक्ति है ऐसे में ₹० - 40,000=00 भुगतान औचित्यविहीन रहा। तथा इसके सापेक्ष किये गये भुगतान के व्यय प्रमाणक/ एम० आर० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त व्यय/भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256(2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पप्पी तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 26

प्रस्तर सं० 23 दिनांक- 06.01.2019 को ₹०-44000=00 चेक सं० 155/06.01.2019 द्वारा प्रधान 44000-00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया। (माह दिसम्बर 2018 तक) कैशबुक में दर्शित किया गया। परन्तु उक्त भुगतान के सापेक्ष न तो मानदेय रजिस्टर और न ही भुगतान प्राप्ति की रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। जिससे भुगतान की अवधि, पूर्व में भुगतान कब हुआ इत्यादि की जानकारी न हो सकी, साथ ही तीन माह से अधिक अवधि के मानदेय के एक साथ भुगतान हेतु विलम्ब के कारण सहित ए०डी०ओ० (पं०) के अनुमति/स्वीकृत लेखापरीक्षा में अपेक्षित रही जो कि लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रही।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पप्पी तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 27

विकासखण्ड:- सरवनखेड़ा

ग्राम पंचायत:- नहोली

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 24 ग्राम पंचायत नहोली के वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित मदों में किये गये व्यय/भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये विवरण निम्नवत है-

मद का नाम	धनराशि	चेक सं0	भुगतान किसको
हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर मद अलग अलग दर्शाकर कैशबुक में एक साथ अंकित किया गया है।	1	28800.00	173 / 05.04.2018 संजय कुमार
	2	59100.00	174 / 06.04.2018 सरदार मशीनरी सामग्री
	3	14400.00	176 / 25.04.2018 प्रमोद कुमार मजदूरी
	4	14500.00	175 / 05.04.2018 प्रमोद कुमार मजदूरी
	5	29500.00	177 / 26.04.2018 सरदार मशीनरी
	6	29400.00	178 / 17.07.2018 सरदार मशीनरी
	7	29500.00	179 / 17.07.2018 सरदार मशीनरी
	8	29400.00	180 / 17.07.2018 सरदार मशीनरी
	9	40000.00	224 / 16.10.2018 मॉ चामुण्डा देवी ट्रेडर्स
	10	40000.00	223 / 16.10.2018 मॉ चामुण्डा देवी ट्रेडर्स
	11	45000.00	245 / 20.11.2018 सरदार मशीनरी
	12	20000.00	248 / 20.11.2018 प्रमोद कुमार मजदूरी
	13	8000.00	249 / 20.11.2018 विकास सचान मजदूरी
	14	12000.00	250 / 27.12.2018 रामऔतार मजदूरी
	15	44000.00	253 / 07.01.2018 सरदार मशीनरी
	16	44000.00	254 / 07.01.2018 सरदार मशीनरी रिबोर
	17	44000.00	258 / 07.01.2019 सरदार मशीनरी सामग्री
	18	44000.00	181 / 07.01.2019 सरदार मशीनरी
	19	44000.00	186 / 20.02.2019 सरदार मशीनरी
	20	44000.00	187 / 20.02.2019 सरदार मशीनरी
	21	44000.00	188 / 20.02.2019 सरदार मशीनरी
योग	707600.00		

उपरोक्त किये गये व्यय के सापेक्ष न तो हैण्डपम्प खराब की सूचना का प्रार्थना पत्र/आवेदनपत्र पत्रावली में नहीं पाया गया, इसी प्रकार मरम्मत पूर्व किसी सक्षम तकनीकी व्यक्ति की हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर की आवश्यकता संबन्धी रिपोर्ट/ पत्र नहीं पाया गया। साथ मरम्मत कराये गये स्थलो हैण्ड पम्पो की प्रमाणिक सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। साथ ही मरम्मत में निकले डेड स्टॉक का विवरण अप्राप्त रहा।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256(2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह चन्देल तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 25 ग्राम पंचायत नहोली के वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित मदों में किये गये व्यय/भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये। विवरण निम्न है-

मद का नाम	धनराशि	चेक सं0	भुगतान किसको
एल0ई0डी0कय	1	60000.00	220 / 05.10.2018 वरुन सिंह चन्देल कबाड़ी
	2	45000.00	225 / 05.10.2018 वरुन सिंह चन्देल कबाड़ी
	3	60000.00	242 / 05.10.2018 वरुन सिंह चन्देल कबाड़ी
	4	20000.00	252 / 27.12.2018 वरुन सिंह चन्देल कबाड़ी
योग	185000.00		

2018-19 की लेखा परीक्षा में उक्त एल0ई0डी0 का क्रय दर्शाया गया परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष न तो व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये न कोई अन्य विवरण व पत्रावली प्रस्तुत की गयी। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस स्थान पर एल0ई0डी0 लाइट लगवाई गयी है और राज्य वित्त/14वां वित्त की गाइड लाइन के अनुरूप सार्वजनिक स्थलो पर ही इनकी स्थापना की गयी है अथवा नहीं यह भी उल्लेखनीय है कि स्ट्रीट लाइट एल0ई0डी0 लगने के पूर्व ग्राम पंचायत में बिजली संयोजन को लिया जाना अनिवार्य है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उ०प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सं० 256 (2) के उपनियम (१) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ सं० 35 से 37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह चन्देल व सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 25

प्रस्तर सं० 26 ग्राम पंचायत नहोली के वर्ष 2018-19 में तालाब भराई रु० 5000=00 चेक सं०-213 दिनांक-24.07.2018 लाल को भुगतान किया गया। कोषबही में उक्त दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त किया गया व्यय पूर्ण रूप से काल्पनिक है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह चन्देल तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 25

प्रस्तर सं० 27 ग्राम पंचायत नहोली के वर्ष 2018-19 में निर्माण कार्य काशीराम - सीताराम सी०सी० रोड निर्माण कार्य ।

धनराशि	चेक सं०	भुगतान किसको	वर्ष 2018-19 की कोष बही में दर्शाये गये
1	6000.00	212 / 17.07.2018	
2	21000.00	222 / 05.10.2018	
3	20000.00	241 / 05.10.2018	
4	40000.00	246 / 06.11.2018	
5	10000.00	247 / 28.11.2018	
6	20000.00	183 / 10.01.2019	
7	10000.00	184 / 05.02.2019	
8	20000.00	202 / 08.02.2019	
9	5000.00	203 / 12.02.2019	
योग	206000.00		

उक्त व्ययों के सापेक्ष निर्माण कार्य की समस्त पत्रावली यथा- प्रक्कलन, कापीदेय, एम०बी०, व्यय प्रमाणक, कार्य के पूर्व, मध्य व पूर्ण उपरोक्त इत्यादि की फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह चन्देल तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 25

विकासखण्ड:- सरवनखेड़ा

ग्राम पंचायत:- गुजराई

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं० 28 ग्राम पंचायत गुजराई के द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान रु० 45500.00 प्रधान मानदेय दिनांक 14.08.2018 को चेक सं०-96/14.08.2016 द्वारा ग्राम प्रधान श्री उमेश त्रिवेदी को भुगतान किया गया (13 माह) परन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में न तो मानदेय रजिस्टर न ही भुगतान प्राप्ति रसीद व अन्य सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत किये गये। साथ ही

तीन माह से अधिक अवधि का मानदेय भुगतान हेतु विलम्ब के कारण सहित ए०डी०ओ० (पं०) की स्वीकृत पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार मनमाने में नियम विरुद्ध भुगतान किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों में जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ 36, 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमेश त्रिवेदी तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 24

प्रस्तर सं० 29 वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत गुजराई द्वारा इण्टरलॉकिंग मद में निम्न लिखित भुगतान किये गये। व्यय / भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निम्नवत है-

क्र०	मद का नाम	धनराशि	चेक सं० / दिनांक	भुगतान किसको
1	इंटरलॉकिंग किशन के घर से हरिप्रसाद के घर तक	42770.00	197 / 05.12.2018	राज इंटरलॉकिंग
2	इंटरलॉकिंग नजीर मास्टर के घर से छम्मीलाल के घर तक	5750.00 30525.00	179 / 02.08.2018 93 / 02.08.2018	विकास सचान मजदूरी राजब्रिक फील्ड
3	इंटरलॉकिंग रामचन्द्र के घर से रामाप्रकाश के घर तक	19490.00 4090.00	95 / 02.08.2018 180 / 02.08.2018	राजब्रिक फील्ड राज कॉन्स्ट्रक्शन
4	इंटरलॉकिंग सिपाही के घर से राघुनाथ के घर तक	46200.00	175 / 02.08.2018	राज कॉन्स्ट्रक्शन
5	इंटरलॉकिंग रामसिंह के घर से आर०सी०सी० रोड तक	70945.00	194 / 05.12.2018	राज इंटरलॉकिंग
6	इंटरलॉकिंग ललिता बाजपेई	123375.00 39000.00	205 / 05.12.2018 206 / 18.02.2018	राज इंटरलॉकिंग विकास सचान एम०आर०
7	इंटरलॉकिंग रामचन्द्र- गंगाराम	54285.00	198 / 05.12.2018	विकास सचान एम०आर०
8	इंटरलॉकिंग सीताराम-दयाराम	40337.00	185 / 05.12.2018	विकास सचान एम०आर०
9	इंटरलॉकिंग राजेन्द्र-छोटेसिंह	50760.00	186 / 05.12.2018	विकास सचान एम०आर०
10	इंटरलॉकिंग देशराज-रामआसरे	39715.00	187 / 05.12.2018	विकास सचान एम०आर०
11	इंटरलॉकिंग मेनरोड से राजसिंह	107160.00	188 / 05.12.2018	राज इंटरलॉकिंग
12	नाम अंकित नहीं	85000.00	183 / 05.12.2018	राजब्रिक फील्ड
13	नाम अंकित नहीं	85000.00	181 / 05.12.2018	राजब्रिक फील्ड
14	नाम अंकित नहीं	39125.00	193 / 05.12.2018	राजब्रिक फील्ड
15	नाम अंकित नहीं	40000.00	184 / 05.12.2018	राजब्रिक फील्ड
16	हुलासी के घर से मुन्नाशाह के घर तक	57425.00 12000.00 41830.00 93765.00	182 / 05.12.2018 200 / 05.12.2018 98 / 05.12.2018 103 / 19.03.2018	विकास सचान आकश दी राज इंटरलॉकिंग
	कुल योग-	1152547.00		

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों में

39

जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ 36 37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज

सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमेश त्रिवेदी तथा सचिव श्री शैलेन्द्र सचान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 25

विकासखण्ड:- संदलपुर

ग्राम पंचायत:- पलहनापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं० 30 ग्राम पंचायत पलहनापुर की वर्ष 2018-19 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि नरेन्द्र के घर से शिवपाल के घर तक नाला मरम्मत में निम्न प्रकार से धनराशियों का आहरण किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	वाउचर सं	मद का नाम	धनराशि	चेक संख्या
1	03.04.2018	1	मजदूरी	29280.00	219
2	03.04.2018	2	ईंट क्रय	62480.00	218
3	04.04.2018	3	सीमेन्ट मोरगं	41538.00	217
			योग -	133298.00	

इस प्रकार कुल ₹0 133298.00 का आहरण नाला मरम्मत के नाम से किया जाना दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (व्यय प्रमाणक) व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुनः यह तथ्य भी ध्यान करने योग्य है कि एक ही दिन में सामग्री कय एवं मजदूरी भुगतान कर दिया गया है, इतने अधिक मजदूर एक साथ कैसे काम कर पाये। अतः उक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य कल्पित है, कल्पित कार्य दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है।

पंचायतों के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) के प्राविधान है कि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष यदि कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि गबन है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी पंचायत से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत पलहनापुर द्वारा वर्ष 2018-19 में नाला मरम्मत पर किया गया व्यय ₹0 133298.00 (एक लाख तैतीस हजार दो सौ अठ्ठानवे) गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पं०अधि०/ग्रा०वि०अधि० श्री सुखदेव से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 24

प्रस्तर सं० 31 ग्राम पंचायत पलहनापुर की वर्ष 2018-19 की कोष बही की जाँच में पाया गया कि दिनांक 25.05.2018 को वा०सं० 10 द्वारा 13 नग कुओं की सफाई हेतु श्री अभय कुमार को ₹0 71200.00 का नकद भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई व्यय रसीद, वाउचर, कार्य योजना, पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः कुल ₹0 71200 (इकहत्तर हजार दो सौ) की पुष्टि प्रमाणकों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण नहीं हो सकी। अतः कार्य कल्पित दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार व्यय की गई दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष यदि कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि गबन है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत पलहनापुर द्वारा वर्ष 2018-19 में कुओं की सफाई पर व्यय ₹0 71200.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुखदेव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं० - 25

प्रस्तर सं० 32.ग्राम पंचायत पलहनापुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कोषबही के जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित स्थानों पर मिट्टी पुराई के नाम पर विभिन्न तिथियों में निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया है।

क्रमांक	दिनांक	वाउचर सं	स्थान का नाम	धनराशि	चेक संख्या

1	05.05.2018	9	पंचायत भवन परिसर	30600.00	
2	27.02.2019	43	प्रा0वि0 मुरादपंर परिसर	20640.00	292
3	28.02.2019	49	प्रा0वि0 पलहनापुर परिसर	25200.00	301
4	28.02.2019	50	प्रा0वि0 मुरादपंर परिसर	14400.00	302
5	18.03.2019	54	प्रा0वि0 पलहनापुर परिसर	15000.00	314
6	18.03.2019	55	योगी सिंह को मिट्टी हेतु भाडा	8220.00	313
7	18.03.2019	57	राम गढी विद्यालय परिवार	15000.00	315
			योग -	129060.00	

इस प्रकार कुल रु. **129060.00** मिट्टी पुराई में व्यय किया गया दर्शित है परन्तु दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मिट्टी पुराई हेतु अवर अभियन्ता का एस्टीमेट प्रमाणपत्र, वाउचर , कार्ययोजना आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये पुष्टि नहीं की जा सकी। पुनः वाउचर संख्या 55 द्वारा योगी सिंह को मिट्टी पुराई, ट्रेक्टर भाडा 8220 दिया गया। कहाँ पर मिट्टी पुराई की गयी यह नहीं बताया गया, साथ ही एक स्थान पर एक ही बार में मिट्टी का कार्य पूरा कर लिया जाता है, परन्तु पलहनापुर प्रा0वि0 में ऐसा नहीं किया गया, इसमें लगभग 20 दिन बाद पुनः मिट्टी पुराई की गयी। इस प्रकार बिना एस्टीमेट के एक प्रा0वि0 में 40200.00 की मिट्टी पुराई सहित कैशबुक में दर्शित समस्त मिट्टी पुराई प्रमाणक न होने से रु0 129060.00 में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानानुसार व्यय की गई धनराशि रु0 129060.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री हिमांशु गौतम से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 26

विकासखण्ड:- संदलपुर

ग्राम पंचायत:- हवासपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 33 ग्राम पंचायत हवासपुर की वर्ष 2018-19 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर पर पूरे वर्ष में निम्न प्रकार से धनराशियों का आहरण किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	वाउचर सं	मद का नाम	धनराशि	चेक संख्या
1	03.04.2018	1	मजदूरी	26000.00	000346
2	03.04.2018	2	मजदूरी	26000.00	375
3	04.04.2018	3	सामग्री	12000.00	342
4	19.05.2018	17	सामग्री	54000.00	374
5	19.05.2018	18	सामग्री	54000.00	373
6	16.06.2018	29	सामग्री	16000.00	356
7	16.06.2018	30	मजदूरी	28000.00	355
8	16.06.2018	31	सामग्री	52000.00	358
9	16.06.2018	32	सामग्री	52000.00	357
10	18.06.2018	33	मजदूरी	28000.00	360
11	26.06.2018	34	सामग्री	12000.00	316

12	27.07.2018	51	मजदूरी	15000.00	242
13	27.07.2018	52	मजदूरी	15000.00	244
14	29.09.2018	53	मजदूरी	7000.00	246
15	29.09.2018	54	मजदूरी	8000.00	247
16	29.09.2018	55	सामग्री	25000.00	243
17	29.09.2018	56	सामग्री	25000.00	241
18	29.09.2018	57	सामग्री	25000.00	245
19	17.10.2018	60	मजदूरी	15000.00	248
20	17.10.2018	61	मजदूरी	15000.00	254,255
21	17.10.2018	62	मजदूरी	15000.00	250
22	22.01.2018	64	सामग्री	25000.00	249
23	22.01.2018	65	सामग्री	25000.00	251
24	29.10.2018	66	मजदूरी	8000.00	257
25	28.03.2019	72	सामग्री	40000.00	448
26	28.03.2019	73	सामग्री	40000.00	447
27	28.03.2019	74	सामग्री	40000.00	446
28	28.03.2019	75	सामग्री	40000.00	445
29	28.03.2019	76	सामग्री	40000.00	444
30	28.03.2019	77	सामग्री	4000.00	443
31	28.03.2019	78	सामग्री	40000.00	442
32	28.03.2019	79	सामग्री	40000.00	441
33	28.03.2019	80	सामग्री	40000.00	440
34	28.03.2019	81	सामग्री	40000.00	439
			योग-	983000.00	

इस प्रकार कुल रु. 983000.00 हैण्डपम्प रिबोर व्यय किया गया दर्शित है परन्तु दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक वाउचर फाइल, कोष बही रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत हवासपुर द्वारा वर्ष- 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 983000.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 24

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- सजावरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2017-18, 2018-19

प्रस्तर सं0 34 ग्राम पंचायत सजावरपुर की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित कार्यों पर निम्न प्रकार से धनराशियों का आहरण किया गया है -

कमल किशोर से प्रहलाद, सी0सी0 रोड व नाली निर्माण -

क्रमांक	दिनांक	वा0सं0	मद का नाम	धनराशि
1	20.11.2017	9	सीमेन्ट,मोरंग,गिट्टी	118527.00
2	20.11.2017	10	ईट	21480.00
3	20.11.2017	11	मिट्टी पुराई	2625.00
4	20.11.2017	12	मजदूरी	44720.00
			योग	185961.00

ब) हीरालाल बनिया से रामलाल लोनिया, सी0सी0 रोड व नाली निर्माण -

क्रमांक	दिनांक	वा0सं0	मद का नाम	धनराशि
1	28.11.2017	17	सीमेन्ट,मोरंग,गिट्टी	113022.00
2	28.11.2017	18	ईट	32510.00
3	28.11.2017	19	मिट्टी पुराई	1110.00
4	28.11.2017	20	मजदूरी	36120.00
			योग	182762.00

स) देशराज से सुशील लोनिया, सी0सी0 रोड व नाली निर्माण -

क्रमांक	दिनांक	वा0सं0	मद का नाम	धनराशि
1	28.11.2017	17	सीमेन्ट,मोरंग,गिट्टी	113022.00
2	28.11.2017	18	ईट	32510.00
3	28.11.2017	19	मिट्टी पुराई	1110.00
4	28.11.2017	20	मजदूरी	36120.00
			योग	182762.00

द) प्रधानमंत्री रोड से गोविन्द कठेरिया, सी0सी0 रोड व नाली निर्माण -

क्रमांक	दिनांक	वा0सं0	मद का नाम	धनराशि
1	28.11.2017	25	सीमेन्ट,मोरंग,गिट्टी	122674.00
2	28.11.2017	26	ईट	35786.00
3	28.11.2017	29	मजदूरी	38160.00
			योग	196620.00

य) मधुबेरिया से लाखन लोनिया, सी0सी0 रोड व नाली निर्माण

क्रमांक	दिनांक	वा0सं0	मद का नाम	धनराशि
1	13.02.2018	51	सीमेन्ट,मोरंग,गिट्टी	100000.00
2	13.02.2018	52	ईट	40986.00
3	19.02.2018	53	मिट्टी पुराई	43680.00
4	19.02.2018	54	मजदूरी	1295.00
			योग	185961.00

इस प्रकार कुल ₹0 943604.00 आहरित किया गया दर्शित है परन्तु उक्त आहरित व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई वाउचर (व्यय प्रमाणक) , निर्माण पत्रावली, व्यय पत्रावली, स्टॉक रजि0, निर्माण रजि0 परिसम्पत्ति रजि0 बार- 2 मांगे जाने पर

अप्रस्तुत रहा। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, उपरोक्त धनराशि का आहरण कतिपय कार्य दर्शाकर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक ग्राम पंचायत सजावरपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में व्यय की गई धनराशि ₹0 943604.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री उदन सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 35 ग्राम पंचायत सजावरपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कोष बही की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में ₹0 1922859.00 विकास कार्यों में व्यय किया गया दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई वाउचर (व्यय प्रमाणक), निर्माण पत्रावली, व्यय पत्रावली, स्टॉक रजि0, निर्माण रजि0 परिसम्पत्ति रजि0 बार- 2 मांगे जाने पर अप्रस्तुत रहा। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु के अनुसार ₹0 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से होनी चाहिए। परन्तु दिनांक 11.03.2019 को चेक सं0 258, 259, 260 एवं दिनांक 27.03.2019 को चेक सं0 271 व 272 के द्वारा ₹0 338000.00 ही एकाउन्ट पेई चेक फर्म को भुगतान है, शेष ₹0 1584859.00 नकद आहरित किया गया है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक ग्राम पंचायत सजावरपुर द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1922859.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री उदन सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 25

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- बर्रा ठर्रा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 36 ग्राम पंचायत बर्रा ठर्रा की वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2692381.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक ग्राम पंचायत बर्रा ठर्रा द्वारा वर्ष- 2018-19 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2692381.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहित वर्मा से ब्याज सहित संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

प्रस्तर सं0 37 ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोटिया की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ह्यूम पाइप क्रय पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	वा0सं0	मद का नाम	धनराशि	चेक सं0
1	08.06.2018	07	मां अन्नपूर्णा पाइप से ह्यूम पाइप क्रय	40125.00	339564
2	08.06.2018	08	" "	59688.00	339563
3	08.06.2018	09	" "	56875.00	339562
			योग	156688.00	

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल रु. 156688.00 व्यय किया गया दर्शित है परन्तु दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक वाउचर फाइल, कोष बही रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः रु0 156688.00 की क्रय की पुष्टि न होने के कारण गबन है। जबकि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 38 .ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोटिया की कोषबही के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दि. 10.08.2018 की वा0सं0 18 द्वारा सिंह कांस्ट्रक्शन से रु. 48000.00 की स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी परन्तु उक्त खरीद के सापेक्ष व्यय प्रमाणक वाउचर फाइल, कोष बही रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः रु0 48000.00 की क्रय की पुष्टि न होने के कारण गबन है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोटिया द्वारा वर्ष - 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 48000.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवबहादुर से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 25

प्रस्तर सं0 39 . ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोटिया की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही में डामर रोड से चरन सिंह तक सी0सी0 निर्माण पर निम्न प्रकार से धनराशि आहरित की गयी -

क्रमांक	दिनांक	वा0सं0	मद का नाम	धनराशि	चेक सं0
1	27.12.2018	41	टैक्टर ट्रॉली भाडा	1480.00	नकद
2	01.01.2019	46	सीमेंट,मौरंग	62100.00	339602
3	01.01.2019	47	सीमेंट,मौरंग	126000.00	339596
4	11.01.2019	52	ईट एवं गिट्टी	34700.00	330897
			योग	224280.00	

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल रु. 224280.00 व्यय किया गया दर्शित है परन्तु दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक वाउचर फाइल, कोष बही रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जबकि ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोटिया द्वारा वर्ष- 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 224280.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवबहादुर से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 26

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- भीटी कुर्सी

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2015-16 से 2018-19

प्रस्तर सं0 40 ग्राम पंचायत भीटी कुर्सी की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 18-19 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से वर्ष 2015-16 में शून्य वर्ष 2016-17 में रु. 740423.00 वर्ष 2017-18 में रु. 1113609.00 व वर्ष 2018-19 में 996753.00 कुल रु0 2850785.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भीटी कुर्सी द्वारा वर्ष 2015-16 से 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 2850785.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- गदाईपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2015-16 से 2018-19

प्रस्तर सं0 41 ग्राम पंचायत गदाईपुर की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 1113838.90 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 00.00, वर्ष 2016-17 में रु. 164851.00 वर्ष 2017-18 में रु. 594697.00 तथा वर्ष 2018-19 में रु. 354290.80, कुल रु0 1113838.90 है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति, चेक बुक काउंटरफॉइल बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत गदाईपुर द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1113838.90 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकांक्षा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवबहादुर से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- जौत

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2017-18 से 2018-19

प्रस्तर सं0 42 ग्राम पंचायत जौत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कोषबही की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में ₹. 3608000.00 व्यय किया गया दर्शित है परन्तु उसके सापेक्ष कोई वाउचर (व्यय प्रमाणक) व्यय पत्रावलियाँ बार-बार मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उक्त कल्पित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल की अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार ₹. 2000.00 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा होना चाहिए जबकि ग्राम पंचायत खाते में समस्त आहरण नकद किया गया है।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जौत द्वारा वर्ष 2017-18 में व्यय की गई धनराशि ₹0 3608000.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री उदन सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 43ग्राम पंचायत जौत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कोषबही की जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में ₹. 3233500.00 व्यय किया गया दर्शित है परन्तु उसके सापेक्ष कोई वाउचर (व्यय प्रमाणक) व्यय पत्रावलियाँ बार-बार मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उक्त कल्पित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जौत द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि ₹0 3233500.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री उदन सिंह से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 25

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मौजमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 44 ग्राम पंचायत मौजमपुर की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹.118650.00 की स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया दर्शित है। उक्त क्रय दिनांक 05.01.2019 को वा0स0 35 के द्वारा नकद क्रय किया गया है। नगद क्रय किया जाना वित्तीय नियम का उल्लंघन है। पुनः उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, तथा किन स्थानों पर इसकी स्थापना की गयी, के सापेक्ष फोटो प्रस्तुत नहीं रही, साथ ही विधुत विभाग से संयोजन रसीद (प्रमाण) भी नहीं प्रस्तुत किया गया।

अतः स्पष्ट है कि ₹. 118650.00 की स्ट्रीट लाइट क्रय काल्पनिक प्रतीत होता है। उक्त धनराशि ₹. 118650.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रक्षपाल से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 45 ग्राम पंचायत मौजमपुर की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही में मेनरोड से सुरेन्द्र के घर तक खडंजा निर्माण पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया दर्शित है-

दिनांक	वा0स0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार नकद
27.02.2019	48	मजदूरी	रु. 34920.00	नगद
15.03.2019	53	ईट क्रय	रु. 123375.00	336
योग			158295.00	

इस प्रकार कुल रु.158295.00 व्यय किया गया दर्शित है परन्तु उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) निर्माण पत्रावली,स्टाक रजि0,कार्यवाही रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः यह भी दृष्टिगत हुआ कि मजदूरी भुगतान 27.02.2019 को नगद किया गया उनके खातों में नहीं किया गया तथा मजदूरी भुगतान के 15 दिन बाद सामग्री क्रय की गई अतः उक्त व्यय कतिपय है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक ग्राम पंचायत मौजमपुर द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 158295.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रक्षपाल से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 25

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मैजू समस्तपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 46 ग्राम पंचायत मैजू समस्तपुर की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही के अनुसार निम्न प्रकार से व्यय किया गया दर्शित है-

दिनांक	वा0स0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार नकद
06.11.2018	37	स्ट्रीट लाइट	रु. 84750.00	236
14.02.2019	104	स्ट्रीट लाइट	रु. 84750.00	256
02.03.2019	122	स्ट्रीट लाइट	रु. 55000.00	269
योग			224500.00	

इस प्रकार कुल रु. 224500.00 व्यय किया गया दर्शित है परन्तु उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) निर्माण पत्रावली,स्टाक रजि0,कार्यवाही रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मैजू समस्तपुर द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 224500.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रूपलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवबहादुर से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 24

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- अन्ता

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर सं0 47 ग्राम पंचायत अन्ता की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित तरीके से स्ट्रीट लाइट क्रय दिया गया दर्शित है-

दिनांक	वा0स0	मद का नाम	धनराशि	चेक सं0
02.03.2019	97	स्ट्रीट लाइट क्रय	रु. 135600.00	000375
14.03.2019	105	स्ट्रीट लाइट क्रय	रु. 101700.00	000262
योग			237300.00	

इस प्रकार कुल रु. 237300.00 की स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) निर्माण पत्रावली, स्टॉक रजि0, कार्यवाही रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कितनी स्ट्रीट लाइटें क्रय की गईं और किन-किन स्थानों पर उन्हें लगाया गया यह भी ज्ञात नहीं हो सका।

यह भी उल्लेखनीय है शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-03-2018-40/2018 दिनांक 13.06.2018 एवं उर्जा विभाग की शासनादेश सं0 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार स्ट्रीट लाइट लगवाने से पूर्व ग्राम पंचायत में बिजली संयोजन को लिया जाना अनिवार्य है परन्तु इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः समस्त खरीद काल्पनिक प्रतीत होती है।

ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत अन्ता द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 237300.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रह्मराज से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 24

प्रस्तर सं0 48 ग्राम पंचायत अन्ता की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 18.04.2018 को वा0स0 2 से हरगोविन्द से राजेश इण्टर कालेज तक इण्टरलॉकिंग हेतु ईंट क्रय रु. 100000.00 चेक सं0 000240 से किया गया। उक्त खरीद का व्यय प्रमाण एवं व्यय पत्रावलियां तथा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया, इससे स्पष्ट है कि उक्त रु. 100000.00 की इण्टरलॉकिंग ईंट क्रय कल्पित है।

ग्राम पंचायतों में वित और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8.के प्रस्तर 8 में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रह्मराज से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 25

प्रस्तर सं0 49. ग्राम पंचायत अन्ता की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पप्पू के घर से मुन्ना के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य में निम्नलिखित दर्शित है -

दिनांक	वा0स0	मद का नाम	धनराशि	चेक सं0
26.06.2018	25	इण्टरलॉकिंग	रु. 100000.00	000297
07.07.2018	30	ईंट क्रय	रु. 23800.00	नगद
09.07.2018	32	एम0आर0	रु. 14640.00	नगद
24.10.2018	47	ईंट क्रय	रु. 39494.00	000309
25.10.2018	49	सीमेंट, मोरंग, गिट्टी	रु. 25938.00	000308
योग			203872.00	

इस प्रकार कुल रु. 203872.00 उक्त कार्य पर व्यय किया गया दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) निर्माण पत्रावली,स्टाक रजि0,कार्यवाही रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) में उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत अन्ता द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रु0 203872.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रह्मराज से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 26

ग्राम पंचायत:- नैला

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर सं0 50

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान को मानदेय निम्न प्रकार से दिया गया -

क्र0	दिनांक	व0स0	मद	धनराशि	भुगतान का प्रकार
1.	22.05.2018	13	मानदेय	40000.00	367
2.	25.02.2019	147	मानदेय	42.000.00	502
			योग---	82000.00	----

इस प्रकार एक ही वित्तीय वर्ष में रु0 82000.00 का आहरण किया गया दर्शित है। भुगतान की पुष्टि में पूर्व में दिये गये मानदेय से संबंधित विवरण/मानदेय रजि0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा पुनः 6 माह के पश्चात यदि भुगतान किया जाये तो उसकी स्वीकृति विलम्ब के कारण सहित सहायक वि0 अधि0 (प0) से लिया जाना अनिवार्य है, परन्तु यह नहीं किया गया । इस प्रकार 3500*12 की दर से एक वर्ष का मानदेय रु0 42000.00 होता है। परन्तु रु0 40000.00 अधिक एवं अग्रिम आहरण का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं ग्राम पं0 अधि0 श्री शिव बहादुर से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-24

प्रस्तर सं0 51.ग्राम पंचायत नैला की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में स्ट्रीट लाइटों के मरम्मत एवं क्रय में निम्न प्रकार से व्यय किया गया है-

क्र0	दिनांक	व0स0	मद	धनराशि	भुगतान का प्रकार
1.	18.06.2018	13	स्ट्रीट लाइटों मरम्मत	17500.00	386
2.	18.08.2018	53	स्ट्रीट लाइटों क्रय	169500.00	424
3.	30.10.2018	60	स्ट्रीट लाइटों क्रय	7500.00	425
			योग ---	194500.00	

इस प्रकार से कुल रु0 194500.00 मरम्मत एवं नवीन क्रय पर व्यय किया गया है परन्तु इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक (वाउचर) व्यय पत्रावली,स्टाक रजि0,कार्यवाही रजि0, विधुत संयोजन रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के धारा 8 क में प्राविधान है कि यदि दर्शित व्यय के संबंध में कोई वाउचर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस व्यय को गबन मानते हुये उसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी पंचायत से की जानी अपेक्षित है। अतः इस आधार पर रु0 194500.00 प्रमाणक विहीन होने के कारण गबन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं ग्रा0प0वि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री शिवबहादुर से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-25

प्रस्तर सं0 52 ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2018-2019 की कोष बही की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर विद्यालय के शौचालय मरम्मत के नाम पर निम्न प्रकार से व्यय किया दर्शित है।

1. जू0वि0 लधौरा (मरम्मत)

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
14.05.2018	4	मजदूरी	26116.00	नगद
16.10.2018	55	ईट क्रय	12484.00	नगद
			योग 3860.00	

प्रा0वि0 लधौरा (निर्माण)

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
14.05.2018	06	मजदूरी	48960.00	नगद
15.15.2018	10	सीमेन्ट, बालू, प्लम्बरिंग	23450.00	चालान 399
23.05.2018	22	सीमेन्ट, मारेंग	97099.00	चालान 363
27.11.2018	73	मजदूरी	12240.00	नगद
30.11.2018	92	सीमेन्ट, मारेंग, सोट	41100.00	चालान 411
01.12.2018	99	ईट क्रय	12300.00	चालान 412
		योग	235149.00	

प्रा0वि0 विजयपुर (निर्माण)

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
14.05.2018	8	मजदूरी	35040.00	नगद
			योग 35040.00	

प्रा0वि0 नैला (निर्माण)

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
14.05.2018	7	मजदूरी	54240.00	नगद
23.5.2018	23	सीमेन्ट, मारेंग	92248.00	चालान 362
30.10.2018	60 ए	ईट क्रय	33516.00	नगद
			योग 180004.00	

प्रा0वि0 कबराबोड़ा

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
23.01.2019	109	मजदूरी	13920.00	नगद
23.01.2019	116	सीमेन्ट, मारेंग, सीट	49400.00	चालान 463
24.01.2019	119	ईट क्रय	19300.00	चालान 461
			योग 82620.00	

इस प्रकार से कुल रुपया 571413.00 शौचालय मरम्मत पर व्यय किया गया दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर व प्रमाणिक निर्माण पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है

तो दर्शाई गई धनराशि के गबन मानते हुए उक्त धारा की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत नैला द्वारा वर्ष 2018-19 में की गई धनराशि रुपया 571413.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी एवं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-26

प्रस्तर सं0 53 .ग्राम पंचायत नैला की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही के अवलोकन से यह सामने आया है कि 23.01.2019 को क्रम संख्या 117 के द्वारा रुपया 10500.00 का समरसेबल क्रय किया गया है, जबकि उसकी खरीद वाउचर प्रमाणक तथा कार्यवाही रजिस्टर तथा विद्युत संयोजन रसीद प्रमाण न होने के कारण उक्त खरीद की पुष्टि नहीं हो सकी। वित्त और लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार व्यय की गई धनराशि रु0 10500.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-27

ग्राम पंचायत:- लालगांव

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर- 54

ग्राम पंचायत लालगांव की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही में प्रा0 पा0 से पुलिया तक खडंजा निर्माण कार्य में निम्न प्रकार से व्यय दर्शित है -

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
26.02.2019	63	मजदूरी	42000.00	नगद
27.02.2019	65	मजदूरी	20640.00	नगद
28.02.2019	67	ईट क्रय	148050.00	व0सं0 267
			योग 210690.00	

इस प्रकार से उपरोक्त कार्य पर कुल रुपया 210690.00 व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष में व्यय प्रमाणिक वाउचर ,निर्माण पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं कार्यवाही पंजिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8 क में प्राविधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत लालगांव द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रुपया 210690.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री रक्षपाल से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-24

ग्राम पंचायत:- बिरुहुन

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर- 55

ग्राम पंचायत बिरुहुन की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न लिखित कार्यों पर निम्न प्रकार से व्यय दर्शित किया गया है -

क. बसंत के खेत से सुरेश के खेत तक खडंजा निर्माण -

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
04.01.2019	165	ईट क्रय	115150.00	654
27.02.2019	167	ईट क्रय	60096.00	नगद
			योग 175246.00	

ख. इण्टरलाकिंग से चमेली तक खण्डजा निर्माण -

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
04.01.2019	163	ईट क्रय	115150.00	656
04.01.2019	166	ईट क्रय	55060.00	नगद
			योग 170210.00	

ग. नरेश यादव के घर से सरमन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण-

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
15.12.2018	138	इण्टरलाकिंग ईट क्रय	100000.00	636
15.12.2019	157	इण्टरलाकिंग ईट क्रय	30000.00	नगद
02.02.2019	190	ईट क्रय	23409.00	नगद
			योग 153409.00	

इस प्रकार से उपरोक्त कार्य पर कुल रूपया 498865.00 की सामग्री क्रय की गई है। परन्तु उक्त खरीद का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त सामग्रियों का दि० 31.03.2019 तक उपभोग भी नहीं किया गया न ही स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया, जिससे उक्त खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा उक्त निर्माण पत्रावली भी नहीं प्रस्तुत की गई। कार्यवाही पंजिका भी अप्राप्त रही।

ग्राम पंचायतों में वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बिरुहुन द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रूपया 498865.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रम्हराज से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-24

प्रस्तर सं० 56 ग्राम पंचायत बिरुहुन की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कार्यो पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया दर्शित है।

क. सत्यनारायण के घर से मथुरा सिंह के मकान तक नाला निर्माण-

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
17.05.2018	34	मजदूरी	19920.00	नगद
29.05.2018	42	मजदूरी	30000.00	नगद
29.05.2018	45	सीमेन्ट एवं मोरग	24664.00	नगद
03.07.2018	59	ईट क्रय	132000.00	चा० 490
			योग 206584.00	

ख. शिव सिंह के घर से रामस्वरूप के घर तक खण्डजा निर्माण-

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	भुगतान प्रकार
27.12.2018	145	मजदूरी	30000.00	नगद
04.01.2018	162	ईट क्रय	115150.00	चा0 655
			योग 145150.00	

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर कुल रूपया **351734.00** व्यय किया गया दर्शित है, जिसके सापेक्ष में व्यय प्रमाणक वाउचर , निर्माण पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, एवं कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त और लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8 क में प्राविधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत विरुहन द्वारा वर्ष **2018-19** मे व्यय की गई धनराशि रूपया **351734.00** गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रम्हराज से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-25

ग्राम पंचायत:- देवगांव चक्कर उर्फ निभू विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर- 57

ग्राम पंचायत देवगांव चक्कर उर्फ निभू की वित्तीय वर्ष **2018-19** में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से **₹0 758430.00** धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मार्गें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से **₹0 758430.00** का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये, उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर **₹0 758430.00** का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है, जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरभान एवं ग्राम पंचायत अधि0 श्री दीपचन्द्र से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- बैरीसाल विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2017-18, 2018-19)

प्रस्तर-58

ग्राम पंचायत बैरीसाल उर्फ निभू की वित्तीय वर्ष **2017-18** व **2018-19** में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से वर्ष **2017-18** में **₹0 3721770.00** एवं वर्ष **2018-19** में **₹0 2690150.00** कुल **₹0 6411920.00** धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मार्गें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से **₹0 6411920.00** का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध

नहीं कराया जाता है, तो दर्शाए गये व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 6411920.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है, जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नाथूराम एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री दीपचन्द्र से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-02

ग्राम पंचायत:- अमरोहिया

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर- 59

ग्राम पंचायत अमरोहिया की वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2710246.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मागें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से ₹0 2710246.00 का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं० 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 2710246.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री दीपचन्द्र से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-02

ग्राम पंचायत:- रसूलाबाद देहात

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर- 60

ग्राम पंचायत रसूलाबाद की वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1499147.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मागें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से ₹0 1499147.00 का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं० 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 1499147.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री उषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री दीपचन्द्र से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-02

ग्राम पंचायत:- सलेमपुर महेरा

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-61

ग्राम पंचायत सलेमपुर महेरा की वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2861911.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मागें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से ₹0 2861911.00 का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 2861911.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधि0 श्री अरविन्द कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- पूरन पुरवा

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-62

ग्राम पंचायत पूरन पुरवा की वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2701797.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मागें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से ₹0 2701797.00 का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 2701797.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम औतार एवं ग्राम पंचायत अधि0 श्री रक्षपाल सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- सिकन्दर विल्हौर

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-63

ग्राम पंचायत सिकन्दर विल्हौर की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही के प्रधान मानदेय के नाम पर निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया दर्शित है।

दिनांक	व0सं0	कब से कब तक	धनराशि	अभ्युक्ति
03.04.2018	1	अप्रैल से मार्च 2018 तक प्रधान मानदेय	42000.00	202
22.06.2018	11		21000.00	226
25.02.2018	50		28000.00	281
		योग	91000.00	

इस प्रकार से प्रधान मानदेय के नाम पर एक ही वित्तीय वर्ष में कुल ₹0 91000.00 आहरित किया गया दर्शित है। वा0सं0 01 के अलावा वा0 सं0 11 एवं 50 में यह भी नहीं लिखा गया है कि किस माह एवं वर्ष का मानदेय है। यह भी तथ्य सामने आया है कि एक बार में 3 माह से अधिक का पूरे वर्ष का मानदेय ले लिया जा रहा है जो कि इस नियम कि 03

माह से अधिक मानदेय एक समय लेने पर एडीओ पंचायत से संस्तुति लेनी पड़ेगी का भी उल्लंघन किया गया। प्रधान मानदेय रजिस्टर बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन-किन वर्षों एवं किन-किन माह का मानदेय दिया गया है। यह बताया गया कि मानदेय रजिस्टर नहीं बनाया गया है अतः मानदेय रजिस्टर एवं रसीद प्रमाणित ना प्रस्तुत करने के कारण तथा अधिक एवं अग्रिम मानदेय लेने के कारण 91000-42000=49000 रूपए की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-24

प्रस्तर सं0 64 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर बिल्हौर की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषबही की लेखा परीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 26.02.2019 को बा0 संख्या 52 द्वारा कंस्ट्रक्शन रुपया 84750 की स्ट्रीट लाइट क्रय की गई दर्शित है जिसमें स्ट्रीट लाइट की संख्या नहीं दी गई है, पुनः स्ट्रीट लाइट क्रय की रसीदें व्यय प्रमाण वाउचर, व्यय पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर एवं किन-किन स्थानों पर इनकी स्थापना की गई उनकी फोटो तथा इनकी खरीद की पुष्टि में विद्युत विभाग से संयोजन की रसीदें भी नहीं प्रस्तुत की गई। अतः समस्त खरीद कल्पित है। अतः रुपया 84750 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-25

प्रस्तर सं0 65 ग्राम पंचायत सिकंदरपुर बिल्हौर की वर्ष 2018-19 की कोषबही की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय सिकंदर स्कूल शौचालय मरम्मत के नाम पर निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया दर्शित है -

दिनांक	व0सं0	कब से कब तक	धनराशि	भुगतान का प्रकार
26.06.2018	10	मजदूरी	9960.00	नगद
24.10.2018	23	सामग्री	20000.00	बा0सं0 233, 234
		योग	29960.00	

इस प्रकार कुल रुपया 29960 का स्कूल मरम्मत पर किया गया दर्शित है। परंतु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक वाउचर पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायतों के प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में प्राविधान है कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी किए गए व्यय के लिए वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से उक्त व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए उनकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

अतः उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सिकंदरपुर बिल्हौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपया 29960.00 व्यय किए गए हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव बहादुर से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-26

62

ग्राम पंचायत:- समस्तपुर न्योराज

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-66

ग्राम पंचायत समस्तपुर न्योराज की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोष बही में दीपू से कृष्णपाल तक इंटरलॉकिंग निर्माण पर ने प्रकार से धनराशि का अपहरण किया गया

दिनांक	व0सं0	कब से कब तक	धनराशि	अभ्युक्ति
04.04.2018	1	इण्टरलाक ईट क्रय	50000.00	चा0 206
07.04.2018	03	ईट क्रय	36991.00	चा0 204

18.05.2018.	19	सीमेंट मोरग	24500.00	चा0 220
09.05.2018	18	मजदूरी	30000.00	नगद
19.11.2018	60	इण्टरलाक ईट क्रय	20000.00	चा0 243
		योग	161491.00	

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर कुल रुपया **161491.00** व्यय किया गया दर्शित है जबकि उक्त व्यय के सापेक्ष प्रमाणक वाउचर, निर्माण पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, निर्माण रजिस्टर आदि अभिलेख बार-बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं रहा।

ग्राम पंचायतों में वित्त और लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8 क में प्राविधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत समस्तपुर न्योराज द्वारा वर्ष **2018-2019** में की गयी धनराशि रुपया **161491** गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी शिवबहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-24

ग्राम पंचायत:- निगोहिया

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-67

ग्राम पंचायत निगोहिया की वर्ष **2018-19** की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रामशंकर से मुलायम सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण में निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया।

दिनांक	व0सं0	कब से कब तक	धनराशि	अभ्युक्ति
16.11.2018	26	इण्टरलाक ईट क्रय	60000.00	
16.11.2018	27	इण्टरलाक ईट क्रय	60000.00	
17.11.2018	28	सीमेंट मोरग मजदूरी	30000.00	
14.12.2018	34	सीमेंट वालू क्रय	20000.00	
27.12.2018	43	मजदूरी	12240.00	
28.01.19	59	मिटटी	1110.00	
		योग	183350.00	

इस प्रकार कुल **रु0 183350** का आहरण कोष बही में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई वाउचर व्यय प्रमाणिक व्यय पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायतों में वित्तीय एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत निगोहिया द्वारा वर्ष **2018-19** में की गई धनराशि **183350** गबन की श्रेणी में आती है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सर्वेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी उदन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-24

प्रस्तर- 68 ग्राम पंचायत निगोहिया की वर्ष **2018-19** की कोष बही की जांच में पाया गया कि हरमोहन से रामजीवन तक सीसी रोड निर्माण में निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया -

दिनांक	व0सं0	मद का नाम	धनराशि	अभ्युक्ति
15.03.2019	85	सीमेंट वालू	49000.00	

25.02.2019	77	मजदूरी	14640.00	
		योग	63640.00	

इस प्रकार से कुल रुपया 63640 का आहरण सीसी रोड निर्माण के नाम पर आहरित किया गया, जिसके सापेक्ष कोई वाउचर व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्तीय एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत निगोहिया द्वारा वर्ष 2018-19 में हरमोहन व रामजीवन सीसी रोड तक धनराशि 63640 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री सर्वेश सिंह ग्राम वि०/प० अधिकारी उदन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं०-25

ग्राम पंचायत:- घाघू

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-69

ग्राम पंचायत घाघू की वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषवर्ही की जांच में पाया गया कि दि० 09.5.2018 को वाउचर संख्या 15 द्वारा रुपया 55000 की सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, प्राथमिक विद्यालय घाघू भवन/कायाकल्प व इंटरलॉकिंग के लिए क्रय की गई। प्राथमिक विद्यालय घाघू के कायाकल्प के लिए वाउचर संख्या 95, 96, 97 में अलग से कार्य कराया गया है इन तथ्यों से स्पष्ट है कि रुपया 55000 की कल्पित सामग्री क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्त लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8 क के प्राविधान के अनुसार ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव बहादुर से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं०-24

प्रस्तर सं० 70 ग्राम पंचायत घाघू की वर्ष 2018-19 की कोषवर्ही के अनुसार दिनांक 5.11.2018 को वाउचर संख्या 28 के द्वारा सिंह कंस्ट्रक्शन से रु० 118650 की स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया दर्शित है जबकि उक्त क्रय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक वाउचर व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, साथ ही स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं कार्यवाही पंजिका भी अप्रस्तुत रही। साथ ही किन स्थानों पर इन लाइटों की स्थापना की गई तथा उनकी फोटो एवं विद्युत विभाग से विद्युत संयोजन की रसीद अथवा प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करना उक्त खरीद को कल्पित पुष्टि करता है। अतः रुपया 118650 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं०-25

प्रस्तर-71

ग्राम पंचायत घाघू के वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोषवर्ही में सियाराम पाल से प्रमोद पाल तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य में निम्न प्रकार से धनराशि का आहरण किया गया दर्शित है -

दिनांक	व०सं०	कब से कब तक	धनराशि	अभ्युक्ति
12.02.2019	80	मजदूरी	24960.00	नगद
14.02.2019	81	सीमेंट वालू	23000.00	चेक सं० 316
21.02.2019	84	इण्टरलाक ईट	11000.00	चेक सं० 300
		योग	157960.00	

इस प्रकार कुल रुपया 157960.00 व्यय किया दर्शित है परंतु उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक वाउचर , निर्माण पत्रावली, कार्यवाही पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः समस्त व्यय धनराशि का कल्पित कार्य दर्शाकर अपहरण कर लिया गया।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत घाघू के वर्ष 2018-19 में व्यय की गई धनराशि रुपया 157960.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-26

ग्राम पंचायत:- अलीपुर रामहार

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-72

ग्राम पंचायत अलीपुर रामहार की वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2123952.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मागें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से ₹0 2123952.00 का अपहरण कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उलेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 2123952.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है, जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मेवालाल एवं ग्राम पंचायत अधि0 श्री दीपचन्द्र से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- अटिया रायपुर

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2018-19)

प्रस्तर-73

ग्राम पंचायत अटिया रायपुर की वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2360500.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मागें जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसंधि से ₹0 2360500.00 का अपहरण कर लिया गया है।

पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम का उलंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ₹0 2360500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है, जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रणविजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधि0 श्री उदन सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02 विकासखण्ड:- मैथा

जनपद कानपुर देहात मण्डल:- कानपुर

ग्राम पंचायत: - माण्डा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 74 ग्राम पंचायत माण्डा की वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार दि0 01.04.2019 से 14.06.2019 की अवधि में रूपए 492318.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल), प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रू0 492318 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र तथा ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री संतोष पाल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 04

प्रस्तर सं0 75 ग्राम पंचायत माण्डा की वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार हैंडपम्प मद में दिनांक 12.07.2019 को प्रमाणक संख्या - 24 द्वारा रूपये 15000, दिनांक 15.07.2019 को प्रमाणक संख्या- 25 द्वारा रूपये 20000, दिनांक 30.07.2019 को प्रमाणक संख्या- 28 द्वारा 18000, दिनांक 31.07.2019 को प्रमाणक संख्या- 29 द्वारा 13000, दिनांक 28.10.2019 को प्रमाणक संख्या- 36 द्वारा 16980, दिनांक 04.12.2019 को प्रमाणक संख्या- 51 द्वारा 19785, दिनांक 21.12.2019 को प्रमाणक संख्या- 52 द्वारा रूपये 18980, दिनांक 04.12.2019 को प्रमाणक संख्या 53 द्वारा रूपये 1000, दिनांक 23.01.2020 को प्रमाणक संख्या- 56 द्वारा 19990, दिनांक 24.01.2020 को प्रमाणक संख्या - 91 द्वारा 19980 व्यय दर्शित है। इस प्रकार हैंडपम्प मरम्मत मद में दर्शित कुल व्यय रूपये 219715 के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल/भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद), मूल-पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे हैंड पम्प की स्थल सूची, हैंडपम्प मरम्मत मांग का प्रार्थना पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन की पत्रावलियां/हैंडपम्प मरम्मत कार्य पूर्ण होने के पश्चात का फोटोग्राफ, डेड स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रूपये - 219715 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 05

प्रस्तर सं0 76 ग्राम पंचायत माण्डा की वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार नाला सफाई पर दिनांक 20.07.2019 को प्रमाणक संख्या- 26 द्वारा रूपए 14000 तथा दिनांक 20.07.2019 को प्रमाणक संख्या-27 द्वारा रूपए 20000 व्यय दर्शित

है इस प्रकार नाला सफाई कार्य पर दर्शित कुल व्यय रूप 34000 के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (मस्टररोल/भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- नाला सफाई का स्थल, नाला सफाई की मांग का प्रार्थना पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, नाला सफाई का कार्य होने के पश्चात् का फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 34000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 06

प्रस्तर सं0 77 ग्राम पंचायत माण्डा की वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार पेंटिंग कार्य पर दिनांक 18.02.2020 को प्रमाणक संख्या-60 द्वारा रूप 14784 का व्यय दर्शित है, उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति (बिल, भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद), मूल- पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- पेंटिंग कार्य का स्थल, कार्य का उद्देश्य, कार्य का विवरण, पेंटिंग कार्य की माप व दर, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, पेंटिंग कार्य होने के पश्चात् का फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय रुपये 14784 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 07

प्रस्तर सं0 78 ग्राम पंचायत माण्डा की वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार वर्ष में उपभोग/व्यय रूप 3514968.00 है और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रूप 3540104.00 है इस प्रकार लेखा परीक्षा में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट में दर्शित व्यय में कुल रूप 25136.00 का अंतर पाया गया है। अंतर का कारण यह है कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 04.04.2019 को ग्राम निधि- 1 से चेक संख्या- 377 द्वारा रूप 25136 आहरित किए गये हैं लेकिन उक्त आहरित धनराशि रूप 25136 का आहरण कर कैशबुक में अंकन न कर अपहरण कर लिया गया है संदर्भित धनराशि रूप 25136 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री संतोष पाल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

प्रस्तर सं0 79 ग्राम पंचायत माण्डा की वर्ष 2019-20 की कैशबुक के अनुसार शौचमुक्त गांव के बोर्ड क्रय पर दिनांक 26.03.2020 को प्रमाणक संख्या- 96 द्वारा रूप 5000.00 का व्यय दर्शित है उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों

के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति (बिल, भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- गांव के शौचमुक्त होने के सम्बन्ध में जारी आदेश/प्रमाण पत्र की प्रति, बोर्ड लगाए जाने का स्थल, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, लगाये गये बोर्ड का फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 5000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 08

विकासखण्ड:- मैथा

जनपद कानपुर देहात

मण्डल:- कानपुर

ग्राम पंचायत:- शोभन

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 80 ग्राम पंचायत शोभन के वर्ष 2019-20 में सचिव द्वारा ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि- 1 का बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वित्त मद से रुपये 2054886 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 2054886 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश कुमार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सुखदेव प्रसाद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 03

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- जुगराजपुर बिठूर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 81 ग्राम पंचायत जुगराजपुर बिठूर में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वित्त मद से रुपये 812512 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया के पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 812512 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवशरण तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सुखदेव प्रसाद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- बैरी दरियाँव

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 82 ग्राम पंचायत बैरी दरियाँव के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वित्त मद से रुपये 2163749 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर,

71

प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार

दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2163749 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामजी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सुखदेव प्रसाद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- बैरी सवाई

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 83 ग्राम पंचायत बैरी सवाई वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वित्त मद से रुपये 8573079 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 8573079 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती समसीदा तथा सचिव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुखदेव प्रसाद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- असई

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 84 ग्राम पंचायत असई के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वित्त मद से रुपये 1787807.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8

के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1787807 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अतुल कुमार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सुखदेव प्रसाद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- रैपालपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 85 ग्राम पंचायत रैपालपुर के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 3820634 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 3820634 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री राजीव कुमार द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- अलियापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 86 ग्राम पंचायत अलियापुर की वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 26,07,901 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2607901 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री पुनीत त्रिपाठी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री आकाश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- आंट

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 87 ग्राम पंचायत आंट के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 5527723 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 5527723 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री राजीव कुमार द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- भीखर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 88 ग्राम पंचायत भीखर के वर्ष 2019-20 की कैशबुक में दिनांक 30.07.2019 को प्रमाणक संख्या 18 द्वारा कूडागाड़ी मरम्मत हेतु अंकित कर के रुपये 3500 एवं दिनांक 03.01.2020 को प्रमाणक संख्या-76 द्वारा प्रशासनिक व्यय में भुगतान अंकित कर के रुपए 5000 का आहरण किया जाना दर्शित है, इस प्रकार कुल व्यय रुपए 8500 की पुष्टि में मूल व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम

पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 8500 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इंद्र कुमार से सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सरफराज हुसैन से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- नुनारी बहादुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 89 ग्राम पंचायत नुनारी बहादुर के वर्ष 2019-20 की आलोच्य वर्ष की कैशबुक में दिनांक 08.01.2020 को प्रमाणक संख्या 30 द्वारा प्रशासनिक व्यय में भुगतान अंकित कर के रूप 7000 का आहरण दर्शित है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में मूल व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 7000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री रोहित गौतम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- करोम

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 90 ग्राम पंचायत करोम के वर्ष 2019-20 की कैशबुक में दिनांक 27.03.2020 को प्रमाणक संख्या 26 द्वारा 'ओडीएफ बोर्ड भुगतान' अंकित कर के रूप 5000 का आहरण दर्शित है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में मूल व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 5000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कटियार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री रोहित गौतम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- भैवान

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 91 ग्राम पंचायत भैवान के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 3595509 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के

कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 3595509 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा चतुर्वेदी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती खुशबू श्रीवास्तव तथा श्रीमती निर्मला सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- रास्तपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 92 ग्राम पंचायत रास्तपुर के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 5417707 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 5417707 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसरन तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती खुशबू श्रीवास्तव तथा श्रीमती निर्मला सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

प्रस्तर सं0 93 ग्राम पंचायत रास्तपुर के वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 29.06.2019 को चेक सं0 309 द्वारा ग्राम निधि खाता-1 से रुपये 10000 आहरित किये गये हैं उक्त आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन न कर अपहरण कर लिया गया है। संदर्भित धनराशि ₹0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामशरण तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती निर्मला सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 04

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- नौबस्ता

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 94 ग्राम पंचायत नौबस्ता के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 2707584 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 2707584 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सरफराज हुसैन से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

प्रस्तर सं0 95 ग्राम पंचायत नौबस्ता के वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 09.04.2019 को चेक संख्या- 232 द्वारा रुपए 36000 तथा दिनांक 10.04.2019 को एनईएफटी द्वारा रुपये 145600 आहरित किये गये हैं उक्त आहरित कुल धनराशि रुपये 181600 का आहरण कर कैशबुक में अंकन न कर अपहरण कर लिया गया है, संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 181600 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सरफराज हुसैन से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 03

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- बाघपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 96 ग्राम पंचायत बाघपुर के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 11764803 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय

नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 11764803 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री पुनीत त्रिपाठी से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती खुशबू त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- लालपुर शिवराजपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 97 ग्राम पंचायत लालपुर शिवराजपुर के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 4171700 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 4171700 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह चंदेल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम

पंचायत/विकास अधिकारी) श्री राजेश यादव से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सूरज कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- ककरदही

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 98 ग्राम पंचायत ककरदही के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 4081229 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 4081229 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेंद्र कुमार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री पुनीत त्रिपाठी से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती शशि वाजपेई से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 03

प्रस्तर सं0 99 ग्राम पंचायत ककरदही के वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 24.04.2019 को चेक संख्या- 362 द्वारा रूपए 20000 महेन्द्र कुमार के द्वारा आहरित किये गये हैं उक्त आहरित कुल धनराशि रुपये 20000 का आहरण कर कैशबुक में अंकन न कर अपहरण कर लिया गया है, संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 20000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री पुनीत त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 05

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- बरार

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 100 ग्राम पंचायत बरार के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 2199184 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के

कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रूपये 2199184 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रवीन्द्र कुमार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती निर्मला सिंह से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती शशि वाजपेई से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- रामपुर शिवली

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 101 ग्राम पंचायत रामपुर शिवली के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रूपये 4773007 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रूपये 4773007 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबू सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती प्रमिला अग्निहोत्री से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- गारब

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 102 ग्राम पंचायत गारब के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों की पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय केवल कैशबुक व ग्राम निधि-1 का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपये 2069870 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 2069870 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री संतोष पाल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- पिटरापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 103 ग्राम पंचायत पिटरापुर के वर्ष 2019-20 की कैशबुक में 1 अप्रैल, 2019 से 30, जून 2019 की अवधि में रूपए 635952.00 दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की

जाएगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 635952 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 03

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- अरशदपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 104 ग्राम पंचायत अरशदपुर के वर्ष 2019-20 की कैशबुक में (दिनांक 10.04.19 को प्र0 सं0 2 द्वारा रु0 5000.00 पत्रकारिता में विज्ञापन तक एवं दिनांक 4.5.2019 को प्रमाणक सं0 18 द्वारा रु0 5000.00 हिन्दुस्तान पत्रकार को दी गई धनराशि) दर्शित है। उपरोक्त सन्दर्भित व्यय 10000.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्राविधानित है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।”

उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 10000.00 अपहरण की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित त्रिपाठी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- भैरोशाहजहाँपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 105 ग्राम पंचायत भैरोशाहजहाँपुर के वर्ष 2019-20 में निधि - 4 के खाते से दिनांक 12.04.2019 को चेक नं0 204 द्वारा रु. 66560.00 राहुल ब्रदर्स रुरा को एवं दिनांक 12.06.2019 को चेक सं0 215 द्वारा रु. 20000.00 का नकद आहरण इस प्रकार कुल रु. 86560.00 को कोषबही में अंकित न कर अपहरण कर लिया गया। अतः अपहरण की गयी धनराशि रु0 86560.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री संतोष पाल तथा प्रधान श्री दशरथ से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 03

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- जैतपुर शिवली

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 106 ग्राम पंचायत जैतपुर शिवली के वर्ष 2019-20 की कैशबुक में दिनांक 18.04.2019 को रु. 5000.00 का व्यय अश्विनी शुक्ला को कैशबुक फीडिंग हेतु तथा दिनांक 10.03.2020 को रु. 9625.00 का व्यय फोटो कॉपी व स्टेशनरी पर किया जाना दर्शित है। किन्तु कुल रु. 14625.00 के व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क में प्राविधानित है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।”

उक्त नियम के आलोक में व्यय दर्शित धनराशि रु. 14625.00 अपहरण/गबन है। पंचायत राज नियमावली के अन्तर्गत ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान, ग्राम निधि में प्राप्त अनुदान के व्यय तथा विकास कार्यों के लिए संयुक्त रूप से ग्राम निधि के खातों का संचालन करते हैं, तथा विकास कार्यों के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी हैं, इसलिए दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित/व्यय की गई धनराशि जो कि उक्त नियम के अनुसार अपहृत है, के लिए दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रु. 14625.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती निर्मला सिंह, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रणविजय सिंह, ग्राम प्रधान से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 06

प्रस्तर सं० 107 ग्राम पंचायत जैतपुर शिवली के वर्ष 2019-20 की कैशबुक में विभिन्न तिथियों में प्रधान मानदेय मद में दर्शित व्यय धनराशि रु. 66500.00 (दिनांक 30.05.2019 को प्रमाणक सं० 4 द्वारा रु. 17500.00 दिनांक 20.07.2019 को प्र० सं० 7 द्वारा रु० 24500.00 तथा दिनांक 31.12.2019 को प्र० सं० 40 द्वारा रु० 24500.00) के विवरणानुसार अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2018 तक कुल 19 माह के गतवर्षों के बकाया मानदेय का भुगतान किया गया है। किन्तु बकाया मानदेय के समर्थन में 31.03.2019 का दायित्व रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे बकाया मानदेय की स्थिति अज्ञात होने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः दायित्व रजिस्टर के अभाव में अनियमित व अपुष्ट धनराशि रु० 66500.00 के मानदेय के सापेक्ष किये गये भुगतान की ब्याज सहित वसूली सचिव श्रीमती निर्मला सिंह तथा प्रधान श्री रणविजय सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 09

प्रस्तर सं० 108. ग्राम पंचायत जैतपुर शिवली के वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.02.2020 को प्रमाणक संख्या 55 द्वारा जि० पं० रा० अधि० को रु० 2000.00 पंचायत कर की धनराशि दी गई है। ग्राम पंचायत की स्वयं के स्रोतों से आय का दशा में जि० पं० रा० अधि० को कर दिया जाता है। ग्राम पंचायत से जि० पं० रा० अधि० को कर तो दिया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत को स्वयं के स्रोतों से हुई पंचायत कर की आय को ग्राम निधि के खाता में जमा करके इसका अंकन कोष बही में नहीं किया गया है। उ० प्र० पं० रा० अधि० 1947 की धारा 37 में करें तथा फीसों के आरोपण के बारे में तथा धारा 32 (2) (क) में यह वर्णित है कि गांव सभा में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय को गांव निधि में जमा कराया जायेगा। अतः जि० पं० रा० अधि० को दिये गये कर रु. 2000.00 के सापेक्ष वसूल की गई कर की आय रु. 20000.00 को कोषबही में अंकित न करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की गई धनराशि रु. 20000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रणविजय सिंह तथा सचिव श्रीमती निर्मला सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 03

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- टोडरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं० 109 ग्राम पंचायत टोडरपुर के वर्ष 2019-20 की कैशबुक में दिनांक 25.02.2020 को "मुख्य मंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार धनराशि सम्बन्धित खाते में हस्तान्तरित " अंकित करके रु. 800000.00 किसी नये/अन्य खाते में ट्रांसफर किया गया है। उक्त पुरस्कार की धनराशि को निधि-1 के अतिरिक्त अन्य/नये खाते में ट्रांसफर किया जाना है, इस आशय का आदेश लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया और न ही जिस खाते में धनराशि ट्रांसफर की गई है, उस खाते का विवरण कैशबुक में अंकित किया गया तथा बैंक स्टेटमेंट व तत्सम्बन्धी अन्य अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे धनराशि का व्यय/उपयोग किस मद में किया गया अज्ञात रहा। शासनादेश के बिना ग्राम प्रधान श्री हरिपाल सिंह परिहार तथा सचिव श्रीमती खुशबू श्रीवास्तव द्वारा धनराशि रु. 800000.00 को अन्य खाते में ट्रांसफर किया जाना लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से अनियमित रहा। इस अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्री हरिपाल सिंह परिहार तथा सचिव श्रीमती खुशबू श्रीवास्तव पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं० - 01

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- मारग

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं० 110. ग्राम पंचायत मारग के वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार, नाला सफाई कार्य कर दिनांक 17.7.2019 को प्रमाणक संख्या- 27 द्वारा रूपए 20000.00 तथा दिनांक 22.07.2019 को प्रमाणक - 28 द्वारा रूपए 20000.00 व्यय दर्शित है, इस प्रकार नाला सफाई कार्य पर दर्शित कुल व्यय रूपए 40000.00 के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- नाला सफाई का स्थल, नाला सफाई की मांग का प्रार्थना पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक

स्वीकृति की पत्रावली, नाला सफाई का कार्य होने के पश्चात् फोटोग्राफ, इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 40000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला पालीवाल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 03

प्रस्तर सं0 111. ग्राम पंचायत मारग के वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार शौचमुक्त गांव के बोर्ड क्रय पर दिनांक 26.03.2020 को प्रमाणक संख्या- 88 द्वारा रु. 5000.00 के व्यय दर्शित है, उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति/(बिल, मस्टररोल, भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-गांव के शौचमुक्त होने के सम्बन्ध में जारी आदेश/प्रमाण पत्र की प्रति, बोर्ड लगाए जाने का स्थल, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, नाला सफाई का कार्य होने के पश्चात् फोटोग्राफ, इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 5000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला पालीवाल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 04

प्रस्तर सं0.112 ग्राम पंचायत मारग के वर्ष 2019-20 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 28.10.2019 को ग्राम निधि- 1 से पी एफ एम एस द्वारा रुपये 35404 आहरित किये गये हैं तथा ई- ग्राम स्वराज पर की गई ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार यह धनराशि दिनांक 24.10.2019 को सुरेन्द्र कुमार के खाते में स्थानांतरित की गयी है, लेकिन उक्त आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन करके बिना मद का उल्लेख किये ही (कैशबुक में मद दर्शित करने वाला खाली है) प्रमाणक संख्या- 60 लिखकर काल्पनिक व्यय दर्शाते हुए अपहरण कर लिया गया है, अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 35404.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला पालीवाल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 05

प्रस्तर सं0 113 ग्राम पंचायत मारग के वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार 01.04.2019 से 25.06.2019 की अवधि में रुपए 882645.00 का व्यय दर्शित है, उक्त अवधि के व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति/(बिल, मस्टररोल, भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख, कार्य की

त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 882645.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला पालीवाल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री सूरज कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 06

प्रस्तर सं0 114 . ग्राम पंचायत मारग के वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में हैंडपम्प मरम्मत मद में दिनांक 30.07.2019 को प्रमाणक संख्या-32 द्वारा रूपए 15000.00 दिनांक 28.10.2019 को प्रमाणक संख्या-58 द्वारा रूपए 18410.00 दिनांक 28.10.2019 को प्रमाणक संख्या-59 द्वारा 19620.00 दिनांक 21.12.2019 को प्रमाणक संख्या- 68 द्वारा 16000.00 दिनांक 06.01.2020 को प्रमाणक संख्या-73 द्वारा 17500.00 दिनांक 18.01.2020 को प्रमाणक संख्या-74 द्वारा 17120.00 दिनांक 20.03.2020 को प्रमाणक संख्या-80 द्वारा रूपए 19650.00 एवं दिनांक 20.03.2020 को प्रमाणक संख्या-81 द्वारा रूपए 18970.00 व्यय दर्शित है, इस प्रकार हैंडपम्प मद में दर्शित कुल व्यय रूपए 142270.00 के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल(बिल, मस्टररोल, भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- हैंडपम्प की स्थल सूची, हैंडपम्प मरम्मत मांग का प्रार्थना पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, नाला सफाई का कार्य होने के पश्चात् फोटोग्राफ, इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 142270.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला पालीवाल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री अखिलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 07

विकासखण्ड:- मैथा

ग्राम पंचायत:- मलिकपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 115 ग्राम पंचायत मलिकपुर के वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत मद में दिनांक 08.04.2019 को सामग्री क्रय हेतु रूपए 10800.00 दिनांक 26.04.2019 को मजदूरी पर रूपए 4300.00, दिनांक 18.05.2019 को 3800, दिनांक 11.12.2019 को 19633.00, दिनांक 08.01.2020 को 19990.00, दिनांक 18.03.2020 को 10600.00 व 10900.00 व्यय दर्शित है, इस प्रकार हैंडपम्प मद में दर्शित कुल व्यय रूपए 80023.00 के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति(बिल, मस्टररोल, भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- अनुमोदित कार्ययोजना, स्वीकृत प्राक्कलन, हैंडपम्प की स्थल सूची, हैंडपम्प मरम्मत मांग का प्रार्थना पत्र, सक्षम

अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, डेडस्टॉक रजिस्टर, इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 80023.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती शशि बाजपेई से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 05

प्रस्तर सं0.116 ग्राम पंचायत मलिकपुर के वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.07.2019 को रूपए 4500, दिनांक 07.01.2020 को रूपए 4800 तथा दिनांक 27.01.2020 का रूपए 5000.00 प्रशासनिक व्यय में भुगतान दर्शित है, इस प्रकार प्रशासनिक मद में दर्शित कुल व्यय रूपए 14300.00 की पुष्टि में मूल व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 14300.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती शशि बाजपेई से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 03

प्रस्तर सं0.117 ग्राम पंचायत मलिकपुर के वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत से दिनांक 31.01.2020 को जिला पंचायत राज अधिकारी को रूपए 3000.00 पंचायत कर की धनराशि दी गई है। ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोतों से हुई पंचायत कर की आय को गांव निधि के खाता में जमा करके इसका अंकन कोष बही में नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम राज अधिनियम-1947 की धारा- 37 में करों व फीस के आरोपण के बारे में तथा धारा-32(2) (क) में यह वर्णित है कि ग्राम सभा में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय को ग्राम निधि में जमा कराया जाएगा। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी को दिये गये रु. 3000.00 के सापेक्ष वसूल की गयी कर की आय 30000.00 को कोष बही में अंकित न करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की गई धनराशि रूपए 30,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा तथा ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती शशि बाजपेई से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 04

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- सिथराखुर्द

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0.118 ग्राम पंचायत सिथराखुर्द के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 2710313.80 का व्यय दर्शित है। किन्तु दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक अथवा पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 2710313.80 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम अवतार तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री धीरू यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- गुलौली

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 119. ग्राम पंचायत गुलौली के वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 2121828.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आलेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया के पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 2121828.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाल कृष्ण तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्रीमती कंचन गुप्ता से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- हैदरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 120. ग्राम पंचायत हैदरपुर के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 12,84,598.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसके प्रमाण में बिल वाउचर , स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, बैंक पासबुक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कार्य पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुपम सचान एवं सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री दीपक यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत: - सिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 121. ग्राम पंचायत सिहारी के वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 1929271.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया के पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 1929271.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भारत सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री रामशंकर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत: - अंडवा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 122. ग्राम पंचायत अंडवा के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू0 9,95,831.00 का व्यय दर्शाया गया है, उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया के पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रशेखर एवं सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री दीपक यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत: - गौरीकरन

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 123. ग्राम पंचायत गौरकरन के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹0 9,53,021.80 का व्यय दर्शाया गया है उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया के पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक, अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री धीरू यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- डींघ

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 124. ग्राम पंचायत डींघ के वर्ष 2019-20 में दिनांक 19.02.2020 को प्राथमिक विद्यालय डींघ में शौचालय निर्माण कार्य हेतु सीमेंट मौरंग आदि पर रूपए 43659.00 एवं लेबर मिस्त्री भुगतान ₹0 43,850.00 का व्यय किया गया है। जिससे संबन्धित बिल वाउचर तथा कार्य योजना, स्टॉक पंजिका और कार्य पूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त अभिलेखों के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त धनराशि 87509.00 का गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री दीपक यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- दोहरापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 125. ग्राम पंचायत दोहरापुर के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रूपये 3170485.60 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि

को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये **3170485.60** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री दीपक यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- मुंडेरा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 126. ग्राम पंचायत मुंडेरा के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू0 2007841.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, अतः रू0 2007841.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशंकर एवं सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री धीरू यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- मलासा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 127. ग्राम पंचायत मलासा के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये **3316680.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 3316680.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री विपिन यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- सिथराबुजुर्ग

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 128. ग्राम पंचायत सिथराबुजुर्ग के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 1298106.80 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 1298106.80 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान फूलमती तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) धीरू यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- गुरुगांव

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 129. ग्राम पंचायत गुरुगांव के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू0 197842.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त धनराशि 197842.00 को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही की जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम नारायण एवं सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री प्रदीप कुमार शुक्ला से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- तातरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 130. ग्राम पंचायत तातरपुर के वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 2127194.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 2127194.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री कृष्ण मोहन से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- मलासा

ग्राम पंचायत:- विरमा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 131. ग्राम पंचायत विरमा के वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू0 9,54,258.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टररोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली, एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्ययोजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। उक्त धनराशि 954258.00 को गबन मानते हुए अधिभार की कार्यवाही की जाती है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री धीरू यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- भीटीकुर्सी

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 132 ग्राम पंचायत भीटीकुर्सी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2049124.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय/तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भीटीकुर्सी द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2049124.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मुरा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 133 ग्राम पंचायत मुरा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 4145747.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मुरा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 4145747.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पंकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अंकित कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- अटियारायपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 134 ग्राम पंचायत अटियारायपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1656207.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक

स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत अटियारायपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 1656207.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रणविजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री उदन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मल्हपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 135 ग्राम पंचायत मल्हपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 1535121.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मल्हपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 1535121.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अंकित कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- रसूलाबाद देहात

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 136 ग्राम पंचायत रसूलाबाद देहात की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 455475.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत रसूलाबाद देहात द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 455475.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप चंद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मेघजाल

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 137 ग्राम पंचायत मेघजाल की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1059399.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मेघजाल द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1059399.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री तुलसीराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप चंद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- देवगांव चक्कर उर्फ निभू

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 138 ग्राम पंचायत देवगांव चक्कर उर्फ निभू की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2277430.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत देवगांव चक्कर उर्फ निभू द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2277430.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरभान से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप चंद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- बैरीसाल

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 139 ग्राम पंचायत बैरीसाल की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2294370.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक

स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बैरीसाल द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2294370.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नाथूराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप चंद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- तिश्ती

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 140 ग्राम पंचायत तिस्ती की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2876429.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत तिश्ती द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2876429.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकान्ती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अंकित कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मुनौरापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 141 ग्राम पंचायत मुनौरापुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1204961.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मुरौरापुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1204961.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामजानकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री बहमराज से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- जौत

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 142 ग्राम पंचायत जौत की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 312347.60 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जौत द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 312347.60 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री उदय सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- लालगांव

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 143 ग्राम पंचायत लालगांव की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1482154.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत लालगांव द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1482154.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रक्षपाल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- बर्रा ठर्रा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 144 ग्राम पंचायत बर्रा ठर्रा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1314336.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बर्रा ठर्रा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1314336.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहित सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मनावॉ रसूलाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 145 ग्राम पंचायत मनावॉ रसूलाबाद की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2387122.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मनावॉ रसूलाबाद द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2387122.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम बाबू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहित वर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- रसूलपुर रसूलाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 146 ग्राम पंचायत रसूलपुर रसूलाबाद की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1589450.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के

संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत रसूलपुर रसूलाबाद द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1589450.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धनश्याम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री ब्रहमराज से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- थान हमीरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 147 ग्राम पंचायत थान हमीरपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1009926.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत थान हमीरपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1009926.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- अमरोहिया

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 148 ग्राम पंचायत अमरोहिया की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2384292.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत अमरोहिया द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2384292.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप चन्द्र से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- सजावारपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 149 ग्राम पंचायत सजावारपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 117430.20 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सजावारपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 117430.20 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिंकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री उदन सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- मौजमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 150 ग्राम पंचायत मौजमपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 3323547.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मौजमपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 3323547.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रक्षपाल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- गदाईपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 151 ग्राम पंचायत गदाईपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 938903.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत गदाईपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 938903.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अकांक्षा यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- नौहा नौगांव

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 152 ग्राम पंचायत नौहा नौगांव की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2119705.28 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत नौहा नौगांव द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2119705.28 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री उमेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- घाघू

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 153 ग्राम पंचायत घाघू की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1570521.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत नौहा नौगांव द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1570521.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव बहादुर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- रसूलाबाद

ग्राम पंचायत:- खेड़ा कुर्सी

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 154 ग्राम पंचायत खेड़ा कुर्सी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2702469.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये, उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत खेड़ा कुर्सी द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2702469.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कमल नारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत:- निबौली- बुजुर्ग

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 155. ग्राम पंचायत निबौली बुजुर्ग के वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 07.03.2020 को श्री आलोक कुमार द्वारा ₹0 37700.00 आहरित के सापेक्ष वर्ष 2019-20 की कोषबही में कार्य का विवरण अंकित नहीं है। लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका, व्यय प्रमाणक व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छोटी व ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवम अग्निहोत्री से ब्याज सहित ₹0 37700.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 07

प्रस्तर सं0 156. ग्राम पंचायत निबौली बुजुर्ग की वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.03.2020 को वर्ष के अन्त में लक्ष्मी ब्रिकफील्ड को ईट क्रय हेतु ₹0 17272.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण कोषबही में अंकित नहीं है। कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, सम्बन्धित कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त अभिलेखों के अभाव में धनराशि ₹. 17272.00 को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छोटी व ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवम अग्निहोत्री से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 08

प्रस्तर सं0 157. ग्राम पंचायत निबौली बुजुर्ग की वित्तीय वर्ष 2019-20 में गौशाला का निर्माण कराना कोषबही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष विभिन्न मदों में कुल ₹. 504683.00 व्यय के सापेक्ष सम्बन्धित पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रह। उक्त अभिलेखों के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छोटी व ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवम अग्निहोत्री से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत:- सराया

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 158. ग्राम पंचायत सराया के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु. 3213232.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष में कोषबही के अलावा व्यय सम्बन्धी व्यय प्रमाणक, स्टॉकपंजिका, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्ययोजना, किये गये कार्यों की प्रारम्भ चालू व समाप्त के फोटोग्राफ तथा कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त अभिलेखों के अभाव में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को लेखा परीक्षा की दृष्टि से अपहरण मानते हुए अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इन्दू व ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष सिंह से कुल व्यय रु. 3213232.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 06

विकासखण्ड:- अकबरपुर

ग्राम पंचायत:- पातेपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 159. ग्राम पंचायत पातेपुर के वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम सभा पातेपुर द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल रु. 4191498.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष में कोषबही के अलावा व्यय सम्बन्धी व्यय प्रमाणक, स्टॉकपंजिका, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्ययोजना किये गये कार्यों की प्रारम्भ चालू व समाप्त के फोटोग्राफ तथा कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त अभिलेखों के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि से समस्त व्यय रु. 4191498.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं श्रीमती अकांक्षा त्रिपाठी ग्रा0वि0अधि0 से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 05

विकासखण्ड:- राजपुर

ग्राम पंचायत:- मोहम्मदपुर बुजुर्ग

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 160. ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बुजुर्ग के वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 3347369.55 का व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये 3347369.55 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्यामजी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री विवेक विद्यार्थी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- राजपुर

ग्राम पंचायत:- जमालपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 161. ग्राम पंचायत जमालपुर के वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 1363679.00 का व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में यह

कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार संदर्भित व्यय की धनराशि रुपये **1363679.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम जी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) श्री विवेक विद्यार्थी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- झींझक

ग्राम पंचायत:- रामपुर टप्पेवान

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 162 ग्राम पंचायत रामपुर टप्पेवान की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 1194988.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1194988.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु. 1194988.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री सुशील कुमार चौधरी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- झींझक

ग्राम पंचायत:- बनीपारा महाराज

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 163 ग्राम पंचायत बनीपारा महाराज की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 3721634.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 3721634.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के

संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु. 3721634.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री सुशील कुमार चौधरी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- झींझक

ग्राम पंचायत:- औरंगाबाद डालचन्द्र

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 164 ग्राम पंचायत औरंगाबाद डालचन्द्र की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 2892254.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रूपया 2892254.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु. 2892254.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वेदवती एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री आशीष मिश्रा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 02

विकासखण्ड:- झींझक

ग्राम पंचायत:- किशोरा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 165 ग्राम पंचायत किशोरा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 4806025.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रूपया 4806025.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु. 4806025.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजपाल सिंह एवं गा0वि0अधि0 श्री राहुल भारती से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- डेरापुर

ग्राम पंचायत:- बहिरी उमरी

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 166 ग्राम पंचायत बहिरी उमरी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 1992954.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बहिरी उमरी द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रु0 1992954.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष केसरवानी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 01

विकासखण्ड:- डेरापुर

ग्राम पंचायत:- खजुरा

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 167 ग्राम पंचायत खजुरा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 1746769.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। अतः रु0 1746769.00 का अपहरण कर लिया गया।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु. 1746769.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0 - 02

विकासखण्ड:- डेरापुर

ग्राम पंचायत:- मौजपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 168 ग्राम पंचायत मौजपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 735608.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बहिरी उमरी द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 735608.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा अवस्थी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- डेरापुर

ग्राम पंचायत:- उलरापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 169ग्राम पंचायत उलरापुर की वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 1279598.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत उलरापुर द्वारा वर्ष- 2020-21 में व्यय की गई धनराशि रू0 1279598.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- डेरापुर

ग्राम पंचायत:- बडागांव भिक्खी

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 170 ग्राम पंचायत बड़ागांव भिक्खी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2754578.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बड़ागांव भिक्खी द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2754578.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुंवर पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- डेरापुर

ग्राम पंचायत:- गलुवापुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 171 ग्राम पंचायत गलुवापुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1633611.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत गलुवापुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1633611.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पुत्तन लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

विकासखण्ड:- डेरापुर

ग्राम पंचायत:- दस्तमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष:- 2019-20

प्रस्तर सं0 172 ग्राम पंचायत दस्तमपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1319855.50 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल,

बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत दस्तमपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 1319855.50 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हुकुम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0 - 01

ग्राम पंचायत:- मूसानगर बांगर विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर-173

ग्राम पंचायत मूसानगर बांगर के वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष में व्यय धनराशि रू0 1925079.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (वाउचर), कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, तकनीकी प्रशानिक एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम,बी, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टरोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायगी।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रू0 1925079.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनवर अली एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- मांचा विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर-174

ग्राम पंचायत मांचा के वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष में व्यय धनराशि रू0 2373777.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (वाउचर), कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, तकनीकी प्रशानिक एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम,बी, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टरोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायगी।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रू0 2373777.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संजय त्रिवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- सुल्तनापुर विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर-175

ग्राम पंचायत सुल्तनापुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 में कैशबुक के अनुसार आलोच्य वर्ष में व्यय धनराशि ₹0 1233784.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (वाउचर), कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, तकनीकी प्रशानिक एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम,बी, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टरोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायगी।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 1233784.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश यादव एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- चपरघटा

विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर-176

ग्राम पंचायत चपरघटा के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार आलोच्य वर्ष में व्यय धनराशि ₹0 2342934.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (वाउचर), कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, तकनीकी प्रशानिक एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम,बी, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टरोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायगी।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 2342934.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगदीश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- गौसगंज

विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर-177

ग्राम पंचायत गौसगंज की वित्तीय वर्ष 2019-2020 की कोष बही में निम्न विवरणानुसार मिट्टी भराई कार्य पर व्यय किया गया दर्शित है:-

क्र0स0	दिनांक	बाउचर सं0	स्थान	धनराशि	मद
1.	19.07.2019	25	पूर्व कन्या विध्यालय	47320	मजदूरी
2.	22.07.2019	29	पूर्व कन्या विधालय	31000	ट्रैक्टर भाडा
			योग----	78320	

उक्त ₹0 78320.00 के व्यय के सापेक्ष उक्त कार्य का इस्टीमेट एम,बी,ट्रैक्टर भाडा की रसीद एवं मजदूरों के मस्टरोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। अतः ₹0 78320.00 के व्यय की पुष्टि

नहीं की जा सकी। अतः ₹ 78320.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा चौरसिया एवं तत्कालीन ग्राम सचिव श्री अनिल कटियार से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित हैं।

मूल आपति सं0-02

प्रस्तर सं0 178 ग्राम पंचायत गौसगंज की वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार प्रधान मानदेय का भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित हैं:- पी0एफ0एम0एस0एन0ओ0

क्र0सं0	दिनांक	पी0एफ0एम0एस0एन0ओ0	धनराशि	विवरण
1.	17.01.20	022ई0ए0टी0पी0ए0वई0आर0ई0क्यू0160120204283	35000	10माह विवरण अज्ञात
2.	24.03.20	022ई0ए0टी0पी0ए0वई0आर0ई0क्यू0240320201472	10500	03माह विवरण अज्ञात
		योग-----	45500	

इस प्रकार प्रधान को कुल ₹ 45500.00 मानदेय का भुगतान 13 माह हेतु आलोच्य वर्ष में किया गया है, जबकि वर्ष दौरान 12 माह का ही मानदेय भुगतान ₹ 42000.00 ही अनुमन्य होता है। स्पष्ट है कि ₹ 3500.00 अधिक भुगतान किया गया है। ₹ 3500.00 कि वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा चौरसिया एवं पंचायत सचिव अनिल कटियार से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

मूल आपति सं0-03

प्रस्तर सं0 179 ग्राम पंचायत गौसगंज की वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार हैडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है:

क्र0सं0	दिनांक	वाउचर संख्या	स्थान	धनराशि	मद
1.	31.12.2019	114	अज्ञात	14000	सामग्री
2.	25.02.2020	166	अज्ञात	17325	सामग्री
3.	24.03.2022	186	अज्ञात	15000	सामग्री
4.	24.03.2022	187	अज्ञात	3000	मजदूरी
				49325	

उक्त ₹ 49325.00 से क्रय की गयी सामग्री, हैडपंप मरम्मत स्थल सूची, व्यय प्रमाणक, तथा मजदूरी के मास्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। व्यय प्रमाणकों के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ₹ 49325.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा चौरसिया से एवं तत्कालीन ग्राम सचिव श्री अनिल कटियार से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित हैं।

मूल आपति सं0-04

प्रस्तर सं0 180 ग्राम पंचायत गौसगंज की वित्तीय वर्ष 2019-20 की कोष बही में दिनांक 08.05.2019 का वाउचर सं0 13 द्वारा ₹ 32640.00 का आहरण ग्राम सभा की सफाई हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त सफाई कार्य से संबंधित मजदूरी के मास्टररोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। अतः किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी मास्टररोल के अभाव में उक्त कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है अतः ₹ 32640.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा चौरसिया एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कटियार से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित हैं।

मूल आपति सं0-05

प्रस्तर सं0 181 ग्राम पंचायत गौसगंज की वित्तीय वर्ष 2019-20 की आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत गौसगंज की कोष बही में निम्न विवरणानुसार हैडपंप रिबोर हेतु व्यय किया जाना दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	बउचर सं0	स्थान	धनराशि	मद
1.	15.07.2019	14	जू0प्र0वि0प्रथम	5642	हैडपंप रिबोर मजदूरी
2.	15.07.2019	15	अज्ञात	5600	हैडपंप रिबोर मजदूरी
3.	15.07.2019	18	जू0प्र0वि0	14480	हैडपंप रिबोर
4	15.07.2019	19	जू0प्र0वि0	14400	हैडपंप रिबोर

5.	19.07.2019	22	जू0प्र0वि0	23748	हैडपंप रिबोर
6.	19.07.2019	23	अज्ञात	23748	हैडपंप रिबोर
7.	19.12.2019	105	अज्ञात	14480	हैडपंप रिबोर
8.	19.12.2019	106	अज्ञात	23748	हैडपंप रिबोर सामग्री
9.	19.12.2019	107	अज्ञात	23748	हैडपंप रिबोर सामग्री
10.	19.12.2019	108	अज्ञात	14480	हैडपंप रिबोर सामग्री
11.	19.12.2019	109	अज्ञात	5460	हैडपंप रिबोर मजदूरी
12.	19.12.2019	110	अज्ञात	5460	हैडपंप रिबोर मजदूरी
			योग—	174994	

उक्त रु0 174994.00 से हैडपंप रिबोर हेतु क्रय की गयी सामग्री, हैडपंप रिबोर स्थल सूची, व्यय प्रमाणक तथा मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

सचिव 30प्र0 के पत्रांक 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार रिबोर किये जाने हेतु जे0ई0 (एम0आई), जे0ई0 (आर0ई0डी0) या जिला पंचायत में उपलब्ध तकनीकी अधिकारी या जिला अधिकारी द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। रिबोर कराने में जल निगम की मार्गदर्शिका का शत-प्रतिशत पालन भी अनिवार्य था। रिबोर चूँकि मरम्मत कार्य था अतः प्लान प्लस पर वर्क आईडी तथा प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एमसेट पर रिबोर कराए गए हैडपंप फोटो एवं जियो टैगिंग भी अत्यंत आवश्यक थी। इस हेतु निविदा भी आमंत्रित नहीं की गयी, जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा किये गये निरीक्षण की पत्रावली भी जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयीं। प्रत्येक हैडपंप के रिबोर हेतु एक ही धनराशि का प्रयोग किया जबकि रिबोर में व्यय आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिये था, साथ ही हैडपंप रिबोर के स्थलों की सूची भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य काल्पनिक प्रतीत होता है। अतः रु0 174994.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु0 174994.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा चौरसिया एवं ग्राम सचिव श्री अनिल कटियार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

मूल आपति सं0-06

ग्राम पंचायत:- गौरी

विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर- 182

ग्राम पंचायत गौरी के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक के अनुसार आलोच्य वर्ष में व्यय धनराशि रु0 1522550.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (वाउचर), कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, तकनीकी प्रशानिक एवं वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, एम,बी, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र एवं मस्टररोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंधन लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु0 1522550.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भगवती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-01

ग्राम पंचायत:- हवासपुर

विकास खण्ड:- सन्दलपुर (2019-20)

प्रस्तर-183

ग्राम पंचायत हवासपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 2031972.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत हवासपुर द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2031972.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शांती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- जिगनां

विकास खण्ड:- सन्दलपुर (2019-20)

प्रस्तर-184

ग्राम पंचायत जिगनां की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1279333.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जिगना द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1279333.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- सतौरा

विकास खण्ड:- सन्दलपुर (2019-20)

प्रस्तर-185

ग्राम पंचायत सतौरा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1965823.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सतौरा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1965823.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मुन्ना सिंह सेंगर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- लौवा

विकास खण्ड:- सन्दलपुर (2019-20)

प्रस्तर-186

ग्राम पंचायत लौवा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1206636.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत लौवा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1206636.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बादशाह सिंह गौर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- पल्हनापुर

विकास खण्ड:- सन्दलपुर (2019-20)

प्रस्तर-187

ग्राम पंचायत पल्हनापुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2148304.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत पल्हनापुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2148304.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- ररौख

विकास खण्ड:- सन्दलपुर (2019-20)

प्रस्तर-188

ग्राम पंचायत ररौख की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 924518.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत ररौख द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 924518.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधाकान्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- भन्देमऊ

विकास खण्ड:- सन्दलपुर (2019-20)

प्रस्तर-189

ग्राम पंचायत भन्देमऊ की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 4577279.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भन्देमऊ द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 4577279.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:-अम्बियापुर

विकास खण्ड:- डेरापुर (2019-20)

प्रस्तर-190

ग्राम पंचायत अम्बियापुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1266589.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा

प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत अम्बियापुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 1266589.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

ग्राम पंचायत:- मझगंवा

विकास खण्ड:- डेरापुर (2019-20)

प्रस्तर-191

ग्राम पंचायत मझगंवा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 2763787.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मझगंवा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 2763787.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

ग्राम पंचायत:-लडुआपुर

विकास खण्ड:- डेरापुर (2019-20)

प्रस्तर-192

ग्राम पंचायत लडुआपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रू0 1905185.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत लडुआपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 1905185.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मोनू सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-गेदामऊ

विकास खण्ड:- डेरापुर (2019-20)

प्रस्तर-193

ग्राम पंचायत गेदामऊ की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 921687.50 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत गेदामऊ द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 921687.50 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

ग्राम पंचायत:-महराजपुर

विकास खण्ड:- डेरापुर (2019-20)

प्रस्तर-194

ग्राम पंचायत महराजपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1025325.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत महराजपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1025325.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनू सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

ग्राम पंचायत:-मरहना

विकास खण्ड:- डेरापुर (2019-20)

प्रस्तर-195

ग्राम पंचायत मरहना की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 2528610.50 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक

समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मरहना द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2528610.50 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लवकुश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रजापति से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:-नन्दपुर

विकास खण्ड:- डेरापुर (2019-20)

प्रस्तर-196

ग्राम पंचायत नन्दपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1802198.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत नन्दपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1802198.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:-फतेपुर

विकास खण्ड:- मैथा (2019-20)

प्रस्तर-197

ग्राम पंचायत फतेपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1288811.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस

धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत फतेपुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1288811.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती सोनी देवी से एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शशि बाजपेई से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- हथिका

विकास खण्ड:- मैथा (2019-20)

प्रस्तर-198

ग्राम पंचायत हथिका की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1258415.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत हथिका द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1258415.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अलका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- शेरपुर तरौंदा

विकास खण्ड:- सरवनखेडा (2019-20)

प्रस्तर-199

ग्राम पंचायत शेरपुर तरौंदा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से 3371969.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत शेरपुर तरौंदा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 3371969.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनाथ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि शुक्ला से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- सेरुआ टप्पा सैंथा

विकास खण्ड:- सरवनखेडा (2019-20)

प्रस्तर-200

ग्राम पंचायत सेरूआ टप्पा सैंथा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से 2057719.90 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सेरूआ टप्पा सैंथा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 2057719.90 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार तथा संबंधित सचिव कु0 कीर्ति सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:-सुल्तानपुर पैराजोर

विकास खण्ड:- सरवनखेडा (2019-20)

प्रस्तर-201

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर पैराजोर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से 465114.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सुल्तानपुर पैराजोर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रू0 465114.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती प्रियंका राठौर (अप्रैल-जून 2019) व श्री मनी शर्मा (जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक) से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- लोहारी

विकास खण्ड:- सरवनखेडा (2019-20)

प्रस्तर-202

ग्राम पंचायत लोहारी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से 2043365.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक

समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत लोहारी द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रु0 2043365.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम करन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कु0 कीर्ति सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- मनेथू

विकास खण्ड:- सरवनखेडा (2019-20)

प्रस्तर-203

ग्राम पंचायत मनेथू की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से 1062251.60 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत मनेथू द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रु0 1062251.60 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती प्रतिभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कु0 कीर्ति सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- भुजपुरा

विकास खण्ड:- मैथा (2019-20)

प्रस्तर-204

ग्राम पंचायत भुजपुरा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष बही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से 3131455.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस

धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत भुजपुरा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 3131455.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विशाल यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- सिलहरा

विकास खण्ड:- राजपुर (2019-20)

प्रस्तर-205

ग्राम पंचायत सिलहरा वर्ष 2019-20 में विभिन्न निर्माण हैडपंप मरम्मत/रिबोर अन्य कार्यों में समस्त धनराशि ₹0 2162041.00 व्यय की गयी जिसके सापेक्ष में लेखा परीक्षा में कोष बही के अलावा अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सिलहरा द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 2162041.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना आजमी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती मधुलता से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-06

ग्राम पंचायत:-जटियापुर

विकास खण्ड:- राजपुर (2019-20)

प्रस्तर-206

ग्राम पंचायत जटियापुर वर्ष 2019-20 में विभिन्न निर्माण हैडपंप मरम्मत/रिबोर अन्य कार्यों में समस्त धनराशि ₹0 1322085.00 व्यय की गयी जिसके सापेक्ष में लेखा परीक्षा में कोष बही के अलावा अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जटियापुर द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 1322085.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमन देवी व सचिव/ ग्रा0पं0अधि0 श्री संदीप निषाद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत:- अलीपुर रामहार

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2019-20)

प्रस्तर-207

ग्राम पंचायत अलीपुर रामहार की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1969038.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय में लेखा परीक्षा में कोष बही के अलावा अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत अलीपुर रामहार में व्यय धनराशि ₹0 1969038.00 ग्राम प्रधान श्री मेवाराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपचन्द्र से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- औरंगाबाद गहदेवा

विकास खण्ड:- रसूलाबाद (2019-20)

प्रस्तर-208

ग्राम पंचायत औरंगाबाद गहदेवा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से ₹0 1476511.25 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय में लेखा परीक्षा में कोष बही के अलावा अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोष बही , बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख तथा वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में निर्निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत औरंगाबाद गहदेवा में व्यय धनराशि ₹0 1476511.25 ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रमुखी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत:- सराय

विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर-209

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 10.05.2019 को चेक सं0 73642 द्वारा ₹0 10000.00 का आहरण प्रशासनिक मद हेतु किया जाना कैशबुक में दर्शित है। उक्त प्रशासनिक व्यय किस मद में किया गया, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। उक्त व्यय से संबंधित वाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सराय द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 10000.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

प्रस्तर-210

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 08.05.2019 को ₹0 5000.00 तालाब भराई का भुगतान चेक सं0 73641 द्वारा कोषबही में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। उक्त व्यय से संबंधित वाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सराय द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 5000.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

प्रस्तर-211

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 03.06.2019 को चेक सं0 73693 द्वारा ₹0 19500.00 का फर्नीचर व्यय का भुगतान जय कामदगिरि इंटरप्राइजेज को किया जाना कोष बही में दर्शित हैं। उक्त फर्नीचर व्यय का वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही डेड स्टॉक पंजिका भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे उपरोक्त डेडस्टॉक पूर्णतया अपुष्ट रहा तथा पूर्व वर्षों में डेडस्टॉक की स्थिति भी अज्ञात रही। व्यय प्रमाणक के अभाव में ₹0 19500.00 का व्यय अपुष्ट रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय

धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सराय द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि ₹0 19500.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-03

प्रस्तर-212

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में निम्न कार्यें में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं0	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/नाम फर्म का
1	इमलिया रोड से कृपाल के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य	15.07.2019	83288	-	30958	रवी कुमार
	"	16.07.2019	83287	99200	-	श्री राधे टेडर्स
	"	19.07.2019	83286	23884	-	न्यू महेन्द्रा टेडर्स
	"	31.07.2019	83285	33874	-	विजय ईट उद्योग
	योग			156958	30958	

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं0	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/नाम फर्म का
2	डामर रोड से पशु अस्पताल तक इंटरलॉकिंग कार्य	18.06.2019	73649	97200	-	बालाजी कंस्ट्रक्शन
	"	15.07.2019	83278	-	27874	रवी कुमार
	"	19.07.2019	83277	20095	-	न्यू महेन्द्रा टेडर्स
	"	31.07.2019	83276	24620	-	विजय ईट उद्योग
	योग			141915	27874	

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं0	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/नाम फर्म का
3	रफीक के घर से देवी प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	18.06.2019	13650	99100	-	श्री राधे टेडर्स
	"	15.07.2019	83281	-	32532	रवी कुमार
	"	19.07.2019	83280	25645	-	न्यू महेन्द्रा टेडर्स
	"	31.07.2019	83279	36534	-	विजय ईट उद्योग

योग			161279	32532	
महायोग			460152	91364	551516

उक्त व्यय की पुष्टि में उक्त कार्य के मस्टररोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। बिना मस्टररोल अर्थात् मजदूरी कार्य के बिना सामग्री का उपयोग किया जाना संभव ही नहीं है। साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य प्रारंभ, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा सत्यापित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है, की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8.के प्रस्तर 8 (क) के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सराय द्वारा वर्ष- 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रु0 551516.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-04

प्रस्तर-213

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में प्राथमिक विद्यालय बैआ में गेट निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है -

क्रमांक	दिनांक	चेक सं0	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/नाम फर्म का
1	01.08.2019	83292	-	9534	रवी कुमार
2	03.08.2019	83290	2504	-	विजय ईट उद्योग
3	03.08.2019	83295	18600	-	किशोरा टेडर्स
4	05.08.2019	83293	17424	-	न्यू महेंद्रा टेडर्स
			38528	9534	

उक्त व्यय की पुष्टि में उक्त कार्य के मस्टररोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। साथ ही कार्य समाप्ति के पश्चात् के प्रमाणित फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। कार्यस्थल पर कार्य के नाम का बोर्ड भी नहीं लगाया गया तथा एडीओ पंचायत द्वारा सत्यापित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु0 48062.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-05

प्रस्तर-214

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 के आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय निम्न विवरणानुसार किया जाना कैशबुक में दर्शित है -

क्रमांक	दिनांक	चेक सं0	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/नाम फर्म का
1	13.06.2019	73644	14500	-	रवी कुमार

2	04.07.2019	73645	-	5000	विजय ईट उद्योग
3	01.08.2019	73647	-	5000	किशोरा टेडर्स
4	03.08.2019	73646	14300	-	न्यू महेंद्रा टेडर्स
	योग		28800	10000	38800

उक्त व्यय की पुष्टि में हैंडपम्प मरम्मत स्थल सूची, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। ₹0 28800.00 से क्रय की गई सामग्री, उक्त सामग्री किन स्थलों पर हैंडपम्प मरम्मत हेतु प्रयोग की गयी, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। मरम्मत के दौरान हैंडपम्प से निकले सामान का लेखांकन, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। दो स्थानों पर हैंडपम्प मरम्मत हेतु लगभग एक ही धनराशि का प्रयोग किया गया जबकि मरम्मत में व्यय आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि हैंडपम्प मरम्मत में सचिव व प्रधान द्वारा गंभीर अनियमितता बरती गयी है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 38800.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-06

प्रस्तर-215

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 के आलोच्य वर्ष में हैंडपम्प रिबोर निम्न विवरणानुसार किया जाना कैशबुक में दर्शित

क्रमांक	दिनांक	चेक सं0	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/नाम फर्म का
1	01.08.2019	73647	-	3500	रवी कुमार
2	03.08.2019	83299	23748	-	सुहाने हार्डवेयर
3	05.08.2019	83296	16785	-	आर्या कंस्ट्रक्शन
	योग		40533	3500	44033

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपतियां हैं -

1. सचिव उत्तर प्रदेश के पत्रांक 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार रिबोर कराए जाने हेतु जे0ई0 (एम.आई.) या जे0ई0 (आर.ई.डी) क्षेत्र पंचायत में उपलब्ध तकनीकी अधिकारी या जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक थी जो कि नहीं ली गयी। रिबोर कराने में जल निगम की मार्गदर्शिका का शर्त प्रतिशत पालन भी अनिवार्य था।
2. रिबोर चूंकि मरम्मत कार्य था अतः प्लान प्लस पर वर्क आईडी तथा प्रियासॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम सेट पर रिबोर कराए गये हैंडपम्प की फोटो एवं जियो टैगिंग भी अत्यंत आवश्यक थी जो कि नहीं कराई गयी।
3. इस हेतु निविदा आमंत्रित भी नहीं की गई।
4. मरम्मत उपरांत हैंडपम्प से निकले सामान का लेखांकन, रिबोर करने में कौन-कौन सा सामान डाला गया, कितने मानव दिवस इस हेतु प्रयुक्त हुए, इसका विवरण संबंधित स्टॉक रजिस्टर व मस्टररोल के अनुपलब्ध होने के कारण प्राप्त न हो सका।
5. जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा किए गए निरीक्षण की पत्रावली भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि ₹0 44033.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष पटेल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-07

ग्राम पंचायत:- देवराहट बांगर

विकास खण्ड:- अमरौधा (2019-20)

प्रस्तर सं० 216

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है -

क्रम सं०	कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं.	कैशबुक पृष्ठ सं.	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/फर्म का नाम
1	पंचायत घर में निर्माण कंस्ट्रक्शन	2.4.19	42656	43	8729	-	मां कैला देवी
	कार्य-इंटरलॉकिंग						
2.	पंचायत घर में निर्माण टाइल्स	2.4.19	59287	43	11300	-	सुहाने मार्बल्स एंड
	कार्य-फर्श निर्माण						
3.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-बाउंड्री वॉल	2.4.19	59284	43	23100	-	महेंद्र ट्रेडर्स
4.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-फर्श निर्माण	2.4.19	59281	43	20100	-	महेंद्र ट्रेडर्स
5.	पंचायत घर में निर्माण कंस्ट्रक्शन	4.4.19	42661	43	12976	-	मां कैला देवी
	कार्य-इंटरलॉकिंग						
6.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-बाउंड्री वॉल	4.4.19	59285	43	42572	-	श्री गणेश ब्रिक फील्ड
7.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-शौचालय निर्माण	8.4.19	42670	44	13300	-	मदन लाल
8.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-शौचालय निर्माण	9.4.19	42668	44	7245	-	मां कैला देवी कंस्ट्रक्शन
9.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-शौचालय निर्माण	10.4.19	42669	44	12300	-	सुहाने मार्बल्स एंड टाइल्स
10.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-किचन शेड	16.4.19	51930	44	-	10880	मदन लाल
11.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-शौचालय निर्माण	18.4.19	42667	44	16260	-	महेंद्र ट्रेडर्स
12.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-किचन शेड	18.4.19	51927	44	15640	-	महेंद्र ट्रेडर्स
13.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-किचन शेड	20.4.19	51928	45	6250	-	श्री गणेश ब्रिक फील्ड
14.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-किचन शेड	22.4.19	51929	45	12900	-	सुहाने मार्बल्स एंड टाइल्स
	कार्य-पुताई						
15.	पंचायत घर में निर्माण पेंटिंग	27.5.19	67213	48	20700	-	नरेंद्र कुमार आर्ट एंड वॉल
	कार्य-पुताई						
16.	पंचायत घर में निर्माण कार्य-पुताई	27.5.19	67214	48	-	6000	संग प्रीत गौतम

17.पंचायत घर में निर्माण कार्य-पुताई	29.5.19	67215	48	-	21000	नोपेंद्र कुमार
18.बिन्तो के घर से जगत नारायण के घर तक इंटरलॉकिंग	6.8.19	67222	51	-	48925	मदन लाल
19 " "	6.8.19	67223	51	-	5800	मदन लाल
20 " "	6.8.19	67224	51	99400	-	एस के इंटरलॉकिंग
21 " "	6.8.19	67226	51	37159	-	मां कैला देवी कंस्ट्रक्शन
22 " "	6.8.19	67225	51	55189	-	मां कैला देवी कंस्ट्रक्शन
योग		401820	105905	507725		

उपरोक्त कार्यों पर हुए व्ययों की पुष्टि में बाउचर्स तथा मस्टररोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। साथ ही कार्य पूर्व, दौरान तथा समाप्ति के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। कार्य स्थल पर कार्य के नाम का बोर्ड भी नहीं लगाया गया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा सत्यापित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंधक लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से की जाएगी। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि रु. 507725.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिकार की कार्यवाही कर धनराशि रु. 507725.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-01

प्रस्तर सं0 217

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है -

क्रम सं०	कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं.	कैशबुक पृष्ठ सं.	सामग्री पर व्यय प्राप्तकर्ता/फर्म का नाम
1.	पंचायत घर से आरसीसी रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य	2.4.19	42652	43	19267 मां कैला देवी कंस्ट्रक्शन
	"	2.4.19	42561	43	12947 मां कैला देवी कंस्ट्रक्शन
2.	प्राथमिक विद्यालय मुरलीपुर में स्टोर टाइल्स कार्य	2.4.19	59279	43	9000 सुहाने आयरन
	"	2.4.19	59280	43	18400 महेंद्र ट्रेडर्स
3.	भाजराज के घर से धर्म सिंह फील्ड के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4.4.19	42649	43	43956 श्री गणेश ब्रिक
4.	रामबाबू के घर से भोजराज के घर तक -	4.4.19	42644	43	43672 श्री गणेश ब्रिक फील्ड
	योग		147242	147242	

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में वाउचर्स लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। यहां यह उल्लेखनीय है कि मजदूरी पर कोई भी व्यय दर्शित नहीं किया गया है तथा बिना मजदूरी के सामग्री का उपयोग किया जाना संभव ही नहीं है। साथ ही कार्य पूर्व

,दौरान तथा समाप्ति के फोटोग्राफ तथा एडीओ पंचायत द्वारा प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जाएगी।अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि रु.147242.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु. 147242.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-02

प्रस्तर सं0 218

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है:-

क्रम सं० कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं.	कैशबुक पृष्ठ सं.	मजदूरी पर व्यय	प्राप्तकर्ता/फर्म
1. सफाई कार्य	23.4.19	51942	46	15000	मदन लाल
2. कूड़ा फिकवाई	25.4.19	51941	46	5000	मदन लाल
3. सफाई व्यय	10.5.19	67201	47	10000	मदन लाल
4. कूड़ा फिकवाई	16.5.19	67203	47	10000	नोपेंद्र सिंह
5. कूड़ा फिकवाई	24.6.19	67221	49	5000	मदन लाल
योग				45000	

उक्त सफाई कार्य से संबंधित मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। साथ ही कूड़ा फिकवाई जिस वाहन से की गई उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर तथा संबंधित व्यय की रसीद /वाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जाएगी।अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि रु.45000.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु. 45000.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-03

प्रस्तर सं0 219

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है :-

क्रम सं०	सामग्री	दिनांक	चेक सं.	कैशबुक पृष्ठ सं.	सामग्री पर व्यय	प्राप्तकर्ता/फर्म का नाम
1.	फर्नीचर	6.5.19	51943	47	40000	यूनिक सेल्स
2.	मेज	30.5.19	67204	48	12390	ए एन सी एगो प्रोडक्ट
3.	कुर्सी	12.6.19	67205	49	2000	गोयल फर्नीचर
	योग				54390	

उक्त रुपए 54390.00 से कौन-कौन सा फर्नीचर क्रय किया गया ,लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा ।साथ ही संबंधित व्यय के वाउचर्स भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। । साथ ही डेड स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि उक्त रुपए 54390.00 से कौन-कौन सा फनीचर क्रय किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जाएगी। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु.54390.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-04

प्रस्तर सं0 220

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के वर्ष 2019-20 में दिनांक 7.03 2019 को चेक सं. 51950 द्वारा रु 5000.00 का प्रशासनिक व्यय किया जाना कैश बुक के पृष्ठ सं. 47 पर दर्शित है। उक्त प्रशासनिक व्यय किस मद में किया गया, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। साथ ही संबंधित व्यय का वाउचर /रसीद लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जाएगी। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु. 5000.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-05

प्रस्तर सं0 221

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की कैश बुक के पृष्ठ सं. 47 पर दिनांक 16.05.2019 को चेक सं. 67202 द्वारा रु.10000.00 की स्टेशनरी क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय से संबंधित वाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। साथ ही स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त रुपए 10,000 से कौन से स्टेशनरी खरीदी गई और कितने रुपए की फोटो कॉपी कराई गई।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जाएगी। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि रु.10000.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु.10000.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-06

प्रस्तर सं0 222

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की कैश बुक के पृष्ठ सं. 48 पर दिनांक 23-5 -19 को चेक सं. 67212 द्वारा रु.4000 प्रचार-प्रसार हेतु अभिषेक पत्रकार को दिया जाना दर्शित है। उक्त

144

रु.4000 द्वारा किस समाचार पत्र में कौन सा प्रचार-प्रसार किया गया संबंधित समाचार पत्र की प्रति अनुपलब्ध रहने से अज्ञात रहा। साथ ही संबंधित व्यय की रसीद/वाउचर भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जाएगी। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि रु.4000.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु. 4000.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-07

प्रस्तर सं0 223

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार हैंडपंप मरम्मत पर व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं.	कैशबुक पृष्ठ सं.	सामग्री व्यय	मजदूरी व्यय	प्राप्तकर्ता/फर्म का नाम
1.	9.4.19	42638	44	15000	-	प्रदीप आयरन स्टोर
2.	9.4.19	42639	44	15000	-	प्रदीप आयरन स्टोर
3.	20.4.19	51939	45	-	5000	मदनलाल
4.	14.6.19	67220	49	-	5000	मदनलाल
5.	14.6.19	67219	49	-	5000	मदनलाल
6.	21.6.19	67217	49	15000	-	प्रदीप आयरन स्टोर
7.	24.6.19	67218	49	15000	-	मदनलाल
योग				60000	15000	75000

उक्त व्ययों की पुष्टि में हैंडपंप मरम्मत स्थल सूची, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। रु. 60000.00 से क्रय की गई सामग्री, उक्त सामग्री किन स्थलों पर हैंडपंप मरम्मत हेतु प्रयोग की गई, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। मरम्मत के दौरान हैंडपंप से निकले सामान का स्टॉक, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। दो स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत हेतु लगभग एक ही धनराशि का प्रयोग किया गया जबकि मरम्मत में व्यय आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि हैंडपंप मरम्मत में सचिव व प्रधान द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है। अतः रुपए 75000.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-08

प्रस्तर सं0 224

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार हैंडपंप रिबोर किया जाना कैश बुक में दर्शित है -

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं.	कैशबुक पृष्ठ सं.	सामग्री व्यय	मजदूरी व्यय	प्राप्तकर्ता/फर्म का नाम
1	8.4.19	42666	44	-	5600	मदनलाल
2	8.4.19	42665	44	-	14480	मदनलाल
3	16.4.19	51926	44	-	5600	मदनलाल
4	16.4.19	42673	44	-	5600	मदनलाल
5	16.4.19	42675	44	-	14480	मदनलाल
6	16.4.19	42672	44	-	14480	मदनलाल
7	16.4.19	51934	44	-	5600	मदनलाल

8	16.4.19	51933	44	-	14480	मदनलाल
9	16.4.19	51937	44	-	5600	मदनलाल
10	16.4.19	51936	44	-	14480	मदनलाल
11	22.4.19	59272	44	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
12	22.4.19	59273	44	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
13	22.4.19	59260	44	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
14	22.4.19	59263	44	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
15	22.4.19	59266	44	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
16	22.4.19	59257	44	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
17	22.4.19	59269	44	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
18	4.5.19	42664	47	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
19	7.5.19	51948	47	-	14480	मदनलाल
20	7.5.19	51945	47	-	14480	मदनलाल
21	7.5.19	51946	47	-	5600	मदनलाल
22	7.5.19	51949	47	-	5600	मदनलाल
23	9.5.19	51935	47	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
24	18.5.19	51944	47	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
25	20.5.19	51947	47	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
26	20.5.19	67210	48	-	14480	मदनलाल
		146				
27	20.5.19	67211	48	-	5600	मदनलाल
28	20.5.19	67208	48	-	5600	मदनलाल
29	20.5.19	67207	48	-	14480	मदनलाल
30	6.6.19	67209	49	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
31	6.6.19	67206	49	23748	-	प्रदीप आयरन स्टोर
योग				308724	80320	389044

(1) सचिव उत्तर प्रदेश के पत्रांक 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार रिबोर कराए जाने हेतु जे0ई0 (एम0आई0) या जे0ई0 (आर0ई0डी0) क्षेत्र पंचायत में उपलब्ध तकनीकी अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक थी जो कि नहीं ली गई। रिबोर कराने में जल निगम की मार्गदर्शिका का शत-प्रतिशत पालन भी अनिवार्य था।

(2) रिबोर चूँकि मरम्मत कार्य था अतः प्लान प्लस पर वर्क आईडी तथा प्रियासॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम सेट पर रिबोर कराए गए हैंड पंप की फोटो एवं जियो टैगिंग भी अत्यंत आवश्यक थी जो कि नहीं कराई गई।

(3) इस हेतु निविदा आमंत्रित भी नहीं की गई।

(4) मरम्मत उपरांत हैंडपंप से निकले सामान का स्टॉक, रिबोर करने में कौन कौन सा सामान डाला गया? कितने मानव दिवस इस हेतु प्रयुक्त हुए, इसका विवरण संबंधित स्टॉक रजिस्टर व मस्टररोल के अनुपलब्ध होने के कारण प्राप्त न हो सका।

(5) जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा किए गए निरीक्षण की पत्रावली भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रिबोर कराने में सचिव व प्रधान द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है अतः रु.389044.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-09

प्रस्तर सं0 225

ग्राम पंचायत देवराहट बांगर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में मिलन कोड में मिट्टी भराई कार्य में निम्नानुसार व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है -

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं.	कैश पृष्ठ सं.	कार्य का नाम	परमजदूरी व्यय	पर प्राप्तकर्ता/फर्म का नाम
1.	4.4.19	42663	43	मिट्टी भराई	17500	मदनलाल
2.	4.4.19	42662	43	ट्रैक्टर भाड़ा	11700	मदनलाल
योग					29200	

उक्त व्ययों की पुष्टि में मिट्टी भराई कार्य के मस्टररोल तथा संबंधित ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर तथा रसीद /वाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी से की जाएगी। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि रु.29200.00 का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर धनराशि रु.29200.00 की संयुक्त ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवकुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति सं0-10

प्रारूप -4

संस्था का नाम -ग्राम पंचायत

जनपद- कानपुर नगर

वर्ष 2019-20

विकास खण्ड-सरसौल**1-ग्राम पंचायत -हाथीगाँव**

प्रस्तर संख्या 01 -उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए व्ययों के सापेक्ष वाउचर/अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना गया है। अतः इस स्तर पर माना जा रहा है कि तत्काल ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा राजकीय अनुदान का गबन कर लिया गया है। अतः ई ग्राम स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय से सम्बंधित वाउचर/अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने की दशा में गबन की धनराशि रुपये- 234572.40 में से रुपये- 117286.20 ग्राम प्रधान श्री जगरूप भारती से एवं रुपये- 117286.20 ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री धनीराम से ब्याज सहित वसूली की तिथि तक ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही राजकीय धन के गबन के आरोप में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -02)

प्रस्तर संख्या 02 -उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए व्ययों के सापेक्ष वाउचर/अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना गया है। अतः इस स्तर पर माना जा रहा है कि तत्काल ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा राजकीय अनुदान का गबन कर लिया गया है। अतः ई ग्राम स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय से सम्बंधित वाउचर/अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने की दशा में गबन की धनराशि रुपये- 554599.10 में से रुपये- 277299.55 ग्राम प्रधान श्री जगरूप भारती से एवं रुपये- 277299.55 ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री धनीराम से वसूली की तिथि तक ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही राजकीय धन के गबन के आरोप में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या -03)

(मूल आपति संख्या -02)

प्रस्तर संख्या 08 -उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए व्ययों के सापेक्ष वाउचर/अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना गया है। अतः इस स्तर पर माना जा रहा है कि तत्काल ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा राजकीय अनुदान का गबन कर लिया गया है। अतः ई ग्राम स्वराज के अनुसार दर्शित व्यय से सम्बंधित वाउचर/अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने की दशा में गबन की धनराशि रुपये- 564593.15 में ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह से ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री धनीराम से वसूली की तिथि तक ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या -03)

5-ग्राम पंचायत- नसड़ा

प्रस्तर संख्या 09-ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में मात्र बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध रहे। ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये **640697.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहीं। नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार)दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 640697.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान रेनू सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) रवि यादव या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-01)

प्रस्तर संख्या 10-ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में मात्र बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध रहे। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के **14 वित्त आयोग** मद से रुपये **444006.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहीं। नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार)दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 444006.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान रेनू सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी)रवि यादव या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-02)

6- ग्राम पंचायत - पुरवामीर

प्रस्तर संख्या 11-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में [ई ग्राम स्वराज /प्रिय सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार]ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 111719.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति [बिल/मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण],मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहीं, प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध [ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार]दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 111719.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान वंदना सिंह से तथा सचिव - ग्राम पंचायत [ग्रां पं /वि। अधिकारी]राहुल देव मिश्रा या अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से जाँचोपरांत स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। बैंक पासबुक तथा मूल पासबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-01)

प्रस्तर संख्या 12-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में [ई ग्राम स्वराज /प्रिय सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार] ग्राम निधि प्रथम के 14 वें वित्त आयोग मद से रुपये 859458.80 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति [बिल/मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण],मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहीं, प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध [ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 859458.80 में तत्कालीन ग्राम प्रधान वंदना सिंह से तथा सचिव -ग्राम पंचायत [ग्राम पं /वि। अधिकारी]राहुल देव मिश्रा या अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से जाँचोपरांत स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। बैंक पासबुक तथा मूल पासबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-02)

ग्राम पंचायत- सिकठिया

प्रस्तर संख्या 13-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार] ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 278899.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति [बिल/मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण],मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहीं, प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध [ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार]दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 278899.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान निर्मला देवी से तथा सचिव -ग्राम पंचायत [ग्राम पं /वि। अधिकारी]राहुल देव मिश्रा या अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपति सं0-01)

प्रस्तर संख्या 14-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में [ई ग्राम स्वराज /प्रिय सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार] ग्राम निधि प्रथम के 14 वें वित्तआयोग मद से रुपये 1122855.70 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति [बिल/मस्टररोल /ट्रांसफर विवरण],मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रहीं, प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध [ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार]दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1122855.70 में तत्कालीन ग्राम प्रधान निर्मला देवी से तथा सचिव -ग्राम पंचायत [ग्राम पं /वि। अधिकारी]राहुल देव मिश्रा या अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से जाँचोपरांत स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। बैंक पासबुक तथा मूल पासबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-02)

विकास खण्ड-पतारा

1-ग्राम पंचायत- पडरी लालपुर

प्रस्तर संख्या 15-लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार वर्ष का कुल व्यय ₹0 7115604.00 है। जबकि प्रिया साफ्ट /ई- ग्राम स्वराज पब्लिक डोमेन के अनुसार वर्ष का कुल व्यय ₹0 7043729.00 है। अन्तर ₹0 71875.00 है। अतः ई.ग्राम स्वराज पर फीडिंग न करने हेतु उत्तरदायी तत्कालीन सचिव -ग्राम पंचायत [ग्राम पं /वि। अधिकारी]देवी प्रसाद व ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-15)

प्रस्तर संख्या 16-लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही में स्पष्ट है कि विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किए गए। विवरण निम्न प्रकार है-

1. दिनांक 01.5.19 को ₹0 19800.00 लोकसभा निर्वाचन हेतु 4 व्हील चैयर क्रय।
2. दिनांक 22.5.19 को ₹0 7000.00 स्वच्छता किट लोकसभा निर्वाचन हेतु क्रय ।

कुल धनराशि ₹0 26800.00

उपरोक्त प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय ₹.13400.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विजय बहादुर यादव तथा तत्कालीन सचिव देवी प्रसाद ग्राम पंच से ₹.13400.00 की ब्याज सहित वसूली के जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-16)

2-ग्राम पंचायत- तेजपुर

प्रस्तर संख्या 17-प्रिया साफ्ट की फीडिंग के अनुसार ₹0 6000-00 गतवर्ष का नकद अवशेष था जो 31-3-2020 को नकद अवशेष के रूप में यथावत फीड है। परन्तु कैशबुक में आलोच्य वर्ष का नकद प्रारम्भिक अवशेष धनराशि शून्य एवं दिनांक 31-3-2020 को वर्षान्त अवशेष की धनराशि शून्य अंकित है। गतवर्ष की कैशबुक पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण प्रियासाफ्ट एवं कैशबुक के नकद अवशेष में भिन्नता है। अतः ₹0 6000 के अपहरण की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ₹0 6000 नकद अवशेष कैशबुक में नहीं दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं रही, सचिव सुश्री रिचा उमराव एवं प्रधान श्री उदय नारायण से करके ग्राम निधि प्रथम खाते में जमा करवाकर कैशबुक में अंकित करवाया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-25)

3-ग्राम पंचायत- बम्बुराहा

प्रस्तर संख्या 18 -प्रिया साफ्ट के अनुसार दिनांक 01.4.19 को ₹0 84000.00 नकद अवशेष है, परन्तु कैशबुक में नकद के रूप में ₹0 शून्य दर्शाया गया है। चूंकि जांच दौरान गतवर्ष की कैशबुक प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए नकद अवशेष एवं बैंक खाता में अवशेष धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। दिनांक 31.3.2020 को भी प्रिया साफ्ट में ₹0 84000.00 ही बकाया के रूप में दर्शाया जा रहा है, जबकि कैशबुक में दर्शायी गई धनराशि शून्य ही है। अतः यह प्रतीत होता है कि नकद के रूप में ₹0 84000.00 सचिव एवं प्रधान के पास नकद अवशेष था, जिसे दिनांक 01.4.19 को कैशबुक में न तो अंकित किया गया एवं न ही आलोच्य वर्ष दौरान उस धनराशि का प्रयोग विकास कार्य में किया गया एवं अन्ततः 31.3.2020 को भी ₹0 84000.00 का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया। गतवर्ष की कैशबुक प्रस्तुत कर दिनांक 01.04.19 को प्रारम्भिक नकद धनराशि की पुष्टि करवाया जाना अपेक्षित रहा। प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में ₹0 84000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अमित कुमार ,सचिव एवं श्री आदर्श प्रताप सिंह प्रधान से वसूल करके ग्राम निधि-1 के बैंक खाते में जमा करवाकर कैशबुक में अंकन करवाया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-25)

4-ग्राम पंचायत-संचितपुर

प्रस्तर संख्या 19-बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 15.5.19 को ₹0 1890.00 का भुगतान चेक सं0- 333 से यादव ब्रिक फील्ड को किया गया है। इस भुगतान को कैशबुक के व्यय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है एवं व्यय के सापेक्ष कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक भी सचिव द्वारा जांच दौरान प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसलिए उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अपुष्ट धनराशि अपहरण प्रतीत होती है। इसलिए अपुष्ट धनराशि ₹0 1890.00 की श्रीमती रिचा उमराव ग्राम विकास अधिकारी /पंचायत अधिकारी तथा श्री विष्णु कुमार ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-24)

5-ग्राम पंचायत-इटरी

प्रस्तर संख्या 20-दिनांक 21.6.19 को कैशबुक में अंकित है कि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रु0 7000.00 का भुगतान किया गया। कैशबुक में भुगतान का पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया गया है, जिससे ये ज्ञात नहीं हो सका कि रु0 7000.00 किस कार्य हेतु एवं किसे भुगतान किया गया है। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विवरणहीन एवं व्यय प्रमाणक के बिना व्यय अपुष्ट रहा। अतः अपुष्ट धनराशि रु0 7000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री निशान्त चन्द्राकर, सचिव एवं श्री राकेश कुमार वर्मा, प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-22)

प्रस्तर संख्या 21 -दिनांक 26.12.19 को रु0 8500.00 प्रशासनिक मद हेतु अनूप इन्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है। जांच दौरान इस भुगतान के सापेक्ष फर्म का व्यय प्रमाणक, एवं प्रशासनिक स्वीकृति माँगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रु0 8500.00 का प्रशासनिक मद से किस कार्य के लिए व्यय किया गया यह स्पष्ट नहीं हो सका। अतः फर्म के माध्यम से धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री निशान्त चन्द्राकर, सचिव एवं श्री राकेश कुमार वर्मा, प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-23)

प्रस्तर संख्या 22-कैशबुक के अनुसार दिनांक 19.11.19 को रु03661.00 टैक्टर भाड़ा का भुगतान एस0आर0 ब्रिक फील्ड को किया गया है। सचिव द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि टैक्टर भाड़ा का भुगतान किस हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टैक्टर का नम्बर, ड्राइवर का नाम, पता तथा कार्य का विवरण अज्ञात रहा। अतः व्यय पूर्णतया अपुष्ट पाया गया। अतः श्री निशान्त चन्द्राकर, सचिव एवं श्री राकेश कुमार वर्मा, प्रधान से रु0 3661.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-24)

प्रस्तर संख्या 23 ग्राम निधि-1 खाता से दिनांक 7.1.20 को रु0 5000.00 एवं रु0 5000.00 दो बार में भुगतान कैशबुक में अंकित किया गया है। उक्त दोनों धनराशियाँ स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्राम निधि-6 से बनवाये गये शौचालयों पर एल0जी0डी0 कोड अंकित करवाये जाने हेतु लेबर भुगतान करने हेतु व्यय किये गये हैं। उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त ग्राम निधि-1 की धनराशि को दूसरी योजना पर व्यय किया जाना वित्तीय नियमों के विपरीत भी है। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में एवं मद परिवर्तन करके कार्य करवाने के कारण उक्त कार्य अनियमित पाया गया। उक्त व्यय पूर्णतः अपुष्ट रहा। काल्पनिक कार्य दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः श्री अभिषेक कुमार, सचिव एवं श्री राकेश कुमार वर्मा, प्रधान से रु0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-25)

6-ग्राम पंचायत-गिरसी

प्रस्तर संख्या 24-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में ग्राम निधि-छः की दो कैशबुक बनाया गया है। पहली कैशबुक में माह अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक का अंकन किया गया है। एवं दूसरी कैशबुक में माह दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 तक के आय-व्यय का अंकन किया गया है। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2019 तक श्री शेष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी का कार्यकाल था। दिनांक 17.8.19 से 30 नवम्बर 2019 तक प्रवीण मिश्रा, सचिव का कार्यकाल था जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान ग्राम निधि-6 से व्यय की गई धनराशि का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया। दिनांक 26.8.19 से 14.11.19 तक रु0 120000.00 (रु0 एक लाख बीस हजार) मात्र का व्यय तथा रु. 354.00 बैंक कटौती का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। रु.120000.00 व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक एवं अन्य पत्रावलियाँ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराशि अनियमित तरीके से व्यय की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रवीण मिश्रा, सचिव तथा श्रीमती प्रीति सचान, प्रधान से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही छूटी हुई धनराशि का लेखांकन कैशबुक में कराये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। **अपुष्ट व्यय की** ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-25)

प्रस्तर संख्या 25-ग्राम निधि-6 की कैशबुक के अनुसार आलोच्य वर्ष दौरान रु0 727427.00 व्यय किया गया है। दर्शायी गई समस्त धनराशि के व्यय प्रमाणक एवं अन्य पत्रावलिया इत्यादि लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय दर्शायी गई समस्त धनराशि अपुष्ट रही। अतः सम्भव है कि व्यय अनियमित तरीके से किया गया है जिसके लिए श्री शेष कुमार, सचिव श्री हरदीप सिंह, सचिव एवं श्री प्रीति सचान, प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यकाल के अनुसार निम्नलिखित अनुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है-

1. रु0 48719.00 श्री शेष कुमार, सचिव एवं श्रीमती प्रीति सचान, ग्राम प्रधान ।
2. रु0 678708.00 श्री हरदीप सिंह, सचिव एवं श्रीमती प्रीति सचान, ग्राम प्रधान ।

(मूल आपति सं0-26)

7-ग्राम पंचायत- पहेवा

प्रस्तर संख्या 26-कैशबुक के अनुसार दिनांक 9.10.19 को रु0 5200.00 प्रशासनिक व्यय के लिए भुगतान किया गया है। कैशबुक में प्रशासनिक कार्य का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है, एवं उक्त भुगतान के व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में माँगे जाने के बावजूद सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः कैशबुक में अपूर्ण विवरण दर्ज करने एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि रु0 5200.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल त्रिवेदी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी) श्री निशान्त चन्द्राकर से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-25)

प्रस्तर संख्या 27-कैशबुक के अनुसार दिनांक 12.12.20 को रु0 6405.00 प्रशासनिक व्यय के लिए भुगतान किया गया है। कैशबुक में प्रशासनिक कार्य का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है, एवं उक्त भुगतान के व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में माँगे जाने के बावजूद सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः कैशबुक में अपूर्ण विवरण दर्ज करने एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि रु0 6405.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल त्रिवेदी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी) श्री अभिषेक कुमार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-26)

प्रस्तर संख्या 28 -कैशबुक अनुसार दिनांक 7.10.19 को हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान रु0 20000.00 अंकित है। इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक में वाउचर नं0 भी अंकित नहीं है। उक्त व्यय धनराशि रु0 20000.00 अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि रु0 20000.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल त्रिवेदी से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी) श्री निशान्त चन्द्राकर से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-27)

प्रस्तर संख्या 29-कैशबुक अनुसार दिनांक 9.10.19 को रु0 900.00, रु0 1100.00, रु0 1100.00 , कुल रु0 3100.00 हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान के रूप में दर्शाया गया है। कैशबुक में वाउचर नम्बर एवं हैण्डपम्प रिबोर किस स्थान पर कराया गया है, का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। व्यय धनराशि रु0 3100.00 अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि रु0 3100.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल त्रिवेदी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी) श्री निशान्त चन्द्राकर से उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-28)

8-ग्राम पंचायत- सरगवां

प्रस्तर संख्या 30-प्रिया साफ्ट के अनुसार दिनांक 01.4.19 को रु0 4000.00 नकद अवशेष है, परन्तु कैशबुक में नकद के रूप में रु0 शून्य दर्शाया गया है। चूँकि जांच दौरान गतवर्ष की कैशबुक प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए नकद अवशेष एवं बैंक खाता में अवशेष धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। दिनांक 31.3.2020 को भी प्रिया साफ्ट में रु0 4000.00 ही

बकाया के रूप में दर्शाया जा रहा है, जबकि कैशबुक में दर्शायी गई धनराशि शून्य ही है। अतः यह प्रतीत होता है कि नकद के रूप में ₹0 4000.00 सचिव एवं प्रधान के पास नकद अवशेष था, जिसे दिनांक 01.4.19 को कैशबुक में न तो अंकित किया गया एवं न ही आलोच्य वर्ष दौरान उस धनराशि का प्रयोग विकास कार्य में किया गया एवं अन्ततः 31.3.2020 को भी ₹0 4000.00 का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया। गतवर्ष की कैशबुक प्रस्तुत कर दिनांक 01.04.19 को प्रारम्भिक नकद धनराशि की पुष्टि करवाया जाना अपेक्षित रहा। प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में ₹0 4000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री शेष कुमार, गा0वि0अ0 तथा श्रीमती पंकी देवी, ग्राम प्रधान से वसूल करके ग्राम निधि-1 के बैंक खाते में जमा करवाकर कैशबुक में अंकन करवाये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति सं0-23)

9-ग्राम पंचायत- पतरसा

प्रस्तर संख्या 31-कैशबुक के अनुसार दिनांक 12.6.19 को ₹0 6000.00 अनूप इन्टरप्राइजेज को प्रशासनिक व्यय के लिए भुगतान किया गया है। कैशबुक में प्रशासनिक कार्य का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है, एवं उक्त भुगतान के व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में माँगे जाने के बावजूद सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः कैशबुक में अपूर्ण विवरण दर्ज करने एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि ₹0 6000.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिशंकर साहू तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी) श्री शिवेन्द्र द्दिवेदी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-24)

प्रस्तर संख्या 32- कैशबुक के अनुसार दिनांक 27.1.2020 को ₹0 8500.00 एवं दिनांक 27.1.2020 कोही ₹0 19500.00 कुल धनराशि ₹0 28000.00 अनूप इन्टरप्राइजेज को प्रशासनिक व्यय के लिए भुगतान किया गया है। कैशबुक में प्रशासनिक कार्य का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है, एवं उक्त भुगतान के व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में माँगे जाने के बावजूद सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः कैशबुक में अपूर्ण विवरण दर्ज करने एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि ₹. 28000.00 से ग्राम प्रधान श्री हरिशंकर साहू तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी) श्री निशान्त चन्द्राकर से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-25)

प्रस्तर संख्या 33-दिनांक 28.10.19 को ₹0 5000.00 हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु श्रमिक भुगतान श्री हरिशंकर साहू, प्रधान को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किया गया है। संलग्न व्यय प्रमाणक के अनुसार भी भुगतान प्रधान को किया गया है। कार्यपूर्ति के अनुसार दिनांक 3.6.19 को कार्य प्रारम्भ हुआ तथा 25.8.19 को कार्य समाप्त हुआ। हैण्डपम्प मरम्मत स्थल की सूची, स्थानीय व्यक्तियों /ग्रामीण के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना /प्रार्थना पत्र इत्यादि जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय नियमों के अनुसार भुगतान लेबर ,मिस्त्री के बैंक खातों में भेजा जाना चाहिए था, परन्तु भुगतान ग्राम प्रधान को हुआ है। उक्त के क्रम में भुगतान अनियमित रहा तथा हैण्डपम्प मरम्मत की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अनियमित रूप से हैण्डपम्प मरम्मत पर हुए व्यय की धनराशि ₹0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री देवाशीष श्रीवास्तव, सचिव एवं श्री हरिशंकर साहू ,ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा।

(मूल आपति सं0-26)

10-ग्राम पंचायत- मिर्जापुर

प्रस्तर संख्या 34-आडिट में पाया गया कि आलोच्य वर्ष दौरान चतुर्थ राज्य वित्त/ 14वाँ वित्त आयोग से प्राप्त ग्राम निधि प्रथम की धनराशि ₹0 957308.00 ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा स्वयं तथा कहीं-कहीं अन्य व्यक्ति/फर्मों के माध्यम से व्यय किया गया हैं। दर्शाये गए विवरण के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल, कार्य पत्रावली(तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र), स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कोटेशन पत्रावली, टेण्डर पत्रावली तथा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय दर्शित धनराशि ₹0 957308.00 अपहरण/ गबन योग्य है। अतः धनराशि ₹0 957308.00 (₹0 नौ लाख सत्तावन हजार तीन सौ

आठ मात्र) की ब्याज सहित वसूली श्री रमेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी व श्रीमती गोमती देवी , ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-6)

प्रस्तर संख्या 35 -आडिट में प्रस्तुत कोषबही में मात्र ग्राम निधि प्रथम का ही अंकन किया गया है अन्य किसी भी ग्राम निधि से प्राप्त /व्यय किये गये धन का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अलग से भी ग्राम निधि 6 (स्वच्छ भारत मिशन) की कोई कोषबही एवं कोई पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। आडिट दौरान सहायक विकास अधिकारी (पं0) विकास खण्ड पतारा से ग्राम निधि-6 के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त हुए। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष दौरान हुए आय-व्यय का विवरण आडिट नोट के भाग-1 में दिया गया है, जिसके अनुसार ग्राम निधि खाता-6 से वर्ष दौरान ₹0 354899.00 (₹0 तीन लाख चैव्वन हजार आठ सौ निन्यानबे) धनराशि व्यय की गई है। 30.05.2017 सरकार के पत्र सं0-05/812/2017-5/38 सी/2016, लखनऊ, दिनांक 10 मई 2017 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना को संचालित करने हेतु गाइड लाइन्स निर्धारित किये गये हैं। आडिट दौरान लाभार्थियों के चयन की पत्रावली, चयन के पश्चात लाभार्थियों की सूची, शौचालयों का यूनिकोड रजिस्टर, जियो टैगिंग अपलोड करवाये जाने से सम्बन्धित सूचना /पत्रावली, थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन पत्रावली तथा लाभार्थियों द्वारा निर्मित शौचालयों की फोटो इत्यादि अभिलेख सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गए, जिससे व्यय धनराशि ₹0 354899.00 अपुष्ट रहा। अभिलेखों, पत्रावलियों इत्यादि के अभाव में उक्त समस्त भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए श्री रमेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्रीमती गोमती देवी, ग्राम प्रधान उत्तरदायी हैं। ₹0 354899.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-7)

11-ग्राम पंचायत- मछैला

प्रस्तर संख्या 36- लेखा परीक्षा हेतु आनलाइन आडिट तिथि 03.03.2021 को ग्राम पंचायत का कार्यक्रम लगाया गया था। इसकी लिखित सूचना भी आनलाइन आडिट तिथि से पूर्व दिनांक 02.3.2021 को सचिव श्री प्रवीण मिश्रा को दे दिया गया था। परन्तु सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सहायक विकास अधिकारी, पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट एवं प्रिया साफ्ट में फीड डेटा के अनुसार ही लेखा परीक्षा पूर्ण की गई। बैंक स्टेटमेंट के ग्राम निधि-1 के अनुसार वर्ष दौरान निम्न धनराशि का ट्रांज़ैक्शन हुआ है।

ग्राम निधि-1 खाता संख्या-20840100006310 बैंक का नाम- बैंक ऑफ बड़ौदा रामसारी

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
514924.00	2761444.00	2593857.00	682511.00

ग्राम निधि-1 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 2593857.00 वर्ष दौरान व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख, व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं करवाने से समस्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उक्त नियम के अनुसार अपुष्ट समस्त धनराशि ₹0 2593857.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रवीण मिश्रा, सचिव व श्री सरजन सिंह, ग्राम प्रधान से निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-1)

प्रस्तर संख्या 37-आलोच्य वर्ष दौरान ग्राम निधि-6 (स्वच्छ भारत मिशन) मद से निम्नानुसार हुआ है।

ग्राम निधि-6 खाता संख्या-08890100015906 बैंक का नाम- बैंक ऑफ बड़ौदा रामसारी

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
815013.00	3140765.00	2858700.50	1097077.50

ग्राम निधि-6 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 2858700.50 वर्ष दौरान व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख, व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं करवाने से समस्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। अपुष्ट समस्त धनराशि ₹0 2858700.50 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रवीण मिश्रा, सचिव व श्री सरजन सिंह, ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-2)

12-ग्राम पंचायत- बनहरी

प्रस्तर संख्या 38 -लेखा परीक्षा दौरान मात्र ग्राम निधि-1 से सम्बन्धित कैशबुक प्रस्तुत किया गया। इस कैशबुक में भी माह अप्रैल 2019 से सितम्बर तक के आय-व्यय का ही अंकन किया गया था। जिसके अनुसार माह सितम्बर 2019 तक व्यय धनराशि ₹0 411308.00 है। माह अप्रैल 2019 में दिनांक 01.4.2019 से 11.4.2019 तक के आय-व्यय धनराशि तथा माह अक्टूबर 2019 से 31.3.2020 तक के आय - व्यय का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि-1 खाते में 01.4.2019 को प्रारम्भिक अवशेष ₹0 2704.00 तथा नकद अवशेष धनराशि शून्य है, जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि-1 खाते में 01.4.2019 को प्रारम्भिक अवशेष ₹0 96411.00 है। इस प्रकार कैशबुक के अनुसार वर्ष दौरान ग्राम निधि-1 खाते में आय की धनराशि ₹0 721596.00 तथा व्यय की धनराशि ₹0 411308.00 का अंकन किया गया है, जबकि यह धनराशि क्रमशः आय- ₹0 1853305.00 तथा व्यय ₹0 1623348.00 है। अतः स्टेटमेंट के अनुसार आडिट में पाया गया कि आलोच्य वर्ष दौरान चतुर्थ राज्य वित्त/ 14वाँ वित्त आयोग से धनराशि ₹0 1623348.00 ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा स्वयं तथा कहीं-कहीं अन्य व्यक्ति/फर्मों के माध्यम से व्यय किया गया है। इस प्रकार ₹0 ;1623348.00,411308.00 व 1212040.00 का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष दौरान ग्राम निधि-1 से व्यय समस्त धनराशि ₹0 1623348.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल, कार्य पत्रावली(तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र), स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, तथा अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यय दर्शित धनराशि ₹0 1623348.00 अपहरण/ गबन है। अतः धनराशि ₹0 1623348.00 (₹0 सोलह लाख तेइस हजार तीन सौ अड़तालिस मात्र) की ब्याज सहित वसूली श्री रमेश कुमार,ग्राम विकास अधिकारी व श्रीमती संतोष कुमार,ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-4)

विकास खंड - भीतरगांव

1-ग्राम पंचायत - भीतरगांव

प्रस्तर संख्या 39-14वें वित्त योजना अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19376829 ग्राम पंचायत भीतरगांव में प्राथमिक पाठशाला भीतरगांव में शौचालय निर्माण का कार्य तकनीकी स्वीकृति संख्या786/28.12.2019 तथा वित्तीय स्वीकृति /प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 261/12.03.2020 द्वारा अनुमानित लागत धनराशि रुपए 2.14 लाख से कराया गया है जिसमें निम्नलिखित आपतियां पाई गई ।

- निर्माण कार्य के प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व में निर्माण कार्य प्रारंभ करा कर समाप्त कर दिया गया है। नियमानुसार निर्माण कार्य के प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि नियमों की अवहेलना कर निर्माण कार्य कराया गया है।

- संलग्न मस्टर रोल संख्या 2020-03/31अ में निर्माण कार्य की अवधि दिनांक 11/03/2020 से दिनांक 22/03/2020 की दर्शाई गई है। मस्टर रोल में दर्शाए गए श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं है। मस्टर रोल भुगतान की धनराशि रुपए 30780=00 रही है।

- संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मे कार्य प्रारंभ की तिथि तथा कार्य समाप्तिकी तिथि अंकित नहीं की गई है तथा निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा निरीक्षण किए जाने की तिथि भी अंकित नहीं है जिससे कार्य की वास्तविक स्थिति पर टिप्पणी की जानी संभव नहीं हो सकी।उपरोक्त सभी आपतियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। दायित्व निर्धारण कर अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। निर्माण कार्य में किए गए भुगतान की धनराशि रुपए 160092=00अनियमित रही। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान रानी तिवारी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम पूर्णरूप से उत्तरदायी है । इन पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 40-ग्राम पंचायत में 14वें वित्त योजना अंतर्गत सफाई का कार्य संलग्न कार्यादेश अनुसार वित्तीय स्वीकृति संख्या 05/06.04.2019 द्वारा कराया गया है जिसकी अवधि संलग्न मस्टररोल अनुसार दिनांक16.12.2019 से दिनांक 25/12/2019 तक कराया गया है एवं श्रमिकों को भुगतान की धनराशि रुपए 30000=00 दर्शाई गई है, कार्यआदेश,

संलग्न मस्टररोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्रामप्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं रहा जिससे भुगतान की धनराशि संदिग्ध रही। नियमानुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम तथा ग्राम प्रधान रानी तिवारी पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 41-14वें वित्त योजना अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19376795 द्वारा प्रशासनिक मद से धनराशि रुपए 21000=00 का भुगतान ग्राम पंचायत में शौचालय वॉल पेंटिंग हेतु विधान ट्रेडर्स कोबिल संख्या 276/25.08.2019 द्वारा देना दर्शाया गया है तथा धनराशि रुपए 19992=00 का भुगतान विधान ट्रेडर ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण की वॉल पेंटिंग कार्य हेतु बिल संख्या 03/128/10.11.2019 द्वारा देना दर्शाया गया है तथा धनराशि रुपए 19970=00 का भुगतान जय कामदगिरि ट्रेडर्स को बिल संख्या 82/20.11.2019 को देना दर्शाया गया है जबकि संलग्न कार्य पूर्तिप्रमाण पत्र तथा कार्य आदेश ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं रही। विकास कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाए गए । ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान रानी तिवारी पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 42-14वें वित्त योजना अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 20376009 द्वारा वीरेंद्र सविता के घर से बादल पासी के घर तक सेंटर लॉकिंग का कार्य वित्तीय स्वीकृति संख्या 38/28.12.2019 तथा तकनीकी स्वीकृति संख्या 781/28.12.2019 द्वारा कराया गया है जिसमें संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रके अनुसार धनराशि रुपए 69098.60 का भुगतान किया गया है जबकि संलग्न मस्टर रोल के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 27/12.2019 से दिनांक 30.12.2019 की अवधि में कराया गया है । निर्माण कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी पत्रावली में संघटन नहीं रहे । स्पष्ट है कि निर्माण कार्य के वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया । नियमानुसार वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस स्थिति में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम तथा ग्राम प्रधान रानी तिवारी पर दायित्व निर्धारण करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-04)

2-ग्राम पंचायत - देवसद

प्रस्तर संख्या 43-ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेंट वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या एसबीआई खाता संख्या 31577535836 में इस दौरान प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 83429=00 दर्शाई गई है जबकि प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उपरोक्त वित्तीयवर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 55307.00 रही । उपरोक्त अंतर की धनराशि रुपए 28122.00 का संतोषजनक स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत सचिव श्रीराम पाल द्वारा ऑडिट के दौरान प्राप्त नहीं हुआ । उपरोक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त ब्याज की धनराशि का प्रिया सॉफ्ट पर सुधार किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 44-ग्राम पंचायत में कार्य आईडी संख्या 17436963 अंतर्गत पंचायत भवन/ आंगनबाड़ी केंद्र छतरपुरका जीर्णोद्धार वित्तीय स्वीकृति संख्या 29/27.12.2019 तथा तकनीकी स्वीकृति संख्या 442/18.09.2019 द्वारा अनुमानित लागत 2.11 लाख रुपए प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में दर्शाया गया है जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध अप्रूव्ड एक्शन प्लान में उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत धनराशि रुपए 1.50 लाख ही दर्शाई गई है। इस प्रकार स्वीकृत लागत धनराशि को रुपए 61000.00 बढ़ाकर निर्माण पत्रावली में दर्शाया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-04)

आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 45-विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस'05-15(1)1/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार ₹0 20000 से अधिक की सामग्री क्रय करने केलिये कुटेशन व 100000 से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिये थी परंतु 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्यों में ₹0 664196=00 की निर्माण सामग्री का क्रय बिना निविदा आमंत्रित/कुटेशन से किया गया है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

कार्य पहचान संख्या सामग्री के लिए भुगतान धनराशि (रुपए)

17436994 337304=00

17436957 229799=00

17436958 97093=00

योग : 664196=00

उपरोक्त भुगतान नियमों के विपरीत है तथा ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री राम पाल से अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 46-विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस'05-15(1)1/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतुलेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 20000 से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कुटेशन व 100000 से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिये थी,परंतु चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्योंमें रु0 228133=00 की निर्माण सामग्री का क्रय बिना निविदा आमंत्रित/कुटेशन से किया गया है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

कार्य पहचान संख्या सामग्री के लिए भुगतान धनराशि (रुपए)

17436962 59904=00

17436963 83795=00

17436961 84434=00

योग : 228133=00

उपरोक्त भुगतान नियमों के विपरीत है तथा स्पष्टीकरण ग्राम विकास अधिकारी श्री राम पाल से अपेक्षित है । इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी है इन पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-06)

3-ग्राम पंचायत - बिरहर

प्रस्तर संख्या 47-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरहर में बाबू लाल दिवाकर के घर से दुर्गा नारायण मिश्रा के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य धनराशि रु. 173713.00 से कराया गया है । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य के प्रारंभ होने की तिथि 20/01/2019 तथा कार्य के समाप्त होने की तिथि 30/01/2019 हैं । कार्य की तकनीकी स्वीकृति संख्या 1114- 22/02/2018 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 198 - 31/01/2019 हैं । उपरोक्त किए गए कार्य श्रम पर भुगतान धनराशि रु. 20356/- तथा सामग्री पर भुगतान धनराशि रु.153357/- है । उपरोक्त प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उक्त कार्य को वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही प्रारंभ करा दिया गया जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है प्रस्तुत किया गया मस्टररोल भी अपूर्ण है । मस्टररोल को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है । इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सचान पूर्णरूप से उत्तरदायी है । इन पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 48 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरहर में जग्गू के घर से मोहन निषाद के घर तक खड़जा निर्माण कार्य धनराशि 137063.00 से कराया गया है । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य के प्रारंभ होने की तिथि 01/02/2019 तथा कार्य के समाप्त होने की तिथि 13/02/2019 हैं । कार्य की तकनीकी स्वीकृति संख्या 1491 - 02/03/2019 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 28 - 05/03/2019 हैं । उपरोक्त किए गए कार्य श्रम पर भुगतान धनराशि 25822/- तथा सामग्री पर भुगतान धनराशि 111241/- है । उपरोक्त प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उक्त कार्य को तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही प्रारंभ करा दिया गया जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है । इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सचान पूर्णरूप से उत्तरदायी है । इन पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 49 -चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरहर में स्लोगन तथा वॉल पेंटिंग का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में धनराशि 15388.00 का भुगतान दिनांक 27.03.2020 को विधान ट्रेडर्स को किया गया है। परंतु उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कार्यादेश, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सचान पूर्णरूप से उत्तरदायी है। इन पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की अपेक्षित है। (मूल

आपति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या 50 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरहर में पानी की टंकी का मरम्मत का कार्य कराया गया है इसके सापेक्ष में श्रम और सामग्री के सापेक्ष में एमएस अनूप इंटरप्राइजेज को दिनांक 15.04.2019 रुपये 39440.00 का भुगतान बैंक चेक संख्या 970225 तथा दिनांक 11/07/2019 रुपए 41976.00 बिल का भुगतान बैंक चेक संख्या 970242 द्वारा किया गया है। परंतु उपरोक्त किए गए कार्य के सापेक्ष में कोई भी कार्यादेश, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान किया गया। प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि वाउचर संख्या एफएफसी /2019-20/पी -7 दिनांक 15.04.2019 कुल भुगतान धनराशि रुपए 81416.00 वो दर्शाया गया है। जो कि दिनांक 11/07/2019 के पूर्व हैं। तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-11)

प्रस्तर संख्या 51 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरहर में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सापेक्ष में दिनांक 01/07/2019 को बैंक चेक संख्या 970240 द्वारा भुगतान रुपए 41516.00 श्री राजकुमार को किया गया है। उक्त कार्य के सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख कार्यादेश, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टररोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त पूर्ण भुगतान संदिग्ध है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान राम प्रसाद तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सचान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-12)

प्रस्तर संख्या 52-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरहर में स्लोगन तथा वॉल पेंटिंग का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में धनराशि 15000.00 रुपए का भुगतान दिनांक 17/12/2019 को विधान ट्रेडर्स को तथा धनराशि रुपए 19992.00 का भुगतान विधान ट्रेडर्स को किया गया है या गया है परंतु उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख कार्यादेश तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सचान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-13)

4-ग्राम पंचायत - गाजीपुर

प्रस्तर संख्या 53 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 79542.00 हैं। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में भुगतान विवरण निम्नवत हैं :-

दिनांक वाउचर विवरण भुगतान धनराशि (रुपए)

04/07/2019	एफएफसी /2019-20/पी /3	20000.00
04/07/2019	एफएफसी /2019-20/पी /4	19900.00
30/07/2019	एफएफसी /2019-20/पी /2	19990.00
02/03/2020	एफएफसी /2019-20/पी /17	19652.00

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत अभिलेखों में निम्नलिखित आपतियाँ अवलोकित हुईं। प्रस्तुत सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 41 अपूर्ण हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं हैं। मरम्मत के दौरान उपभोग की गई मरम्मत सामग्री तथा क्रय सामग्री बिल में अंतर पाया गया है। अंतर सामग्री वापसी हेतु भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान रंजना सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पीयूष सिंह पूर्णरूप से उत्तरदायी है। इन पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 54 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराए गए जिनका विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य पहचान संख्या	कार्य विवरण	भुगतान धनराशि(रुपए)
20511205	रामअवतार के दरवाजेसे ग्याप्रसाद के घरतक इंटरलॉकिंग कार्य	214968.00
20511206	सुखराम के घर सेपंचायत भवन तकइंटरलॉकिंग कार्य	225399.00

उक्त कार्यों के सापेक्ष में निम्नलिखित आपतियां अवलोकित हुई:-

1. उक्त कार्यों के सापेक्ष में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गयाजो कि अपेक्षित रहा ।
2. संलग्न मस्टररोल में कार्य होने की अवधि या तिथि अंकित नहीं है जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं की जा सकी । यह गंभीर अनियमितता है ।

3. उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष में त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई ।

जो कि अपेक्षित रहा । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष में किया गया समस्त भुगतान कुलधनराशि रुपए 440367.00 अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान रंजना सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-05)

5-ग्राम पंचायत - चतुरीखेड़ा

प्रस्तर संख्या 55 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 20569516 -सूबेदार के घर से रामसजीवन के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति संख्या 226दिनांक 02/03/2020 को ली गई है । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य के प्रारंभ होने की तिथि 06/03/2020 तथा कार्य के समाप्त होने की तिथि 12/03/2020 है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में बी आर इंटरप्राइजेज को सामग्री क्रय के मद में धनराशि 22561.00 रुपये का भुगतान बिल संख्या 72 दिनांक 28/02/2020 को दर्शाया गया है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सामग्री क्रय का भुगतान वित्तीय स्वीकृति लेने से पहले ही किया गया है । इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान जी कुमार सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सचान पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं । इन पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 56-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर के कार्य में धनराशि 39324.00 रुपए का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए । यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके सापेक्ष में ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायतविकास अधिकारी श्री पंकज सचान पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं । इन से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-14)

6-ग्राम पंचायत - अकबरपुर बरुई

प्रस्तर संख्या 57-संबंधित ग्राम पंचायत सचिव सुनीता सक्सेना द्वारा कार्य संख्या 18289426,18289441,18289433,18289440(14वें वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय) 18289420,18289421,18289422,11299385,18289425(चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय)से संबंधित मूल अभिलेख- केशबुक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराए गए । वर्तमान पंचायत सचिव सुनीता सक्सेना के अनुसार उपरोक्त कार्य पूर्व ग्राम पंचायत सचिव सुभाष वर्मा के कार्यकाल में कराए गए। अतः वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव सुनीता सक्सेना के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके। पुष्टि के अभाव में धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान राम श्री तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुनीता सक्सेना से रुपए (155273.00 + 85900.00 = 241173.00) की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-17,20)

प्रस्तर संख्या 58-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कार्य आई डी संख्या 1828407,18289413,18289417 के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्य 14 वें वित्त आयोग में कराए गए हैं। परन्तु निम्नलिखित आपतियों के कारण निर्माण कार्य में भुगतान की गई समस्त धनराशि संदिग्ध हैं । अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान राम श्री तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास

अधिकारी सुनीता सक्सेना से रुपए (234348.83 + 243216.00 + 233238.00 = 710802.83) की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

कार्य संख्या 18289407 - रजू के घर से भोला के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य - चौदहें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य कराया गया है जिसकी स्वीकृत लागत रुपये 2.49 लाख रही। प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में संलग्न मस्टररोल की अवधि दिनांक 01/01/2020 से दिनांक 10/01/2020 तक दर्शाई गई है जिसके सापेक्ष धनराशि रुपये 28550.00 का भुगतान किया गया है जबकि संलग्न निर्माण सामग्री बिल दिनांक 10/02/2020, 24/02/2020 का प्रस्तुत किया गया जो कि रुपये 205798.83 का रहा । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि सामग्री का क्रय कार्य करने की अवधि के बाद (मस्टररोल की अवधि) किया गया है जो कि निर्माण कार्य को संदिग्ध दर्शाता है। निर्माण कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं रही।

कार्य संख्या 18289413 - अकबरपुर बरूई में संजय के घर से पीर अली के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य - चौदहें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य कराया गया है जिसकी स्वीकृत लागत रुपये 2.49 लाख रही। प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में संलग्न मस्टररोल की अवधि दिनांक 21/01/2020 से दिनांक 31/01/2020 तक दर्शाई गई है जिसके सापेक्ष धनराशि रुपये 26700.00 का भुगतान किया गया है जबकि संलग्न निर्माण सामग्री बिल दिनांक 18/02/2020, 06/03/2020, 24/05/2020 का प्रस्तुत किया गया जो कि रुपये 216516.85 का रहा । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि सामग्री का क्रय कार्य करने की अवधि के बाद (मस्टररोल की अवधि) किया गया है जो कि निर्माण कार्य को संदिग्ध दर्शाता है। निर्माण कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं रही।

कार्य संख्या 18289417 - रहुनियां परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य - चौदहें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य कराया गया है जिसकी स्वीकृत लागत रुपये 2.48 लाख रही। प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में संलग्न मस्टररोल की अवधि दिनांक 02/01/2020 से दिनांक 20/01/2020 तक दर्शाई गई है जिसके सापेक्ष धनराशि रुपये 23900.00 का भुगतान किया गया है जबकि संलग्न निर्माण सामग्री बिल दिनांक 15/02/2020, 06/03/2020, 22/02/2020 का प्रस्तुत किया गया जो कि रुपये 183187.00 का रहा । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि सामग्री का क्रय कार्य करने की अवधि के बाद (मस्टररोल की अवधि) किया गया है जो कि निर्माण कार्य को संदिग्ध दर्शाता है। निर्माण कार्य से संबंधित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं रही । यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी है । इनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-20)

7-ग्राम पंचायत रसूलपुर जाजपुर

प्रस्तर संख्या 59 -ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त धनराशि ,राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका। अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं । ग्राम पंचायत से संबंधित आय व्यय विवरण तथा कैश बुक, डे बुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं । पुष्टि के अभाव में समस्त खर्च की जाने वाली धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान कौटिल्य तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री ब्रजेश यादव से चतुर्थ वित्त आयोग एवं 14 वें वित्त आयोग से खर्च की जाने वाली धनराशि रुपए (1422130.00+122829.00) की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-18,19)

8-ग्राम पंचायत -शाह

प्रस्तर संख्या 60 -ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त धनराशि राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका । अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं । जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं । ग्राम पंचायत से संबंधित आय व्यय विवरण तथा कैश बुक, डे बुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पीयूष सिंह चतुर्थवित्तआयोग एवं 14 वें वित्त आयोगसे खर्च की जाने वाली धनराशि रुपए (761556.00+66936.00) की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-20,21)

9-ग्राम पंचायत - तिवारीपुर साढ़

प्रस्तर संख्या 61 - ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। ग्राम पंचायत से संबंधित आय व्यय विवरण तथाकैश बुक, डे बुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान-मुन्नी देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम से रुपए 2252002.71 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-17,18)

10-ग्राम पंचायत - महरौली

प्रस्तर संख्या 62-चतुर्थ योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत महरौली में वॉल पेंटिंग का कार्य कराया गया है इसके सापेक्ष में विधान ट्रेडर्स धनराशि रु.19992 का भुगतान दिनांक 10/03/20 तथा धनराशि 19712.00 रुपए का भुगतान माँ गाँगी कंस्ट्रक्शन को दिनांक 16/03/2020 को किया गया है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत किया गया कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है। उक्त कार्य के सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कार्य योजना तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभिलेखों के अभाव में यह कार्य गंभीर वित्तीय अनियमितता में आता है। समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या 63-चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत कार्य के सापेक्ष में दिनांक 29/03/2020 को वाउचर संख्या चतुर्थ वित्त आयोग /2019-20/पी -10 धनराशि 20000/- का भुगतान किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा उपरोक्त भुगतान के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसका स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान नहीं प्राप्त हुआ। समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-08)

11-ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुर नरवल

प्रस्तर संख्या 64 -ग्राम पंचायत गौरी नरवल में चतुर्थ वित्त योजना अंतर्गत कार्य आई डी संख्या 18341509 द्वारा अनुमानित लागत धनराशि रुपए 198000.00 से तकनीकी स्वीकृति संख्या 387/27.07.2019 द्वारा चरागाह निर्माण कार्य कराया गया है। जिसमें निम्न आपतियां पाई गई:-

1) संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण तथा निरीक्षण अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं पाया गया। कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र में कार्य के प्रारंभ की तिथि तथा समाप्ति की तिथि भी अंकित नहीं की गई है जिससे कि कार्य की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन कर पुष्टि की जानी आवश्यक है।

2) संलग्न मस्टर रोल धनराशि रुपए 23280=00 में कार्य की अवधि तथा श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं पाए गए।

3) निर्माण कार्य में धनराशि रुपए 19500=00, 10990=00, 55500=00 का भुगतान क्रमशः बैंक चेक संख्या 031528/12.07.19, 031545/09.08.19, 031544/09.08.19 द्वारा किया गया है जबकि लेखा परीक्षा में इससे संबंधित व्यय प्रमाणिक/ बिल/ वाउचर निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संबंधित भुगतान ग्राम प्रधान द्वारा किया जाना दर्शाया गया है।

4) संलग्न कार्यादेश में वित्तीय स्वीकृति की तिथि अंकित नहीं रही। उपरोक्त आपत्तियों के संबंध में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं दिया गया जोकि अपेक्षित रहा। उपरोक्त के संबंध में दायित्व निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान गुड़िया देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अरमंद कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या 65 -14वें वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में बाबूराम के दरवाजे से कैलाश के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का कार्य तकनीकी स्वीकृति संख्या 692/18.12.2019 तथा वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 176/10.2/2020 द्वारा कराया गया इसकी अनुमानित लागत धनराशि रुपए 246896.00 है। संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तिथि 11.01.2020 तथा निर्माण कार्य समाप्त होने की तिथि 20/01/2020 रही। स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के पूर्व निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया तथा उसकी पूर्व ही निर्माण कार्य समाप्त किया जाना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित नियमानुसार प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति मिलने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए था। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता सक्सेना का कोई स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त के संबंध में दायित्व निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान गुड़िया देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अरमंद कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 66 -ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर नरवल में रामखेलावन के घर से बढ़िया तालाब तक नाली निर्माण कार्य 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कराया गया जिसकी अनुमानित लागत धनराशि रुपए 223385.00 रही। निर्माण कार्य की पहचान संख्या 18341471 तथा तकनीकी स्वीकृति संख्या 689/18.12.2019 एवं वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 68/06.01.2020 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा कार्य आदेश में दर्शाई गई है जबकि संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य प्रारंभ की तिथि 10.12.2019 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 25/12/2019 अंकित की गई है। स्पष्ट है की तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने के पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा समाप्त भी दर्शा दिया गया है। नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति मिलने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। उपरोक्त दशा में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा । उपरोक्त के संबंध में दायित्व निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान गुड़िया देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अरमंद कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 67 -ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर नरवल में 14वें वित्त योजना अंतर्गत मेन रोड उदय बाबा के दरवाजे से प्राइमरी स्कूल तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। इसकी अनुमानित लागत धनराशि रुपए 239212.00 लाख है। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति संख्या 688/18.12.2019 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 269/12.03.2020 है। वित्तीय स्वीकृति/प्रशासनिक स्वीकृति के मिलने के पूर्व ही दिनांक 01/01/2020 से निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया तथा दिनांक 10/01/2020 को निर्माण कार्य पूर्ण दिखाया जाना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में दर्शित है जो कि नियमानुसार गलत है। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना चाहिए। उपरोक्त के संबंध में दायित्व निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान गुड़िया देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अरमंद कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 68 -ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर 14वें वित्त योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कराया गया है जिसमें लेखा परीक्षा निम्नांकित लेखा परीक्षा आपत्तियां पाई गई:-

कार्य स्थल का नाम	तकनीकी स्वीकृति संख्या	वित्तीय स्वीकृति संख्या	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	व्यय की धनराशि
रजोल सिंह के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	175/15.07.2019	10/16.07.2019	12.07.2019	24.08.2019	48993=00
रामचरण के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	176/15.07.202019	11/16.07.2019	12.07.2019	24.08.2019	49158=00
प्रताप नारायण के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	177/15.07.2019	12/16.07.2019	12.07.2019	24.08.2019	49433=00
मननीलाल के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	178/15.07.2019	13/16.07.2019	12.07.2019	24.08.2019	49535=00
जगत नारायण के दरवाजे हैंडपंप रिबोर	185/15.07.2019	14/16.07.2019	12.07.2019	24.08.2019	49160=00

रुपय 246279.00

- उपरोक्त सभी रिबोर कार्य में तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व निर्माण कार्य आरंभ करा दिया गया जोकि गंभीर आपत्ति का विषय है।

-सभी रिबोर के कार्य दिनांक 24.08.2019 को कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में पूर्ण दर्शा दिए गए हैं जबकि संबंधित मस्टररोल का भुगतान माह अक्टूबर 2019 में दर्शाया गया है। श्रमिक भुगतान में हुए विलंब का कारण लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निरीक्षण करने वाले अधिकारी जे 0 ई 0आर 0ई 0 डी श्री राज कुमार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हैं परंतु निरीक्षण की तिथि किसी भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर अंकित नहीं की गई है।

-निर्माण सामग्री के हैंडपंप रिबोर सामग्री के खरीद के वाउचर/ बिल तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में दर्ज उपभोग की सामग्री में अंतर रहा।

- निर्माण कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए।

उपरोक्त सभी आपत्तियों के संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सुनीता सक्सेना द्वारा कोई स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है जोकि अपेक्षित रहा। उपरोक्त के संबंध में दायित्व निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान गुड़िया देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अरमंद कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

12-ग्राम पंचायत - नारायणपुर साढ़

प्रस्तर संख्या 69 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 39940.00 हैं। हैंडपंप मरम्मत के कार्यों का विवरण निम्नलिखित है।

दिनांक	वाउचर संख्या	भुगतान धनराशि (रुपए)
25/07/2019	एफएफसी /2019-20/पी /1	19950.00
25/07/2019	एफएफसी /2019-20/पी /2	19990.00

योग : 39940.00 रुपये

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत किया गया कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है। प्रस्तुत किए गए सामग्री बिल पर सामग्री विवरण अंकित न होने के कारण भी भुगतान किया गया है। उपरोक्त कार्य कि सापेक्ष बाकी के अभिलेख एस्टीमेट, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति अभिलेख, सामग्री लिस्ट, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अपेक्षित रहा। प्रस्तुत किए गए कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा सामग्री बिल संलग्न हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है अतः भुगतान की धनराशि रु.39940.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पीयूष सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या 70 -वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु 359370.00 का अनुदान चतुर्थ वित्त आयोग से प्राप्त हुआ। तथा रु 47971.00 की धनराशि विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई। मूल वित्तीय नि० 2005 के नियम 212(5) के अनुसार स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जब उनको केंद्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो.इसके बाद ही अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जानी थी जो कि प्रस्तुत नहीं की गई। यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

13-ग्राम पंचायत -महोलिया

प्रस्तर संख्या 71-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में वाउचर संख्या एफ एफ सी /2019-20/पी -18 दिनांक 31.10.2019 भुगतान धनराशि रुपए 14500.00 हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय के मद में वर्मा मशीनरी स्टोर को किया गया है जिसका बिल संलग्न हैं परंतु उपरोक्त कार्य में कोई भी मजदूरी भुगतान कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में अंकित नहीं है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है। कार्य के समाप्त होने की तिथि अंकित नहीं है उसके बावजूद कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र को ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण होने के कारण तथा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान न होने के कारण भी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी करना पूरे कार्य के होने का संदेह उत्पन्न करता है। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त अनियमितता के बारे में ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सचान द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जिससे नियमानुसार व्यय की पुष्टि न होने पर सम्पूर्ण व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-1)

प्रस्तर संख्या 72-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में विभिन्न मदों में भुगतान धनराशि रुपए 90030.00 दर्शाई गई है। विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि के सापेक्ष कार्यादेश लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सचान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। क्योंकि सभी खर्च अलग - अलग तिथियों 24.10.2019 से 15.02.2020 तक किए गए परन्तु सभी मदों का एक ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र दिनांक 30.03.2020 को जारी किया गया जो कि नियमानुसार सही नहीं है अलग - अलग तिथियों तथा अलग - अलग मदों में खर्च किए गए प्रशासनिक व्यय कि सापेक्ष में अलग - अलग कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र रूप पत्र संख्या 41 पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या 73 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत सफाई कार्यों में वाउचर संख्या एफ एफ सी /2019-20/पी -7 भुगतान धनराशि रुपए 10000.00/- किया गया है जिसके सापेक्ष में मस्टररोल के अलावा कोई भी अपने अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं कराए गए। मस्टररोल पर श्रमिकों द्वारा लगाए गए अंगूठे के निशान भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित नहीं पाए गए। अन्य अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त भुगतान 10000/-

अनियमित रहा । अनियमित भुगतान के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जिससे नियमानुसार व्यय की पुष्टि न होने पर सम्पूर्ण व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-07)

प्रस्तर संख्या 74 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19102736 - बारातशाला की बाउंड्रीवॉल एवं इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में कुल मजदूरी भुगतान 26200.00 रुपए श्रमिकों को किया गया है परंतु लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत मस्टररोल में दो श्रमिकों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान नहीं हैं । दो श्रमिकों द्वारा लगाए गए अंगूठे के निशान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं हैं । उपरोक्त मस्टररोल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी नहीं है जो की एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है । लेखा परीक्षा के दौरान उक्त आपति के संदर्भ में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पंकज सचान द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जिससे नियमानुसार व्यय की पुष्टि न होने पर सम्पूर्ण व्यय की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या 75 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19102750 - महेंद्र के दरवाजे से हसनू के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया है । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य के प्रारंभ होने की तिथि 11.10.2019 तथा कार्य के समाप्त होने की तिथि 28.10.2019 दर्शाई गई है । मस्टररोल के अनुसार सभी श्रमिकों ने श्रमिकों ने 11.10.2019 से 28.10.2019 तक कार्य किया है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में कार्यादेश 23.10.2019 को दर्शाया गया है । जो की कार्य के बाद समाप्त होने की तिथि है । सामग्री क्रय के रूप में भुगतान धनराशि 43711 /- एमएस ओम प्रकाश साहू को दिनांक 06/12/2019 तथा भुगतान धनराशि 75708.00 दिनांक 06/12/2019 किया गया है । क्रय की गई सामग्री के बिल कार्य के समाप्त होने की तिथि के बाद के हैं । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा के दौरान भी उपलब्ध नहीं कराए गए । उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सभी भुगतान संदिग्ध है । इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान व ग्राम प्रधान उत्तर दायी हैं । कुल भुगतान धनराशि रुपए 169168.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान व ग्राम प्रधान से कराई जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या 76- 14एफ सी अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11380435 द्वारा पंचायत भवन जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आस श्रमांश भुगतान धनराशिरू 17850.00 बैंक संख्या 68932 दिनांक06.03.2019 द्वारा तथा श्रमिक भुगतान की धनराशि रू 51000.00 बैंक चेक संख्या 698943 दिनांक28.03.2019द्वारा ग्राम प्रधान को दर्शाया गया है परंतु उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत मस्टर रोल पर किसी भी श्रमिक द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता पूरे कार्य को संदिग्ध बनाती है। उपरोक्त कार्य में श्रमिक भुगतान की कुल धनराशि रुपये 68850.00 के सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अपेक्षित रहा। इस वित्तीय अनियमितताएं ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव सचिव सूरजप्रताप सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है व इनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 77 -14 एफ सी अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11320438 जयराम के घर से जागेश्वर के घर तक नाली एवं खड़जा का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार श्रमिक भुगतान धनराशि रुपये 25900.00 बैंक चेक संख्या 698930 दिनांक 05.03.2019 श्रमिक भुगतान की धनराशि रुपये 10250.00 बैंक चेक संख्या 698950 दिनांक 28.03.2019 ग्रामप्रधानकोकियाजानादर्शायागयाहै प्रस्तुत निर्माण पत्रावली के अनुसार कार्य की अवधि दिनांक 1 फरवरी 2019 से दिनांक 7 फरवरी 2019 तथा 8 फरवरी से 14 फरवरी 2019 तक दर्शाई गई है परंतु कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र रूप पत्र संख्या 41 के अनुसार कार्य के प्रारंभ होने की तिथि 18.02.2019 तथा कार्य के समाप्त

होने की तिथि 05.04.2019 दर्शाई गई है अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त विसंगतियों के कारण पूर्ण कार्य संदेहास्पद है कुल भुगतान की धनराशि रुपए 36150.00 उत्त गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्रामपंचायत सचिव सूरज प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री श्रीमती शांति देवी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 78-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या बाउंड्री एवं गेट का निर्माण पंचायत भवन में कराया गया है जिसके सापेक्ष में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अनुसार श्रमिक भुगतान की धनराशि रुपये 14350 बैंक चेक संख्या 698931 दिनांक 12.03.2019 द्वारा तथा श्रमिक भुगतान की धनराशि रुपये 18175 चेक संख्या 698968 दिनांक 28.03.2019 द्वारा ग्राम प्रधान को किया जाना दर्शाया गया है परंतु उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत मस्टररोल पर किसी भी श्रमिक द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया गया है यह गंभीर वित्तीय अनियमितता पूरे कार्य को संदिग्ध बनाती है लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त निर्माण नियमितता के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप इंदौरा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ जो कि अपेक्षित रहा अतः ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरजप्रताप सिंह पूर्णतया उत्तरदायी हैं व ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 79- 4 टी एच एस एफ सी वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या। - 18303241,18303240, 18303238, 18303237,18303239,18303242,20988801,20988805 हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है । सभी कार्य अलग अलग दिनांकों को प्रारंभ हुए तथा अलग अलग दिनांक को समाप्त हुए दर्शाए गए हैं नई सामग्री एवं श्रम के सापेक्ष में भुगतान अलग अलग दिनांक तथा अलग सप्लायर को किया गया है परंतु उपरोक्त सभी कार्यों के सापेक्ष में एक ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है सभी कार्यों के सापेक्ष में एक ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र रूप पत्र संख्या 41 लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना वित्तीय अनियमितता है ।उक्त सभी कार्यों के सापेक्ष में कुल भुगतान की धनराशि रु0 154850 रही। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव सिंह सूर्य प्रताप सिंह पूर्णतया उत्तरदायी है व ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-18)

14-ग्राम पंचायत - जरसरा

प्रस्तर संख्या 80-ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है । पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क)के अनुसार दर्शाए गए व्यय चतुर्थ वित्त आयोग तथा 14 वें वित्त आयोग से व्यय धनराशि रुपए (1402773.50 + 321686.00) के संबंध में (जो कि आहरित एवं अपहरण की धनराशि हैं)कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः इस व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान निशा देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री पीयूष सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-19,20)

15-ग्राम पंचायत - कुंदौली

प्रस्तर संख्या 81 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत -कार्य पहचान संख्या 11620916 -प्राथमिक विद्यालय - सिमरा आंगनवाड़ी केंद्र में एक यूनिट शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में निम्नलिखित भुगतान धनराशि 111380.00 रुपए दिनांक 08/01/2020 को ग्राम पंचायत निधि से की गई है । परन्तु उक्त भुगतान के सापेक्ष में कोई भी सामग्री बिल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया ।

वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)

एस एफ सी /2019-20/ पी/11	08/01/2020	23824.00
एस एफ सी /2019-20/ पी/12	08/01/2020	43357.00
एस एफ सी /2019-20/ पी/13	08/01/2020	22113.00
एस एफ सी /2019-20/ पी/14	08/01/2020	18666.00
एस एफ सी /2019-20/ पी/15	08/01/2020	3420.00

योग : 111380.00 रुपए

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में सामग्री भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करना ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित रहा। निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता की जांच कर दायित्व निर्धारण कर रु. 111380.00 की ब्याज सहित वसूली की अपेक्षित कार्यवाई तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव पर की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-12)

प्रस्तर संख्या 82 -ग्राम सभा कुंदौली में ग्राम पंचायत भवन का जीर्णोद्धार - कार्य पहचान संख्या - 120937482 -(वित्तीय स्वीकृति संख्या 1132/17.07.2019 तथा तकनीकी स्वीकृति संख्या 392A/30/07/2019) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवन तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत कराया गया है। उक्त कार्य में भुगतान धनराशि रुपए 145133.00 वाउचर संख्या बी पी बी /2019-20/पी -1 दिनांक 03/08/2019 बहुउद्देशीय पंचायत भवन योजना के अंतर्गत किया गया है परन्तु उपरोक्त कार्यमें भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत भी किया गया है।

वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान धनराशि (रुपए)
आर जी एस ए/2019-20/पी /3	27/02/2020	44356.00
आर जी एस ए /2019-20/पी/1	27/02/2020	44906.00
आर जी एस ए /2019-20/पी/1	27/02/2020	44906.00

उपरोक्त कार्य हेतु बहुउद्देशीय पंचायत भवन योजना के अंतर्गत - मुख्य योजना - ऐक्टिविटी कोड 27880253 - पंचायत भवन रिपेयर एवं वॉल पेंटिंग वर्क तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना पूरक योजना - ऐक्टिविटी कोड 38434613 - पंचायत भवन रिपेयर वर्ग कार्य के अंतर्गत स्वीकृति ली गई है जो की एक ही कार्य है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भवन के जीर्णोद्धार में दो अलग अलग योजनाओं बहुउद्देशीय पंचायत भवन योजना तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भुगतान किया गया है जो कि नियमों के विपरीत है। उपरोक्त आपति के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपाल द्वारा स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसे हेतु ग्राम प्रधान - श्री सुधीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। कार्यवाही कर धनराशि रु.134168 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

16-ग्राम पंचायत - बेहटा गंभीरपुर

प्रस्तर संख्या 83 -लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 ग्राम पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिनांक 01/04/2019 कैश बुक में दर्शित प्रारंभिक अवशेष की धनराशि रुपए 1754287.00 रहे जबकि प्रियसॉफ्ट पर उपलब्ध वार्षिक आय व्यय स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रारंभिक धनराशि दिनांक 01/04/2019 को रुपए 1785942.00 रहे अंतर की धनराशि रुपए 31655.00 के संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ऑडिट के दौरान कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया इसी प्रकार दिनांक 31/03/2020 को वर्षांत शेष की धनराशि कैश बुक के अनुसार रुपए 3297126.00 तथा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध वार्षिक आय व्यय स्टेटमेंट के अनुसार रु.4741882.00 है। अंतर की धनराशि रुपए 1444756.00 के संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ऑडिट के दौरान कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसे हेतु ग्राम प्रधान सरोज सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपाल पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 84-ग्राम पंचायत में निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 की कार्य योजना में शामिल विकास कार्य लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना(विभिन्न पत्रावली तथा कार्य आईडी द्वारा) तथा उनका शेष भुगतान दर्शाया गया है विवरण निम्नवत है:-

कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि	योजना/ अनुमानित लागत	10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक शुल्क	कार्य स्वीकृत संख्या / तिथि	लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में भुगतान की धनराशि
पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेहटा गंभीरपुर में गेट तथा खड़जा निर्माण कार्य	15/12/2018	02/05/2019	एस एफ सी /1.80 लाख रुपए	18000=00	13/15.12.18	57810=00
प्राथमिक विद्यालय बेहटा में बरामदे में टाइल्स तथा जाली का कार्य	25/11/2018	02/05/2019	एस एफ सी/1.73 लाख रुपए	17300=00	11/25.11.18	27227=00
प्रशासनिक व्यय (डस्टबिन क्रय तथा वृक्षारोपण)	30/04/2018	07/05/2019	एस एफ सी /1.40 लाख रुपए	14000=00	04/30.4.18	83425=00
आदर्श चारागाह कार्य	12/02/2019	-	एस एफ सी /2.49 लाख रुपए	24900=00	213/12.02.19	93025=00

योग 74200=00

निर्माण कार्य के तय समय सीमा अंतर्गत कार्य पूर्ण ना किए जाने की स्थिति में अथवा निर्माण कार्य विलंब से पूर्ण किए जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियमानुसार निर्माण कार्य के कुल लागत के 1% शुल्क प्रतिदिन, की दर से दंडात्मक शुल्क की ली संबंधित कांटेक्टर/ कार्य प्रभारी के बिल से की जानी चाहिए। नियम अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी दशा में यह शुल्क कुल लागत के 10% से अधिक नहीं होगा जो कि टेंडर में दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्माण कार्य जो कि विलंब से कराए गए अथवा अपूर्ण कार्य जो वर्ष दौरान पूर्ण नहीं किए गए के कुल लागत पर शुल्क 1% दंडात्मक लगाते हुए अधिकतम 10% की दर से रुपए 74200=00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल तथा ग्राम प्रधान सरोज सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 85 -लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विकास कार्य वर्ष दौरान पूर्ण नहीं किए गए जबकि नियमानुसार अवशेष अनुदान का अति शीघ्र उपभोग प्राप्त मद के अनुसार किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में शासनादेश संख्या 2507/2603-99-{215} दिनांक 04-08-99 के अनुरूप अनुदान रजिस्टर से अनुदान की मतवार पोस्ट उपरांत शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में योजना अंतर्गत स्वीकृत धनराशि

को उसी वित्तीय वर्ष में उपभोग कर लेना चाहिए। निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न कार्य आईडी अंतर्गत विकास कार्य लेखा परीक्षा वर्ष में पूर्ण नहीं दर्शाए गए हैं:-

कार्य का विवरण	कार्य आईडी संख्या	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	योजना/स्वीकृत लागत	वित्तीय स्वीकृत संख्या/ तिथि	वर्ष दौरान भुगतान की धनराशि
ऑपरेशन कायाकल्प	182 40930	30/01/ 20	-	एस एफ सी / 2.49 लाख रुपए	158/30.0 1.20	202140=00
प्रशासनिक व्यय	182 40930	15/04/ 19	-	एस एफ सी / 1.00 लाख रुपए	01/15.04. 19	79626=00
प्राथमिक विद्यालय गंभीरपुर में वॉल पेंटिंग कार्य	182 40934	20/07/ 19	-	एस एफ सी / 1.90 लाख रुपए	05/20.07. 19	33595=00
प्राथमिक विद्यालय बैठक में गेट तथा इंटरलॉकिंग कार्य	182 40970	27/09/ 2019	-	एस एफ सी / 4.88 लाख रुपए	2739/27. 09.17	358676=00
चारागाह संरक्षण	18 24093 1	30/06/ 19	-	एस एफ सी /1.99 लाख रुपए	04/30.06. 19	33360=00
						518603.00

14वें वित्त योजना अंतर्गत अवशेष अनुदान का अति शीघ्र व्यय प्राप्त मदों के अनुसार किया जाए अन्यथा की स्थिति में शासनादेश संख्या 2507/ 26-03-99-(215) दिनांक 04-08-99 के अनुरूप अनुदान रजिस्टर से अनुदान की

मदवार पुष्टि उपरांत शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु ग्राम प्रधान सरोज सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 86-लेखा परीक्षा वर्ष में 14वें वित्त योजना अंतर्गत कार्य आईडी संख्या 13044262, 18240931 -बेहटा गंभीरपुर में आदर्श चारागाह निर्माण कार्य तथा आदर्श चारागाह संरक्षण एवं भूसा भंडारण हेतु कराया जाना दर्शित है। इन कार्यों में क्रमशः धनराशि रुपए 94385.00 को चेक संख्या 531793, 531794, 531804, 531805 द्वारा भुगतान तथा धनराशि रुपए 32000.00 को चेक संख्या 531806, 531810 द्वारा वाउचर संख्या एस एफ सी /2019-20/पी /04 तथा एस एफ सी /2019-20/पी /06 अंतर्गत, विभिन्न संस्थाओं को किया जाना कैश बुक में दर्शाया गया है जबकि संबंधित अनुमोदन पत्रावली -प्राक्कलन पंजिका, तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति पत्र आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसे हेतु ग्राम प्रधान सरोज सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपाल पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं व इनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-19)

17 ग्राम पंचायत - अरणझामी

प्रस्तर संख्या 87-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 17242548 - हैंडपंप रिबोर के कार्य में कुल भुगतान धनराशि रुपए 52930.00 किया गया है परन्तु सम्बंधित हैंडपंप रिबोर के कार्य से संबंधित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, कार्यादेश, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति त्रि स्तरीय फोटोग्राफ, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहे। पत्रावली तथा व्यय प्रमाण के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह तथा ग्राम प्रधान गया प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-24)

प्रस्तर संख्या 88-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत के कार्य में कुल भुगतान धनराशि रुपए 72920.00 किया गया है परन्तु संबंधित हैंडपंप रिपेयर के कार्य में प्रस्तुत सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है किसी भी कार्य के सापेक्ष में तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित कोई भी अभिलेख, सामग्री वाउचर्स लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह द्वारा अपेक्षित रहा सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह तथा ग्राम प्रधान गया प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-25)

प्रस्तर संख्या 89-चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 17242508 तथा 17242507 - हैंडपंप मरम्मत के कार्य में कुल भुगतान धनराशि रुपए 38600.00 किया गया है परन्तु संबंधित हैंडपंप रिपेयर के कार्य में प्रस्तुत सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है किसी भी कार्य के सापेक्ष में तकनीकी स्वीकृति से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह द्वारा अपेक्षित रहा। सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं। उपरोक्त भुगतान पूर्णतया नियमित रहा जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद जिम्मेदार है अतः भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-21)

प्रस्तर संख्या 90 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराए गए हैं

कार्य पहचान संख्या	कार्य विवरण	वित्तीय स्वीकृति संख्या तथा दिनांक	कार्य होने की अवधि	भुगतान धनराशि रुपए
			10.11.19 से 17.11.19 तक	

17242557	ठोस तरल अपशिष्ट पदार्थ का निपटान	18 / 25.11.19	18.12.19 से 25.12.19 तक	20000.00
17242510	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	17 / 06.01.20	05.10.19 से 14.10.19 तक 20.11.19 से 04.12.19 तक	35000.00
			रुपए	55000.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों कार्यों में कार्य वित्तीय स्वीकृति मिलने से पहले ही प्रारंभ करा दिया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है। उपरोक्त भुगतान पूर्णतया नियमित रहा जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद जिम्मेदार है अतः भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 91 -चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में कार्य पहचान संख्या 17242503 - वॉल पेंटिंग का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में धनराशि रुपये 25960.00 का भुगतान दिनांक 12.03.2020 को किया गया है परंतु संबंधित कार्य के संबंध में कोई भी अभिलेख, 3 स्तरीय फोटोग्राफ, बिल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया अतः पूर्ण काम संदिग्ध रहा। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया उपरोक्त भुगतान पूर्णतया नियमित रहा जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद जिम्मेदार है अतः भुगतान की धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या 92 -चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में चारागाह में सुरक्षा खाई तथा भूसा स्टोर आदि का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में वाउचर संख्याचतुर्थ वित्त आयोग /2019-20/पी -2 दिनांक 23.07.2019 को धनराशि रुपये 44300.00 किया गया है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत किया गया। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है। भुगतान के सापेक्ष में कोई भी तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति अभिलेख, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यादेश, माप पुस्तिका, बिल वाउचर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः व्यय प्रमाण के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद उत्तरदायी हैं अतः भुगतान की धनराशि रुपये 44300.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-23)

18-ग्राम पंचायत - चिरली

प्रस्तर संख्या 93-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11620763 - पुरानी पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य (वित्तीय स्वीकृति संख्या 6199/31.01.2019) कराया गया। जिसकी अनुमानित लागत धनराशि रुपए 3=30 लाख रही। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रुपए 14500/- बैंक चेक संख्या - 370610 - दिनांक 11/04/2019 एवं धनराशि रुपए 57494.00 बैंक संख्या 631087 - दिनांक 24/04/2019 का भुगतान निर्माण सामग्री क्रय हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार दर्शाया गया है जबकि संबंधित निर्माण पत्रावली, कार्य आदेश, मस्टर रोल, प्राक्कलन, निर्माण की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, एमबी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुति नहीं की गई। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी निरीक्षण करने वाले अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं हुआ जिससे कि निर्माण कार्य के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री राम पाल तथा ग्राम प्रधान श्री नन्दराम उत्तरदायी हैं अतः भुगतान की धनराशि रु.71994.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 94-14 वैवित्त आयोग के अंतर्गत कारें पहचान संख्या 13561627 मेनरोड से सरजूपासीके घर तक खड़जा रिपेयर और नाली निर्माण का कार्य कराया गया है कार्यपूति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 05.03.2019 तथा कार्य समाप्त करने की तिथि 29.06.2019 कार्य के सापेक्ष में प्रियासाफ्ट पर वाउचर संख्या एफएफसी /2019-20/पी 2 के अंतर्गत कुल भुगतान धनराशि रुपये 47458.00 दर्शाई गई है उक्त कार्य के सापेक्ष में तथा भुगतान के संदर्भ में निर्माण पत्रावलियां कार्यादेश प्राकलन रजिस्टर वित्तीय स्वीकृति तकनीक स्वीकृति ऑडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अपेक्षित रहा अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री नन्दराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित धनराशि रु.47458.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-07)

19-ग्राम पंचायत - गोपालपुर नरवल

प्रस्तर संख्या 95-14 वै वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही आरंभ करा कर निर्माण सामग्री के लिए भुगतान तथा श्रमिक भुगतान किया गया है। जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए ग्राम प्रधान मधु सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सुनीता सक्सेना पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित कार्यों की अभिलेख में कार्य पहचान संख्या भी अंकित नहीं की गई है । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अपूर्ण है एवं निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है।

कार्य आईडी संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपए	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	वित्तीय स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भुगतान की धनराशि रुपए
अज्ञात	खड़जा मरम्मत से चंद्रपाल कीर्तिपाल तक	0= 59	820/ 30.12.19	40/ 15.03.20	10/01/20	14/01/20	40617.00
अज्ञात	गोपालपुर नरवल में पुलिया निर्माण कार्य	2=22	945/ 14.01.20	195/ 15.02.20	01/01/20	04/01/20	47457.00
21002 405	गोपालपुर नरवल में शिवदत्त से कुंदन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	2=49	1080/ 25.02.20	238/ 02.03.20	15.12.19	26/12/19	246329.00
अज्ञात	गोपालपुर नरवल में शशि भूषण के घर से अमन के घर तक नाली निर्माण कार्य	1=26	342/ 22.07.19	23/ 15.03.20	03/01/20	08/01/20	70608.00
अज्ञात	गोपालपुर नरवल में अजीत गुप्ता से योगेंद्र नाथ के घर तक खरंजा निर्माण कार्य	0=21	341/ 22.07.19	22/ 15.03.20	01/01/20	02/01/20	18800.00

अज्ञात	गोपालपुर निर्मल में गोलू मिश्रा से ओम प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	2=48	1079/ 25/02/20	194/ 15/02/20	01/03/20	11/03/20	244469.00

योग : 668280.00

निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही आरंभ करा कर निर्माण सामग्री के लिए भुगतान तथा श्रमिक भुगतान किया गया है। जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए ग्राम प्रधान मधु सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सुनीता सक्सेना पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। संबंधित धनराशि रु 668280.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 96-लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख की मांग ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता सक्सेना को 22/12/2020 भेजा गया परन्तु लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कैशबुक तथा निर्माण पत्रावलियां दिनांक 01/04/2019 से दिनांक 30/11/2019 तक की उपलब्ध नहीं कराई गई। लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने हेतु ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है व ग्राम प्रधान मधु सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सुनीता सक्सेना से संबंधित भुगतान 14 वें वित्त आयोग+ चतुर्थ वित्त आयोग धनराशि रुपए 106460.00+2114915.00=2221375.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15,16)

20-ग्राम पंचायत - अमौर

प्रस्तर संख्या 97-ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत कैश बुक तथा प्रियासॉफ्ट पर उपलब्ध वार्षिक प्राप्ति तथा भुगतान परिपत्र में दिनांक 01/04/2019 को दर्शित प्रारंभिक अवशेष में अंतर रहा। जिसका विवरण निम्नवत है:

दिनांक 01/04/2019 को प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित प्रारंभिक अवशेष धनराशि- 437393=00 रुपए दिनांक 01/04/2019 को कैश बुक में दर्शित प्रारंभिक अवशेष की धनराशि- 382963=00 रुपए

अंतर की धनराशि - 54430=00 रुपए

कैशबुक तथा प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित प्रारंभिक धनराशि के अंतर के बारे में ऑडिट के दौरान पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जो कि अपेक्षित रहा।

दिनांक 31/03/2020 को प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित अंतिम अवशेष की धनराशि - 649385=00 रुपए

दिनांक 31/03/2020 को कैश बुक में दर्शित अंतिम अवशेष की धनराशि- 594955=00 रुपए

अंतर की धनराशि - 54430=00 रुपए कैशबुक तथा प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित अंतिम अवशेष धनराशि के अंतर के बारे में ऑडिट के दौरान पंचायत सचिव अरमैंद्र कुमार द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने की दशा में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 98-ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 के प्रस्तुत कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट में वर्ष दौरान प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 43605=00 दर्शित रहे जबकि प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान परिपत्र में वर्ष दौरान प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 13062=00 दर्शित रहे। अंतर की धनराशि रुपए 30543=00 रहे। ब्याज की धनराशि के अंतर के बारे में ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 99-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दिनांक 18.11.2020 को की जानी थी तथा लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख की मांग मांग - पत्र द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित किया गया था परंतु उपरोक्त कार्यों से संबंधित अभिलेख

वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमेन्द्र कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए । ऑडिट के दौरान स्पष्टीकरण मांगे जाने पर वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमेन्द्र कुमार के अनुसार उपरोक्त कार्य पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार मौर्या के कार्यकाल में संपन्न किए गए अतः अभिलेख ऑडिट के दौरान लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए अतः लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है । पुष्टि के अभाव में उपरोक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान सीमा सिंह तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकुमार मौर्या से (2822617.00+116240.00= 398857.00 रुपए की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-19,20)

21-ग्राम पंचायत - गौरी ककरा

प्रस्तर संख्या 100 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य चारागाह गौरी ककरा में कराए गए हैं । कार्य पहचान संख्या - 17489471 -चारागाह गौरी ककरा में एनीमल शेड एवं भूसा कच्छ तथा कार्य पहचान संख्या 17489423 -फेंसिंग एवं पक्का कार्य । उपरोक्त कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अपेक्षित रहा ।

	प्रारंभिक अवशेष (रुपए)	अंतिम अवशेष रुपए
कैशबुक के अनुसार	941126.00	1310740.50
प्रिया सॉफ्ट के अनुसार	1063200.00	1432814.50
बैंक पासबुक के अनुसार	941126.00	1310740.50
अंतर-(प्रियासॉफ्ट-बैंक पासबुक)	122074.00	122074.00
अंतर (प्रिया सॉफ्ट - कैशबुक)	122074.00	122074.00

उक्त अंतर धनराशि का स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमेन्द्र कुमार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ तथा बैंक पासबुक संख्या एसबीआई 31577508642 के अलावा कोई अन्य पासबुक अथवा कैश बुक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-01)

22-ग्राम पंचायत - हाजीपुर कदीम

प्रस्तर संख्या 101-चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19518025 तथा 15518026 हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में धनराशि 20000.00रुपए का भुगतान दिनांक 17.12.2019 को तथा धनराशि 20000.00रुपए का भुगतान दिनांक 26.12.2019 को पी.फॉ.एम .एस द्वारा किया गया है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में लेखा परीक्षा के दौरान तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति पत्र , कार्य आदेश ,सामग्री खपत लिस्ट,सामग्री खरीद बिल आदि ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान तथा ग्राम प्रधान मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । दोनों कार्यों में प्रस्तुत किए गए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 41 अपूर्ण है । यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है । धनराशि रु.40000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान तथा ग्राम प्रधान मनोज कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-16)

प्रस्तर संख्या 102-चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत हाजीपुर कदीम में वॉल पेंटिंग का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में धनराशि 19992/-का भुगतान विधान ट्रेडर्स को दिनांक 24/03/2020 को किया गया है परंतु लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में कार्य आदेश तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया जो कि अपेक्षित रहा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से वसूल की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या 103 -14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत हाजीपुर कदीम में नाला एवं नालियों की सिल्ट की सफाई का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में निम्नलिखित आपतियां प्राप्त हुई । उपरोक्त कार्य के श्रम के सापेक्ष का धनराशि 34980.00रुपए बैंक चेक संख्या 03/07/2019 का भुगतान श्रमिकों को ना दे कर सेल्फ चेक के रूप में भुगतान किया

गया है तथा श्रमिकों को नकद भुगतान दिया गया है यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है उपरोक्त कार्य के श्रम के सापेक्ष का धनराशि 30104.00रुपए बैंक चेक संख्या 03/07/2019 का भुगतान श्रमिकों को ना दे कर सेल्फ चेक के रूप में भुगतान किया गया है तथा श्रमिकों को नकद भुगतान दिया गया है यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है व अनियमित भुगतान रु.65084.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सचान व ग्राम प्रधान मनोज कुमार से अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

23-ग्राम पंचायत - कोरथा

प्रस्तर संख्या 104 -चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 06/08/2019 विधि कॉन्ट्रेक्टर को बैंक चेक संख्या 980040 द्वारा व्हील चेर खरीद हेतु कुल धनराशि रुपए 4950.00 का भुगतान विधि कॉन्ट्रेक्टर को किया गया है जिसके सापेक्ष में कोई भी खरीद बिल / वाउचर लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अपेक्षित रहा, किया गया भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली रु.4950.00ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या- 14)

प्रस्तर संख्या 105-चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत सरकारी भवन में रंगाई पुताई का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में दिनांक 23.03.2020 को पुताई सामग्री हेतु धनराशि 14365/- का भुगतान जय कामदगिरी ट्रेडर्स को तथा श्रम हेतु भुगतान धनराशि 4725/-को किया गया है जिसके सापेक्ष में कार्य हेतु त्रि स्तरीय फोटोग्राफ,मस्टररोल , रंगाई पुताई सामग्री खरीद हेतु बिल लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है । स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा । अनियमित भुगतान हेतु ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या 106 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोथा मे में नालियों एवं गलियों में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में ट्रैक्टर भाड़ा कुल धनराशि 37000/-का भुगतान ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार द्वारा स्वयं को किया गया है । ट्रैक्टर भाड़े के भुगतान के सापेक्ष में प्रस्तुत किया गया वाउचर अपूर्ण है । जिसपर उक्त कार्य के अंतर्गत ट्रैक्टर संख्या ,मालिक का नाम ,ट्रैक्टर का उद्देश्य ,फिटनेस सर्टिफिकेट ,फेरों की संख्या आदि अंकित नहीं है । यह भुगतान पूर्ण रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है । ट्रैक्टर भाड़ा वाउचर संलग्न हैं। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है व अनियमित भुगतान रु.37000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार ,एवं श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 107 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है विवरण निम्नवत हैं ।

कार्य पहचान संख्या	तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्त की तिथि	भुगतान की तिथि	कुल भुगतान धनराशि
19517566	12/20.12.2019	12/20-12.2019	01/10/2019	31/10/2020	24/02/20	19300/-
19517581	13/20.12.2019	13/20.12.2019	01/11/2019	30/11/2019	31/03/20	19325/-
19517580	15/20.12.2019	15/20.12.2019	01/12/2019	31/12/2019	31/03/20	19000/-

						57625.00

उपरोक्त सूचना से स्पष्ट है कि हैंडपंप मरम्मत का कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के ही शुरू करा दिया गया जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त हैंडपंप मरम्मत का कार्य पूर्ण रूप से संदिग्ध है तथा कुल भुगतान धनराशि रुपये 57625.00 पूर्ण रूप से अनियमित है। उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर जांच की जानी अपेक्षित है। किया गया भुगतान रु. 57625.00 अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमंद कुमार एवं श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 108 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19517542 - खड़जा एवं दीवार निर्माण कार्य कराया गया है उक्त कार्य के सापेक्ष में मिट्टी ढुलाई भाड़े का भुगतान दिनांक 29/03/2020 को धनराशि 10984.00 ट्रैक्टर ड्राइवर को पी 0एफ 0एम 0एस 0द्वारा किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मिट्टी ढुलाई भाड़े के सापेक्ष कोई बिल या वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमंद कुमार से संयुक्त रूप से की अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-16)

24-ग्राम पंचायत - बरईगढ़

प्रस्तर संख्या 109 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में नाला एवं नालियों की सिल्ट की सफाई का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में भुगतान धनराशि रुपये 57240.00 नकद रूप में श्रमिकों को किया जाना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार दर्शाया गया है। प्रस्तुत मस्टररोल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी भी मस्टररोल में न ही श्रमिकों के हस्ताक्षर ना ही ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर तथा ना ही ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा भुगतान संदिग्ध है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त वित्तीय अनियमितता नियमितता के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपेक्षित रहा। भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 110 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सफाई का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में श्रमिकों को भुगतान धनराशि 31500/-दिनांक 28/03/2020 को की गई है परंतु प्रस्तुत मस्टररोल पर किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान नहीं लिए गए हैं उपरोक्त मस्टररोल पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। उक्त कार्य के सापेक्ष में कूड़ा एवं गोबर के ढेर उठान के संबंध में ट्रैक्टर भाड़े के रूप में भुगतान धनराशि रुपये 28500.00 निर्भय बरईगढ़ निवासी को की गई है। उक्त भुगतान के सापेक्ष में प्रस्तुत रसीद अपूर्ण है। इस पर ट्रैक्टर संख्या, ड्राइवर का नाम, प्राप्तकर्ता का पूर्ण परिचय, दिनांक आदि अंकित नहीं है। उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष में कोई भी कार्य आदेश लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अपेक्षित रहा। अतः उपरोक्त कार्य के संबंध में किया गया पूर्ण भुगतान धनराशि रुपये 60000.00 संदिग्ध है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अनियमित भुगतान की धनराशि रु.60000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 111 -चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत बरईगढ़ में कराया गया है जिसके सापेक्ष में तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति, कार्यादेश, हैंडपंप लिस्ट, इस्तेमाल की गई सामग्री की लिस्ट, लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत किए गए सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या -41अपूर्ण है। उपरोक्त

के सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि 40000/- हैं । अभिलेखों के अभाव में उपयुक्त समस्त भुगतान गंभीर वित्तीय अनियमितता में आता है । लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ । जो कि अपेक्षित रहा । भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या 112 - 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत बरईगढ़ में कराया गया है जिसके सापेक्ष में तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति ,कार्यादेश ,हैंडपंप लिस्ट ,इस्तेमाल की गई सामग्री की लिस्ट , लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई । प्रस्तुत किए गए सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या -41 अपूर्ण है । उपरोक्त के सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि 100233/- हैं । अभिलेखों के अभाव में उपयुक्त समस्त भुगतान गंभीर वित्तीय अनियमितता में आता है । कुल भुगतान धनराशि रु.100233-की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या 113 -चतुर्थ आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन में रंगाई पुताई तथा मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपए 36367.00 वाउचर संख्या 4टी एच एस एफ सी / 2019-20/पी -12 दिनांक 28.03.2020 को किया गया है । श्रमिकों को कुल भुगतान धनराशि रुपये 25200.00 तथा प्रस्तुत किया गया मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान नहीं है तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं है । यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसका स्पष्टीकरण ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सचान द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपेक्षित रहा । रु 25200.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 114 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरईगढ़ में बारातशाला परिसर में बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति संख्या 1123 दिनांक 04.03.2020 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 5356 दिनांक 19.03.2020 को प्राप्त हुई । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत किए गए बिल के अनुसार भुगतान धनराशि 56700.00 रुबी ईट उद्योग को दिनांक 16/03/2020 तथा भुगतान धनराशि 25530.00 रुपए एम एस ओम प्रकाश साहू को दिनांक 16/03/2020 को की गई है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुल भुगतान धनराशि वित्तीय स्वीकृति मिलने से पहले ही किया गया है । जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपेक्षित रहा । रु.82230.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 115 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत अंबेडकर पार्क की बाउंड्री वॉल का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में निम्नलिखित भुगतान श्रमिकों तथा सामग्री के रूप में किया गया है परन्तु निम्नलिखित किसी भी भुगतान के सापेक्ष में कोई भी बिल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया । यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है अतः कुल भुगतान धनराशि 320885.00 अनियमित रहा । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित नहीं रहा ।

दिनांक	प्राप्तकर्ता	भुगतान धनराशि (रुपये)
29.06.2019	पीके साहू	88830.00
01.07.2019	मजदूरी	51352.00
03.07.2019	काली जी	72481.00
06.07.2019	मजदूरी	57544.00
08.07.2019	शिवा बिल्डिंग मटेरियल	22453.00

08.07.2019	शिवा बिल्डिंग मटेरियल	28225.00

योग : 320885.00

रु.320885.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सचान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-16)

25-ग्राम पंचायत -देवपुरा

प्रस्तर संख्या 116 -14 वे वित्त योजना के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 21228015 देवपुरा में शंकर लोहार के घर से बलदेव पहलवान के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य (तकनीकी स्वीकृति संख्या 1022/17.02/2020 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 211/02/03/2020)प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत 249000.00 हैं । संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि 12/02/2020 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 21/02/2020 रही। संलग्नक मस्टररोल में भी कार्य की अवधि 12/02/2020 से 21/02/2020 दर्शाई गई है । स्पष्ट है कि निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारंभ तथा समाप्त कर दिया गया है। जो कि नियमानुसार सही नहीं है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं रहा । इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री देवेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता सक्सेना से प्रयुक्त धनराशि रु.249000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 117-14 वे वित्त योजना के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 21228014 - देवपुरा में प्राइमरी स्कूल के पीछे संतोष के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य(तकनीकी स्वीकृति संख्या 1021/17.02/2020 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 209/02/03/2020)प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत 226000.00 हैं । संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि 01/03/2020 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 06/03/2020रही। संलग्नक मस्टररोल में भी कार्य की अवधि 01/03/2020 से 06/03/2020 दर्शाई गई है । स्पष्ट है कि निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारंभ तथा समाप्त कर दिया गया है । जो कि नियमानुसार सही नहीं है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं रहा। रु. 226000.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री देवेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता सक्सेना से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए ।

(मूल आपति संख्या-02)

26-ग्राम पंचायत - बौहार

प्रस्तर संख्या 118 -ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबंधित विवरण योजनाओं व ग्रांट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है । सभी प्राप्त अनुदानों से संबंधित एकीकृत लेखा प्रणाली सत्यापित नहीं की जा सकी जिससे यह पता चल सके कि ग्राम पंचायत को वर्ष में सभी योजना अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया तथा कितना अवशेष हैं मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन की कैश बुक नहीं प्रस्तुत की गई है ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं।पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सनेही तथा तत्कालीन ग्रामपंचायत विकास अधिकारी श्री अनुज मिश्रा से रुपए 2400304.50 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-19, 20)

27-ग्राम पंचायत -तेलियावर

प्रस्तर संख्या 119-संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार कार्य संख्या 20283224,20283239,20222226, 20283237,20283207,11689397 से संबंधित मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए । वर्तमान पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार के अनुसार उपरोक्त कार्य पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार मौर्या के कार्यकाल में पूर्ण किए गए अतः

वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमंद कुमार के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके जिसके कारण लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों (01.04.2019 - 30.09.2019) के आधार पर की गई है । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबंधित विवरण योजनाओं व ग्रांट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है । सभी प्राप्त अनुदानों से संबंधित एकीकृत लेखा प्रणाली सत्यापित नहीं की जा सकी जिससे यह पता चल सके कि ग्राम पंचायत को वर्ष में सभी योजना अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया तथा कितना अवशेष हैं मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन की कैश बुक नहीं प्रस्तुत की गई है ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं । पुष्टि के अभाव में धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान सुप्रिया तिवारी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकुमार मौर्य से रुपए 263888.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है । लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8(क)के अनुसार दर्शाए गए व्यय रुपए 263888.00 के संबंध में(जो कि आहरित एवं अपहरण की धनराशि हैं)कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया अतः इस व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सुप्रिया तिवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार मौर्य से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-13, 14)

28-ग्राम पंचायत -वीरन खेड़ा

प्रस्तर संख्या 120 -उपरोक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दिनांक 13.01.2021 को की जानी थी तथा लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख की मांग मांग - पत्र द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित किया गया था । परंतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह द्वारा मूल अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबंधित विवरण योजनाओं व ग्रांट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है । सभी प्राप्त अनुदानों से संबंधित एकीकृत लेखा प्रणाली सत्यापित नहीं की जा सकी जिससे यह पता चल सके कि ग्राम पंचायत को वर्ष में सभी योजना अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया तथा कितना अवशेष हैं मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन की कैश बुक नहीं प्रस्तुत की गई है ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं । पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान ऊषा देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पीयूष सिंह रुपए (500672.00+1000065.00) की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15, 16)

29-ग्राम पंचायत - करचूलीपुर

प्रस्तर संख्या 121-ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अंतर्गत कार्य आईडी संख्या -112566532 दिनांक 06/08/2019 चेक संख्या 730460द्वारा रुपए 9900=00 का भुगतान प्रशासनिक मद के अंतर्गत विधि कांट्रेक्टर को देना दर्शाया गया है इसके सापेक्ष भुगतान /व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से भुगतान अनियमित रहा। ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी पर कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या 122-ग्राम पंचायत में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या - 18481057 निर्माण कार्य रामस्वरूप से रामखेलावन तक नाली निर्माण तकनीकी स्वीकृति संख्या 1063/22.02.2020 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 35/25.02.2020 द्वारा अनुमानित लागत 0=89लाख हेतु पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य प्रारंभ होने की तिथि 11.01.2020 तथा कार्य समाप्त होने की तिथि 17.01.2020 अनुसार दर्शित है । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में बिल संख्या 546 -दिनांक 16.01.2020 तथा संख्या 73-दिनांक 15/03/2020 प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त कार्य के अंतर्गत मस्टररोल के अनुसार कार्य 11/01/2020 से 17/01/2020 संपादित किया गया है । स्पष्ट है कि निर्माण कार्य के तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति के बिना ही उपरोक्त कार्य प्रारंभ

कर समाप्त कर दिया गया है तथा सामग्री बिल कार्य समाप्त होने के बाद तैयार किए गए हैं जो की एक गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। उक्त कार्य के सापेक्ष में प्रिया सॉफ्ट पर वाउचर संख्या एफएफसी /2020-21/पी /1 दिनांक 19/04/2020 को अपलोड किया गया है जो की कार्य समाप्त होने के लगभग तीन महीने पश्चात है। ऑडिट के दौरान बिल की तिथि जो कि कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात है, प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध वाउचर कार्य समाप्ति की तिथि से तीन महीने बाद अपलोड करना, इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत सचिव सुनीता सक्सेना द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। इसका स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त होना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उपरोक्त कार्य पहचान संख्या 18481057 के अंतर्गत पूर्ण भुगतान की धनराशि रुपए 76284.00 जो कि ग्राम पंचायत निधि प्रथम एस बी आई खाता संख्या 31577512751 से किया गया है, ब्याज सहित वसूली के लिए ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता सक्सेना संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 123 -ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 18481058 - वंश गोपाल के घर से रामस्वरूप के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य- तकनीकी स्वीकृति संख्या 1056/22.02.2020 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 239/02.03.2020 एवं अनुमानित लागत 2=49 लाख रुपए द्वारा कराया जाना दर्शाया गया है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य के प्रारंभ होने की तिथि 01.01.2020 तथा कार्य के समाप्त होने की तिथि 10/01/2020 दर्शाई गई है। सामग्री के लिए भुगतान की तिथि संलग्न बिल के अनुसार 17/01/2020, 15/03/2020 दर्शाई गई है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत मस्टररोल पर कोई भी तिथि दर्शाई नहीं गई है। प्रस्तुत मस्टररोल के अनुसार श्रमिकों को 29800.00 रुपए का भुगतान किया गया है उक्त कार्य के सापेक्ष में प्रिया सॉफ्ट पर वाउचर संख्या एस एफ सी /2020-21/पी /2 दिनांक 19/04/2020 को अपलोड किया गया है जो की कार्य समाप्त होने के लगभग तीन महीने पश्चात है। इसके अनुसार भुगतान 242104.00 रुपए दर्शाया गया है। ऑडिट के दौरान बिल की तिथि जो कि कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात है, मस्टररोल पर तिथि का अंकित न होना, प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध वाउचर कार्य समाप्ति की तिथि से तीन महीने बाद अपलोड करना, इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत सचिव सुनीता सक्सेना द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। इसका स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त होना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उपरोक्त कार्य पहचान संख्या 18481058 के अंतर्गत पूर्ण भुगतान की धनराशि रुपए 242104.00 जो कि ग्राम पंचायत निधि प्रथम एसबीआई खाता संख्या 31577512751 से किया गया है, ब्याज सहित वसूली के लिए ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता सक्सेना संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 123 अ -वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्य 14 वित्त आयोग योजना के अंतर्गत कराए गए हैं। जिनसे संबंधित प्राकलन रजिस्टर, तकनीकी स्वीकृति अभिलेख, वित्तीय स्वीकृति अभिलेख, बिल, सामग्री लिस्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। इसका विवरण निम्नवत हैं।

कार्यपहचान संख्या	कार्य विवरण	कार्य के सापेक्ष में भुगतान तिथि	बैंक चेक संख्या / पी0 एफ0 एम0 एस0	भुगतानराशि(रुपये)
18644869	हैंडपंप रिपेयर संख्या - 6	29/07/2019	730459	20000.00
18481046	हैंडपंप रिपेयर संख्या - 1	12/02/2020	पी0 एफ0 एम0 एस0	20000.00
18481060	हैंडपंप रिपेयर संख्या - 2	12/02/2020	पी0 एफ0 एम0 एस0	20000.00

योग : 60000.00 रुपए

स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष में अभिलेख उपलब्ध न होना गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायत सचिव सुनीता सक्सेना द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः किए गए

भुगतान 60000.00 रुपए की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव सुनीता सक्सेना से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-18)

30-ग्राम पंचायत - दौलतपुर नर्वल

प्रस्तर संख्या 124-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर का कार्य -कार्य पहचान संख्या 19395750 के अंतर्गत कराया गया है जिसके सापेक्ष में धनराशि 14074.00 रुपये का भुगतान दिनांक 07/08/2019 बैंक चेक संख्या 270750द्वारा न्यू इंटरमीडिया को किया गया है। परन्तु कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 41 के अनुसार भुगतान बाबा हार्डवेर को दर्शाया गया है। उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष में प्रस्तुत बिल संख्या 41 के अनुसार भुगतान बाबा हार्डवेर एवं सेनेटरी स्टोर को दिनांक 31/07/19 को किया गया है जो कि पूर्णतया गलत है। बिना सामग्री खरीद के भुगतान करना गंभीर वित्तीय अनियमितता में आता है। उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा प्राप्तकर्ता के नाम में विसंगति के बारे में ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश सिंह द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।।

(मूल आपति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या 125 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19595772 हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में सामग्री क्रय के रूप में धनराशि 14500.00 रुपये का भुगतान बाबा हार्डवेर एवं सेनेटरी स्टोर को दिनांक 04/07/2019 को तथा श्रम के सापेक्ष में धनराशि 5300.00 रुपये का भुगतान दिनांक 25/06/2019 को गौरव कुमार पुत्र राम दयाल को बैंक चेक संख्या 270748 द्वारा किया गया है। पूर्व आंकड़ों से ज्ञात होता है कि श्रम के सापेक्ष भुगतान सामग्री के सापेक्ष भुगतान से पहले ही कर दिया गया है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जो पूरे कार्य को संदिग्ध बनाती है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त गंभीर अनियमितता के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश सिंह व ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 126 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19395763 - वीरेंद्र सेठ के दरवाजे से सेवालाल तक इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया है जिसका विवरण निम्नवत हैं। तकनीकी स्वीकृति संख्या 776 दिनांक 28/12/2019 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 07 दिनांक 30/12/2019 है। कारी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तथा प्रस्तुत मस्टररोल के अनुसार कार्य की अवधि दिनांक 1/12/2019 से दिनांक 10/12/2019 है। लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री क्रय के सापेक्ष में प्रस्तुत किए गए बिल का विवरण निम्न है।

दिनांक	भुगतान धनराशि(रुपये)	बिल संख्या	प्राप्तकर्ता -
03/02/2020	21466.00	02	इंडिया ब्रिक फील्ड
01/02/2020	49560.00	49	के जी एन एंटरप्राइजेज
01/02/2020	47955.00	50	के जी एन एंटरप्राइजेज
26/02/2020	7996.80	302	बजरंग इंटरप्राइजेज
23/02/2020	31086.00	304	बजरंग इंटरप्राइजेज

योग : 158063.00 रुपए

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है की निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारंभ करा कर समाप्त दर्शा दिया गया है तथा निर्माण सामग्री क्रय के संलग्न बिल समस्त निर्माण कार्य को संदिग्ध दर्शाते हैं। मस्टररोल में भुगतान की धनराशि रुपए 21500.00 है। निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे की निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। उपरोक्त लेखा परीक्षा आपतियों के आधार पर निर्माण कार्य में किया गया समस्त भुगतान धनराशि रुपए 180361.00 पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-07)

31-ग्राम पंचायत - रातेंपुर

प्रस्तर संख्या 127-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19257803 ग्राम पंचायत रातेंपुर में नाला एवं नालियों की सिल्ट की सफाई का कार्य कराया गया है। इसमें निम्नलिखित आपतियां प्राप्त हुई। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है। कार्य के प्रारंभ होने की तिथि तथा समाप्त होने की तिथि अंकित नहीं है। कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ संलग्न नहीं है। मस्टररोल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है। मस्टररोल पर लिए गए श्रमिकों के अंगूठे का निशान सत्यापित नहीं है। वित्तीय स्वीकृति संख्या 05 दिनांक 28.06.2019 कार्य के सापेक्ष में ली गई है। किए गए कार्य का भुगतान(श्रमिकों तथा इस्तेमाल किए गए ट्रैक्टर भाड़े) दिनांक 09.07.2019 को किया गया है। परंतु मस्टररोल के अनुसार कार्य करने की तिथि एक तारीख से 15 तारीख तक दर्शाई गई है। महीना अंकित नहीं है। उपरोक्त विसंगतियों के बारे में ग्राम विकास अधिकारी श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त किए गए कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत वाउचर के अनुसार ट्रैक्टर भाड़े का भुगतान धनराशि 18307.00 रुपए शिव सिंह को एसबीआई बैंक चेक संख्या 642042 द्वारा दिनांक 07.07.2019 को दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तुत वाउचर पर ट्रैक्टर संख्या, तथा ड्राइवर का नाम, कितने चक्कर लगे आदि अंकित नहीं है जो कि किए गए पूरे कार्य को संदिग्ध बनाता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा उपरोक्त आपतियों के सापेक्ष में स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा। समस्त भुगतान धनराशि पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 128 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 13559214 -उमा शंकर के घर से लालजी गया राम लखन के घर तक सी सी एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसकी वित्तीय स्वीकृति संख्या 287 (08/03/2019) तथा तकनीकी स्वीकृति संख्या 1440(23/02/2019) हैं। उक्त कार्य के सापेक्ष में निम्नलिखित आपतियां अवलोकित हुई। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार श्रमिकों को भुगतान धनराशि 60566/- नकद रूप से किया गया है। परन्तु 162 सीएम [1]/33-3-01 दिनांक 15/09/2001[पंचायत राज्य अनुच्छेद -03]द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत रुपए 2000.00 से अधिक के समस्त भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा ही करेंगे। स्पष्ट है कि यह नियमों का खुला उल्लंघन है। प्रस्तुत किया गया मस्टररोल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है। श्रमिकों द्वारा मस्टर रोल पर लिए गए अंगूठे का निशान सत्यापित नहीं है प्रस्तुत बिल के अनुसार सामग्री क्रय के रूप में गौरी इंटरप्राइजेज को भुगतान धनराशि रुपए 61067.00 दिनांक 07/03/2019 गया है जो कि वित्तीय स्वीकृति के पूर्व ही है। सामग्री के रूप में भुगतान धनराशि रुपए 66728.00 गौरी इंटरप्राइजेज को दिनांक 09/07/2019 को किया गया है परंतु प्रस्तुत किया गया बिल अपूर्ण है। सामग्री भेजने की तिथि तथा जगह अंकित नहीं है। उक्त कार्य में माल दुलाई के सापेक्ष में भुगतान धनराशि 3,783.00 रुपए शिव सिंह पुत्र श्री गोरे लाल को 29/06/2019 बैंक संख्या 642033 द्वारा किया गया है परन्तु प्रस्तुत वाउचर पर भुगतान करने वालों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उपरोक्त सभी आपतियां किए गए पूर्ण कार्य को संदिग्ध बनाता है। कुल भुगतान धनराशि रुपये 236826.00 हैं। समस्त भुगतान धनराशि पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 129 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 19257797, 19257798, 19257799 हैंडपंप मरम्मत का कार्य के अंतर्गत कराया गया है उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया उपरोक्त सभी कार्यों में किए गए भुगतान का विवरण निम्नलिखित है।

कार्य पहचान संख्या	कार्य विवरण	वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान धनराशि रुपए
19257797	हैंडपंप मरम्मत का कार्य	एस एफ सी/ 2019-20/पी 3	04.07.19	20000.00

19257798	हैंडपंप मरम्मत का कार्य	एस एफ सी/ 2019-20/पी 4	04.07.19	19960.00
19257799	हैंडपंप मरम्मत का कार्य	एस एफ सी/ 2019-20/पी 5	04.07.19	19860.00

योग : 59820.00 रुपए

अभिलेखों के अभाव में संपूर्ण भुगतान धनराशि रुपए 59820.00 संदिग्ध है। समस्त भुगतान धनराशि पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या 130-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 112187000 - नर सिंह के घर से शिव सिंह के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपतियां प्राप्त हुई। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है कार्य के प्रारंभ होने तथा समाप्त होने की तिथि अंकित नहीं है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में स्ब कुल मजदूरी कहाँ भुगतान धनराशि रुपए 65156.00 श्रमिकों को नकद रूप से स्ब कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार किया गया है। परन्तु 162 सीएम [1]/33-3-01 दिनांक 15/09/2001 [पंचायत राज्य अनुच्छेद-03] द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत रुपए 2000.00 से अधिक के समस्त भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा ही करेंगे। स्पष्ट है कि यह नियमों का खुला उल्लंघन है। लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया मस्टररोल अपूर्ण है। प्रस्तुत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। मस्टर रोल पर लिए गए श्रमिकों के अंगूठे के निशान सत्यापित नहीं है। कार्य की अवधि तथा कार्य का नाम भी अंकित नहीं है। उपरोक्त नकद भुगतान एक गंभीर वित्तीय नियमितता है। समस्त भुगतान धनराशि पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 131-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 13559218 - राजू के घर से मनोज के घर तक खड़जा एवं नाली का निर्माण कार्य कराया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित आपतियां अवलोकित हुई। प्रस्तुत किया गया कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है। कार्य के प्रारंभ होने की तिथि तथा कार्य के समाप्त होने की तिथि अंकित नहीं है। उक्त कार्य के सापेक्ष में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान धनराशि 31868.00 दिनांक 29.03.2019 नकद रूप से किया गया है। परन्तु 162 सीएम [1]/33-3-01 दिनांक 15/09/2001 [पंचायत राज्य अनुच्छेद - 03] द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत रुपए 2000.00 से अधिक के समस्त भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा ही करेंगे। स्पष्ट है कि यह नियमों का खुला उल्लंघन है। प्रस्तुत किया गया मस्टररोल कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान नहीं है जो की एक गंभीर वित्तीय नियमितता है। समस्त भुगतान धनराशि पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 132 -मिट्टी पुराई का कार्य कराया गया है। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत किए गए बिल के अनुसार आयुष को मिलन केंद्र में मिट्टी भराई के कार्य ट्रैक्टर भाड़ा के रूप में भुगतान धनराशि रुपये 9764.00 दिनांक 20/01/2020 ओह तथा धनराशि रुपए 47590.00 दिनांक 30/03/2020 को किया गया है परन्तु प्रस्तुत वाउचर पर ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन संख्या का नाम, ड्राइवर का नाम, कार्य का पूर्ण विवरण जैसे कितने चक्कर लगे आदि अंकित नहीं है। समस्त भुगतान धनराशि पूर्णतया अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-06)

32-ग्राम पंचायत -परौरी

प्रस्तर संख्या 133-ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबंधित विवरण योजनाओं व ग्रांट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी प्राप्त अनुदानों से संबंधित एकीकृत लेखा प्रणाली सत्यापित नहीं की जा सकी जिससे यह पता चल सके कि ग्राम पंचायत को वर्ष में सभी योजना अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया तथा कितना अवशेष हैं मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन की कैश बुक नहीं प्रस्तुत की गई है ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान वंदना देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम से रुपए 1719487.00+141200.00 = 1860687.36 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-19,20,22)

33-ग्राम पंचायत -बिरसिंहपुर

प्रस्तर संख्या 134 -ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दिनांक 23.12.2020 को की जानी थी तथा लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख की मांग मांग -पत्र द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित किया गया था परंतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र गौतम द्वारा इंटीमेशन पत्र समय पर स्वीकृत नहीं किया गया तथा मूल अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबंधित विवरण योजनाओं व ग्रांट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी प्राप्त अनुदानों से संबंधित एकीकृत लेखा प्रणाली सत्यापित नहीं की जा सकी जिससे यह पता चल सके कि ग्राम पंचायत को वर्ष में सभी योजना अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया तथा कितना अवशेष हैं मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन की कैश बुक नहीं प्रस्तुत की गई है ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान मधुलिका देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गौतम से रुपए 804500.00(256743.00+547757.00) की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-22,23)

34-ग्राम पंचायत - निवादा उजागर

प्रस्तर संख्या 135-चतुर्थ आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 18303241 ,18303240 ,18303238 , 18303237 ,18303239,18303242 ,20988801,20988805-हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया है। उपरोक्त सभी कार्य अलग - अलग दिनांक को प्रारंभ हुए तथा अलग -अलग दिनांक को समाप्त हुए। सामग्री एवं श्रम के मद में भुगतान अलग - अलग दिनांक तथा अलग -अलग सप्लायर को किया गया। परन्तु उपरोक्त सभी कार्यों के सापेक्ष में एक ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि स्वीकार्य नहीं है। सभी कार्यों के सापेक्ष में एक ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र रूप पत्र संख्या -41 लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना वितीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपेक्षित रहा। उक्त सभी कार्यों के सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपये 154850.00 रही जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 136 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11320423 बाउंडरी एवं गेट का निर्माण पंचायत भवन में कराया गया है जिसके सापेक्ष में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार श्रमिक भुगतान धनराशि रुपए 14350.00 बैंक चेक संख्या 698931 दिनांक 12.03.2019 द्वारा तथा श्रमिक भुगतान धनराशि रुपये 18175.00 बैंक संख्या 698968 दिनांक 28.03.2019 द्वारा ग्राम प्रधान को दर्शाया गया है परन्तु उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत मस्टररोल पर किसी भी श्रमिक द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया गया है। यह गंभीर वितीय अनियमितता पूरे कार्य को संदिग्ध

बनाती है। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त अनियमितता के संदर्भ में ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ जो कि अपेक्षित रहा। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में श्रमिक भुगतान की कुल धनराशि रुपये 32525.00 रही जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह एवं प्रधान कमलेश से अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-04

प्रस्तर संख्या 137-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11380435 पंचायत भवन जीर्णोद्धार कराया गया है जिसके सापेक्ष में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार श्रमिक भुगतान धनराशि रुपये 17850.00 बैंक चेक संख्या 68932 दिनांक 06.03.2019 द्वारा तथा श्रमिक भुगतान धनराशि रुपये 51000.00 बैंक चेक संख्या 698943 दिनांक 28.03.2019 द्वारा ग्राम प्रधान को दर्शाया गया है परन्तु उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में प्रस्तुत मस्टररोल पर किसी भी श्रमिक द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया गया है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता पूरे कार्य को संदिग्ध बनाती है। लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त अनियमितता के संदर्भ में ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ जो कि अपेक्षित रहा। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में श्रमिक भुगतान की कुल धनराशि रुपये 68850.00 रही जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 138-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11320438 जयराम के घर से जागेश्वर के घर तक नाली एवं खड़जा का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार श्रमिक भुगतान धनराशि रुपये 25900/- बैंक चेक संख्या 698930 दिनांक 05/03/2019 तथा श्रमिक भुगतान धनराशि रुपये 10250 / - बैंक चेक संख्या 698950 दिनांक 28/03/2019 ग्राम प्रधान को किया जाना दर्शाया गया है। प्रस्तुत के अनुसार कार्य की अवधि 1 फरवरी 2019 से 7 फरवरी 2019 तथा 8 फरवरी से 14 फरवरी तक दर्शाई गई है। परंतु कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र रूप पत्र संख्या -41 के अनुसार कार्य के प्रारंभ होने की तिथि 18/02/2019 तथा कार्य के समाप्त होने की तिथि 05/04/2019 दर्शाई गई है अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त विसंगतियों के कारण पूर्ण कार्य संदेहास्पद है। कुल भुगतान श्रमिक भुगतान की धनराशि 36150.00 रुपये है। उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता का संतोषजनक स्पष्टीकरण ग्राम विकास अधिकारी श्री सूर्य सूरज प्रताप सिंह द्वारा परीक्षा के दौरान नहीं दिया गया जो कि अपेक्षित रहा उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज प्रताप सिंह से अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-06)

35-ग्राम पंचायत -पालपुर

प्रस्तर संख्या 139 -ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दिनांक 03.12.2020 को की जानी थी तथा लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख की मांग मांग - पत्र द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित किया गया था परंतु संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार द्वारा कार्य संख्या 15837151, 12122615, 12122619, 12122616, 12122617, 12122614, 12122618, 19570702, 195707229 (14वें वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय) 15837150, 12122633 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय) से संबंधित मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। वर्तमान पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार के अनुसार उपरोक्त कार्य पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार मौर्या के कार्यकाल में पूर्ण किए गए अतः वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरमैंद्र कुमार के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके जिसके कारण लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों (01.04.2019-30.09.2019) के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबंधित विवरण योजनाओं व ग्रांट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी प्राप्त अनुदानों से संबंधित एकीकृत लेखा प्रणाली सत्यापित नहीं की जा सकी जिससे यह पता चल सके कि ग्राम पंचायत को वर्ष में सभी योजना अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया तथा कितना अवशेष है मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन की कैश बुक नहीं प्रस्तुत की गई है ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। पुष्टि के अभाव में धनराशि ब्याज सहित वसूली

योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान राम देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकुमार मौर्या से रुपए (291662.50 +140351.00) की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-13,14)

36 ग्राम पंचायत - बारीगांव

प्रस्तर संख्या 140- ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया जिसमें निम्न आपतियां रही:

कार्य संख्या	कार्य	वाउचर संख्या	दिनांक	व्यय	धनराशि
18369302	हैंड पंप रिपेयरसंख्या -1	एफ एफ सी/2019-20/पी/1	22/04/2019		19850=00
18369306	हैंड पंप रिपेयरसंख्या -2	एफ एफ सी/2019-20/ पी/2	22/04/2019		19850=00
18369307	हैंड पंप रिपेयरसंख्या -3	एफ एफ सी/2019-20/पी/6	25/07/2019		19850=00
18369322	हैंड पंप रिपेयर संख्या -4	एफ एफ सी/2019-20/पी/7	25/07/2019		14850=00
18369309	हैंड पंप रिपेयर संख्या -7	एफ एफ सी/2019-20/पी/22	12/03/2020		19980=00
योग					94380=00

उपरोक्त कार्य संख्या में दिखाए गए कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एक साथ जारी किया गया है तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त भुगतान धनराशि 94380=00 संदिग्ध है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रुपए 94830.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। एफ एफ सी

(मूल आपति संख्या-27)

प्रस्तर संख्या 141 -ग्राम पंचायत के विकास कार्य में कार्य आईडी संख्या 18369301-विनोद के घर से बारात शाला तक इंटरलॉकिंग कार्य में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य आईडी संख्या 18369301 - विनोद के घर से बारात शाला तक इंटरलॉकिंग कार्य)14वें वित्त योजना(कार्य वित्तीय स्वीकृति संख्या : 123/06.01.2020 तकनीकी स्वीकृति संख्या : 591/06.12.2019 स्वीकृत लागत धनराशि:रु.100000=00निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति (एडीओ पंचायत) द्वारा :रुपए 240000=00 (कार्य आदेश पत्र संख्या 123/06.01.2020)निर्माण कार्य में कुल व्यय :रुपए 239538=18निर्माण सामग्री क्रय हेतु :रुपए 210889=62 मस्टररोल के अनुसार मजदूरी भुगतान :रुपए 28648=56 बिना स्वीकृति के लागत में वृद्धि : रुपए 140000=00 स्पष्ट है कि स्वीकृत कार्य योजना के विपरीत निर्माण कार्य की लागत को बढ़ाकर अनियमितता की गई है। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई स्वीकृति पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रुपए 140000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या 142-ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत बैंक पासबुक (खाता संख्या31577540427 एसबीआई)प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता वित्तीय वर्ष 2019-20 में दर्शाई गई धनराशियों के बीच अंतर रहा। बैंक पासबुक के अनुसार अंतिम अवशेष धनराशि -1905986=40प्रिया सॉफ्ट वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता के अनुसार अंतिम अवशेष धनराशि -2331692=90रही। उपरोक्त अंतर धनराशि 425706.50 के संबंध में ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाता है। इस संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 143-प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध एबस्ट्रेक्ट रजिस्टर फॉर्मेट 2) के अंतर्गत खाता मद -4210 - कैपिटल आउट ले ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में व्यय रुपए 90000=00 माह मई 2019 में दर्शाया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत कैश बुक मई माह में व्यय रुपए 41350=00 रहा जिसका विवरण निम्नवत है:-

ग्राम पंचायत में सफाई कार्य का भुगतान रु.22500=00

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्य	रु.12500=00
निर्वाचन हेतु व्हीलचेयर का भुगतान	रु.4950=00
सफाई किट का भुगतान	रु.1400=00
योग	रु.41350=00

उपरोक्त अंतर रु.48650.00 के संबंध में ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रुपए 48650.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 144-कार्य आईडी संख्या 18369301 -विनोद के घर से बारात शाला तक इंटरलॉकिंगकार्य कराया गया है:- निर्माण पत्रावली में संलग्न सभी बिल प्रमाणिक मै.गौरीइंटरप्राइजेज दिनांक 11.02.2020 के बिल संख्या) 315,316,317,318,319,320)के रहे। सभी बिलों में दिनांक 11/02/2020 निर्माण सामग्री की डेट ऑफ सप्लाई दर्शित की गई है। जबकि पत्रावली में संलग्न मस्टररोल संख्या 21A तथा 21बी के विवरण अनुसार निर्माण कार्य की अवधि दिनांक 06/01/2020 से दिनांक15/01/2020 की तथा दिनांक16/01/2020 से दिनांक17/01/2020 तक की अंकित की गई है। स्पष्ट है कि निर्माण सामग्री की डेट ऑफ सप्लाई तथा मस्टर रोल में दर्शित कार्य की अवधि में भिन्नता है। यह पूरे निर्माण कार्य को संदिग्ध बनाता है। निर्माण कार्य के प्रारंभ,मध्य अवस्था तथा पूर्णता के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ संलग्न नहीं रहे। संलग्न मस्टररोल अपूर्ण तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है। अतः उपरोक्त भुगतान धनराशि 239538.00संदिग्ध है। इस संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण ऑडिट के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान संगीता देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुरेन्द्र गौतम से रुपए 239538.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-09)

37-ग्राम पंचायत - साढ़

प्रस्तर संख्या 145-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11689169 - इस्टबिन क्रय के संबंध में आराध्या इंटरप्राइजेज को ग्राम पंचायत निधि प्रथम बैंक अकाउंट संख्या- 31577507922 बैंक चेक संख्या 472926 द्वारा दिनांक 12/04/2019 को रुपये 76700/-भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार मौर्या द्वारा कोई भी बिल /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ऑडिट के दौरान उपरोक्त के सापेक्ष में कोई भी स्पष्टीकरण भी प्राप्त नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट है कि भुगतान संदिग्ध है। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान अनीता पाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकुमार मौर्या से रुपए 76700.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-21)

प्रस्तर संख्या 146-14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11689170 -वृक्षारोपण शुल्क के संबंध में ओम साई सप्लायर को ग्राम पंचायत निधि प्रथम बैंक अकाउंट संख्या -31577507922 बैंक चेक संख्या 388435 द्वारा दिनांक 16/07/2019 को रुपए 7370/-भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार मौर्या द्वारा कोई भी बिल /अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ऑडिट के दौरान उपरोक्त के सापेक्ष में कोई भी स्पष्टीकरण भी प्राप्त नहीं हुआ जिससे स्पष्ट है कि भुगतान संदिग्ध है। अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान अनीता पाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकुमार मौर्या से रुपए 7370.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या 146अ -चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य पहचान संख्या 11689058 - प्रशासनिक व्यय के संबंध में निम्नलिखित भुगतान ग्राम पंचायत नदी प्रथम बैंक अकाउंट संख्या-31577507922 से किया गया है जिसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार मौर्या द्वारा कोई भी बिल तथा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ऑडिट के दौरान

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष में कोई भी स्पष्टीकरण भी प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि कुल भुगतान रुपए 25712/-संदिग्ध है। विवरण निम्नवत हैं ।

बैंक चेक संख्या	दिनांक	धनराशि (रुपये)	जिसको भुगतान किया गया
388433	17/05/2019	1800.00	आकाश गुप्ता
472925	06/04/2019	22512.00	विधान ट्रेडर्स
472959	29/05/2019	1400.00	स्वच्छता

योग : 25712.00

पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है । अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान अनीता पाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजकुमार मौर्या से रुपए 25712.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-19)

38-ग्राम पंचायत असेनिया

प्रस्तर संख्या 147-कैशबुक में दर्शाए गए समस्त भुगतान के अनुसार आलोच्य वर्ष में किए गए समस्त कार्यों से संबंधित व्यय वाउचर्स,निर्माण कार्य पत्रावलियां व किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति, राजस्व स्वीकृति तथा मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अतः कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि=608704.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुज मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.608704.00 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

39-ग्राम पंचायत बेहटा बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या 148-कैशबुक में दर्शाए गए व्यय के अनुसार दिनांक 08- 04-19 से 20-08-19 तक कीये गए समस्त कार्यों से संबंधित व्यय वाउचर्स निर्माण कार्य पत्रावलियां व किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति,राजस्व स्वीकृति तथा मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि=1041835.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मनोज उमराव व ग्राम प्रधान अंजू सिंह को संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.1041835.00 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

40-ग्राम पंचायत भेलसा

प्रस्तर संख्या 149 -कैशबुक में दर्शाए गए व्यय के अनुसार दिनांक 01 05-19 से 16 -03 -2020 तक में दर्शाए गए समस्त कार्यों से संबंधित व्यय वाउचर्स ,निर्माण कार्य पत्रावलियां ,व किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति, राजस्व स्वीकृति तथा मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अतः कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि=522685.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मनोज उमराव एवं ग्राम प्रधान नारायण तिवारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.522685.0 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

41-ग्राम पंचायत धमना बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या 150 -कैशबुक में दर्शाए गए व्यय के अनुसार दिनांक05-04-2019 से लेकर 01-01-2020 तक में दर्शाए गए समस्त कार्यों से संबंधित व्यय वाउचर्स,निर्माण कार्य पत्रावलियां,व किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति,राजस्व स्वीकृति तथा मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अतः कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि 268482.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी श्री

कृष्ण कुमार दीक्षित वह ग्राम प्रधान रामदुलारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.268482.0 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

42-ग्राम पंचायत- गुधुरा

प्रस्तर संख्या 151 -कैशबुक में दर्शाए गए व्यय के अनुसार दिनांक 22-04 -19 से लेकर 29-7-19 तक में दर्शाए गए समस्त कार्यों से संबंधित व्यय वाउचर्स, निर्माण कार्य पत्रावलियां, व किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति, राजस्व स्वीकृति तथा मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि=708608.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मनोज उमराव एवं ग्राम प्रधान गया श्री को संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.708608.0 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

43-ग्राम पंचायत - पसेमा

प्रस्तर संख्या 152 -कैशबुक में दर्शाए गए व्यय के अनुसार दिनांक-02.04.2019 से लेकर 29-07-19 तक में दर्शाए गए समस्त कार्यों से संबंधित वे वाउचर्स निर्माण कार्य पत्रावलियां वह किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति राजस्व स्वीकृति तथा मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अतः कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि=739637.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार वह ग्राम प्रधान अजित सिंह को संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.739637.0 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

44-ग्राम पंचायत- उदयपुर

प्रस्तर संख्या 153-कैश बुक के अनुसार -- 02.04.2019 से लेकर 17.03.2020 तक दर्शाए गए सभी कार्यों से संबंधित वय वाउचर निर्माण कार्य पत्रावली व किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति, राजस्व स्वीकृत संबंधी अभिलेख तथा मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए तथा लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए एकमात्र अभिलेख कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर समस्त धनराशि=369473.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मनोज उमराव एवं ग्राम प्रधान रानी, संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

45-ग्राम पंचायत कमालपुर

प्रस्तर संख्या 154 -कैश बुक के अनुसार दिनांक 04-04-2019, वाउचर संख्या दो चेक संख्या-610493, से ग्राम सभा चुनाव बूथों में विद्युत वायरिंग हेतु रुपए=4650 वे किए गए संबंधित व वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। संबंधित ग्राम विकास अधिकारी ओम नारायण एवं ग्राम प्रधान राजेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 155 -कार्य-श्याम किशोर के घर के पास रिबोर, मे प्रतिवेदन प्रमाणपत्र में अवर ग्रामीण अभियंता प्रखंड कानपुर नगर विभाग के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं रहे तथा संबंधित मजदूरी भुगतान मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसमें मजदूरी संबंधित भुगतान व्यय धनराशि=29821.0 तथा सामग्री क्रय संबंधित धनराशि=22724.0 में व्यय किया जाना दर्शित है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में संबंधित कुल व्यय=57195.0 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने से समस्त धनराशि का गबन मानते हुए जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार व ग्राम सचिव श्री ओम नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.57195.0 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाई की जानी अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या-02)

46-ग्रामपंचायत- कीसाखेड़ा

प्रस्तर संख्या 156-कुल आहरण धनराशि=712493.25 के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान न तो कैशबुक प्रस्तुत की गई न तो इस व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक पत्रावलियां एवं अनिवार्य अभिलेख जैसे मस्टररोल,कार्यों के पूर्वनुमान लेखे,संबंधित कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,ग्रामसभा पंचायत का कार्यवाही रजिस्ट्रार,स्टॉक रजिस्ट्रार व सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्ट्रार इत्यादि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर समस्त आहरित धनराशि(712493.25) को गबन मानते हुए, प्रधान सुरेश सिंह वह ग्राम सचिव पीयूष सिंह को संयुक्त रूप से उत्तरदायी स्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु. 712493.25पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

47-ग्राम पंचायत -मोहम्मद घाटमपुर

प्रस्तर संख्या 157-कैशबुक में दर्शाए गए व्यय के अनुसार दिनांक 05-04-2019 से लेकर 01-01- 2020 तक में दर्शाए गए समस्त कार्यों से संबंधित व्यय वाउचर्स,निर्माण कार्य पत्रावलियां वह किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति,राजस्व स्वीकृति व मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए।कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि(193249.0)का गबन मानते हुए, संबंधित ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण कुमार दीक्षित व ग्राम प्रधान सूबेदार कुशवाहा को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु.193249.0पर ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

48-ग्राम पंचायत सिकहूला

प्रस्तर संख्या 158-कैशबुक में दर्शाए गए व्यय के अनुसार दिनांक 20-04-2019 से लेकर 14 08-19 तक में दर्शाए गए समस्त कार्यों से संबंधित व्यय वाउचर्स,निर्माण कार्य पत्रावलियां व किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति,राजस्व स्वीकृति, मजदूरी भुगतान संबंधित मस्टररोल इत्यादि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए कैशबुक के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध धनराशि=651672.0 का गबन मानते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी सूरज प्रताप सिंह ग्राम प्रधान रानी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध उपरोक्त राशि रु651672.00 पर ब्याज आकलित कर ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

49-ग्राम पंचायत - कुढनी

प्रस्तर संख्या 159 -14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत में कराए गए । लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख का निरीक्षण करने में सभी कार्यों में निम्नलिखित गंभीर आपतियाँ प्राप्त हुई ।

1. सभी मस्टररोल में कार्य होने की अवधि अथवा तिथि अंकित नहीं है जिसके कारण कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
2. सभी कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या -41 अपूर्ण है। कार्य के प्रारंभ होने की तिथि तथा समाप्त होने की तिथि अंकित नहीं है । सभी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है जिससे की कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
- 3.सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 41 पर अंकित सामग्री का विवरण प्रस्तुत फिजिकल वाउचर पर अंकित सामग्री के विवरण में अंतर होने के कारण पूर्ण कार्य संदिग्ध है ।
4. निम्नलिखित सभी कार्यों में त्रि स्तरीय फोटोग्राफ संलग्न नहीं की गई है जिससे कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपेक्षित रहा । सभी कार्यों का विवरण भुगतान सहित निम्नवत हैं तथा प्रस्तुत अभिलेख संलग्न हैं ।

कार्य पहचान संख्या	कार्य का विवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)

17468638	सार्वजनिक स्थल पर वॉल पेंटिंग	26310.00
17468617	संजय के घर से सुशील के घर तक नाली निर्माण कार्य	63562.00
17468670	मेन रोड से मदन पांडे के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	115701.00
17468649	हीरा के घर से राधेश्याम के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	79222.00
17468648	नरेन्द्र के घर से अखिलेश के घर तक नाली निर्माण कार्य	82604.00
17468658	कुआं से राकेश के घर तक पुलिया एवं नाली निर्माण कार्य	21659.00

योग : 389058.00 रुपए

उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपेक्षित रहा। सभी कार्यों का विवरण भुगतान सहित निम्नवत हैं तथा प्रस्तुत अभिलेख संलग्न हैं। उपरोक्त सभी भुगतान ग्राम पंचायत निधि बैंक अकाउंट संख्या एस बी। 31577539171 से किया गया है परन्तु उपरोक्त सभी कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण कुल भुगतान की धनराशि रुपए 389058.00 ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या 160-चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायत में कराए गए। लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख का निरीक्षण करने में सभी कार्यों में निम्नलिखित गंभीर आपतियाँ प्राप्त हुई।

1. सभी मस्टररोल में कार्य होने की अवधि अथवा तिथि अंकित नहीं है जिसके कारण कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. सभी कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या - 41 अपूर्ण है। कार्य के प्रारंभ होने की तिथि तथा समाप्त होने की तिथि अंकित नहीं है। सभी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है जिससे की कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3. सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 41 पर अंकित सामग्री का विवरण प्रस्तुत फिजिकल वाउचर पर अंकित सामग्री के विवरण में अंतर होने के कारण पूर्ण कार्य संदिग्ध है।
4. निम्नलिखित सभी कार्यों में त्रि स्तरीय फोटोग्राफ संलग्न नहीं की गई है जिससे कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

कार्य पहचान संख्या	कार्य का विवरण	भुगतान धनराशि (रुपए)
17468621	सामुदायिक केंद्र से पुलिया तक खड़जा निर्माण कार्य	192307.00

योग : 192307.00 रुपए

उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के सापेक्ष में ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपेक्षित रहा। सभी कार्यों का विवरण भुगतान सहित निम्नवत हैं तथा प्रस्तुत अभिलेख संलग्न हैं। उपरोक्त सभी भुगतान ग्राम पंचायत निधि बैंक अकाउंट संख्या एस बी। 31577539171 से किया गया है परन्तु उपरोक्त सभी कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण कुल भुगतान की धनराशि रुपए 192307.00 ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 161 -14वें वित्त आयोग के अंतर्गत हैंडपंप रिबोर के कार्य में कुल भुगतान धनराशि रुपए 169969.00 किया गया है परन्तु सम्बंधित हैंडपंप रिबोर के कार्य प्रस्तुत सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण है । सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है । सभी हैंडपंप रिबोर के कार्य में प्लेटफार्म निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं की गई । जो कि ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह द्वारा अपेक्षित रहा । सभी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं । ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पीयूष सिंह पर कार्यवाही अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या-06)

प्रस्तर संख्या 162 -चतुर्थ वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत कॉलोनी में गलियों तथा नालियों का सफाई कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष में कुल भुगतान धनराशि रुपये 30000/- वाउचर संख्या 4टी एच एफ सी /2019-20/पी /2 दिनांक 13/08/2019 श्रम के मद में नकद माध्यम से किया गया है । जो की गंभीर अनियमितता आता है । प्रस्तुत मस्टररोल भी अपूर्ण है जिसमें कार्य होने की तिथि/अवधि अंकित नहीं है । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र रूप पत्र संख्या 41 भी अपूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया गया है । ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव पर कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-04)

विकास खंड -बिल्हौर

1-ग्राम पंचायत- खजुरी

प्रस्तर संख्या 163-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के आलोच्य ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट एकाउन्ट के अनुसार रुपये 2809377 .00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः रुपये 2809377 .00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती नन्ही देवी एवं पंचायत सचिव श्री शिवपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं-01)

2-ग्राम पंचायत- बारामऊ

प्रस्तर संख्या 164-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के आलोच्य ग्रामपंचायत में चौदहवां वित्तआयोग से बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रुपये 389577.00 माह- अप्रैल 2019 से नवम्बर 2019 तक आहरित है।लेखापरीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग कर ने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अतः रुपये389577.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छेदीलाल एवं पंचायत सचिव श्री असीम सोनकर से कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

3-ग्राम पंचायत- बरौली

प्रस्तर संख्या 165- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के आलोच्य ग्राम पंचायत में चौदहवां वित्त आयोग से कैशबुक/बैंकस्टेटमेन्ट के अनुसार रुपये 951832.00 माह- अप्रैल 2019 से नवम्बर 2019 तक आहरित है।लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव को सूचना दी गई, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।अतःरुपये 951832.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शाशिमोहन एवं पंचायत सचिव श्री असीम सोनकर से कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

4-ग्रामपंचायत- बकोठी

प्रस्तर संख्या 166-लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है - वर्ष 2019-20 कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री के0बी0सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री यसेन्द्र सिंह द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री के0बी0 सिंह से रु.1558270.00 की ब्याज सहित वसूली के संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

5-ग्राम पंचायत - बैरा खानपुर

6-ग्राम पंचायत - ददिखा

7-ग्राम पंचायत - महिगवा

8-ग्राम पंचायत-खासपुर

वर्ष 2019-20 के कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री के0बी0सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कहने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये, परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आय व्यय के आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पादित करी गयी। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अभाव में वर्ष 2019-20 की बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में आहरित समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री के0बी0 सिंह से रु.43465.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01-04)

विकास खंड -घाटमपुर

1-ग्राम पंचायत : अज्योरी

प्रस्तर संख्या 171-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में मात्र कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध रहे। ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रुपये 65477.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु65477.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान राजकुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) राजकुमार मौर्य या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में, नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 172-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रुपये 273058.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु0 273058.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 136529.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान राजकुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) राजकुमार मौर्य या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

2- ग्राम पंचायत असगहा

प्रस्तर संख्या 173-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में केवल त्रुटिपूर्ण कैशबुक लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत द्वारा (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 97750.00 का व्यय दर्शित किया गया। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी। नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 97750.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान कुवर कंचन सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) केशरी चन्द्र या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में, नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया तथा कैशबुक में दर्शित वास्तविक आहरण अपुष्ट रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से

किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 174- ग्राम पंचायत द्वारा केवल त्रुटिपूर्ण कैशबुक लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत रही । ग्राम पंचायत द्वारा (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार)ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रुपये 546238.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 546238.00 में से तत्कालीन ग्राम प्रधान कुवर कंचन सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) केशरी चन्द्र या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में ,नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाहीअपेक्षित है ।बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया तथा वास्तविक आहरण अज्ञात रहा । ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

लेखा परीक्षा में अपेक्षित सहयोग न करने के कारण ग्राम निधियों से कराये गए कार्यों पर व्यय का भौतिक अभिलेखों से आवश्यक मिलान व व्यय के नियमानुसार होने की यथावश्यक समीक्षा न की जा सकी । तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

3-ग्राम पंचायत कुरसेड़ा

प्रस्तर संख्या 175-ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों में दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की जांच दौरान ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि में से रुपये 2954058.00 के शासनादेशों / वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) ,पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य अभिलेख व सूचनाएँ,कार्य के संपादित किये जाने सम्बन्धी अभिलेखीय प्रमाण भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । अतः उक्त व्यय की सत्यता ,वास्तविकता और वैधता की समीक्षा के सम्बन्ध में निम्न प्रमाणित सूचनाये अप्राप्त रही ---.

1. कार्ययोजना/कार्ययोजनाओं की स्वीकृति का दिनांक एवं प्रस्ताव संख्या	2. कार्य/कार्यों की आई.डी. एवं कार्य व कार्यस्थल का विवरण
3. तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	3. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक
4. कार्य प्रारम्भ की तिथि एवं कार्य समाप्त की तिथि	6. क्रीत सामग्री का विवरण (प्रमाणक संख्या /दिनांक ,फर्म का नाम एवं उसकी पंजीकरण संख्या , भुगतान का तरीका एवं दिनांक, कोटेशन/टेंडर की प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति इत्यादि)
5. अनुमानित लागत तथा वास्तविक व्यय तथा उनमें सामग्री एवं श्रमांश पर व्यय का पृथक पृथक विवरण	

उक्त समस्त बिन्दुओं की पुष्टि एवं प्रमाणिकता हेतु व्यय वाउचर , पत्रावलियाँ /सूचनाये /विवरण,तथा आय-व्यय के समस्त अभिलेखीय साक्ष्य आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण आहरित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या- 11, पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित बिन्दुओं पर लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं हुआ जा सका/ज्ञात नहीं किया जा सका कि -

(क) ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया, नियमावली के नियमों तथा संविधान के अनुच्छेदों के पूर्णतः अनुकूल रही हैं अथवा नहीं ।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है अथवा नहीं ।

(ग) ग्राम पंचायत ने न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय के अनुरूप भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं अथवा नहीं ।

(च) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय से संपादित किये गए कार्यों से अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित हुई है अथवा नहीं ।

नियमों में अपेक्षित लेखे नहीं रखे जा रहे हैं तथा मनमाने ढंग से धन आहरित/व्यय कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई जा रही है । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.2954058.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान वैदेही शरण या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (गा.पं./वि.अधिकारी) केशरी चन्द्र या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

4- ग्राम पंचायत दहिलर अव्वल

प्रस्तर संख्या 176-ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों में दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की जांच हेतु लेखा परीक्षा में मात्र त्रुटिपूर्ण कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किए गए तथा ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि में से रुपये 873551.00 के शासनादेशों / वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) ,पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य अभिलेख व सूचनाएँ,कार्य के संपादित किये जाने सम्बन्धी अभिलेखीय प्रमाण भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । अतः उक्त व्यय की सत्यता ,वास्तविकता और वैधता की समीक्षा के सम्बन्ध में निम्न प्रमाणित सूचनाये अप्राप्त रही ---.

1. कार्ययोजना/कार्ययोजनाओं की स्वीकृति का दिनांक एवं प्रस्ताव संख्या	2. कार्य/कार्यों की आई.डी. एवं कार्य व कार्यस्थल का विवरण
3. तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	3. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक
4. कार्य प्रारम्भ की तिथि एवं कार्य समाप्त की तिथि	6. क्रीत सामग्री का विवरण (प्रमाणक संख्या /दिनांक ,फर्म का नाम एवं उसकी पंजीकरण संख्या , भुगतान का तरीका एवं दिनांक, कोटेशन/टेंडर की प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति इत्यादि)
5. अनुमानित लागत तथा वास्तविक व्यय तथा उनमें सामग्री एवं श्रमांश पर व्यय का पृथक पृथक विवरण	

उक्त समस्त बिन्दुओं की पुष्टि एवं प्रमाणिकता हेतु व्यय वाउचर , पत्रावलियां /सूचनाये /विवरण,तथा आय-व्यय के समस्त अभिलेखीय साक्ष्य आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण आहरित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या -11, पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित बिन्दुओं पर लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं हुआ जा सका/ज्ञात नहीं किया जा सका कि -

(क) ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया, नियमावली के नियमों तथा संविधान के अनुच्छेदों के पूर्णतः अनुकूल रही हैं अथवा नहीं ।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है अथवा नहीं ।

(ग) ग्राम पंचायत ने न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय के अनुरूप भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं अथवा नहीं ।

(च) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय से संपादित किये गए कार्यों से अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित हुई है अथवा नहीं ।

प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.873551.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान गंगाराम या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी)राजकुमार मौर्य या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-01)

5- ग्राम पंचायत पडरी गंगादीन

प्रस्तर संख्या 177-ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न कार्यों में दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की जांच हेतु लेखा परीक्षा में मात्र त्रुटिपूर्ण कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किए गए तथा ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि में से रु.1406385.00के शासनादेशो /वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य अभिलेख व सूचनाएँ कार्य के संपादित किये जाने सम्बन्धी अभिलेखीय प्रमाण भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे । अतः उक्त व्यय की सत्यता ,वास्तविकता और वैधता की समीक्षा के सम्बन्ध में निम्न प्रमाणित सूचनाये अप्राप्त रही ---.

1. कार्ययोजना/कार्ययोजनाओं की स्वीकृति का दिनांक एवं प्रस्ताव संख्या	2. कार्य/कार्यों की आई.डी. एवं कार्य व कार्यस्थल का विवरण
3. तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	3. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक
4. कार्य प्रारम्भ की तिथि एवं कार्य समाप्त की तिथि	6. क्रीत सामग्री का विवरण (प्रमाणक संख्या /दिनांक ,फर्म का नाम एवं उसकी पंजीकरण संख्या , भुगतान का तरीका एवं दिनांक, कोटेशन/टेंडर की प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति इत्यादि)
5. अनुमानित लागत तथा वास्तविक व्यय तथा उनमें सामग्री एवं श्रमांश पर व्यय का पृथक पृथक विवरण	

उक्त समस्त बिन्दुओं की पुष्टि एवं प्रमाणिकता हेतु व्यय वाउचर , पत्रावलियाँ /सूचनाये /विवरण,तथा आय-व्यय के समस्त अभिलेखीय साक्ष्य आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण आहरित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या -11,पर उल्लिखित बिन्दुओं पर लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं हुआ जा सका/ज्ञात नहीं किया जा सका कि -

(क) ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया, नियमावली के नियमों तथा संविधान के अनुच्छेदों के पूर्णतः अनुकूल रही हैं अथवा नहीं ।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है अथवा नहीं ।

(ग) ग्राम पंचायत ने न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय के अनुरूप भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं अथवा नहीं ।

(च) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय से संपादित किये गए कार्यों से अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित हुई है अथवा नहीं ।

प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये1406385.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान हेमा या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) केशरी चन्द्र या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

6- ग्राम पंचायत बीबीपुर

प्रस्तर संख्या 178-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में मात्र त्रुटिपूर्ण कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध रहे । ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) रु.518095.00

का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु 518095.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान शंभू दयाल या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) राजकुमार मौर्य या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 179-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.1229040.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में दर्शित व्यय नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1229040.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान शंभू दयाल या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) राजकुमार मौर्य या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

7- ग्राम पंचायत मऊनखत

प्रस्तर संख्या 180-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.14000.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.14000.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान सुमन देवी तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संजय मिश्रा या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 181-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.29629.50 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 29629.50 में तत्कालीन ग्राम

प्रधान सुमन देवी तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संजय मिश्रा या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति संख्या-02)

8- ग्राम पंचायत मेहर अलीपुर

प्रस्तर संख्या 182- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.205964.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.205964.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान राम स्वरूप या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) केशरी चन्द्र या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 183 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.1474572.40 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) ,मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1474572.40 से तत्कालीन ग्राम प्रधान राम स्वरूप या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) केशरी चन्द्र या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल

आपति संख्या-02)

9- ग्राम पंचायत रैपुरा

प्रस्तर संख्या 184- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु. 204562.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) ,मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) रु.204562.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान असर्फी लाल तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संजय मिश्रा या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 185-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14th वित्त आयोग मद से रु.864831.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के

वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) रुपये 864831.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री असर्फी लाल तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संजय मिश्रा या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपति संख्या-02)

10-ग्राम पंचायत चौबेपुर

प्रस्तर संख्या 186-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.129810.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.129810.00से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 187-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.220990.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 220990.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपति संख्या-02)

11-ग्राम पंचायत चिल्ली

प्रस्तर संख्या 188-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.243891.00का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु. 243891.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री निरंजन तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय

के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 189 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.330877.80 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.330877.80 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री निरंजन तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

12-ग्राम पंचायत गढोलामऊ

प्रस्तर संख्या 190-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.19900.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 19900.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्यामा तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 191-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.13050.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 13050.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्यामा तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

13-ग्राम पंचायत गडाथा

प्रस्तर संख्या 192-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 226949.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण) , मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि

के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 226949.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान सुमन तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 193-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रुपये 609152.80 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.609152.80 से तत्कालीन ग्राम प्रधान सुमन तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

14-ग्राम पंचायत जुरैया

प्रस्तर संख्या 194-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.166800.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 166800.00 से ग्राम प्रधान प्रेम कुमार तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) गोविंद सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 195-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रुपये 407927.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 407927.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रेम कुमार तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) गोविंद सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल

आपति संख्या-02)

15-ग्राम पंचायत कोटरा

प्रस्तर संख्या 196-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार)ग्राम निधि प्रथम के 14th वित्त आयोग मद से रु.172030.00का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न किया जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार)दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 172030.00 से ग्राम प्रधान श्री सूबेदार सिंह तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी)श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो,से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

16-ग्राम पंचायत रहटी खालसा

प्रस्तर संख्या 197-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार)ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.297403.00का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 297403.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में , नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 198- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार)ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.431631.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार)दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 431631.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी)श्री आशीष सिंह या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

17-ग्राम पंचायत शाखा जनवारा

प्रस्तर संख्या 199-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार)ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु.71190.00 का व्यय दर्शित किया गया है । उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 71190.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री साहूकार तथा शेष सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 200-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु.499881.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 499881.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री साहूकार तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

18-ग्राम पंचायत श्रीनगर

प्रस्तर संख्या 201-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 167917.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.167917.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान निक्की देवी से तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 202-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रु. 949870.80 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु. 949870.80 में तत्कालीन ग्राम प्रधान निक्की देवी से तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

19-ग्राम पंचायत मवई भच्छन

प्रस्तर संख्या 203-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रु. 99725.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के

नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 99725.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान रणधीर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) राजकुमार मौर्य या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 204-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रुपये 1041477.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1041477.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान रणधीर या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) राजकुमार मौर्य या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

20-ग्राम पंचायत सरईया

प्रस्तर संख्या 205-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त मद से रुपये 172035.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रु.172035.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से तथा सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में, नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 206-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद से रुपये 853915.80 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 853915.80 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से तथा सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आलोक कुमार या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय

के लिए अधिकृत रहा/रहे हो, से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-02)

विकास खंड विधन

1-ग्राम पंचायत-जमरेही

प्रस्तर संख्या 207-पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 की गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थान पर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर मे० यश इंटर प्राइसेस फर्म को रु. 199500.00 भुगतान दशाया गया है। दर्शाये गए व्यय के सबध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र स.33/2017/977/45-वि /2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा आधारित संयंत्रों के मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजसी-यूपी नेडा से कराये जाने के निर्देश है। ग्राम प्रधान और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सबधी समस्त औपचरिकताएं पूर्ण किए जाने संबंधी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। अतः धनराशि 199500.00 का बिल प्रमाणक अप्रस्तुत रहने से व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराशि 199500.00 रु अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली, धनराशि 199500.00 रु ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 208- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणक विहीन भुगतान किया गया है :-

1. दलन पुर में मुंशीलाल के घर से सेवक के घर तक इन्टरलॉकिंग मजदूरी रु 7780.00

2. दलन पुर में मुंशीलाल के घर से सेवक के घर तक इन्टरलॉकिंग सामग्री रु 147054.00

कुल धनराशि रु 154834.00 उक्तानुसार अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली, ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा तिवारी तथा श्री कृपा शंकर वर्मा से किए जाने व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति संख्या-04)

2-ग्राम पंचायत-इमलीपुर

प्रस्तर संख्या 209-पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 की गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थान पर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर मे० यश इंटर प्राइसेस फर्म को रु.42000.00 का भुगतान दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय के सबध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र स. 33/2017/977/45-वि /2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा आधारित संयंत्रों के मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजसी-यूपी नेडा से कराये जाने के निर्देश है। ग्राम प्रधान और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सबधी समस्त औपचरिकताएं पूर्ण किए जाने संबंधी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। अतः धनराशि रु. 199500.00 का बिल प्रमाणक अप्रस्तुत रहने से व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराशि रु 42000.00 अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज राजपूत व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा तिवारी से किए जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 210-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणक विहीन भुगतान किये गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. साई इंटर प्राइसेस को डस्टिबन हेतु रु 122550.00,

2. गया प्रसाद के घर से शांता के घर तक इंटरलॉकिंग मजदूरी रु 17780.00

3.मिन्ना के घर से सड़क तक इंटरलॉकिंग मजदूरी	रु 22684.00
4.प्रा0 वि0 इमलीपुर मे इंटरलॉकिंग मजदूरी	रु 26360.00
5. प्रा0 वि0 इमलीपुर मे इंटरलॉकिंग ईट	रु 134874.00
6. मिन्ना के घर से सड़क तक इंटरलॉकिंग ईट	रु 70446.00
7 मिन्ना के घर से सड़क तक इंटरलॉकिंग ईट	रु 33679.00
8. संतोष त्रिपाठी के घर से गंगाराम के घर तक कार्य हेतु ईट	रु 58032.00
9. संतोष त्रिपाठी के घर से गंगाराम के घर तक मैंटेरियल	रु 31027.00
10. रोड से सेवक के घर तक इंटरलॉकिंग ईट	रु 47200.00
11. रोड से सेवक के घर तक मैंटेरियल	रु 34946.00
12. रोड से सेवक के घर तक इंटरलॉकिंग ईट	रु 47200.00
13. रोड से सेवक के घर तक इंटरलॉकिंग ईट	रु 42480.00
14. रोड से सेवक के घर तक इंटरलॉकिंग ईट	रु 39412.00
15. रोड से सेवक के घर तक मैंटेरियल	रु 43727.00
16. रोड से सेवक के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य मजदूरी	रु 84720.00

कुल धनराशि रु 857117.00 उक्तानुसार अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज राजपूत व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा तिवारी से किए जाने व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति संख्या-02)

3-ग्राम पंचायत- नगवां

प्रस्तर संख्या 211-पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 की गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थान पर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर मे० साई इंटर प्राइसेस फर्म को 195966.00रु मे० यश इंटर प्राइसेस फर्म को 84000.00रु का भुगतान दर्शाया गया है। दर्शाये गए व्यय रु 279966.00के सबध में कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया । अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र स.33/2017/977/45-वि /2017 दिनांक 29अगत 2017 के गाइडलाइन के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा आधारित संयंत्रों के मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजसी-यूपी नेडा से कराये जाने के निर्देश है। ग्राम प्रधान और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सबधी समस्त औपचरिकताएं पूर्ण किए जाने संबंधी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। अतः धनराशि रु.279966.00का बिल प्रमाणक अप्रस्तुत रहने से व्यय अपुष्ट रहा अपुष्ट धनराशि रु 279966.00अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विक्रान्त वर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 212- आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणक विहीन भुगतान निम्नवत किया गए हैं :-

1-साई इंटर प्राइसेस को फॉग मसीन हेतु	रु 11760.00 ,
2-धीरज के घर से सिपाहीलाल के घर तक इंटरलॉकिंग मजदूरी	रु 30780.00
3-धीरज के घर से सिपाहीलाल के घर तक इंटरलॉकिंग सामग्री	रु 37360.00
4-प्रा0 वि0 नगवां मे वाइरिंग सामग्री	रु 7260.00
5-निविदा प्रकाशन	रु 12421.00
6-बड़ेलाल के घर से अशोक के घर तक इंटरलॉकिंग मजदूरी	रु 72920.00
7-बड़ेलाल के घर से अशोक के घर तक इंटरलॉकिंग सामग्री	रु 155878.00
8-श्यामू के घर से संजय के घर तक इंटरलॉकिंग मटेरियल	रु 16144.00+22843.00
9-श्यामू के घर से संजय के घर तक इंटरलॉकिंग मजदूरी	रु 34260.00

10-पप्पू के घर से प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग मटेरियल	रु 127086.00
11-पप्पू के घर से प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग मजदूरी	रु 58260.00
12-मुन्ना के घर से के पी के घर तक इंटरलॉकिंग ईट	रु 70800.00
13-मुन्ना के घर से के पी के घर तक इंटरलॉकिंग मजदूरी	रु 14920.00
14-खेलकूद का सामान	रु 11200.00

कुल धनराशि रु 683892.00 उक्तानुसार अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विक्रान्त वर्मा व ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा तिवारी से किए जाने व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपति संख्या-05)

4-ग्राम पंचायत- न्योरी

प्रस्तर संख्या 213-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट /ई ग्राम स्वराज की वेबसाईट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

1-बैंक चार्ज	रु 135.70
2-आनेरेरीअम	रु 31500.00
3-डेवलपमट एड मेटीनस वक	रु 38000.00
4-वाटर सलाई एड सैनिटेशन	रु 19900.00
5-पंचायती राज प्रोग्राम	रु 332229.00
6-अदर एसपेनडीचर	रु 29360.00
7-कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर	रु 27000.00
8-डेवलपमेंट एड मेटीनस वक	रु 394895.00
9-कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड/ब्रिज	रु 164842.00
10-भूमि अधिग्रहण(रोड अथवा पुल)	रु 59600.00
11-ऐडमिनिस्ट्रेटिव एसपेनडीचर	रु 10000.00

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित / व्यय धनराशि रु 1107461.70 से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र ,प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । संभव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव मे व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी।

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 1107326.00(बैंक चार्ज छोड़कर) अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक रूप से तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अरुण कुमार व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 214-वर्ष 2019-20के अभिलेख ग्राम पंचायत प्रधान श्री अरुण कुमार व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से लिखित व मौखिक रूप से कहने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराये गए ,परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20की प्रिया साफ्ट में अंकित प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि की जांच मूल अभिलेख व वाउचर से ना की जा सकी । पुष्टि के अभाव मे समस्त व्यय धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अरुण कुमार व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से धनराशि रु 1107326.00(बैंक चार्ज छोड़कर)से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-04)

5-ग्राम पंचायत- सीढी

प्रस्तर संख्या 215-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट /ई ग्राम स्वराज की वेबसाईट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

1-डेवलपमेंट एंड मेट्रीनस	रु 184257.00
2-वाटर सलाई एंड सैनिटेशन	रु 115738.00
3-वाटर सलाई एंड सैनिटेशन	रु 50761.00
4-पंचायती राज प्रोग्राम	रु 121098.00
5-अदर एसपेनडीचर	रु 65529.00
6-कम्युनिटी हेल्थ सेंटर	रु 79480.00
7-डेवलपमेंट एंड मेट्रीनस वर्क	रु 97920.00
8-कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड/ब्रिज	रु 548996.00
9-ऐडमिनिस्ट्रेटिव एसपेनडीचर	रु 182028.00
10-ऐडमिनिस्ट्रेटिव एसपेनडीचर	रु 58500.00
11-ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स	रु 27294.00
12-ग्राम पंचायत प्रोग्राम	रु 1410221.00

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित / व्यय धनराशि रु 2941822.00 से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र ,प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । संभव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव मे व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी।

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 2941822.00(बैंक चार्ज छोड़कर) अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अंजू सिंह व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 216-वर्ष 2019-20के अभिलेख ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अंजू सिंह व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से लिखित व मौखिक रूप से कहने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराये गए ,परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 -20 की प्रिया साफ्ट में अंकित प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि की जांच मूल अभिलेख व वाउचर से ना की जा सकी । पुष्टि के अभाव मे समस्त व्यय धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अंजू सिंह व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से धनराशि रु 2941822.00(बैंक चार्ज छोड़कर)से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-04)

6-ग्राम पंचायत- कठेरुआ

प्रस्तर संख्या 217-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट /ई ग्राम स्वराज की वेबसाईट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

1-बैंक चार्ज	रु 153.40
2-आनरेरीयम	रु 31500.00
3-वाटर सलाई एंड सैनिटेशन	रु 14000.00
4-वाटर सलाई एंड सैनिटेशन	रु 23500.00
5-पंचायती राज प्रोग्राम	रु 421591.00
6-अदर एसपेनडीचर	रु 54000.00
7-कम्युनिटी हेल्थ सेंटर	रु 408680.00

8-कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड/ब्रिज	रु 201291.00
9-ऐडमिनिस्ट्रेटिव एसपेनडीचर	रु 39400.00
10-ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स	रु 18000.00
11-ग्राम पंचायत प्रोग्राम	रु 264199.00
12-आनेरेरीअम	रु 14000.00

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित /व्यय धनराशि रु1629184.40 से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्ययोजना,स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक,बिल/वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । संभव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव में व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी।

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 1629031.00(बैंक चार्ज छोड़कर)अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक व तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रानी शुक्ला व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 218-वर्ष 2019 -20 के अभिलेख ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रानी शुक्ला व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से लिखित व मौखिक रूप से कहने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराये गए ,परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 -20 की प्रिया साफ्ट में अंकित प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि की जांच मूल अभिलेख व वाउचर से ना की जा सकी । पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रानी शुक्ला व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से धनराशि रु 1629031.00 (बैंक चार्ज छोड़कर) से अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक व संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-04)

7-ग्राम पंचायत-कठारा

प्रस्तर संख्या 219-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट/ई ग्राम स्वराज की वेबसाईट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

1-बैंक चार्ज	रु 154.40
2-आनेरेरीअम	रु 28000/-
3-कैटल डिवैलप/एनिमल हसबैंडरी	रु. 330830/-
4-डेवलपमेंट एंड मेट्रीनस वर्क	रु 137840/-
5-वाटर सलाई एंड सैनिटेशन	रु 104000/-
6-पंचायती राज प्रोग्राम	रु 172924.30
7-अदर एसपेनडीचर	रु 52000/-
8-कम्यूनिटी हेल्थसेंटर	रु 108740/-
9-डेवलपमेंट एंडमेट्रीनस वर्क	रु 2600.00
10-कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड/ब्रिज	रु 2420128.00
11-ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स	रु 305130.00
12-ग्राम पंचायत प्रोग्राम	रु.1092168.00

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित / व्यय धनराशि रु 4754513.70 से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक,बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । संभव है कि बैंक खाते से धनराशि का

आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव में व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु.4754360.00(बैंक चार्ज छोड़कर) अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक रूप से तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सीमा व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से रु.4754360.00(बैंक चार्ज छोड़कर)की ब्याज सहित वसूली (50-50%)2377180.00 प्रति व्यक्ति किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

8-ग्राम पंचायत-शंभुवा

प्रस्तर संख्या 220-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट/ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

- 1-बैंक चार्ज धनराशि रु 230.10
- 2-आनेरेरीअम धनराशि रु 31500.00
- 3-डेवलपमेंट एड मेटीनस वर्क धनराशि रु 73500.00
- 4-वाटर सलाई एड सैनिटेशन धनराशि रु 118697.00
- 5-पंचायती राज प्रोग्राम धनराशि रु 914915.00
- 6-अदर एसपेनडीचर धनराशि रु 73800.00
- 7-कम्यूनिटी हेल्थसेंटर धनराशि रु 929768.00
- 8-डेवलपमेंट एडमेटीनस वर्क धनराशि रु 29000.00
- 9-रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रु.334450.00
- 10-ड्रिलिंग औफ ट्यूबवेल रु 176260.00
- 11-ग्राम पंचायत प्रोग्राम रु.850580.00
- 12.एकुइसेशन औफ लैंड फॉर रोड /ब्रिज रु739250.00.

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित / व्यय धनराशि रु 4376610.10 से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक,बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । संभव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव में व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी।

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु.4376380.00(बैंक चार्ज छोड़कर) अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक रूप से तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती राज कुमारी व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से रु.4376380.00(बैंक चार्ज छोड़कर)की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

9-ग्राम पंचायत-कडरी चंपतपुर

प्रस्तर संख्या 221-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट/ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

- 1-बैंक चार्ज धनराशि रु 75.12
- 2-आनेरेरीअम धनराशि रु 31500.00
- 3- एकुइसेशन औफ लैंड फॉर रोड /ब्रिज रु 54350.00
- 4-डेवलपमेंट एड मेटीनस वर्क धनराशि रु 68920.00
- 5-वाटर सलाई एड सैनिटेशन धनराशि रु 397854.00

6-अदर एसपेनडीचर धनराशि	रु 27070.00
7-कम्यूनिटी हेल्थसेंटर धनराशि	रु 212288.00
8-कन्स्ट्रक्शन ऑफ़ रोड/ब्रिज धनराशि	रु 100255.00
9-ड्रिल्लिंग ऑफ़ ट्यूबवेल	रु 53960.00
10-ग्राम पंचायत प्रोग्राम	रु.259643.00

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित /व्यय धनराशि रु 1206515.12 से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,एम0बी0,कैश बुक,पासबुक,बिल/वाउचर ,मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । संभव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव में व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु1206440.00(बैंक चार्ज छोड़कर)अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक रूप से तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सपना चतुर्वेदी व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से रु1206440.00(बैंक चार्ज छोड़कर)की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

10-ग्राम पंचायत- देहली उजागर

प्रस्तर संख्या 222-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट/ई ग्राम स्वराज की वेबसाईट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

1-बैंक चार्ज धनराशि	रु 1153.40
2-आनेरेरीअम धनराशि	रु 31500.00
3-एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेनडीचर	रु.73780.00
5-वाटर सलाई एड सैनिटेशन धनराशि	रु 58500.00
6-पंचायती राज प्रोग्राम धनराशि	रु 192750.00
7-अदर एसपेनडीचर धनराशि	रु 20070.00
8-कम्यूनिटी हेल्थसेंटर धनराशि	रु 126230.00
9-डेवलपमेंट एडमिटीनेंस वर्क धनराशि	रु 2600.00
11-ड्रिल्लिंग ऑफ़ ट्यूबवेल	रु 133500.00

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित / व्यय धनराशि रु 636330.00(बैंक चार्ज छोड़कर) से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक,बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र , प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । संभव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव में व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी।

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 636330.00(बैंक चार्ज छोड़कर)अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक रूप से तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री विक्रम सिंह व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से रु.636330.00(बैंक चार्ज छोड़कर)की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

11-ग्राम पंचायत- ढरहरा

प्रस्तर संख्या 223-ग्राम पंचायत द्वारा प्रियसाफ्ट/ई ग्राम स्वराज की वेबसाईट पर ऑनलाइन निम्न कार्यों का संपादन व भुगतान दर्शाया गया है -

1-बैंक चार्ज धनराशि	रु 238.94

2-आनेरेरीअम धनराशि	रु 28000.00
3-एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेनडीचर	रु.39054.00
4-ग्रामीण विद्युतीकरण	रु.188529.00
5- एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेनडीचर	रु.12700.00
6-पंचायती राज प्रोग्राम धनराशि	रु 254278.00
7-अदर एसपेनडीचर धनराशि	रु 14400.00
9-डेवलपमेंट एडमिनीनेस वर्क धनराशि	रु 2600.00

परंतु उक्त ऑनलाइन अंकित / व्यय धनराशि रु 539799.94से संबंधित कोई भी ऑफलाइन अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैश बुक, पासबुक,बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाणपत्र , प्रधान मानेदय रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत कर मिलान नहीं कराया गया। किसी भी कार्य का व्यय वाउचर अप्राप्त रहा,जिससे दर्शित व्यय की जांच ना की जा सकी व व्यय अपुष्ट रहा । सभव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेख के अभाव मे व्यय की सत्यता की जांच न की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 539561.00(बैंक चार्ज छोड़कर)अपहरण /गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अद्यतन ब्याज सहित समानुपातिक रूप से तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी व वर्तमान ग्राम पंचायत/विकास सचिव श्री पुनीत मिश्रा से रु539561.00(बैंक चार्ज छोड़कर)की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

विकासखंड शिवराजपुर

1-ग्राम पंचायत सिकंदरपुर

प्रस्तर 224-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत कुल धनराशि रुपए 68057.00 खर्च की गई। जिससे संबंधित लेखा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए । जो वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय 8 का प्रस्तर 8 की प्रतिकूल रहा । जिसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि वर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर 225-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के तहत कुल धनराशि रुपए 973195.00 खर्च की गई है। जिससे संबंधित लेखा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय 8क प्रस्तर 8 के प्रतिकूल रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि वर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

2-ग्राम पंचायत - सैलहा

प्रस्तर 226-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट अकाउंट के अनुसार रुपए 71960.00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त विषय से संबंधित व्यय प्रमाणिक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दी गई । परंतु पंचायत सचिव द्वारा संबंधित व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2) के प्रस्तर (क) से(ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है । अतः धनराशि रुपए 71960.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं पंचायत सचिव श्री राजकमल कटियार से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट अकाउंट के अनुसार रुपए 1842668.00 आहरित है। अतः धनराशि रुपए 1842668.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया

गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं पंचायत सचिव श्री राजकमल कटियार से ब्याज सहित कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल

आपति संख्या-02)

3-ग्राम पंचायत -टकटोली

प्रस्तर संख्या 227-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट अकाउंट के अनुसार रुपए 460250.00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त विषय से संबंधित व्यय प्रमाणिक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दी गई। परंतु पंचायत सचिव द्वारा संबंधित व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः धनराशि रुपए 460250.00का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं पंचायत सचिव श्री महावीर प्रसाद कुरील से ब्याज सहित दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 228 -लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट अकाउंट के अनुसार रुपए 2739451.00 आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त विषय से संबंधित व्यय प्रमाणिक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दी गई । परंतु पंचायत सचिव द्वारा संबंधित व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256(2)के प्रस्तर(क)से(ड) एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है । अतः धनराशि रुपए 2739451.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं पंचायत सचिव श्री महावीर प्रसाद कुरील से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

4-ग्राम पंचायत - बसेन

प्रस्तर संख्या 229-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट अकाउंट के अनुसार रुपए 195500.00आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त विषय से संबंधित व्यय प्रमाणिक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दी गई। परंतु पंचायत सचिव द्वारा संबंधित व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः धनराशि रुपए 195500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विनीत एवं पंचायत सचिव सुश्री दीपा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 230 -लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20में 14वें वित्त आयोग से प्रिया सॉफ्ट अकाउंट के अनुसार रुपए 547021.00आहरित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त विषय से संबंधित व्यय प्रमाणिक एवं अन्य अभिलेख की बार-बार मांग करने एवं पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दी गई । परंतु पंचायत सचिव द्वारा संबंधित व्यय की धनराशि की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः धनराशि रुपए 547021.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। ग्राम प्रधानश्रीमती विनीत एवं पंचायत सचिव सुश्री दीपा से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

5-ग्राम पंचायत - दहारद्वपुर

प्रस्तर संख्या 231-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत कुल धनराशि रुपए 79530.00खर्च की गई। जिससे संबंधित लेखा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय 8 का प्रस्तर 8 की प्रतिकूल रहा । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि वर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

प्रस्तर संख्या 232- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के तहत कुल धनराशि रुपए 531026.00 खर्च की गई है। जिससे संबंधित लेखा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के प्रतिकूल रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि वर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-02)

6-ग्राम पंचायत -भैंसऊँ

प्रस्तर संख्या 233- ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विविध स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कराए गए कार्यों से संबंधित कार्यादेश निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं किए गए हैं। निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं दिनांक अंकित की गई है। नियमानुसार संबंधित कार्य देश भी निर्माण पत्रावली में संलग्न किए जाने चाहिए। आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण अनुसार हैंडपंप मरम्मत हेतु व्यय किया गया है।

संस्था का नाम	धनराशि	बिल संख्या/ दिनांक
श्याममशीनरीस्टोर	16790.00	2283/07.01.2020
न्यू खान इंटरप्राइजेज।	19000.00	100/---
श्याम मशीनरी स्टोर	17345.00	2698/03.03.2019

उपरोक्त सभी हैंडपंप मरम्मत के कार्यों में कार्यादेश संलग्न नहीं हैं। ना ही कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या अंकित की गई है। हैंडपंप मरम्मत का काम ग्राम पंचायत में किन स्थानों पर कराया गया है इससे संबंधित सूची एवं ग्रामवासियों के हैंडपंप मरम्मत से संबंधित प्रार्थना पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं किए गए हैं समस्त कार्य एवं इससे संबंधित भुगतान रु.53135.00 अनियमित रहा। तत्कालीन ग्रामप्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 234-चतुर्थ राज्य वित्त योजना अंतर्गत वॉल पेंटिंग का कार्य ग्राम पंचायत भैंसों में कार्य आईडी संख्या। 18388733 द्वारा 1/66 कराया गया है। इससे संबंधित व्यय प्रमाण विजय पेंटर के नाम से धनराशि रुपए 16968.00 एवं धनराशि रुपए 8400.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। परन्तु कार्य से संबंधित कार्यादेश एवं अनुमोदन पत्रावली तथा कार्य की फोटो लेखा परीक्षा में संलग्न नहीं किए जाने से। कार्य कराए जाने की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। तत्कालीन ग्रामप्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर प्रयुक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या 235-आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है। जिससे संबंधित। व्यय प्रमाणक, एमएस खान इंटरप्राइजेज का टैक्स इनवॉयस संख्या 291/27.03.2020 धनराशि रुपए 105500.00 लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री क्रय हेतु प्रस्तुत किया गया है। निर्माण कार्य से संबंधित एमबी बुक एवं एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत धनराशि रुपए 3.50 लाख दर्शाई गई है। निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि एवं समाप्ति की तिथि कार्यपूति प्रमाणपत्र में नहीं दर्शाए जाने के कारण एवं निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा अपूर्ण है, जबकि एमबी में डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट अंकित किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में मात्र धनराशि रुपए 105500.00 का ही व्यय प्रमाण प्रस्तुत किया गया एवं कोई भी मस्टररोल प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि निर्माण कार्य कराया गया है। अतः निर्माण कार्य का पर व्यय की पुष्टि न होने के कारण व्यय की धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है (मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या 236-14 वें वित्त योजना अंतर्गत रामपाल के घर से चलेया तालाब तक नाली निर्माण का कार्य। तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या। 08/10.12.2019 द्वारा कराया गया है। इसके कुल भुगतान की धनराशि रु. 80226.00 दर्शाई

गई है तथा कार्य की आईडी संख्या 18388712 है। एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में दर्शाई गई कराए जाने वाले कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत किए गए एमएस खान इंटरप्राइज के बिल संख्या 185/30.12.2019 में काफी अंतर रहा तथा पत्रावली में संलग्न की गई एमबी बुक में भी एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के सापेक्ष निर्माण कार्य में विचलन पाया गया है।

कार्य का नाम/ मात्रा	एब्सट्रैक्ट कॉस्ट में	एम बी में	प्रस्तुत बिल में
अर्थ वर्क इन कटिंग एंड एम्बंकमेंट	53.76 सी यू एम्	33.02 सी यू एम्	33.02 सी यू एम्
12 मि.मी. थिक प्लास्टर	173.36 एस क्यू एम् टी	116.93 एस क्यू एम् टी	35.76 एस क्यू एम् टी
फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विथ सीमेंट	25.81 सी यू एम्	17.88 सी यू एम्	8.00 सी यू एम्

उपरोक्त की तुलना से यह स्पष्ट है कि एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट एमबी एवं प्रस्तुत बिल में कराए गए निर्माण कार्य में कितना अंतर है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए एवं संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। जिला पंचायतराज अधिकारी का ध्यान इस अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या 237-14 वे वित्त अन्तर्गत 'पद्मकांत से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य' तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 03/03.09.2019 द्वारा अनुमानित लागत 1.35 लाख हेतु कराया गया। कार्य की आईडी संख्या 18388719 है। निर्माण कार्य के एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट प्रस्तुत बिल एवं एमबी में कराए गए निर्माण कार्य की मात्रा में एवं सामग्री में अंतर पाया गया। अतः निर्माण कार्य की जांच कराते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए एवं तत्कालीन सचिव व ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-16)

प्रस्तर संख्या 238-14 वे वित्त अन्तर्गत विमलेश से राकेश के घर तक कार्य आईडी संख्या 11661790 द्वारा इंटरलॉकिंग कार्य तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 73/15.07.2018 12। अनुमानित लागत धनराशि रुपए 2.48 लाख हेतु कराया गया। जिसमें से धनराशि रु.71524.00 भुगतान निर्माण सामग्री हेतु तथा धनराशि रुपए 24228.00 का भुगतान श्रमांश हेतु किया गया है। निर्माण कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत एमएस खान इंटरप्राइज केबिल, एसटी ऐक्ट ऑफ कॉस्ट एवं एमबी में कराए गए निर्माण कार्य की मात्रा एवं सामग्री में अंतर दृष्टिगत होता है। अतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए एवं संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-17)

7-ग्राम पंचायत - महाराज नगर

प्रस्तर संख्या 239-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रशासनिक व्यय से संबंधित धनराशि रुपये 19850.00 (रुपए 4950+रुपये 6750.00+रुपए 8150.00) से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। यह वित्तीय अनियमितता ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान की अगंभीरता को दर्शाता है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या 240-लेखा परीक्षा में कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.2019 को प्रारंभिक अवशेष की धनराशि रुपए 306076.50 बैंक स्टेटमेंट तथा कैशबुक में दर्शाई गई है जबकि प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2019 को प्रारंभिक शेष की धनराशि रुपये 188200.00 दर्शित रही। इस प्रकार प्राप्त हो रहे अंतर की धनराशि रुपए 117876.50 के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या 241-ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विविध स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत का कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कराए गए कार्यों से संबंधित कार्यादेश निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं किए गए हैं। निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं दिनांक अंकित की गई है। नियमानुसार संबंधित कार्यादेश भी निर्माण पत्रावली में संलग्न किए जाने चाहिए।

हैंडपंप रीबोर 14वें वित्त आयोग अंतर्गत की अनुमोदन पत्रावली/कार्यादेश तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र संलग्न नहीं की गई है जबकि इससे संबंधित व प्रमाणक धनराशि रुपए 14400.00 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुमोदन पत्रावली प्रस्तुत की जानी अपेक्षित रहे। कार्यादेश एवं अनुमोदन पत्रावली प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

हैंडपंप मरम्मत कार्य 14वें वित्त आयोग अंतर्गत व्यय प्रमाणक सामग्री खरीद की धनराशि रुपए 16292.00 श्रीजी वाटर पंप कंपनी सम्बंधित बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया किंतु इससे संबंधित अनुमोदन पत्रावली/ कार्यादेश लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। जिससे कि भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि की जा सके।

चतुर्थ वित्त आयोग अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत के कार्य से संबंधित श्रीजी वाटर कंपनी का बिल व्यय प्रमाण धनराशि रुपए 16232.00 लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में व्यय की धनराशि रुपए 16232.00 के स्थान पर धनराशि रुपए 16532.00 दर्शाई गई है। अंतर की धनराशि रुपए 300.00 संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि व्यय की धनराशि संलग्न बैंक स्टेटमेंट में भी दिनांक 07.03.2020 को रुपए 16532.00 भुगतान दर्शाया गया है।

14वें वित्त योजना अंतर्गत हैंडपंप रीबोर की मजदूरी की धनराशि रुपए 14400.00 मिस्त्री प्रकाश को दी गई ऐसा संलग्न कार्यपूर्ति में दर्शाया गया है जबकि निर्माण सामग्री खरीद की धनराशि रुपए 20600.00/दिनांक 23.07.2019 चेक संख्या 948246 द्वारा भुगतान दर्शाया गया है किंतु इससे संबंधित व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 242-चतुर्थ वित्त आयोग अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर में मरम्मत एवं सुंदरीकरण का कार्य कराया गया जिसकी वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति संख्या 01/01.12.2019 हैं तथा अनुमानित लागत की धनराशि रुपए 1.92 लाख संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है। निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री खरीद का बिल धनराशि रुपए 83028.00 दिनांक 07.03.2020 को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा बैंक स्टेटमेंट में दर्शाया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अपूर्ण होने के कारण कार्य के समाप्ति की तिथि की जानकारी नहीं की जा सकी। अतः निर्माण कार्य भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में संलग्न नहीं रहे जिससे निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की जानकारी की जा सके। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-17)

8-ग्राम पंचायत - दिलीप नगर

प्रस्तर संख्या 243-ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से संबंधित विवरण योजनाओं व ग्रांट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी प्राप्त अनुदानों से संबंधित एकीकृत लेखा प्रणाली सत्यापित नहीं की जा सकी जिससे यह पता चल सके कि ग्राम पंचायत को वर्ष में सभी योजना अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया तथा कितना अवशेष हैं मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन की कैश बुक नहीं प्रस्तुत की गई है ग्राम निधि प्रथम में प्राप्त राज्य व केंद्र का ब्योरा ग्रांट रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका अन्य योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रानु अवस्थी। तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती दीपा से रुपए 223882.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01,02)

प्रस्तर संख्या 244-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित 383 दिवस रहे जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 08 रही जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 04 रही जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 73.21% रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूर्ण होने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपए 0.69 लाख रहा। जिसमें से रुपए 0.69 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए निल लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का प्रतिशत निल रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 180.76 रही तथा ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100% रहा। 15 दिवस के अंतर्गत किये गए भुगतान का 95.95 % रहा। योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रानु अवस्थी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती दीपा से रुपए 69000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-03)

9- ग्राम पंचायत - मुस्ता

प्रस्तर संख्या 245-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित दिवस 279 रहे जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 10 रही जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 01 रही जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 33.39% रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूर्ण होने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपय 1.74 लाख रहा। जिसमें से रुपए 1.59 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए 0.15 लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का प्रतिशत 8.77 % रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 155.10 रही तथा ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 % रहा। 15 दिवस के अंतर्गत किये गए भुगतान का प्रतिशत 64.25% रहा। योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्रीमती चेतना सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र से रुपए 174000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या 246-ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अंतर्गत अनुदान की धनराशि पर प्राप्त बैंक ब्याज कैशबुक में धनराशि रुपए 34068.00 संत दर्शाई गई है किंतु प्रिया सॉफ्ट पर उक्त मद में प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 36337.00 दर्शित रही इस प्रकार धनराशि रुपए 2269.00 अंतर प्राप्त हुआ जिसके संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित रहे। हैं। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्रीमती चेतना सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र से रुपए 2269.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल

आपति संख्या-01)

10-ग्राम पंचायत- नेवादा सुजान

प्रस्तर संख्या 247-लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए निर्माण कार्य संबंधित निर्माण पत्रावली ओ में संलग्न एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में दर्शाई गई निर्माण कार्य सामग्री की मात्रा तथा क्यूआर बिल अथवा ब्लॉक कॉन्टिटी में सप्लाइ की निर्माण सामग्री की मात्रा में काफी अंतर रहा है जिससे कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की प्रबल संभावना है अतः रेखा का परीक्षा का यह मानना है कि कराए गए समस्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच अवश्य की जानी चाहिए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता रिपोर्ट संलग्न नहीं रही जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि नहीं की जा सके:-

राजेंद्र के घर से नरेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य रुपए 150000.00

सर्वेश के घर से अमर सिंह के घर तक खरंजा निर्माण कार्य रुपए 199000.00

राजकुमार के घर से रामाश्रय के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य रूप 247000.00

अमर सिंह के घर से रामबली के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य रूप 199000.00

ग्राम पंचायत में लेखा परीक्षा वर्ष में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के एबस्ट्रेक्ट ऑफ कॉस्ट एवं एमबी/वास्तविक सामग्री क्रय बिल में निर्माण सामग्री के उपभोग की मात्रा में अंतर से निर्माण कार्य की गुणवत्ता का प्रभावित होना दृष्टिगत होता है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु संबंधित ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवि वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। व्यय प्रमाणको के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-18)

11-ग्राम पंचायत कासामऊ

प्रस्तर संख्या 248-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु सफाई किट की खरीद दर्शाई गई है जिसके सापेक्ष शुक्ला ट्रेडर्स को दिनांक 21.03.2020 का बिल भी संलग्न किया गया है। धनराशि रूप 17800.00 का बिल संलग्न है जबकि इससे संबंधित अनुमोदन पत्रावली एवं कार्य आदेश लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाने से किया गया भुगतान अनियमित रहा। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु संबंधित ग्राम प्रधान श्री आनंद कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश चंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-17)

प्रस्तर संख्या 249-ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में कार्य पहचान संख्या 19408314 तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 08/01.02.2020 द्वारा पुलिया से लखन के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य धनराशि रूप 147575.00 द्वारा कराया गया है जिससे संबंधित अनुमोदन पत्रावली में प्रधान श्री आनंद कुमार कटियार के हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं तथा प्रस्तुत व्यय प्रमाणिक सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं पाया गया है जो कि लेखा आपति का विषय है। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु संबंधित ग्राम प्रधान श्री आनंद कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश चंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या 250-ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर का कार्य 14वें वित्त योजना अंतर्गत अनेक स्थानों पर कराया गया है जिस का विवरण निम्न वत है:-

लालू कटिहार मस्जिद के दरवाजे पर कार्य पहचान संख्या 11585955, 11585959, 11585957, जिसमें क्रमशः धनराशि रूप 11521.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष एक कार्य अनुमोदन पत्रावली एवं कार्य आदेश लेखा परीक्षा में तथा कार्य की एमबी जांच हेतु प्रस्तुत की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली में व्यय प्रमाणिक भी प्रस्तुत किए गए उपरोक्त सभी कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के रहे जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया है। निर्माण कार्य /विकास कार्य में विलंब का कारण लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। विकास कार्य में विलंब हेतु ग्राम प्रधान श्री आनंद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-4)

प्रस्तर संख्या 251-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि धनराशि रूप 16800.00 तथा धनराशि रूप 8068.00 का भुगतान वॉल पेंटिंग यह तो विजय पेंटर को दिनांक 27.01.2020 को किया गया है जिससे संबंधित अनुमोदन पत्रावली एवं कार्य आदेश लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जो कि लेकर आपति का विषय रहा नियमानुसार अनुमोदन पत्रावली एवं कार्य आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री आनंद कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश चंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी